शाश्वत ऊर्जा

इरेडा IREDA

एक बार इरेडा सदैव इरेडा
(नवरत्न सीपीएसई)

# भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)

**पंजीकृत कार्यालय :** पहली मंज़िल, कोर-4 ए, ईस्ट कोर्ट, भारत पर्यावास केंद्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 011-24682206-19 फैक्स : 91-11-24682202

**कॉर्पोरेट कार्यालय :** तीसरी मंज़िल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066 दूरभाष : 011-26717400-12 फैक्स : 91-11-26717416

**व्यवसाय केंद्र :** एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक- II, प्लेट-बी, सातवीं मंज़िल, पूर्वी किदवई नगर,
नई दिल्ली-110023 दूरभाष : 011-24604157, 24347700-24347799

**वेबसाइट :** www.ireda.in

**सीआईएन :** L65100DL1987GOI027265



इरेडा IREDA

37 वीं वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

शाश्वत ऊर्जा

इरेडा IREDA

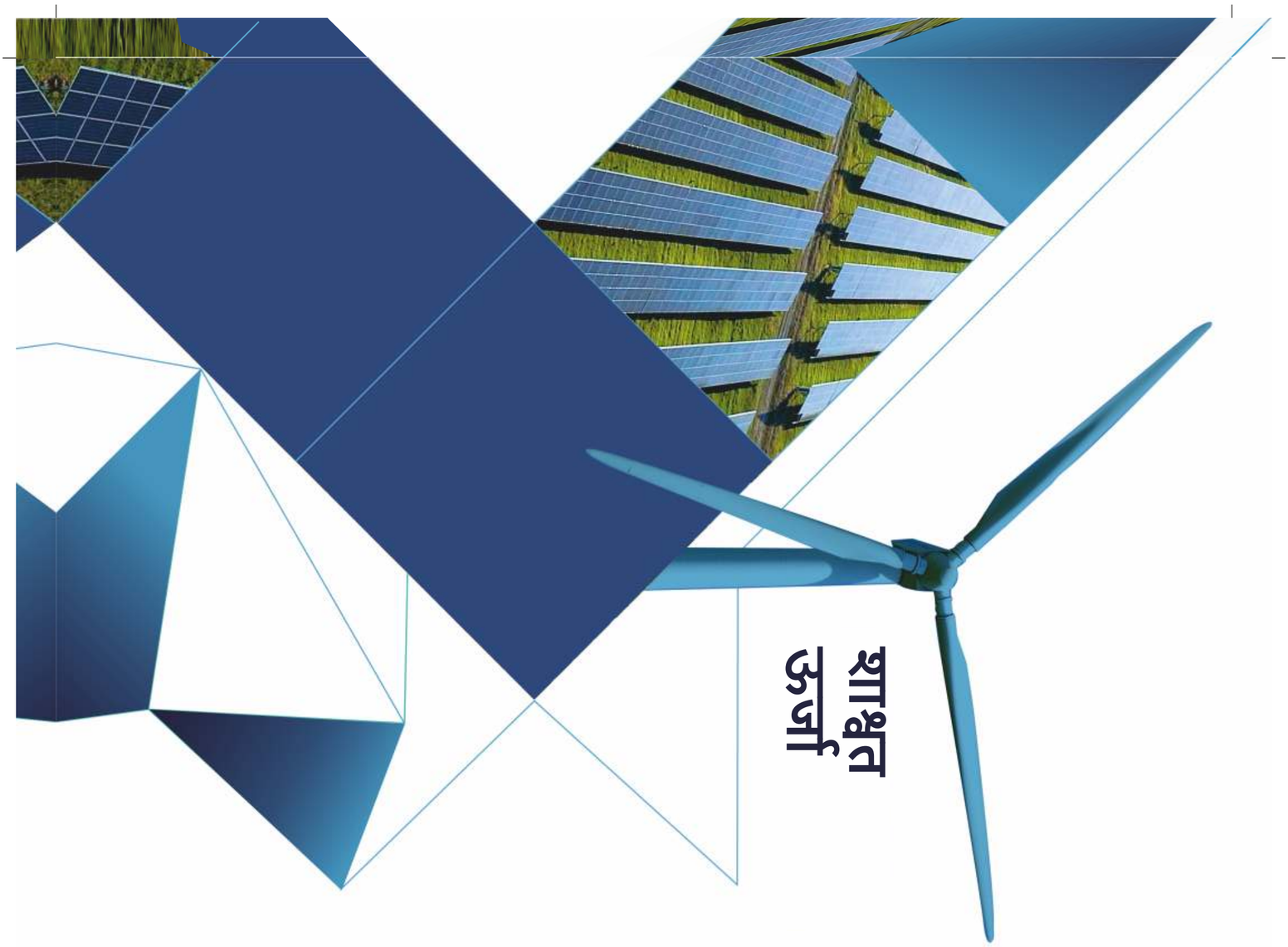
एक बार इरेडा सदैव इरेडा
(नवरत्न सीपीएसई)




37 वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

2023-24






दिनांक 11.03.2024, नई दिल्ली में 38वें स्थापना दिवस के अवसर पर इरेडा द्वारा आयोजित ग्रुप फोटो

# हमारे बारे में

इरेडा एक अग्रणी वित्तीय संस्थान है, जिसके पास ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के नए और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने के क्षेत्र में 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हम नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और उपकरण निर्माण के लिए परियोजना की अवधारणा से लेकर शुरुआत के बाद के चरण तक वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करते हैं।



## विजन

देश में किफायती, स्केलेबिलिटी और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार और परिवर्तन



## मिशन

**बनो एक**

- अग्रणी
- प्रतिभागी अनुकूल
- प्रतिस्पर्धी संस्था

**निम्नलिखित में आत्मनिर्भर निवेश के वित्तपोषण और संवर्धन के लिए**

- नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन
- ऊर्जा दक्षता
- पर्यावरण प्रौद्योगिकी

**सतत विकास के लिए**

# प्रदर्शन की मुख्य बातें

## ◆ पिछले वर्ष में बहु असाधारण उपलब्धियाँ

अनुसूची 'क' व नवरत्न सीपीएसई में अपग्रेड किया गया

₹ 1252.23 करोड़ का अब तक का सबसे उच्च वार्षिक कर पश्चात लाभ हासिल किया- पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 44.83% की वृद्धि

एनएसई और बीएसई पर इरेडा शेयरों की सफल लिस्टिंग; ऑफर 38.59 गुना अत्यभिदत्त हुआ

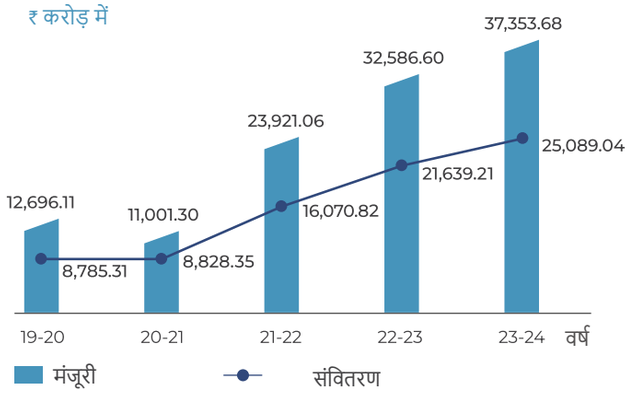
मिनी-रत्न श्रेणी के अधीन "सीएमडी ऑफ द ईयर" पुरस्कार के लिए 13वां सीपीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार, अन्य 4 प्रमुख श्रेणियों में उप-विजेता का पुरस्कार

"उत्कृष्ट" समझौता ज्ञापन रेटिंग की दिशा में अब तक की सबसे अधिक मंजूरी (₹37,354 करोड़) और संवितरण (₹ 25,890 करोड़ )

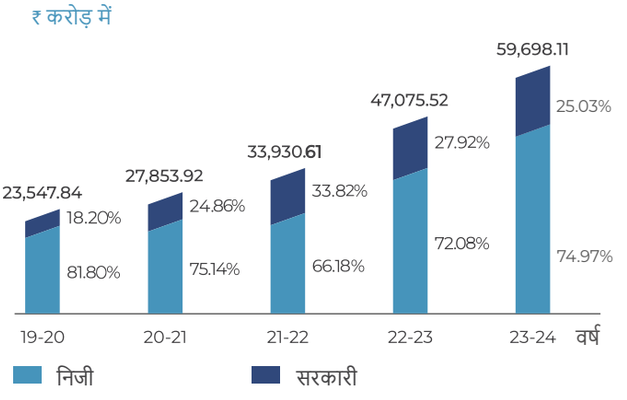
19 दिनों में वार्षिक लेखा-परीक्षित परिणाम प्रकाशित - बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्र में सबसे तेज़

## ◆ बढ़ती ऋण बुक

### स्वीकृतियां, संवितरण

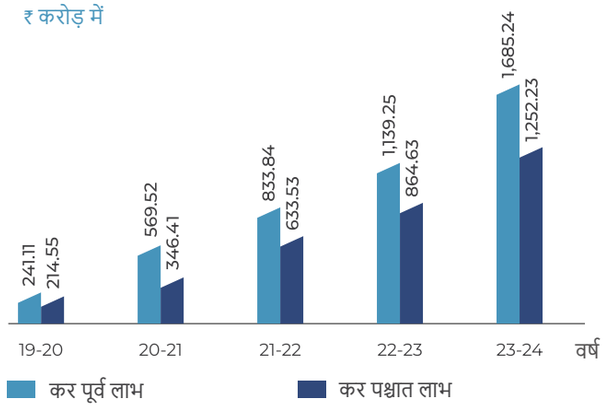



### ऋण परिसंपत्तियां (सार्वजनिक और निजी द्वारा विभाजित)

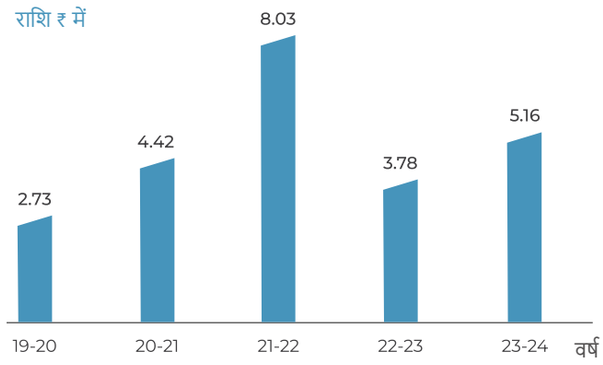



## ◆ स्थिर लाभप्रदता

### पीबीटी, पीएटी

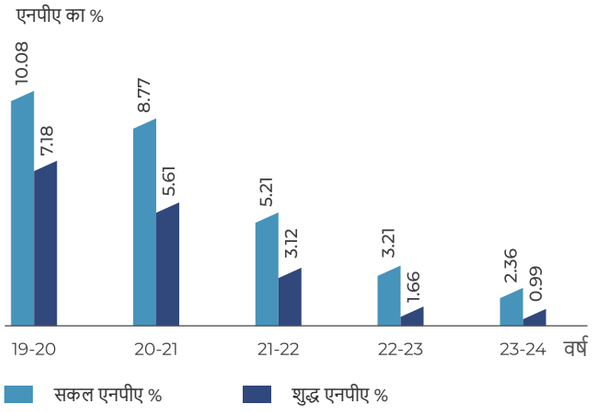



### आय प्रति शेयर

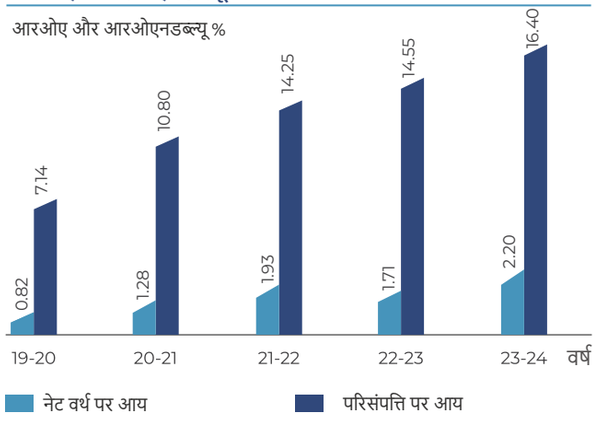


# प्रमुख अनुपात और व्यावसायिक मेट्रिक्स

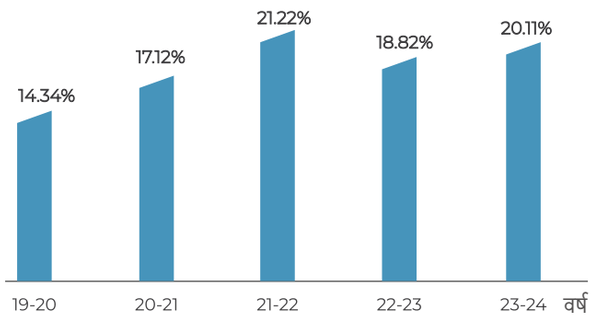
## सकल और निवल एनपीए



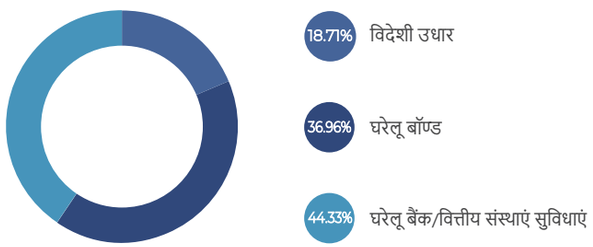

## आरओए व आरओएनडब्ल्यू




## पूंजी पर्याप्तता

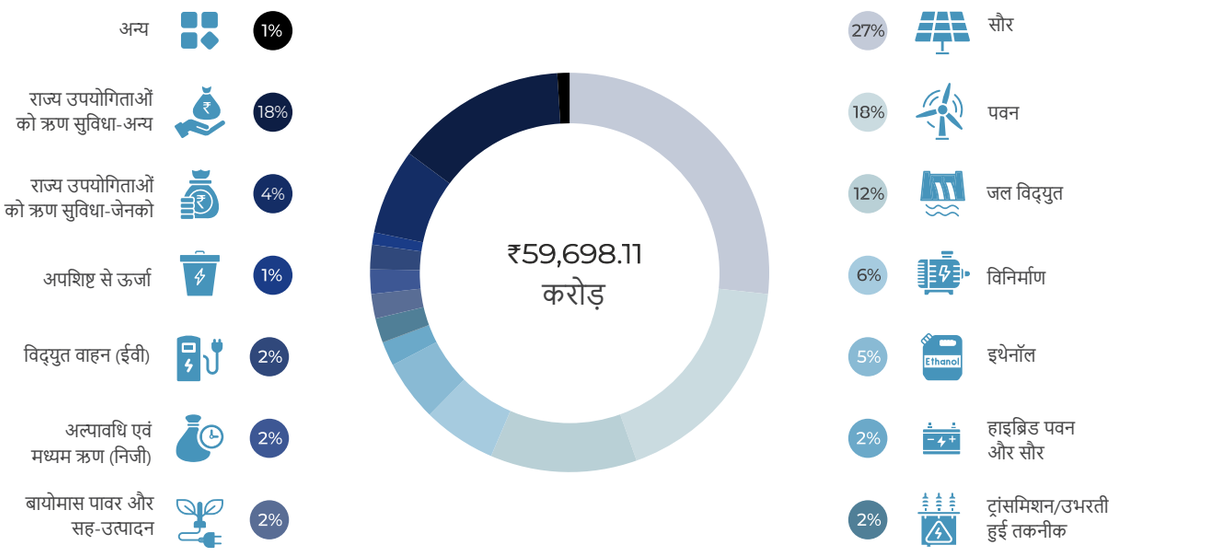



## वित्त प्राप्ति के स्रोत




₹49,686.86 करोड़ - 31 मार्च, 2024 को बकाया उधार

## ऋण पोर्टफोलियो वितरण



# वित्तीय उत्पादों व सेवाओं के व्यापक समूह के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उपस्थिति

## ◆ पारम्परिक आरई तकनीक

- सौर
- हाइड्रो
- पवन
- पारेषण
- बायोमास व सह-उत्पादन
- अपशिष्ट से ऊर्जा
- इथेनॉल
- ऊर्जा दक्षता व संरक्षण

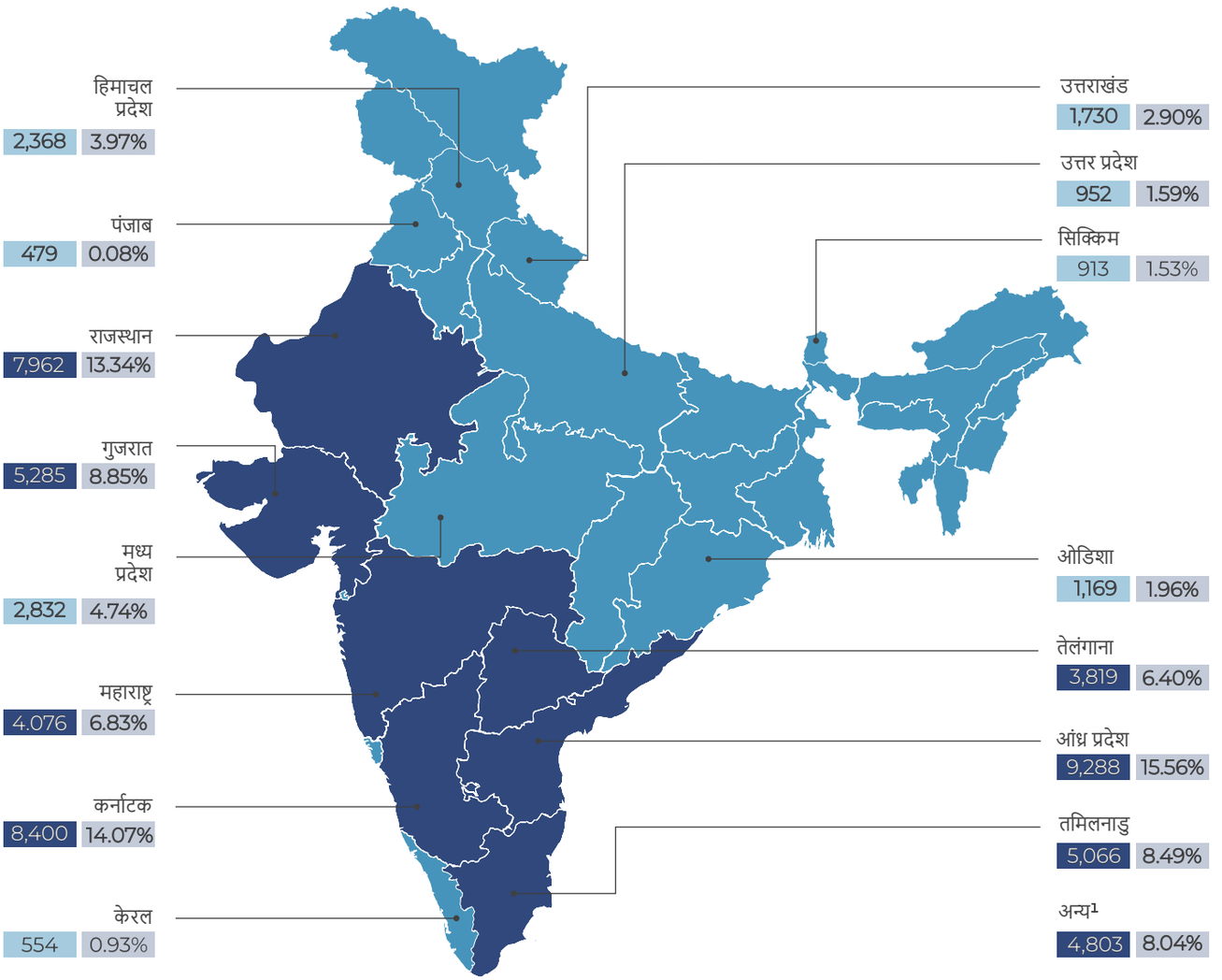
## ◆ उभरती तकनीक

- बैटरी स्टोरेज सिस्टम
- विद्युत वाहन व चार्जिंग इंफ्रा
- ग्रीन हाइड्रोजन
- पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो
- फ्यूल सेल
- आरई अवयव का निर्माण

## ◆ अवधारणा से लेकर शुरुआत तक पेश किये जाने वाले उत्पाद

- परियोजना अवधि ऋण
- ऋणों का पुनर्वित्तपोषण
- एनबीएफसी को आगे उधार देने के लिए ऋण की व्यवस्था
- ऋण सिंडिकेशन
- टॉप-अप ऋण
- ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स पर भुगतान
- भविष्य के नकद प्रवाह के प्रतिभूतिकरण के प्रति ऋण
- लेटर ऑफ कम्फर्ट/लेटर ऑफ अंडरटेकिंग
- बोली सुरक्षा के लिए आरई आपूर्तिकर्ताओं, डेवलपर्स, निर्माताओं और ईपीसी ठेकेदारों को गारंटी सहायता योजना

# राज्यवार बकाया ऋणबुक




31 मार्च, 2024 तक बकाया ऋण (₹ करोड़)

सकल ऋण पोर्टफोलियो का प्रतिशत

सकल ऋण पोर्टफोलियो में 5% से अधिक हिस्सेदारी वाले राज्य

1. अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, मणिपुर, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल सहित अन्य कई राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

*मानचित्र केवल सांकेतिक है और भौगोलिक प्रतिनिधित्व नहीं है

# हमारी अब तक की यात्रा

## 2024

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया।
भारत सरकार ने इरेडा को 'अनुसूची क' सीपीएसई में अपग्रेड किया।

कंपनी ने शेयर बाजार में उल्लेखनीय शुरुआत की।

आईएफएससी-जीआईएफटी सिटी में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली।

**₹59,698.11 करोड़***

## 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया।

**₹47,075.52 करोड़***

## 2022

भारत सरकार द्वारा ₹1500 करोड़ का इक्विटी निवेश।
नवरत्न स्थिति के साथ अनुसूची क के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया

**₹33,930.61 करोड़***

## 2018

ग्रीन मसाला बॉण्ड जारी किया

**₹15,820.39 करोड़***

## 2015

"मिनीरत्न" का दर्जा प्राप्त। केरल में 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की

**₹8,908.22 करोड़***

## 2010

'अनुसूची ग' से 'अनुसूची ख' सीपीएसई में अपग्रेड किया गया

**₹3,033.87 करोड़***

## 2005

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आईएसओ प्रमाणन

**₹1,825.10 करोड़***

## 1996

कंपनी अधिनियम के अधीन सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित

**₹391.02 करोड़***

## 1987

पूर्व के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक समर्पित वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित

**₹1.55 करोड़***

*बढ़ती ऋण बुक

# विषय सूची


- निदेशक मंडल 09
- सूचना 11
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश 22
- निदेशकों की रिपोर्ट 30
- सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट 61
- सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट 68
- कॉरपोरेट सुशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र 72
- व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट 100
- प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण रिपोर्ट 144
- लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 159
- तुलन पत्र 177
- लाभ व हानि का विवरण 178
- नकद प्रवाह का विवरण 179
- इक्विटी परिवर्तन का विवरण 181
- वित्तीय विवरणों पर नोट 184

# कंपनी संबंधी जानकारी

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | श्री प्रदीप कुमार दास |
| कार्यवाहक निदेशक | डॉ. बिजय कुमार मोहंती (12.10.2023 से प्रभावी) |
| नामित निदेशक | श्री पदम लाल नेगी<br>श्री अजय यादव |
| स्वतंत्र निदेशक | श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट<br>डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर<br>श्री राम निहाल निषाद<br>श्रीमती रोहिणी रावत |
| मुख्य वित्त अधिकारी | डॉ. बिजय कुमार मोहंती (16.10.2023 से प्रभावी) |
| कंपनी सचिव | श्रीमती एकता मदान |
| सीआईएन | L65100DL1987GOI027265 |
| पंजीकृत कार्यालय | भारत पर्यावास केंद्र<br>कोर-4 'ए', ईस्ट कोर्ट,<br>पहली मंज़िल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 |
| कॉरपोरेट कार्यालय | तीसरी मंज़िल, अगस्त क्रांति भवन<br>भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 |
| व्यवसाय केंद्र | एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-II, प्लेट-बी, 7वीं मंज़िल,<br>ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 |
| सांविधिक लेखा-परीक्षक | मैसर्स डीएसपी एंड एसोसिएट्स<br>चार्टर्ड एकाउंटेंट्स<br>783, देशबंधु गुप्ता रोड,<br>फैज़ रोड क्रॉसिंग के नज़दीक<br>करोल बाग़, नई दिल्ली-110005 |
| सचिवीय लेखा-परीक्षक | मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी<br>कंपनी सचिव<br># 2382, सेक्टर-16, फरीदाबाद, हरियाणा-121002 |
| बैंकर्स | बैंक ऑफ़ बड़ौदा<br>येस बैंक<br>भारतीय स्टेट बैंक<br>आईडीबीआई बैंक<br>एचडीएफसी बैंक |
| स्टॉक एक्सचेंज | बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध इक्विटी व बॉण्ड्स |

# निदेशक मंडल

**(24 मई, 2024 को)**



**श्री प्रदीप कुमार दास**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 07448576)



**डॉ. बिजय कुमार मोहंती**
निदेशक (वित्त)
(डीआईएन : 08816532)



**श्री पदम लाल नेगी**
सरकार नामित निदेशक
(डीआईएन : 10041387)



**श्री अजय यादव**
सरकार नामित निदेशक
(डीआईएन : 10046617)



**श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट**
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 09483059)



**डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर**
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 09556253)



**श्री राम निहाल निषाद**
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 10064841)



**श्रीमती रोहिणी रावत**
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 10064820)

# वरिष्ठ प्रबंधन
**(24 मई, 2024 को)**



**डॉ. आर.सी. शर्मा**
महाप्रबंधक (एफ एंड ए)



**श्रीमती माला घोष चौधुरी**
महाप्रबंधक (एचआर)



**श्री भरत सिंह राजपूत**
महाप्रबंधक (टीएस)



**श्री एस.के. शर्मा**
महाप्रबंधक (एफ एंड ए)



**श्री धीरज मेहता**
महाप्रबंधक (एफ एंड ए)



**श्री एस.के. डे**
महाप्रबंधक (टीएस) एवं सीआईओ



**श्री ए.चंद्रशेखर**
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



**श्री के.पी.फिलिप**
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



**श्री राजेंद्र सिंह**
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



**सुश्री दुर्रे शाहवार**
अपर महाप्रबंधक (एचआर)



**श्रीमती पुनू ग्रोवर**
अपर महाप्रबंधक (एफ एंड ए)



**श्री अमित गोयल**
अपर महाप्रबंधक (एफ एंड ए)



**श्रीमती कंचन भल्ला**
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



**श्री राजीव कुमार**
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



**श्री पल्लव कपूर**
मुख्य जोखिम अधिकारी



**श्री संजय कुमार**
मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी



**श्री पीयूष कुमार**
मुख्य अनुपालन अधिकारी



**श्री बालाजी नटराजन**
मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी



**श्रीमती एकता मदान**
कंपनी सचिव

**भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: पहली मंज़िल, कोर-4ए, भारत पर्यावास केन्द्र , लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
सीआईएन: L65100DL1987GOI027265, वेबसाइट: www.ireda.in, ईमेल: equityinvestor2023@ireda.in, दूरभाष : +91-11-24682206-19, फैक्स नंबर : +91-11-24682202

# सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड **("कंपनी")** के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **सोमवार, 24 जून, 2024 को अपराह्न 3:30 बजे (भा.मा.स.)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी:

**साधारण व्यवसाय:**

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ ही निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
2. श्री पदम लाल नेगी (डीआईएन: 10041387), सरकारी नामित निदेशक, जो रोटेशन से सेवा-निवृत्त होते हैं और पात्र होने पर, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना।
3. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

**विशेष व्यवसाय:**

4. **वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लागत लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।**

इस पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:

**"संकल्प लिया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 **("अधिनियम")** की धारा 148 तथा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम के अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के लागत लेखा-परीक्षक मैसर्स चंद्रा वाधवा एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 000239) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देय ₹ 50,000 (रुपये पचास हजार मात्र) का पारिश्रमिक तथा लागू कर (जेब से बाहर के व्यय सहित), जैसा कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, की पुष्टि की जाती है तथा अनुसमर्थन किया जाता है।"

**निदेशक मंडल के आदेशानुसार**
**कृते भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड**

**हस्ता. /-**
**(एकता मदान)**
**कंपनी सचिव**

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक: 31.05.2024**

**टिप्पणियाँ:-**

1. वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 **('अधिनियम')** की धारा 102 के अनुसार एक व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।
2. इस एजीएम में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक के संबंध में, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सेबी (एलओडीआर) विनियमों और सचिवीय मानक के विनियम 36(3) के अनुसार प्रासंगिक विवरण भी संलग्न है।
3. अधिनियम की धारा 139(5) के अनुसार, सरकारी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा की जाती है और अधिनियम की धारा 142 के अनुसार, पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निर्धारित तरीके से तय किया जाएगा। सदस्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सी एंड एजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वैधानिक लेखा परीक्षकों का उचित पारिश्रमिक तय करने के लिए बोर्ड को अधिकृत कर सकते हैं, जैसा कि बोर्ड द्वारा उचित समझा जाए।
4. हाल ही में 25 सितंबर, 2023 के एमसीए परिपत्र और 07 अक्टूबर, 2023 के सेबी परिपत्र और अन्य लागू अधिसूचनाओं के मद्देनजर, कंपनी की 37वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना ही आयोजित की जा रही है। 37वीं एजीएम के लिए माना गया स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एमसीए और सेबी परिपत्र के अनुसार, एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति और प्रॉक्सी की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म और रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं। चूंकि बैठक वीसी/ओवीएएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, इसलिए सदस्य की ओर से उपस्थित होने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति उपलब्ध नहीं है। हालांकि, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 37वीं एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए सदस्य के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जा सकता है।
6. एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुरूप, 37वीं एजीएम की सूचना वार्षिक रिपोर्ट के साथ उन सभी सदस्यों को ई-मेल से भेजी जा रही है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी के आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत है। सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/annual-reports पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

7. वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 37वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

8. एजीएम में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में दिखाई देता है, एजीएम में वोट देने का हकदार होगा।

9. संस्थागत निवेशकों की श्रेणी के तहत कंपनी के सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लें और वोट दें। कॉर्पोरेट सदस्य/संस्थागत निवेशक जो कंपनी अधिनियम की धारा 113 के अनुसार अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का इरादा रखते हैं, उन्हें वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए बोर्ड के प्रस्ताव/ प्राधिकरण पत्र की प्रमाणित प्रति जांचकर्ता को fcspcjain@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से भेजने का अनुरोध किया जाता है, जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.com पर चिह्नित की गयी हो।

10. कंपनी ने सूचना में विस्तृत रूप से 37वीं एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के मद(दों) पर वोट देने की पात्रता निर्धारित करने के लिए **सोमवार, 17 जून, 2024** को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। कोई भी व्यक्ति जो सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट- ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, तो वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

    हालांकि, यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता/सकती है। कोई भी शेयरधारक जो अपनी शेयरधारिता का निपटान इस तरह करता है कि वह कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, तो उसे इस सूचना को सिर्फ़ जानकारी के उद्देश्य से लेना चाहिए।

11. ऊपर संदर्भित एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। वे शेयरधारक जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

12. एनएसडीएल रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 37वीं एजीएम में भागीदारी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से 37वीं एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा प्रदान करेगा। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शुक्रवार, 21 जून, 2024 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.)** से शुरू होगी और **रविवार, 23 जून, 2024 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.)** पर समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

13. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का हक नहीं होगा।

14. सदस्य वीसी/ओएवीएम के जरिए 37वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं, जिसे **24 जून, 2024 को अपराह्न 03:15 बजे (भा.मा.स.) से** सदस्यों के लिए खुला रखा जाएगा अर्थात निर्धारित प्रारंभ समय से 15 मिनट पहले और कंपनी निर्धारित प्रारंभ समय के 30 मिनट बाद अर्थात एजीएम की तिथि को **शाम 04:00 बजे (भा.मा.स.) तक** वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए विंडो बंद कर सकती है।

    **रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 37वीं एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए कृपया विस्तृत अनुदेश देखें, जो इस सूचना के साथ संलग्न हैं।**

15. अधिनियम के तहत निर्धारित अनुसार सांविधिक रजिस्टर और सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज, इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से एजीएम की तिथि अर्थात 24 जून, 2024 तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे equityinvestor2023@ireda.in पर कंपनी को एक ई-मेल भेजें।

16. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी), जिनके पास उनका डीमैट खाता है, के साथ पैन, पिन के साथ पता, ईमेल, मोबाइल नंबर और नामांकन अपडेट करें।

17. इस बैठक के व्यवसाय के किसी भी मद (दों) पर कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए एजीएम की तारीख से कम से कम 7 (सात) दिन पहले Equityinvestor2023@ireda.in पर एक ई-मेल भेजें और कंपनी द्वारा इसका उचित उत्तर दिया जाएगा।

18. जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ईमेल पते से बैठक से कम से कम 7 दिन पहले अपना अनुरोध equityinvestor2023@ireda.in पर भेजकर खुद को स्पीकर (वक्ता) के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं, जिसमें उनका नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख किया गया हो। अन्य ईमेल आईडी पर दिए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन सदस्यों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। एजीएम के सुचारू संचालन के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार कंपनी सुरक्षित रखती है।

19. 37वीं एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के मदों के संबंध में ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए श्री पी. सी. जैन, एफसीएस 4103, सीओपी संख्या 3349, प्रबंध भागीदार, मैसर्स पी. सी. जैन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को स्क्रूटिनाइजर (जांचकर्ता) के रूप में नियुक्त किया गया है।

20. एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के समापन के बाद स्क्रूटिनाइजर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक में डाले गए वोटों का आकलन करेगा, उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और एक समेकित स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे बैठक के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

21. ई-वोटिंग के परिणाम, जिसमें प्रत्येक संकल्प के पक्ष में या उसके विरुद्ध डाले गए वोटों की संख्या, अमान्य वोट और संकल्प को लागू किया गया है या नहीं, को दर्शाते हुए, स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट यानी www.ireda.in और एनएसडीएल की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर अपलोड किया जाएगा और निर्धारित समय के भीतर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, यदि शेयरधारकों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो उसे 37वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि पर पारित माना जाएगा।

**व्याख्यात्मक कथन**
**(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में)**

सूचना में उल्लिखित विशेष व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित कथन में बताए गए हैं।

**मद संख्या 4**

कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार, लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा ऐसे पारिश्रमिक पर की जाएगी, जिसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के तहत, लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करते समय बोर्ड को उन्हें देय पारिश्रमिक को अनुमोदित करना अपेक्षित है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

तदनुसार, लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित अनुसार, निदेशक मंडल ने मैसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण संख्या 000239) को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में ₹ 50,000 (रुपये पचास हजार मात्र) (फुटकर खर्च सहित) सहित लागू करों के पारिश्रमिक पर नियुक्त किया है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सूचना में मद संख्या 4 में निर्धारित अनुसार एक साधारण प्रस्ताव पारित करके शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जाता है।

निदेशक मंडल ने कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की।

निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी उक्त प्रस्ताव पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है, सिवाय कंपनी की प्रतिभूतियों में उनकी होल्डिंग की सीमा के, यदि कोई हो।

**निदेशक मंडल के आदेशानुसार**
**कृते भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड**

**हस्ता./-**
स्थान: नई दिल्ली **(एकता मदान)**
दिनांक: 31.05.2024 **कंपनी सचिव**

**सेबी (एलओडीआर) विनियमन व सचिवीय मानक-2 के अनुसार, मद संख्या 2 के अधीन 37वीं वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का विवरण निम्नानुसार है:**

| | |
|---|---|
| **निदेशक का नाम** | श्री पदम लाल नेगी |
| **डीआईएन** | 10041387 |
| **जन्म तिथि/आयु** | 22 नवंबर, 1966 (57 वर्ष) |
| **बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि** | 07 फरवरी, 2023 |
| **योग्यता(एँ)** | पंजाब विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की डिग्री और राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री |
| **संक्षिप्त बायोडाटा** | श्री पदम लाल नेगी आपकी कंपनी के सरकारी नामित निदेशक हैं। वे वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं, साथ ही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास है। उनके पास पंजाब विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की डिग्री और राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री है। प्रशासन में उनके पास 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग में 1992 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। इस पद को संभालने से पहले, उन्होंने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के एकीकृत वित्तीय सलाहकार (सीमा सड़क) के रूप में काम किया। उन्होंने भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में निदेशक तथा अंडमान और निकोबार कमान के एकीकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं। |
| **विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति** | श्री पदम लाल नेगी वित्तीय प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन, नेतृत्व और सामाजिक क्षेत्र आदि में विशेषज्ञता रखते हैं। |

| | |
|---|---|
| **निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का खुलासा** | कंपनी के किसी भी अन्य निदेशक के साथ कोई आपसी संबंध नहीं है |
| **अन्य कंपनियों में निदेशक पद** | • एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड<br>• एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड<br>• एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड<br>• पवन हंस लिमिटेड<br>• सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड<br>• एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया |
| **अन्य संस्थाओं के नाम जिनमें व्यक्ति समितियों का सदस्य/अध्यक्ष है** | • एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड<br>(ऑडिट समिति का अध्यक्ष और सीएसआर समिति का सदस्य)<br>• एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड<br>(ऑडिट समिति का अध्यक्ष)<br>• एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड<br>(ऑडिट समिति का अध्यक्ष)<br>• पवन हंस लिमिटेड<br>(ऑडिट समिति का सदस्य) |
| **नियुक्ति के नियम व शर्तें और भुगतान किए जाने वाले प्रस्तावित पारिश्रमिक** | एमएनआरई आदेश संख्या 340/85/2017-इरेडा दिनांक 7 फरवरी, 2023 और 30 जून, 2023 की शेयरधारक की मंजूरी के अनुसार श्री पदम लाल नेगी को 7 फरवरी, 2023 से निदेशक मंडल द्वारा आपकी कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकारी नामित निदेशकों को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है। |
| **वित्तीय वर्ष 24 के दौरान उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या** | 31 बोर्ड बैठकों में से, श्री पदम लाल नेगी ने 29 बैठकों में भाग लिया है। |
| **वित्तीय वर्ष 24 के दौरान उपस्थित समिति की बैठकों की संख्या** | 19 समिति बैठकों में से, श्री पदम लाल नेगी ने 17 बैठकों में भाग लिया है, जिनमें वे सदस्य हैं। |
| **उन सूचीबद्ध संस्थाओं का विवरण जिनसे व्यक्ति ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है** | शून्य |
| **शेयरधारिता** | शून्य |




इरेडा की 36वीं वार्षिक आम बैठक 30 जून 2023 को आयोजित की गयी।

# एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के लिए अनुदेश

**रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 21 जून, 2024 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और रविवार, 23 जून, 2024 को शाम 05:00 बजे ( भा.मा.स.) समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी सोमवार, 17 जून, 2024 को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के हकदार हैं। शेयरधारकों के मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि 17 जून, 2024 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।**

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने का तरीका "दो चरणों" से मिलकर बना है, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच

चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें

**चरण 1 के विवरण नीचे दिए गए हैं:**

**क) ई-वोटिंग के लिए लॉगइन विधि और डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगइन विधि नीचे दी गयी है:

| शेयरधारकों के प्रकार | लॉगइन विधि |
|---|---|
| **एनएसडीएल** के साथ डिमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | मौजूदा **IDeAS** उपयोगकर्ता या तो पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट अर्थात https://eservices.nsdl.com देख सकते हैं। ई-सेवा होम पेज पर "लॉगइन" के अधीन **"लाभार्थी स्वामी"** आइकन पर क्लिक करें जो ' **IDeAS** ' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अधीन ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अधीन **"ई-वोटिंग तक पहुँच"** पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और बैठक के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।<br><br>यदि आप IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं,तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। **"IDeAS पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण"** सेलेक्ट करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।<br><br>एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। निम्न URL: https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज एक बार लॉन्च होने के बाद,"लॉगइन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरहोल्डर/सदस्य' अनुभाग के अधीन उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों वाला डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए अनुसार एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता** यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।<br><br>सहज मतदान अनुभव के लिए शेयरधारक/सदस्य नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप **"NSDL Speede"** सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।<br><br>**एनएसडीएल मोबाइल एप यहाँ उपलब्ध है**<br><br>App Store Google Play |
| **सीडीएसएल** के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक - | जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल Easi/Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के ज़रिए लॉगइन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुँचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi/Easiest लॉगइन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट **www.cdslindia.com** पर जाएँ और लॉगइन आइकन तथा नए सिस्टम **Myeasi टैब** पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा my easi यूजर नाम और पासवर्ड का उपयोग करें।<br><br>सफल लॉगइन के बाद Easi/Easiest यूजर उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख पाएँगे जहाँ कंपनी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग चल रही है। |

| शेयरधारकों के प्रकार | लॉगइन विधि |
|---|---|
| | ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और बैठक के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पेज को देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुँचने के लिए लिंक भी प्रदान किया गया है, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सके।<br><br>यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगइन तथा न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।<br><br>वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुँच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज किए गए पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और वह सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंच भी सकेगा। |
| व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगइन करते हैं। | आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगइन कर सकते हैं। लॉगइन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। वन-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। |

**महत्वपूर्ण नोट :** जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी **एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगइन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।**

| लॉगइन के प्रकार | हेल्पडेस्क का विवरण |
|---|---|
| एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं। |
| सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉगइन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या निःशुल्क नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं। |

**ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगइन विधि।**

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। पर्सनल कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर निम्न URL: https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।

2) ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगइन" आइकन पर क्लिक करें, जो कि 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के अधीन उपलब्ध है।

3) एक नयी स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाओं यानी IDeAS के लिए पंजीकृत हैं,तो आप अपने मौजूदा IDeAS लॉगइन के साथ https://eservices.nsdl.com पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण २ यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

4) आपकी यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

| शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या फिजिकल | आपकी यूजर आईडी है: |
|---|---|
| क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं। | 8 अक्षरों की डीपी आईडी इसके बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी। उदाहरण के लिए अगर आपकी डीपी आईडी आईएन300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** है तो आपकी यूजर आईडी आईएन300***12****** है। |
| ख) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं। | 16 अंकों की लाभार्थी आईडी। उदाहरण के लिए अगर आपकी लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपकी यूजर आईडी 12********** है |
| ग) उन सदस्यों के लिए जो फिजिकल फॉर्म में शेयर रखते हैं। | ईवीईएन नंबर (ई-वोटिंग इवेंट नंबर) इसके बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर<br>उदाहरण के लिए अगर फोलियो नंबर 001*** है और ईवीईएन 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है |

5) व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड के विवरण नीचे दिए गए हैं:

   क. यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगइन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

   ख. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना "प्रारंभिक पासवर्ड" पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा।

   ग. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुनः प्राप्त करें?

   (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाइए। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी एक पीडीएफ फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल को खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ फाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

   (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए **प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है**।

6) यदि आप "आरंभिक पासवर्ड" प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपको प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गये हैं:

   क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध **"फॉरगेट यूजर डिटेल्स/ पासवर्ड"** (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रखते हैं) विकल्प पर क्लिक करें।

   ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध **"फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड"** (यदि आप भौतिक रूप में शेयर रखते हैं) विकल्प पर क्लिक करें।

   ग) यदि आप उपरोक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप evoting@nsdl.com पर अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि बताते हुए अनुरोध भेज सकते हैं।

   घ) एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए सदस्य ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगइन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7) अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर सेलेक्ट करके "नियम और शर्तों" से सहमत पर टिक करें।

8) अब, आपको "लॉगइन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9) "लॉगइन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा

**चरण 2 पर विवरण नीचे दिए गए हैं:**

**एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और आम बैठक में कैसे शामिल हों?**

1. चरण 1 में सफल लॉगइन के बाद, आप उन सभी कंपनियों के "ईवीईएन" को देख पाएंगे, जिनमें आपके पास शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. उस कंपनी का "ईवीईएन" सेलेक्ट करें, जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "ज्वाइन मीटिंग" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुल गया है।
4. उचित विकल्प अर्थात सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं, को सेलेक्ट करके अपना वोट डालें और संकेत मिलने पर "सबमिट" और "कन्फर्म" पर क्लिक करें।
5. पुष्टि होने पर, "वोट सफलतापूर्वक डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।
6. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

**ग. जिन शेयरधारकों की ईमेल आईडी निक्षेपागारों के पास पंजीकृत नहीं है, उनके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने तथा प्रस्तावों के लिए**

**ई-वोटिंग हेतु ईमेल आईडी पंजीकृत करने की प्रक्रिया इस सूचना में बतायी गयी है:**

1. यदि शेयर भौतिक मोड में हैं, तो कृपया फ़ोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गयी प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गयी प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गयी प्रति) को ईमेल द्वारा **equityinvestor2023@ireda.in** पर प्रदान करें।

2. यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों वाला डीपीआईडी+सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गयी प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गयी प्रति) को **equityinvestor2023@ireda.in** पर प्रदान करें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप चरण 1 (क) में बतायी गयी लॉगइन विधि, अर्थात डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और आभासी मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगइन विधि देखें।

3. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज़ प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेज सकते हैं।

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गयी ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 तारीख के सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

**ख. एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:-**

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए अनुदेशों के समान ही है।

2. सिर्फ़ वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, तो वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति ही होगा।

**ग. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:**

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगइन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने "ज्वाइन मीटिंग" मेनू के अंतर्गत "वीसी/ओएवीएम" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि जॉइन मीटिंग मेनू के अंतर्गत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगइन में उपलब्ध होगा, जहां कंपनी का ईवीईएन प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गये हैं, तो वे अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने के लिए सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है।

3. इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कैमरा चलाने और अच्छी गति से इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देनी होगी।

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट लैपटॉप के जरिए जुड़े प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपर्युक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

**घ. शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश**

1. इसकी पुरज़ोर अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगइन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड दोबारा सेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "फॉरगेट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड" या "फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड" विकल्प से गुजरना होगा।

2. किसी भी जिज्ञासा के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

# निदेशकों का संक्षिप्त परिचय



## श्री प्रदीप कुमार दास (डीआईएन: 07448576)

**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

श्री प्रदीप कुमार दास 6 मई, 2020 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। वे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के सहयोगी सदस्य हैं। उन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में वित्त, बैंकिंग, निगमित सुशासन, लेखा परीक्षा, संसाधन जुटाना और कोषागार, ऋण और वसूली प्रबंधन, विनिवेश/डाइवेस्टमेंट आदि में विभिन्न पदों पर 37 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। वे विभिन्न रणनीतिक निर्णयों के लिए भारत सरकार के निकायों और उद्योग संघों द्वारा गठित विभिन्न उच्च-स्तरीय समितियों के प्रतिष्ठित सदस्य हैं। आपकी कंपनी में शामिल होने से पहले, वे भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक (वित्त) थे। उन्होंने आरईसी लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड, कुसुम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य संगठनों के साथ भी काम किया है।



## डॉ. बिजय कुमार मोहंती (डीआईएन: 08816532)

**निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ**

डॉ. बिजय कुमार मोहंती कंपनी के निदेशक (वित्त) हैं। वे 12 अक्टूबर, 2023 से कंपनी के निदेशक हैं। वे 16 अक्टूबर, 2023 से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी का पद भी संभाल रहे हैं। उन्हें कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के पद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं। उनके पास ओडिशा के उत्कल विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री और दर्शनशास्त्र (वाणिज्य) और लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री है। उनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में मास्टर डिग्री, उत्कल विश्वविद्यालय, ओडिशा से विधि स्नातक और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर से वाणिज्य में डॉक्टरेट ऑफ़ फिलोसॉफी की उपाधि भी है। उन्हें भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है और उन्हें वित्त, लेखा, वाणिज्यिक, परियोजना मूल्यांकन, परियोजना निष्पादन और प्रबंधन, और कानूनी कार्यों का अनुभव है। आपकी कंपनी में शामिल होने से पहले, उन्होंने आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) में मंडल प्रमुख (स्मार्ट मीटरिंग) और आरईसी लिमिटेड में वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त और लेखा) के रूप में काम किया है। आरईसी लिमिटेड में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और भुवनेश्वर के मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में भी काम किया है। उन्होंने एफएसीओआर पावर लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा, उन्होंने पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ़ उड़ीसा लिमिटेड (सीईएससीओ) और ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ उड़ीसा लिमिटेड (ग्रिडको) में भी काम किया है। उन्होंने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी योजनाओं को लागू करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।



## श्री पदम लाल नेगी (डीआईएन: 10041387)

**सरकार द्वारा नामित निदेशक**

श्री पदम लाल नेगी 7 फरवरी, 2023 से आपकी कंपनी के सरकारी नामित निदेशक हैं। वे वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं और उनके पास भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार भी है। उनके पास पंजाब विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की डिग्री और राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र में मास्टर की डिग्री है। उन्हें प्रशासन में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग में 1992 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। इस पद को संभालने से पहले, उन्होंने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के समन्वित वित्तीय सलाहकार (सीमा सड़कें) के रूप में काम किया। उन्होंने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में निदेशक तथा अंडमान एवं निकोबार कमान के समन्वित वित्तीय सलाहकार के रूप में भी विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यभार संभाला है।



### श्री अजय यादव (डीआईएन : 10046617)

**सरकार द्वारा नामित निदेशक**

श्री अजय यादव कंपनी के सरकारी नामित निदेशक हैं। वे 14 फरवरी, 2023 से निदेशक हैं। वे 2005 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वे वर्तमान में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की से इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्हें प्रशासन में 19 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने पटना, बिहार में सहायक कलेक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और बाद में राजस्व प्रशासन सहित विभिन्न विभागों में बिहार राज्य सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे कि विदेश मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भी काम किया है।



### श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट (डीआईएन: 09483059)

**स्वतंत्र निदेशक**

श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। उनके पास विधि के साथ-साथ वाणिज्य में स्नातक की डिग्री है। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और वकील हैं। वे बड़ौदा बार एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। इससे पहले, वे वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और नगर निगम पार्षद और बड़ौदा नगर निगम (बीएमसी) के मेयर रह चुके हैं।



### डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर (डीआईएन: 09556253)

**स्वतंत्र निदेशक**

डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर 31 मार्च, 2022 से आपकी कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। उनके पास कुवेम्पु विश्वविद्यालय, कर्नाटक से चिकित्सा में स्नातक की डिग्री और काठमांडू विश्वविद्यालय, नेपाल से आंतरिक चिकित्सा में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री है। उन्हें चिकित्सा उद्योग में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे वर्तमान में नारायण अस्पताल, थिंडलू, ब्यातारयानापुरा, बेंगलुरु में एक सलाहकार चिकित्सक और मधुमेह रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं। वे भारतीय चिकित्सा संघ, येलाहंका शाखा के केंद्रीय परिषद सदस्य भी हैं। उन्हें कर्नाटक के समाचार पत्र संघ द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक' की श्रेणी में नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा राज्य पुरस्कार, 2016 से सम्मानित किया गया है।



### श्री राम निहाल निषाद (डीआईएन: 10064841)

**स्वतंत्र निदेशक**

श्री राम निहाल निषाद, 9 मार्च, 2023 से कंपनी के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। उनके पास अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से विधि और वाणिज्य में स्नातक की डिग्री है। वे एक वकील हैं और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य हैं।



### श्रीमती रोहिणी रावत (डीआईएन: 10064820)

**स्वतंत्र निदेशक**

श्रीमती रोहिणी रावत, 9 मार्च, 2023 से कंपनी की अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। उन्होंने रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। वे वर्ष 2004 से 2007 तक राज्य महिला आयोग की सदस्या रहीं। वे वर्ष 2013 से 2018 तक नगर पालिका परिषद जोशीमठ की अध्यक्षा रहीं और 2017 में मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें "मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समन्वय में एक सक्रिय स्वयंसेवक भी रही हैं, उन्हें 2001 में"लीडर ऑफ़ द ईयर"से सम्मानित किया गया था।

# अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश



**प्रिय हितधारको,**

मजबूत वित्तीय सफलता तथा अक्षय ऊर्जा व हरित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में वित्तपोषण को आगे बढ़ाने की स्थायी प्रतिबद्धता के रूप में चिह्नित एक और वर्ष का जश्न मनाते हुए मुझे आपकी कंपनी की 37वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है।

भारत के जीवंत हरित वित्त बाजार में अपनी उपलब्धियों पर विचार करने से पहले, यह समझने के लिए कि उभरते रुझान किस प्रकार हमारे उद्योग के लिए नये अवसरों और चुनौतियों को आकार दे रहे हैं, व्यापक वैश्विक संदर्भ पर विचार करना आवश्यक है।

**वैश्विक हरित वित्तपोषण परिदृश्य**

वर्ष 2023 में, ऊर्जा परिवर्तन में वैश्विक निवेश $1.77 ट्रिलियन के एक अभूतपूर्व उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष (ब्लूमबर्ग) से 17% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। यह पर्याप्त वृद्धि स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए विश्व की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उल्लेखनीय रूप से, विद्युतीकृत परिवहन प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा, जिसने 634 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किया, जो पिछले वर्ष से 36% अधिक था, और अक्षय ऊर्जा से आगे निकल गया, जिसने $623 बिलियन हासिल किया, जो 8% की वृद्धि को दर्शाता है। यह बदलाव बाजार की गतिशील प्रकृति और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों में विविधता प्रतिफलित करने पर बढ़ते फोकस को उजागर करता है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, वर्ष 2023 में ~510 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता जोड़े जाने की उम्मीद थी, जिससे वर्ष के अंत तक कुल वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ~4,140 गीगावाट हो जाएगी। सौर ऊर्जा ~1,552 गीगावाट के साथ सबसे आगे है, इसके बाद हाइड्रो पावर ~1,411 गीगावाट, पवन ऊर्जा ~1,007 गीगावाट और जैव ऊर्जा ~170 गीगावाट है।

नवीकरणीय स्थापित क्षमता में यह वृद्धि सौर और पवन ऊर्जा की घटती लागतों द्वारा समर्थित है। आईईए ने बताया कि वर्तमान और नये जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों की तुलना में तटवर्ती पवन और सौर पीवी अब ज़्यादा किफायती हैं। तक़रीबन 96% नयी उपयोगिता-पैमाने वाली सौर पीवी और तटवर्ती पवन क्षमता की उत्पादन लागत नये कोयला और प्राकृतिक गैस संयंत्रों की तुलना में कम थी, और वर्तमान जीवाश्म ईंधन सुविधाओं की तुलना में लगभग 75% सस्ती थी।

वर्ष 2023 में जी-20 की अध्यक्षता करते हुए, भारत ने सतत विकास को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिबद्धताओं का नेतृत्व किया तथा शिखर सम्मेलन की "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" की घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

30 नवंबर 2023 से 13 दिसंबर 2023 तक अबू धाबी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अधिवेशन हेतु पार्टियों के 28वें सम्मेलन (सीओपी28) ने वर्ष 2030 तक वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन को 43% तक (2019 के स्तर से) कम करके ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिए पहला 'वैश्विक स्टॉकटेक' पेश किया।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 'जलवायु वित्त में परिवर्तन' विषय पर सीओपी28 प्रेसीडेंसी सत्र में भाग लिया, जिसमें हरित वित्तपोषण के महत्व को रेखांकित किया गया और सभा को 4 प्रमुख पहलुओं पर काम करने के लिए प्रेरित किया गया :

- जलवायु वित्त पर नये सामूहिक परिमाणित लक्ष्य में प्रगति
- हरित जलवायु कोष और अनुकूलन कोष की पुनःपूर्ति
- जलवायु कार्रवाई के लिए एमडीबी द्वारा उपयुक्त वित्त उपलब्ध कराया जाना
- विकसित देशों द्वारा वर्ष 2050 से पहले अपनी कार्बन मौजूदगी को समाप्त करना

सीओपी 28 में, आपकी कंपनी ने "एमएसएमई में अग्रणी स्थिरता : वैश्विक विकास और स्थानीय प्रभाव की कल्पना" पर एक सत्र के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाया।

वर्ष 2030 तक ऊर्जा परिवर्तन निवेश को औसतन ~$ 4.8 ट्रिलियन प्रति वर्ष करने की आवश्यकता है, जबकि वर्ष 2023 में ~$ 1.77 ट्रिलियन निवेश दर्ज किया गया है (ब्लूमबर्ग)। इस परिदृश्य में, वैश्विक निधियों को प्रभावी ढंग से डीकार्बोनाइजेशन परियोजनाओं में लगाने के लिए जलवायु वित्त संस्थान आवश्यक हैं ताकि इस क्षेत्र की बढ़ती मांगों को पूरा किया जा सके। आपकी कंपनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रतिबद्ध है और आगे बढ़ते हुए इन निवेश उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है।

**भारत हरित वित्तपोषण परिदृश्य**

अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्था (आईआरईएनए) 2023 वैश्विक रैंकिंग के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा संस्थापित क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है, संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है और स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में 5वें स्थान पर है।

वर्ष 2030 हेतु अपने 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन संस्थापित क्षमता लक्ष्य और वर्ष 2070 हेतु नेट जीरो लक्ष्य के साथ, भारत ने विश्व में सबसे व्यापक अक्षय ऊर्जा विस्तारों में से एक पर काम शुरू किया है। भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ पहले ही हासिल की जा चुकी हैं, अर्थात्:

- भारत ने 2005 से 2019 के बीच अपने सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 33% तक सफलतापूर्वक कम किया है, जो 2030 के लक्ष्य से 11 वर्ष पहले है
- भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों के माध्यम से स्थापित बिजली क्षमता का 40% भी हासिल किया है, जो 2030 के लक्ष्य से 9 वर्ष पहले है।

अपनी प्रगति के प्रत्युतर में, भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को इस प्रकार अद्यतन किया है।

- 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक (2005 के स्तर से) कम करना
- 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से ~50% संचयी स्थापित बिजली क्षमता हासिल करना

वित्त वर्ष 2024 में, ~26 गीगावाट क्षमता वृद्धि का ~70% नवीकरणीय स्रोतों से आया, जिसमें ~15 गीगावाट सौर क्षमता वृद्धि और ~3.3 गीगावाट पवन क्षमता वृद्धि शामिल है। 31 मार्च 2024 तक, भारत की कुल संस्थापित बिजली क्षमता ~442 गीगावाट (थर्मल: ~243 गीगावाट, परमाणु: ~8 गीगावाट और नवीकरणीय: ~191 गीगावाट) है। इसलिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता का ~43% योगदान देती है ( ~11% पर बड़े जलविद्युत योगदान सहित)।

पिछले 3 वर्षों में, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़े जलविद्युत सहित) में सालाना औसतन 16-17 गीगावाट की वृद्धि हुई है।

हालांकि, साल-दर-साल क्षमता वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार 2023 से 2028 तक सौर एवं पवन परियोजनाओं बाबत 50 गीगावाट वार्षिक बोली लगाने का लक्ष्य बना रही है। वित्त वर्ष 24 में, रिकॉर्ड ~41 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं प्रदान की गयीं, जो वार्षिक अक्षय क्षमता वृद्धि की गति को तीन गुना करने के लिए तैयार हैं।

वित्त वर्ष 24 में अन्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में बोली गतिविधि में भी तेजी देखी गयी :

- **ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन :** भारत सरकार द्वारा ~412,000 एमटीपीए परियोजनाएं प्रदान की गयीं थीं, जिन्हें भारत सरकार के लेटर ऑफ अवार्ड के 30 महीनों के भीतर शुरू करने का लक्ष्य है।
- **इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण :** ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम (ट्रेंच-I) हेतु रणनीतिक कार्यकलाप के अधीन ~1,500 मेगावाट विनिर्माण क्षमता प्रदान की गयी थी।
- **सौर पीवी विनिर्माण :** सौर पीएलआई योजना (ट्रेंच II) के अधीन 39,600 मेगावाट पूर्ण/आंशिक रूप से समेकित सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों के लिए अवार्ड पत्र जारी किया गया।
- **बैटरी विनिर्माण :** उन्नत सेल केमिस्ट्रीज पीएलआई योजना के तहत 10 गीगावाट घंटे विनिर्माण क्षमता बाबत प्रस्ताव हेतु अनुरोध किया गया था, जिसे बाद में अप्रैल 2024 में प्रदान किया गया।

इस प्रकार, भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र मजबूत पुनरुत्थान सहित एक उत्साहजनक संकेत प्रदर्शित कर रहा है। प्रतिस्पर्धी दरों पर पर्याप्त मात्रा में वित्तपोषण की उपलब्धता इस बाजार के यथार्थीकरण के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी क्योंकि वित्त लागत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की व्यवहार्यता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

जैसा कि भारत सरकार की समर्पित हरित वित्तपोषण इकाई और साथ ही भारत की सबसे बड़ी शुद्ध हरित वित्तपोषण संस्था के रूप में, आपकी कंपनी भारत सरकार की पहलों और साझेदारियों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायता करती है, तथा यह सुनिश्चित करती है कि भारत न सिर्फ़ अपने महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करे, बल्कि उनसे आगे भी बढ़े।

**वित्तीय और परिचालन कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें**

**मजबूत व्यावसायिक वृद्धि और लाभप्रदता**

वित्त वर्ष 24 में, आपकी कंपनी ने अब तक का सबसे अधिक वार्षिक ऋण बुक, मंजूरी, संवितरण, लाभ, और शुद्ध मूल्य हासिल किया। हमारे कार्य-निष्पादन का एक आशुचित्रण नीचे देखा जा सकता है :

- **सकल ऋण बुक :** वित्त वर्ष 23 में ₹ 47,075.52 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 24 में ₹59,698.11 करोड़ (26.81% तक की वृद्धि)

- **ऋण मंजूरी :** वित्त वर्ष 24 में ₹ 37,353.68 करोड़, जबकि वित्त वर्ष 23 में ₹32,586.60 करोड़ (14.63% की वृद्धि)
- **ऋण संवितरण:** वित्त वर्ष 24 में ₹25,089.04 करोड़, जबकि वित्त वर्ष 23 में ₹21,639.21 करोड़ (15.94% की वृद्धि)
- **कर पूर्व लाभ :** वित्त वर्ष 24 में ₹1,685.24 करोड़, जबकि वित्त वर्ष 23 में ₹1,139.25 करोड़ (47.93% की वृद्धि)
- **कर पश्चात लाभ:** वित्त वर्ष 24 में ₹1,252.23 करोड़, जबकि वित्त वर्ष 23 में ₹864.63 करोड़ (44.83% की वृद्धि)
- **शुद्ध परिसंपत्ति :** वित्त वर्ष 24 में ₹8,559.43 करोड़ जबकि वित्त वर्ष 23 में ₹5,935.17 करोड़ (44.22% की वृद्धि):

**प्रमुख कार्य-निष्पादन के मुख्य अंश**

मजबूत वित्तीय कार्य-निष्पादन के अलावा, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 24 में कई अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं; कुछ मुख्य अंश नीचे दिये गये हैं:

- *आरंभिक सार्वजनिक पेशकश 38.59 गुना अभिदान पर लॉन्च हुई*

आपकी कंपनी ने 29 नवंबर 2023 को बीएसई और एनएसई पर अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लिस्टिंग पूरी कर ली। आपकी कंपनी ने नये इश्यू और भारत सरकार द्वारा बिक्री हेतु प्रस्ताव के मिश्रण के माध्यम से ₹2,150.22 करोड़ जुटाए, जिसमें सरकार ने आईपीओ के बाद 75% हिस्सेदारी बरकरार रखी।

आपकी कंपनी के आईपीओ को सभी संवर्ग के निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें एंकर निवेशकों को छोड़कर इश्यू को अप्रत्याशित 38.59 गुना अधिक अभिदान किया गया। योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) हेतु हिस्से में 105.18 गुना अभिदान मिला, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से में 22.98 गुना बोली प्राप्त हुई।

- *भारतीय बैंकिंग व एनबीएफसी क्षेत्र में लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों का सबसे द्रुत प्रकाशन*

आपकी कंपनी ने मात्र 19 दिनों के भीतर अपने वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों को प्रकाशित करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो कि भारत में बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्र में लेखा परीक्षित परिणामों का सबसे द्रुत प्रकाशन है, जो कि सेबी की 60-दिन की समय-सीमा से काफी पहले है।

वित्तीय रिपोर्टिंग में यह ऐतिहासिक उपलब्धि निगमित सुशासन और जवाबदेही में उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी कई पहलों में से एक है। इसके अलावा, यह उपलब्धि आपकी कंपनी की कुशल आंतरिक प्रक्रियाओं और उन्नत डिजिटल डेटा प्रबंधन क्षमताओं को दर्शाती है।

आपकी कंपनी अनुकरणीय व्यावसायिक प्रदर्शन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ-साथ वित्तीय अखंडता और परिचालन दक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए समर्पित है।

- *विदेशी मुद्रा वित्तपोषण के लिए जीआईएफटी सिटी, गांधीनगर में कार्यालय खोलना*

वित्त वर्ष 24 की समाप्ति के बाद, आपकी कंपनी ने जीआईएफटी सिटी में एक कार्यालय खोला है, जो विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित ऋण विकल्प प्रदान करने में विशेषज्ञता प्राप्त करेगा। यह स्वाभाविक बचाव व्यवस्था की सुविधा प्रदान करता है और ग्रीन हाइड्रोजन व इसके व्युत्पन्नों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण लागत को काफी कम करता है। यह रणनीतिक पहल पर्यावरण के अनुकूल और 'आत्मनिर्भर' भविष्य की दिशा में राष्ट्र की प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

- *एनबीसीसी कार्यालय परिसर, दिल्ली में पेपरलेस बिजनेस सेंटर खोलना*

आपकी कंपनी ने 24 जून 2023 को एनबीसीसी कार्यालय परिसर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली में अपने अत्याधुनिक बिजनेस सेंटर का उद्घाटन किया। नये कार्यालय में कागज के उपयोग को खत्म करने, स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ पारदर्शी व कुशल डिजिटल कार्य-प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल तकनीकों को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, नये स्थल को कर्मचारी उत्पादकता, सहयोग और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्यसे अभिकल्पित किया गया है, जिसमें योग, ध्यान और तंदुरुस्ती के लिए समर्पित स्थान और सुविधाएँ हैं, ताकि कर्मचारी अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने में सक्षम बन सकें।

- *क्रेडिट रेट निर्धारण*

आपकी कंपनी के घरेलू ऋण साधनों को आईसीआरए लि., इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 'एएए' स्थिर रेटिंग दी गयी है और केयरएज रेटिंग्स द्वारा "एए+" "सकारात्मक" रेटिंग दी गयी है। इसके अलावा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण और अल्पावधि ऋण को एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा "एएए" स्थिर रेटिंग दी गयी है। भारत सरकार के पूर्णतः सेवा बांड को इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआरए लिमिटेड और केयरएज रेटिंग्स द्वारा "एएए" "स्थिर" रेटिंग दी गयी है।

- *सितंबर 2023 में अनुसूची 'क' सीपीएसई में अपग्रेड करने और उसके बाद अप्रैल 2024 में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 'नवरत्न' का दर्जा दिया गया।*

आपकी कंपनी को व्यावसायिक कार्य-निष्पादन और सुशासन में निरंतर उत्कृष्टता के लिए अप्रैल 2024 में प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया। यह पुरस्कार आपकी कंपनी को अपने व्यावसायिक लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है, जो बदले में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को उत्तरदायी समर्थन देने में प्रतिफलित होगा। इसके अलावा, आपकी कंपनी का लक्ष्य है वित्त वर्ष 30 तक सरकारी दिशा-निर्देशों और लागू अनुमोदनों के अधीन एक महारत्न सीपीएसई बनना।

**स्वस्थ सम्मत परिसंपत्ति गुणवत्ता**

व्यावसायिक विस्तार के अलावा, आपकी कंपनी ने अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता में वृद्धि को प्राथमिकता दी है। एक कड़ा वसूली और निगरानी ढांचा स्थापित किया गया है, जिसमें मासिक आंतरिक समीक्षा और उधारकर्ताओं के साथ तिमाही चर्चा शामिल है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपनी परिसंपत्ति बिक्रय नीति को संशोधित करके अपनी वसूली प्रभावशीलता में सुधार किया है।

केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, वित्त वर्ष 24 के दौरान 3 एनपीए खातों की निवल कमी के माध्यम से सकल एनपीए में ₹102.50 करोड़ की कमी महसूस की गयी है, जिससे एनपीए ऋण खातों की कुल संख्या घटकर 61 हो गयी है। इसके अलावा, एनपीए खातों से ₹212.70 करोड़ की वसूली की गयी है, जिसमें मूलधन वसूली से ₹90.68 करोड़ और ब्याज आय वसूली से ₹122.02 करोड़ शामिल हैं।

इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 24 के अंत में एनपीए अनुपात में वास्तविक सुधार हुआ है, जैसा कि नीचे देखा जा सकता है :

- सकल एनपीए: 2.36% (बनाम वित्त वर्ष 23 में 3.21% )
- निवल एनपीए: 0.99% (बनाम वित्त वर्ष 23 में 1.66%)

**एमएनआरई के साथ समझौता ज्ञापन पर 'उत्कृष्ट' कार्य-निष्पादन की उम्मीद**

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 24 हेतु वित्तीय और परिचालन लक्ष्य निर्धारित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं।

आपकी कंपनी अपने कार्य-निष्पादन के आधार पर वित्त वर्ष 24 के लिए 'उत्कृष्ट' रेटिंग की उम्मीद कर रही है (भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन के अध्यधीन)। ऐतिहासिक रूप से, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 21, वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 में लगातार 'उत्कृष्ट' रेटिंग हासिल की है।

**मान्यताएँ और पुरस्कार**

आपकी कंपनी को भारत के हरित वित्तपोषण क्षेत्र में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए कई क्वार्टरों से मान्यता मिली :

- अनुसूची ख से अनुसूची क श्रेणी के सीपीएसई में अपग्रेडेशन और उसके बाद अप्रैल 2024 में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया।
- भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित 13वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कारों में मिनी रत्न श्रेणी के तहत 'सीएमडी ऑफ द ईयर' पुरस्कार।
- चार प्रमुख श्रेणियों में उप-विजेता का पुरस्कार : भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित 13वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कारों में मिनी रत्न श्रेणी के अधीन 'ऑपरेशनल परफॉरमेंस एक्सीलेंस', 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस', 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी' और 'इन्क्लूसिविटी -कंट्रीब्यूशन ऑफ़ वीमेन एंड डिफरेंटली एबल्ड इन'।
- वित्त वर्ष 23 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अधीन 'उत्कृष्ट' रेटिंग।

**प्रस्तावित उत्पाद और सेवाएँ**

**नये उत्पाद शुरू किये गये और वित्तपोषण नीतियाँ अद्यतन की गयीं**

आपकी कंपनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं की यथोचित रूप से समीक्षा करती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए परियोजना की अवधारणा से लेकर शुरुआत के बाद तक वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं की व्यापक श्रृंखला की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

आपकी कंपनी पारंपरिक व उभरते क्षेत्रों की एक श्रृंखला में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को सहायता प्रदान करती है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत, जैव ईंधन (सीबीजी, इथेनॉल, आदि), बायोमास, ब्रिकेट और पेलेट्स, ई-मोबिलिटी, पारेषण, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नी, और आरई-संबंधित विनिर्माण शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

वित्त वर्ष 24 में, आपकी कंपनी ने अपने उधारकर्ताओं की जरूरतों के जवाब में अपनी वित्तपोषण नीतियों का अद्यतन किया; कुछ प्रमुख परिवर्तन नीचे देखे जा सकते हैं:

- उधारकर्ता खातों और निधियों की आवाजाही की निरंतर निगरानी के लिए ऋणदाता के वित्तीय सलाहकारों (एलएफए) का पैनल बनाना
- बी2बी अनुबंधों के साथ वाणिज्यिक बस या यात्री वाहन बेड़े के लिए उत्पाद लॉन्च
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट के लिए अधिकतम ऋण अवधि को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करना
- ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाइड्रोपावर परियोजनाओं के लिए ऋण कवरेज को 80% तक बढ़ाया गया

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 24 में स्मार्ट मीटर, ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नी और पीएम केयूएसयूएम सहित 3 नये उभरते अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में ऋण मंजूर किये हैं। आपकी कंपनी देश में अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण में सबसे आगे रहने के लिए अपनी नीतियों और पेशकशों को लगातार अद्यतन करने का प्रयास करती है।

**प्रमुख एमएनआरई योजनाओं के लिए कार्यान्वयन सहायता प्रदान करना**

आपकी कंपनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतियों के विकास और कार्यान्वयन में नज़दीक से जुड़ी हुई है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित प्रमुख एमएनआरई योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य किया है:

- ग्रिड समन्वित सौर पीवी परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम- चरण-II
- राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम
- उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, ट्रेंच-I के तहत उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई)

**भागीदारों को दी जाने वाली सह-उधार और परामर्श सेवाएं**

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपने 37 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाते हुए निम्नलिखित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:

- आईआईएफसीएल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे प्रमुख भारतीय वित्तीय संस्थानों को **सह-उधार व सह-प्रारंभण सहयोग**
- आईआईटी, भुवनेश्वर और एम्स, नई दिल्ली **के लिए अनुसंधान व विकास तथा अक्षय ऊर्जा आवश्यकताओं के समर्थन हेतु परामर्श सेवाएं**

**मुख्य परिचालन पहल शुरू**

आपकी कंपनी ने अपने मुख्य हितधारकों के लिए कई प्रमुख पहल शुरू की है, जो उधारकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, अपने मानव संसाधन को विकसित करने, निगमित सुशासन को बढ़ाने, प्रभावशाली सीएसआर कार्रवाइयां चलाने और अपने परिचालन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम करती हैं।

**उधारकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने की पहल**

*उधारकर्ताओं के साथ नियमित संपर्क*

उधारकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों और इरेडा प्रबंधन के साथ भौतिक और आभासी बातचीत शहरों में आयोजित की गयी ताकि उधारकर्ताओं की चिंताओं को समझा जा सके और सक्रिय रूप से संबोधित किया जा सके, हमारे उधारकर्ताओं के साथ एक मजबूत सम्बन्ध बनाया जा सके और पारदर्शिता लायी जा सके।

हमने भौगोलिक रूप से अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और भुवनेश्वर में चार रणनीतिक रूप से स्थित शाखाओं के साथ पूरे भारत में अपनी भौतिक उपस्थिति का भी विस्तार किया है और बेंगलुरु और गुवाहाटी में ज़मीनी स्तर पर कर्मियों को तैनात किया है।

*डिजिटल प्रक्रिया अनुकूलन*

आपकी कंपनी के पास एक मजबूत आईटी संरचना है, जिसमें हमारी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सिस्टम शामिल है।

ऋण आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, आपकी कंपनी ग्राहकों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करती है जो आवेदन दाखिल करने, दस्तावेज़ अपलोड करने और अलर्ट प्राप्त करने के लिए संपर्क के एकल केंद्र के रूप में कार्य करता है। ग्राहक पोर्टल के माध्यम से उधारकर्ता अपने आवेदनों की प्रगति का वास्तविक समय में पता लगा सकते हैं और किसी भी लंबित कार्य या अगले चरण को देख सकते हैं। यह उधारकर्ता के अनुभव को बेहतर बनाता है, जिससे व्यापार करने में आसानी के साथ-साथ पारदर्शिता भी मिलती है।

आपकी कंपनी ने अपने ऋण स्वीकृति तंत्र को मानकीकृत किया है तथा प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करने हेतु वितरण-पूर्व और वितरण-पश्चात दस्तावेज़ीकरण दोनों के लिए सरल टेम्पलेट अपनाया है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी एक समेकित प्रणाली बनाने के लक्ष्य के साथ अपनी आईटी संरचनाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है जो परिचालन दक्षताओं को बढ़ाती है, वित्तपोषण जोखिम संबंधी अंतर्दृष्टि उत्पन्न करती है, तथा प्रबंधन समीक्षा को सुगम बनाती है। इस एकीकरण का उद्देश्य है हमारी सेवाओं की समग्र दक्षता, जवाबदेही और सटीकता को बढ़ाना।

**मानव संसाधन विकसित करने की पहल**

आपकी कंपनी में मानव संसाधन कार्य-प्रतिभा आकर्षण, संलग्नता, विकास, प्रतिधारण और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करके संचालित होता है।

संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और आपकी कंपनी के विकास के लिए प्रमुख उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 24 में निम्नलिखित प्रमुख मानव संसाधन पहल की गयीं:

- *रणनीतिक कार्यबल विस्तार*

  आपकी कंपनी वित्त वर्ष 24 के दौरान 25 नये कर्मियों को शामिल करने के साथ अपनी मजबूत वृद्धि के अनुरूप विस्तार कर रही है। नयी नियुक्तियां कार्यपालक प्रशिक्षुओं से लेकर महाप्रबंधक स्तर तक विभिन्न पदों पर की जाएंगी, जिनमें तकनीकी, वित्त, कंपनी सचिवालय, विधि आदि जैसे विभिन्न पद शामिल होंगे। बोर्ड स्तर के कार्यपालक को छोड़कर 31 मार्च 2024 तक आपकी कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या 173 थी।

- *विविधता को बढ़ावा*

  आपकी कंपनी न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और विविधता को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है। महिला कर्मचारियों की संख्या कार्यबल विविधता और लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 31 मार्च 2024 तक महिला कर्मचारियों की संख्या 46 थी, यानी कुल कर्मचारी संख्या का 26.6%। आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करती है। प्रतिभा आकर्षण, संलग्नता, विकास और प्रतिधारण के लिए हमारी रणनीतियाँ सभी कर्मचारियों के लिए एक समावेशी और न्यायसंगत वातावरण विकसित करने के लिए डिज़ाइन की गयी हैं।

- *अंतर्दृष्टि और प्रतिक्रिया के लिए कर्मचारियों के साथ नियमित पारस्परिक विचार-विमर्श*

  आपकी कंपनी विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से खुला संचार और जुड़ाव बनाए रखती है, जिसमें शामिल हैं

  - मनोबल बढ़ाने और कर्मचारियों के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में समय-समय पर खुले में बातचीत
  - कार्रवाई योग्य सुझावों को लागू करने के लिए कर्मचारियों से वार्षिक प्रतिक्रिया संग्रह
  - इरेडा नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा, सुव्यवस्थित और अद्यतन करने के लिए ऑफ़साइट रणनीति बैठकें

- *कर्मचारी जुड़ाव और कल्याण*

  पूरे वित्त वर्ष 24 में, आपकी कंपनी ने स्वच्छता अभियान, सामाजिक समारोह और कल्याण बैठकों सहित कई सांस्कृतिक और कल्याण कार्यक्रमों की मेजबानी की। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है कर्मचारियों के बीच जुड़ाव और मनोबल बढ़ाना और साथ ही आपकी कंपनी के मिशन के अनुरूप एक समेकित निगमित संस्कृति को बढ़ावा देना।

  दैनिक ध्यान और योग सत्र, पेशेवर प्रशिक्षकों के साथ एक आंतरिक तंदुरुस्ती सुविधा और नियमित रोग निवारक स्वास्थ्य जांच को शामिल करके आपकी कंपनी कर्मचारी कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है। वित्त वर्ष 24 में, कर्मचारियों ने स्वास्थ्य जागरूकता प्रशिक्षण सत्रों की एक श्रृंखला में भी भाग लिया, जिसमें लिवर स्वस्थता, अस्थमा देखभाल और कैंसर जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य ज्ञान से समृद्ध करना था।

- *सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में कर्मचारी प्रशिक्षण*

  अपने कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी ने एक व्यापक प्रशिक्षण योजना लागू की है। इसमें भारत और विदेशों के प्रसिद्ध संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और साथ ही प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये गये आंतरिक सत्र शामिल हैं।

कर्मचारियों ने साइबर-सुरक्षा, वित्तीय प्रबंधन, निगमित सुशासन, व्यवहार और नेतृत्व प्रशिक्षण आदि जैसे विषयों को आवृत करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी पारंपरिक पद्धति से परे सीखने के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक मंचों और सम्मेलनों से जुड़ा रहा।

इन पहलों ने सामूहिक रूप से 2,081 प्रशिक्षण मानव-दिवसों की उपलब्धि हासिल की, जो निरंतर व्यावसायिक विकास और वैश्विक जुड़ाव के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

**मजबूत निगमित सुशासन के लिए पहल**

आपकी कंपनी व्यावसायिकता, अखंडता, जवाबदेही, निष्पक्षता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कुशल और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके।

कंपनी अधिनियम 2013, सेबी एलओडीआर विनियम 2015, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशा-निर्देश 2010, साथ ही साथ भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा स्थापित सचिवीय मानकों के अधीन सभी प्रासंगिक विनियमों का अनुपालन करते हुए आपकी कंपनी निगमित सुशासन के उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए समर्पित है।

नैतिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्ध, आपकी कंपनी सभी व्यावसायिक परिचालनों और प्रासंगिक कानूनी प्रकटीकरणों में पारदर्शिता और हितधारक मूल्य को प्राथमिकता देती है। उल्लेखनीय रूप से, आपकी कंपनी ने अपने वार्षिक लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों को केवल 19 दिनों के भीतर प्रकाशित करके एक नया उदाहरण स्थापित किया है, जो भारत में बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्र में लेखा-परीक्षित परिणामों का सबसे तेज़ प्रकाशन है और सेबी की 60-दिन की समय-सीमा से काफी पहले है। यह आपकी कंपनी की कुशल आंतरिक प्रक्रियाओं और उन्नत डिजिटल डेटा प्रबंधन को दर्शाता है।

**प्रभावशाली निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु पहल**

एक लक्ष्य-केंद्रित प्योर-प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग इकाई के रूप में, आपकी कंपनी भारत सरकार के सतत लक्ष्यों के साथ संरेखित प्रभावशाली पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति समर्पित है। इन पहलों में स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना, पर्यावरण की सुरक्षा और वंचित क्षेत्रों का विकास शामिल है।

वित्त वर्ष 24 में, आपकी कंपनी ने 'स्वास्थ्य और पोषण' थीम को अपनाया, 16 सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें से 9 परियोजनाएँ विशेष रूप से इस थीम के लिए समर्पित थीं। महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं:

- ओडिशा के कालाहांडी में सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना और शैक्षिक सहायता
- उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 1000 सौर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम का परिनियोजन
- उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाओं में वृद्धि
- चंदौली, उत्तर प्रदेश में सोलर पीवी सिस्टम और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी ने सीएसआर फंड (प्रशासनिक लागत सहित) के अधीन 16 परियोजनाओं के लिए ₹16.65 करोड़ स्वीकृत किये और वर्ष भर में परियोजना की प्रगति (पिछले वर्षों के अव्ययित खाते से संवितरण सहित) के आधार पर ₹10.29 करोड़ संवितरित किये। ये पहल भारत के अविकसित क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने और सामुदायिक कल्याण में सुधार करने के साथ-साथ भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर आपकी कंपनी के ध्यान केंद्रित को रेखांकित करती हैं। आपकी कंपनी ने सीएसआर अनुरोधों की प्राप्ति और निपटान में पारदर्शिता की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन सीएसआर पोर्टल लॉन्च किया है।

**परिचालन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की पहल**

देश के कार्बन मुक्त लक्ष्यों का समर्थन करने के अलावा, आपकी कंपनी अपने परिचालन में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करती है। आपकी कंपनी केरल के कासरागोड में 50 मेगावाट का सौर संयंत्र चलाती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 24 के लिए ~72,577 टन कार्बन डाई ऑक्साइड की कमी आयी है।

**भविष्य के लिए विजन**

**भारत के हरित वित्तपोषण क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख पहल**

भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहलों और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर भारत का हरित वित्तपोषण क्षेत्र मजबूत विकास पथ पर अग्रसर है।

भारत में वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में ₹46 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की उम्मीद है। इस आवश्यकता के अनुरूप, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वित्त वर्ष 25 के केंद्रीय बजट परिव्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 46% की वृद्धि हुई है, जो ₹14,980 करोड़ तक पहुँच गया है।

इसके अलावा, विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न सहायक नीतियां और वित्तीय प्रोत्साहन शुरू किये गये हैं। वित्त वर्ष 24 में घोषित कुछ प्रमुख नीतियों में शामिल हैं:

- **उपयोगिता पैमाने पर सौर व तटवर्ती पवन :** एसईसीआई, एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजेवीएन में आवंटन के साथ 2023-2028 तक कम से कम 10 गीगावाट पवन क्षमता के साथ 50 गीगावाट वार्षिक बोली कैलेंडर अधिसूचित किया गया। इसके अलावा, 12 राज्यों में ~37,490 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को एमएनआरई द्वारा मंजूरी दी गयी है, जिनमें से ~10,401 मेगावाट क्षमता पहले ही चालू हो चुकी है।
- **छत के ऊपर सौर :** ₹75,021 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ 10 मिलियन घरों को शामिल करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गयी। इस योजना के अधीन शामिल किये गये प्रत्येक घर को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, जिससे प्रत्येक घर को ₹15,000-18,000 की वार्षिक बचत होगी।
- **विकेंद्रीकृत सौर:** योजना के घटक ख एवं ग के अधीन 49 लाख पंपों को स्थापित / सौरकृत करने के संशोधित लक्ष्यों के साथ पीएम केयूएसयूएम के विस्तार को मंजूरी दी गयी। घटक ग के तहत भूमि एकत्रीकरण का सरलीकरण और घटक ख के तहत विक्रेताओं की सूचीबद्ध सूची और बेंचमार्क लागत जारी करना योजना के उपयोग को बढ़ाने के लिए शुरू किये गये कुछ प्रमुख सरलीकरण हैं।

- **अपतटीय पवन:** एमएनआरई द्वारा 37 गीगावाट अपतटीय पवन क्षमता के लिए बोली लगाने की दिशा का संकेत दिया गया है, साथ ही प्रारंभिक 10 गीगावाट अपतटीय क्षमता (गुजरात और तमिलनाडु के तटों से 5-5 गीगावाट) के लिए सीटीयू द्वारा पारेषण संरचना की योजना का संपादन किया जा रहा है। इसके अलावा, अपतटीय पवन पट्टा नियम जारी किए गए हैं, जिनमें पट्टे की अवधि को 35 वर्ष तक बढ़ाने की संभावना है।

- **जल विद्युत :** परियोजना की अवधि को 40 वर्ष तक बढ़ाने, ऋण पुनर्भुगतान अवधि को 18 वर्ष तक बढ़ाने और 2% टैरिफ में वृद्धि शुरू करने के बाद बैक लोडिंग के माध्यम से टैरिफ निर्धारित करने के लिए डेवलपर्स को टैरिफ युक्तिकरण प्रावधान की पेशकश की गयी है। इसके अलावा, 01 जुलाई 2025 से 01 जुलाई 2028 तक 25% की वृद्धि के साथ जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए आईएसटीएस शुल्क आंशिक रूप से माफ कर दिया गया है, उन परियोजनाओं के लिए जिनमें निर्माण कार्य सौंपा गया है और 30 जून 2028 तक पीपीए पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

**ई-मोबिलिटी :** केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई-बस सेवा योजना को मंजूरी दी गयी है, जिसका लक्ष्य है देश भर में 10,000 ई-बसें नियोजित करना, जिसका अनुमानित बजट ₹57,613 करोड़ है। इस योजना के अधीन 3 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों (2011 की जनगणना के अनुसार) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

हाल ही में शुरू की गयी उपर्युक्त नीतियों के अलावा, भारत सरकार ने पहले भी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के निरंतर विकास में योगदान देने वाले विभिन्न आपूर्ति और मांग पक्ष सक्षमकर्ता स्थापित किये हैं ।

कुछ प्रमुख नीतियाँ इस प्रकार हैं :

- सौर व पवन ऊर्जा के लिए शुल्क-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशा-निर्देश
- राज्यों के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व व ऊर्जा भंडारण दायित्व प्रक्षेपण-पथ
- राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण के लिए ग्रीन ओपन एक्सेस नियम
- सौर मॉड्यूल, इलेक्ट्रोलाइज़र, बैटरी आदि के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन
- अपशिष्ट से ऊर्जा, ब्रिकेट और बायोमास आदि के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता और बैटरी भंडारण, अपतटीय पवन आदि के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण जैसे चयनित क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता
- ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोपावर परियोजनाओं के लिए आईएसटीएस छूट विस्तार

**विकास हेतु समग्र रणनीति**

भारत की उत्प्रेरक ग्रीन फाइनेंसिंग एजेंसी के रूप में, आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि इस क्षेत्र को सही वित्तीय उत्पाद, अनुकूल वित्तपोषण लागत और आवश्यकतानुसार पर्याप्त धन उपलब्ध हो। शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए स्थापित और उभरती हुई दोनों प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए यह प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है।

व्यावसायिक वृद्धि

सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास, जैव ईंधन आदि जैसे पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में अपना नेतृत्व बनाये रखने के लिए, आपकी कंपनी बढ़ती वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती है, जो वर्ष 2030 तक भारत सरकार के 500 गीगावाट स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता के लक्ष्य के साथ उल्लेखनीय रूप से बढ़ने वाली है। हम विकसित होते व्यावसायिक मॉडल के अनुरूप नये वित्तीय उत्पादों के साथ नवाचार करना जारी रखेंगे और प्रमुख वित्तीय संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित नये समझौता ज्ञापनों की मदद से संघ वित्तपोषण में उपस्थिति बढ़ाएंगे।

पारंपरिक नवीकरणीय क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के अलावा, आपकी कंपनी नयी और उभरती हरित प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित रख रही है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, ऑफशोर विंड, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, रूफटॉप सोलर और ग्रीन मोबिलिटी जैसे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरेखित रणनीतिक विकास क्षेत्र शामिल हैं। हमने इन नये क्षेत्रों में परियोजनाओं को विकसित करने और उनका आकलन करने के लिए एक समर्पित टीम की स्थापना की है। इसके अलावा, हम गतिशील रूप से अभिनव वित्तीय उत्पाद लॉन्च करते हैं और अपने कर्मचारियों को नयी हरित प्रौद्योगिकियों और वित्तीय संरचनाओं पर प्रशिक्षण देने में लगातार निवेश करते हैं।

इसके अलावा, गांधीनगर के जीआईएफटी सिटी में खोला गया नया कार्यालय विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित ऋण विकल्प प्रदान करने में विशेषज्ञता प्राप्त करेगा, जिससे स्वाभाविक बचाव व्यवस्था की सुविधा होगी। यह पेशकश उन क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण लागत को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकती है, जिनमें विदेशी मुद्रा का उपयोग या उत्कर्ष आवश्यक होता है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न तथा नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण।

उधार अनुकूलन

आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता दोनों को बढ़ावा देने के लिए उधार लागत को कम करने के प्रति समर्पित है। हम अपनी स्थापित प्रतिष्ठा, मजबूत क्रेडिट रेटिंग, प्रमुख वित्तीय संस्थानों के साथ संबंधों का लाभ उठा रहे हैं और साथ ही फंडिंग दक्षता को अधिकतम करने के लिए अपनी फंड जुटाने की रणनीति को लगातार विकसित कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि आपकी कंपनी ग्रीन बॉण्ड सहित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार निर्गमों से प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्तपोषण जुटाने के अपने प्रयासों को जारी रखे। हम एक प्योर-प्ले ग्रीन वित्तपोषक के रूप में अपनी स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और बहुपक्षीय/ अंतरराष्ट्रीय विकास संगठनों के साथ अपनी साझेदारी का भी लाभ उठाते हैं।

डिजिटल रूप से सक्षम संगठन

अपनी गैर-रेखीय वृद्धि का समर्थन करने के लिए, आपकी कंपनी परिचालन को सुव्यवस्थित करने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए एक डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ा रही है। इसमें डिजिटल पेशकशों का विस्तार करना, स्वचालन और डेटा एनालिटिक्स को बढ़ाना तथा ऋण जीवनचक्र के दौरान डिजिटल चैनल के उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है।

साथ ही, आपकी कंपनी ट्रेजरी प्रबंधन, कानूनी दस्तावेज़ीकरण, वसूली, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा और अनुपालन/सुशासन जैसे सक्षम कार्यों को और अधिक डिजिटल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

आपकी कंपनी का पेपरलेस कार्यालय, दिल्ली में एनबीसीसी कार्यालय परिसर में इरेडा व्यवसाय केन्द्र, डिजिटलीकरण-सक्षम कर्मचारी उत्पादकता और सहयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है।

यह व्यापक रणनीति सतत वित्तपोषण तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है।

**आभार**

मैं, भारत सरकार, विशेष रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) तथा निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के प्रति हमारे संगठन को उनके अटूट समर्थन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पूंजी निवेश और पूंजी वृद्धि के लिए लाभांश छूट के सन्दर्भ में उनकी सहायता के लिए विशेष रूप से आभारी हूँ।

मैं अन्य सरकारी संस्थाओं जैसे सार्वजनिक उद्यम विभाग, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, निगमित मामलों के मंत्रालय और भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों और विभागों को भी धन्यवाद देता हूँ।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और अन्य नियामक प्राधिकरणों के समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हूँ।

देश भर के संस्थानों में सुशासन के मानकों को लगातार बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए हमारे वैधानिक लेखा-परीक्षकों, सचिवीय लेखा-परीक्षकों, लागत लेखा-परीक्षकों और आंतरिक लेखा-परीक्षकों को विशेष धन्यवाद।

मैं राज्य सरकारों, राज्य बिजली उपयोगिताओं, हरित ऊर्जा क्षेत्र में निजी उद्यमियों और हमारे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण भागीदारों सहित हमारे ग्राहकों, ऋणदाताओं, शेयरधारकों और निवेशकों के निरंतर विश्वास की हार्दिक सराहना करता हूं। कंपनी में उनका विश्वास हमारी प्रेरणा है।

मैं कंपनी को मजबूत बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों की भी सराहना करता हूँ।

अंतिम लेकिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण, मैं अपने समर्पित कर्मचारियों के अथक प्रयासों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी अटूट प्रतिबद्धता ने कंपनी को हर बार उत्कृष्टता के नये मानक हासिल करने में मदद की है।

इसके साथ ही, मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणाम और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट को अपनाने का अनुरोध करता हूँ।

धन्यवाद,

हार्दिक सम्मान सहित,

**हस्ता./-**
**प्रदीप कुमार दास**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**डीआईएन : 07448576**

दिनांक: 31.05.2024
स्थान: नई दिल्ली

# निदेशकों की रिपोर्ट

**प्रिय शेयरधारकगण,**

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2024 (वित्त वर्ष 24) को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ आपकी कंपनी के व्यवसाय और परिचालन पर 37वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बेहद ख़ुशी हो रही है।

## 1. प्रदर्शन सारांश :

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 24 के दौरान असाधारण कार्य-निष्पादन और निरंतर वृद्धि का प्रदर्शन किया है। पिछले वर्ष के प्रदर्शन की तुलनात्मक स्थिति के साथ वित्त वर्ष 24 के लिए आपकी कंपनी के प्रदर्शन की मुख्य बातें यहां दी गयी हैं :

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | विवरण | वित्तीय वर्ष 24 | वित्तीय वर्ष 23 |
|---|---|---|---|
| 1. | स्वीकृत ऋण | 37,353.68 | 32,586.60 |
| 2. | संवितरित ऋण | 25,089.04 | 21,639.21 |
| 3. | निवल मूल्य | 8,559.43 | 5,935.17 |
| 4. | परिचालनों से राजस्व | 4,963.94 | 3,481.97 |
| 5. | अन्य आय | 1.36 | 1.07 |
| 6. | वित्त लागत (निवल परिवर्तन/ लेनदेन विनिमय हानि सहित) | 3,147.57 | 2,112.46 |
| 7. | कर पूर्व लाभ | 1,685.24 | 1,139.25 |
| 8. | घटाएँ: आयकर | 413.03 | 253.17 |
| 9. | आस्थगित कर | 19.98 | 21.45 |
| 10. | कर पश्चात लाभ | 1,252.23 | 864.63 |
| 11. | अन्य व्यापक आय | (156.80) | (38.74) |
| 12. | अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ /(हानि) और अन्य व्यापक आय सहित] | 1,095.43 | 825.89 |
| **विनियोजन :** | | | |
| 13. | डिबेंचर शोधन निधि (डीआरआर) में अंतरण | (22.88) | 46.29 |
| 14. | विशेष आरक्षित में अंतरण | 264.00 | 155.55 |
| 15. | एनबीएफसी आरक्षित में अंतरण | 251.00 | 173.00 |
| 16. | सामान्य आरक्षित में अंतरण | 700.00 | 487.50 |

### वित्तीय विशिष्टताएं

**लाभप्रदता**

- वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी का परिचालन से राजस्व बढ़कर ₹4,963.94 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष के ₹3,481.97 करोड़ के राजस्व की तुलना में 42.56% की सर्वकालिक उच्च वृद्धि दर्ज करता है।
- वित्त वर्ष 24 के अंत में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात लाभ (पीएटी) क्रम से ₹1,685.24 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 47.93% की वृद्धि) और ₹1,252.23 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 44.83% की वृद्धि) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

**ऋण संवितरण और ऋण बुक**

- वित्त वर्ष 24 के दौरान संवितरित ऋण बढ़कर ₹25,089.04 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की वितरित राशि ₹21,639.21 करोड़ से 15.94% अधिक है, जो आपकी कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक संवितरण है।
- आपकी कंपनी का ऋण बुक 31 मार्च 2023 को ₹47,075.52 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹59,698.11 करोड़ हो गया है, जो 26.81% की वृद्धि दर्ज करता है।

**नेटवर्थ, सीआरएआर और अन्य वित्तीय विशिष्टताएं**

- आपकी कंपनी की नेटवर्थ वित्त वर्ष 24 के अंत में बढ़कर ₹8,559.43 करोड़ हो गयी, जो पिछले वर्ष के नेटवर्थ ₹5,935.17 करोड़ से 44.22% अधिक है।
- आपकी कंपनी का पूंजी से जोखिम- भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च 2024 को 20.11% रहा, जो आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार एनबीएफसी के लिए निर्धारित 15% की न्यूनतम सीमा से ऊपर है।
- निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) वित्त वर्ष 23 में 1.66% से घटकर वित्त वर्ष 24 में 0.99% हो गयी हैं, जो वर्ष-दर-वर्ष पर 40.36% (प्रतिशत के संदर्भ में) की उल्लेखनीय कमी है।

**वित्त वर्ष 23 के मुकाबले वित्त वर्ष 24 के लिए कंपनी के मुख्य वित्तीय अनुपात नीचे दिए गए हैं:**

| विवरण | वित्त वर्ष 24 | वित्त वर्ष 23 |
|---|---|---|
| नेटवर्थ पर रिटर्न (%) | 16.40 | 14.55 |
| प्रति शेयर बुक मूल्य (₹) | 31.85 | 25.98 |
| प्रति शेयर आय (₹) | 5.16 | 3.78 |
| ऋण इक्विटी अनुपात (गुना) | 5.80 | 6.77 |

- नेटवर्थ पर रिटर्न, प्रति शेयर बुक मूल्य और प्रति शेयर आय में साल-दर-साल वृद्धि हो रही है।
- आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से इक्विटी निवेश के कारण ऋण बुक में वृद्धि होने के बावजूद ऋण से इक्विटी अनुपात घटकर 5.80 गुना रह गया है।

### अन्य मुख्य बातें

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये :

- **आईआईटी, भुवनेश्वर:** नवाचार और अनुसंधान पहल, प्रौद्योगिकी अंतरण और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में सहयोगात्मक प्रयासों का समर्थन करना।



सह-उधार हेतु इरेडा ने 5 सितंबर 2023 को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।



*अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण के लिए इरेडा और आईआईएफसीएल ने 4 सितंबर 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।*

- **घरेलू वित्तीय संस्थान :** अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु सह-ऋण और सह-प्रारम्भण के लिए आईआईएफसीएल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक।
- **एम्स, नई दिल्ली :** अक्षय ऊर्जा विकास के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए।

## 2. व्यवसाय परिचालन

- **मंजूरी और संवितरण**

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹37,353.68 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये, जिससे पिछले वर्ष की स्वीकृत राशि ₹32,586.60 करोड़ से 14.63% की वृद्धि दर्ज की गयी। वित्त वर्ष 24 के दौरान संवितरित ऋण ₹25,089.04 करोड़ थे, जो पिछले वर्ष की संवितरित राशि ₹21,639.21 करोड़ से 15.94% अधिक है। वित्त वर्ष 24 के दौरान स्वीकृतियों और संवितरणों का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

| क्षेत्र | संस्वीकृतियां | % | संवितरण (पिछले वर्ष की संस्वीकृतियाँ सहित) | % |
|---|---|---|---|---|
| सौर ऊर्जा | 6,065.30 | 16.24 | 5,879.35 | 23.43 |
| पवन ऊर्जा | 2,096.83 | 5.61 | 3,020.59 | 12.04 |
| जलविद्युत | 1,419.89 | 3.80 | 2,660.78 | 10.61 |
| विनिर्माण | 6,754.48 | 18.08 | 2,404.49 | 9.58 |
| हाइब्रिड पवन और सौर | 1,634.02 | 4.37 | 140.00 | 0.56 |
| इथेनॉल | 3,901.60 | 10.45 | 2,017.86 | 8.04 |
| विद्युत वाहन | 1,062.44 | 2.84 | 593.39 | 2.37 |
| अल्पकालिक ऋण | 1,884.50 | 5.05 | 918.73 | 3.66 |
| बायोमास | 412.24 | 1.10 | 112.64 | 0.45 |
| बायोमास पावर और सह-उत्पादन | 103.00 | 0.28 | 98.41 | 0.39 |
| अपशिष्ट से ऊर्जा | 102.70 | 0.27 | 85.63 | 0.34 |
| राज्य उपयोगिताएँ-जेनको | 1,000.00 | 2.68 | 1,000.00 | 3.99 |
| राज्य उपयोगिताएँ-डिस्कॉम्स और अन्य | 6,200.00 | 16.60 | 5,200.00 | 20.72 |
| विविध (पारेषण/ ( उभरती प्रौद्योगिकी) | 4,716.68 | 12.63 | 957.17 | 3.82 |
| **कुल** | **37,353.68** | **100.00** | **25,089.04** | **100.00** |




*सह-उधार के लिए इरेडा ने 18 सितंबर 2023 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।*



*ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण के लिए इरेडा ने 19 फरवरी 2024 को पीएनबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।*



*श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, सचिव, एमएनआरई और श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा ने 21 अगस्त 2023 को एमएनआरई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।*

31 मार्च, 2024 को संचयी संस्वीकृतियां और संवितरण क्रम से ₹1,90,462.53 करोड़ और ₹1,25,916.67 करोड़ थे। संचयी राज्यवार और क्षेत्रवार संस्वीकृतियों और संवितरणों का **विवरण अनुलग्नक I से IV** में दिया गया है।

- **संस्वीकृत उत्पादन क्षमता :**

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी ने अक्षय ऊर्जा (आरई) विद्युत उत्पादन क्षमता, उपकरणों के विनिर्माण और अन्य आरई पहलों का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, जैसा कि निम्नलिखित विवरण में बताया गया है:

**क. बिजली उत्पादन: संस्वीकृत क्षमता**

| क्षेत्र | संस्वीकृत क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|
| सौर ऊर्जा | 1,285.69 |
| पवन ऊर्जा | 648.05 |
| जल विद्युत ऊर्जा | 279.85 |
| बायोमास पावर और सह-उत्पादन | 24.00 |
| सौर और पवन हाइब्रिड | 288.60 |
| **कुल विद्युत उत्पादन क्षमता** | **2,526.19** |

**ख. अन्य क्षेत्र : संस्वीकृत क्षमता :**

| क्षेत्र | संस्वीकृत क्षमता |
|---|---|
| सौर विनिर्माण | 14,284.00 एमडब्ल्यूपी |
| जैव ईंधन इथेनॉल | 3,895 केएलपीडी |
| बायोमास (सीबीजी) | 55.10 टीपीडी |
| अपशिष्ट से ऊर्जा (अपशिष्ट से बायोगैस) | 9.40 टीपीडी |
| हरित अमोनिया | 900 एमटीपीडी |

- **बकाया ऋण बुक**

आपकी कंपनी का ऋण बुक 31 मार्च 2023 के ₹47,075.52 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹59,698.11 करोड़ हो गया है, जो 26.81% की वृद्धि दर्ज करता है। वित्तीय वर्ष 24 के अंत तक बकाया ऋण बुक का सार्वजनिक और निजी रूप में वर्गीकरण नीचे दिया गया है:

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | ऋण राशि | % |
|---|---|---|
| सार्वजनिक | 14,939.97 | 25 |
| निजी | 44,758.14 | 75 |
| **कुल** | **59,698.11** | **100** |

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, पीएम केयूएसयूएम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी स्वैपिंग परियोजनाओं के वित्तपोषण में कदम रखा है।

## 3 संसाधन जुटाना

आपकी कंपनी ने धन की लागत को अनुकूलित करने के लिए एक विविध उधार मिश्रण बनाये रखा है। आपकी कंपनी की कुल उधारी वित्त वर्ष 23 के अंत में ₹40,165.28 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 24 के अनुसार ₹49,686.86 करोड़ थी। वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी ने नीचे दिये गये विभिन्न स्रोतों से ₹16,401.18 करोड़ की राशि के दीर्घकालिक फंड जुटाये हैं:



*इरेडा ने कर्नाटक के हावेरी जिले के रानेबेन्नूर तालुक में स्थित मैसर्स ग्रीनजीं बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड की 300 केएलपीडी इथेनॉल परियोजना को वित्त पोषित किया।*

**(₹ करोड़ में)**

| वित्त पोषण का स्रोत | राशि |
|---|---|
| बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण | 8,775.00 |
| अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड | 7,356.74 |
| विदेशी मुद्रा उधार (अंतरराष्ट्रीय संसाधन) | 269.44 |
| **कुल** | **16,401.18** |

इसके अलावा, पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी को 31 मार्च, 2024 तक बिना किसी प्रतिबद्धता शुल्क के अल्पकालिक वित्तपोषण के लिए विभिन्न अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ₹4,830 करोड़ तक की स्वीकृत क्रेडिट लाइनें प्राप्त थीं।

- **ग्रीन बॉण्ड**

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 19 के दौरान क्रम से ₹700 करोड़ और ₹865 करोड़ के घरेलू करयोग्य ग्रीन बॉण्ड जुटाए थे, जो एनएसई और बीएसई दोनों में सूचीबद्ध हैं। ऋण की आय का उपयोग सौर और पवन क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए किया गया था, जिसमें आपकी कंपनी के ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क में परिभाषित अनुसार पात्र परियोजनाओं का पुनर्वित्तपोषण शामिल है। इसने सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में भी योगदान दिया है। केपीएमजी, इंडिया ने वित्त वर्ष 19 के दौरान जारी किये गये ₹865 करोड़ मूल्य के ग्रीन बॉण्ड के लिए अपनी सत्यापन पश्चात की स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट प्रदान की थी और मैसर्स इमर्जेंट वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 17 के दौरान जारी किये गये ₹700 करोड़ मूल्य के ग्रीन बॉण्ड के लिए अपनी सत्यापन पश्चात की स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट प्रदान की थी।

ये आश्वासन रिपोर्ट आपकी कंपनी के ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क पर आधारित हैं, जिसे 5 अक्टूबर, 2016 को क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव (सीबीआई) के क्लाइमेट बॉण्ड्स स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है। आपकी कंपनी सीबीआई के अनुरूप अपने ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से जुटायी गयी राशि पात्र परियोजनाओं में निवेशित रहे। आपकी कंपनी द्वारा जारी किये गये ये ग्रीन बॉण्ड समय-समय पर संशोधित अनुसार लागू सेबी दिशा-निर्देशों की निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। ग्रीन बॉण्ड की आय के उपयोग पर विस्तृत रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://www.ireda.in/compliance-of-bonds पर देखा जा सकता है।

## 4. क्रेडिट रेटिंग

आपकी कंपनी के घरेलू ऋण साधनों को आईसीआरए लिमिटेड, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा "एएए" "स्थिर" और केयरएज रेटिंग्स द्वारा "एए+" "सकारात्मक" रेटिंग दी गयी है। इसके अलावा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण और अल्पकालीन ऋण को एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा "एएए" "स्थिर" रेटिंग दी गयी है।

भारत सरकार के पूर्णतः सेवा बॉण्ड को इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआरए लिमिटेड और केयरएज रेटिंग्स से "एएए" "स्थिर" रेटिंग दी गयी है।

## 5. वित्तीय योजनाएँ व पहल

आपकी कंपनी समय-समय पर अपनी नीतियों/प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है, ताकि बाजार की आवश्यकताओं, कॉर्पोरेट उद्देश्यों और लागू वैधानिक आवश्यकताओं के साथ उपयुक्त रूप से संरेखित हो सके। आपकी कंपनी आरई परियोजनाओं और उपकरण निर्माताओं के लिए परियोजना की अवधारणा से लेकर शुरुआत के बाद के चरण तक वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करती है। वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी ने न सिर्फ़ अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण में अपनी कंपनी की बाजार हिस्सेदारी की वृद्धि को बनाए रखने के लिए बल्कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए भी कई नयी योजनाएं शुरू की हैं और मौजूदा योजनाओं/नीतियों को संशोधित किया है, जिसमें बिजली उत्पादन/पारेषण, विनिर्माण/ऊर्जा दक्षता/शुरू की गयी परियोजनाओं का पुनर्वित्तपोषण/इथेनॉल उत्पादन, स्विस चैलेंज नीलामी पद्धति के माध्यम से परिसंपत्ति की बिक्री आदि से संबंधित वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने छत पर लगे सौर, पीएम केयूएसयूएम और अन्य बी2सी क्षेत्र में परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए खुदरा व्यापार में भी कदम रखा है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी के भीतर एक समर्पित खुदरा प्रभाग स्थापित किया गया है। पीएम- केयूएसयूएम के अधीन, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 24 के दौरान ₹201.01 करोड़ संस्वीकृत किये हैं और ₹84 करोड़ संवितरित किये हैं।

इसके अलावा, आपकी कंपनी को एमएनआरई की निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है:

- एमएनआरई सीपीएसयू योजना - चरण- II
- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम
- पीएलआई योजना, ट्रेंच- I के अधीन उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम,
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) योजना

## 6. वसूली, समीक्षा निगरानी और दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन

आपकी कंपनी के पास परियोजनाओं की नियमित निगरानी और संबंधित विभागों के साथ समीक्षा के लिए एक समर्पित वसूली और समीक्षा निगरानी विभाग है ताकि परिसंपत्ति की गुणवत्ता बनाये रखने और एनपीए को कम करने के लिए आवश्यकता के अनुसार समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसमें एक व्यापक परियोजना/ऋण समीक्षा और निगरानी तंत्र है जो मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेज़ीकरण, संवितरण, चालूकरण और परिचालन चरणों के दौरान परियोजना की निगरानी तथा परियोजना/ऋण आवेदनों का पता लगाने से संबंधित पहलुओं पर नज़रे गड़ाए रखता है। यह उधारकर्ताओं की देरी और चूक तथा उनकी वसूली की संभावना पर लगातार नज़र रखता है।

एनपीए खातों सहित पूरे ऋण पोर्टफोलियो की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी नियमित रूप से की जा रही है। इससे विलंबित पुनर्भुगतान, अंतर्निहित कारणों और समाधान/वसूली कार्रवाई की समय पर शुरुआत, जहां भी आवश्यक हो, जैसे प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पहचानने में मदद मिलती है।

उधारकर्ता के खाते में चूक होने पर, आपकी कंपनी आवश्यक कदम उठाती है जिसमें कार्रवाई शामिल हो सकती है, जिसमें पत्र/ई-मेल के माध्यम से खाता(तों) को नियमित करने के लिए उधारकर्ता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई, बैठकें आयोजित करना, आरबीआई को विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) की रिपोर्टिंग, सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी), सीआईबीआईएल आदि को ऋण सूचना रिपोर्टिंग, ट्रस्ट और रिटेंशन खाते (टीआरए) की नियमित निगरानी, बकाया राशि वसूलने के लिए जहां भी संभव और टिकाऊ हो, ऋण खातों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण, प्रबंधन में बदलाव जैसी उपयुक्त समाधान योजनाएं, प्रतिभूतियों का आह्वान और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए मामले को संदर्भित करने जैसे अन्य वसूली तंत्र शामिल हैं। आपकी कंपनी लगातार दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसके समर्पित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनएनपीए) कम हो गयी हैं, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका में संक्षेप में बताया गया है:

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | वित्त वर्ष 24 | | वित्त वर्ष 23 | |
|---|---|---|---|---|
| | राशि | % | राशि | % |
| सकल एनपीए | 1,410.85 | 2.36 | 1,513.35 | 3.21 |
| निवल एनपीए | 581.21 | 0.99 | 768.02 | 1.66 |

एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, वित्त वर्ष 24 के दौरान एनपीए सूची से तीन (03) एनपीए खातों की शुद्ध कमी के माध्यम से सकल एनपीए में ₹102.50 करोड़ की कमी का एहसास हुआ है, जिससे एनपीए ऋण खातों की कुल संख्या घटकर 61 हो गयी है। इसके अलावा, एनपीए ऋणों से ₹212.70 करोड़ की वसूली की गयी है जिसमें मूलधन के लिए ₹90.68 करोड़ और ब्याज आय के लिए ₹122.02 करोड़ शामिल हैं।

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान और एनपीए को कम करने के समग्र दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के लिए सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए दोनों का प्रतिशत पिछले 10 वित्तीय वर्षों में सबसे निचले स्तर पर हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 24 के दौरान बट्टे खाते में डाली गयी/घाटे वाली परिसंपत्तियों से ₹58.39 करोड़ की वसूली भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है। इसके अलावा, आपकी कंपनी अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) पद्धति के आधार पर ऋण बुक का क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन करती है। उसी के आधार पर, चरण और अपेक्षित हानि पर निर्भर करते हुए ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया जा रहा है।




नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में इरेडा के सूचीबद्ध होने पर समारोह।

## परिसंपत्ति गुणवत्ता

**(₹ करोड़ में)**

| | वित्त वर्ष 24 | | | वित्त वर्ष 23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | चरण 1 और 2 | चरण 3 | कुल | चरण 1 और 2 | चरण 3 | कुल |
| सार्वजनिक/ सरकारी | 14,939.97 | - | 14,939.97 | 13,143.75 | - | 13,143.75 |
| निजी | 43,347.29 | 1,410.85 | 44,758.14 | 32,418.42 | 1,513.35 | 33,931.77 |
| **कुल बकाया ऋण (क)** | **58,287.26** | **1,410.85** | **59,698.11** | **45,562.17** | **1,513.35** | **47,075.52** |
| **कुल प्रावधान (ख)** | **846.29** | **829.64** | **1675.93** | **1,007.15** | **745.33** | **1,752.48** |
| शुद्ध परिसंपत्तियां | 57,440.97 | 581.21 | 58,022.18 | 44,555.02 | 768.02 | 45,323.04 |
| **प्रावधान (%) (ख/क)** | **1.45%** | **58.80%** | | **2.21%** | **49.25%** | |

## 7. शेयर पूंजी

आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹6,000 करोड़ है, जो प्रत्येक ₹10 के 600,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। 31 मार्च, 2024 तक आपकी कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹2,687.76 करोड़ है, जिसमें प्रत्येक ₹10 अंकित मूल्य के 268,77,64,706 इक्विटी शेयर शामिल हैं। वित्त वर्ष 24 के दौरान, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के शुभारंभ के कारण आपकी कंपनी की चुकता शेयर पूंजी ₹2,284.60 करोड़ से बढ़कर ₹2,687.76 करोड़ हो गयी है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 17.03.2023 की अपनी बैठक में आपकी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और नयी इक्विटी शेयर पूंजी जुटाने के लिए आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर आपकी कंपनी के शेयरों को सूचीबद्ध करने को मंजूरी दी। अनुमोदन के अनुसार,

आपकी कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है, जिसका कुल मूल्य ₹2,150.22 करोड़ है। सभी श्रेणियों के निवेशकों की ओर से पर्याप्त मांग के कारण आईपीओ को 38.59 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया। आईपीओ की प्रक्रिया के माध्यम से, आपकी कंपनी ने 40,31,64,706 नए इक्विटी शेयर जारी करके ~ ₹1290.13 करोड़ जुटाए और भारत सरकार ने ₹32 प्रति इक्विटी शेयर के ऑफर मूल्य पर ऑफर फॉर सेल (ओएफसी) के माध्यम से 26,87,76,471 इक्विटी शेयरों की बिक्री करके ~ ₹860.08 करोड़ जुटाए। आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर 29 नवंबर, 2023 को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध किये गये थे। आईपीओ के बाद, भारत सरकार के पास आपकी कंपनी में 75% की शेयर धारिता है।

ओएफएस के लिए विक्रेता शेयरधारक के रूप में भारत सरकार को ₹858.36 करोड़ (₹1.72 करोड़ का शुद्ध प्रतिभूति लेनदेन कर) की राशि भेजी गयी। सेबी एलओडीआर विनियम और सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अधीन, आईपीओ की शुद्ध आय का वित्त वर्ष 24 के दौरान प्रस्ताव के उद्देश्यों के अनुरूप पूर्ण उपयोग किया गया है। आईपीओ आय के उपयोग में कोई विचलन नहीं है। शुद्ध आय का विवरण वित्तीय विवरण के नोट 25 में उल्लिखित है।

शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन, डीमैट सस्पेंस अकाउंट / अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित सुशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

## 8. लाभांश

पूंजी पुनर्गठन पर निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.05.2017 के अनुसार, लाभांश भुगतान के लिए दिशा-निर्देशों का विवरण देते हुए, आपकी कंपनी को कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 30% या शुद्ध मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश देना आवश्यक है। हालांकि, वित्त वर्ष 24 के लिए, क्षेत्र में विकास के लिए आगे पूंजी वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी को डीआईपीएएम द्वारा लाभांश के भुगतान से छूट दी गयी थी।

## 9. सहायक कंपनी

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), जीआईएफटी सिटी, गुजरात में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए नीति आयोग, सीआईपीएएम और भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 24 के अंत के बाद, आपकी कंपनी ने 7 मई, 2024 को आईएफएससी, जीआईएफटी सिटी, गुजरात में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी मेसर्स इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड को शामिल किया है। सहायक कंपनी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए नये व्यावसायिक अवसरों का उपयोग करने तथा प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण हासिल करने के लिए एक अपतटीय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगी।

## 10. आईएसओ प्रमाणन

आपकी कंपनी एक आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित संगठन है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। बेहतर प्रक्रिया प्रबंधन के साथ आपकी कंपनी अपने व्यावसायिक परिचालन में गुणवत्ता, स्थिरता और ग्राहक संतुष्टि बनाये रखती है।

सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन सेवाओं (आईसीएस) द्वारा आईएसओ 27001:2013 प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। उपर्युक्त मानकों के अधीन आवश्यक अनुसार विभिन्न सुरक्षा उपायों के अनुपालन ने डेटा प्रोसेसिंग और सूचना प्रवाह के लिए एक मजबूत सुरक्षित नेटवर्क सुनिश्चित किया है।

## 11. जोखिम प्रबंधन नीति अवलोकन

आपकी कंपनी ने क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालन जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक नीति ढांचा स्थापित किया है। जोखिम प्रबंधन नीति को जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

बोर्ड के पास जोखिम प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी है जो संगठन में समग्र जोखिम के प्रबंधन का ख्याल रखता है। अपने संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं और अधिक पारदर्शिता को अपनाने में एनबीएफसी को सक्षम बनाने के लिए आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने विभिन्न जोखिमों, जैसे कि बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन सहित परिचालन जोखिम के संबंध में प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति में स्वतंत्र निदेशकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली जोखिम प्रबंधन समिति, स्वतंत्र जोखिम निगरानी और एक केंद्रित जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। आरबीआई दिशा-निर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन नीतियों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो शासी ढांचा बनाते हैं जिसके भीतर व्यावसायिक गतिविधियाँ की जाती हैं।

व्यवसाय के दौरान आपकी कंपनी के सामने आने वाले मुख्य जोखिम हैं क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालन जोखिम। ये जोखिम न सिर्फ़ आपकी कंपनी की वित्तीय ताकत और परिचालन पर बल्कि इसकी प्रतिष्ठा पर भी असर डालते हैं। आपकी कंपनी का जोखिम प्रबंधन ढांचा विभिन्न जोखिमों की स्पष्ट समझ, अनुशासित जोखिम मूल्यांकन और माप प्रक्रियाओं तथा निरंतर निगरानी पर आधारित है।

### क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी का मुख्य व्यवसाय उधार देना है, जो इसे विभिन्न प्रकार के क्रेडिट जोखिमों के संपर्क में लाता है, विशेष रूप से पुनर्भुगतान में विफलता और गैर-निष्पादित ऋणों में वृद्धि। आपकी कंपनी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रावधान पर आरबीआई द्वारा अनिवार्य विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन कर रही है और पर्याप्त प्रावधान अपनाए हैं, जिससे शेयरधारक मूल्य को संरक्षित किया जा सके। वर्ष के दौरान, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो को हल करने के लिए महत्वपूर्ण

प्रयास किए गए हैं, जिससे तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की मात्रा में कमी आयी है।

पिछले कुछ वर्षों में, आपकी कंपनी ने क्रेडिट जोखिम मापदंडों का निरंतर मूल्यांकन और माप सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट क्रेडिट जोखिम ग्रेडिंग ढाँचा पेश करके अपने क्रेडिट जोखिम प्रबंधन ढाँचे को मजबूत किया है।

**परिचालन जोखिम प्रबंधन**

प्रणाली की विश्वसनीयता या अखंडता में महत्वपूर्ण कमियों के कारण नुकसान की संभावना से परिचालन जोखिम उत्पन्न होते हैं। इसे अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। आपकी कंपनी ने एक परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति बनायी है, जो परिचालन जोखिमों की पहचान, समीक्षा और प्रबंधन करने के लिए एक कार्यात्मक-स्तरीय समिति है। आपकी कंपनी का परिचालन नियंत्रण ढाँचा लेनदेन की निगरानी के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की प्रणाली को आवृत्त करता है। प्रकार्यात्मक प्रमुख अक्सर विभिन्न उभरते परिचालन जोखिमों का आकलन और योजना बनाते हैं।

मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करके, आपकी कंपनी परिचालन व्यवधानों को कम करने और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने का प्रयास करती है।

**तरलता जोखिम प्रबंधन**

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कोई कंपनी परिसंपत्ति देयता बेमेल, ब्याज दर में उतार-चढ़ाव या पर्याप्त नकदी की कमी के कारण धन जुटाने, अपने वित्तीय दायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। व्यापक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन ढाँचा तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए ढाँचे की रूपरेखा भी बताता है। प्रबंधन तरलता की स्थिति के पूर्वानुमान और ब्याज आय तथा व्यय सहित अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकद और नकद समकक्षों की उपलब्धता की बारीकी से निगरानी करता है। परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ) निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित व्यापक मापदंडों के भीतर तरलता के प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है।

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति का उद्देश्य है बाजार जोखिम प्रबंधन को समग्र रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करना, वर्तमान ब्याज दर दृष्टिकोण को स्पष्ट करना और परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य निर्धारण, मिश्रण और परिपक्वता प्रोफ़ाइल का निर्धारण करना। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति में तरलता अंतर के साथ-साथ ब्याज दर जोखिम रिपोर्ट की तैयारी और विश्लेषण शामिल है, जिससे निवारक और सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित होते हैं।

**बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम को किसी लेनदेन या समझौते में निर्धारित दरों या कीमतों से अलग बाजार की कीमतों या दरों में उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी वित्तीय संस्थान के बाजार जोखिम प्रबंधन में ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, पण्य कीमत जोखिम और इक्विटी मूल्य जोखिम का प्रबंधन शामिल होता है। ब्याज दर जोखिम बाजार की ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से होने वाला संभावित नुकसान है।

आपकी कंपनी समय-समय पर बाजार अवस्था, उधार की लागत, प्राप्ति, प्रसार और प्रतिस्पर्धी दरों के आधार पर ब्याज दरों की समीक्षा करती है। ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, आपकी कंपनी आवधिक तौर पर अपनी उधार दरों और उधार लेने की भारित औसत लागत और प्रचलित बाजार दरों के आधार पर उधार लेने की वृद्धिशील लागत की समीक्षा करती है।

**विदेशी मुद्रा जोखिम**

विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति मौजूदा और भावी विदेशी मुद्रा ऋणों या उधार लेने से उत्पन्न किसी भी अन्य विदेशी मुद्रा जोखिम से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन को शामिल करती है। नीति का उद्देश्य है विदेशी मुद्रा से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए किये जाने वाले लेन देन हेतु एक दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करना।

विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से ₹9,298.67 करोड़ के बकाया विदेशी मुद्रा उधार के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो 31 मार्च 2024 को आपकी कंपनी के ₹49,686.86 करोड़ के कुल उधार का 18.71% है। 31 मार्च 2023 तक कुल विदेशी मुद्रा उधार ₹10,132.93 करोड़ (कुल उधार का 25.23%) से घटकर 31 मार्च 2024 तक ₹9,298.67 करोड़ (कुल उधार का 18.71%) हो गया है। 31 मार्च 2024 तक बकाया ₹9,298.67 करोड़ के कुल विदेशी मुद्रा उधार में 559.48 मिलियन अमरीकी डॉलर (₹4,664.57 करोड़ के बराबर), 54,848.75 मिलियन जापानी येन (₹3021.62 करोड़ के बराबर) और 178.73 मिलियन यूरो (₹1612.48 करोड़ के बराबर) शामिल हैं।

आपकी कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार जोखिमों को कम करने/घटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार व्युत्पन्नी उत्पाद (जेनेरिक और/या संरचित उपकरण) ले सकती है।

31 मार्च, 2024 तक, कुल विदेशी मुद्रा उधार में से, 77.82% बचाव व्यवस्था की गयी है यानी ₹7,236.37 करोड़, जिसमें 534.66 मिलियन अमरीकी डॉलर (₹4457.69 करोड़ के बराबर), 28,245.94 मिलियन जापानी येन (₹1,556.07 करोड़ के बराबर) और 135.52 मिलियन यूरो (₹1,222.61 करोड़ के बराबर) शामिल हैं। आपकी कंपनी के पास ₹2,062.30 करोड़ का खुला विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र था [जिसमें 30.38 मिलियन यूरो (₹274.12 करोड़ के बराबर) और 2,371.50 मिलियन जापानी येन (₹130.65 करोड़ के बराबर) के आंशिक हेज किए गए विदेशी मुद्रा ऋण शामिल हैं], जो कुल विदेशी मुद्रा उधार बकाया का 22.18% है। 31 मार्च, 2024 तक खुला विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति के तहत निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा के भीतर है।

आपकी कंपनी अपनी समग्र रणनीति के अनुसार विदेशी मुद्रा उधार से जुड़े अपने जोखिमों को कम करने के लिए व्युत्पन्नी उत्पादों का उपयोग करती है। आपकी कंपनी सट्टा उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्न अनुबंधों का उपयोग नहीं करती है।

**परिसंपत्ति देयता प्रबंधन**

आपकी कंपनी ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक व्यापक बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति बनायी है। एएलएम नीति का उद्देश्य है विभिन्न दबावग्रस्त की घटनाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त तरलता की सुनिश्चितता बनाये रखते हुए विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन को समग्र रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करना।

आपकी कंपनी में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) है जिसके सदस्य हैं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी, जो तरलता और ब्याज दर जोखिमों की समीक्षा के लिए नियमित रूप से उपलब्ध होती है। तरलता जोखिम का आकलन और प्रबोधन, नकद प्रवाह और बहिर्वाह का विश्लेषण कर किया जाता है, जो समय के साथ फैलता है। तरलता जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त ऋण सुविधाएं और तरल परिसंपत्तियां सुनिश्चित की जाती हैं। इसके अलावा, पारंपरिक अंतर विश्लेषण तकनीक के माध्यम से ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाती है।

आपकी कंपनी के पास एएलएम की एक अच्छी तरह से तैयार की गयी रिपोर्टिंग प्रणाली है, जिसके अनुसार अपेक्षित उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं। एएलएम नीति का पालन करके, आपकी कंपनी अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवेकपूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित करती है।

**सूचना और साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन**

आपकी कंपनी ने एमबीएफसी क्षेत्र के लिए आरबीआई मास्टर निर्देश-सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे के अनुपालन में एक आईटी रणनीति समिति बनायी है। यह समिति कॉर्पोरेट रणनीति और बोर्ड नीति के साथ तालमेल बिठाते हुए आईटी रणनीतियों की समीक्षा करती है और आईटी जोखिमों, नियंत्रणों, साइबर सुरक्षा व्यवस्थाओं और आईटी सुशासन से संबंधित अन्य मामलों की निगरानी करती है, ताकि एक प्रभावी और मजबूत प्रणाली सुनिश्चित हो सके।

सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे पर एनबीएफसी के लिए आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुरूप, आपकी कंपनी ने परिवर्तन प्रबंधन, सूचना सुरक्षा, व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन और साइबर सुरक्षा पर अपनी आईटी नीति और अन्य नीतियों को लागू किया है।

**12. सौर ऊर्जा परियोजना**

आपकी कंपनी के पास केरल के कासरगोड में 50 मेगावाट की एक सौर ऊर्जा परियोजना है। परियोजना से उत्पादन आय केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) के आदेश के अनुरूप ₹3.83 प्रति यूनिट आंकी गयी है। यह संयंत्र पूरी क्षमता यानी 50 मेगावाट पर चल रहा है और उत्पादित बिजली को बिजली खरीद समझौते के अनुसार केरल राज्य विद्युत बोर्ड को आपूर्ति की जाती है।



इरेडा ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित मैसर्स एसीएमई ग्रुप की 50 मेगावाट / 50.49 एमडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित किया।

देश के कार्बन मुक्त लक्ष्यों का समर्थन करने के अलावा, आपकी कंपनी अपने परिचालन में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करती है। यह सौर संयंत्र अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करता है जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 24 में -72,577 टन कार्बन डाई ऑक्साइड की कमी आयी है।

## 13. सूचना प्रौद्योगिकी पहल

कागज़ रहित वातावरण में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने और आंतरिक निर्णय लेने में परिचालन दक्षता बढ़ाने बाबत, आपकी कंपनी ने पहले से ही एक ई-ऑफिस प्रणाली को अपना लिया था। वित्त वर्ष 24 में, आपकी कंपनी ने डेटा सुरक्षा और आपदा पुनर्प्राप्ति क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ई-ऑफिस को क्लाउड वातावरण में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे ई-ऑफिस में संग्रहीत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और सूचनाओं की अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित होती है। कुल मिलाकर, ई-ऑफिस को क्लाउड में अंतरित करने से आपकी कंपनी को एक आधुनिक, आरोह्य और सुरक्षित डिजिटल कार्यक्षेत्र मिला है जो सहज सहयोग का समर्थन करता है और उत्पादकता को बढ़ाता है जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक परिचालन का कुशल और समय पर प्रसंस्करण हुआ है।

आपकी कंपनी आईटी संरचना की सुरक्षा स्थिति की लगातार समीक्षा और निगरानी कर रही है और अपनी आईटी संरचना की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। इसमें सुरक्षा नियंत्रणों का कार्यान्वयन, आईटी सुरक्षा और सूचना प्रणाली ऑडिट का नियमित संचालन और हमारे सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए समय पर टिप्पणियों को संबोधित करना शामिल है। इसके अलावा, कर्मचारियों, वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 24 के दौरान प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये। इन सत्रों का उद्देश्य साइबर सुरक्षा प्रथाओं और खतरों के बारे में शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना था।

पारदर्शिता बढ़ाने और मानवीय भागीदारी को कम करने के लिए, आपकी कंपनी अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सक्रिय रूप से स्वचालित कर रही है। इस प्रयास के हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने पहले ही अपने ईआरपी समाधान को क्लाउड पर नवीनतम संस्करण में बदल दिया है। इस स्थानांतरण के परिणामस्वरूप व्यावसायिक प्रक्रियाओं का स्वचालन और एकीकरण मजबूत हुआ है और साथ ही नये संवर्द्धन और सुविधाएँ शामिल हुई हैं। इस बदलाव ने ऋण देने की प्रक्रिया में भी क्रांति ला दी है, कागज़ की ज़रूरत को खत्म कर दिया है और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल निगरानी को बढ़ावा दिया है। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 24 के दौरान ग्राहक पोर्टल भी चालू किया है जो ग्राहकों/आवेदकों और आपकी कंपनी के बीच दो-तरफ़ा विचार-विमर्श प्लेटफ़ॉर्म की अनुमति प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है। वास्तविक समय पर सूचना साझा करने और ऑनलाइन दस्तावेज़ संग्रह से प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी और समय कम होगा, जिससे आपकी कंपनी और ग्राहकों को लाभ होगा।

## 14. ग्राहक संबंध

आपकी कंपनी के पास ब्रांड जागरूकता बढ़ाने, उभरते व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश करने और अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए एक समर्पित व्यवसाय विकास समूह है। आरई क्षेत्र के लिए खुद को एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी नियमित रूप से अपने उधारकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करती है और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करती है। इस प्रतिक्रिया का उपयोग न सिर्फ़ अपनी नीतियों में बल्कि मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और व्यवसाय करने में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी ने 3 (तीन) ऐसे 'उधारकर्ता बैठकें' आयोजित कीं, जिनमें हमारे अधिकांश वर्तमान उधारकर्ताओं और भावी उधारकर्ताओं ने भाग लिया।

आपकी कंपनी ने अपने हितधारकों के लिए एक डिजिटल इंटरफ़ेस बनाया है, जिससे भौतिक बैठकों की आवश्यकता के बिना ऋण और विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए आभासी बातचीत संभव हो सकी है। आपकी कंपनी की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल उपलब्ध है, जिससे उधारकर्ता अपने आवेदन की स्थिति और अन्य प्रासंगिक विवरणों से संबंधित वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

निरंतर ब्रांड निर्माण के लिए, आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं पर सूचना प्रसार के लिए पारंपरिक मीडिया उपस्थिति और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

## 15. विश्वव्यापी प्रदर्शनियाँ और सम्मेलन

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें वैश्विक मंच पर अपने वित्तीय उत्पादों और उपलब्धियों को उजागर किया गया। उल्लेखनीय आयोजनों में दुबई, यूएई में सीओपी-28; बैंकॉक, थाईलैंड में फ्यूचर एनर्जी एशिया 2023; म्यूनिख, जर्मनी में इंटर सोलर 2023; मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में जीडबल्यूईसी का ऑफशोर एंड ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन; और कुआलालंपुर, मलेशिया में ए टू जीरो एएसईएएन शिखर सम्मेलन 2023 शामिल हैं। आपकी कंपनी ने घरेलू स्तर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों जैसे कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतरराष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन, गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024, गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात और नोएडा, उत्तर प्रदेश में यूपी अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो 2023 में भी भाग लिया। आपकी कंपनी को 26 जनवरी 2024 को अबू धाबी में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने का भी सम्मान मिला, जहाँ इसने चर्चाओं और अपनी कॉर्पोरेट फिल्म की स्क्रीनिंग के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विकास में अपने योगदान को प्रदर्शित किया।

## 16. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय व व्यय से सम्बंधित विवरण

### ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आत्मसातीकारण

आपकी कंपनी के पास भारत में ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के उद्देश्य से 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना भी है। माइक्रो ग्रिड, ईवी बेड़े आदि जैसी अभिनव परियोजनाओं के वित्तपोषण के माध्यम से आपकी कंपनी उद्योग ऊर्जा

# विश्वव्यापी प्रदर्शनियाँ और सम्मेलन




17 मई, 2023 को बैंकॉक में आयोजित "फ्यूचर एनर्जी एशिया 2023" में इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।



14 से 16 जून, 2023 तक म्यूनिख, जर्मनी में आयोजित "इंटरसोलर यूरोप 2023" में टीम इरेडा।



30 अगस्त, 2023 को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में अपतटीय पवन और हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन-2023।




05 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023।



5 अक्टूबर 2023 को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित ए टू जीरो एएसईएएन शिखर सम्मेलन में मलेशिया के उप प्रधान मंत्री ने इरेडा पवेलियन का उद्घाटन किया।

# विश्वव्यापी प्रदर्शनियाँ और सम्मेलन



10 दिसंबर, 2023 को दुबई में सीओपी-28




06 से 13 फरवरी, 2024 तक गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024




09 से 13 जनवरी, 2024 तक गांधी नगर, गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात।




07 फरवरी, 2024 को गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 में इरेडा के सीएमडी, श्री प्रदीप कुमार दास ने बहुमूल्य जानकारी साझा की




21 से 25 सितंबर, 2023 तक उत्तर प्रदेश के नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023

संरक्षण और प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण पर व्यापक प्रभाव की दिशा में योगदान दे रही है।

इस प्रकार, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं हैं।

**विदेशी मुद्रा आय और व्यय**

वित्त वर्ष 24 के दौरान, विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज के फलस्वरूप₹4.62 करोड़ की विदेशी मुद्रा आय हुई, जबकि ब्याज और प्रतिबद्धता व्यय के कारण ₹278.60 करोड़ का विदेशी मुद्रा व्यय हुआ।

## 17. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार एजेंसी बनने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समाज और राष्ट्र में सक्रिय रूप से योगदान देती है। आपकी कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल सकारात्मक प्रभाव डालने और भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं सतत विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के सिद्धांत में गहराई से जुड़ी हुई हैं। अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, आपकी कंपनी का उद्देश्य है सामुदायिक विकास पर ध्यान देना और पर्यावरणीय स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे विषयों पर बुनियादी शिक्षा के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना। इसके अतिरिक्त, कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों के संवर्धन और वंचित क्षेत्रों के विकास जैसे व्यापक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है।

आपकी कंपनी ने बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति बनायी है। आपकी कंपनी की सीएसआर नीति https://www.ireda.in/csr-policy-of-ireda पर उपलब्ध है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 24 में सीपीएसई के लिए "स्वास्थ्य और पोषण" के सामान्य वार्षिक थीम से संबंधित सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ स्वयं को संरेखित किया है। वित्त वर्ष 24 के दौरान स्वीकृत कुल 16 सीएसआर परियोजनाओं में से, आपकी कंपनी ने 9 परियोजनाएं शुरू की हैं जिनका पूरा ध्यान विशेष रूप से "स्वास्थ्य और पोषण" के विषय पर रहता है। आपकी कंपनी ने भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों में 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 3 परियोजनाएं आकांक्षी जिलों बलरामपुर और चंदौली में स्वीकृत की गयी हैं, जिन्हें नीति आयोग द्वारा आपकी कंपनी को आवंटित किया गया है।

आपकी कंपनी ने भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों में निम्नलिखित की आपूर्ति और स्थापना बाबत इरेडा के सीएसआर निधि के अधीन वित्तीय सहायता संस्वीकृत की है :

1) ओडिशा के आकांक्षी जिले कालाहांडी की दोनों ग्राम पंचायतों के स्कूलों में सौर ऊर्जा प्रणाली, फर्नीचर और अन्य शैक्षणिक सामग्री की आपूर्ति और ग्राम पंचायतों




इरेडा ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में "थेरेपी ऑन व्हील्स" मोबाइल मेडिकल वैन को वित्त पोषित किया, जिसे सीएसआर पहल के एक अंश के रूप में साम्फिया फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है।



इरेडा के स्वतंत्र निदेशक डॉ. जगनाथ सी एम जोड़ीधर ने इरेडा की सीएसआर पहल के अधीन उत्तर प्रदेश के चंदौली आकांक्षी जिले में 3 किलोवाट सौर पीवी सिस्टम (ऑफ ग्रिड) की स्थापित क्षमता की सीएसआर परियोजना का दौरा किया।

के गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी।

2) उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले सिद्धार्थनगर में 1000 सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की स्थापना।

3) उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले बलरामपुर में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण, सरकारी स्कूलों में डेस्क बेंच, सरकारी बालिका छात्रावास में बिस्तर, टेबल और कुर्सियाँ उपलब्ध कराना।

4) उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले बलरामपुर में सरकारी स्कूलों/छात्रावासों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में सोलर पीवी सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना।

5) उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले चंदौली में निम्नलिखित उपकरणों की खरीद और स्थापना:

o सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों/अस्पतालों में 5 किलोवाट सोलर पीवी सिस्टम (ऑफ-ग्रिड) की 83 इकाइयाँ और 50 एलपीएच आरओ वाटर वेंडिंग मशीनों की 90 इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी;

o जवाहर नवोदय विद्यालय, बैराठ में 50 एलपीएच आरओ वाटर वेंडिंग मशीन के साथ 3 किलोवाट सोलर पीवी सिस्टम (ऑफ-ग्रिड) की 1 इकाई स्थापित की जाएगी।

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी ने सीएसआर फंड के अधीन 16 परियोजनाओं के लिए ₹16.65 करोड़ (प्रशासनिक लागत सहित) मंजूर किये और परियोजना की प्रगति के आधार पर ₹10.29 करोड़ (वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 23 से पहले सीएसआर परियोजनाओं के लिए अव्ययित खाते से क्रम से ₹3.65 करोड़ और ₹1.12 करोड़ और वित्त वर्ष 24 के लिए सीएसआर फंड से ₹5.52 करोड़ की राशि सहित) वितरित किये गये। हमारी सीएसआर गतिविधियों और प्रत्येक गतिविधि के लिए संबंधित व्यय का विवरण इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी ने अपनी सीएसआर पहलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पोर्टल लॉन्च किया है। यह नया लॉन्च किया गया सीएसआर पोर्टल विभिन्न संगठनों और संस्थानों से सीएसआर अनुरोधों की प्राप्ति और निपटान में पारदर्शिता की सुविधा प्रदान करेगा। इस पोर्टल को https://onlinela.ireda.in/OnlineCSR/Home/ https://onlinela.ireda.in/OnlineCSR/Home/Register पर आसानी से एक्सेस किया जा सकता है।

एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार निगमित के रूप में, आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में अपने सीएसआर प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका उद्देश्य है राष्ट्र के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाना।

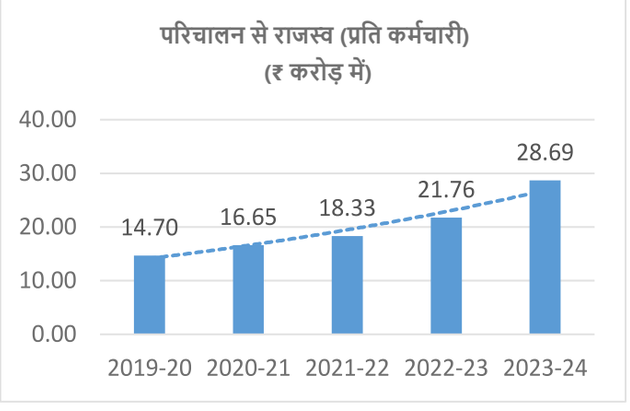
## 18. मानव संसाधन विकास

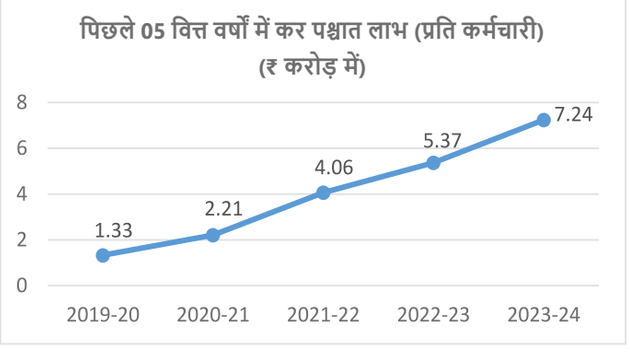
आपकी कंपनी, उत्कृष्टता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ, संगठनात्मक विकास को आगे बढ़ाने में मानव संसाधन (एचआर) की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। आपकी कंपनी में एचआर कार्य कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ावा देने, व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और कर्मचारियों को उनकी संबंधित भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने के स्पष्ट उद्देश्य से संचालित होता है।

मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या 173 थी, जबकि मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 160 थी, जिसमें बोर्ड स्तर के अधिकारी शामिल नहीं हैं। महिला कर्मचारियों की संख्या कार्यबल विविधता और लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू है और 31.03.2024 तक महिला कर्मचारियों की संख्या 46 थी, यानी कुल कर्मचारी संख्या का 26.6%। आपकी कंपनी को छोड़ने की दर 3.6% थी, जिसमें सेवा-निवृत्ति के मामले शामिल नहीं हैं। दिनांक 31.03.2024 तक कर्मचारियों की औसत आयु ~42.9 वर्ष है। आपकी कंपनी का विस्तार हो रहा है, और वित्त वर्ष 24 के दौरान 25 नये कर्मचारी कार्यबल में शामिल हुए हैं। नयी नियुक्तियां विभिन्न पदों पर कार्यपालक प्रशिक्षुओं से लेकर महाप्रबंधक स्तर तक की हैं।

आपकी कंपनी ने कंपनी के समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप निम्नलिखित एचआर पहल की है:

- **रणनीतिक संरेखण:** एचआर रणनीतियाँ आपकी कंपनी की निगमित रणनीतियों के ताने-बाने में जटिल रूप से बुनी हुई हैं। यह संरेखण सुनिश्चित करता है कि एचआर पहल सीधे समग्र व्यावसायिक लक्ष्यों में योगदान करती है। फिर चाहे वह प्रतिभा अधिग्रहण हो, योग्यता निर्माण हो, प्रतिधारण हो या फिर उत्तराधिकार योजना हो, हर एचआर निर्णय संगठन के समग्र लक्ष्य द्वारा निर्देशित होता है।
- **उत्कृष्टता को बढ़ावा देना :** आपकी कंपनी मानती है कि उत्कृष्टता स्थायी सफलता की आधारशिला है। मानव संसाधन नीतियाँ और अभ्यास कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किये गये हैं।





24 जून, 2023 को एनबीसीसी कार्यालय परिसर, किदवई नगर, नई दिल्ली में इरेडा के बिजनेस सेंटर का उद्घाटन।



स्वच्छता ही सेवा: भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में 1 अक्टूबर, 2023 को इरेडा द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया।






8 मार्च, 2024 को आईएचसी, नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन।





इरेडा ने भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किये गये राष्ट्रव्यापी"फिट इंडिया मूवमेंट" के साथ तालमेल बिठाते हुए 17 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली के एएआईओआई एनेक्स ग्राउंड में एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया।






21 जून, 2023 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

➢ **जुड़ाव के उच्च स्तर :**

- लक्षित पहलों को लागू करके, आपकी कंपनी का लक्ष्य कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ाना है। इसमें एक ऐसा कार्यस्थल बनाना शामिल है जहाँ कर्मचारी आपकी कंपनी के मिशन से जुड़े, प्रेरित और संरेखित महसूस करना है।
- प्रतिभा पोषण और निरंतर सुधार हेतु अभियान बाबत प्रशिक्षण, परामर्श और प्रदर्शन प्रबंधन प्रणालियों का लाभ उठाया जाता है। प्रशिक्षण व कौशल विकास के लिए नियमित प्रतिसूचना तंत्र और अवसर सकारात्मक कर्मचारी अनुभव में योगदान प्रदान करते हैं।
- वित्त वर्ष 24 में किये गये कर्मचारी जुड़ाव पहल निम्नानुसार हैं:
  - ❖ 21 जून, 2023 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह।
  - ❖ 29 अगस्त, 2023 को राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह।
  - ❖ 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान 3.0 के अंश के रूप में 1 अक्टूबर, 2023 को 'एक तारीख, एक घंटा, एक साथ' स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया।
  - ❖ 1 जनवरी, 2024 को नववर्ष समारोह।
  - ❖ 17/18 फरवरी 2024 को कर्मचारी कल्याण और खेल प्रतियोगिता।
  - ❖ 8 मार्च 2024 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह।
  - ❖ 11 मार्च 2024 को स्थापना दिवस समारोह।
- कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, आपकी कंपनी ने अगस्त 2023 और मार्च 2024 में निवारक स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया है।
- व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने के साथ-साथ नौकरी में सचेतनता और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी दैनिक आधार पर निर्देशित ध्यान सत्र आयोजित करती है।
- कर्मचारियों के समग्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य के अंग स्वरूप, दैनिक योग सत्र भी आयोजित किये जाते हैं।
- आपकी कंपनी के पास अपने बिजनेस सेंटर में नवीनतम फिटनेस उपकरणों और योग्य प्रशिक्षकों से सुसज्जित एक 'फिटनेस सेंटर' भी है।

➢ **संचार:**

- पारदर्शी संचार बनाये रखने और सभी कर्मचारियों को व्यवसाय और संगठनात्मक विकास से अवगत कराने के लिए, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समय-समय पर खुला विचार आदान-प्रदान व्यवस्था आयोजित करते हैं। ये बातचीत कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में मदद करती है और कर्मचारियों के योगदान और प्रयासों को स्वीकार करने में मदद करती है।
- कर्मचारियों से सालाना आधार पर सुझावों के रूप में प्रत्युत्तर मांगा जाता है और लागू करने योग्य सुझावों के लिए उचित कार्रवाई की जाती है।
- आपकी कंपनी ने वर्तमान नीतियों/प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के साथ-साथ अपने विकास हेतु भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए ऑफसाइट रणनीति बैठकें भी आयोजित की हैं।

➢ **चुस्त कार्यबल विकास : प्रशिक्षण और विकास:**

- लगातार विकसित हो रहे व्यावसायिक परिदृश्य में, सफलता के लिए चुस्ती सर्वोपरि है। इसे समझते हुए, आपकी कंपनी भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है।
- कर्मचारियों, प्रक्रियाओं और संगठनात्मक मूल्यों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देकर, आपकी कंपनी अनुकूलन क्षमता और लचीलापन सुनिश्चित करती है।
- अपनी मानव पूंजी की क्षमता को अनुकूलित करने के लिए, आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के लिए आंतरिक प्रशिक्षण सत्रों के अलावा भारत और विदेशों में विभिन्न बेहतरीन संस्थानों/संगठनों से विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किये हैं।

कर्मचारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम विकास के साथ अद्यतन रखा जाता है। आपकी कंपनी ने सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के रूप में संचालित व्यावहारिक प्रशिक्षण अंतःक्षेप के अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), एजेएनआईएफएम, एससीओपीई, आईसीएआई, आईडीआरबीटी- आरबीआई आदि द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय और प्रबोधन भी किया है। अन्य आवश्यकता-आधारित कार्यक्रमों के साथ-साथ अनुकूलित आभाषी आंतरिक कार्यक्रम आयोजित किये गये।प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षणों में भर्ती हुए नये कर्मचारियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम के साथ-साथ अपने कर्मचारियों के लिए प्रबंधकीय, व्यावहारिक और

नेतृत्व प्रशिक्षण भी शामिल है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए कई कार्यात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। ऐसे कुछ कार्यक्रम नीचे सूचीबद्ध हैं :

- अक्षय ऊर्जा (आरई) में महिलाओं के लिए नीति, प्रौद्योगिकी, कौशल और वित्त पर एक परिचर्चा
- अनुभवात्मक प्रशिक्षण : प्रभावशीलता के लिए स्वयं और दूसरों को समझना।
- साइबर स्वच्छता और सुरक्षा
- नैतिकता और सुशासन
- बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण
- तरलता जोखिम प्रबंधन
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) - आगे का मार्ग
- तनावग्रस्त परिसंपत्तियां और सीआईबीआईएल
- "कर्मचारी जागरूकता : पीओएसएच अधिनियम" पर सत्र
- निवारक सतर्कता और पीआईडीपीआई प्रशिक्षण
- जीईएम के माध्यम से सीपीएसई द्वारा खरीद पर परामर्शी कार्यशाला
- दिव्यांगजनों के लिए पदों की पहचान

इसके अलावा, न्यू जॉइनर्स इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में नये कर्मचारियों को सॉफ्ट स्किल आधारित प्रशिक्षण के साथ-साथ गहन विभागीय प्रशिक्षण भी दिये गये। समग्र कल्याण के अंग स्वरूप, आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा आयोजित आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान की।

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न व्याख्यान श्रृंखला, केंद्रित विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की गयीं, जिससे 2,081 प्रशिक्षण मानव दिवस प्राप्त हुए।

संक्षेप में, आपकी कंपनी मानती है कि उसके लोग उसकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। कर्मचारी कल्याण, रणनीतिक संरेखण और निरंतर सीखने को एक साथ जोड़कर, आपकी कंपनी निरंतर सफलता और विकास की ओर अपना मार्ग प्रशस्त कर रही है।

➢ **आरक्षण और रोजगार**

आपकी कंपनी अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। 31 मार्च, 2024 तक कुल संख्या में से अ.जा.,अ.ज.जा.,और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का समूहवार विवरण निम्नानुसार है:

| समूह | कुल कर्मचारी | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. |
|---|---|---|---|---|
| क | 150 | 14 | 07 | 26 |
| ख | 07 | 03 | - | - |
| ग | 16 | 03 | 01 | 03 |
| घ | - | - | - | - |
| **कुल** | **173** | **20** | **08** | **29** |

➢ **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण।**

आपकी कंपनी किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त एक सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट करने की स्थिति में सख्त और कठोर कार्रवाई करती है। आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति बनायी है। वित्त वर्ष 24 के दौरान इस विषय पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

➢ **शिकायत निवारण**

आपकी कंपनी में जनता और कर्मचारियों दोनों के लिए शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। शिकायत निवारण समिति की बैठकें हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं और शिकायतों को सुपरिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से शीघ्रता से दूर किया जाता है। आपकी कंपनी कुछ उन सीपीएसई में से एक है जिसके पास अपने कर्मचारियों के लिए एक समर्पित "शिकायत निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल" है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी के पास पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचित नागरिक चार्टर है जो आपकी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

➢ **कर्मचारियों का विवरण**

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उक्त नियमों में निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण दिखाने वाला एक विवरण देना आवश्यक है। हालांकि, भारत सरकार के निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गयी 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का पालन करने से छूट दी गयी है। आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए ऐसे विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

**19. पुरस्कार और मान्यता**

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी को 20 दिसंबर, 2023 को भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स से निम्नलिखित प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया :

1. 13वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कारों में मिनी रत्न श्रेणी के अधीन "सीएमडी ऑफ द ईयर" पुरस्कार। लगातार दूसरे वर्ष, श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को "सीएमडी ऑफ द ईयर" की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है, जो उनके उत्कृष्ट नेतृत्व का प्रमाण है।

# 13वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार में इरेडा अग्रणी




श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा को"13वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार" में लगातार दूसरे वर्ष सीएमडी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।




समावेशिता हेतु पुरस्कार : महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के समावेश में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया।




परिचालनगत प्रदर्शन: असाधारण परिचालनगत उपलब्धियों के लिए सम्मानित ।




कॉरपोरेट सुशासन : कॉरपोरेट सुशासन प्रणालियों के उच्चतम मानकों के लिए सम्मानित ।




कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता : प्रभावशाली सीएसआर और स्थिरता पहलों के लिए सम्मानित।




14 से 27 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित

2. चार प्रमुख श्रेणियों में उप-विजेता पुरस्कार: 13वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कारों में मिनी रत्न श्रेणी के अधीन "परिचालनगत निष्पादन उत्कृष्टता", "निगमित सुशासन", "कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता" तथा "समावेशीपन- महिलाओं और दिव्यांगों का योगदान"।

## 20. राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों और अनुदेशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 24 के दौरान टाइपिंग और शॉर्ट-हैंड प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं। आपकी कंपनी में दैनिक कार्यालयी कार्यों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।

राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर निर्मित जांच बिन्दु के कार्यान्वयन बाबत अप्रैल 2023 में इसे परिचालित किया गया था। इरेडा के इंट्रानेट पोर्टल और इरेडा वेबसाइट का द्विभाषी संस्करण उपलब्ध है और सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एसएमएस अधिसूचना के माध्यम से अंग्रेजी अर्थ के साथ हिंदी शब्दों का प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। ई-ऑफिस और दैनिक टाइपिंग कार्य में हिंदी के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए सभी कंप्यूटरों में हिंदी टाइपिंग फॉन्ट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये गये हैं। राजभाषा दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के अनुपालन के तहत समय-समय पर नियमित हिंदी कार्यशालाएं और हिंदी बैठकें आयोजित की जाती हैं। वित्त वर्ष 24 के दौरान वर्चुअल माध्यम से 4 (चार) हिंदी कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 14 सितंबर से 27 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान वर्चुअल माध्यम से कई प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इरेडा कर्मचारियों के बच्चों के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किये गये।

राजभाषा हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए इरेडा द्वारा प्रति वर्ष ई-पत्रिका 'अक्षय क्रांति' का प्रकाशन किया जाता है।

## 21. सतर्कता

आपकी कंपनी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी निर्देशों और दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है और आपकी कंपनी की प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए निवारक और प्रशासनिक सतर्कता जाँच आयोजित करती है। वित्त वर्ष 24 के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा कई नयी पहल की शुरुआत की गयी, जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने और अंतराल को दूर करने के लिए दिशा-निर्देशों की अधिसूचना शामिल थी।

आपकी कंपनी ने 30 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया है, जिसका विषय था "भ्रष्टाचार को ना कहें; देश के प्रति समर्पित रहें / Say no to corruption; Commit to the Nation" जहाँ प्रत्येक कर्मचारी द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ली गयी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की पूर्व संध्या पर, कर्मचारियों ने व्याख्यान, सेमिनार, प्रस्तुतियाँ, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। पीआईडीपीआई जागरूकता अभियान के अंग स्वरूप, विभिन्न स्थानों पर पोस्टर और बैनर लगाये गये। जनता के बीच पीआईडीपीआई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 22.09.2023 को हरियाणा के रेवाड़ी के खुर्शीद नगर गांव में ग्राम सभा का आयोजन भी किया गया।

## 22. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने नागरिकों को सूचना प्रदान करने तथा जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है। आपकी कंपनी के पास आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक नामित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) है। तिमाही/वार्षिक रिपोर्ट जैसी अनिवार्य रिपोर्टें केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित समय-सीमा के अंदर समय-समय पर प्रस्तुत की जाती हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अधीन स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण के साथ सभी प्रासंगिक विवरण भी आम जनता की बेहतर समझ के लिए आपकी कंपनी की वेबसाइट (www.ireda.in) पर प्रकाशित किये गये हैं।

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के तहत कुल 122 आवेदन प्राप्त हुए और उन सभी का आरटीआई अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटान कर दिया गया था।

## 23. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली

आपकी कंपनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख घटक के साथ-साथ एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान भी है जिसने पर्यावरण और समाज पर वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रभावों, यदि कोई हो, की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) को अपनाया है।




इरेडा द्वारा 30 अक्टूबर, 2023 से 6 नवंबर, 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित

आपकी कंपनी की पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा इकाई (ईएसएसयू) की प्राथमिक जिम्मेदारी है विभिन्न परियोजनाओं और उनकी संबंधित प्रौद्योगिकियों के पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) पहलुओं से संबंधित प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही ईएसएमएस के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना । वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा वित्त पोषित सभी प्रौद्योगिकियों में लगभग 120 परियोजनाओं की ई एंड एस स्क्रीनिंग और वर्गीकरण किया गया है। उनकी ई एंड एस आवश्यकताओं को समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं के साथ नियमित बातचीत की जाती है। इससे आपकी कंपनी को अपने ईएंडएस दायित्वों को पूरा करने में मदद मिली है और उधारकर्ताओं को अपनी परियोजनाओं से जुड़े ईएंडएस जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद मिली है।

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी की ईएसजी ग्रेडिंग मैसर्स केयर एज रिसर्च द्वारा की गयी और आपकी कंपनी को केयर एज ईएसजी ग्रेड 3 प्रदान किया गया।

## 24. निदेशक

- **निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)**

31 मार्च, 2024 को, आपकी कंपनी का बोर्ड 8 निदेशकों को शामिल कर गठित है जिसमें 2 प्रकार्य निदेशक, 2 अंश-कालिक सरकारी नामित निदेशक और 4 अंश-कालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (आईडी) शामिल हैं। वित्त वर्ष 24 के दौरान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 12 अक्टूबर, 2023 के अपने आदेश के माध्यम से डॉ. बिजय कुमार मोहंती को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इरेडा के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया है। डॉ. मोहंती ने 12 अक्टूबर, 2023 से इरेडा के निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशक मंडल ने 16 अक्टूबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में डॉ. मोहंती को 12 अक्टूबर, 2023 से आम बैठक की तारीख तक निदेशक (वित्त),अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसके बाद, आपकी कंपनी के शेयरधारकों ने 3 नवंबर 2023 को आयोजित अपनी 21वीं असाधारण आम बैठक में भारत सरकार द्वारा तय किये गए नियमों और शर्तों पर 5 वर्षों की अवधि के लिए 12 अक्टूबर 2023 से डॉ. मोहंती को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया है। लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल ने 16 अक्टूबर, 2023 को आयोजित बोर्ड मीटिंग के समापन से डॉ. आर.सी. शर्मा, जीएम (एफएंडए) के स्थान पर डॉ. मोहंती को आपकी कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्त किया है। । बोर्ड ने डॉ.आर.सी. शर्मा, जीएम (एफएंडए) द्वारा दिये गये बहुमूल्य योगदान की सराहना की।

एमएनआरई ने 27 मार्च, 2024 के कार्यालय आदेश के माध्यम से, 15 मार्च, 2024 के कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से अवगत कराया है, जिसमें 5 मार्च, 2024 से 6 (छह) महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, डॉ. बिजय कुमार मोहंती, निदेशक (वित्त), इरेडा को निदेशक (तकनीकी),इरेडा के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इससे पहले, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा के पास था। श्रीमती एकता मदान कंपनी की कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों सहित बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), सीएफओ और कंपनी सचिव आपकी कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सीईओ की भूमिका सीएमडी द्वारा निभाई जा रही है और सीएफओ की भूमिका आपकी कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा निभायी जा रही है।

श्री सोम पाल, जीएम (टीएस) की सेवा-निवृत्ति के बाद, श्रीमती पुन्नू ग्रोवर को आपकी कंपनी के मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशक मंडल ने 15 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में श्रीमती पुन्नू ग्रोवर के स्थान पर 16 फरवरी, 2024 से प्रभावी श्री पीयूष कुमार, डीजीएम (विधि) को कंपनी के मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

- **बोर्ड और उसकी समितियाँ**

आपकी कंपनी में ऑडिट समिति, सीएसआर समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारकों के संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार अन्य समितियाँ हैं। समितियों का गठन और कार्य-क्षेत्र कॉरपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट में प्रदान किया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 31 (इकतीस) बैठकें आयोजित की गयीं। लेखा-परीक्षा समिति का गठन भी आपकी कंपनी के कॉरपोरेट सुशासन रिपोर्ट में प्रदान किया गया है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहाँ ऑडिट समिति की सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हो।

- **आगामी वार्षिक आम बैठक में निदेशक(गण) सेवा-निवृत्त हो रहे हैं और पुनः नियुक्ति की मांग कर रहे हैं**

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा आपकी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के आर्टिकल 74 (7) (i) के अनुसार, श्री पदम लाल नेगी, निदेशक (सरकारी नामित) आपकी कंपनी की आगामी 37वीं वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवा-निवृत्त होंगे तथा पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

श्री पदम लाल नेगी, निदेशक (सरकारी नामित) का संक्षिप्त बायोडाटा तथा अन्य विवरण वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न हैं, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

## 25. निदेशकों की नियुक्ति/पारिश्रमिक तथा कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड के अनुसार, योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, निदेशक की स्वतंत्रता और अधिनियम की धारा 178 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदान किये गये अन्य मामलों के निर्धारण के लिए निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक मानदंडों पर नीति के प्रकटीकरण की आवश्यकता से कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के मार्फ़त सरकारी कंपनियों को छूट दी गयी है। अच्छे प्रशासन के रूप में और सेबी सूचीकरण विनियमों का अनुपालन करने के लिए, आपकी कंपनी ने बोर्ड की विविधता, निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति / पारिश्रमिक और निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन पर एक नीति बनायी है। उक्त नीति आपकी कंपनी की वेबसाइट : https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Modified%20Policy%20on%20Diversity%20of%20Board%2020%2003%202024.pdf पर उपलब्ध है।

आपकी कंपनी के बोर्ड में सुयोग्य निदेशक शामिल हैं, जो आपकी कंपनी को चलाने के लिए आवश्यक कौशल, योग्यता और विशेषज्ञता रखते हैं तथा बोर्ड और इसकी समितियों में प्रभावी योगदान देते हैं।एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों के चयन, नियुक्ति और प्रेरण की प्रक्रिया भारत के माननीय राष्ट्रपति के पास निहित है, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के माध्यम से कार्य करते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी आपकी कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशक के रूप में नामित/नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की ईमानदारी, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करता है और उनका मूल्यांकन भी करता है।

सीएमडी के प्रदर्शन मूल्यांकन में शामिल है समझौता ज्ञापन रेटिंग और व्यक्तिगत विशेषताओं तथा कार्यात्मक दक्षताओं के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्व-मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन। प्रकार्य निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन में संबंधित कार्यात्मक निदेशकों द्वारा स्व-मूल्यांकन और उसके बाद सीएमडी द्वारा मूल्यांकन (एमओयू लक्ष्यों की प्राप्ति और एमओयू रेटिंग, केपीआई और व्यक्तिगत विशेषताओं और कार्यात्मक दक्षताओं के आधार पर) शामिल है, जिसमें प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों और सरकारी कंपनियों को दी गयी छूट के अनुपालन में, आपकी कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में यह बताने से छूट दी गयी है कि बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक मूल्यांकन कैसे किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन करने के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड और स्वतंत्र निदेशकों का वार्षिक मूल्यांकन किया गया। उक्त मानदंड उपस्थिति, व्यवसाय से परिचय, बोर्ड के सदस्यों के बीच परस्पर संचार, प्रभावी भागीदारी, आचार संहिता का अनुपालन, प्रशिक्षण आदि जैसे कुछ पैरामीटर प्रदान करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी अलग बैठक में गैर-स्वतंत्र निदेशकों और पूरे बोर्ड के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन किया है।

स्वतंत्र निदेशक अधिनियम के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठने के शुल्क के हकदार हैं। सरकार द्वारा नामित निदेशकों को आपकी कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है। आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों के नोट 38(10) (भारतीय लेखा मानक 24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण) की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि का उल्लेख किया गया है।

## 26. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणाएँ

वित्त वर्ष 24 के दौरान, सभी स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 16(1)(बी) के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को 'स्वतंत्र निदेशक' के पद पर रहने के लिए पूरा करते हैं और प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है। इसके अलावा, कोई भी स्वतंत्र निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं । सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपना नाम इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा अनुरक्षित स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक के पास पंजीकृत करवा लिया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसार, मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव ने वित्त वर्ष 24 के दौरान निदेशक मंडल को निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र जारी किया है, और इसे वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न किया गया है।

## 27. सांविधिक प्रकटीकरण

क) वित्त वर्ष 24 के दौरान आपकी कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है।

ख) आरक्षित निधियों में अंतरित राशि का उल्लेख "प्रदर्शन सारांश" शीर्षक के अंतर्गत किया गया है।

ग) आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 24 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है और वित्त वर्ष 25 के दौरान भी कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करेगी।

घ) विनियामक न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किये गये थे, जिससे भविष्य में आपकी कंपनी और उसके परिचालन की स्थिति पर प्रभाव पड़े।

ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-186(11) के अनुसार, कंपनियों को वित्तपोषित करने या अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी आपकी कंपनी द्वारा दिये गये ऋण, दी गयी गारंटी या प्रदान की गयी प्रतिभूतियां आपकी कंपनी पर लागू नहीं होती हैं, इसलिए किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

च) आपकी कंपनी ने निदेशकों या किसी भी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है, हालांकि आईपीओ के समय, कर्मचारी आरक्षण हिस्से में बोली लगाने

वाले पात्र कर्मचारियों के लिए आवंटन के आधार पर कुछ निश्चित संख्या में शेयर आरक्षित किये गये थे।

छ) आपकी कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। विस्तृत विवरण के लिए, कृपया 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

ज) आपकी कंपनी में एमएसएमई के लिए दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन आवश्यक प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट-18 के तहत उल्लिखित हैं।

झ) वित्तीय वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी ने वित्तीय ऋणदाता की हैसियत से अपने उधारकर्ताओं, कॉर्पोरेट देनदारों और कॉर्पोरेट गारंटरों के खिलाफ बकाया ऋणों की वसूली के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष 2 आवेदन दायर किये हैं। आवेदनों का विवरण इस प्रकार है:

**(₹ करोड़ में)**

| कॉर्पोरेट देनदार | शामिल ऋण राशि |
|---|---|
| मैसर्स जेएचवी शुगर्स लिमिटेड | 24.95 |
| मैसर्स एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | 62.33 |
| **कुल** | **87.28** |

ऊपर उल्लिखित दोनों आवेदन माननीय एनसीएलटी के समक्ष विचाराधीन हैं।

ञ) वित्त वर्ष 24 के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एकमुश्त निपटान का कोई मामला नहीं था।

ट) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (क) के साथ पठित धारा 92 (3) के अनुसार, आपकी कंपनी का वार्षिक रिटर्न आपकी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://www.ireda.in/annual-reports पर देखा जा सकता है।

ठ) आपकी कंपनी पुष्टि करती है कि सतर्कता तंत्र/पर्दाफाश करने वाली नीति लागू है और किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

ड) निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के प्रकटीकरण की आवश्यकता से छूट दी है। इसलिए, कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

ढ) आवश्यक जानकारी समय पर एक्सचेंजों को प्रस्तुत की गयी है और आपकी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ण) आपकी कंपनी इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी सभी लागू अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

त) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में, समय-समय पर जारी किए गए बॉण्ड/डिबेंचर के लिए आपकी कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण निगमित सुशासन रिपोर्ट में उल्लिखित है।

थ) आपकी कंपनी ने किसी भी राजनीतिक दल को नकद में कोई भी राशि या वस्तु नहीं दी है।

द) पिछले 3 वर्षों के दौरान, आपकी कंपनी को कोई राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

## 28. आरबीआई विनियम

आपकी कंपनी सरकारी स्वामित्व वाली इकाई है, इसे एनबीएफसी-आईएफसी मिडिल लेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों/विनियमों के अधीन है। आपकी कंपनी ने आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों/विनियमों का अनुपालन किया है।

## 29. नीति

कॉरपोरेट सुशासन को मजबूत करने के लिए, आपकी कंपनी ने अपने कर्तव्यों को नैतिक तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से अपनी कुछ नीति( यों) को प्रस्तुत/संशोधित किया है। ये नीतियाँ आपकी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ नीतियाँ इस प्रकार हैं:

| | |
|---|---|
| लाभांश वितरण नीति | https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Dividend%20 Distribution%20Policy_2023.pdf |
| सतर्कता तंत्र पर नीति/ पर्दाफाश करने वाली नीति | https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Policy%20on%20Vigil%20Mechanism1.pdf |
| संबंधित पक्ष लेनदेन पर नीति | https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/IREDA_Policy%20on%20Materality%20of%20Related%20Party%20Transections(1).pdf |
| अभिलेखीय नीति | https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Archival%20Policy.pdf |
| दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की नीति | https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Preservation%20of%20Documents%20Policy.pdf |
| कॉरपोरेट सुशासन पर आंतरिक दिशा-निर्देश | https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Internal%20Guidelines%20on%20Corporate%20Governance26_08_2023-new.pdf |
| विविधता, समानता और समावेश (डीई एंड आई) नीति | https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Modified%20Policy%20on%20Diversity%20of%20Board%2020%2003%202024.pdf |
| मानवाधिकार नीति | https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Diversity%20Equity%20%26%20Inclusion%20(DE%26I)%20Policy.pdf |
| रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी (एबीएसी) नीति | https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Anti%20Bribery%20and%20Anti%20Corruption%20(ABAC)%20Policy.pdf |

| | |
|---|---|
| अंदरूनी व्यापार नीति | https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/IREDA_Code%20on%20Insider%20Trading%20Policy.pdf |

## 30. लेखा-परीक्षा व खातों का निरीक्षण

### सांविधिक लेखा-परीक्षा

मैसर्स डीएसपी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या 006791एन) को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्त वर्ष 24 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने वित्त वर्ष 24 के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है और बिना किसी योग्यता, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण के अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट दी है। लेखा-परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों के अनुसार, न तो सांविधिक लेखा-परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा-परीक्षक ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की किसी घटना की सूचना दी है।

आपकी कंपनी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) से वित्त वर्ष 24 के वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं। सी एंड एजी की रिपोर्ट की प्रति वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

### आंतरिक लेखा-परीक्षा

आपकी कंपनी के पास एक स्वतंत्र आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य है जो लेखा-परीक्षा नीति के अनुसार नीतियों, प्रक्रियाओं, योजनाओं और विनियामक और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का निरंतर मूल्यांकन करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जाँच और संतुलन मौजूद हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ व्यवस्थित हैं, आपकी कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रभाग के साथ घनिष्ठ समन्वय में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक अनुभवी फर्म द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की नियमित और विस्तृत आंतरिक लेखा-परीक्षा और समीक्षा की जाती है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 24 के लिए मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी, एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आंतरिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। लेखा-परीक्षा समिति समय-समय पर लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और लागू आरबीआई दिशा-निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है। आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है और लेखा-परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की स्वीकृति से, आपकी कंपनी ने 16 मार्च 2022 को जारी आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआईए) नीति लागू की है।

### सचिवीय लेखा-परीक्षा

वित्तीय वर्ष 24 के लिए आपकी कंपनी का सचिवीय लेखा-परीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिवों को नियुक्त किया गया, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत नियमों के तहत आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 24 के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-V। में संलग्न है और यह स्व-व्याख्यात्मक है। सचिवीय लेखा-परीक्षक ने बिना किसी योग्यता, प्रतिकूल टिप्पणी के अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट दी है।

### लागत लेखा-परीक्षा

आपकी कंपनी ने केरल राज्य के कासरगोड में स्थित 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लागत अभिलेखों के संबंध में वित्त वर्ष 24 के लिए मैसर्स चंद्रा वाधवा एंड कंपनी को लागत लेखा-परीक्षक नियुक्त किया है। आपकी कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा-परीक्षा) नियम, 2014 के अधीन निर्धारित अनुसार लागत लेखा अभिलेखों का रख-रखाव कर रही है।

## 31. कॉरपोरेट सुशासन

आपकी कंपनी कॉरपोरेट सुशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियम, 2015, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशा-निर्देश, 2010 और इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानकों के तहत इसके दायरे में आने वाली सभी लागू आवश्यकताओं को पूरा करती है। आपकी कंपनी नैतिक व्यावसायिक निर्णयों के लिए प्रतिबद्ध है तथा मूल्य सृजन और हितधारकों की अपेक्षाओं के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ व्यवसाय का संचालन करती है।

आपकी कंपनी अपने परिचालन एवं प्रदर्शन, नेतृत्व और शासन के संबंध में समय पर और सटीक जानकारी प्रकट करना अपनी अंतर्निहित जिम्मेदारी मानती है। कॉरपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट **अनुलग्नक-IX** के रूप में संलग्न है और कॉरपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा-निर्देश और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा ङ के अनुसार अभ्यास करने वाले कंपनी सचिवों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र क्रम से इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-VII** और **VIII** के रूप में संलग्न हैं।

## 32. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के अधीन एक अलग अनुभाग के रूप में निर्धारित की गयी है।

## 33. व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार, पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन प्रकटीकरण पर व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट इस रिपोर्ट का हिस्सा है और अनुलग्नक X के रूप में संलग्न है।

## 34. सम्बद्ध पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्त वर्ष 24 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में परिभाषित अनुसार संबंधित पक्षों के साथ कोई महत्वपूर्ण अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया है, इसलिए फॉर्म एओसी-2 में कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके निदेशकगण, सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों के 'लेखा पर नोट्स' के नोट 38(10) की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण निर्धारित किया गया है।

## 35. आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं (यदि कोई हों) जो वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच घटित हुई हों

आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो वित्त वर्ष 24 के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हों।

## 36. अनुसूची'क'में कोटि-उन्नयन तथा नवरत्न का दर्जा प्रदान करना

वित्त वर्ष 24 के दौरान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने एफ.सं. 340-12/2/2022-इरेडा दिनांक 29.09.2023 के मार्फ़त आपकी कंपनी को 'अनुसूची ख' से 'अनुसूची क' श्रेणी के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उन्नत किया।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 24 के अंत के बाद, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं. पीडी-I-26/0002/2023-डीपीई दिनांक 26.04.2024 के मार्फ़त इरेडा को "नवरत्न" का दर्जा प्रदान किया है।

## 37. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी हर साल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है, जिसमें आपकी कंपनी का मूल्यांकन विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय मापदंडों पर किया जाता है। वित्त वर्ष 24 के लिए समझौता ज्ञापन मापदंडों के अनुसार आपकी कंपनी की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

| क्र. सं. | पैरामीटर | 31.03.2024 को उपलब्धि |
|---|---|---|
| 1 | परिचालन से राजस्व (₹ करोड़ में) | 4,963.94 |
| 2 | राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए | 34.55% |
| 3 | निवल मूल्य पर रिटर्न | 16.40% |
| 4 | नियोजित पूंजी पर रिटर्न | 8.33% |
| 5 | परिसंपत्ति सकल व्यापार अनुपात | 7.93% |
| 6 | कुल उपलब्ध निधियों में संवितरित ऋण | 99.16% |
| 7 | कुल ऋणों में अतिदेय ऋण | 0.49% |
| 8 | कुल ऋणों के लिए एनपीए | 0.99% |
| 9 | समान रेटिंग वाले सीपीएसई की तुलना में बॉण्ड के माध्यम से धन जुटाने की लागत | -18 बीपीएस |
| 10 | टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से सामान और सेवाओं के चालान की स्वीकृति / अस्वीकृति | 100% |
| 11 | कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में जीईएम से खरीद | 104% |
| 12 | प्रति शेयर आय (₹ में) | 5.16 |

आपकी कंपनी ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में लगातार समझौता ज्ञापन मूल्यांकन के अनुसार "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की है। वित्त वर्ष 24 के लिए भी, आपकी कंपनी भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन के अधीन "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त करने की उम्मीद कर रही है।

## 38. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

निदेशकों की जिम्मेदारी के विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) और धारा 134(5) के अधीन आवश्यकता के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि:

क) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और उनमें कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाये हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्त वर्ष 24 के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और वित्त वर्ष 24 के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

घ) निदेशकों ने वित्त वर्ष 24 के लिए वार्षिक लेखे तैयार किये हैं, जो चालू व्यवसाय के आधार पर हैं;

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किये जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किये हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं और

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

## 39. आभार

आपके निदेशक, भारत सरकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, निगमित मामलों के मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक उद्यम विभाग, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा अन्य विनियामकों द्वारा आपकी कंपनी को दिये गये उत्कृष्ट समर्थन के लिए अत्यंत आभारी हैं और उसे स्वीकार करते हैं। आपके निदेशक एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एजेंसी फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी), यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी), जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के समर्थन और सहयोग के लिए भी अपनी सराहना व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी), सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा-परीक्षक, लागत लेखा-परीक्षक और आंतरिक लेखा-परीक्षक के प्रति उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशक, आपकी कंपनी के आईपीओ को बेहद सफल बनाने के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (बीआरएलएम), कानूनी सलाहकारों और डीआईपीएएम के प्रति हृदय से आभारी हैं। बोर्ड आपकी कंपनी में दिखाये गये विश्वास और भरोसे के लिए शेयरधारकों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता है और आपकी कंपनी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके निरंतर समर्थन की आशा करता है।

आपके निदेशक, आपकी कंपनी की प्रगति और समृद्धि के लिए उत्कृष्टता की खोज में अथक परिश्रम करने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गयी प्रतिबद्ध सेवाओं के लिए भी अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं।

धन्यवाद और जय हिंद!

**निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से**

**हस्ता. /-**
**प्रदीप कुमार दास**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**(डीआईएन: 07448576)**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31.05.2024

# निदेशक मंडल द्वारा इरेडा वित्तपोषित परियोजनाओं का परिदर्शन





निदेशक मंडल द्वारा 9 सितंबर 2023 को ओडिशा के भुवनेश्वर में मैसर्स बैतरणी पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. द्वारा स्थापित इरेडा द्वारा वित्तपोषित 24 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना का परिदर्शन।



स्वतंत्र निदेशक, शब्दशरण ब्रह्मभट्ट द्वारा 19.10.2023 को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा तहसील और जिले के हंडनू गांव में वंदना इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा स्थापित इरेडा द्वारा वित्तपोषित 3 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना संयंत्र का परिदर्शन।



स्वतंत्र निदेशक, डॉ. जगनाथ सी एम जोड़ीधर द्वारा हैदराबाद में इरेडा द्वारा वित्तपोषित प्रीमियर सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का परिदर्शन ।



स्वतंत्र निदेशक, डॉ. जगनाथ सी एम जोड़ीधर द्वारा 07.01.2023 को इरेडा द्वारा वित्तपोषित जिंदल पावर प्रोजेक्ट, विशाखापटनम का परिदर्शन ।

# पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार मंजूरी

अनुलग्नक-I

(₹करोड़ में)

| क्र. सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | 1987 से संचयी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | परियोजनाओं की संख्या | ऋण की राशि | परियोजनाओं की संख्या | ऋण की राशि | परियोजनाओं की संख्या | ऋण की राशि | परियोजनाओं की संख्या | ऋण की राशि | परियोजनाओं की संख्या | ऋण की राशि | परियोजनाओं की संख्या | ऋण की राशि |
| **क** | **राज्य** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4 | 1,666.72 | 9 | 593.21 | 6 | 1,491.12 | 14 | 4,593.56 | 15 | 7,830.53 | 357 | 26,612.36 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 2 | 133.39 | 2 | 85.00 | 2 | 82.00 | 2 | 353.41 | 16 | 1,769.64 |
| 3 | असम | 1 | 34.50 | 0 | 0 | 2 | 403.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 768.17 |
| 4 | बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.00 | 1 | 7.71 | 0 | 0 | 14 | 86.79 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 1 | 33.58 | 2 | 126.47 | 3 | 173.67 | 2 | 225.20 | 5 | 309.00 | 23 | 1,335.83 |
| 6 | गुजरात | 9 | 1,147.88 | 13 | 1,322.65 | 12 | 1,513.27 | 10 | 4,120.62 | 7 | 1,478.30 | 207 | 14,152.23 |
| 7 | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 300.62 |
| 8 | हरियाणा | 4 | 288.17 | 4 | 232.35 | 1 | 1.95 | 4 | 456.49 | 7 | 1,991.07 | 50 | 3,130.40 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 3 | 62.80 | 13 | 312.70 | 8 | 252.30 | 8 | 2,193.19 | 6 | 300.62 | 130 | 5,864.14 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 1 | 312.42 | 1 | 6.00 | 1 | 60.00 | 1 | 252.00 | 1 | 44.68 | 9 | 697.03 |
| 11 | झारखण्ड | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 1 | 13.00 | 1 | 9.53 | 2 | 467.00 | 13 | 630.95 |
| 12 | कर्नाटक | 22 | 1,384.56 | 20 | 954.19 | 12 | 3,882.11 | 13 | 3,137.15 | 23 | 3,037.08 | 451 | 22,353.26 |
| 13 | केरल | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 839.99 | 1 | 500.00 | 2 | 1,020.00 | 41 | 2,616.10 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 4 | 940.00 | 2 | 337.23 | 2 | 924.11 | 4 | 1,760.43 | 15 | 1,167.58 | 118 | 7,449.36 |
| 15 | महाराष्ट्र | 12 | 942.50 | 13 | 1,130.03 | 8 | 2,566.70 | 17 | 1,196.66 | 15 | 2,012.11 | 455 | 17,656.83 |
| 16 | मणिपुर | 0 | 0 | 1 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.37 |
| 17 | मिज़ोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16 |
| 18 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200.82 |
| 19 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 12 | 233.67 | 9 | 60.87 | 3 | 280.88 | 4 | 173.68 | 3 | 598.19 | 101 | 4,342.42 |
| 20 | ओडिशा | 2 | 65.00 | 3 | 41.22 | 9 | 669.66 | 4 | 313.00 | 5 | 987.43 | 48 | 3,060.08 |
| 21 | पंजाब | 0 | 0 | 3 | 804.03 | 6 | 927.61 | 0 | 0 | 4 | 369.55 | 74 | 3,859.01 |
| 22 | राजस्थान | 5 | 1,326.38 | 7 | 823.49 | 12 | 3,636.76 | 8 | 8,571.59 | 9 | 4,081.00 | 164 | 25,277.82 |
| 23 | सिक्किम | 1 | 140.00 | 0 | 0 | 1 | 796.73 | 0 | 0 | 1 | 200.00 | 7 | 1,502.37 |
| 24 | तमिलनाडु | 11 | 2,368.85 | 7 | 925.25 | 8 | 1,045.98 | 7 | 1,987.43 | 8 | 3,134.10 | 507 | 16,416.90 |
| 25 | तेलंगाना | 14 | 1,402.23 | 23 | 1,890.04 | 11 | 3,291.12 | 5 | 294.97 | 10 | 4,688.50 | 91 | 13,792.48 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 5 | 291.46 | 8 | 691.09 | 5 | 467.51 | 4 | 333.54 | 10 | 631.59 | 134 | 4,694.55 |
| 27 | उत्तराखंड | 1 | 8.40 | 16 | 556.31 | 7 | 79.38 | 5 | 1,479.60 | 2 | 64.97 | 62 | 3,494.12 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 1 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 434.18 | 61 | 712.85 |
| 29 | एनसीईएफ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 156.56 |
| 30 | ब्रिज ऋण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 170.99 |
| 31 | बहु राज्य परियोजना | 0 | 0 | 3 | 49.88 | 2 | 473.59 | 4 | 898.27 | 7 | 2,152.79 | 37 | 7,200.18 |
| 32 | बिल रियायत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 79.63 |
| | **कुल 'क"** | **113** | **12,659.13** | **160** | **11,001.30** | **128** | **23,907.06** | **119** | **32,586.60** | **162** | **37,353.68** | **3269** | **190,395.02** |
| **ख** | **केंद्र शासित प्रदेश** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | अंडमान निकोबार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 |
| 2 | दमन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.13 |
| 3 | पांडिचेरी | 1 | 36.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.27 |
| 4 | लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.00 |
| | **कुल 'ख'** | **1** | **36.98** | **0** | **0** | **1** | **14.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9** | **67.51** |
| **ग** | **कुल 'क' + 'ख'** | **114** | **12,696.11** | **160** | **11,001.30** | **129** | **23,921.06** | **119** | **32,586.60** | **162** | **37,353.68** | **3278** | **190,462.53** |

# पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रवार मंजूरी

**अनुलग्नक-II**
**(₹करोड़ में)**

| क्र. सं. | क्षेत्र | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 1987 से संचयी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पवन ऊर्जा | 1,610.55 | 524.72 | 2,538.90 | 5,395.92 | 2,096.83 | 36,693.59 |
| 2 | जल विद्युत | 295.28 | 806.82 | 2,169.04 | 4,310.17 | 1,419.89 | 17,151.41 |
| 3 | बायोमास पावर और सह-उत्पादन | 44.12 | 146.87 | 42.79 | 6.84 | 103.00 | 5,640.38 |
| 4 | ऊर्जा दक्षता और संरक्षण | 5.00 | 9.91 | 95.70 | 0.00 | 0.00 | 1,381.71 |
| 5 | सौर ऊर्जा | 4,042.09 | 2,289.49 | 4,880.24 | 11,236.04 | 6.065.30 | 49,964.68 |
| 6 | अपशिष्ट से ऊर्जा | 118.38 | 93.01 | 0.00 | 80.94 | 102.70 | 1,144.93 |
| 7 | राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.57 |
| 8 | बिल रियायत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.97 |
| 9 | ब्रिज ऋण | 85.50 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.86 |
| 10 | अल्पावधि ऋण | 30.00 | 673.49 | 894.26 | 849.18 | 1,884.50 | 12,107.83 |
| 11 | विद्युत वाहन (ईवी) | 0.00 | 0.00 | 267.79 | 302.57 | 1,062.44 | 1,632.80 |
| 12 | बायोमास (औद्योगिक अपशिष्टों से ब्रिकेटिंग, गैसीकरण और मीथेनेशन) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.82 | 412.24 | 634.43 |
| 13 | गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) | 0.00 | 206.55 | 260.10 | 98.45 | 0 | 565.10 |
| 14 | राज्य उपयोगिताओं को ऋण सुविधा | 5030.00 | 4042.00 | 10860.00 | 3,750.00 | 7,200.00 | 33,412.00 |
| 15 | हाइब्रिड पवन एवं सौर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,651.47 | 1,634.02 | 3,285.49 |
| 16 | इथेनॉल | 193.00 | 123.05 | 307.06 | 2,571.34 | 3,901.60 | 7,176.05 |
| 17 | विनिर्माण | 418.75 | 830.49 | 1024.99 | 1,692.86 | 6,754.48 | 10,783.97 |
| 18 | विविध (पारेषण लाइन, उभरती हुई तकनीक, गारंटीकृत सहायता) | 823.44 | 1,244.08 | 580.19 | 522.99 | 4,716.68 | 8,325.76 |
| | **कुल** | **12,696.11** | **11,001.30** | **23,921.06** | **32,586.60** | **37,353.68** | **190,462.53** |



मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर जलागार में स्थित इरेडा द्वारा वित्तपोषित मैसर्स एएमपी ग्रीन एनर्जी सेवन प्राइवेट लिमिटेड की 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना

# पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार संवितरण

**अनुलग्नक-III**
**(₹करोड़ में)**

| क्र. सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 1987 से संचयी (2023-24 सहित) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क** | **राज्य** | | | | | | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1,416.93 | 840.60 | 469.00 | 4,586.87 | 4023.83 | 19,459.85 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 3.92 | 34.89 | 35.71 | 37.50 | 28.66 | 315.08 |
| 3 | असम | 110.90 | 79.87 | 360.00 | 3.22 | 0.00 | 672.67 |
| 4 | बिहार | 1.13 | 0.00 | 29.45 | 7.32 | 0.00 | 73.63 |
| 5 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 30.70 | 0.00 | 159.60 | 5.56 | 57.26 | 627.52 |
| 7 | दादर और नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.47 |
| 8 | गुजरात | 129.14 | 412.00 | 947.97 | 1,914.51 | 2,155.07 | 8,034.73 |
| 9 | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 10 | हरियाणा | 1.73 | 6.50 | 44.31 | 236.68 | 490.03 | 905.89 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 113.14 | 383.92 | 130.38 | 77.63 | 1,835.77 | 4,522.94 |
| 12 | जम्मू और कश्मीर | 1.02 | 4.44 | 61.54 | 0.00 | 296.68 | 383.91 |
| 13 | झारखण्ड | 0.54 | 0.99 | 9.00 | 9.05 | 150.00 | 237.83 |
| 14 | कर्नाटक | 717.25 | 729.48 | 2,507.27 | 2,505.67 | 3,074.92 | 16,171.32 |
| 15 | केरल | 0.00 | 0.00 | 824.27 | 508.00 | 20.45 | 1,527.46 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 324.18 | 319.96 | 604.67 | 820.59 | 1,322.12 | 4,593.62 |
| 17 | महाराष्ट्र | 631.71 | 710.95 | 1,361.51 | 1,869.69 | 1,338.55 | 13,226.32 |
| 18 | मणिपुर | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.41 |
| 19 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 0.00 | 6.09 | 40.91 | 297.52 | 301.66 | 3,565.10 |
| 20 | नागालैंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 21 | ओडिशा | 17.27 | 15.63 | 384.47 | 380.21 | 188.19 | 1,637.03 |
| 22 | पंजाब | 4.47 | 802.91 | 814.23 | 12.71 | 52.00 | 2,862.29 |
| 23 | राजस्थान | 1,468.08 | 700.48 | 2,027.52 | 5,033.77 | 3,003.91 | 16,133.22 |
| 24 | सिक्किम | 102.70 | 37.30 | 688.85 | 0.00 | 200.00 | 1,369.49 |
| 25 | तमिलनाडु | 2,159.91 | 1,646.52 | 1,147.91 | 1,910.81 | 2,949.06 | 13,475.62 |
| 26 | तेलंगाना | 1,047.44 | 1,382.90 | 2,409.73 | 413.63 | 1,711.66 | 8,674.13 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 112.85 | 148.97 | 467.16 | 115.65 | 80.01 | 2,303.51 |
| 28 | उत्तराखंड | 10.75 | 473.31 | 61.30 | 885.11 | 167.00 | 2,173.27 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 0.00 | 7.00 | 2.15 | 0.00 | 227.32 | 289.53 |
| 30 | बहु राज्य परियोजना | 379.56 | 37.80 | 472.59 | 0.80 | 1,414.89 | 2,557.69 |
| | **कुल 'क"** | **8,785.31** | **8,791.92** | **16,061.49** | **21,632.52** | **25,089.04** | **125,856.59** |
| **ख** | **केंद्र शासित प्रदेश** | | | | | | |
| 1 | दमन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 |
| 2 | पांडिचेरी | 0.00 | 36.43 | 2.23 | 0.19 | 0.00 | 45.00 |
| 3 | लद्दाख | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 6.49 | 0.00 | 13.59 |
| | **कुल 'ख'** | **0.00** | **36.43** | **9.33** | **6.68** | **0.00** | **60.08** |
| **ग** | **कुल 'क'+'ख'** | **8,785.31** | **8,828.35** | **16,070.82** | **21,639.21** | **25,089.04** | **125,916.67** |

# पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रवार संवितरण

**अनुलग्नक-IV**
**(₹करोड़ में)**

| क्र. सं. | क्षेत्र | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 1987 से संचयी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पवन ऊर्जा | 1,057.11 | 900.65 | 2,114.38 | 3,501.61 | 3,020.59 | 26,913.24 |
| 2 | जल विद्युत | 295.97 | 682.91 | 1,195.09 | 1,731.23 | 2,660.78 | 11,231.91 |
| 3 | बायोमास पावर और सह-उत्पादन | 59.04 | 41.03 | 9.24 | 23.97 | 98.41 | 3,591.65 |
| 4 | ऊर्जा दक्षता और संरक्षण | 0.54 | 14.16 | 77.85 | 6.49 | 0.00 | 441.54 |
| 5 | सौर ऊर्जा | 2,555.84 | 1,785.46 | 3,406.15 | 7,074.71 | 5,879.35 | 31,546.56 |
| 6 | अपशिष्ट से ऊर्जा | 78.12 | 147.17 | 107.20 | 58.81 | 85.63 | 683.10 |
| 7 | राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.14 |
| 8 | बिल रियायत | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.76 |
| 9 | अल्पावधि ऋण | 290.92 | 509.55 | 198.15 | 654.54 | 918.73 | 7,079.43 |
| 10 | राज्य उपयोगिताओं को ऋण सुविधा | 4,180.00 | 4,240.00 | 8,125.00 | 4,950.00 | 6,200.00 | 31,895.00 |
| 11 | हाइब्रिड पवन एवं सौर | 0.00 | 62.50 | 25.53 | 1006.75 | 140.00 | 1,234.78 |
| 12 | ब्रिज ऋण | 5.82 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.90 |
| 13 | बायोमास (औद्योगिक अपशिष्टों से ब्रिकेटिंग, गैसीकरण और मीथेनेशन) | 9.07 | 3.37 | 7.33 | 59.95 | 112.64 | 266.98 |
| 14 | गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) | 0.00 | 145.17 | 290.36 | 104.31 | 0.00 | 539.84 |
| 15 | विद्युत वाहन (ईवी) | 0.00 | 0.00 | 35.71 | 332.02 | 593.39 | 961.12 |
| 16 | विनिर्माण* | 86.00 | 81.47 | 269.84 | 1004.30 | 2404.49 | 4,191.63 |
| 17 | इथेनॉल | 50.00 | 131.04 | 205.20 | 1130.52 | 2017.86 | 3,559.62 |
| 18 | विविध (पारेषण लाइन, उभरती हुई तकनीक) | 106.77 | 79.87 | 3.80 | 0.00 | 957.17 | 1,338.47 |
| | **कुल** | **8,785.31** | **8,828.35** | **16,070.82** | **21,639.20** | **25,089.04** | **125,916.67** |

*** ईवी विनिर्माण सहित विनिर्माण**



गुजरात के कच्छ जिले में स्थित मैसर्स नेत्रा विंड प्राइवेट लिमिटेड की 300 मेगावाट क्षमता सम्पन्न पवन ऊर्जा परियोजना को इरेडा द्वारा वित्तपोषित।

# सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

**अनुलग्नक-V**

## 1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

आपकी कंपनी की सीएसआर नीति का उद्देश्य है सतत विकास के लिए अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं में आत्मनिर्भर निवेश को बढ़ावा देने के अपने प्राथमिक व्यवसाय के माध्यम से समाज में मूल्य सृजन को बढ़ाना। सीएसआर गतिविधियों का उद्देश्य कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय को उसके प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित समग्र सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ पूरक बनाना होगा।

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुरूप अपनी निगमित सामाजिक उत्तदायित्व नीति है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च किया जाएगा। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सीएसआर परियोजनाएं उक्त अधिनियम की अनुसूची VII के अधीन निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप की जाती हैं।

**शुरू की गयी या शुरू करने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का अवलोकन :**

आपकी कंपनी ने ऐसी परियोजनाएं शुरू की हैं या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है जिससे-

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुदायों को लाभ मिले और परिणामस्वरूप, समय के साथ, ऊर्जा दक्षता/संरक्षण और स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो।
- अपने व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से संचालित करने के लिए संगठन में सभी स्तरों पर बढ़ी हुई प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।
- इरेडा के लिए सामुदायिक सद्भावना उत्पन्न करना और एक निगमित इकाई के रूप में इरेडा की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में मदद करना।
- लैंगिक संवेदनशीलता, कौशल वृद्धि, उद्यमिता विकास आदि से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण को प्रोत्साहित करना।
- आपदा लचीलेपन के प्रति समुदायों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना।

2. **सीएसआर समिति की संरचना:**

| क्रम. सं. | सदस्य का नाम | समिति सदस्य | वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आयोजित | भाग लिया |
| 1. | श्री प्रदीप कुमार दास | अध्यक्ष | 10 | 10 |
| 2 | श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट | सदस्य | 10 | 10 |
| 3. | डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर | सदस्य | 10 | 10 |
| 4. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती | सदस्य (12.10.2023 से प्रभावी) | 5 | 5 |

## 3. वेब-लिंक प्रावधानित करना जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण किया गया है।

सीएसआर नीति: https://www.ireda.in/csr-policy-of-iredaComposition of the CSR

समिति: https://www.ireda.in/doc/Committees-of-Board-21032023_1.doc.pdfCSR

परियोजनाएँ: https://www.ireda.in/doc/CSR-project-in-FY-2023-24.pdf

**4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किये गये सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करना, यदि लागू हो**

शून्य, डीपीई द्वारा जारी सीएसआर दिशा-निर्देशों के अनुसार और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुसरण में अनिवार्य है कि प्रभाव आकलन उन मामलों में परियोजनावार किया जाएगा जहां तत्काल पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों में न्यूनतम औसत सीएसआर दायित्व ₹10 करोड़ या उससे अधिक वाली कंपनियां और न्यूनतम एक करोड़ रुपये के परिव्यय वाली सीएसआर परियोजनाएं प्रभाव मूल्यांकन शुरू करने से कम से कम 1 वर्ष पहले पूरी हो गयी हों।

इरेडा ने वित्त वर्ष 2023-24 में ₹1 करोड़ या उससे अधिक की संस्वीकृत राशि के साथ निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी है :

| विवरण | परियोजना का प्रकार | संस्वीकृत राशि (₹) |
|---|---|---|
| आकांक्षी जिला-चंदौली, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित प्रणालियों और आरओ वाटर वेंडिंग मशीनों की आपूर्ति और स्थापना। | स्वास्थ्य देखभाल | 3,84,57,180 |
| बलरामपुर आकांक्षी जिले, उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण, सरकारी स्कूलों में डेस्क बेंच, सरकारी बालिका छात्रावास में बिस्तर, मेज और कुर्सियों की आपूर्ति। | स्वास्थ्य देखभाल | 2,87,04,770 |
| जनसेवा ट्रस्ट, चंनेनाहल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटक को "परम परियोजना: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार कौशल विकास केंद्र" के लिए एकमुश्त योगदान की संस्वीकृति। | विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान | 1,00,00,000 |
| थीम पर सीएसआर निधि संस्वीकृत : तीन (03) आदिवासी गांवों, ब्लॉक- मांडवी, जिला-सूरत, राज्य गुजरात में संकटपूर्ण प्रवास को कम करने के लिए सौर आधारित सिंचाई प्रणालियों और अन्य कृषि पद्धतियों की आपूर्ति और स्थापना। | स्वास्थ्य सेवा | 1,41,82,875 |
| डोमरियागंज संसदीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में 1000 सौर पीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना। | पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण | 1,89,56,000 |
| इरेडा के सीएसआर फंड के अधीन बलरामपुर आकांक्षी जिले, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों / छात्रावासों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में सौर पीवी सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए यूपीएसआईसी गाजियाबाद को वित्तीय सहायता। | पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण | 1,46,41,620 |

हालाँकि, उपर्युक्त में से कोई भी परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है, प्रभाव मूल्यांकन सामान्य परिपत्र संख्या 14/2021 दिनांक 25 अगस्त 2021 के अनुरूप पूर्णता तिथि से 1 वर्ष की अवधि के बाद किया जाएगा

**5.** (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ : **₹ 84,675.83 लाख**

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत : **₹ 1,693.52 लाख**

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो : **₹ 28.93 लाख**

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व **[ख + ग - घ]:** **₹ 1664.58 लाख**

**6.** (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गयी राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा दोनों): **₹548.92 लाख**

(ख) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गयी राशि : **₹ 2.76 लाख**

(ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गयी राशि, यदि लागू हो: **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गयी कुल राशि **[(क) + (ख) + (ग)]:** **₹ 551.68 लाख**

(ङ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खर्च की गयी या अव्ययित सीएसआर राशि

| वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (₹करोड़ में) | अव्ययित राशि (₹ लाख में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | धारा 135 की उप-धारा (1) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि | | धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि | | |
| | राशि ₹ | स्थानांतरण की तिथि | निधि का नाम | राशि | स्थानांतरण की तिथि |
| 551.68 | 1,112.90 | 24.04.2024 | - | - | - |

**(च) शुरू करने के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो :**

| क्र. सं. | विवरण | (राशि ₹ लाख में) |
|---|---|---|
| (i) | धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत | 1,693.52 |
| (ii) | वित्तीय वर्ष हेतु कुल व्ययीत राशि* | 1,693.52 |
| (iii) | वित्तीय वर्ष के लिए व्ययीत अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)] - | - |
| (iv) | पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो - | - |
| (v) | आगामी वित्तीय वर्षों में शुरू के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)] - | - |

*इसमें वास्तव में खर्च किये गये ₹551.68 लाख, चालू परियोजनाओं के लिए अव्ययित खाते में हस्तांतरित ₹1,112.90 लाख और पिछले वर्षों से आगे लाये गये ₹28.93 लाख का समंजन शामिल है।

**7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | पिछले वित्तीय वर्ष (र्षों) | धारा 135 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएस आर खाते में हस्तांतरित राशि (राशि ₹ लाख में) | धारा 135 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (राशि ₹ लाख में) | वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि (राशि ₹लाख में) | धारा 135 की उपधारा (5)के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार निधि में यदि कोई हो। | | आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (राशि ₹लाख में) | कमी, यदि कोई हो |
| | | | | | (राशि ₹लाख में) | हस्तांतरण की तिथि | | |
| 1 | 2020-21 | शून्य | शून्य | 1,641.60 | लागू नहीं | लागू नहीं | - | लागू नहीं |
| 2 | 2021-22 | शून्य | शून्य | 872.93 | लागू नहीं | लागू नहीं | - | लागू नहीं |
| 3 | 2022-23 | 275.99 | 163.87 | 448.43 | लागू नहीं | लागू नहीं | 163.87 | - |

कंपनी ने 373.96 लाख रुपये की राशि भी खर्च की है (वित्त वर्ष 2019-2020 से पहले की अव्ययित राशि से संबंधित और संशोधन-पूर्व ढांचे के अनुसार निपटा जा रहा है) जिसमें केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी के कायाकल्प के लिए स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में 8.43 लाख रुपये का हस्तांतरण भी शामिल है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत एक पूर्ण परियोजना के संबंध में अनुमति दी गई थी, जिसमें आगे कोई संवितरण की आवश्यकता नहीं थी।

8. **क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनायी गयी है या अधिग्रहित की गयी है :** नहीं
**यदि हाँ, तो निर्मित/अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करना-** लागू नहीं

**वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी सीएसआर राशि के माध्यम से निर्मित या अधिग्रहित उक्त परिसंपत्ति(यों) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करना:** लागू नहीं

9. **धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार यदि कंपनी औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताना: लागू नहीं।**
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि का 100% खर्च कर दिया है।

हस्ता./-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, और
अध्यक्ष, सीएसआर समिति
डीआईएन: 07448576

## वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इरेडा के सीएसआर फंड के अधीन संस्वीकृत परियोजनाओं की सूची

| क्र. सं. | विवरण | जिला-आकांक्षी/ गैर-आकांक्षी | कार्यान्वयन समिति | सीएसआर पंजीकरण संख्या | अधिनियम की अनुसूची-VII के अधीन विषय | संस्वीकृत राशि रुपये में | परियोजनाओं की स्थिति (पूर्ण/ चल रही) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | इरेडा के सीएसआर फंड के अधीन आकांक्षी जिले-चंदौली, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता:<br>· सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों/अस्पतालों में 5 किलोवाट सौर पीवी सिस्टम (ऑफ-ग्रिड) की 83 इकाइयां और 50 एलपीएच आरओ वाटर वेंडिंग मशीनों की 90 इकाइयां स्थापित की जाएंगी;<br>· जवाहर नवोदय विद्यालय, बैराठ में 50 एलपीएच आरओ वाटर वेंडिंग मशीन के साथ ३ किलोवाट सौर पीवी सिस्टम (ऑफ-ग्रिड) की १ इकाई स्थापित की जाएगी। | आकांक्षी | यूपीएसआईसी बाँदा | सीएसआर00023463 | स्वास्थ्य देखभाल | 3,84,57,180 | चल रही |
| 2. | उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले बलरामपुर में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण, सरकारी स्कूलों में डेस्क बेंच, सरकारी बालिका छात्रावास में बिस्तर, टेबल और कुर्सियां आपूर्ति करने के लिए वित्तीय सहायता। | आकांक्षी | केंद्रीय भंडार | सीएसआर00061548 | स्वास्थ्य देखभाल | 2,87,04,770.00 | चल रही |
| 3. | लखनऊ, उत्तर प्रदेश में बच्चों/विद्यार्थियों के लिए दस (10) स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वच्छता जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता | गैर-आकांक्षी | एसवीएआर, लखनऊ | सीएसआर00019747 | स्वास्थ्य देखभाल | 16,02,2600 | चल रही |
| 4. | बेंगलुरु, कर्नाटक में राष्ट्रोत्थान ट्रस्ट के जयदेव मेमोरियल राष्ट्रोत्थान अस्पताल में 200 केडब्ल्यूपी सोलर पीवी रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम की खरीद और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता। आकांक्षी जिला, उत्तर प्रदेश। | गैर-आकांक्षी | राष्ट्रोत्थान ट्रस्ट | सीएसआर00010752 | स्वास्थ्य देखभाल | 80,00,000 | चल रही |

| क्र. सं. | विवरण | जिला-आकांक्षी/ गैर-आकांक्षी | कार्यान्वयन समिति | सीएसआर पंजीकरण संख्या | अधिनियम की अनुसूची-VII के अधीन विषय | संस्वीकृत राशि रुपये में | परियोजनाओं की स्थिति (पूर्ण/ चल रही) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | मध्य प्रदेश के भोपाल में मैसर्स ऐम अचीवर्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 5200 लाभार्थियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता | गैर-आकांक्षी | ऐम अचीवर्स एजुकेशन सोसाइटी | सीएसआर 00034578 | स्वास्थ्य देखभाल | 25,00,000 | चल रही |
| 6 | उत्तर प्रदेश के बागपत में खेकड़ा ब्लॉक और गाजियाबाद जिले में लोनी ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में 325 लाभार्थियों यानी महिलाओं/लड़कियों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए मैसर्स द गोल्डन विलेज फाउंडेशन, बागपत, उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय सहायता | गैर-आकांक्षी | द गोल्डन विलेज फाउंडेशन | सीएसआर 00037382 | स्वास्थ्य देखभाल | 30,85,225 | चल रही |
| 7 | गुजरात राज्य के सूरत जिले के मांडवी ब्लॉक के तीन (03) आदिवासी गांवों में संकटपूर्ण प्रवास को कम करने के लिए सौर आधारित सिंचाई प्रणालियों और अन्य कृषि पद्धतियों के लिए वित्तीय सहायता | गैर-आकांक्षी | अभ्युथान ग्राम विकास मंडल | सीएसआर 00033417 | स्वास्थ्य देखभाल | 1,41,82,875 | चल रही |
| 8 | इरेडा के सीएसआर फंड के अधीन, ओडिशा के कालाहांडी के आकांक्षी जिले की दोनों ग्राम पंचायतों के स्कूलों में सौर ऊर्जा प्रणालियों, फर्नीचर और अन्य शैक्षणिक सामग्री की आपूर्ति और जीपी के गांवों में सौर स्ट्रीटलाइट की आपूर्ति और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता। | आकांक्षी | कलिंगा कुसुम फाउंडेशन | सीएसआर 00004313 | पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण | 28,52,325 | चल रही |
| 9 | मछलीपट्टनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मछलीपट्टनम, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश के 42 गांवों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता | गैर-आकांक्षी | कनेक्ट टू आंध्रा | सीएसआर 00008366 | पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण | 59,94,000 | चल रही |

| क्र. सं. | विवरण | जिला-आकांक्षी/ गैर-आकांक्षी | कार्यान्वयन समिति | सीएसआर पंजीकरण संख्या | अधिनियम की अनुसूची-VII के अधीन विषय | संस्वीकृत राशि रुपये में | परियोजनाओं की स्थिति (पूर्ण/ चल रही) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | उत्तर प्रदेश के आकांक्षी, जिला सिद्धार्थनगर के सिद्धार्थनगर संसदीय चुनाव क्षेत्र में 1000 अदद सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम लगाने के लिए वित्तीय सहायता | आकांक्षी | यूपीएसआईसी, गोरखपुर | सीएसआर 00023463 | पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण | 1,89,56,000 | चल रही |
| 11 | विभिन्न पर्यटन स्थलों के साथ-साथ पुरी के हेरिटेज शहर में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आवागमन को आसान बनाने के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन, पुरी को 5 अदद बीओवी (6 सीट वाले) और 5 अदद बीओवी (11 सीट वाले) दान करके सहायता | गैर- आकांक्षी | इरेडा | लागू नहीं | पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण | 66,13,250 | चल रही |
| 12 | ओडिशा के मयूरभंज जिले के अंदर सरकारी आईटीआई करंजिया, मंडुआ परिसर के साथ-साथ बिसोई और सरसकाना के दो ब्लॉकों के 33 गांवों में सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति और स्थापना के लिए अनुमानित लागत की वित्तीय सहायता | गैर- आकांक्षी | कलिंगा कुसुम फाउंडेशन | सीएसआर 00004313 | पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण | 25,93,962 | चल रही |
| 13 | बिहार के बक्सर जिले के अंतर्गत 9 ब्लॉकों में ई-मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक की तैनाती के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता | गैर- आकांक्षी | एचएलएल मैनेजमेंट अकादमी | सीएसआर 00004546 | स्वास्थ्य देखभाल | 32,40,000 | चल रही |

| क्र. सं. | विवरण | जिला- आकांक्षी/ गैर- आकांक्षी | कार्यान्वयन समिति | सीएसआर पंजीकरण संख्या | अधिनियम की अनुसूची-VII के अधीन विषय | संस्वीकृत राशि रुपये में | परियोजनाओं की स्थिति (पूर्ण/ चल रही) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | उत्तर प्रदेश के आकांक्षी, जिला बलरामपुर में सरकारी स्कूलों/हॉस्टेलों और सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में सौर पीवी सिस्टम की आपूर्ति और संस्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता। | आकांक्षी | यूपीएसआईसी ग़ाज़ियाबाद | सीएसआर 00023463 | पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण | 1,46,41,620 | चल रही |
| 15 | दिव्यांग बच्चों की सेवा के लिए हिमाचल प्रदेश में साम्फिया फाउंडेशन द्वारा "थेरेपी ऑन व्हील्स" कार्यक्रम चलाने वाली दो मोबाइल मेडिकल वैन का परिचालन व्यय | गैर- आकांक्षी | साम्फिया फाउंडेशन | सीएसआर 00004095 | स्वास्थ्य देखभाल | 47,58,392 | पूर्ण |
| 16 | वित्त वर्ष 2023-24 में जनसेवा ट्रस्ट, चंनेनाहल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटक को "परम परियोजना: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार कौशल विकास केंद्र" के लिए एकमुश्त अंशदान की स्वीकृति | गैर- आकांक्षी | जनसेवा ट्रस्ट | सीएसआर 00006302 | विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्क्यूबेटर्स या अनुसन्धान तथा विकास परियोजनाओं को योगदान | 1,00,00,000 | पूर्ण |
| | **कुल** | | | | | **16,61,81,859** | |

**अनुलग्नक-VI**

**प्रपत्र संख्या एमआर-3**

**सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
भारत पर्यावास केंद्र, पहली मंजिल, ईस्ट कोर्ट,
कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रिय सदस्यगण,

हमने **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड,** जिसका **सीआईएन : L65100DL1987GOI027265** है **(जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा)** द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉरपोरेट व्यवहारों के पालन की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस तरह से की गयी थी कि जिससे हमें कॉरपोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, प्रपत्र और रिटर्न फाइल तथा कंपनी द्वारा बनाये गये अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गयी जानकारी के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने **31 मार्च, 2024** को समाप्त समीक्षाधीन अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने **31 मार्च, 2024** को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी द्वारा अनुरक्षित पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न फाइल तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाये गये नियम ;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाये गये नियम ;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाये गये विनियम और उप-नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक बनाये गये नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश:-

  क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अर्जन) विनियम, 2011;

  ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015:

  ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

  घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

  ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागारों और प्रतिभागी) विनियम, 2018; और

च) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंट के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018;

प्रबंधन द्वारा किये गये अभ्यावेदन और हमारे द्वारा भरोसा किये गये अनुसार, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और दिशा-निर्देशों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थे:-

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021;

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी शेयर) विनियम, 2021

((vi) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 गैर-जमा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) पर लागू सीमा तक

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) सचिवीय मानकों, जैसा कि इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी, समय-समय पर संशोधित किया गया।

(ii) सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कंपनी द्वारा किये गये लिस्टिंग समझौते।

(iii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिनांक 27 मई 2016 के ओ.एम.एफ. संख्या 5/2/2016-पॉलिसी में निर्धारित अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन पर दिशा-निर्देश।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :**

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है, जिसमें कार्यकारी निदेशक, गैर-कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किये गये थे।

हालांकि, कंपनी ने 14 अक्टूबर 2022 को क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), एमसीए के कार्यालय के समक्ष एक अपील दायर की, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के उल्लंघन के लिए ₹ 2,62,000 का जुर्माना लगाने वाली आदेश संख्या आरसीओ/डी/ एडीजे/2022/सेक्शन 149(1)/5781 के विरुद्ध दंड की छूट की मांग करने वाला अपीलकर्ता प्राधिकारी है। इस मामले में अपील आज तक क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), एमसीए के कार्यालय के समक्ष लंबित है।

बोर्ड बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में यथा अभिलिखित के अनुसार बोर्ड बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय, जैसा मामला हो, सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन नियामक प्राधिकरणों से ई-फॉर्म/दस्तावेज दाखिल करने में नियमित रही है।

**हम आगे प्रतिवेदित करते हैं** कि अनुप्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित और प्रबोधित करने के लिए कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

**हम आगे प्रतिवेदित करते हैं** कि लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं की गयी जिसका उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा असर हो, सिवाय इसके कि-

(i) कंपनी ने ₹32 (प्रति इक्विटी शेयर ₹22 के प्रीमियम सहित) की कीमत पर नकद हेतु 67,19,41,177 इक्विटी शेयरों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की है, जो कुल मिलाकर ₹21,502.12 मिलियन है, जिसमें 40,31,64,706 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम शामिल है, जो कुल मिलाकर ₹12,901.27 मिलियन है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26,87,76,471 इक्विटी शेयरों की बिक्री हेतु प्रस्ताव, जो कुल मिलाकर ₹8,600.85 मिलियन है।

(ii) इसके अलावा, 29 नवंबर 2023 को स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध ₹10 प्रत्येक के 2,68,77,64,706 इक्विटी शेयर, जिनका कुल मिलाकर ₹26,87,76,47,060 की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी है।

(iii) कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान इरेडा घरेलू कर योग्य, रिडीमेबल, गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय, असुरक्षित बॉण्ड के निजी नियोजन के माध्यम से ₹7356.74 करोड़ की धनराशि जुटायी है। वर्ष के दौरान जुटाये गये निम्नलिखित श्रृंखला के घरेलू कर योग्य बॉण्ड इस प्रकार हैं:

क) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.63% सीरीज-XV-A"बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹1000 करोड़।
ख) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.75% सीरीज-XV-B" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹683 करोड़।
ग) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.68% सीरीज-XV-C" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹1000 करोड़।
घ) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.77% सीरीज-XV-D" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹809.74 करोड़।
ङ) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.59% सीरीज-XV-E" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹1130 करोड़।
च) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.53% सीरीज-XV-F" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹1222 करोड़।
छ) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.57% सीरीज-XV-G" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹447 करोड़।
ज) प्रत्येक ₹1 लाख के अंकित मूल्य के "7.59% सीरीज-XV-H" बॉण्ड्स, कुल मिलाकर ₹1065 करोड़।

**हम आगे प्रतिवेदित करते हैं** कि कंपनी ने 7 सितंबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 300(1) और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 102 के अधीन सेबी से छूट मांगी है और सेबी ने पत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/आरएसी-डीआईएल1/ पी/ओडब्ल्यू/2023/40948/1 दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से कंपनी द्वारा मांगी गयी छूट प्रदान की है।

**कृते पी. सी. जैन एंड कंपनी**
**कंपनी सचिव**
**(एफआरएन: P2016HR051300)**

**दिनांक: 09/05/2024**
**स्थान: फरीदाबाद**
**यूडीआईएन: F004103F000338461**

**हस्ता./-**
**प्रबंध भागीदार**
**सीओपी संख्या: 3349**
**एम. संख्या: F4103**

**'अनुलग्नक-क'**

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड,
भारत पर्यावास केंद्र, पहली मंज़िल, ईस्ट कोर्ट,
कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

महोदय,

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है

1. सचिवीय अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी लेखा-परीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा-परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षण के आधार पर किया गया था कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा पहले से बताये गये अवलोकनों/टिप्पणियों/कमजोरियों को शामिल नहीं किया गया है।

4. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉरपोरेट और अन्य अनुप्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच एक परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी और क्या कंपनी के पास उचित प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र सही तरह से मौजूद हैं या नहीं पर अपनी राय देनी थी।

6. सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

**कृते पी. सी. जैन एंड कंपनी**
**कंपनी सचिव**
**(एफआरएन: P2016HR051300)**

**हस्ता./-**
**(पी. सी. जैन)**
**प्रबंध भागीदार**
**सीओपी संख्या: 3349**
**एम. संख्या:F4103**

**दिनांक: 09/05/2024**
**स्थान: फरीदाबाद**
**यूडीआईएन: F004103F000338461**

**अनुलग्नक-VII**

# कॉरपोरेट सुशासन पर अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
**(सीआईएन : L65100DL1987GOI27265)**
भारत पर्यावास केंद्र, पहली मंज़िल, ईस्ट कोर्ट,
कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रिय महोदय/महोदया,

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के **सीपीएसई** के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग **(डीपीई)** द्वारा जारी कॉरपोरेट सुशासन दिशा-निर्देशों **("दिशानिर्देशों")** की अनुपालन शर्तों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड **("कंपनी")** के सभी प्रासंगिक अभिलेखों की जांच की है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह प्रमाण-पत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही यह इस बात का आश्वासन है कि प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन कितनी कुशलता या प्रभावशीलता के साथ किया है।

हमारी राय में तथा  हमें प्रस्तुत किये गये अभिलेखों, स्पष्टीकरणों और हमें दी गयी सूचना की हमारी जांच के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों में यथा अनुबद्ध कॉरपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

**कृते पी. सी. जैन एंड कंपनी**
**कंपनी सचिव**
**(एफआरएन: P2016HR051300)**

**हस्ता./-**
**(पी. सी. जैन)**
**प्रबंध भागीदार**
**सीओपी संख्या: 3349**
**एम. संख्या:  F4103**

**दिनांक: 09/05/2024**
**स्थान: फरीदाबाद**
**यूडीआईएन: F004103F000338461**

**अनुलग्नक-VIII**

## वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार कॉरपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
भारत पर्यावास केंद्र, पहली मंज़िल, ईस्ट कोर्ट,
कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रिय सदस्यगण,

हम, पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, जिनका सीआईएन : L65100DL1987GOI027265** ("कंपनी") है,ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में यथा निर्धारित,यथा संशोधित (सामूहिक रूप से "सेबी सूचीकरण विनियम/सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015"),और कंपनी पर अनुप्रयोज्य 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कॉरपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

**प्रबंधन की जिम्मेदारी**

सेबी सूचीकरण विनियमों में यथा निर्धारित और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी कॉरपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन भी कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है।

कॉरपोरेट सुशासन रिपोर्ट तैयार करने और सभी प्रासंगिक सहायक अभिलेख और दस्तावेज के रखरखाव की ज़िम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी में कॉरपोरेट सुशासन रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुति हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है।

**लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी**

हमारी जिम्मेदारी कॉरपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है।

हमने इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी कॉरपोरेट सुशासन प्रमाण-पत्र पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार कंपनी के प्रासंगिक अभिलेखों की जांच की है। हमने गुणवत्ता पर मानक की प्रासंगिक अनुप्रयोल्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

**राय**

प्रक्रियाओं में परीक्षण के आधार पर कॉरपोरेट सुशासन रिपोर्ट में विवरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच करना शामिल है। इसके अलावा, इस रिपोर्ट के अधीन हमारे कार्य के दायरे में समग्र रूप से कंपनी की किसी भी वित्तीय जानकारी या वित्तीय विवरणों की निष्पक्षता या सटीकता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से लेखा-परीक्षा परीक्षण करना शामिल नहीं था।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और कंपनी द्वारा किये गये अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सेबी सूचीकरण विनियमों के सूचीकरण विनियम 17 से 27 में यथा निर्धारित कॉरपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हालांकि, कंपनी ने 7 सितंबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 300(1) और सेबी सूचीकरण विनियमन के विनियमन 1 0 2 के अधीन सेबी से छूट मांगी है और सेबी ने कंपनी द्वारा मांगी गयी छूट को पत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/आरएसी-डीआईएल1/पी/ओडब्ल्यू/2023/40948/1 दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से प्रदान किया है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में हमारा आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

**कृते पी. सी. जैन एंड कंपनी**
**कंपनी सचिव**
**(एफआरएन: P2016HR051300)**

**हस्ता./-**
**(पी. सी. जैन)**
**प्रबंध भागीदार**
**एम. संख्या: F4103**
**सीओपी संख्या: 3349**

**दिनांक: 09/05/2024**
**स्थान: फरीदाबाद**
**यूडीआईएन: F004103F000338349**

**अनुलग्नक-IX**

# कॉरपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट

**कॉरपोरेट सुशासन नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं का एक साधन है जिसके द्वारा किसी कंपनी को कानून का अक्षरशः पालन करने और प्रभावी प्रबंधन के लिए नैतिक मानकों का पालन करने के लिए निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। कॉरपोरेट सुशासन सभी हितधारकों के हितों को सुनिश्चित करता है।**

**उपर्युक्त के प्रति, आपकी कंपनी अपने निगमीकरण के बाद से ही कॉरपोरेट सुशासन मानदंडों के उच्च मानकों को लागू करने और बनाए रखने का प्रयास करती रही है।**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ में यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है। यह रिपोर्ट समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 (जिसे आगे **सेबी एलओडीआर विनियम** कहा जाएगा), कंपनी अधिनियम 2013, सार्वजनिक उद्यम विभाग **(डीपीई)** द्वारा जारी कॉरपोरेट सुशासन पर दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गयी है।

## 1. कॉरपोरेट सुशासन पर कंपनी का दर्शन

हमारा कॉरपोरेट सुशासन दर्शन इस प्रकार लिखा गया है :

कंपनी दृढ़ता से अच्छे कॉरपोरेट सुशासन में विश्वास करती है और लगातार इसका पालन करती है। कंपनी की नीति पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के मूल्यों से परिलक्षित होती है। कंपनी इन पहलुओं की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास करती है और इस तरह अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, हितधारकों और पूरे समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य प्रस्तुत करती है।

आपकी कंपनी एक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक-अनुकूल और विकासोन्मुख संगठन बनने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को वित्तपोषित और बढ़ावा देती है। कंपनी की कॉरपोरेट संरचना, व्यवसाय का संचालन और प्रकटीकरण प्रथाओं को इसके कॉरपोरेट सुशासन दर्शन के अनुरूप बनाया गया है।

## 2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल (**'बोर्ड'**) के पास समग्र रूप से व्यवसाय के प्रबंधन, सामान्य मामलों, दिशा, कार्य-प्रदर्शन और दीर्घकालिक सफलता के लिए अंततोगत्वा जिम्मेदारी है। बोर्ड रणनीति और नीतियां तैयार करता है, उनके कार्यान्वयन की देखरेख करता है और समय-समय पर कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा भी करता है।

बोर्ड अपनी शक्तियों का उपयोग करता है तथा कंपनी अधिनियम, कंपनी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम, शेयर बाज़ारों के साथ सूचीकरण समझौते, आरबीआई दिशा-निर्देश, डीपीई दिशा-निर्देश और कंपनी के आंतरिक कोड/प्रक्रियाओं आदि में निर्धारित ढांचे के भीतर कंपनी के मामलों का प्रबंधन करता है।

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम में यह प्रावधान है कि बोर्ड निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के माध्यम से कार्यकारी भारत के राष्ट्रपति में निहित है। इसके अलावा, बोर्ड की शक्ति 3 निदेशकों से कम नहीं और 15 निदेशकों से अधिक की नहीं होगी।

31 मार्च, 2024 को, आपकी कंपनी के बोर्ड की संरचना कंपनी अधिनियम, सेबी एलओडीआर विनियमों और कॉरपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप है।

उपर्युक्त तिथि को, बोर्ड 8 निदेशक, जिनमें 2 (दो) प्रकार्यात्मक निदेशक, 2 (दो) अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक और 4 (चार) अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (आईडी) मिलकर गठित हैं, जिनमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। वार्षिक रिपोर्ट में सभी निदेशकों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

### ❖ निदेशक मंडल की संरचना

31 मार्च, 2024 तक बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | निदेशक का नाम और डीआईएन | पदनाम | निदेशक तब से |
|---|---|---|---|
| **पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक)** | | | |
| 1. | श्री प्रदीप कुमार दास<br>डीआईएन: 07448576 | अध्यक्ष एवं<br>प्रबंध निदेशक | 06.05.2020 |
| 2. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती*<br>डीआईएन:- 08816532 | निदेशक (वित्त),<br>सीएफओ और निदेशक<br>(तकनीकी) का<br>अतिरिक्त प्रभार | 12.10.2023 |
| **पदेन अंशकालिक निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)** | | | |
| 3. | श्री पदम लाल नेगी<br>डीआईएन : 10041387 | निदेशक (सरकारी<br>नामित) | 07.02.2023 |
| 4. | श्री अजय यादव<br>डीआईएन : 10046617 | निदेशक<br>(सरकारी नामित) | 14.02.2023 |
| **अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)** | | | |
| 5. | श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट<br>डीआईएन : 09483059 | स्वतंत्र निदेशक | 28.01.2022 |
| 6. | डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर<br>डीआईएन : 09556253 | स्वतंत्र निदेशक | 31.03.2022 |
| 7. | श्री राम निहाल निषाद<br>डीआईएन : 10064841 | स्वतंत्र निदेशक | 09.03.2023 |
| 8. | श्रीमती रोहिणी रावत<br>डीआईएन : 10064820 | स्वतंत्र निदेशक | 09.03.2023 |

* नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 12 अक्टूबर, 2023 के अपने आदेश द्वारा डॉ. बिजय कुमार मोहंती को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए या अगले

आदेशों तक, जो भी पहले हो, इरेडा के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया है। डॉ. मोहंती ने 12 अक्टूबर, 2023 से इरेडा के निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशक मंडल ने 16 अक्टूबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में डॉ. मोहंती को 12 अक्टूबर, 2023 से आम बैठक की तारीख तक निदेशक (वित्त), अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बोर्ड ने उक्त बोर्ड बैठक के समापन अर्थात 16 अक्टूबर, 2023 से डॉ. मोहंती को सीएफओ के रूप में भी नियुक्त किया है। इसके बाद, कंपनी के सदस्यों ने 3 नवंबर, 2023 को आयोजित अपनी 21वीं असाधारण आम बैठक में डॉ. मोहंती को भारत सरकार द्वारा तय नियमों और शर्तों पर 12 अक्टूबर, 2023 से 5 साल की अवधि के लिए निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 27 मार्च, 2024 के कार्यालय आदेश के मार्फ़त, 15 मार्च, 2024 के कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से अवगत कराया है, जो डॉ. बिजय कुमार मोहंती, निदेशक (वित्त), इरेडा को 5 मार्च, 2024 से 6 (छह) महीनों की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (तकनीकी), इरेडा के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के संबंध में है। इससे पहले निदेशक (तकनीकी) के पद का अतिरिक्त प्रभार इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास के पास था।

### ❖ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

वित्त वर्ष 2023-24 **(जिसे आगे वित्त वर्ष 24 कहा जाएगा)** और पिछले वित्त वर्ष 2022-23 **(जिसे आगे वित्त वर्ष 23 कहा जाएगा)** के दौरान बोर्ड की संरचना में हुए परिवर्तन नीचे दिये गये हैं :

| क्र सं | नाम एवं निदेशक पद की प्रकृति | नियुक्ति/ समाप्ति की प्रभावी तिथि | परिवर्तन की प्रकृति (नियुक्ति/समाप्ति) |
|---|---|---|---|
| **वित्त वर्ष 24 में निदेशकों में परिवर्तन** | | | |
| 1. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती निदेशक (वित्त) और 'सीएफओ डीआईएन:- 08816532 | 12.10.2023 | एमएनआरई आदेश संख्या 1/22/2017- इरेडा दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के मार्फ़त निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया। |
| **वित्त वर्ष 23 में निदेशकों में परिवर्तन** | | | |
| 1. | श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएन: 08701559 | 26.10.2022 | एमएनआरई आदेश संख्या 340/ 85/2017-इरेडा दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 के मार्फ़त सरकारी नामित निदेशक के रूप में पद समाप्त कर दिया गया। |
| 2. | श्री दिनेश डी. जगदाले निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएन : 03344721 | 07.02.2023 | एमएनआरई आदेश संख्या 340/ 85/2017- इरेडा दिनांक 07 फरवरी, 2023 के मार्फ़त सरकारी नामित निदेशक के रूप में पद समाप्त कर दिया गया। |
| 3. | श्री पदम लाल नेगी निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएन : 10041387 | 07.02.2023 | एमएनआरई आदेश संख्या 340/ 85/2017- इरेडा दिनांक 07 फरवरी, 2023 के मार्फ़त दिनांक 07 फरवरी, 2023 से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। |
| 4. | श्री अजय यादव निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएन : 10046617 | 14.02.2023 | एमएनआरई आदेश संख्या 340/85/ 2017- इरेडा दिनांक 07 फरवरी, 2023 के मार्फ़त दिनांक 14 फरवरी, 2023 यानी डीआईएन आवंटन तिथि से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। |
| 5. | श्री चिंतन एन. शाह निदेशक (तकनीकी) डीआईएन : 07795952 | 05.03.2023 | 04 मार्च, 2023 (अपराह्न) को इरेडा में अपना कार्यकाल पूरा होने के कारण निदेशक तकनीकी के रूप में पद समाप्त हो गया। |
| 6. | श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक डीआईएन : 10064841 | 09.03.2023 | एमएनआरई आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा दिनांक 06 मार्च, 2023 के मार्फ़त दिनांक 09 मार्च, 2023 यानी डीआईएन आवंटन तिथि से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। |
| 7. | श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक डीआईएन : 10064820 | 09.03.2023 | एमएनआरई आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा दिनांक 06 मार्च, 2023 के मार्फ़त दिनांक 09 मार्च, 2023 यानी डीआईएन आवंटन तिथि से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। |

### ❖ वित्त वर्ष 24 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

निदेशक मंडल की बैठकें उचित अग्रिम सूचना देकर बुलायी जाती हैं। किसी भी तत्काल आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, कभी-कभी वैधानिक प्रावधानों के पालन के अध्यधीन कम समय की सूचना पर भी बोर्ड की बैठकें बुलायी जाती हैं। अत्यावश्यकता के मामले में, संविधि के अनुसार, संचलन के माध्यम से प्रस्ताव भी पारित किये जाते हैं। बैठक में सार्थक, सूचित और केंद्रित चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए बोर्ड के सदस्यों के साथ बोर्ड बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले विस्तृत एजेंडा नोट, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण आम तौर पर परिचारित किये जाते हैं। बोर्ड के लिए कार्यसूची कागजात को एक सुरक्षित वेब-आधारित ऑनलाइन एप्लिकेशन पर प्रासंगिक पेपर्स अपलोड करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिचारित किया जाता है, जिससे मुद्रित कार्यसूची कागजात का प्रचलन समाप्त हो गया है। बदलते परिवेश के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में प्रयास जारी रखती है। उपर्युक्त के अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 व भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

वित्त वर्ष 24 के दौरान, 31 (इकतीस) बोर्ड की बैठकें अर्थात 25.04.2023, 23.05.2023, 09.06.2023, 21.06.2023, 30.06.2023, 27.07.2023, 07.08.2023, 12.08.2023, 26.08.2023, 02.09.2023, 06.09.2023, 07.09.2023, 21.09.2023, 29.09.2023, 16.10.2023, 23.10.2023, 25.10.2023, 07.11.2023, 11.11.2023, 13.11.2023, 20.11.2023, 24.11.2023, 25.11.2023, 05.12.2023, 27.12.2023, 20.01.2024, 15.02.2024, 28.02.2024, 11.03.2024, 20.03.2024 और 28.03.2024 को आयोजित की गयी थीं।

किसी भी दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रम से 1(एक) दिन और 28 (अट्ठाईस) दिन था।

## ❖ बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड और अन्य निदेशक / समिति सदस्य / अध्यक्ष पदों की संख्या।

वित्त वर्ष 24 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों (30 जून, 2023 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक सहित) में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति (शारीरिक रूप से/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) और प्रत्येक निदेशक की अन्य निदेशक पद/समिति सदस्यता/अध्यक्ष पद की संख्या नीचे दी गयी है :

| निदेशक का नाम और पदनाम | वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकें (कार्यकाल के अनुसार) | | 31.03.2024 तक अन्य कंपनियों में अन्य निदेशक पद की संख्या | अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित निदेशक पद, निदेशकों की श्रेणी | 31.03.2024* तक अन्य कंपनियों में धारित समिति पदों की संख्या | | एनबीएफसी में धारित शेयरों और परिवर्तनीय उपकरणों की संख्या (कंपनी सहित) | अंतिम एजीएम (30.06.2023) में उपस्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आयोजित | उपस्थित रहे | | | सदस्य के रूप में | अध्यक्ष के रूप में | | |
| श्री प्रदीप कुमार दास<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 31 | 31 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 15,180 | उपस्थित हुए |
| श्री पदम लाल नेगी निदेशक (सरकारी नामित) | 31 | 29 | 06 | शून्य | 01 | 03 | शून्य | उपस्थित हुए |
| श्री अजय यादव निदेशक (सरकारी नामित) | 31 | 02 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | उपस्थित नहीं हुए |
| श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट<br>स्वतंत्र निदेशक | 31 | 30 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | उपस्थित हुए |
| डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर<br>स्वतंत्र निदेशक | 31 | 31 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | उपस्थित हुए |
| श्री राम निहाल निषाद<br>स्वतंत्र निदेशक | 31 | 30 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | उपस्थित हुए |
| श्रीमती रोहिणी रावत<br>स्वतंत्र निदेशक | 31 | 31 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | उपस्थित हुए |
| डॉ. बिजय कुमार मोहंती<br>निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ<br>(12.10.2023 से प्रभावी) | 17 | 17 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 15,180 | लागू नहीं |

नोट:

- *इसमें लेखा-परीक्षा समिति और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के अलावा बोर्ड समितियों में अध्यक्ष पद /सदस्यता शामिल नहीं है।
- कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है।
- लागू नहीं यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति प्रासंगिक तिथि को कंपनी में निदेशक नहीं थे।
- बोर्ड में कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिसमें वे सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 26 के अधीन निर्धारित अनुसार निदेशक हैं।
- श्री अजय यादव, निदेशक (सरकारी नामित) भारत के राष्ट्रपति के नामित के रूप में कंपनी के 100 इक्विटी शेयर रखते हैं।

## ❖ निदेशक मंडल को उपलब्ध जानकारी:

बोर्ड के पास कंपनी की सभी प्रासंगिक जानकारी तक पूरी पहुँच है। समय-समय पर बोर्ड के समक्ष रखे जाने वाले कार्यसूची मामलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- वार्षिक परिचालन योजनाएँ, बजट और उनमें कोई भी अद्यतन।
- पूंजी बजट और उनमें कोई भी अद्यतन।
- तिमाही वित्तीय परिणाम।
- कंपनी के लिए तिमाही समझौता ज्ञापन उपलब्धियाँ/परिणाम।
- लेखा-परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या निष्कासन सहित बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती की जानकारी।
- कारण बताओ नोटिस, माँग, अभियोजन नोटिस और जुर्माना नोटिस, यदि कोई हो।
- कंपनी के प्रति और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भी भौतिक चूक या कंपनी द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के लिए पर्याप्त भुगतान न करना।

- किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते का विवरण।
- निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की बिक्री जो प्रकृत्या महत्वपूर्ण हैं।
- तिमाही विदेशी मुद्रा प्रकटीकरण और प्रतिकूल विनिमय दर क्रियाकलाप के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाये गये कदम, यदि महत्वपूर्ण हैं।
- कंपनी पर लागू नियामक या वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन/गैर-अनुपालन पर रिपोर्ट।
- बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट जो ऐसे सभी लंबित मामलों पर अद्यतन स्थिति प्रदान करती है।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित जानकारी।
- कॉरपोरेट सुशासन मानदंडों के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट।
- सूचना और/या अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली कोई अन्य जानकारी।

### ❖ निदेशकों के बीच आपसी संबंध

कंपनी के निदेशकों के बीच कोई आपसी संबंध नहीं है।

### ❖ गैर- कार्यकारी निदेशकों द्वारा धारित शेयर और परिवर्तनीय उपकरण

31 मार्च, 2024 को, श्री अजय यादव, सरकारी नामित निदेशक को छोडकर, गैर-कार्यकारी निदेशकों में से किसी के भी पास कंपनी में कोई शेयर या परिवर्तनीय उपकरण नहीं हैं, भारत के राष्ट्रपति के नामित व्यक्ति के रूप में जिनके पास कंपनी के 100 इक्विटी शेयर हैं।

### ❖ बोर्ड के सदस्यों के लिए परिचय/प्रशिक्षण कार्यक्रम

निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर विनियमों आदि में परिभाषित निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से परिचित कराने के लिए आंतरिक और बाह्य रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। कंपनी की प्रक्रियाओं और अभ्यास से परिचित कराने के लिए बोर्ड के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज, रिपोर्ट और आंतरिक नीतियां प्रदान की जाती हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को दिये जाने वाले परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाते हैं और इसे https://www.ireda.in/images/HTML files/10-%20policy-1-familiarisation-programme-of-independent-director(1).pdf पर देखा जा सकता है।

### ❖ स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित जानकारी

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपेक्षित घोषणापत्र प्रस्तुत किये हैं, कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रशासनिक मंत्रालय यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं और तदनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त/नामित किये जाने वाले व्यक्ति की ईमानदारी, विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करते हैं। प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं स्वतंत्र निदेशक। इसके अलावा, वित्त वर्ष 24 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

वित्त वर्ष 24 के दौरान, श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को कंपनी के प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया था और वे 21 सितंबर, 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में निर्धारित भूमिका निभाएंगे।

### ❖ स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक 28 मार्च, 2024 को आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशक शामिल हुए।

### ❖ बोर्ड के पहचाने गए कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं को निर्धारित करने वाला एक चार्ट या मैट्रिक्स और ऐसे कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं वाले निदेशकों के नाम, जो उनके व्यवसाय(यों) और क्षेत्र(त्रों) के संदर्भ में और कुशल कामकाज के लिए आवश्यक हैं।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, प्रकार्यात्मक/आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों/गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के बोर्ड में नियुक्त निदेशकों के पास कंपनी के मामलों का संचालन करने के लिए आवश्यक क्षेत्रों में अपेक्षित कौशल और विशेषज्ञता हो। निदेशकों की संक्षिप्त विवरण जिसमें उनकी योग्यता और अनुभव शामिल हैं, का उल्लेख वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है। कंपनी के प्रभावी कामकाज के लिए बोर्ड की विविधता पर नीति में नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निदेशकों के लिए निम्नलिखित कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं की पहचान की गयी है और प्रशासनिक मंत्रालय को सूचित किया गया है तथा वर्तमान में बोर्ड के पास उपलब्ध है।

- वित्तीय प्रबंधन
- बिजली क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता
- परियोजना मूल्यांकन
- कानूनी सलाहकार
- निगमित योजना और रणनीति
- जोखिम प्रबंधन
- नेतृत्व
- पर्यावरण संबंधी चिंता
- सामाजिक सरोकार
- बोर्ड अभ्यास और सुशासन
- व्यवसाय विकास

| नाम | विशेषज्ञता के क्षेत्र |
|---|---|
| श्री प्रदीप कुमार दास | ▪ वित्तीय प्रबंधन<br>▪ बिजली क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता<br>▪ परियोजना मूल्यांकन<br>▪ कॉरपोरेट योजना और रणनीति<br>▪ जोखिम प्रबंधन<br>▪ सामाजिक सरोकार<br>▪ नेतृत्व<br>▪ पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार<br>▪ बोर्ड अभ्यास और सुशासन<br>▪ व्यवसाय विकास |
| डॉ. बिजय कुमार मोहंती | ▪ वित्तीय प्रबंधन<br>▪ विद्युत् क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता<br>▪ परियोजना मूल्यांकन<br>▪ सामाजिक सरोकार<br>▪ कानूनी सलाहकार<br>▪ निगमित योजना और रणनीति<br>▪ जोखिम प्रबंधन<br>▪ नेतृत्व<br>▪ पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार<br>▪ बोर्ड अभ्यास और सुशासन<br>▪ व्यवसाय विकास |
| श्री पदम लाल नेगी | ▪ वित्तीय प्रबंधन<br>▪ बिजली क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता<br>▪ परियोजना मूल्यांकन<br>▪ नेतृत्व<br>▪ सामाजिक सरोकार |
| श्री अजय यादव | ▪ बिजली क्षेत्र डोमेन विशेषज्ञता<br>▪ पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार |
| श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट | ▪ नेतृत्व<br>▪ पर्यावरण सम्बन्धी चिंता<br>▪ सामाजिक सरोकार<br>▪ बोर्ड अभ्यास और सुशासन |
| डॉ. जगन्नाथ सी.एम. जोड़ीधर | ▪ जोखिम प्रबंधन<br>▪ नेतृत्व<br>▪ पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार<br>▪ सामाजिक सरोकार<br>▪ बोर्ड अभ्यास और सुशासन |
| श्री राम निहाल निषाद | ▪ जोखिम प्रबंधन<br>▪ नेतृत्व<br>▪ पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार<br>▪ बोर्ड अभ्यास और सुशासन<br>▪ सामाजिक सरोकार |
| श्रीमती रोहिणी रावत | ▪ जोखिम प्रबंधन<br>▪ नेतृत्व<br>▪ पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार<br>▪ बोर्ड अभ्यास और सुशासन<br>▪ सामाजिक सरोकार |

### ❖ आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के मिशन और उद्देश्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट यानी https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/CodeOfBusinessConductAndEthics.pdf पर उपलब्ध है।

**निगमित शासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अधीन आवश्यक घोषणा**

इरेडा के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के 'बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता./-
(प्रदीप कुमार दास)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07448576

### ❖ निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्टिंग करने तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता

समय-समय पर संशोधित सेबी (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुपालन में, कंपनी ने अंदरूनी लोगों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्टिंग करने तथा अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए अभ्यास और प्रक्रिया के लिए आचार संहिता तैयार और कार्यान्वित की है। कंपनी सचिव को कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह उक्त संहिता के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है। उक्त संहिता को कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/IREDA_Code%20on%20Insider%20Trading%20Policy.pdf पर पोस्ट किया गया है।

संहिता में कंपनी के शेयरों/प्रतिभूतियों में लेन-देन करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, किये जाने वाले खुलासों और गैर-अनुपालन के परिणामों को निर्धारित किया गया है। उक्त संहिता की आवश्यकता के अनुरूप, ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया जाता है और नामित व्यक्तियों और अन्य संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है ताकि उन्हें और उनके निकटतम रिश्तेदारों को कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन करने से रोका जा सके। इसके अलावा, शेयर बाज़ारों को भी उचित घोषणाएँ की जाती हैं और कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन की जाती हैं।

## 3. निदेशक मंडल की समितियाँ

कंपनी अधिनियम, सेबी एलओडीआर विनियमन, आरबीआई के कॉरपोरेट सुशासन मानदंडों और सीपीएसई के लिए निगमित सुशासन पर डीपीई के दिशा-

निर्देशों के अधीन आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी के मामलों पर शीघ्र विचार-विमर्श और केंद्रित निर्णय लेने की सुविधा के लिए, बोर्ड ने अलग-अलग भूमिका, जवाबदेही और अधिकार के साथ बोर्ड स्तर की समितियों का गठन किया है। 31 मार्च, 2024 तक ऐसी समितियों का विवरण नीचे दिया गया है:

3.1 निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति;

3.2 निदेशकों की ऋण समिति;

3.3 निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति;

3.4 निदेशकों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति;

3.5 निदेशकों की हितधारक संबंध समिति;

3.6 आईटी रणनीति समिति

3.7 जोखिम प्रबंधन समिति

3.8 एनपीए और तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति

3.9 गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति

जानकारी के लिए समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

## 3.1 निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियमों और कॉरपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार विधिवत गठित लेखा-परीक्षा समिति है। 31 मार्च, 2024 तक, लेखा-परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| क्र. सं. | नाम और पदनाम | अध्यक्ष/सदस्य |
|---|---|---|
| 1. | श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट<br>स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष |
| 2. | श्री पदम लाल नेगी<br>निदेशक (सरकारी नामित) | सदस्य |
| 3. | श्री राम निहाल निषाद<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |
| 4. | श्रीमती रोहिणी रावत<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |

निदेशक (वित्त)/सीएफओ, निदेशक (तकनीकी), जीएम (एफ एंड ए) बैठक में विशेष आमंत्रित व्यक्ति हैं। कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक, आंतरिक लेखा-परीक्षक और लागत लेखा-परीक्षकों को भी क्रम से वित्तीय विवरण/वित्तीय परिणाम, आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करते समय लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

❖ **लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ शर्तें :**

वित्त वर्ष 24 के दौरान, समिति के टीओआर को बोर्ड द्वारा 27.07.2023 को आयोजित अपनी 387वीं बैठक में संशोधित किया गया था।

समिति के टीओआर इस प्रकार हैं:-

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ("सीएजी") द्वारा कंपनी के लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और नियुक्ति की शर्तों पर ध्यान देना।

3. सीएजी के आदेश/निर्देशों के आधार पर लेखा-परीक्षा शुल्क के निर्धारण पर बोर्ड को सिफारिश करना।

4. सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रदान की गयी किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति।

5. विशेष सन्दर्भ में अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन, वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना :

   (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा 3 के खंड (ग) के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किये जाने वाले मामले;

   (ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;

   (ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;

   (घ) लेखा-परीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किये गये महत्वपूर्ण समायोजन;

   (ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

   (च) किसी भी संबंधित पक्ष लेन-देन का प्रकटीकरण; और

   (छ) मसौदा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित राय।

6. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

7. सांविधिक और आंतरिक लेखा-परीक्षकों के कार्य-प्रदर्शन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

8. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रकार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारी व्यवस्था और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना समावेशन और आंतरिक लेखा-परीक्षा की आवृत्ति सम्मिलित है ।

9. आंतरिक लेखा-परीक्षकों और/या लेखा-परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

10. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा-परीक्षकों/लेखा-परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता है और बोर्ड को मामले की रिपोर्ट देना।

11. लेखा-परीक्षा शुरू होने से पहले वैधानिक लेखा-परीक्षकों के साथ लेखा-परीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा करना तथा लेखा-परीक्षा के पश्चात चर्चा करके चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाना।

12. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न किये जाने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना।

13. पर्दाफाश करने वाले तंत्र के कार्य की समीक्षा और निगरानी करना।

14. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी देना; बशर्ते कि निदेशक (वित्त) को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वह मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

15. सीएजी लेखा-परीक्षा की लेखा-परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

16. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

17. स्वतंत्र लेखा-परीक्षक, आंतरिक लेखा-परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला मार्ग प्रदान करना।

18. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन की स्वीकृति या बाद में कोई आशोधन।

19. कंपनी द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन प्रस्तावित संबंधित पार्टी लेन-देन के लिए सर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान करना।

20. अनावश्यक प्रयासों की कवरेज कटौती की पूर्णता और सभी लेखा-परीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लेखा-परीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के साथ समीक्षा करना।

21. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:

    - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
    - संबंधित निष्कर्षों और सिफारिशें व स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक, प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ।

22. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:

    - वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिसमें पिछली लेखा-परीक्षा सिफारिशों की स्थिति शामिल है; और
    - लेखा-परीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई जिसमें गतिविधियों के क्षेत्र या अपेक्षित जानकारी तक पहुँच पर कोई प्रतिबंध शामिल है।

23. लेखा-परीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी :

    I. वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण।

    II. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन (लेखा-परीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित) का विवरण।

    III. सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किये गये प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियाँ पत्र।

    IV. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट।

    V. मुख्य आंतरिक लेखा-परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तों को लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा।

    VI. बोर्ड द्वारा नामित किये जाने वाले मुख्य कार्यपालक/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।

    VII. विचलन का विवरण:

        (i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") के विनियम 32(1) के अनुसार शेयर बाज़ार(रों) को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन(नों) का त्रैमासिक विवरण (यदि लागू हो); और

        (ii) सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 32(7) के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेज़/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में बताये गये उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किये गये धन का वार्षिक विवरण।

24. लेखा-परीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन तथा लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।

25. अंतर-कॉरपोरेट ऋण और निवेश की जांच करना।

26. जहां भी यह आवश्यक हो, कंपनी के वचनबंध या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।

27. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।

28. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से उगाही गयी निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/नोटिस में बताये गये उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गयी निधियों का विवरण और सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित अनुशंसा करना।

29. 1 अप्रैल, 2019 को वर्तमान ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल करते हुए होल्डिंग कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में ₹100 करोड़ से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, से अधिक ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग की समीक्षा करना।

30. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, विलगाव, समामेलन आदि

को शामिल करते हुए योजना के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभावों पर विचार करना और टिप्पणी करना।

31. डीपीई दिशा-निर्देशों, कंपनी अधिनियम और सूचीकरण विनियमों के अधीन यथा निर्धारित, समय-समय पर कंपनी पर यथा प्रयोज्य और अन्य कोई कार्य एवं कंपनी और कंपनी के अन्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा उचित समझे गये या निर्धारित किसी अन्य कार्य को पूरा करना।

32. लेखा-परीक्षा समिति की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) इनके संदर्भ शर्तों के अंदर विनिर्दिष्ट किसी भी गतिविधि के मामलों की जांच करना;

(ख) कंपनी के किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगना;

(ग) बाहरी स्रोतों से कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना, यदि आवश्यक हो तो;

(घ) प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि आवश्यक हो तो;

(ङ) पर्दाफाश करने वालों की सुरक्षा करना; और

(च) कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूरी पहुँच रखना।

उपर्युक्त संदर्भ शर्तों के प्रयोजन के लिए :

(क) समिति निदेशक (वित्त) या वित्त कार्य के प्रमुख और सांविधिक लेखा-परीक्षक के प्रतिनिधि और कंपनी के किसी अन्य ऐसे अधिकारियों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है। बशर्ते कि कभी-कभी लेखा-परीक्षा समिति कंपनी के किसी भी अधिकारी की उपस्थिति के बिना बैठक कर सकती है।

(ख) समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरणों की समीक्षा और लेखा-परीक्षकों के मंतव्यों सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखा-परीक्षा के क्षेत्र के बारे में लेखा-परीक्षकों की टिप्पणियों के लिए समिति बुला सकती है तथा कंपनी के आंतरिक व सांविधिक लेखा-परीक्षकों और प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दे पर चर्चा भी कर सकती है।

(ग) कंपनी के लेखा-परीक्षकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में सुनने का अधिकार होगा जब वह लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करेगी, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट में लेखा-परीक्षा समिति की संरचना का प्रकटीकरण किया जाएगा और जहां बोर्ड ने लेखा-परीक्षा समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, तो उसे उक्त रिपोर्ट में इसके कारणों का खुलासा करना होगा।

जब तक अन्यथा परिभाषित न किया जाए, उपर्युक्त लेखा-परीक्षक की परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, इसमें सांविधिक लेखा-परीक्षक, लागत लेखा-परीक्षक और आंतरिक लेखा-परीक्षक शामिल होंगे।

❖ **लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या**

सांविधिक आवश्यकता के अनुसार, लेखा-परीक्षा समिति को एक वर्ष में कम से कम चार बार मिलना आवश्यक है और उस वर्ष में दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। वित्त वर्ष 24 के दौरान, लेखा-परीक्षा समिति की 14 (चौदह) बैठकें अर्थात 25.04.2023, 09.06.2023, 21.06.2023, 12.08.2023, 26.08.2023, 02.09.2023, 29.09.2023, 16.10.2023, 23.10.2023, 25.10.2023, 01.11.2023, 20.01.2024, 14.02.2024 और 20.03.2024 को आयोजित की गयीं। व्याख्यात्मक विवरण सहित विस्तृत एजेंडा पहले ही समिति के सदस्यों को भेज दिये गये थे।

वित्त वर्ष 24 के दौरान आयोजित लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | सदस्य का नाम | समिति के सदस्य | वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आयोजित | उपस्थित रहे |
| 1. | श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट | अध्यक्ष | 14 | 14 |
| 2. | श्री पदम लाल नेगी | सदस्य | 14 | 12 |
| 3. | श्री राम निहाल निषाद | सदस्य | 14 | 14 |
| 4. | श्रीमती रोहिणी रावत | सदस्य | 14 | 14 |

जानकारी के लिए लेखा-परीक्षा समिति के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

### 3.2. निदेशकों की ऋण समिति

कंपनी संस्था के अंतर्नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल के पास प्रतिनिधिमंडल संरचना और कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विधिवत गठित निदेशकों की ऋण समिति (एलसीओडी) है। 31 मार्च, 2024 तक, निदेशकों की ऋण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| क्र. सं. | नाम और पदनाम | अध्यक्ष/सदस्य |
|---|---|---|
| 1. | श्री प्रदीप कुमार दास<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती<br>निदेशक (वित्त) व सीएफओ | सदस्य |
| 3. | श्री पदम लाल नेगी<br>निदेशक (सरकारी नामित) | सदस्य |
| 4. | श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |

❖ **निदेशकों की ऋण समिति की संदर्भ शर्तें :**

1) प्रतिनिधि मंडल के अनुसार परियोजनाओं के लिए ऋण की मंजूरी पर विचार करना।

(वर्तमान में ₹20 करोड़ से अधिक और ₹125 करोड़ तक व्यक्तिगत ऋण/परियोजना के लिए, जिसमें ऋण की अतिरिक्त/वृद्धि शामिल है)।

2) प्रतिनिधि मंडल के अनुसार ऋण लेने वाली परियोजनाओं के लिए पुनर्निर्धारण प्रस्तावों और उससे संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करना। (वर्तमान में ₹20 करोड़ से अधिक और ₹125 करोड़ तक व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए)।

3) प्रतिनिधिमंडल के अनुसार ऋण लेने वाली परियोजनाओं के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रस्तावों और उससे संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करना (वर्तमान में ₹20 करोड़ से अधिक और ₹125 करोड़ तक व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए)।

4) एलसीओडी के दायरे में आने वाली परियोजनाओं के संबंध में वित्त के साधनों, साइट, गारंटी, वैधता और ऋण के अन्य नियम और शर्तों में बदलाव पर विचार करना।

❖ **निदेशकों की ऋण समिति की बैठकों की संख्या**

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, निदेशकों की ऋण समिति की 5 (पांच) बैठकें अर्थात् 12.08.2023, 28.02.2024, 11.03.2024, 20.03.2024 और 28.03.2024 को आयोजित की गयीं। व्याख्यात्मक नोट के साथ विस्तृत कार्यसूची पहले ही समिति को परिचालित कर दिये गये थे। वित्त वर्ष 24 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

| क्र. सं. | सदस्य का नाम | समिति के सदस्य | वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आयोजित | उपस्थित रहे |
| 1. | श्री प्रदीप कुमार दास | अध्यक्ष | 5 | 5 |
| 2. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती | सदस्य (12.10.2023 से प्रभावी) | 4 | 4 |
| 3. | श्री पदम लाल नेगी | सदस्य | 5 | 5 |
| 4. | श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट | सदस्य | 5 | 5 |

सूचना हेतु एलसीओडी के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे।

### 3.3 निदेशकों की नामांकन व पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियमों और कॉरपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार विधिवत गठित नामांकन व पारिश्रमिक समिति है। 31 मार्च, 2024 को, नामांकन व पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| क्र. सं. | नाम और पदनाम | अध्यक्ष/सदस्य |
|---|---|---|
| 1. | डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर<br>स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष |
| 2. | श्री राम निहाल निषाद<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |
| 3. | श्रीमती रोहिणी रावत<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |

❖ **नामांकन व पारिश्रमिक समिति की संदर्भ शर्तें (टीओआर):**

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, दिनांक 27.07.2023 और 20.03.2024 को आयोजित बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में समिति के टीओआर को संशोधित किया गया था। समिति के टीओआर निम्नानुसार हैं:

1) भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति और हटाने (उनके पारिश्रमिक और नियुक्ति की अन्य शर्तों सहित) को रिकॉर्ड में लेना;

2) भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल में विस्तार, यदि कोई हो, को रिकॉर्ड में लेना;

3) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश निदेशक मंडल को करना;

4) निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;

5) ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, तथा निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करना;

6) वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, चाहे किसी भी रूप में हो, की सिफारिश बोर्ड को करना;

7) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के पास नये निदेशकों को प्रभावी रूप से शामिल करने के लिए कार्यक्रम मौजूद हैं;

8) आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशकों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति/मानदंड सुनिश्चित करना;

9) सेबी सूचीकरण विनियमन, डीपीई दिशा-निर्देश, आरबीआई दिशा-निर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित किसी भी अन्य कार्य को समय-समय पर संशोधानानुसार पूरा करना;

10) निदेशकों, निदेशक मंडल/समितियों के कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना

इसके अलावा, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को निदेशकों की योग्यता,

सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता तथा निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति निर्धारण हेतु मानदंड तैयार करने से संबंधित आवश्यकताओं से छूट दी है।

❖ **नामांकन व पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की बैठकों की संख्या :**

वित्त वर्ष 24 के दौरान एनआरसी की 9 (नौ) बैठकें अर्थात 25.04.2023, 23.05.2023, 30.06.2023, 16.10.2023, 05.12.2023, 19.01.2024, 15.02.2024, 28.02.2024 और 20.03.2024 को आयोजित की गयीं। स्पष्टीकरणात्मक वक्तव्य के साथ विस्तृत कार्य-सूची पहले ही समिति के सदस्यों को परिचारित कर दिया गया था।

वित्त वर्ष 24 के दौरान आयोजित एनआरसी की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | सदस्य का नाम | समिति के सदस्य | वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आयोजित | उपस्थित रहे |
| 1. | डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर | अध्यक्ष | 9 | 9 |
| 2. | श्री राम निहाल निषाद | सदस्य | 9 | 9 |
| 3. | श्रीमती रोहिणी रावत | सदस्य | 9 | 9 |

निदेशक (वित्त) व जीएम (एफएंडए)/सीएफओ बैठक में विशेष आमंत्रित व्यक्ति हैं। जानकारी के लिए एनआरसी के कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया।

❖ **निदेशकों हेतु कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड**

कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों को बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) और अनुसूची IV के प्रावधानों का अनुपालन करने में छूट दी है। आपकी कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों, सरकारी नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का अनुपालन करने के लिए, नामांकन व पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड और स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन किये गये थे। उक्त मानदंड में उपस्थिति, व्यवसाय से परिचय, बोर्ड के सदस्यों के बीच आपसी संवाद, प्रभावी भागीदारी, आचार संहिता का अनुपालन, प्रशिक्षण आदि जैसे कुछ पैरामीटर दिये गये हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी अलग बैठक में गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य-प्रदर्शन का भी मूल्यांकन किया है।

### 3.4 निदेशकों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

31 मार्च, 2024 तक, निदेशकों की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| क्र. सं. | नाम और पदनाम | अध्यक्ष/सदस्य |
|---|---|---|
| 1. | श्री प्रदीप कुमार दास<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती<br>निदेशक (वित्त) व सीएफओ | सदस्य |
| 3. | श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |
| 4. | डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |

❖ **निदेशकों की सीएसआर समिति के संदर्भ शर्तें:**

1. कंपनी के सीएसआर और संधारणीयता कार्य-सूची को वांछित दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए निदेशक मंडल की सहायता करना;
2. परियोजनाओं के चयन, योजना, निष्पादन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करना; जानकारी के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाना।
3. नीतिगत ढांचे और दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं का चयन;
4. लक्ष्यों के साथ प्रत्येक परियोजना हेतु वार्षिक बजटीय आवश्यकता प्रस्तुत करना;
5. परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के लिए रणनीतियों का निर्माण।

❖ **सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या**

वित्त वर्ष 24 के दौरान, सीएसआर समिति की 10 (दस) बैठकें अर्थात 21.06.2023, 26.08.2023, 21.09.2023, 05.12.2023, 29.01.2024, 15.02.2024, 28.02.2024, 11.03.2024, 20.03.2024 और 28.03.2024 को आयोजित की गयीं थीं। व्याख्यात्मक वक्तव्य सहित विस्तृत कार्य-सूची पहले ही समिति के सदस्यों को परिचारित किया जा चुका था।

वित्त वर्ष 24 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | सदस्य का नाम | समिति के सदस्य | वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आयोजित | उपस्थित रहे |
| 1. | श्री प्रदीप कुमार दास | अध्यक्ष | 10 | 10 |
| 2. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती | सदस्य (12.10.2023 से प्रभावी) | 7 | 7 |
| 3. | श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट | सदस्य | 9 | 9 |
| 4. | डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर | सदस्य | 9 | 9 |

निदेशकों की सीएसआर समिति के कार्यवृत्त को बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखा गया।

## 3.5 निदेशकों की हितधारक संबंध समिति

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 20 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार विधिवत गठित हितधारक संबंध समिति है। 31 मार्च, 2024 को, निदेशकों की हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| क्र. सं. | नाम और पदनाम | अध्यक्ष/सदस्य |
|---|---|---|
| 1. | डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष |
| 2 | श्री राम निहाल निषाद स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |
| 3. | श्रीमती रोहिणी रावत स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |
| 4. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती निदेशक (वित्त) व सीएफओ | सदस्य |

### ❖ निदेशकों की हितधारक संबंध समिति के संदर्भ शर्तें:

1) शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण के लिए अपनाये गये तंत्र की समीक्षा करना।

2) सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना, घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नये/अनुलिपि प्रमाण-पत्र जारी करना, आम बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

3) शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किये गये उपायों की समीक्षा।

4) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाये गये सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

5) कंपनी के शेयरधारकों द्वारा दावा न किए गये लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/वैधानिक सूचना की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किये गये विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

6) निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार और/या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के अधीन कॉरपोरेट सुशासन से संबंधित, समय-समय पर संशोधित, साथ ही किसी भी अन्य लागू वैधानिक नियमों और विनियमों के अधीन ऐसे अन्य मामलों की समीक्षा करना और उन्हें कार्यान्वित करना।

### ❖ हितधारक संबंध समिति की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 24 के दौरान, हितधारक संबंध समिति की 4 (चार) बैठकें अर्थात 25.04.2023, 16.10.2023, 20.11.2023 और 03.01.2024 को आयोजित की गयीं। वित्त वर्ष 24 के दौरान आयोजित हितधारक संबंध समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | सदस्य का नाम | समिति के सदस्य | वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आयोजित | उपस्थित रहे |
| 1. | डॉ. जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर | अध्यक्ष | 4 | 4 |
| 2. | श्री राम निहाल निषाद | सदस्य | 4 | 4 |
| 3. | श्रीमती रोहिणी रावत | सदस्य | 4 | 4 |
| 4. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती | सदस्य (12.10.2023 से प्रभावी) | 3 | 3 |

निदेशकों की हितधारक संबंध समिति का कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखा गया।

कंपनी सचिव श्रीमती एकता मदान समिति की सचिव के रूप में कार्य करती हैं। वे सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुसार कंपनी की अनुपालन अधिकारी भी हैं।

### ❖ निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

कंपनी निवेशकों की सभी शिकायतों का निपटारा कानून के तहत निर्धारित समय के भीतर तेजी से और तत्परता से कर रही है। कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के साथ समन्वय में निवेशकों की शिकायतों का तुरंत निवारण किया गया है। कंपनी के इक्विटी शेयर 29 नवंबर, 2023 को बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए। वित्त वर्ष 24 के लिए

इक्विटी धारकों और डिबेंचर धारकों आदि से प्राप्त शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है:

| विवरण | डिबेंचरधारक | शेयरधारक |
|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित (1 अप्रैल, 2023) | शून्य | शून्य |
| वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त | 28 | 2246 |
| वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए गए | 28 | 2242 |
| *31 मार्च, 2024 तक अनसुलझे रह गए | शून्य | 04 |

*उक्त शिकायतों का समाधान 08.04.2024 तक कर दिया गया है।

## 3.6 आईटी रणनीति समिति

कंपनी के पास 8 जून, 2017 को एनबीएफसी क्षेत्र के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश-सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे की आवश्यकता के अनुसार विधिवत गठित आईटी रणनीति समिति है। 31 मार्च, 2024 तक, आईटी रणनीति समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| क्र. सं. | नाम एवं पदनाम | अध्यक्ष/सदस्य |
|---|---|---|
| 1. | श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट<br>स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती<br>निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ | सदस्य |
| 3. | डॉ. आर.सी. शर्मा<br>जीएम (एफ एंड ए) | सदस्य |
| 4. | श्री एस.के. शर्मा<br>जीएम (एफ एंड ए) | सदस्य |
| 5. | श्रीमती माला घोष चौधुरी<br>जीएम (एचआर) | सदस्य |
| 6. | श्री भरत सिंह राजपूत<br>जीएम (टीएस) | सदस्य |
| 7. | श्री एस.के. डे<br>जीएम (टीएस)<br>एवं मुख्य सूचना अधिकारी | सदस्य |
| 8. | श्री पल्लव कपूर<br>सीआरओ | सदस्य |
| 9. | श्री एन बालाजी<br>मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी | सदस्य एवं स्थायी आमंत्रित व्यक्ति |
| 10. | श्री संजय कुमार<br>मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी<br>(सीआईएसओ) | सदस्य<br>संयोजक |

नोट: वरिष्ठ आईटी सलाहकार और इरेडा के भीतर और बाहर कोई भी अन्य व्यक्ति विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में बैठक में उपस्थित रहेगा।

### ❖ आईटी रणनीति समिति के संदर्भ की शर्तें:

1. आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना और यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है;
2. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू किया है जो यह सुनिश्चित करती हैं कि व्यवसाय को मूल्य आईटी प्रदान करता है;
3. यह सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और बजट स्वीकार्य हैं;
4. रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय दिशा प्रदान करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि की निगरानी करना
5. एनबीएफसी की वृद्धि को बनाए रखने और आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति जोखिम के बारे में जागरूक होने के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना।

### ❖ आईटी रणनीति समिति की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आईटी रणनीति समिति की 4 (चार) बैठकें अर्थात 10.06.2023, 01.12.2023, 29.12.2023 और 30.03.2024 को आयोजित की गईं। वित्त वर्ष 2024 के दौरान आयोजित आईटी रणनीति समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | सदस्य का नाम एवं पदनाम | समिति के सदस्य | वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आयोजित | उपस्थित रहे |
| 1. | श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट, स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष | 4 | 4 |
| 2. | श्रीमती देबजानी भाटिया जीएम(टीएस) (25.04.2023 से 06.11.2023 तक) | सदस्य | 1 | 1 |
| 3. | श्रीमती माला घोष चौधुरी जीएम-एचआर (25.04.2023 से) | सदस्य | 4 | 4 |
| 4. | श्री पल्लव कपूर डीजीएम (आरएमडी)और सीआरओ | सदस्य | 4 | 3 |
| 5. | श्री भरत सिंह राजपूत, जीएम(टीएस) (25.04.2023 से) | सदस्य | 4 | 4 |
| 6. | डॉ. आर.सी. शर्मा जीएम (एफ एंड ए) | सदस्य | 4 | 3 |
| 7. | श्रीमती कंचन भल्ला डीजीएम (टीएस/आईटी) (25.02.2024 तक) | सदस्य | 3 | 3 |
| 8. | श्री संजय कुमार डीजीएम (आईटी)और सीआईएसओ | सदस्य | 4 | 4 |
| 9. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती, डी(एफ)/सीएफओ (07.11.2023 से प्रभावी) | सदस्य | 3 | 3 |
| 10. | श्री एस.के.डे जीएम (टीएस) (07.11.2023 से प्रभावी) | सदस्य | 3 | 3 |

| क्र. सं. | सदस्य का नाम एवं पदनाम | समिति के सदस्य | वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आयोजित | उपस्थित रहे |
| 11. | श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, जीएम (एफ एंड ए) (07.11.2023 से प्रभावी) | सदस्य | 3 | 3 |
| 12. | श्री एन बालाजी डीजीएम (आईटी)/सीटीओ (26.02.2024 से प्रभावी) | सदस्य | 1 | 1 |

जानकारी के लिए आईटी रणनीति समिति का कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष रखा गया।

### 3.7 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी के पास भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 21 की आवश्यकता के अनुसार विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति है। 31 मार्च, 2024 तक निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| क्र. सं. | नाम एवं पदनाम | अध्यक्ष/सदस्य |
|---|---|---|
| 1. | श्री राम निहाल निषाद<br>स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती रोहिणी रावत<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |
| 3. | श्री जगनाथ सी.एम. जोड़ीधर<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |
| 4. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती<br>निदेशक (वित्त) व सीएफओ | सदस्य |

❖ **निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति के संदर्भ शर्तें (टीओआर):**

वित्त वर्ष 24 के दौरान, दिनांक 27.07.2023 को बोर्ड द्वारा आयोजित अपनी बैठक में समिति के टीओआर को संशोधित किया गया था। समिति के टीओआर निम्नानुसार हैं:-

क) एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- कंपनी द्वारा विशेष रूप से सम्मुखित आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए रूपरेखा, विशेष रूप से वित्तीय, प्रचालन, क्षेत्रीय, संधारणीयता (विशेष रूप से, पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन (ईएसजी) से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य जोखिम;
- पहचाने गये जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय; और
- व्यवसाय निरंतरता योजना।

ख) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त कार्य-प्रणाली, प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ मौजूद हैं।

ग) जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन का प्रबोधन और देखरेख करना, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना शामिल है।

घ) जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा करना, दो साल में कम से कम एक बार, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है।

ङ) बोर्ड को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और विषय-वस्तु के बारे में सूचित रखना।

च) मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

छ) कंपनी द्वारा सम्मुखित जोखिमों को पता लगाने के लिए उद्यम-व्यापी एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए नीतियों और रणनीतियों का अनुमोदन।

ज) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी जिसे परिसंपपति देनदारी प्रबंधन समिति - एएलसीओ के रूप में भी जाना जाता है), प्रचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी) के कार्यों की देखरेख करना।

झ) ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और प्रचालनगत जोखिम के मापन, प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए नीतियां और दिशा-निर्देश निर्धारित करना।

ञ) सभी तीनों जोखिमों के संबंध में जोखिम शमन और हानि रोध प्राचल निर्धारित करना।

ट) जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के लिए प्रबंधन प्रक्रियाओं (लोगों, प्रणालियों, प्रचालन, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) को सुनिश्चित करना।

ठ) कंपनी द्वारा सम्मुखित विभिन्न जोखिमों का आकलन करने के लिए वित्तीय/श्रेणी निर्धारण प्रतिमान और उनकी मूल्यांकन प्रणालियों की मजबूती और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।

ड) नियामक आवश्यकताओं से कहीं अधिक पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा और अनुमोदन करना।

ढ) आंतरिक/बाह्य श्रेणी निर्धारण उधारकर्ता श्रेणी/समूहों आदि के आधार पर साख निर्धारण प्रक्रिया की स्वीकृति/समीक्षा, विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए जोखिम सीमा का निर्धारण आदि।

ण) कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग में योग्य और सक्षम अधिकारियों और जोखिम प्रबंधकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

त) जोखिम प्रबंधन हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकी/उपयुक्त और पर्याप्त एमआईएस प्रणाली को अपनाने का निर्णय/अनुमोदन।

थ) पूरे संगठन में जोखिम प्रबंधन की संस्कृति और जागरूकता को पुनर्प्रवर्तित

करना, जिससे प्रभावी जोखिम प्रबंधन और सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण के पालन को उच्च प्राथमिकता दी जा सकेगी।

द) नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को संतुष्ट करने के लिए आंतरिक लेखा-परीक्षा का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करना।

ध) बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहनशीलता सीमाओं के संबंध में इरेडा के प्रदर्शन की निगरानी करना।

### ❖ जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 24 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की 4 (चार) बैठकें अर्थात 30.06.2023, 27.09.2023, 28.12.2023 और 28.03.2024 को आयोजित की गयीं। वित्त वर्ष 24 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | सदस्य का नाम | समिति के सदस्य | वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आयोजित | उपस्थित रहे |
| 1. | श्री राम निहाल निषाद | अध्यक्ष | 4 | 4 |
| 2. | श्री जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर | सदस्य | 4 | 4 |
| 3. | श्रीमती रोहिणी रावत | सदस्य | 4 | 4 |
| 4. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती | सदस्य | 2 | 1 |

जानकारी के लिए निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति का कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष रखा गया। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) जोखिम प्रबंधन समिति के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं।

## 3.8 एनपीए और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति

कंपनी के पास कंपनी की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों और एनपीए की स्थिति की समीक्षा करने के लिए विधिवत गठित एनपीए और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति है। 31 मार्च, 2024 तक निदेशकों की एनपीए और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| क्र. सं. | नाम एवं पदनाम | अध्यक्ष/सदस्य |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती रोहिणी रावत<br>स्वतंत्र निदेशक | अध्यक्ष |
| 2. | श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |
| 3. | श्री राम निहाल निषाद<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |
| 4. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती<br>निदेशक (वित्त) व सीएफओ | सदस्य |

### ❖ एनपीए और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति के संदर्भ शर्तें

एनपीए और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति का मुख्य कार्य/जिम्मेदारी दबावग्रस्त परिसंपत्तियों और एनपीए की स्थिति की समीक्षा करना है, साथ ही कार्रवाई रिपोर्ट भी देना है।

### ❖ एनपीए और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 24 के दौरान, एनपीए और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति की 4 (चार) बैठकें 30.06.2023, 27.09.2023, 29.12.2023 और 28.03.2024 को आयोजित की गयीं। वित्त वर्ष 24 के दौरान आयोजित एनपीए और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | सदस्य का नाम | समिति के सदस्य | वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आयोजित | उपस्थित रहे |
| 1. | श्रीमती रोहिणी रावत | अध्यक्ष | 4 | 4 |
| 2. | श्री राम निहाल निषाद | सदस्य | 4 | 4 |
| 3. | श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट | सदस्य | 4 | 4 |
| 4. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती | सदस्य<br>(12.10.2023 से प्रभावी) | 2 | 2 |

जानकारी के लिए निदेशकों की एनपीए और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति का कार्य-वृत्त बोर्ड के समक्ष रखा गया।

## 3.9 गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के लिए समीक्षा समिति

आरबीआई परिपत्र के अनुसार कंपनी के पास गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के लिए एक समीक्षा समिति है। 31 मार्च, 2024 तक, निदेशकों की गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के लिए समीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| क्र. सं. | नाम एवं पदनाम | अध्यक्ष/सदस्य |
|---|---|---|
| 1. | श्री प्रदीप कुमार दास<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |
| 3. | श्री राम निहाल निषाद<br>स्वतंत्र निदेशक | सदस्य |

### ❖ गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के लिए समीक्षा समिति के संदर्भ शर्तें

गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के लिए समीक्षा समिति का मुख्य कार्य/जिम्मेदारी है जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला या गैर-सहकारी उधारकर्ता के रूप में उधारकर्ता की समीक्षा करना और घोषित करना।

### ❖ गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के लिए समीक्षा समिति की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के लिए समीक्षा समिति की 1 (एक) बैठक दिनांक 30.06.2023 को आयोजित की गयी थी। वित्त वर्ष 24 के दौरान गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के लिए समीक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | सदस्य का नाम | समिति के सदस्य | वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आयोजित | उपस्थित रहे |
| 1. | श्री प्रदीप कुमार दास | अध्यक्ष | 1 | 1 |
| 2. | श्री जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर | सदस्य | 1 | 1 |
| 3. | श्री राम निहाल निषाद | सदस्य | 1 | 1 |

गैर-सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों हेतु समीक्षा समिति के कार्यवृत्त को बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखा गया।

## 4. वरिष्ठ प्रबंधन

31 मार्च, 2024 तक कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण निम्नलिखित अनुसार है :

- डॉ. रमेश चंद्र शर्मा, जीएम (एफ एंड ए)
- श्रीमती माला घोष चौधुरी, जीएम (एचआर)
- श्री भरत सिंह राजपूत, जीएम (टीएस)
- श्री सुशांत कुमार डे, जीएम (टीएस) और सीआईओ
- श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, जीएम (एफ एंड ए)
- श्री धीरज मेहता, जीएम (एफ एंड ए)
- श्री ए चंद्रशेखर, अपर जीएम (आंतरिक लेखापरीक्षा)
- श्री संजय कुमार, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
- श्री एन. बालाजी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी
- श्री पीयूष कुमार, मुख्य अनुपालन अधिकारी
- श्री पल्लव कपूर, मुख्य जोखिम अधिकारी
- श्रीमती एकता मदान, कंपनी सचिव

वित्त वर्ष 24 के दौरान, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक में निम्नलिखित परिवर्तन हुए थे।

| नाम | मंतव्य |
|---|---|
| डॉ. पी. श्रीनिवासन, जीएम (एचआर) | सेवानिवृत्त |
| श्री सोम पाल, जीएम (आईए) और सीसीओ | सेवानिवृत्त |
| श्री राकेश कुमार विमल, एजीएम (आईए) | सेवानिवृत्त |
| श्रीमती देबजानी भाटिया, जीएम (टीएस) | समय से पहले विकल्प द्वारा सेवानिवृत्ति |
| श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, जीएम (एफ एंड ए) | नियुक्ति |
| श्री धीरज मेहता, जीएम (एफ एंड ए) | नियुक्ति |
| श्रीमती कंचन भल्ला, अपर जीएम | सीटीओ नहीं रहीं |
| श्रीमती पुन्नू ग्रोवर, अपर जीएम | सीसीओ नहीं रहीं |
| श्री एन. बालाजी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी | सीटीओ के रूप में नामित |
| श्री पीयूष कुमार | सीसीओ के रूप में नामांकित |
| श्री ए चंद्रशेखर | अपर महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) के रूप में नामांकित |
| श्री एस.के. डे | महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त |

## 5. निदेशकों का पारिश्रमिक

सरकारी कंपनी होने के नाते, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित प्रकार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से तय किया जाता है।

सरकारी नामित निदेशकों को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है। डीपीई दिशा-निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर स्वतंत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है।

वर्तमान में, बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को ₹40,000 और प्रत्येक समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ₹30,000 का बैठक शुल्क दिया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक विवरण और बोर्ड एवं इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गयी बैठक शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है :-

**तालिका क : वित्त वर्ष 24 के दौरान आयोजित बैठकों के लिए स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गयी बैठक शुल्क का विवरण**

| स्वतंत्र निदेशक का नाम | राशि(₹) |
|---|---|
| श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट | 23,40,000/- |
| डॉ. जगन्नाथ सी.एम. जोड़ीधर | 21,10,000/- |
| श्री राम निहाल निषाद | 23,40,000/- |
| श्रीमती रोहिणी रावत | 23,50,000/- |
| **कुल** | **91,40,000/-** |

**नोट्स:-**

- बैठक शुल्क के अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए किये गये परिवहन व्यय का भी भुगतान/प्रतिपूर्ति की जाती है।
- ऊपर यथा उल्लिखित को छोड़कर, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, गैर-कार्यकारी निदेशकों का कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या लेनदेन नहीं है।
- स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट : https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/TC%20for%20appointment%20of%20ID.pdf पर उपलब्ध हैं।

**तालिका ख : वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक**

**(राशि लाख ₹ में)**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम व पदनाम | वेतन व भत्ते | कार्य-प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन | अन्य लाभ | नियोक्ता पीएफ अंशदान | राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री प्रदीप कुमार दास<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 53.99 | 30.87 | 2.99 | 4.22 | 3.16 | 95.23 |
| 2. | डॉ. बिजय कुमार मोहंती*<br>निदेशक (वित्त) व सीएफओ | 18.61 | - | 1.08 | 1.41 | 1.54 | 22.64 |

*डॉ. बिजय कुमार मोहंती को 12 अक्टूबर, 2023 से निदेशक (वित्त) और 16 अक्टूबर, 2023 से मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया।

**नोट्स:-**

- कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोई भी स्टॉक विकल्प नहीं दिया था।
- प्रकार्यात्मक निदेशकों/निदेशकों की सेवा-शर्तें, जिसमें सूचना अवधि और पृथक्करण शुल्क, यदि कोई हो, शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा जारी नियमों और शर्तों के अनुसार शासित हैं।
- कार्य-प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन का भुगतान डीपीई द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

## 6. आम सभा बैठकें

**आयोजित पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तिथि, समय और स्थान का विवरण निम्नानुसार है:**

| वित्त वर्ष | दिन और तिथि | समय | स्थान | क्या कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया |
|---|---|---|---|---|
| 2020- 21 | मंगलवार<br>28.09.2021 | दोपहर 12:30 बजे | टैमारिंड हॉल, पहली मंज़िल, हैबिटेट वर्ल्ड, भारत पर्यावास केंद्र,<br>लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 | नहीं |
| 2021- 22 | बुधवार<br>10.08.2022 | दोपहर 12:30 बजे | टैमारिंड हॉल, पहली मंज़िल, हैबिटेट वर्ल्ड, भारत पर्यावास केंद्र,<br>लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 | नहीं |
| 2022-23 | शुक्रवार<br>30.06.2023 | दोपहर 12:30 बजे | जुनिपर हॉल, ग्राउंड फ्लोर और हैबिटेट वर्ल्ड, भारत पर्यावास केंद्र,<br>लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 | हां* |

*30.06.2023 को आयोजित कंपनी की वार्षिक आम बैठक में निम्नलिखित 2 (दो) विशेष प्रस्ताव पारित किये गये

(i) श्री राम निहाल निषाद (डीआईएन:-10064841) की कंपनी के अंश-कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (आईडी) के रूप में नियुक्ति।
(ii) श्रीमती रोहिणी रावत (डीआईएन:-10064820) की कंपनी के अंश-कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (आईडी) के रूप में नियुक्ति।

**वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित असाधारण आम बैठक का विवरण निम्नानुसार है :-**

| दिन व तारीख | समय | स्थान | क्या कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया |
|---|---|---|---|
| सोमवार<br>04.09.2023 | दोपहर 12:30 बजे | पहली मंज़िल, कोर-4ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003. | हाँ* |
| शनिवार<br>30.09.2023 | अपराह्न 02:30 बजे | पहली मंज़िल, कोर-4ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003. | हाँ** |
| शुक्रवार<br>03.11.2023 | सुबह 11:00 बजे | पहली मंज़िल, कोर-4ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003. | नहीं |

नोट्स:-

* इक्विटी शेयर के आईपीओ के माध्यम से पूंजी जुटाना, जिसमें प्रस्ताव में अपेक्षित छूट और आरक्षण भी शामिल है।

** कंपनी के संस्था अंतर्नियम में संशोधन।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया और वर्तमान में, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव भी नहीं है।

## 7 संचार के साधन

**क) तिमाही परिणाम :** कंपनी के तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम शेयर बाज़ारों को भेजे जाते हैं और आमतौर पर 'नवभारत टाइम्स (हिंदी), द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट (अंग्रेजी) समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं। परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

**ख) मीडिया प्रकाशनी :** आधिकारिक मीडिया प्रकाशनी शेयर बाज़ारों को भेजी जाती हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

**ग) वेबसाइट:** कंपनी की वेबसाइट www.ireda.in पर एक अलग समर्पित अनुभाग "निवेशक संबंध" है, जहाँ शेयरधारकों की जानकारी उपलब्ध करायीं जाती हैं।

**घ) वार्षिक रिपोर्ट:** शेयर बाज़ार, शेयरधारकों, लेखा-परीक्षकों और डिबेंचर ट्रस्टियों को वार्षिक रिपोर्ट भेजी जाती है। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

**ङ) एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) / एनएसई डिजिटल पोर्टल :** एनईएपीएस / एनएसई डिजिटल पोर्टल कॉर्पोरेट्स हेतु एनएसई द्वारा डिज़ाइन किया गया एक वेब-आधारित एप्लीकेशन है। सभी आवधिक और अन्य अनुपालन फाइलिंग एनईएपीएस / एनएसई डिजिटल पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की जाती हैं।

**च) बीएसई लिस्टिंग सेंटर (लिस्टिंग सेंटर):** लिस्टिंग सेंटर कॉरपोरेटों हेतु बीएसई द्वारा डिज़ाइन किया गया एक वेब-आधारित एप्लीकेशन है। सभी आवधिक और अन्य अनुपालन फाइलिंग लिस्टिंग सेंटर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की जाती हैं।

**छ) सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (एससीओआरईएस):** निवेशक शिकायतों को सेबी में एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली में संसाधित किया जाता है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ हैं सभी शिकायतों का केंद्रीकृत डेटाबेस, संबंधित कंपनियों द्वारा की गयी कार्रवाई रिपोर्ट का ऑनलाइन अपलोड और शिकायत पर की गयी कार्रवाई और उनकी वर्तमान स्थिति को निवेशकों द्वारा ऑनलाइन देखना।

**ज) निर्दिष्ट विशेष ईमेल-आईडी:** शेयरधारकों के प्रश्नों के लिए, कंपनी ने विशेष ईमेल आईडी यानी equityinvestor2023@ireda.in डिज़ाइन की है

झ) **संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को दी गयी प्रस्तुतियाँ:** कंपनी ने सेबी (एलओडीआर), विनियमन के विनियमन 30 के अधीन संस्थागत निवेशकों/ विश्लेषकों को कोई प्रस्तुति नहीं दी है।

## 8 सामान्य शेयरधारक जानकारी

### ❖ वित्त वर्ष 24 के लिए वार्षिक आम बैठक

कंपनी के शेयरधारकों की आगामी 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) निम्नलिखित तिथि, समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी:

| | |
|---|---|
| **दिनांक** | 24 जून, 2024 |
| **समय** | अपराह्न 03:30 बजे (भा.मा.स.) |
| **स्थान** | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) और अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा। |

### ❖ वित्तीय वर्ष

कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

### ❖ लाभांश का भुगतान

वित्त वर्ष 24 के लिए, निदेशक मंडल ने किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है। इसके अलावा, कंपनी ने वित्त वर्ष 24 के लिए डीआईपीएएम से लाभांश भुगतान के लिए छूट प्राप्त की है।

### ❖ लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 43क के अनुपालन में एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय मापदंडों सहित बाहरी और आंतरिक कारकों को निर्दिष्ट करती है, जिन्हें लाभांश घोषित करते समय विचार किया जाएगा और ऐसी परिस्थितियाँ जिनके अधीन कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यह नीति https://www.ireda.in/images/htmlfiles/25-%20Dividend%20Distribution%20Policy_2023.pdf पर उपलब्ध है।

### ❖ प्रत्येक शेयर बाज़ार (रों) का नाम और पता जिस पर सूचीबद्ध इकाई प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं और ऐसे प्रत्येक शेयर बाज़ार को वार्षिक सूचीकरण शुल्क के भुगतान के बारे में पुष्टि

कंपनी के इक्विटी शेयर (आईएसआईएन : आईएनई202E01016) और डिबेंचर (बॉण्ड्स) फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400001 स्थित बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में और "एक्सचेंज प्लाजा", सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051 स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं।

**इक्विटी का स्क्रिप कोड है:**

**NSE**-IREDA

**BSE**-544026

वित्त वर्ष 24 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क एनएसई और बीएसई को भुगतान किया गया है।

### ❖ बाजार मूल्य डेटा

कंपनी के इक्विटी शेयर 29.11.2023 को दोनों शेयर बाज़ारों यानी एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध हुए। नवंबर 2023 से बाजार मूल्य डेटा नीचे उल्लिखित हैं:

| महीना | उच्चतम (₹) | | न्यूनतम (₹) | |
|---|---|---|---|---|
| | एनएसई | बीएसई | एनएसई | बीएसई |
| नवंबर, 2023 | 68.9 | 68.91 | 50 | 49.99 |
| दिसंबर, 2023 | 123.2 | 123.37 | 61.5 | 61.51 |
| जनवरी, 2024 | 187.15 | 187.15 | 100.2 | 100.4 |
| फरवरी, 2024 | 214.8 | 215 | 141.8 | 141.8 |
| मार्च, 2024 | 163.70 | 164 | 121.05 | 121 |

*स्रोत: बीएसई और एनएसई की वेबसाइट*

❖ **बीएसई सेंसेक्स, क्रिसिल इंडेक्स आदि जैसे व्यापक-आधारित सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन।**

नवंबर से आगे के लिए सूचकांकों की तुलना में मासिक प्रदर्शन का उल्लेख किया गया है।







**स्रोत: बीएसई और एनएसई। महीने के समापन मूल्यों के आधार पर चार्ट तैयार किये गये हैं।**

इसके अलावा, वित्त वर्ष 24 के दौरान किसी भी बॉण्ड्स (डिबेंचर) और इक्विटी शेयर को कारोबार से निलंबित नहीं किया गया।

❖ **इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट**

| इक्विटी के लिए |
|---|
| **लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**<br>पता -सी 101,247 पार्क, एल.बी.एस.मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुंबई 400083.<br>दूरभाष : 022 - 4918 6270<br>ईमेल-indianrenergy@linkintime.co.in<br>कंपनी निवेशक आईडी: equityinvestor2023@ireda.in |

**डिबेंचर/बॉण्ड्स हेतु :-** डिबेंचर ट्रस्टियों के साथ डिबेंचर/बॉण्ड्स से संबंधित आरटीए का विवरण इस रिपोर्ट में पॉइंट संख्या 12 पर उल्लिखित है।

❖ **निवेशक शिकायत निवारण**

प्रतिभूतिधारक निम्न पते पर कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं :
सुश्री एकता मदान
कंपनी सचिव
पता: पहली मंज़िल, कोर 4ए, ईस्ट कोर्ट, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।
ईमेल: equityinvestor2023@ireda.in

❖ **शेयर अंतरण प्रणाली**

कंपनी के सभी इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का अंतरण निक्षेपागारों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कंपनी की कोई भागीदारी नहीं होती है। सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुसार, कंपनी द्वारा शेयर अंतरण औपचारिकताओं के विधिवत अनुपालन की पुष्टि करने वाला प्रमाण-पत्र एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से वार्षिक आधार पर निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों के पास प्रस्तुत किया गया है।

❖ **शेयरधारिता पद्धति**

**क 31 मार्च, 2024 तक श्रेणीवार शेयरधारिता पद्धति**

| श्रेणी | शेयरों की संख्या | इक्विटी शेयर का प्रतिशत |
|---|---|---|
| भारत के राष्ट्रपति | 201,58,22,829 | 75.00% |
| निवासी व्यक्ति | 57,32,42,133 | 21.33% |
| म्यूचुअल फंड | 1,42,11,090 | 0.53% |
| हिंदू अविभाजित परिवार | 1,37,65,837 | 0.51% |
| वैकल्पिक निवेश कोष | 1,83,180 | 0.01% |
| बैंक | 5,000 | 0.00% |
| बीमा कंपनियाँ | 1,07,99,329 | 0.40% |
| आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी | 2,85,659 | 0.01% |
| विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी I | 3,44,51,806 | 1.28% |
| विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी II | 21,68,506 | 0.08% |
| निदेशक और उनके रिश्तेदार (स्वतंत्र निदेशक और नामित निदेशक को छोड़कर) | 30,360 | 0.00% |
| मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | 7,820 | 0.00% |
| अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) | 1,08,79,679 | 0.40% |
| विदेशी नागरिक | 3,000 | 0.00% |
| कॉरपोरेट निकाय | 1,06,55,744 | 0.40% |
| ट्रस्ट | 36,420 | 0.00% |
| बॉडी कॉर्प-लिमिटेड देयता भागीदारी | 12,07,214 | 0.04% |
| क्लियरिंग सदस्य | 8,400 | 0.00% |
| **कुल** | **268,77,64,706** | **100.00%** |

**ख शेयरधारिता वितरण**

31 मार्च 2024 तक शेयरधारिता का वितरण निम्नलिखित अनुसार है:-

| विवरण | शेयरधारकों की संख्या | शेयरधारकों का % | धारित शेयरों की संख्या | कुल शेयर का % |
|---|---|---|---|---|
| 1-1000 | 21,15,482 | 96.44 | 32,06,49,070 | 11.92 |
| 1001-2000 | 433,36 | 1.97 | 6,34,23,544 | 2.35 |
| 2001- 3000 | 13,153 | 0.59 | 3,33,67,771 | 1.24 |
| 3001-4000 | 5,931 | 0.27 | 2,11,18,877 | 0.78 |
| 4001-5000 | 4,474 | 0.20 | 2,10,20,177 | 0.78 |
| 5001-10000 | 7,531 | 0.34 | 5,33,02,674 | 1.98 |
| 10001 एवं अधिक | 3,526 | 0.16 | 217,48,82,593 | 80.91 |

## ❖ शेयरों का अमूर्तिकरण और चलनिधि

कंपनी के चलनिधि शेयर अमूर्तिकृत संवर्ग में हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की प्रणालियों के तहत कारोबार के लिए उपलब्ध हैं। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट का समाधान निर्धारित समय के भीतर शेयर बाज़ारों के पास जमा किया गया है।

निक्षेपागारों के पत्राचार का विवरण निम्नानुसार हैं:

| निक्षेपागार का नाम व पता | दूरभाष/ईमेल आईडी/वेबसाइट |
|---|---|
| नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड<br>ट्रेड वर्ल्ड, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई-400013. | दूरभाष :+91-22-2499 4200<br>निःशुल्क नंबर: 1-800 222 990<br>ई-मेल आईडी: relations@nsdl.co.in, info@nsdl.co.in<br>वेबसाइट: www.nsdl.co.in |
| सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड<br>मैराथन फ्यूचरएक्स, ए-विंग, 25वीं मंजिल, एनएम जोशी मार्ग लोअर परेल, मुंबई- 400013. | दूरभाष :+91-22-23058640/ 24/39/42/63<br>निःशुल्क नंबर: 1-800-225-533<br>ई-मेल ईडी:helpdesk@cdslindia.com complaints@cdslindia.com<br>वेबसाइट: www.cdslindia.com |

## ❖ बकाया वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर) और अमेरिकन निक्षेपागार रसीदें (एडीआर) वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, परिवर्तन तिथि और चलनिधि पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर और एडीआर वारंट/परिवर्तनीय उपकरण जारी नहीं किया गया है।

## ❖ कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव व्यवस्था गतिविधियाँ

कंपनी कमोडिटी में सौदा नहीं करती है, इसलिए प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कंपनी ने विदेशी मुद्रा उधार से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति लागू की है। कंपनी फॉरवर्ड, विकल्प और स्वैप जैसे विभिन्न उपकरणों के माध्यम से विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम को कवर करने के लिए बचाव व्यवस्था लेनदेन में प्रवेश करती है।

## ❖ संयंत्र अवस्थान

कंपनी के पास केरल राज्य के कासरगोड में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है।

## ❖ पत्राचार के लिए पता

| | | |
|---|---|---|
| **पंजीकृत कार्यालय** | पहली मंज़िल, कोर-4ए, ईस्ट कोर्ट, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003. | दूरभाष 011-24682206-19 |
| **कॉरपोरेट कार्यालय** | तीसरी मंज़िल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066. | दूरभाष 011-26717400-12 |
| **व्यवसाय केंद्र** | एनबीसीसी कार्यालय परिसर, कार्यालय ब्लॉक नंबर II, प्लेट बी, 7वीं मंज़िल, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023. | दूरभाष 011- 24347729-99 |

## ❖ इकाई द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची, साथ ही ऐसी इकाई के सभी ऋण साधनों या किसी सावधि जमा कार्यक्रम या सूचीबद्ध इकाई की किसी योजना या प्रस्ताव के लिए प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान उसमें कोई परिशोधन, जिसमें भारत या विदेश में निधियों का संग्रहण शामिल है।

आपकी कंपनी के देसी ऋण साधनों को आईसीआरए लिमिटेड, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा "एएए" "स्थिर" और केयरएज रेटिंग्स द्वारा "एए+""सकारात्मक" रेटिंग दी गयी है। इसके अलावा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण और अल्पावधि ऋण को एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा "एएए" "स्थिर" रेटिंग दी गयी है।

भारत सरकार के पूर्ण सेवा बॉण्ड को इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआरए लिमिटेड और केयरएज रेटिंग्स द्वारा "एएए" "स्थिर" रेटिंग दी गयी है।

**वित्त वर्ष 24 के दौरान घरेलू ऋण साधनों की रेटिंग में संशोधन निम्नानुसार हैं:**

| क्र. सं. | रेटिंग एजेंसी | पिछली रेटिंग | वर्तमान रेटिंग | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | इंडिया रेटिंग्स | आईएनडी एए + /सकारात्मक | आईएनडी एएए /स्थिर | उन्नत किया गया |
| 2. | ब्रिकवर्क रेटिंग्स | बीडब्ल्यूआर बीबी+/ स्थिर/जारीकर्ता सहयोग नहीं कर रहा* | बीडब्ल्यूआर एएए/स्थिर | जारीकर्ता सहयोग नहीं कर रहा श्रेणी से निष्कासन/ उन्नत किया गया |

*जुलाई 2023 में, ब्रिकवर्क रेटिंग ने आपकी कंपनी की रेटिंग को "एएए स्थिर" से "एएए स्थिर में बदल दिया 'जारीकर्ता सहयोग नहीं कर रहा है" और बाद में जनवरी 2024 में इसे घटाकर बीडब्ल्यूआर बीबी+/स्थिर कर दिया है। जारीकर्ता सहयोग नहीं कर रहा है। यह ब्रिकवर्क के लाइसेंस को दी जा रही चुनौती के कारण था, जिसके कारण कंपनी ने डेटा प्रदान करने से पहले लाइसेंस की वैधता के बारे में जानकारी मांगी थी। हालाँकि, फरवरी 2024 के दौरान, रेटिंग को आगे बढ़ाकर बीडब्ल्यूआर एएए/स्थिर कर दिया, जारीकर्ता श्रेणी से निष्कासन/उन्नत में उन्नत किया गया था।

## 9. प्रकटीकरण

- कंपनी ने सूचीकरण विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013, सचिवीय मानकों और डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई हेतु कॉरपोरेट सुशासन पर दिशा-निर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।
- आरबीआई ने 01 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी एनबीएफसी के लिए मान आधारित फ्रेमवर्क (एसबीआर) पेश किया है और उसके बाद मास्टर निर्देश के रूप में अर्थात मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - मान आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया और 21 मार्च 2024 को अद्यतन किया गया, जिसमें एनबीएफसी को उनके आकार, गतिविधि और जोखिम धारणा के आधार पर चार परतों में वर्गीकृत किया गया है। सरकारी स्वामित्व वाली होने के कारण, कंपनी को एनबीएफसी - मध्य परत के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उपर्युक्त फ्रेमवर्क और मास्टर निर्देश में यथा उल्लिखित अनुसार दिशा-निर्देशों/विनियमन के अधीन है।
- सांविधिक प्रावधानों के अधीन यथा अपेक्षित सभी रिटर्न, रिपोर्ट और प्रकटीकरण निर्धारित समय के भीतर शेयर बाज़ार और अन्य प्राधिकरणों के साथ दाखिल किये गये थे।
- भारतीय लेखा मानक 24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" द्वारा यथा अपेक्षित संबंधित पक्षों के साथ किये गये लेन-देन पर प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के खातों के नोट 38(10) नोट्स में दिया गया है। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित के अनुसार संबंधित पक्ष लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति को https://www.ireda.in/Images/HTMLfiles/ IREDA_Policy%20on%20Materality%20of%20 Related%20Party%20Transections(1).pdf. पर देखा जा सकता है।
- **पिछले तीन वर्षों के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं का अनुपालन न करने तथा पूंजी बाजारों या सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से संबंधित किसी भी मामले पर आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज (जों) या सेबी या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड, प्रतिबंध का विवरण:**

  पिछले 3 वर्षों के दौरान, आरबीआई, शेयर बाज़ार या सेबी या पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी वैधानिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड, प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालांकि, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 30.09.2022 के माध्यम से महिला निदेशक की नियुक्ति न करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के उल्लंघन बाबत ₹2,62,000 का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में जुर्माना माफ करने की मांग करते हुए दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 को क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), एमसीए के समक्ष एक अपील दायर की गयी है। मामले की सुनवाई जारी है। इसके अलावा, कंपनी के बोर्ड में दिनांक 9 मार्च, 2023 से महिला निदेशक की नियुक्ति की गयी है। तब से, कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

  एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। इसलिए, किसी भी निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार कंपनी के पास नहीं है।

- **पर्दाफाश करने वाली नीति:-**

  कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाये गये नियमों, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 और कॉरपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार एक व्हिसल ब्लोअर नीति है। पर्दाफाश करने वाली नीति कंपनी के निदेशकों/कर्मचारियों को किसी भी अभिकथित कदाचार या गलत काम के बारे में चिंतशीलता व्यक्त करने में सक्षम बनाती है, जो कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है। इस नीति के अधीन निर्धारित तरीके से सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायतें की जा सकती हैं। नीति के तहत कार्रवाई के संदर्भ में कंपनी के किसी भी कार्मिक को लेखा-परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

  इरेडा में पर्दाफाश करनेवाली नीति https://www.ireda.in/images/HTML_files/Policy%_20on%20Vigil%_20Mechanism1.pdf पर उपलब्ध है।

- पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी को राष्ट्रपति कोई निर्देश जारी नहीं किए थे।
- कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण सहायक कंपनी निर्धारित करने के लिए कोई नीति नहीं है।
- कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 32(7क) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों के नियोजन के माध्यम से धन संग्रह नहीं किया है। हालांकि, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से धन संग्रह किया है। वित्तीय विवरणों में निवल आगम का विवरण दिया गया है।
- किसी कार्यरत कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी, एमसीए या किसी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। प्रमाण पत्र **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है।
- वित्त वर्ष 24 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां निदेशक मंडल ने कंपनी की किसी भी बोर्ड-स्तरीय समिति द्वारा दी गयी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया हो।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किये गये शुल्क का विवरण उप-शीर्षक 'सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान'' के अधीन 'नोट 38 (38) - लेखा पर नोट्स' में दर्शाया गया है।
- निदेशकों और अधिकारियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए, कंपनी ने निदेशकों, केएमपी, महाप्रबंधक और कंपनी के उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए निदेशक और अधिकारी देयता बीमा पॉलिसी प्राप्त की है।
- कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को कंपनी द्वारा विस्तारित सेवा की शर्तों के एक हिस्से के रूप को छोड़कर निदेशकों को कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है।
- आपकी कंपनी किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त, सकारात्मक कार्य-स्थल परिवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट करने की स्थिति में सख्त और कठोर कार्रवाई करती है। कंपनी ने "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के अधीन यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। विवरण निम्नानुसार है :

| क्र. सं. | विवरण | शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दायर की गयी शिकायतों की संख्या | शून्य |
| 2 | वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या | शून्य |
| 3 | वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या | शून्य |

- **डीमैट सस्पेंस खाते/दावारहित सस्पेंस खाते के संबंध में प्रकटीकरण**

| विवरण | मामलों व शेयरों की संख्या |
|---|---|
| 1 अप्रैल 2023 तक सस्पेंस खाते में शेयरधारकों और बकाया दावा न किये गये शेयरों की कुल संख्या | शून्य |
| वित्तीय वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से दावा न किये गये शेयरों के हस्तांतरण हेतु कंपनी से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या | |
| वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों की संख्या जिन्हें सस्पेंस खाते से दावा न किये गये शेयरों को हस्तांतरित किया गया था | |
| 31 मार्च, 2024 तक सस्पेंस खाते में शेयरधारकों और बकाया दावा न किये गये शेयरों की कुल संख्या | |

- **विवेकाधीन आवश्यकताएँ:** पिछले पृष्ठों में उल्लिखित अनिवार्य आवश्यकताओं के अलावा, सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 27(1) के तहत विवेकाधीन आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:-

  1. बोर्ड : कंपनी का नेतृत्व एक कार्यपालक अध्यक्ष करता है।
  2. शेयरधारक अधिकार : कंपनी के वित्तीय परिणाम (तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक) वेबसाइट https://www.ireda.in/ पर अपलोड किये जाते हैं
  3. लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय : सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय जारी की है।
  4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अलग-अलग पद : अध्यक्ष एवं सीईओ का कोई अलग-अलग पद नहीं है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सीईओ की भूमिका अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निभायी जाती है।
  5. आंतरिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्टिंग : आंतरिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तिमाही आधार पर लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखी जाती है।

- कंपनी के प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनके रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी ऐसा लेन-देन नहीं किया गया जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सके। गैर-कार्यकारी निदेशक का अपने कार्यकाल में वर्ष के दौरान कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या लेन-देन नहीं था।
- कंपनी के प्रमुख ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या अन्य शेयरधारकों के साथ कोई व्यवस्था या समझौता नहीं है, सिवाय भारत के राष्ट्रपति के, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (कंपनी में 75% शेयर रखते हैं) के माध्यम से कार्य करते हैं, जिनके अनुसार किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में चुना या नियुक्त किया गया था।
- कंपनी ने डीपीई दिशा-निर्देशों और सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुसार कॉरपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले सभी सुझाये गये मदों को अपनाया है और रिपोर्ट में अपेक्षित प्रकटीकरण दिया है। डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) हेतु कॉरपोरेट सुशासन पर दिशा-निर्देश, 2010 के अनुसरण में, तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर एमएनआरई को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। साथ ही, वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) वाली रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर एमएनआरई को प्रस्तुत की गयी थी।

  कंपनी ने निर्धारित समय के भीतर वित्तीय वर्ष 2023-24 की सभी तिमाहियों के लिए सेबी एलओडीआर विनियमनों के विनियमन 27(2)(ए) के अधीन कॉरपोरेट सुशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी स्टॉक एक्सचेंजों को जमा कर दी है।

| समाप्त तिमाही हेतु रिपोर्ट | रिपोर्ट जमा करने की तिथि |
|---|---|
| 30 जून, 2023 | 20.07.2023 |
| 30 सितंबर, 2023 | 18.10.2023 |
| 31 दिसंबर, 2023 | 11.01.2024 |
| 31 मार्च, 2024 | 16.04.2024 |

- तुलन पत्र, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और लाभ और हानि का विवरण एनबीएफसी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के डिवीजन III के अधीन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो भारतीय लेखा मानक के अनुपालन हेतु अपेक्षित हैं। नकद प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक 7 - नकद प्रवाह विवरण की आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।
- कंपनी ने ऐसा कोई व्यय नहीं किया है, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए न हो।
- वित्तीय वर्ष 24 हेतु कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालयीन व्यय 2.33% (पिछले वर्ष 3.04%) है और वित्तीय वर्ष 24 के लिए वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में 2.42% (पिछले वर्ष 3.41%) है।
- सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 17(8) के अधीन यथा अपेक्षित, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया और **अनुलग्नक-ख** के रूप में संलग्न किया गया।
- विनियमन 17 से 27 और विनियमन 46 के उप-विनियमन (2) के खंड (ख) से (झ) और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अन्य लागू विनियमों में विनिर्दिष्ट कॉरपोरेट सुशासन आवश्यकताओं का अनुपालन कंपनी के दायरे में अनुपालन की सीमा तक किया गया है। विद्यमान कंपनी सचिव द्वारा कॉरपोरेट सुशासन पर अनुपालन प्रमाण-पत्र निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

## 10. सचिवीय लेखा-परीक्षा

वित्त वर्ष 24 हेतु सचिवीय लेखा-परीक्षा मेसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी

सचिव द्वारा की गयी है और उन्होंने कंपनी को अपनी सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्रति वार्षिक रिपोर्ट का अंश स्वरूप है।

## 11. लेखा-परीक्षा योग्यता

वित्त वर्ष 24 से संबंधित कोई सांविधिक लेखा-परीक्षक योग्यता नहीं है।

## 12. बॉण्ड जारी करने वाले डिबेंचर ट्रस्टी और रजिस्ट्रार का विवरण

कंपनी ने समय-समय पर डिबेंचर/बॉण्ड्स जारी किये हैं। डिबेंचर ट्रस्टी की वर्तमान श्रृंखला का विवरण नीचे दिया गया है:

| डिबेंचर ट्रस्टी का नाम | आईएसआईएन | सीरीज संख्या | प्रतिभूति का विवरण | स्टॉक एक्सचेंज जहां बॉण्ड सूचीबद्ध है | रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| **विस्ट्रा (आईटीसीएल) इंडिया लिमिटेड**<br>विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड,<br>प्लॉट-सी-22,<br>जी ब्लॉक, बांद्रा,<br>मुंबई- 400051 | INE202E07062 | IIIB | इरेडा कर योग्य बॉण्ड्स | एनएसई | **लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,**<br>सी 101, 247 पार्क,<br>एल.बी.एस. मार्ग विखरोली (पश्चिम),<br>मुंबई - 400083.<br>दूरभाष : 022 - 49186270<br>कॉलोनी, नई दिल्ली –<br>ई-मेल:<br>bonds.helpdesk@linkintime.co.in;<br>ajit.patankar@linkintime.co.in |
| | INE202E07096 | VB | इरेडा कर योग्य बॉण्ड्स | एनएसई | |
| | INE202E07179 | XIVC | इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स | एनएसई | |
| | INE202E07260 | VIIA | इरेडा कर योग्य ग्रीन बॉण्ड्स | एनएसई और बीएसई | |
| | INE202E07278 | VIIB | इरेडा कर योग्य ग्रीन बॉण्ड्स | एनएसई और बीएसई | |
| | INE202E08045 | VIII | इरेडा कर योग्य असुरक्षित अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड | एनएसई और बीएसई | |
| | INE202E07286 | IX-A | इरेडा कर योग्य बॉण्ड्स | एनएसई और बीएसई | |
| | INE202E07294 | IX-B | इरेडा कर योग्य बॉण्ड्स | एनएसई और बीएसई | |
| | INE 202E08060 | X | इरेडा कर योग्य असुरक्षित अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड | एनएसई और बीएसई | |
| | INE202E07187 | XIV-1A | इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स | बीएसई | **केफ़ीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड**<br>सी 101, 247 पार्क,<br>सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर- 31 और 32, वित्तीय जिला<br>नानकरामगुडा, सेरी लिंगमपल्ली हैदराबाद<br>रंगारेड्डी,<br>तेलंगाना - 500032, भारत<br>+91 40 6716 2222, ई-मेल आईडी:<br>umesh.pandey@kfintech.com |
| | INE202E07195 | XIV-2A | इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स | बीएसई | |
| | INE202E07203 | XIV-3A | इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स | बीएसई | |
| | INE202E07211 | XIV-1B | इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स | बीएसई | |
| | INE202E07229 | XIV-2B | इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स | बीएसई | |
| | INE202E07237 | XIV-3B | इरेडा कर मुक्त बॉण्ड्स | बीएसई | |
| | INE 202E 07245 | VIA | इरेडा कर योग्य ग्रीन बॉण्ड्स | एनएसई और बीएसई | |
| | INE 202E 07252 | VIB | इरेडा कर योग्य ग्रीन बॉण्ड्स | एनएसई और बीएसई | |
| | INE 202E 08011 | I | जीओआई पूर्णतः सेवायुक्त बॉण्ड | एनएसई और बीएसई | |
| | INE 202E 08029 | IA | जीओआई पूर्णतः सेवायुक्त बॉण्ड | एनएसई और बीएसई | |
| | INE 202E 08037 | IB | जीओआई पूर्णतः सेवायुक्त बॉण्ड | एनएसई और बीएसई | |
| **एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड**<br>एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड,<br>मिस्त्री भवन, चौथी मंजिल,<br>122 दिनशॉ वाच्छा रोड,<br>चर्चगेट, मुंबई – 400020 | INE 202E08078 | XI-A | इरेडा असुरक्षित कर योग्य बॉण्ड | एनएसई और बीएसई | **लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**<br>सी 101, 247 पार्क, एल.बी.एस.मार्ग<br>विखरोली (पश्चिम), मुंबई-<br>400083. दूरभाष: 022 - 4918 6270<br>ई-मेल:<br>bonds.helpdesk@linkintime.co.in ;<br>ajit.patankar@linkintime.co.in |
| | INE 202E08086 | XII-A | इरेडा असुरक्षित कर योग्य बॉण्ड | एनएसई और बीएसई | |
| | INE 202E08086 | XII-B | इरेडा असुरक्षित कर योग्य बॉण्ड | एनएसई और बीएसई | |
| | INE 202E08102 | XII-C | इरेडा असुरक्षित कर योग्य बॉण्ड | एनएसई और बीएसई | |
| | INE 202E08110 | XII-D | इरेडा असुरक्षित कर योग्य बॉण्ड | एनएसई और बीएसई | |
| | INE202E07120 | XIII-2A | इरेडा कर मुक्त बॉण्ड | एनएसई और बीएसई | |
| | INE202E07146 | XIII-3A | इरेडा कर मुक्त बॉण्ड | एनएसई और बीएसई | |
| | INE202E07138 | XIII-2B | इरेडा कर मुक्त बॉण्ड | एनएसई और बीएसई | |
| | INE202E07153 | XIII-3B | इरेडा कर मुक्त बॉण्ड | एनएसई और बीएसई | |
| | INE 202E07161 | XIII C | इरेडा कर मुक्त बॉण्ड | एनएसई और बीएसई | |

| डिबेंचर ट्रस्टी का नाम | आईएसआईएन | सीरीज संख्या | प्रतिभूति का विवरण | स्टॉक एक्सचेंज जहां बॉण्ड सूचीबद्ध है | रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| **बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड**<br>श्री कौतुभ कुलकर्णी<br>4सी एवं डी सिद्धिविनायक चेम्बर्स, गांधीनगर, एमआईजी क्रिकेट क्लब के सामने,<br>बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051<br>दूरभाष :022-26558759<br>ईमेल आईडी :<br>compliance@beacotrustee.co.in | INE 202E 08128 | XV-A | इरेडा असुरक्षित कर योग्य बॉण्ड्स | एनएसई और बीएसई | **आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड**<br>बी-25/1, पहली मंज़िल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020<br>दूरभाष : 011-26387320;<br>011- 35020465,<br>मोबाइल :8527695125<br>ईमेल :<br>investor.services@rcmcdelhi.com |
| | INE 202E 08136 | XV-B | इरेडा असुरक्षित कर योग्य बॉण्ड्स | एनएसई और बीएसई | |
| | INE 202E 08144 | XV-C | इरेडा असुरक्षित कर योग्य बॉण्ड्स | एनएसई और बीएसई | |
| | INE 202E 08151 | XV-D | इरेडा असुरक्षित कर योग्य बॉण्ड्स | एनएसई और बीएसई | |
| | INE 202E 08169 | XV-E | इरेडा असुरक्षित कर योग्य बॉण्ड्स | एनएसई और बीएसई | |
| | INE 202E 08177 | XV-F | इरेडा असुरक्षित कर योग्य बॉण्ड्स | एनएसई और बीएसई | |
| | INE 202E 08185 | XV-G | इरेडा असुरक्षित कर योग्य बॉण्ड्स | एनएसई और बीएसई | |
| | INE 202E 08193 | XV-H | इरेडा असुरक्षित कर योग्य बॉण्ड्स | एनएसई और बीएसई | |

**अनुलग्नक-क**

## निदेशकों की अयोग्यता का प्रमाण पत्र

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा ग खंड (10) (i) के अनुसार]

**सेवा में,**
**सदस्यगण**
**भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड**
**भारत पर्यावास केंद्र, पहली मंज़िल, ईस्ट कोर्ट,**
**कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003**

हमने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड **(सीआईएन:L65100DL1987GOI027265)** तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय भारत पर्यावास केंद्र, पहली मंज़िल, ईस्ट कोर्ट, कोर 4-ए, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) में है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 की अनुसूची V पैरा-ग उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे गये सत्यापनों [पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित] और कंपनी और उसके निदेशक/अधिकारियों द्वारा हमें दिये गये स्पष्टीकरण/अभ्यावेदनों के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताये गये के अनुसार कंपनी मंडल के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निगमित मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है:

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | डीआईएन | पदनाम | नियुक्ति की तारीख | समाप्ति की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री प्रदीप कुमार दास | 07448576 | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 06/05/2020 | लागू नहीं |
| 2 | श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट | 09483059 | स्वतंत्र निदेशक | 28/01/2022 | लागू नहीं |
| 3 | श्री जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर | 09556253 | स्वतंत्र निदेशक | 31/03/2022 | लागू नहीं |
| 4 | श्री पदम लाल नेगी | 10041387 | सरकारी नामित निदेशक | 07/02/2023 | लागू नहीं |
| 5 | श्री अजय यादव | 10046617 | सरकारी नामित निदेशक | 14/02/2023 | लागू नहीं |
| 6 | श्रीमती रोहिणी रावत | 10064820 | स्वतंत्र निदेशक | 09/03/2023 | लागू नहीं |
| 7 | श्री राम निहाल निषाद | 10064841 | स्वतंत्र निदेशक | 09/03/2023 | लागू नहीं |
| 8 | श्री बिजय कुमार मोहंती | 08816532 | पूर्णकालिक निदेशक | 12/10/2023 | लागू नहीं |

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाण-पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन देता है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

**कृते पी. सी. जैन एंड कंपनी**
**कंपनी सचिव**
**एफआरएन : P2016HR051300**

**हस्ता./-**
**(पी. सी. जैन)**
**प्रबंध भागीदार**
**एम नं. 4103**
**सीओपी नं. 3349**

**स्थान: फरीदाबाद**
**दिनांक: 09/05/2024**
**यूडीआईएन: F004103F000338327**

**अनुलग्नक-ख**

**निदेशक मंडल**
**इरेडा लिमिटेड**

**अनुपालन प्रमाणपत्र**

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 17(8) के अनुसार]

**निम्न अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है**

अ. 31.03.2024 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की गयी है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :

  क. इन कथनों में कोई भी भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या कोई भी भौतिक तथ्य नहीं छोड़ा गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं।

  ख. ये कथन एक साथ कंपनी के मामलों का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का पालन करते हैं।

ब. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, 31.03.2024 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई भी लेनदेन नहीं किया गया है, जो धोखाधड़ी, अवैध या आचार संहिता का उल्लंघन करता है।

स. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाये रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, का खुलासा किया है, जिनके बारे में हमें जानकारी है, और इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का खुलासा किया है।

द. हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को संकेत दिया है :

  क. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

  ख. 31.03.2024 को समाप्त अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों के नोट्स में उनका खुलासा किया गया है; और

  ग. महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है और उनमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

हस्ता. /-
**डॉ. बिजय कुमार मोहंती**
निदेशक (वित्त) व सीएफओ

हस्ता. /-
**प्रदीप कुमार दास**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 19.04.2024

# व्यावसायिक उत्तरदायित्व व स्थिरता रिपोर्ट

## खंड क : सामान्य प्रकटीकरण

### I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सूचीबद्ध इकाई की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) | L65100DL1987GOI027265 |
| 2. | सूचीबद्ध इकाई का नाम | भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड |
| 3. | निगमन वर्ष | 1987 |
| 4. | पंजीकृत कार्यालय का पता | कोर 4ए, पहली मंज़िल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003 |
| 5. | कॉरपोरेट पता | तीसरी मंजिल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066 |
| 6. | ई-मेल | cmd@ireda.in |
| 7. | दूरभाष | 011-26717400 |
| 8. | वेबसाइट | www.ireda.in |
| 9. | वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है | 2023-24 |
| 10. | शेयर बाज़ार(रों) का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं | एनएसई और बीएसई |
| 11. | चुकता पूंजी | 26,87,76,47,060 |
| 12. | बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी जिज्ञासा के मामले में संपर्क किये जा सकने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (दूरभाष, ईमेल पता) | श्री सुशांत कुमार डे<br>011-24347729<br>skdey@ireda.in |
| 13. | रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण एकल आधार पर किये गये हैं (यानी सिर्फ़ इकाई हेतु या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ) | एकल आधार |
| 14. | आश्वासन प्रदाता का नाम | लागू नहीं |
| 15. | प्राप्त आश्वासन का प्रकार | लागू नहीं |

### II. उत्पाद/सेवाएँ

**16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा):**

| | मुख्य गतिविधि का विवरण | व्यावसायिक गतिविधि का विवरण | इकाई के कारोबार का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | वित्तीय और बीमा सेवा | अन्य वित्तीय गतिविधियाँ | 100 |

**17. इकाई द्वारा बेचे गये उत्पाद/सेवाएँ (इकाई के कारोबार का 90% हिस्सा):**

| क्र. सं. | उत्पाद/सेवा | एनआईसी कोड | कुल कारोबार का % योगदान |
|---|---|---|---|
| 1 | अन्य ऋण अनुदान | 65999 | 100 |

**नोट:**
एनआईसी कोड कंपनी के लिए एनआईसी कोड के 2004 संस्करण को अपनाने के लिए बोर्ड के संकल्प के अनुरूप प्रतिवेदित किया गया है।

**III. प्रचालन**

**18. उन स्थानों की संख्या जहाँ इकाई के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:**

| स्थान | संयंत्रों की संख्या | कार्यालयों की संख्या | कुल |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय | 1 | 10 | 11 |
| अंतरराष्ट्रीय | 0 | 0 | 0 |

**19. इकाई द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाले बाज़ार :**

**क. स्थानों की संख्या**

| स्थान | संख्या |
|---|---|
| राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या) | अखिल भारतीय (28 राज्य + 8 केंद्र शासित प्रदेश) |
| अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या) | 0 |

**क. इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?**

**शून्य**

**ख. ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त जानकारी**

ग्राहक वे सभी संस्थाएँ हैं जो अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए कंपनी से वित्तीय सहायता या सेवाएँ प्राप्त करती हैं। कंपनी पूरे भारत के बाज़ार में सेवाएँ देती है। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में संपूर्ण अक्षय ऊर्जा क्षेत्र मूल्य श्रृंखला के लिए दीर्घकालिक ऋण, मध्यम अवधि ऋण और अल्पकालिक ऋण आदि शामिल हैं। कंपनी के ग्राहकों में निजी क्षेत्र की कंपनियाँ/फर्म/एलएलपी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू), राज्य उपयोगिताएँ - डिस्कॉम/ट्रांसको/जेनको/निगम और संयुक्त क्षेत्र की कंपनियाँ शामिल हैं।

**IV. कर्मचारी**

**20. वित्तीय वर्ष के अंत तक विवरण:**

**क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांगों सहित):**

| क्र. सं. | विवरण | कुल (क) | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सं.(ख) | % (ख/क) | सं. (ग) | % (ग/क) |
| | **कर्मचारी** | | | | | |
| 1. | स्थायी (घ) | 174 | 128 | 74 | 46 | 26 |
| 2. | स्थायी के अलावा अन्य (ङ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **कुल कर्मचारी (घ + ङ)*** | 174 | 128 | 74 | 46 | 26 |

| क्र. सं. | विवरण | कुल (क) | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सं. (ख) | % (ख/क) | सं. (ग) | % (ग/क) |
| | **श्रमिक** | | | | | |
| 4. | स्थायी(च) | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 5. | स्थायी के अलावा अन्य (छ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | **कुल श्रमिक (च + छ)*** | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |

*** बोर्ड स्तरीय कार्यपालक सहित**

**ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार**

| क्र. सं. | विवरण | कुल (क) | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सं.(ख) | % (ख/क) | सं.(ग) | % (ग/क) |
| दिव्यांग कर्मचारी | | | | | | |
| 1. | स्थायी (घ) | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 2. | स्थायी के अलावा अन्य (ङ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ + ङ)** | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| दिव्यांग श्रमिक | | | | | | |
| 4. | स्थायी (च) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | स्थायी के अलावा अन्य (छ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | **कुल दिव्यांग श्रमिक (च + छ)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व:**

| | कुल (क) | महिलाओं की संख्या और प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या (ख) | % (ख/क) |
| निदेशक मंडल | 8 | 1 | 13 |
| प्रमुख प्रबंधन कार्मिक | 3 | 1 | 33 |

**22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए कारोबार दर (पिछले 3 वर्षों के रुझान का प्रकटीकरण करें)**

| | वित्त वर्ष 2023-24 | | | वित्त वर्ष 2022-23 | | | वित्त वर्ष 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल |
| स्थायी कर्मचारी | 2.98% | 0.60% | 3.57% | 1.26% | 0 | 1.26% | 0 | 0 | 0 |
| स्थायी कामगार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* सेवानिवृत्ति को छोड़कर

## V. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियाँ (संयुक्त उद्यम सहित)

**23. (क) धारक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम**

| क्र. सं. | धारक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क) | क्या धारक/सहायक/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम हैं उल्लेख करें | सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का % | क्या कॉलम क में दर्शायी गयी इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हाँ/नहीं) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

## VI. सीएसआर विवरण

**24. i. क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है (हाँ/नहीं):**
हाँ

**ii. कारोबार (₹ में) : 49,65,29,11,024**

**iii. निवल संपत्ति (₹ में) : 85,59,42,54,277**

## VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

**25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से: 9) पर शिकायतें/परेशानी :**

| हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त होती है | शिकायत निवारण तंत्र लागू है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें) | वित्त वर्ष 2023-24 | | | वित्त वर्ष 2022-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणी | वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणी |
| समुदाय | हाँ<br>नागरिक/उपभोक्ता के लिए : https://www.ireda.in/citizen-charter। सीपीजीआरएएम के माध्यम से भी | 13<br>(सभी सीपीजीआरएएम के माध्यम से) | शून्य | शून्य | 5<br>(सभी सीपीजीआरएएम के माध्यम से) | शून्य | शून्य |
| निवेशक (शेयरधारकों के अलावा) | हाँ, बॉण्डधारक अपनी शिकायतें/परेशानियां कंपनी की ईमेल आईडी: iredabonds24@ireda.in पर दर्ज कर सकते हैं। साथ ही, बॉण्डधारकों के पास संबंधित आरटीए से सीधे संपर्क करने का विकल्प है।<br>आरटीए और उनकी ईमेल आईडी का विवरण इस लिंक पर पाया जा सकता है: https://www.ireda.in/investor-service-cell | 28 | शून्य | सभी शिकायतों का समय पर निवारण | 59 | शून्य | सभी शिकायतों का समय पर निवारण |

| हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त होती है | शिकायत निवारण तंत्र लागू है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें) | वित्त वर्ष 2023-24 | | | वित्त वर्ष 2022-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणी | वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणी |
| शेयरधारक | हां, शेयरधारक अपनी शिकायतें/परेशानियां कंपनी की ईमेल आईडी : equityinvestor2023@ireda.in; www.ireda.in/investor service cell पर दर्ज कर सकते हैं | 2246 | 4 | सभी शिकायतों (लंबित शिकायतों सहित) का समय पर उचित समाधान किया गया | शून्य | शून्य | शून्य |
| कर्मचारी और श्रमिक | हां https://ireda.operations.dynamics.com/?cmp=irn&mi=HcmEmployeeSelfService Workspace | 1 | शून्य | | शून्य | शून्य | शून्य |
| ग्राहक | हाँ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| मूल्य कड़ी भागीदार | लागू नहीं | लागू नहीं | | | | | |
| अन्य (कृपया उल्लेख करें) | लागू नहीं | | | | | | |

## 26. इकाई के भौतिक जिम्मेदार व्यवसाय आचरण विषयों का अवलोकन

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यवसाय आचरण और स्थिरता के विषयों को इंगित करना जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर, उन्हें पहचानने का औचित्य, जोखिम को अनुकूलित या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करते हैं:

| क्र. सं. | प्रतिचिह्नित भौतिक विषय | बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ) | जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य | जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल | जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जलवायु परिवर्तन | जोखिम | जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण परिसंपत्तियों को होने वाले भौतिक जोखिम से प्रचालन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं | नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, आपकी कंपनी ने वित्तपोषित परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों, यदि कोई हो, की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली ("ईएसएमएस") को अपनाया है।<br>कंपनी पात्र परियोजनाओं की पर्यावरण और सामाजिक जांच करती है और हमारी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के समानांतर परिकल्पित प्रभाव की गंभीरता के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करती है।<br>जांच की इस प्रक्रिया के दौरान, कंपनी पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करने और उसे गहरा करने के लिए ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ साझेदारी में सक्रिय रूप से काम करती है। | नकारात्मक |

| क्र. सं. | प्रतिचिह्नित भौतिक विषय | बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ) | जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य | जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल | जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | जलवायु परिवर्तन/कार्बन मुक्त | अवसर | भारत की सबसे बड़ी एकल व्यवसाय हरित वित्तपोषण एनबीएफसी के रूप में, आपकी कंपनी अल्प कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए अच्छी स्थिति में है। | जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव तेजी से स्पष्ट होते जा रहे हैं, इसलिए देश मिलकर शमन और अनुकूलन तकनीक विकसित कर रहे हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके। भारत की सबसे बड़ी एकल व्यवसाय हरित वित्तपोषण एनबीएफसी के रूप में, आपकी कंपनी हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों से जुड़ी परियोजनाओं हेतु पसंदीदा ऋणदाता के रूप में मौजूद है। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता के लिए भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है, जो आपकी कंपनी के लिए एक बड़ा बाजार अवसर प्रस्तुत करता है। इसलिए, जलवायु परिवर्तन के जवाब में कार्बन मुख्य प्रौद्योगिकियों का विकास एक आकर्षक व्यावसायिक अवसर प्रस्तुत करता है। | सकारात्मक |
| 3 | ईएसएमएस ध्यान केंद्रित | अवसर | कंपनी ने पर्यावरण और समाज पर कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रभावों, यदि कोई हो, की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली ("ईएसएमएस") को अपनाया है। | ईएसएमएस कंपनी की व्यावसायिक रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ है। | सकारात्मक |
| 4 | ग्राहक संतुष्टि | अवसर | ग्राहक संतुष्टि दीर्घकालिक संबंध बनाने और व्यवसाय विकास में मदद करती है | आपकी कंपनी उधारकर्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि और अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं<br>(1) नीति और उत्पादों को अद्यतन करने के बारे में उधारकर्ताओं की आशंकाओं को दूर करने के लिए सीएमडी की अध्यक्षता में लगातार उधारकर्ताओं की बैठकें।<br>(2) ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल जो आवेदन दाखिल करने, दस्तावेज अपलोड करने और अलर्ट प्राप्त करने के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। उधारकर्ता वास्तविक समय में अपने आवेदनों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और ग्राहक पोर्टल के माध्यम से किसी भी बकाया कार्य या अगले चरणों को देख सकते हैं। | सकारात्मक |

| क्र. सं. | प्रतिचिह्नित भौतिक विषय | बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ) | जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य | जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल | जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | जोखिम प्रबंधन | अवसर | प्रभावी जोखिम प्रबंधन जोखिमों की पहचान करने और उन्हें समय रहते कम करने में मदद कर सकता है। यह कंपनी को रणनीतिक योजना चरण में समस्याओं को दूर करके तत्काल व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की अनुमति देगा, जिससे उच्च दक्षता प्राप्त होगी। | क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और प्रचालनगत जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, आपकी कंपनी ने एक व्यापक नीति ढांचा स्थापित किया है। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली जोखिम प्रबंधन समिति स्वतंत्र जोखिम निरीक्षण और केंद्रित जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। आपकी कंपनी का जोखिम प्रबंधन ढांचा विभिन्न जोखिमों, संरचित मूल्यांकन और माप प्रक्रियाओं और निरंतर निगरानी की गहन समझ पर आधारित है। इसके अलावा, जैसे-जैसे जोखिम वर्गीकरण विकसित होते रहते हैं, बोर्ड की निगरानी के तहत जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। | सकारात्मक |
| 6 | डेटा गोपनीयता/साइबर सुरक्षा | जोखिम | आपकी कंपनी के काम करने के डिजिटल तरीकों को देखते हुए, साइबर / सूचना सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है | आपकी कंपनी आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित है और इसमें सूचना और साइबर सुरक्षा ढांचा मौजूद है, जिसमें साइबर जोखिमों का आकलन किया जाता है और इसके शमन की निगरानी और अद्यतन किये जाते हैं। सूचना सुरक्षा परिषद (आईएससी), आईटी रणनीति समिति (आईटी एससी) और निदेशक मंडल सूचना और साइबर सुरक्षा से संबंधित मामले/नीतियों पर किसी भी अद्यतन की समीक्षा और अनुमोदन करते हैं।<br>कंपनी की सूचना और साइबर सुरक्षा के लिए आईटी विभाग जिम्मेदार है, जो यह सुनिश्चित करता है कि नीतियों और प्रक्रियाओं को संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा, साइबर खतरों को कम करने और सूचना परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। साइबर सुरक्षा मामलों के प्रबंधन के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) जैसी योजनाएँ बनायी गयी हैं, ताकि किसी भी सूचना और साइबर सुरक्षा घटना को अनुकूलित/कम किया जा सके। सूचना और साइबर सुरक्षा पर नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को प्रदान किये जाते हैं। | नकारात्मक |
| 7 | डिजिटलीकरण | अवसर | डिजिटलीकरण उच्च परिचालनगत दक्षता, बेहतर जोखिम अंतर्दृष्टि और प्रभावी प्रबंधन समीक्षा के माध्यम से परिचालनगत क्षमता और उधारकर्ता केंद्रितता में सुधार करने में मदद करता है। | आपकी कंपनी के काम करने के डिजिटल तरीके प्रचालन को सुव्यवस्थित करने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और हमारी लाभप्रदता को बढ़ाने में मदद करते हैं। कंपनी की डिजिटल रणनीति के कई पहलू हैं, जिसमें हमारी स्वचालन और विश्लेषण क्षमताओं को बढ़ाना और ऋण के जीवन चक्र के दौरान डिजिटल चैनलों के उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है। आईटी सिस्टम ऋण उत्पत्ति, क्रेडिट अंडरराइटिंग, संग्रह और ग्राहक सेवा सहित कई कार्यों में मदद करते हैं। जैसे-जैसे आपकी कंपनी का संचालन बढ़ता है, आईटी अपनी डिजिटल प्रक्रियाओं जैसे कि स्वचालित केस आवंटन और प्रबंधन तंत्र, ग्राहकों को आसानी से जोड़ने के लिए ऑटोफिल विकल्प आदि के माध्यम से उत्पादकता और व्यापार करने में आसानी को अनलॉक करेगा। | सकारात्मक |

| क्र. सं. | प्रतिचिह्नित भौतिक विषय | बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ) | जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य | जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन पहल | जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | मानव संसाधन पद्धतियाँ – हमारे लोग | अवसर | कर्मचारी कल्याण, कार्यबल में विविधता और सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करना आपकी कंपनी के लिए लाभकारी है | आपकी कंपनी में उच्च प्रदर्शन वाली संस्कृति है जो अत्यधिक प्रेरित और सक्षम कर्मचारियों द्वारा संचालित है। संभावित मानव पूंजी का अनुकूलन करने के लिए, आपकी कंपनी आंतरिक प्रशिक्षण सत्रों के अलावा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/संगठनों से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है।<br><br>इसके अलावा, कर्मचारियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, कार्यालयों में प्रतिदिन योग और ध्यान सत्र आयोजित किये जाते हैं, साथ ही अक्सर स्वास्थ्य शिविर और खेल आयोजन भी किये जाते हैं।<br><br>आपकी कंपनी महिला कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित भारत सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। | सकारात्मक |

# खंड ख : प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

| प्रकटीकरण प्रश्न<br>नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ | | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को आवृत्त करती हैं। (हाँ/नहीं) | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| | ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं) | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| | ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो | https://www.ireda.in/code-of-business-conduct-ethics | https://www.ireda.in/doc/csr/csr-policy.pdf एवं https://www.ireda.in/doc/csr/IREDAESMS.pdf | इंट्रानेट पर उपलब्ध/ सभी कर्मचारियों के लिए सुलभ | https://www.ireda.in/code-of-business-conduct-ethics एवं https://www.ireda.in/doc/csr/IREDAESMS.pdf | https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Human%20Rights%20Policy.pdf | https://www.ireda.in/doc/csr/csr-policy.pdf एवं https://www.ireda.in/doc/csr/IREDAESMS.pdf | https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Internal%20Guidelines%20on%20Corporate%20Governance_26_08_2023-new.pdf | https://www.ireda.in/doc/csr/csr-policy.pdf | https://www.ireda.in/doc/information-security-policy-new.pdf |

| प्रकटीकरण प्रश्न<br>नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ | | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां/नहीं) | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| 3. | क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य कड़ी भागीदारों पर भी लागू होती हैं? (हां/नहीं) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 4. | राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे कि फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट अलायंस, ट्रूस्टिया) के नाम, मानक (जैसे कि एसए 8000, ओएचएसएएस,आईएसओ, बीआईएस) जिन्हें आपकी संस्था द्वारा अपनाया गया है और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मानचित्रित किया गया है। | आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 27001:2013 | | | | | | | | |
| 5. | इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएँ, लक्ष्य और उद्देश्य, यदि कोई हो, तो परिभाषित समय-सीमा के साथ। | एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, कंपनी के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रचालनगत और वित्तीय लक्ष्य भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम विभाग (डीपीई) के समझौता ज्ञापन दिशा-निर्देशों के तहत तय किये गये हैं। समझौता ज्ञापन ढांचे में विभिन्न प्रचाल शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को अधिकतम 100 अंक आवंटित किये गये हैं। समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में कई अनुपालन भी बताये गये हैं, जो गैर-अनुपालन के लिए नकारात्मक अंक देते हैं। 90 से अधिक प्राप्त कुल अंक उत्कृष्ट रेटिंग में परिणाम देते हैं। समझौता ज्ञापन दस्तावेज़ निम्न लिंक पर उपलब्ध है https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/MoU%202023%2024_Signed%20on%2021%208%202023.pdf | | | | | | | | |
| 6. | विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति इकाई का प्रदर्शन, साथ ही उन्हें पूरा न किये जाने की स्थिति में कारण। | सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी समझौता ज्ञापन दिशा-निर्देशों में निर्धारित ढांचे के अधीन अपने प्रशासनिक मंत्रालय, एमएनआरई के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर कंपनी हस्ताक्षर करती है। एमओयू कंपनी के लिए प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों को रेखांकित करता है, जिन्हें भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है और कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन एमओयू मापदंडों के अनुसार किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए डीपीई, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत हस्ताक्षरित एमओयू के संदर्भ में कंपनी का प्रदर्शन उत्कृष्ट (अनंतिम) है, जो डीपीई द्वारा अंतिम मूल्यांकन के अधीन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की एमओयू रेटिंग "उत्कृष्ट" रही है। | | | | | | | | |
| 7. | **व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण को रखने के संबंध में नरम रूख है)**<br>देश में अक्षय ऊर्जा के विस्तार और परिवर्तन में उसे वहनीयता, मापनीयता और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में ले जाने में कंपनी अग्रणी बनने का प्रयास करती है। हम सतत विकास के लिए अक्षय स्रोतों, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण प्रौद्योगिकियों से ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर निवेश को वित्तपोषित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी, सहभागी अनुकूल और प्रतिस्पर्धी संस्थान हैं।<br>कंपनी नये और नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली और/या ऊर्जा उत्पन्न करने और ऊर्जा दक्षता के माध्यम से ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए विशिष्ट परियोजनाओं और योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कंपनी अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण परियोजनाओं में कुशल और प्रभावी वित्तपोषण प्रदान करने का प्रयास करती है। भारत की सबसे बड़ी एकल व्यवसाय हरित वित्तपोषक एनबीएफसी के रूप में, हमारी कंपनी ने हरित पारेषण, ऊर्जा भंडारण, ई-मोबिलिटी, ऊर्जा वित्तपोषक, स्मार्ट मीटरिंग, इथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन आदि जैसी नयी और उभरती हुई तकनीकों का समर्थन करने के लिए अपने प्रचालन के दायरे को बढ़ाया है।<br>आरई क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, कंपनी ने पर्यावरण और समाज पर हमारे द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रभावों, यदि कोई हो, की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली ("ईएसएमएस") को अपनाया है। कंपनी पात्र परियोजनाओं की पर्यावरण और सामाजिक जांच करती है और हमारी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के समानांतर परिकल्पित प्रभाव की गंभीरता के आधार पर परियोजनाओं को वर्गीकृत करती है। जांच की इस प्रक्रिया के दौरान, कंपनी पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने और उसे गहरा करने के लिए ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ साझेदारी में सक्रिय रूप से काम करती है। कंपनी अपने ईएसएमएस के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप होने का प्रयास करती है, क्योंकि स्थिरता हमारे परिचालन के मूल में है।<br>इसके अलावा, कंपनी के पास केरल के कासरगोड में 50 मेगावाट का सोलर पीवी प्लांट भी है, जो स्वच्छ अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिससे वित्त वर्ष 24 के लिए 72577.10 टन कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी होती है।<br>इसके अतिरिक्त, ऋणों के लिए आपकी कंपनी की मूल्यांकन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि इसके उधारकर्ताओं द्वारा आवश्यक प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी प्राप्त की गयी है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि वह सभी वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करती है और इस संबंध में उचित रिपोर्टिंग/फ़ाइलिंग बिना किसी चूक के समय पर की जाती है। कंपनी माल और सेवाओं की खरीद के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित खरीद नीति का पालन करती है। आपदा वसूली सहित आईटी अवसंरचना सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली अच्छी तरह से तैनात हैं। कंपनी की मानव संसाधन नीतियाँ समग्र कर्मचारी कल्याण और लाभ, कैरियर की प्रगति, पर्याप्त प्रशिक्षण, महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और प्रोत्साहन और अच्छी तरह से परिभाषित शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करती हैं, इस प्रकार उचित शासन सुनिश्चित करती हैं।<br>ये उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के अपने संचालन में ईएसजी सिद्धांतों को एकीकृत करने और अधिक टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देने के प्रति समर्पण का उदाहरण हैं। | | | | | | | | |
| **शासन, नेतृत्व और निगरानी** | | | | | | | | | | |
| 8. | व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (नीतियों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण। | निदेशक मंडल | | | | | | | | |
| 9. | क्या इकाई के पास स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें। | हाँ<br>निदेशक (तकनीकी)<br>संपर्क:011-24347729<br>ईमेल: dt@ireda.in | | | | | | | | |

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी का समीक्षा विवरण:

| समीक्षा हेतु विषय | बताएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गयी थी | | | | | | | | | आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
| उपर्युक्त नीतियों के प्रति निष्पादन तथा अनुवर्ती कार्रवाई | बोर्ड की समितियां<br>एनजीआरबीसी के सिद्धांत पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) मानदंडों से संबंधित हैं; कंपनी ने पर्यावरण और समाज पर हमारे द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रभावों (यदि कोई हो) की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली ("ईएसएमएस") को अपनाया है और विभिन्न समितियों के माध्यम से कंपनी की बोर्ड प्रक्रियाएँ सभी प्रासंगिक ईएसजी आवश्यकताओं को कवर करती हैं। हमारी स्थापित प्रक्रियाओं के साथ प्रत्येक सिद्धांत का सटीक मान-चित्रण नियत समय में किया जाएगा। | | | | | | | | | समय-समय पर जब एवं जैसी आवश्यकता हो<br>ईएसएमएस वर्गीकरण से प्राप्त इनपुट ऋण स्वीकृति प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। | | | | | | | | |
| सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन तथा किसी भी गैर-अनुपालनों का सुधार | बोर्ड की समितियां<br>कंपनी सभी वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है। हमारी स्थापित प्रक्रियाओं के साथ प्रत्येक सिद्धांत का सटीक मानचित्रण बाद में किया जाएगा | | | | | | | | | समय-समय पर जब एवं जैसी आवश्यकता हो<br>हमारी आंतरिक लेखापरीक्षा और अनुपालन मूल्यांकन प्रक्रिया से वैधानिक और विनियामक अनुपालन समीक्षा निर्धारित अंतराल पर अनुमोदन के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाती है। | | | | | | | | |
| 11. | क्या संस्था ने अपनी नीतियों के कामकाज का किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन करवाया है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं। | | | | | | | | | नहीं | | | | | | | | |

**12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किये जाते हैं, तो कारण बताएं।**

| प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इकाई अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों को महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हां/नहीं) | लागू नहीं | | | | | | | | |
| इकाई ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हां/नहीं) | | | | | | | | | |
| इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)<br>इसे अगले वित्तीय वर्ष में किए जाने की योजना है (हां/नहीं) | | | | | | | | | |
| कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें) | | | | | | | | | |

# खंड ग : सिद्धांत-वार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को मुख्य प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गयी जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों का खुलासा हर उस संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है जिसे यह रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अधिकृत किया गया है, नेतृत्व संकेतकों का खुलासा उन संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति करने की आकांक्षा रखते हैं।

## सिद्धांत 1: व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना परिचालन और संचालन करना चाहिए।

**आवश्यक संकेतक**

**1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा आवृत्त प्रतिशत:**

| क्षेत्र | आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या | प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव | संबंधित श्रेणी में शामिल व्यक्तियों का % |
|---|---|---|---|
| निदेशक मंडल | 9 | सूचना सुरक्षा, डीपीई द्वारा अभिमुखीकरण तथा निगमित सुशासन और बोर्ड रूम नैतिकता | 50 |
| मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | 12 | एनएसई द्वारा अनुपालन प्रशिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षण, जागरूकता और व्यक्तिगत प्रभावशीलता प्रशिक्षण सहित विभिन्न तकनीकी और वित्तीय विषय जो दैनिक कार्य के लिए प्रासंगिक हैं | 100 |
| निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के अलावा अन्य कर्मचारी | 55 | अनुभवात्मक शिक्षण, जागरूकता और व्यक्तिगत प्रभावशीलता प्रशिक्षण सहित विभिन्न तकनीकी और वित्तीय विषय जो दैनिक कार्य के लिए प्रासंगिक हैं | 100 |
| श्रमिक | 8 | जागरूकता और व्यक्तिगत प्रभावशीलता प्रशिक्षण सहित विभिन्न विषय | 100 |

**2. वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किये गये जुर्माने/दंड/सजा/ पुरस्कार/शमन शुल्क/निपटान राशि का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में (नोट: इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):**

| मौद्रिक | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | एनजीआरबीसी सिद्धांत | नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं का नाम | राशि (भारतीय रुपये में) | मामले का संक्षिप्त विवरण | क्या कोई अपील की गयी है? (हां/नहीं) |
| दंड/जुर्माना<br>निपटान<br>कम्पाउण्डिंग शुल्क | शून्य | लागू नहीं | शून्य | लागू नहीं | नहीं |
| **गैर-मौद्रिक** | | | | | |
| | एनजीआरबीसी सिद्धांत | नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थाओं का नाम राशि (भारतीय रुपये में) | मामले का संक्षिप्त विवरण | | क्या कोई अपील की गयी है? (हां/नहीं) |
| कारावास<br>दंड | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | | नहीं |

**3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में बताये गये मामलों में, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गयी है।**

| मामले का विवरण | नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम |
|---|---|
| लागू नहीं | |

**4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।**

हाँ। कंपनी सभी प्रकार की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाती है, चाहे वह सरकारी अधिकारियों या निजी क्षेत्र के व्यक्ति या किसी अन्य संस्था से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। नीति का वेब लिंक इस प्रकार है:

https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Anti%20Bribery%20and%20Anti%20Corruption%20(ABAC)%20 Policy.pdf

इसके अलावा, कंपनी भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी के संबंध में सीवीसी की प्रक्रियाओं और मानदंडों का पालन करती है और भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए शिकायतों से संबंधित पीआईडीपीआई संकल्प (सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों के संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प) जिसमें सीवीसी नामित एजेंसी है। उपर्युक्त के अलावा, कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर नीति भी अपनायी है।

इसके अलावा, कंपनी के आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियम सभी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता को परिभाषित करते हैं और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि के कृत्यों को कदाचार के रूप में मान्यता देते हैं।

कंपनी के पास धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक नीति भी है, ताकि धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने, किसी भी धोखाधड़ी का पता लगने या संदेह होने पर उसकी रिपोर्टिंग करने और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों का निष्पक्ष तरीके से निपटान करने के लिए एक प्रणाली प्रदान की जा सके।

**5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके खिलाफ रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी:**

| | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|
| निदेशक | शून्य | |
| मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | | |
| कर्मचारी | | |
| श्रमिक | | |

**6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण:**

| | वित्त वर्ष 2023-24 | | वित्त वर्ष 2022-23 | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | टिप्पणी | संख्या | टिप्पणी |
| निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | शून्य | लागू नहीं | शून्य | लागू नहीं |
| केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | शून्य | लागू नहीं | शून्य | लागू नहीं |

**7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

**8. देय खातों के दिनों की संख्या [(देय खाते *365) / खरीदे गये माल/सेवाओं की लागत] निम्नलिखित प्रारूप में:**

| | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|
| देय खातों के दिनों की संख्या | लागू नहीं | |

कंपनी सेवा उद्योग में काम कर रही है, न कि विनिर्माण सेट-अप में। इसलिए, माल की कोई खरीद नहीं है। कंपनी द्वारा खरीदी गयी सेवा के लिए भुगतान आम तौर पर काम के संतोषजनक पूरा होने से 15 दिनों में किया जाता है।

**9. व्यवसाय खुलापन**

निम्नलिखित प्रारूप में व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता का विवरण प्रदान करें, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश भी:

| मापदंड | मैट्रिक्स | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022- 23 |
|---|---|---|---|
| खरीदारी का संकेन्द्रण | क. कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में ट्रेडिंग हाउस से खरीद | शून्य | शून्य |
| | ख. उन ट्रेडिंग हाउस की संख्या जहां से खरीद की गयी | शून्य | शून्य |
| | ग. ट्रेडिंग हाउस से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 ट्रेडिंग हाउस से खरीद | लागू नहीं | लागू नहीं |
| विक्रय का संकेन्द्रण | क. कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरक को बिक्री | शून्य | |
| | ख. डीलरों/वितरक की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है | | |
| | ग. डीलरों/वितरक को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरक को बिक्री | | |
| इनमें आरपीटी का हिस्सा | क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद)* | शून्य | शून्य |
| | ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री) | 0 | 0 |
| | ग. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिये गये ऋण और अग्रिम/कुल ऋण और अग्रिम) | 0.93% | 7.35% |
| | घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/ किया गया कुल निवेश) | शून्य | शून्य |

*खरीद में संविदागत दायित्वों के अंतर्गत संबंधित पक्षों को किये गये भुगतान शामिल नहीं हैं।

### नेतृत्व संकेतक

**1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य कड़ी भागीदारों हेतु आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:**

| आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या | प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत | जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल मूल्य कड़ी भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) |
|---|---|---|
| लागू नहीं* | | |

*एनजीआरबीसी परिभाषा के अनुसार - मूल्य कड़ी आपूर्ति कड़ी के साथ-साथ अंतिम-उपयोग ग्राहकों के लिए वितरण चैनल द्वारा बनाये गये मूल्य दोनों को संदर्भित करती है। इसमें व्यावसायिक भागीदार और मूल्य कड़ी भागीदारों द्वारा नियोजित वे लोग भी शामिल हैं जो अपने स्वयं के परिसर से काम कर सकते हैं।

कंपनी के व्यवसाय मॉडल के अनुसार, कंपनी और उसके ग्राहकों (उधारकर्ताओं) के बीच कोई मध्यस्थ/एजेंसी नहीं है, इसलिए मूल्य कड़ी भागीदार को लागू नहीं माना जाता है।

**2. क्या इकाई के पास बोर्ड के सदस्यों को शामिल करने वाले हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।**

हां। कंपनी के पास बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता की एक संहिता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ हितों के टकराव से निपटने की प्रक्रिया को कवर करती है। नीति https://www.ireda.in/doc/ CODE_OF_ BUSINESS_CONDUCT_AND_ETHICS(3).pdf पर उपलब्ध है।

**सिद्धांत 2: व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो।**

### आवश्यक संकेतक

**1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसन्धान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रम से इकाई द्वारा किये गये कुल अनुसन्धान व विकास और पूंजीगत व्यय निवेश में।**

| | चालू वित्तीय वर्ष | पिछला वित्तीय वर्ष | पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण |
|---|---|---|---|
| **आर एंड डी** | **शून्य** | **शून्य** | **शून्य** |
| **कैपेक्स** | **100%** | **100%** | **वित्त वर्ष 2023-24 में ₹71 लाख और वित्त वर्ष 2022-23 में ₹74 लाख के ई-वाहन खरीदकर कार्बन डाई ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों के उत्सर्जन से बचा जा सकता है।** |

नोट:
कैपेक्स इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए है

**2. क. क्या इकाई के पास संधारणीय सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)**

नहीं। कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न की प्रयोज्यता सीमित है। एक एनबीएफसी के रूप में, कंपनी द्वारा उपयोग किये जाने वाले संसाधन मुख्य रूप से कार्यालय स्थापना व्यय जैसे कि बिजली, कार्यालय आपूर्ति और संचार या आईटी उपकरण तक सीमित हैं। एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी सामग्री आवश्यकताओं के मामले में कम संसाधन गहन है। सीमित दायरे के बावजूद, कंपनी अपनी सभी सामग्री आवश्यकताओं की जिम्मेदारी से सोर्सिंग सुनिश्चित करती है। कंपनी अपनी खरीद में जेम पोर्टल (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) को बढ़ावा देती है और एमएसई विक्रेताओं से सोर्सिंग को भी बढ़ावा देती है। सामग्री और सेवाओं की सभी खरीद/सोर्सिंग कंपनी के खरीद दिशा-निर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

इसके अलावा, कंपनी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रही है और अपने सभी उधारकर्ताओं को अपने ऋण वितरण शर्तों के एक भाग के रूप में सभी लागू पर्यावरण मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, आरई क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, कंपनी ने पर्यावरण और समाज पर हमारे द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रभावों, यदि कोई हो, की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली ("ईएसएमएस") को अपनाया है। कंपनी पात्र परियोजनाओं की पर्यावरण और सामाजिक जांच करती है और हमारी

ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के समानांतर प्रभाव की गंभीरता के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करती है। जांच की इस प्रक्रिया के दौरान, कंपनी पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने और गहरा करने के लिए ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम करती है।

**ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किये गये?**

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी अपनी सभी सामग्री आवश्यकताओं की जिम्मेदारी से सोर्सिंग सुनिश्चित करती है। कंपनी अपनी खरीद में जेम पोर्टल (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) को बढ़ावा देती है और एमएसई विक्रेताओं से सोर्सिंग को भी बढ़ावा देती है। सामग्री और सेवाओं की सभी खरीद/सोर्सिंग कंपनी के खरीद दिशा-निर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

**3. अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक कचरा और (घ) अन्य अपशिष्ट।**

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी सेवा उद्योग का हिस्सा है और औद्योगिक स्थापना/विनिर्माण में नहीं है। व्यवसाय और परिचालन की प्रकृति को देखते हुए, कंपनी के पास प्लास्टिक कचरा, ई-कचरा और अन्य अपशिष्ट नहीं है। इसके अलावा, कंपनी के पास कोई खतरनाक कचरा नहीं है।

**4. क्या इकाई की गतिविधियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे दूर करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं।**

नहीं, क्योंकि कंपनी सेवा उद्योग का हिस्सा है और औद्योगिक स्थापना/विनिर्माण में नहीं है।

## नेतृत्व संकेतक

**1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?**

| एनआईसी कोड | उत्पाद/सेवा का नाम | कुल कारोबार में योगदान का % | सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/ मूल्यांकन संचालित किया गया था | क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया था (हां/नहीं) | परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किये गये (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें। |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |

लागू नहीं।

कंपनी एक सेवा उद्योग का हिस्सा है और यह औद्योगिक स्थापना/विनिर्माण में नहीं है। आईएफ़सी के रूप में वर्गीकृत एक एनबीएफ़सी होने के नाते, कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मुख्य उत्पादों में संपूर्ण अक्षय ऊर्जा क्षेत्र मूल्य कड़ी में योजनाओं और परियोजनाओं के लिए उधारकर्ताओं को रुपया अवधि ऋण, अल्पकालिक और मध्यम अवधि ऋण आदि शामिल हैं।

**2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई भी महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय शंकाएँ और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसे कम करने के लिए की गयी कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।**

| उत्पाद/सेवा का नाम | जोखिम/शंका का विवरण | की गयी कार्रवाई |
|---|---|---|
| अन्य वित्तीय सेवाएँ और गतिविधियाँ - अन्य ऋण प्रदान करना | कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय शंका/जोखिम की परिकल्पना नहीं की गयी है | लागू नहीं, क्योंकि कंपनी सेवा उद्योग का हिस्सा है और औद्योगिक स्थापना/विनिर्माण में नहीं है। आईएफसी के रूप में वर्गीकृत एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मुख्य उत्पादों में रुपया टर्म शामिल हैं |

| उत्पाद/सेवा का नाम | जोखिम/शंका का विवरण | की गयी कार्रवाई |
|---|---|---|
| | कंपनी के उत्पादों/सेवाओं का उत्पादन या निपटान | पूरे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र मूल्य कड़ी में योजनाओं और परियोजनाओं के लिए उधारकर्ताओं को ऋण, अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण आदि।<br><br>आरई क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, कंपनी ने पर्यावरण और समाज पर हमारे द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रभावों, यदि कोई हो, की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली ("ईएसएमएस") को अपनाया है। कंपनी पात्र परियोजनाओं की पर्यावरण और सामाजिक जांच करती है और हमारी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के समानांतर प्रभाव की गंभीरता के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करती है। जांच की इस प्रक्रिया के दौरान, कंपनी पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने और गहरा करने के लिए ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ साझेदारी में सक्रिय रूप से काम करती है। |

**3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग हेतु) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग हेतु) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गयी इनपुट सामग्री का प्रतिशत।**

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी सेवा उद्योग का हिस्सा है और औद्योगिक स्थापना/विनिर्माण में नहीं है। आईएफसी के रूप में वर्गीकृत एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले मुख्य उत्पादों में संपूर्ण अक्षय ऊर्जा क्षेत्र मूल्य कड़ी में योजनाओं और परियोजनाओं के लिए उधारकर्ताओं को रुपया अवधि ऋण, अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण आदि शामिल हैं। कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गयी इनपुट सामग्री का प्रतिशत नगण्य है।

| इनपुट सामग्री इंगित करें | कुल सामग्री में पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गयी इनपुट सामग्री | |
|---|---|---|
| | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
| - | - | - |

**4. उत्पादों और पैकेजिंग की संख्या, जीवन के अंत में पुनः प्राप्त, पुनः उपयोग की गयी मात्रा (मीट्रिक टन में), पुनर्चक्रित और निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार सुरक्षित रूप से निपटाया गया:**

| | वित्त वर्ष 2023-24 | | | वित्त वर्ष 2022-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुनः व्यवहृत | पुनर्चक्रित | सुरक्षित रूप से निपटाया गया | पुनः व्यवहृत | पुनर्चक्रित | सुरक्षित रूप से निपटाया गया |
| प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) | - | - | - | - | - | - |
| ई-कचरा | - | - | 1.558 | - | - | - |
| खतरनाक कचरा | - | - | - | - | - | - |
| अन्य कचरा | - | - | - | - | - | - |

**5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गये उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।**

| उत्पाद श्रेणी दर्शाएँ | संबंधित श्रेणी में बेचे गये कुल उत्पादों के % के रूप में पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री |
|---|---|
| - | लागू नहीं, क्योंकि कंपनी सेवा उद्योग का हिस्सा है और औद्योगिक स्थापना/विनिर्माण में नहीं है। आईएफसी के रूप में वर्गीकृत एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मुख्य उत्पादों में संपूर्ण अक्षय ऊर्जा क्षेत्र मूल्य कड़ी में योजनाओं और परियोजनाओं के लिए उधारकर्ताओं को रुपया अवधि ऋण, अल्पकालिक और मध्यम अवधि ऋण आदि शामिल हैं। कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत नगण्य है। |

**सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य कड़ी में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए तथा उसे बढ़ावा देना चाहिए।**

**आवश्यक संकेतक**

**1. क. कर्मचारियों की भलाई हेतु उपायों का विवरण:**

| श्रेणी | कुल (क) | शामिल कर्मचारियों का % | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वास्थ्य बीमा* | | दुर्घटना बीमा | | मातृत्व लाभ | | पितृत्व लाभ | | डे केयर सुविधाएं | |
| | | संख्या (ख) | % (ख/क ) | संख्या (ग) | % (ग/क) | संख्या (घ) | % (घ/क) | संख्या (ङ) | % (ङ/क ) | संख्या (च) | % (च/क) |
| **स्थायी कर्मचारी** | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 128 | - | - | 128 | 100 | - | - | 128 | 100 | - | - |
| महिला | 46 | - | - | 46 | 100 | 46 | 100 | - | - | - | - |
| कुल | 174 | - | - | 174 | 100 | 46 | 26 | 128 | 74 | - | - |
| **स्थायी कर्मचारियों के अलावा** | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*स्वास्थ्य बीमा के बदले, सभी स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों को कंपनी के चिकित्सा उपस्थिति नियमों के तहत शामिल किया जाता है, जो उन्हें उपचार और अस्पताल में भर्ती होने के साथ आवृत्त चिकित्सा सुविधाएं प्रावधानित करता है।

**ख. कामगारों की भलाई बाबत उपायों का विवरण:**

| श्रेणी | कुल (क) | शामिल कर्मचारियों का % | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वास्थ्य बीमा* | | दुर्घटना बीमा | | मातृत्व लाभ | | पितृत्व लाभ | | डे केयर सुविधाएं | |
| | | संख्या (ख) | % (ख/क ) | संख्या (ग) | % (ग/क) | संख्या (घ) | % (घ/क) | संख्या (ङ) | % (ङ/क ) | संख्या (च) | % (च/क) |
| **स्थायी कर्मचारी** | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - |
| महिला | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| **कुल** | **1** | **-** | **-** | **1** | **100** | **0** | **0** | **1** | **100** | **-** | **-** |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*स्वास्थ्य बीमा के बदले, सभी स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों को कंपनी के चिकित्सा उपस्थिति नियमों के तहत शामिल किया जाता है, जो उन्हें उपचार और अस्पताल में भर्ती होने के साथ आवृत्त चिकित्सा सुविधाएं प्रावधानित करता है।

**ग. कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य सहित) की भलाई के उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में खर्च:**

| | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|
| कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण उपायों पर होने वाली लागत | 0.17 | 0.16 |

**2. वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवा-निवृत्ति लाभों का विवरण।**

| लाभ | वित्त वर्ष 2023-24 | | | वित्त वर्ष 2022-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल किये गये कर्मचारियों की संख्या | कुल श्रमिकों के % के रूप में शामिल किए गये श्रमिकों की संख्या | प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हाँ/नहीं/लागू नहीं) | कुल कर्मचारियों के % के रूप में आवृत्त कर्मचारियों की संख्या | कुल कामगारों के % के रूप में आवृत्त कामगारों की संख्या | प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हाँ/नहीं/लागू नहीं) |
| भविष्य निधि | 100 | 100 | हाँ | 100 | 100 | हाँ |
| ग्रेच्युटी | 100 | 100 | हाँ | 100 | 100 | हाँ |
| ईएसआई | लागू नहीं | | | | | |
| एनपीएस | 100 | 100 | हाँ | 100 | 100 | हाँ |
| पीआरएमएस | 100 | 100 | नहीं | 100 | 100 | नहीं |
| परोपकारी निधि | 100 | 100 | हाँ | 100 | 100 | हाँ |
| अर्जित छुट्टी/एचपीएल | 100 | 100 | नहीं | 100 | 100 | नहीं |

**3. कार्यस्थलों तक पहुँच**

**क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाये जा रहे हैं।**

हाँ, इरेडा कार्यालय परिसर दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ हैं, जिनमें लिफ्ट और रैंप, व्हीलचेयर सुलभ शौचालय हैं। इसके अलावा, कंपनी की निगमित वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (डब्ल्यू3सी) वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स (डब्ल्यूसीएजी) 2.0 लेवल एए का अनुपालन करती है। इससे दृष्टिबाधित लोग स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों का उपयोग करके वेबसाइट तक पहुँच सकेंगे। वेबसाइट की जानकारी जेएडब्ल्यूएस, एनवीडीए, एसएएफए, सुपरनोवा और विंडो-आईज़ जैसे विभिन्न स्क्रीन रीडर के साथ सुलभ है। इसके बारे में अधिक जानकारी https://www.ireda.in/screen-reader पर देखी जा सकती है।

**4. क्या संस्था के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।**

हाँ। कंपनी के पास विविधता, समानता और समावेश नीति है। कंपनी का लक्ष्य एक समावेशी कार्यस्थल बनाना है जहाँ सभी को सतत विकास के लिए समान अवसर मिले। नीति को यहाँ देखा जा सकता है

Https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/Diversity%20Equity%20%26%20Inclusion%20(DE%26I)%20Policy.pdf

**5. माता-पिता बनने की छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगार की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर:**

| लिंग | स्थायी कर्मचारी | | स्थायी कामगार | |
|---|---|---|---|---|
| | काम पर वापसी दर | प्रतिधारण दर | काम पर वापसी दर | प्रतिधारण दर |
| पुरुष | 100% | 100% | लागू नहीं | |
| महिला | 100% | 100% | | |
| कुल | 100% | 100% | | |

**6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण प्रदान करें:**

| | **हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)** |
|---|---|
| स्थायी कर्मचारी | हाँ, एक विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। यह कंपनी के इंट्रानेट पर उपलब्ध है। शिकायत निवारण समिति की बैठकें हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं और शिकायतों को सुपरिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से शीघ्रता से संबोधित किया जाता है। |
| स्थायी कामगारों के अलावा | नहीं |
| स्थायी कर्मचारी | हाँ, विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। यह कंपनी के इंट्रानेट पर उपलब्ध है। शिकायत निवारण समिति की बैठकें हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं और शिकायतों को सुपरिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से शीघ्रता से संबोधित किया जाता है। |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा | नहीं |

**7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघ(घों) या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:**

| **श्रेणी** | **वित्त वर्ष 2023-24** | | | **वित्त वर्ष 2022-23** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (क)** | **संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ(घों) या यूनियन का हिस्सा हैं (ख)** | **% (ख/क)** | **संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (ग)** | **संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ(घों) या यूनियन का हिस्सा हैं (घ)** | **% (घ/ग)** |
| कुल स्थायी कर्मचारी | शून्य | | | | | |
| - पुरुष | | | | | | |
| - महिला | | | | | | |
| कुल स्थायी कामगार | | | | | | |
| - पुरुष | | | | | | |
| - महिला | | | | | | |

**8. कर्मचारियों और कामगारों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:**

| श्रेणी | कुल (क) | वित्त वर्ष 2023-24 | | | | वित्त वर्ष 2022-23 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर | | कौशल उन्नयन पर | | कुल (घ) | स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर | | कौशल उन्नयन पर | |
| | | सं. (ख) | % (ख/क) | सं. (ग) | % (ग/क) | | सं. (ङ) | % (ङ/घ) | सं. (च) | % (च/घ) |
| **कर्मचारी** | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 128 | 128 | 100 | 128 | 100 | 117 | 117 | 100 | 117 | 100 |
| महिला | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 | 43 | 43 | 100 | 43 | 100 |
| **कुल** | **174** | **174** | **100** | **174** | **100** | **160** | **160** | **100** | **160** | **100** |
| **कामगार** | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| महिला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल** | **1** | **1** | **100** | **1** | **100** | **1** | **1** | **100** | **1** | **100** |

**9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्य-निष्पादन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:**

| | वित्त वर्ष 2023-2024 | | | वित्त वर्ष 2022-2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (क) | सं. (ख) | % (ख/क) | कुल (ग) | सं. (घ) | % (घ/ग) |
| कर्मचारी | | | | | | |
| पुरुष | 128 | 128 | 100 | 117 | 117 | 100 |
| महिला | 46 | 46 | 100 | 43 | 43 | 100 |
| **कुल** | **174** | **174** | **100** | **160** | **160** | **100** |
| **कामगार** | | | | | | |
| पुरुष | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| महिला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल** | **1** | **1** | **100** | **1** | **1** | **100** |

**10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :**

**क. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गयी है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का लाभ क्या है?**

कंपनी एक सेवा उद्योग का हिस्सा है और औद्योगिक स्थापना/विनिर्माण का हिस्सा नहीं है। हालाँकि वहाँ कोई औपचारिक प्रबंधन प्रणाली नहीं है, लेकिन कंपनी में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए, हम समग्र कल्याण पहल करते हैं। हमारे कार्यालय परिसर में योग और तंदुरुस्ती सुविधाएँ उपलब्ध हैं और सभी कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन ध्यान करने की दिनचर्या निर्धारित की जाती है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर/स्वास्थ्य जांच, प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर की उपलब्धता, आयुर्वेद चिकित्सा, दैनिक योग और ध्यान सत्र/पूरी तरह सुसज्जित जिम यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार उपायों के अंतर्गत आते हैं।

अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में, कर्मचारियों और आश्रित परिवार के सदस्यों को सुचारू रूप से नकदी रहित उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाता है। हमने अपने सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवा-निवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना शुरू की है, जहाँ उन्हें सूचीबद्ध अस्पतालों में इन-पेशेंट उपचार का लाभ उठाने की अनुमति है।

**ख. इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन-सी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है?**

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी एक सेवा उद्योग का हिस्सा है और औद्योगिक स्थापना /विनिर्माण में नहीं है, सिवाय कंपनी के 50 मेगावाट सौर पीवी संयंत्र के, जिसका परिचालन और रखरखाव तीसरे पक्ष को आउटसोर्स किया जाता है। 50 मेगावाट बिजली संयंत्र से होने वाला राजस्व कंपनी के कुल राजस्व का <1% योगदान देता है। कंपनी का कार्य-प्रकृति मुख्य रूप से कार्यालय आधारित है, जिसमें सीमित जोखिम सहित न्यूनतम खतरा शामिल है।

**ग. क्या आपके पास कामगारों के लिए कार्य-संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने की प्रक्रियाएँ हैं। (हाँ/नहीं)**

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी सेवा उद्योग का हिस्सा है और औद्योगिक सेट-अप/विनिर्माण के क्षेत्र में नहीं है। कंपनी का कार्य-प्रोफाइल मुख्य रूप से कार्यालय आधारित है, जिसमें सीमित खतरे हैं और न्यूनतम जोखिम शामिल है।

**घ. क्या इकाई के कर्मचारियों/कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच प्राप्त है? (हाँ/नहीं)**

हाँ

अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए, हम समग्र कल्याण पहल करते हैं। हमारे कार्यालय परिसर में योग और तंदुरुस्ती सुविधाएँ हैं और सभी कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन ध्यान करने की दिनचर्या निर्धारित की जाती है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर/स्वास्थ्य जाँच, प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर की उपलब्धता, आयुर्वेद चिकित्सा, दैनिक योग और ध्यान सत्र/पूरी तरह से सुसज्जित जिम यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार उपायों के अंतर्गत आते हैं। ध्यान सत्र कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए आधिकारिक कार्य गतिविधि का हिस्सा है।

अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में, कर्मचारियों और आश्रित परिवार के सदस्यों को सुचारू रूप से नकदी रहित उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाता है। हमने अपने सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवा-निवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना शुरू की है, जहाँ उन्हें सूचीबद्ध अस्पतालों में इन-पेशेंट उपचार का लाभ उठाने की अनुमति है।

**11. निम्न प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण :**

| सुरक्षा घटना/संख्या | श्रेणी | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|---|
| खोया समय चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफ़आर) (प्रति दस लाख-व्यक्ति घंटे काम किया) | कर्मचारी<br>कामगार | शून्य | |
| कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य-संबंधी चोटें | कर्मचारी<br>कामगार | | |
| मृत्यु संख्या | कर्मचारी<br>कामगार | | |
| उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर) | कर्मचारी<br>कामगार | | |

**12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्य-स्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किये गये उपायों का वर्णन करें।**

अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए, हम समग्र कल्याण पहल करते हैं। हमारे कार्यालय परिसर में योग और तंदुरुस्ती सुविधाएँ हैं और सभी कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन ध्यान दिनचर्या निर्धारित की जाती है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर/स्वास्थ्य जाँच, प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर की उपलब्धता, आयुर्वेद चिकित्सा, दैनिक योग और ध्यान सत्र/पूरी तरह से सुसज्जित जिम यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार उपायों के अंतर्गत आते हैं। ध्यान सत्र कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए आधिकारिक कार्य गतिविधि का एक हिस्सा है।

अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में, कर्मचारियों और आश्रित परिवार के सदस्यों को सुचारू रूप से नकदी रहित उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाता है।

**13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गयी शिकायतों की संख्या:**

| | वित्त वर्ष 2023-2024 | | | वित्त वर्ष 2022-2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान फाईल | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | अभ्युक्तियाँ | वर्ष के दौरान फाईल | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | अभ्युक्तियाँ |
| **कार्य की स्थितियाँ** | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **स्वास्थ्य और सुरक्षा** | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |

**14. वर्ष हेतु मूल्यांकन:**

| | आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या सांविधिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा) |
|---|---|
| स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ | 100% |
| कार्य स्थितियाँ | 100% |

कंपनी के कार्यालय ऐसे भवनों में हैं जहाँ पट्टेदार/सेवा प्रबंधन कंपनियों द्वारा सभी राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) प्रावधानों का पालन किया जाना है।

**15. सुरक्षा-संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) का समाधान करने के लिए की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/ शंकाओं पर विवरण प्रदान करें ।**

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी का कार्य-स्वरूप मुख्य रूप से कार्यालय आधारित है जिसमें सीमित खतरे होते हैं और जोखिम न्यूनतम होता है।

## नेतृत्व संकेतक

**1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।**

हां, मृत्यु की स्थिति में कंपनी स्थायी कर्मचारी और स्थायी श्रमिकों के पात्र आश्रितों को पीआरएमएस के तहत आर्थिक पुनर्वास योजना और लाभ प्रदान करती है।

**2. यह सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किये गये उपायों को प्रदान करें कि वैधानिक बकाया राशि मूल्य कड़ी भागीदारों द्वारा काट ली गयी है और जमा कर दी गयी है।**

*एनजीआरबीसी परिभाषा के अनुसार - आपूर्ति कड़ी के साथ-साथ अंतिम-उपयोग ग्राहकों के लिए वितरण चैनल द्वारा बनाये गये मूल्य दोनों को मूल्य कड़ी संदर्भित करती है। इसमें व्यावसायिक भागीदार और मूल्य कड़ी भागीदारों द्वारा नियोजित वे लोग भी शामिल हैं जो अपने स्वयं के परिसर से काम कर सकते हैं।

कंपनी के व्यवसाय मॉडल के अनुसार, कंपनी और उसके ग्राहकों (उधारकर्ताओं) के बीच कोई मध्यस्थ/एजेंसी नहीं है,इसलिए मूल्य कड़ी भागीदार को लागू नहीं माना जाता है।

**3. उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या प्रदान करें जिन्हें उच्च नतीजतन कार्य-संबंधित चोट/बीमार स्वास्थ्य/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उन्हें उपयुक्त काम में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है:**

| | प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या | | पुनर्वासित और उपयुक्त रोजगार में रखे गए कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है: | |
|---|---|---|---|---|
| | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
| कर्मचारी | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| श्रमिक | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

**4. क्या इकाई निरंतर रोजगार सुविधा और सेवा-निवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए परिवर्तन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)**

लागू नहीं,क्योंकि कंपनी एक सीपीएसई है,और सेवा-निवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के मामलों में डीपीई के रोजगार मानदंडों का पालन करती है। कंपनी अपने सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और अन्य कल्याणकारी उपाय भी प्रदान करती है।

**5. मूल्य कड़ी भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

| | मूल्य कड़ी भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया |
|---|---|
| स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास | शून्य |
| कार्य की स्थितियाँ | |

**6. मूल्य कड़ी भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यासों और कार्य स्थितियों के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/शंकाओं को दूर करने के लिए की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं।

**सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।**

**आवश्यक संकेतक**

**1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

कंपनी ने संगठन में वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के बीच किये गये हितधारक मैपिंग एक्सरसाइज़ के माध्यम से अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को परिमापित किया है। आंतरिक हितधारकों में कंपनी के कर्मचारी और स्टाफ शामिल हैं; और बाहरी हितधारकों में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के इक्विटी शेयरधारक, बॉण्डधारक, लेनदार बैंकर और उधारकर्ता, राज्य सरकार सहित सरकारी निकाय और नियामक प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक, निगमित मामलों का मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज आदि शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया है। कंपनी समय-समय पर भौतिक और आभासी हितधारक बैठकें आयोजित करती है जो उधारकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से किसी भी शंका को उजागर करने के लिए कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर प्रदान करती है।

**2. अपनी इकाई के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति भी बताएं।**

| हितधारक समूह | क्या कमजोर और हाशिए पर पड़े समूह के रूप में प्रतिचिह्नित गया है (हां/नहीं) | संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, सूचना पट्ट, वेबसाइट), अन्य | जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक/अर्ध-वार्षिक/ त्रै-मासिक/अन्य - कृपया विनिर्दिष्ट करें) | उक्त जुड़ाव के दौरान उत्पन्न प्रमुख विषय और शंका सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा |
|---|---|---|---|---|
| ग्राहक | नहीं | ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/पत्र/ टेलीफोन/आभासी और भौतिक उधारकर्ता बैठकें | उधारकर्ता बैठकें -आवधिक तौर पर | दिन-प्रतिदिन के परिचालन, ऋण आवेदन में सूचना का अंतर, कंपनी की सेवाओं की उपयुक्तता, ऋण की स्वीकृति/निष्पादन में लगने वाला समय, ग्राहक मुद्दों का समाधान आदि जैसे पहलू शामिल हैं |

| हितधारक समूह | क्या कमजोर और हाशिए पर पड़े समूह के रूप में प्रतिचिह्नत गया है (हां/नहीं) | संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, सूचना पट्ट, वेबसाइट), अन्य | जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक/अर्ध-वार्षिक/ त्रै-मासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें) | उक्त जुड़ाव के दौरान उत्पन्न प्रमुख विषय और शंका सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा |
|---|---|---|---|---|
| शेयरधारक | नहीं | ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/ पत्र/टेलीफोन/आभासी और भौतिक बैठकें | जब जैसी आवश्यकता हो | समय-समय पर वित्तीय परिणामों की सूचना, वित्तीय विवरण को अपनाना तथा साधारण एवं विशेष व्यवसाय का संचालन करना। समय-समय पर शेयरधारकों के अनुरोधों/ शिकायतों का समाधान करना। |
| बॉण्डधारक | नहीं | ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/ पत्र/टेलीफोन | जब जैसी आवश्यकता हो | आवंटन, ब्याज सेवा, मोचन भुगतान, बॉण्ड प्रमाणपत्र/डीमैट क्रेडिट।<br>समय-समय पर बॉण्डधारकों के अनुरोधों/ शिकायतों का समाधान करना |
| विक्रेता | नहीं | ईमेल/एसएमएस/वेबसाइट/ पत्र/टेलीफोन/जीईएम, टेंडर विज़ार्ड तथा अन्य सरकारी पोर्टल | जब जैसी आवश्यकता हो | विक्रेता विभाग |

## नेतृत्व संकेतक

1. **आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएँ प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो ऐसे परामर्शों से बोर्ड को किस प्रकार फीडबैक प्रदान किया जाता है।**

   आरई क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, कंपनी ने पर्यावरण और समाज पर हमारे द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रभावों, यदि कोई हो, की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली ("ईएसएमएस") को अपनाया है। कंपनी पात्र परियोजनाओं की पर्यावरण और सामाजिक जांच करती है और हमारी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के समानांतर परिकल्पित प्रभाव की गंभीरता के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करती है। जांच की इस प्रक्रिया के दौरान, हम पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने और उसे गहरा करने के लिए ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के साथ साझेदारी में सक्रिय रूप से काम करते हैं। ईएसएमएस वर्गीकरण से इनपुट ऋण स्वीकृति प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं।

2. **क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हाँ / नहीं)। यदि हाँ, तो इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया, इसके उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।**

   नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, कंपनी ने पर्यावरण और समाज पर हमारे द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रभावों, यदि कोई हो, की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली ("ईएसएमएस") को अपनाया है। कंपनी पात्र परियोजनाओं की पर्यावरण और सामाजिक जांच करती है और हमारी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के समानांतर प्रभाव की गंभीरता के आधार पर इनका वर्गीकरण करती है। जांच की इस प्रक्रिया के दौरान, कंपनी पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने और गहरा करने के लिए ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ साझेदारी में सक्रिय रूप से काम करती है। विभिन्न बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) से इनपुट लेकर ईएसएमएस को अंतिम रूप दिया गया, साथ ही ईएसएमएस के कामकाज पर उधारकर्ताओं को परिचित करने के लिए एक विस्तृत कार्यशाला भी आयोजित की गयी है।

**3. कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गयी कार्रवाई और उनसे जुड़े मामलों का विवरण दें।**

कंपनी भारत सरकार(जीओआई) के जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस), संबंध, समाधान और टीआरईडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) पोर्टल पर पंजीकृत है और क्षेत्रीय कार्यालयों सहित कंपनी के सभी कार्यालय प्रभावी रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं। कंपनी एमएसई और महिला उद्यमियों से खरीद को भी बढ़ावा देती है और पंजीकृत एमएसई को अपनी खरीद प्रक्रियाओं में कुछ सुविधाएँ प्रदान करती है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान भारत सरकार के समाधान पोर्टल पर किसी भी एमएसई विक्रेता द्वारा भुगतान में देरी या किसी अन्य शिकायत के बारे में कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गयी थी।

**सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।**

**आवश्यक संकेतक**

**1. कर्मचारी और कामगार, जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है :**

| श्रेणी | वित्त वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष | | | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (क) | शामिल किये गये कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (ख) | % (ख/क) | कुल (ग) | शामिल किये गये कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (घ) | % (घ/ग) |
| **कर्मचारी** | | | | | | |
| स्थायी | 174 | 174 | 100 | 160 | 160 | 100 |
| स्थायी के अलावा | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **कुल कर्मचारी** | **174** | **174** | **100** | **160** | **160** | **100** |
| **कामगार** | | | | | | |
| स्थायी | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| स्थायी के अलावा | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **कुल कर्मचारी** | **1** | **1** | **100** | **1** | **1** | **100** |

**2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों को दिये जाने वाले न्यूनतम मज़दूरी का विवरण:**

| श्रेणी | वित्त वर्ष 2023-24 | | | | | वित्तीय वर्ष 2022-23 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (क) | न्यूनतम मज़दूरी के समान | | न्यूनतम मज़दूरी से अधिक | | कुल (घ) | न्यूनतम मज़दूरी के समान | | न्यूनतम मज़दूरी से अधिक | |
| | | सं. (ख) | % (ख/क) | सं. (ग) | % (ग/क) | | सं. (ङ) | % (ङ/घ) | सं. (च) | % (च/घ) |
| **कर्मचारी** | | | | | | | | | | |
| **स्थायी** | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 128 | लागू नहीं | लागू नहीं | 128 | 100 | 117 | लागू नहीं | लागू नहीं | 117 | 100 |
| महिला | 46 | लागू नहीं | लागू नहीं | 46 | 100 | 43 | लागू नहीं | लागू नहीं | 43 | 100 |
| **स्थायी को छोड़कर** | | | | | | | | | | |
| पुरुष | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **कामगार** | | | | | | | | | | |
| **स्थायी** | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 1 | लागू नहीं | लागू नहीं | 1 | 100 | 1 | लागू नहीं | लागू नहीं | 1 | 100 |
| महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **स्थायी को छोड़कर** | | | | | | | | | | |
| पुरुष | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| महिला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* सभी स्थायी कर्मचारियों को डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है जो न्यूनतम मज़दूरी से अधिक है

### ३. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण

**क. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी:**

| | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी | संख्या | संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी |
| निदेशक मंडल (बीओडी) | 2 | 7231198 | शून्य | शून्य |
| मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | 2 | 7231198 | 1 | 2538955 |
| बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी | 126 | 2320297 | 45 | 2280811 |
| कामगार | 1 | 2463089 | शून्य | शून्य |

नोट:

1. उपर्युक्त अनुसूची में सिर्फ़ स्थायी कर्मचारी और स्थायी श्रमिक शामिल हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान की गयी औसत मजदूरी शामिल है।
2. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी में भत्ते शामिल हैं जो सकल वेतन के आधार पर हैं। इसके अलावा, इसमें पीएफ, ग्रेच्युटी, एनपीएस, कर्मचारियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रतिपूर्ति जैसे वर्दी, मनोरंजन, परिवहन आदि के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं है।
3. उपर्युक्त पारिश्रमिक का भुगतान इस संबंध में डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
4. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया है।

**ख. निम्नलिखित प्रारूप में, इकाई द्वारा भुगतान किये गये कुल वेतन के % के रूप में महिलाओं को दी गयी सकल मज़दूरी :**

| | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|
| कुल मज़दूरी के % के रूप में महिलाओं को दी गयी सकल मज़दूरी | 25.65 | 27.57 |

नोट्स:

1. उपर्युक्त अनुसूची में सिर्फ़ स्थायी कर्मचारी और स्थायी श्रमिक शामिल हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान की गयी औसत मजदूरी शामिल है।
2. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी में भत्ते शामिल हैं, जो सकल वेतन के आधार पर हैं। इसके अलावा, इसमें पीएफ, ग्रेच्युटी, एनपीएस, कर्मचारियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रतिपूर्ति जैसे वर्दी, मनोरंजन, परिवहन आदि के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं है।
3. उपर्युक्त पारिश्रमिक इस संबंध में डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप दिया जाता है।
4. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया है।

**4. क्या आपके पास मानवाधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किये गये मुद्दों को दूर करने के लिए एक जिम्मेदार केंद्र बिंदु (व्यक्तिगत/समिति) है? (हाँ/नहीं)**

हाँ

**5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें:**

कंपनी में जनता के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए भी शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। कंपनी के कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया ऑनलाइन है। शिकायत निवारण समिति की बैठकें हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं और शिकायतों को अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से शीघ्रता से निपटान किया जाता है।

**6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गयी शिकायतों की संख्या:**

| | वित्त वर्ष 2023-24 | | | वित्त वर्ष 2022-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान फाईल | वर्ष के अंत में समाधान लंबित | अभ्युक्तियाँ | वर्ष के दौरान फाईल | वर्ष के अंत में समाधान लंबित | अभ्युक्तियाँ |
| यौन उत्पीड़न | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| बाल श्रम | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| मजदूरी | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| मानवाधिकारों से संबंधित अन्य मुद्दे | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं |

**7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज शिकायतें:**

| | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|
| कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज की गयी कुल शिकायतें | शून्य | शून्य |
| महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के % के रूप में पीओएसएच पर शिकायतें | | |
| पीओएसएच पर शिकायतों को सही ठहराया गया | | |

**8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।**

कंपनी की पर्दाफाश करने वाली नीति के अनुसार, जहाँ भी आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है। पर्दाफाश करने वाली नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कंपनी का मानना है कि एक स्थायी संगठन नैतिकता और मानवाधिकारों के सम्मान की नींव पर टिका होता है। कंपनी कार्यस्थल में विविधता और समान अवसर सुनिश्चित करती है और इस बात पर कायम रहती है कि करियर में उन्नति प्रतिभा और प्रदर्शन पर आधारित हो।

**9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)**

हाँ, मानवाधिकार आवश्यकताएँ हमारे व्यावसायिक समझौतों का हिस्सा हैं। कर्मचारियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, कंपनी ने सामान्य कानूनों और ठोस नैतिक प्रथाओं के अनुरूप कर्मचारी-उन्मुख नीतियों को अपनाया है। मानवाधिकार आवश्यकताएँ उधारकर्ताओं के साथ हमारे ऋण समझौतों का हिस्सा हैं।

**10. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गयी शिकायतों की संख्या :**

| | आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या सांविधिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा) |
|---|---|
| बाल श्रम | शून्य |
| जबरन/अनैच्छिक श्रम | |
| यौन उत्पीड़न | |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | |
| मजदूरी | |
| अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें | |

**11. उपर्युक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/शंकाओं को दूर करने के लिए उठाये गये या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

**नेतृत्व संकेतक**

**1. मानवाधिकार शिकायतों/शिकायतों को दूर करने के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण:**

लागू नहीं

**2. आयोजित किसी भी मानवाधिकार उचित परिश्रम के दायरे और कवरेज का विवरण:**

लागू नहीं

**3. क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?**

हां, इरेडा कार्यालय परिसर दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है, जिसमें लिफ्ट और रैंप, व्हीलचेयर सुलभ शौचालय हैं। इसके अलावा, कंपनी की निगमित वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (डब्ल्यू3सी) वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन्स (डब्ल्यूसीएजी) 2.0 लेवल एए का अनुपालन करती है। इससे दृष्टिबाधित लोग स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों का उपयोग करके वेबसाइट तक पहुँच सकेंगे। वेबसाइट की जानकारी विभिन्न स्क्रीन रीडर्स जैसे कि जेएडब्ल्यूएस, एनवीडीए, एसएएफए, सुपरनोवा और विंडो-आईज़ के ज़रिए प्राप्त की जा सकती है। इसके बारे में अधिक जानकारी https://www.ireda.in/screen-reader पर देखी जा सकती है।

**4. मूल्य कड़ी भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

| | मूल्य कड़ी भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया |
|---|---|
| बाल श्रम | लागू नहीं |
| जबरन/अनैच्छिक श्रम | |
| यौन उत्पीड़न | |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | |
| मजदूरी | |
| अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें | |

**5. उपर्युक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/शंकाओं को दूर करने के लिए की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें:**

लागू नहीं

**सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए।**

## आवश्यक संकेतक

**1. निम्न प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:**

| पैरामीटर | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|
| **नवीकरणीय स्रोतों से** | | |
| कुल बिजली खपत (क) | 1521892800000 | 1534100400000 |
| कुल ईंधन खपत (ख) | - | - |
| अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (ग) | शून्य | शून्य |
| **नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग)** | 1521892800000 | 1534100400000 |
| **गैर-नवीकरणीय स्रोतों से** | | |
| कुल बिजली खपत (घ) | 3000867840000 | 2234792340000 |
| कुल ईंधन खपत (ङ) | | |
| अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (च) | शून्य | शून्य |
| **गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (घ+ङ+च)** | 3000867840000 | 2234792340000 |
| **कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग+घ+ङ+च)** | **4522760640000** | **3768892740000** |
| कारोबार के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता | | |
| (कुल ऊर्जा खपत /प्रचालन से राजस्व)<br>**क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता** | 91 | 108 |
| (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व)<br>**भौतिक आउटपुट के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता** | लागू नहीं | |
| ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है | | |

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

लागू नहीं

**2. क्या इकाई के पास भारत सरकार की कार्य-प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचाने गये कोई स्थल/सुविधाएँ हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किये गये हैं। यदि लक्ष्य हासिल नहीं किये गये हैं, तो की गयी उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें:**

लागू नहीं

**3. पानी से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

| पैरामीटर | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|
| **स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)** | | |
| (i) सतही जल | शून्य | शून्य |
| (ii) भू-जल | 6720 | 4941 |

| पैरामीटर | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|
| (iii) तृतीय पक्ष जल | 115.03 | 115.84 |
| (iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल | शून्य | शून्य |
| (v) अन्य | शून्य | शून्य |
| **जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)** | 6835 | 5056 |
| **जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)** | 6835 | 5056 |
| **कुल कारोबार के प्रति रुपये जल तीव्रता** (कुल जल खपत / परिचालन से राजस्व) | 0.00 | 0.00 |
| **क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपये जल तीव्रता** (कुल जल खपत / पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व ) | लागू नहीं | |
| **भौतिक आउटपुट के संदर्भ में जल तीव्रता** | | |
| **जल तीव्रता** (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा संबंधित मीट्रिक चुना जा सकता है | | |

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन /आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।
नहीं, क्योंकि कंपनी एक वित्तीय संस्थान (सेवा उद्योग) है, जहां कंपनी में पर्याप्त मात्रा में पानी का उपयोग नहीं होता है।

**4. जल निर्वहन से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

| पैरामीटर | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|
| **गंतव्य और उपचार स्तर के अनुसार जल निकास (किलोलीटर में)** | | |
| (i) सतही जल में | लागू नहीं | |
| - कोई उपचार नहीं | | |
| - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| (ii) भू-जल में | | |
| - कोई उपचार नहीं | | |
| - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| (iii) समुद्री जल में | | |
| - कोई उपचार नहीं | | |
| - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| (iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया | | |
| - कोई उपचार नहीं | | |
| - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| (v) अन्य | | |
| - कोई उपचार नहीं | | |
| -उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| **कुल जल निकास (किलोलीटर में)** | | |

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी एक वित्तीय संस्थान (सेवा उद्योग) है, जहाँ कंपनी का कोई पर्याप्त उत्सर्जन (अपशिष्ट, वायु उत्सर्जन आदि) नहीं है।

**5. क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो उसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी एक वित्तीय संस्थान (सेवा उद्योग) है, जहाँ कंपनी का कोई पर्याप्त उत्सर्जन (अपशिष्ट, वायु उत्सर्जन आदि) नहीं है।

**6. कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

| पैरामीटर | कृपया इकाई निर्दिष्ट करें | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|---|
| एनओएक्स | | लागू नहीं | |
| एसओएक्स | | | |
| कणिका तत्व (पीएम) | | | |
| स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी) | | | |
| वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) | | | |
| खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी) | | | |
| अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें | | | |

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं, क्योंकि कंपनी एक वित्तीय संस्थान (सेवा उद्योग) है, जहां कंपनी का कोई महत्वपूर्ण उत्सर्जन (अपशिष्ट, वायु उत्सर्जन आदि) नहीं है।

**7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

| पैरामीटर | इकाई | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|---|
| कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का सीओ$_2$, सीएच$_4$,एन$_2$ओ, एचएफसीएस, पीएफसीएस, एसएफ$_6$, एनएफ$_3$ का ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो) | सीओ$_2$ समतुल्य मीट्रिक टन | शून्य | शून्य |
| कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैसों का सीओ$_2$, सीएच$_4$,एन$_2$ओ, एचएफसीएस, पीएफसीएस, एसएफ$_6$, एनएफ$_3$ का ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो) | सीओ$_2$ समतुल्य मीट्रिक टन | 899.53 | 749.59 |
| **कारोबार के प्रति रुपये पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता** (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/परिचालन से राजस्व) | | 0.0000000181 | 0.0000000215 |
| क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपए पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व) | | लागू नहीं | लागू नहीं |
| भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता | | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है | | लागू नहीं | लागू नहीं |

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी एक वित्तीय संस्थान (सेवा उद्योग) है, जहां कंपनी का कोई महत्वपूर्ण उत्सर्जन नहीं है (अपशिष्ट, वायु उत्सर्जन आदि)।

कंपनी के पास स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने वाला 50 मेगावाट का सौर पीवी प्लांट है, जिससे वित्त वर्ष 24 के लिए ~72577.10 टन सीओ$_2$ की बचत होगी।

**8. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।**

हाँ, कंपनी के पास स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने वाला 50 मेगावाट का सौर पीवी प्लांट है, जिससे वित्त वर्ष 24 के लिए ~72577.10 टन सीओ$_2$ की बचत होगी।

**9. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

| मानदंड | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|
| **कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)** | | |
| प्लास्टिक अपशिष्ट **(क)** | लागू नहीं | लागू नहीं |
| ई-कचरा **(ख)** | 1.558 | शून्य |
| जैव-चिकित्सा अपशिष्ट **(ग)** | लागू नहीं | लागू नहीं |
| निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट **(घ)** | लागू नहीं | लागू नहीं |
| बैटरी अपशिष्ट **(ङ)** | लागू नहीं | लागू नहीं |
| रेडियोधर्मी अपशिष्ट **(च)** | लागू नहीं | लागू नहीं |
| अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। **(छ)** | लागू नहीं | लागू नहीं |
| उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट **(ज)**। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (संरचना के अनुसार विभाजन अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्रियों के अनुसार) | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **कुल (क+ख+ग+घ+ ङ+च+छ+ज)** | **1.558** | **लागू नहीं** |
| **कुल कारोबार के प्रति रुपए अपशिष्ट तीव्रता। (कुल अपशिष्ट उत्पन्न / प्रचालन से राजस्व)** | **0.00** | **लागू नहीं** |
| **क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कुल कारोबार के प्रति रुपये अपशिष्ट तीव्रता** | | |
| **(कुल अपशिष्ट उत्पन्न / परिचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)** | **लागू नहीं** | **लागू नहीं** |
| **भौतिक आउटपुट के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता** | **लागू नहीं** | **लागू नहीं** |
| **अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है** | **लागू नहीं** | **लागू नहीं** |
| **उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति संचालन के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)** | | |
| **अपशिष्ट की श्रेणी** | | |
| (i) पुनर्चक्रित | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (ii) पुनः उपयोग | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (iii) अन्य पुनर्प्राप्ति संचालन | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कुल | | |
| **उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)** | | |
| **अपशिष्ट की श्रेणी** | | |
| (i) भस्मीकरण | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (ii) लैंडफिलिंग | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (iii) अन्य निपटान कार्य | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **कुल** | **लागू नहीं** | **लागू नहीं** |

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं, क्योंकि कंपनी एक वित्तीय संस्थान (सेवा उद्योग) है, जहां कंपनी का कोई महत्वपूर्ण उत्सर्जन (अपशिष्ट, वायु उत्सर्जन आदि) नहीं है।

**10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनायी गयी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनायी गयी रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनायी गयी प्रथाओं का वर्णन करें।**

कंपनी के निपटान दिशा-निर्देशों के तहत परिभाषित प्रक्रिया का पालन करके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड के तहत पंजीकृत रिसाइकिलर्स/री-प्रोसेसर्स के माध्यम से ई-कचरे के रूप में पहचाने जाने वाले पुराने, अनुपयोगी और अप्रचलित आईटी उपकरणों का निपटान किया जाता है।

**11. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, जंगल, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आसपास परिचालन/कार्यालय हैं, जहाँ पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:**

| परिचालन/कार्यालयों का स्थान | परिचालन का प्रकार | क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गयी है, तो उसका विवरण दें। |
|---|---|---|
| लागू नहीं | | |

कंपनी अखिल भारतीय परिचालन वाली एक एनबीएफसी है। इसका पंजीकृत और निगमित कार्यालय नई दिल्ली में है। कंपनी के शाखा कार्यालय राज्य की राजधानियों में स्थित हैं। कंपनी के कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित नहीं हैं।

**12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा किये गये परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:**

| परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण | ईआईए अधिसूचना संख्या | दिनांक | क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं) | परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किये गये (हां/नहीं) | प्रासंगिक वेब लिंक |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं | | | | | |

आरई क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, कंपनी ने पर्यावरण और समाज पर हमारे द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रभावों, यदि कोई हो, की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली ("ईएसएमएस") को अपनाया है। कंपनी पात्र परियोजनाओं की पर्यावरण और सामाजिक जांच करती है और हमारी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के समानांतर प्रभाव की गंभीरता के आधार पर इनका वर्गीकरण करती है। जांच की इस प्रक्रिया के दौरान, आपकी कंपनी पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ साझेदारी में सक्रिय रूप से काम करती है। कंपनी को उधारकर्ताओं से यह अपेक्षा होती है कि वे संबंधित श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए कंपनी के ईएसएमएस के अनुरूप पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) प्रस्तुत करें तथा उन क्षेत्रों/परियोजनाओं के लिए भी जो प्रचलित सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार अनिवार्य रूप से इसकी आवश्यकता रखती हैं।

**13. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और इसके तहत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

| उस कानून/विनियमन/दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया | प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालयों जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा गैर-अनुपालन पर लगाये गये कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई का विवरण प्रदान करें | यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो |
|---|---|---|
| लागू नहीं | | |

आरई क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, कंपनी ने पर्यावरण और समाज पर हमारे द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रभावों, यदि कोई हो, की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली ("ईएसएमएस") को अपनाया है। कंपनी पात्र परियोजनाओं की पर्यावरण और सामाजिक जांच करती है और हमारी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के समानांतर परिकल्पित प्रभाव की गंभीरता के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करती है। जांच की इस प्रक्रिया के दौरान, हम पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने और गहरा करने के लिए ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ साझेदारी में सक्रिय रूप से काम करते हैं। कंपनी सभी उधारकर्ताओं को लागू पर्यावरण विनियमों को पूरा करने के लिए बाध्य करती है।

**नेतृत्व संकेतक**

**1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):**

लागू नहीं।

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम

(ii) परिचालन की प्रकृति

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन:

| प्राचल | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|
| **स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)** | | |
| (i) सतही जल | | |
| (ii) भू-जल | | |
| (iii) तृतीय पक्ष जल | | |
| (iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल | | |
| (v) अन्य | | |
| जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) | | |
| जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में) | | |
| कारोबार के प्रति रुपये जल तीव्रता | | |
| (जल की खपत/टर्नओवर) | | |
| जल तीव्रता (वैकल्पिक)- संबंधित मीट्रिक इकाई द्वारा चुनी जा सकती है | | |
| **गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जलस्राव (किलोलीटर में)** | | |
| (i) सतही जल में | | |
| - कोई उपचार नहीं | | |
| -उपचार के साथ- उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| (ii) भू-जल में | | |
| - कोई उपचार नहीं | | |
| - उपचार के साथ – उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| (iii) समुद्री जल में | | |
| - कोई उपचार नहीं | | |
| - उपचार के साथ – उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| (iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया | | |
| - कोई उपचार नहीं | | |
| - उपचार के साथ – उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| (v) अन्य | | |
| - कोई उपचार नहीं | | |
| - उपचार के साथ – उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | | |
| **कुल जलस्राव (किलोलीटर में)** | | |

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम

नहीं

**2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

लागू नहीं।

| प्राचल | इकाई | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|---|
| कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो जीएचजी का सीओ$_2$, सीएच$_4$, एन$_2$ओ, एचएफसीएस, पीएफसीएस, एसएफ$_6$, एनएफ$_3$ में ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो) | सीओ$_2$ समतुल्य मीट्रिक टन में | | |
| कुल स्कोप 3 उत्सर्जन प्रति रुपये टर्नओवर पर | | | |
| कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है | | | |

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

नहीं, क्योंकि कंपनी एक वित्तीय संस्थान (सेवा उद्योग) है और इसका कोई महत्वपूर्ण उत्सर्जन (अपशिष्ट, वायु उत्सर्जन आदि) नहीं है। इसके अलावा कंपनी के ग्राहक स्वच्छ अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं और उनका कोई महत्वपूर्ण उत्सर्जन (अपशिष्ट, वायु उत्सर्जन आदि) नहीं है। कंपनी व्यावसायिक यात्रा से बचने के लिए आभाषी तरीके से मिलना पसंद करती है, जिससे उत्सर्जन में कमी आती है।

**3. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताये गये पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

**4. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने या उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्वहन/ उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उक्त के साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम का विवरण प्रदान करें:**

| क्र. सं. | की गयी पहल | पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, तो सारांश के साथ उपलब्ध कराया जा सकता है) | पहल का परिणाम |
|---|---|---|---|
| 1 | ऊर्जा कुशलता भवन, 50 मेगावाट सौर पीवी संयंत्र, कार्यालयों में कागज के उपयोग को कम करने के लिए ई-ऑफिस का उपयोग और कंपनी द्वारा आधिकारिक उपयोग के लिए ई-वाहनों की खरीद | नई दिल्ली में भारत पर्यावास केंद्र और एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स में स्थित कंपनी के कार्यालय ऊर्जा कुशल होने और राष्ट्रीय भवन संहिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए डिज़ाइन किये गये हैं।<br><br>इसके अलावा, आपकी कंपनी के पास केरल के कासरगोड में 50 मेगावाट का सौर पीवी संयंत्र है जो स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 24 के लिए ~72577.10 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया है। कागज की खपत को कम करने के लिए, कंपनी देश भर में अपने सभी कार्यालयों में 'ई-ऑफिस' प्रणाली का उपयोग करती है। किदवई नगर के एनबीसीसी बिल्डिंग में कंपनी का बिजनेस सेंटर एक कागज रहित कार्यालय है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतते हुए, विशेष रूप से महामारी की शुरुआत के बाद, व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित आईटी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से दूरस्थ कार्य पद्धति का सक्रिय रूप से उपयोग किया है।<br>कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक आवागमन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों के उत्सर्जन से बचने के लिए कंपनी ने ई-वाहन खरीदे हैं और उनका उपयोग कर रही है। | इसके अलावा, केरल के कासरगोड में 50 मेगावाट का सोलर पीवी प्लांट लगाया गया है जो स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करता है।<br>फलस्वरूप ~72577.10 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ है |

**5. क्या इकाई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें।**

हां। कंपनी की व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति एक ढांचा निर्धारित करती है जो कंपनी को आंतरिक और/या बाहरी खतरों का जवाब देने और यदि संभव हो तो कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों, संचालन और बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाले परिणामों को रोकने और प्रबंधित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने में सक्षम

बनाती है। यह नीति जोखिम मूल्यांकन और व्यवसाय प्रभाव विश्लेषण पर आधारित है। इसके अलावा, कंपनी की सूचना सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति में सूचना सुरक्षा की निरंतरता भी शामिल है।

व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति का उद्देश्य व्यवसाय-स्वामित्व वाली और व्यवसाय संचालित रणनीतिक और परिचालनगत रूपरेखा स्थापित करके कंपनी और उसके आंतरिक और बाहरी हितधारकों के हितों की रक्षा करना है, जो जोखिम मूल्यांकन के संदर्भ में पहचाने गये विघटनकारी घटनाओं और/या प्रत्याशित जोखिमों के प्रभाव का पता लगाने, रोकने, कम करने और जहां आवश्यक हो, उनसे निपटने की कंपनी की क्षमता को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करता है।

व्यवसाय निरंतरता नीति कंपनी के इंट्रानेट पर उपलब्ध है।

**6. इकाई की मूल्य कड़ी से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।**

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी एक वित्तीय संस्थान (सेवा उद्योग) है जहां कंपनी का कोई महत्वपूर्ण उत्सर्जन (अपशिष्ट, वायु उत्सर्जन आदि) नहीं है और यह स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त प्रदान करती है। इसलिए पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा, कंपनी के पास स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने वाला 50 मेगावाट का सोलर पीवी प्लांट है, जिससे वित्त वर्ष 24 में 72577.10 टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत हुई है।

**7. मूल्य कड़ी भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।**

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, कंपनी ने पर्यावरण और समाज पर हमारे द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रभावों, यदि कोई हो, की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली ("ईएसएमएस") को अपनाया है। कंपनी पात्र परियोजनाओं की पर्यावरण और सामाजिक जांच करती है और हमारी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के समानांतर परिकल्पित प्रभाव की गंभीरता के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करती है। जांच की इस प्रक्रिया के दौरान, हम पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने और गहरा करने के लिए ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ साझेदारी में सक्रिय रूप से काम करते हैं। कंपनी सभी उधारकर्ताओं को लागू पर्यावरणीय नियमों को पूरा करने के लिए बाध्य करती है।

## सिद्धांत 7: व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हों, तो ऐसे में उन्हें जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ करना चाहिए।

### आवश्यक संकेतक

**1. क. व्यापार और उद्योग चेम्बरों/एसोसिएशनों से संबद्धता की संख्या:**

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चेंबरों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जिनकी संस्था सदस्य है/संबद्ध है

| क्र. सं. | व्यापार और उद्योग चेंबरों/एसोसिएशनों का नाम | व्यापार और उद्योग चेंबरों/एसोसिएशनों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय) |
|---|---|---|
| 1 | सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप) | राष्ट्रीय |
| 2 | आईबीए - भारतीय बैंक संघ | राष्ट्रीय |
| 3 | विश्व ऊर्जा परिषद - भारत | राष्ट्रीय |
| 4 | केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड | राष्ट्रीय |
| 5 | पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री | राष्ट्रीय |
| 6 | भारतीय उद्योग परिसंघ | राष्ट्रीय |
| 7 | पावर फाउंडेशन | राष्ट्रीय |

**2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गयी या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें:**

नियामक प्राधिकरणों से कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया।

| प्राधिकरण का नाम | मामले का संक्षिप्त विवरण | की गयी सुधारात्मक कार्रवाई |
|---|---|---|
| | लागू नहीं | |

## नेतृत्व संकेतक

**1. इकाई द्वारा बतायी गयी सार्वजनिक नीति की स्थिति का विवरण।**

| क्र. सं. | सार्वजनिक नीति की वकालत | ऐसी वक्तव्य के लिए अपनायी गयी पद्धति | क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं) | बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्ध-वार्षिक/त्रै-मासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें) | वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |

कंपनी एमएनआरई योजनाओं जैसे कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम योजना, चरण- II (सरकारी उत्पादक योजना); राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम; पीएलआई योजना के तहत उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, ट्रांचे- I और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) योजना के लिए एक नोडल एजेंसी है;

**सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए।**

## आवश्यक संकेतक

**1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा किये गये परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण:**

| परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण | एसआईए अधिसूचना संख्या | अधिसूचना की तिथि | क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं) | परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किया गया (हाँ/नहीं) | प्रासंगिक वेब लिंक |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | कंपनी सीधे तौर पर भूमि अधिग्रहण से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है (कंपनी की 50 मेगावाट की कासरगोड सौर परियोजना हेतु पूरी भूमि सरकारी भूमि है)।<br>आरई क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, कंपनी ने पर्यावरण और समाज पर हमारे द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रभावों, यदि कोई हो, की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली ("ईएसएमएस") अपनायी है। कंपनी पात्र परियोजनाओं की पर्यावरण और सामाजिक जांच करती है और हमारी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के समानांतर प्रभाव की गंभीरता के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करती है। जांच की इस प्रक्रिया के दौरान, कंपनी पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने और उसे गहरा करने के लिए ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ साझेदारी में सक्रिय रूप से काम करती है | लागू नहीं | लागू नहीं |

**2. निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) किया जा रहा है:**

| क्र सं. | परियोजना का नाम जिसके लिए आरएंडआर चल रहा है | राज्य | जिला | परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या | आरएंडआर द्वारा शामिल किये गये पीएएफ का % | वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गयी राशि (भारतीय रु. में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं | | | | | | |

**3 समुदाय की शिकायतें ग्रहण करने और उनके निवारण तंत्र का वर्णन करें।**

कंपनी में आम लोगों और कर्मचारियों दोनों के लिए शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। कंपनी के कर्मचारियों हेतु यह प्रक्रिया ऑनलाइन है। शिकायत निवारण समिति की बैठकें हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं और शिकायतों को अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से शीघ्रता से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी के पास पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचित नागरिक चार्टर है जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

**4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट) का प्रतिशत**

| | वित्त वर्ष (2023-24) | वित्त वर्ष (2022-23) |
|---|---|---|
| सीधे एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से प्राप्त | 39.88% | 76.64% |
| सीधे भारत के भीतर से | 100% | 100% |

**5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या कामगारों सहित) को भुगतान किये गये वेतन का प्रकटीकरण कुल वेतन लागत के % के रूप में करें।**

| अवस्थान | वित्त वर्ष (2023-24) | वित्त वर्ष (2022-23) |
|---|---|---|
| ग्रामीण | शून्य | शून्य |
| अर्ध-शहरी | शून्य | शून्य |
| महानगर | शून्य | शून्य |
| महानगरीय | वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के कार्यबल में 27 नये कार्मिक शामिल हुए हैं। नयी नियुक्तियाँ यथा; तकनीकी, वित्त, कानूनी और कंपनी सचिवालय जैसे विभिन्न कार्यों में कार्यकारी-प्रशिक्षुओं से लेकर महाप्रबंधक स्तर तक हैं। स्थान: नई दिल्ली<br><br>नये भर्ती कर्मचारियों को दी जाने वाली मज़दूरी कुल मज़दूरी का ~8 % है। | वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के कार्यबल में 16 नये कार्मिक शामिल हुए हैं। नयी नियुक्तियां यथा; तकनीकी, वित्त, कानूनी, मानव संसाधन और कंपनी सचिवालय जैसे विभिन्न कार्यों में कार्यकारी-प्रशिक्षुओं से लेकर महाप्रबंधक स्तर तक हैं।<br>स्थान: नई दिल्ली<br><br>नये भर्ती कर्मचारियों को दी जाने वाली मज़दूरी कुल मज़दूरी का ~7 % है। |

(स्थान को आरबीआई वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार - ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/महानगरीय में वर्गीकृत किया जाए)

## नेतृत्व संकेतक

**1. सामाजिक प्रभाव आकलन में प्रतिचिह्नित किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गयी कार्रवाई का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):**

| प्रतिचिह्नित नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण | की गयी सुधारात्मक कार्रवाई |
|---|---|
| शून्य | लागू नहीं |

**2. सरकारी निकायों द्वारा प्रतिचिह्नित नामित आकांक्षी जिलों में आपकी इकाई द्वारा की गयी सीएसआर परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें:**

| क्र. सं. | राज्य | आकांक्षी जिला | खर्च की गयी राशि (भारतीय रुपये में) |
|---|---|---|---|
| 1 | उत्तर प्रदेश | चंदौली | 3,84,57,180 |
| 2 | उत्तर प्रदेश | बलरामपुर | 4,33,46,390 |

नामित आकांक्षी जिले में सीएसआर व्यय के अलावा, (जिला प्रशासन के अनुरोध के अनुसार), कंपनी ने ओडिशा के आकांक्षी जिले कालाहांडी में ₹28,52,325 और उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले सिद्धार्थनगर में ₹1,89,56,000 का व्यय भी किया है।

**3. (क) क्या आपके पास कोई अधिमान्य संप्राप्ति नीति है, जिसके तहत आप हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं)**

कंपनी एमएसई (25%), एससी/एसटी एमएसई (4%) और महिला एमएसई (3%) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में सरकारी नीति का पालन करती है। कंपनी अपनी सभी खरीद में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। यह उल्लेखनीय है कि एससी, एसटी और महिला उद्यमियों से खरीद का विभाजन मुख्य रूप से विक्रेताओं द्वारा दर्ज किये गये दावों पर निर्भर करता है, जिस पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है।

**ख) आप किस हाशिए पर पड़े/कमजोर समूह से संप्राप्त करते हैं?**

कंपनी एमएसई (25%), एससी/एसटी एमएसई (4%) और महिला एमएसई (3%) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में सरकारी नीति का पालन करती है। कंपनी अपनी सभी खरीद में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। यह उल्लेखनीय है कि एससी, एसटी और महिला उद्यमियों से खरीद का विभाजन मुख्य रूप से विक्रेताओं द्वारा दर्ज किए गये दावों पर निर्भर करता है, जिस पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है।

**ग) यह कुल संप्राप्ति (मूल्य के हिसाब से) का कितना प्रतिशत है?**

कंपनी एमएसई (39.88%), एससी/एसटी एमएसई (1.19%) और महिला एमएसई (22.32%) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में सरकारी नीति का पालन करती है। कंपनी अपनी सभी खरीद में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। यह उल्लेखनीय है कि एससी, एसटी और महिला उद्यमियों से खरीद का विभाजन विक्रेताओं द्वारा दर्ज किये गये दावों पर अत्यधिक निर्भर करता है, जिस पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है।

**4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व वाली या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किये गये लाभों का विवरण।**

लागू नहीं, कंपनी के पास कोई बौद्धिक संपदा नहीं है।

| क्र. सं. | पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा | स्वामित्व/अधिग्रहित (हां/नहीं) | साझा लाभ (हां/नहीं) | लाभ हिस्सेदारी की गणना का आधार |
|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं | | | | |

**5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गयी या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।**

बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया।

| प्राधिकारी का नाम | मामले का संक्षिप्त विवरण | की गयी सुधारात्मक कार्रवाई |
|---|---|---|
| | | |

**6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:**

| क्र. सं. | सीएसआर निधि का उद्देश्य | सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या | कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का % |
|---|---|---|---|
| 1 | इरेडा के सीएसआर कोष के तहत आकांक्षी जिले चंदौली, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए अनुमानित कुल लागत ₹3,84,57,180 के लिए वित्तीय सहायता:<br>• सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों/अस्पतालों में 5 किलोवाट सौर पीवी सिस्टम (ऑफ-ग्रिड) की 83 इकाइयां और 50 एलपीएच आरओ वाटर वेंडिंग मशीनों की 90 इकाइयां स्थापित की जाएंगी।<br>• जवाहर नवोदय विद्यालय, बैराठ में 50 एलपीएच आरओ वाटर वेंडिंग मशीन के साथ 3 किलोवाट सौर पीवी सिस्टम (ऑफ-ग्रिड) की 1 इकाई स्थापित की जाएगी। | 12,450 | 100 |
| 2 | उत्तर प्रदेश के बलरामपुर आकांक्षी जिले में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण, सरकारी स्कूलों में डेस्क बेंच, सरकारी बालिका छात्रावास में बिस्तर, मेज और कुर्सियां आपूर्ति करने के लिए केन्द्रीय भंडार को ₹2,87,04,770 की अनुमानित कुल लागत के लिए वित्तीय सहायता | 1,500 | 100 |
| 3 | लखनऊ, उत्तर प्रदेश में बच्चों/विद्यार्थियों के लिए दस (10) स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए मैसर्स एसवीएआर, लखनऊ को ₹16.02लाख की अनुमानित लागत के लिए वित्तीय सहायता | 1,000 | 100 |
| 4 | बेंगलुरु, कर्नाटक में राष्ट्रोत्थान ट्रस्ट के जयदेव मेमोरियल राष्ट्रोत्थान अस्पताल में 200 केडब्ल्यूपी सोलर पीवी रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम की खरीद और स्थापना के लिए ₹80,00,000 (करों सहित) की अनुमानित कुल लागत के लिए वित्तीय सहायता। | 30,000 | 100 |
| 5 | भोपाल, मध्य प्रदेश में मैसर्स ऐम अचीवर्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 5200 लाभार्थियों को आपातकालीन अनुक्रिया प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ₹ 25,00,000 (करों सहित) की अनुमानित कुल लागत हेतु वित्तीय सहायता | 5,200 | 100 |
| 6 | मैसर्स द गोल्डन विलेज फाउंडेशन, बागपत, उत्तर प्रदेश द्वारा गाजियाबाद जिले (उत्तर प्रदेश) के लोनी ब्लॉक तथा बागपत में खेकड़ा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में 325 लाभार्थियों यानी महिलाओं/लड़कियों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए ₹ 30,85,225 (करों सहित) की अनुमानित कुल लागत के लिए वित्तीय सहायता | 325 | 100 |
| 7 | तीन (03) आदिवासी गांवों, ब्लॉक- मांडवी, जिला- सूरत, राज्य- गुजरात में संकटपूर्ण पलायन को कम करने के लिए सौर आधारित सिंचाई प्रणाली और अन्य कृषि पद्धतियों के लिए ₹ 1,41,82,875की अनुमानित लागत के लिए वित्तीय सहायता | 1,174 | 100 |

| क्र. सं. | सीएसआर निधि का उद्देश्य | सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या | कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का % |
|---|---|---|---|
| 8 | इरेडा के सीएसआर निधि के तहत ओडिशा के आकांक्षी जिले कालाहांडी की दोनों ग्राम पंचायतों के स्कूलों में सौर ऊर्जा प्रणाली, फर्नीचर और अन्य शैक्षणिक सामग्री की आपूर्ति और ग्राम पंचायतों के गांवों में सौर स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति और स्थापना के लिए ₹ 28,52,325 की अनुमानित लागत के लिए वित्तीय सहायता। | 10,000 | 100 |
| 9 | मछलीपट्टनम संसदीय चुनाव क्षेत्र, मछलीपट्टनम, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश के 42 गांवों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की स्थापना के लिए मैसर्स कनेक्ट टू आंध्र, योजना विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार को ₹59,94 लाख की अनुमानित लागत के लिए वित्तीय सहायता | 25,000 | 100 |
| 10 | सिद्धार्थनगर संसदीय चुनाव क्षेत्र, आकांक्षी जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में 1000 अदद सौर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की स्थापना के लिए मैसर्स उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम (यूपीएसआईसी), गोरखपुर को ₹189,56 लाख की अनुमानित कुल लागत के लिए वित्तीय सहायता | 16,000 | 100 |
| 11 | श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन, पुरी को 5 बीओवी (6 सीट वाले) और 5 बीओवी (11 सीट वाले) दान करके विभिन्न पर्यटन स्थलों के साथ-साथ विरासत शहर पुरी का दौरा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आवागमन को आसान बनाने के लिए सहायता | 62,000 | 100 |
| 12 | ओडिशा के मयूरभंज जिले के सरकारी आईटीआई करंजिया, मंडुआ परिसर के साथ-साथ बिसोई और सरसकाना के दो ब्लॉकों के अंदर 33 गांवों में सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति और स्थापना के लिए ₹25,93,962 की अनुमानित लागत के लिए वित्तीय सहायता | 20,000 | 100 |
| 13 | बिहार के बक्सर जिले के अंतर्गत 9 ब्लॉकों में ई-मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकों की तैनाती के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए 32,40,000 (रुपये बत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की संशोधित अनुमानित लागत के लिए वित्तीय सहायता | 20,000 | 100 |
| 14 | उत्तर प्रदेश के बलरामपुर आकांक्षी जिले में सरकारी स्कूलों/छात्रावासों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में सौर पीवी सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए यूपीएसआईसी गाजियाबाद को ₹1,46,41,620 की अनुमानित कुल लागत के लिए वित्तीय सहायता | 6,000 | 100 |

| क्र. सं. | सीएसआर निधि का उद्देश्य | सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या | कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का % |
|---|---|---|---|
| 15 | हिमाचल प्रदेश में विकलांग बच्चों की सेवा के लिए सैम्फिया फाउंडेशन द्वारा "थेरेपी ऑन व्हील्स" कार्यक्रम चलाने वाली दो मोबाइल मेडिकल वैन का परिचालनगत व्यय | 1,500 | 100 |
| 16 | वित्त वर्ष 2023-24 में जनसेवा ट्रस्ट, चंनेनाहल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटक को "परम परियोजना: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार कौशल विकास केंद्र" के लिए ₹1,00,00,000 के एकमुश्त योगदान की स्वीकृति | 0 | 0 |

## सिद्धांत 9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए

### आवश्यक संकेतक

**1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका उत्तर देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।**

कंपनी ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के आधार पर अपने ऋण प्रचालन के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता (एफपीसी) विकसित की है, जिसका उद्देश्य सभी उधारकर्ताओं को कंपनी के निष्पक्ष व्यवहार और अपने व्यावसायिक लेनदेन में पारदर्शिता के प्रति वचनबद्धता का आश्वासन प्रदान करना है। निदेशक मंडल समय-समय पर निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है। यह कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वेब लिंक निम्नानुसार है:

https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/FPC_Doc_26%2008%202023.pdf.

वित्त वर्ष 2024 हेतु, निष्पक्ष व्यवहार संहिता के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

कंपनी ने एक ऐसी प्रणाली भी स्थापित की है, जिसमें हमारे उधारकर्ताओं के लिए कंपनी की वेबसाइट पर ग्राहक प्रतिक्रिया फ़ॉर्म उपलब्ध है, जिसमें कंपनी की सेवाओं की उपयुक्तता, ऋण की स्वीकृति/निष्पादन में लगने वाला समय, ग्राहक समस्याओं का समाधान आदि जैसे पहलू शामिल हैं।

उधारकर्ताओं से प्रतिक्रिया लेने के लिए नियमित उधारकर्ता बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रतिक्रिया का विश्लेषण, समीक्षा की जाती है और जहाँ भी आवश्यक हो, आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

**2. सभी उत्पादों/सेवाओं से सकल कारोबार की प्रतिशतता के रूप में उत्पादों और/या सेवाओं का सकल कारोबार जो निम्नलिखित के बारे में जानकारी रखते हैं**

कंपनी भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करती है। इन उत्पादों और सेवाओं का मुख्य उद्देश्य सौर, पवन, बायोमास और जलविद्युत ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और नियोजन को सुविधाजनक बनाना है। कंपनी के ग्राहक कोई भी इकाई या व्यक्ति हैं जो अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कंपनी से वित्तीय सहायता या सेवाएँ प्राप्त करते हैं। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य कड़ी के लिए दीर्घकालिक ऋण, मध्यम अवधि ऋण, अल्पावधि ऋण आदि शामिल हैं। कंपनी के ग्राहकों में निजी क्षेत्र की कंपनियाँ/फर्म/एलएलपी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू), राज्य उपयोगिताएँ - डिस्कॉम/ट्रांसको/जेनको/निगम और संयुक्त क्षेत्र की कंपनियाँ शामिल हैं। कंपनी वस्तुतः उत्पाद/विनिर्माण क्षेत्र में काम नहीं करती है।

कुल मिलाकर, कंपनी के उत्पाद और सेवाएँ भारत में अक्षय ऊर्जा नियोजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ हैं। स्वच्छ और स्थाई ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन का समर्थन करके, कंपनी जलवायु परिवर्तन को कम करने, वायु और जल प्रदूषण को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने में योगदान देती है।

कंपनी द्वारा वित्तपोषित संयंत्रों के पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं, सुरक्षा और जिम्मेदार उपयोग और सुरक्षित निपटान आदि के संबंध में आवश्यक नियम और शर्तें और अन्य कानूनी रूप से बाध्यकारी खंड प्रत्येक मामले में नियम और शर्तों और ऋण दस्तावेज़ों में शामिल किये गये हैं।

| | सकल कारोबार के प्रतिशत के रूप में |
|---|---|
| उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड | 100 |
| सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग | 100 |
| पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान | 100 |

**3. निम्नलिखित से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों की संख्या :**

| | वित्त वर्ष 2023-24 | | अभ्युक्तियाँ | वित्त वर्ष 2022-23 | | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | |
| डेटा गोपनीयता | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य |
| विज्ञापन | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य |
| साइबर-सुरक्षा | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य |
| आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य |
| प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य |
| अनुचित व्यापार व्यवहार | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य |
| अन्य: उपभोक्ता मामले | शून्य | लागू नहीं | शून्य | शून्य | लागू नहीं | शून्य |

**4 सुरक्षा विषयों के कारण उत्पाद वापस बुलाने के उदाहरणों का विवरण:**

कंपनी भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करती है। इन उत्पादों और सेवाओं का मुख्य उद्देश्य सौर, पवन, बायोमास और जलविद्युत ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और नियोजन को सुविधाजनक बनाना है। कंपनी वस्तुतः उत्पाद/विनिर्माण क्षेत्र में काम नहीं करती है।

| | संख्या | वापस बुलाने के कारण |
|---|---|---|
| स्वैच्छिक वापस बुलाना | शून्य | शून्य |
| जबरन वापस बुलाना | शून्य | शून्य |

**5. क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।**

हाँ

कंपनी के पास एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है जो अनिवार्य रूप से साइबर सुरक्षा और संबंधित पहलुओं को कवर करती है। नीति कंपनी का एक आंतरिक दस्तावेज़ है जो इसके इंट्रानेट पर उपलब्ध है।

**6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के मामलों की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक अधिकारियों द्वारा की गई दंड/कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं है क्योंकि कोई भी समस्या रिपोर्ट नहीं की गयी है।

**7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

क. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या शून्य

ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत शून्य

ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो शून्य

## नेतृत्व संकेतक

**1. चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहाँ इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।**

कंपनी एक एनबीएफसी है जो भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करती है। इन उत्पादों और सेवाओं का मुख्य उद्देश्य सौर, पवन, बायोमास और जलविद्युत ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और नियोजन को सुविधाजनक बनाना है। कंपनी का ग्राहक कोई भी इकाई या व्यक्ति है जो अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कंपनी से वित्तीय सहायता या सेवाएँ प्राप्त करता है। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य कड़ी के लिए दीर्घकालिक ऋण, मध्यम अवधि के ऋण, अल्पकालिक ऋण आदि शामिल हैं। कंपनी के ग्राहकों में निजी क्षेत्र की कंपनियाँ/फर्म/एलएलपी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू), राज्य उपयोगिताएँ - डिस्कॉम/ट्रांसको/जेनको/निगम और संयुक्त क्षेत्र की कंपनियाँ शामिल हैं।

ग्राहकों के लिए उत्पाद पोर्टफोलियो, ब्याज दरें और संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/detailed-financing-norms पर उपलब्ध है।

**2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाये गये कदम।**

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, कंपनी ने पर्यावरण और समाज पर हमारे द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रभावों की प्रति चिह्नित करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली ("ईएसएमएस") अपनायी है। कंपनी पात्र परियोजनाओं की पर्यावरण और सामाजिक जांच करती है और हमारे ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के समानांतर परिकल्पित प्रभाव की गंभीरता के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करती है। जांच की इस प्रक्रिया के दौरान, हम पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने और गहरा करने के लिए ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ साझेदारी में सक्रिय रूप से काम करते हैं।

कंपनी विभिन्न व्याख्यान श्रृंखला, हितधारक परामर्श भी आयोजित करती है, कर्मचारियों, ग्राहकों, समुदाय जैसे विभिन्न हितधारकों को शिक्षित करने के लिए स्वच्छता अभियान चलाती है।

**3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र।**

व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति एक ढांचा निर्धारित करती है जो कंपनी को आंतरिक और/या बाहरी खतरों का जवाब देने और यदि संभव हो तो कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों, संचालन और बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाले परिणामों को रोकने और प्रबंधित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने में सक्षम बनाती है। यह नीति जोखिम मूल्यांकन और व्यावसायिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित है। इसके अलावा, कंपनी की सूचना सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति में सूचना सुरक्षा की निरंतरता भी शामिल है।

व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति का उद्देश्य व्यवसाय-स्वामित्व वाली और व्यवसाय संचालित रणनीतिक और परिचालन रूपरेखा स्थापित करके कंपनी और उसके आंतरिक और बाहरी हितधारकों के हितों की रक्षा करना है, जो जोखिम मूल्यांकन के संदर्भ में पहचाने गये विघटनकारी घटनाओं और/या प्रत्याशित जोखिमों के प्रभाव का पता लगाने, रोकने, कम करने और जहां आवश्यक हो, उनसे निपटने की कंपनी की क्षमता को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करता है।

कंपनी ने एक ऐसी प्रणाली भी स्थापित की है, जिसमें ग्राहक प्रतिक्रिया प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट पर हमारे उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, जिसमें कंपनी की सेवाओं की उपयुक्तता, ऋण की स्वीकृति/ निष्पादन में लगने वाला समय, ग्राहक समस्याओं का समाधान आदि जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

**4. क्या संस्था स्थानीय कानून के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अतिरिक्त उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं)**

हां

कंपनी भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाली एक एनबीएफसी है। इन उत्पादों और सेवाओं का मुख्य उद्देश्य अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और नियोजन को सुविधाजनक बनाना है। एक एनबीएफसी होने के नाते, यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसके द्वारा पेश किये जाने वाले सभी वित्तीय उत्पादों का पर्याप्त खुलासा इसके उधारकर्ताओं/ग्राहकों और इसके निवेशकों को निगमित वेबसाइट www.ireda.in के माध्यम से किया जाता है। वेबसाइट में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी शामिल है।

कंपनी ने एक ऐसी प्रणाली भी स्थापित की है, जिसमें हमारे उधारकर्ताओं के लिए कंपनी की वेबसाइट पर ग्राहक प्रतिक्रिया फ़ॉर्म उपलब्ध है, जिसमें कंपनी की सेवाओं की उपयुक्तता, ऋण की स्वीकृति/निष्पादन में लगने वाला समय, ग्राहक समस्याओं का समाधान आदि जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

उधारकर्ताओं से प्रतिक्रिया लेने के लिए इरेडा द्वारा नियमित उधारकर्ता बैठकें/संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रतिक्रिया का विश्लेषण, समीक्षा की जाती है और जहाँ भी आवश्यक हो, आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

# प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

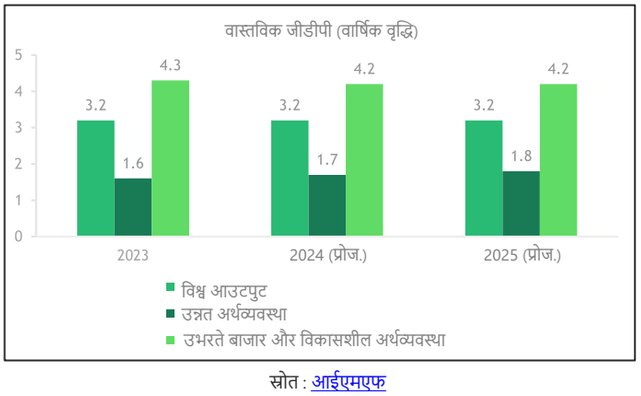
आपकी कंपनी प्रबंधन को वित्तीय वर्ष 24 के दौरान आपकी कंपनी के कार्य-प्रदर्शन सहित उद्योग परिदृश्य पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

## 1. वैश्विक व्यापार परिदृश्य और पुनर्बाज़ार

### समग्र आर्थिक परिदृश्य

कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष तथा इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष जैसे वैश्विक भू-राजनीतिक विवादों के बाद उभरे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य ने एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, विश्व अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 और 2025 के दौरान 2023 के समान ही 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ती रहेगी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपेक्षित मामूली तेजी - जहां विकास 2023 में 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 1.7 प्रतिशत और 2025 में 1.8 प्रतिशत होने की उम्मीद है - उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2023 में 4.3 प्रतिशत से 2024 और 2025 दोनों में 4.2 प्रतिशत तक मामूली मंदी में बदल जाएगी। अगले पांच वर्षों के लिए वैश्विक विकास का पूर्वानुमान 3.1 प्रतिशत है - जो दशकों में सबसे कम है।



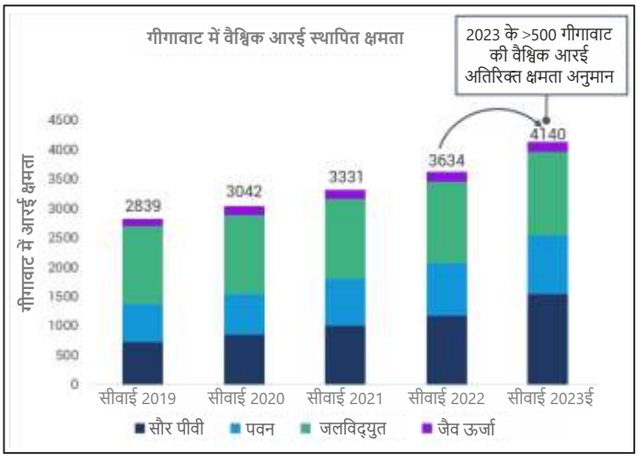

स्रोत : आईएमएफ

वैश्विक शीर्षक मुद्रास्फीति वर्ष 2023 में 6.8 प्रतिशत के वार्षिक औसत से घटकर वर्ष 2024 में 5.9 प्रतिशत और 2025 में 4.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाएं उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यों पर जल्दी लौट आएंगी।

कम ईंधन कीमतों और वित्तीय बाजारों में बेहतर भावना के कारण तेजी से मुद्रास्फीति की संभावना एक आशाजनक परिदृश्य प्रस्तुत करती है।

### वैश्विक अक्षय ऊर्जा बाजार का अवलोकन

आईईए के अनुसार, वैश्विक अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता 4,140 गीगावाट (गीगावाट) होने का अनुमान है, जो वर्ष 2023 में 14% विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है। सौर ऊर्जा के 1,552 गीगावाट के साथ अग्रणी रहने की उम्मीद है, इसके बाद जल विद्युत (1,411 गीगावाट), पवन (1,007 गीगावाट) और जैविक ऊर्जा (170 गीगावाट) का स्थान है।




स्रोत : आईईए

**शीर्ष 5 देश – वर्ष 2023 में सौर पीवी और पवन ऊर्जा क्षमता**

| शीर्ष 5 देश – सौर पीवी क्षमता | | | शीर्ष 5 देश – पवन ऊर्जा क्षमता | | |
|---|---|---|---|---|---|
| देश का दर्जा | देश का नाम | दिसंबर – 2023 तक संस्थापित क्षमता (लगभग) (गीगावाट) | देश का दर्जा | देश का नाम | दिसंबर – 2023 तक संस्थापित क्षमता (लगभग) (गीगावाट) |
| 1 | चीन | 610 | 1 | चीन | 442 |
| 2 | अमेरिका | 139 | 2 | अमेरिका | 148 |
| 3 | जापान | 87 | 3 | जर्मनी | 69 |
| 4 | जर्मनी | 82 | 4 | भारत | 45 |
| 5 | भारत | 73 | 5 | स्पेन | 31 |

स्रोत: आईआरईएनए

ब्लूमबर्ग एनईएफ के अनुसार, ऊर्जा परिवर्तन में वैश्विक निवेश कैलेंडर वर्ष 2023 में 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 2022 से 17% अधिक है। निवेश का यह रिकॉर्ड स्तर दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस निवेश को चलाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में विद्युतीकृत परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा और पावर ग्रिड बुनियादी ढांचा शामिल हैं। स्वच्छ ऊर्जा निवेश में चीन एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है, जिसके पास वैश्विक निवेश का 38% हिस्सा है। हालांकि, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे अन्य क्षेत्रों ने सामूहिक रूप से वर्ष 2023 में चीन से अधिक निवेश किया, कुल मिलाकर $737 बिलियन थी। यह बदलाव स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में बढ़ती वैश्विक गति को दर्शाता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश $623 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें पवन, सौर, भू-तापीय और जैव ईंधन परियोजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। विद्युतीकृत परिवहन व्यय के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है, जिसमें कुल 634 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है, जिसमें विद्युतीय वाहनों और संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण शामिल है। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं, जलवायु-तकनीक इक्विटी जुटाने और ऊर्जा परिवर्तन ऋण जारी करने में प्रत्यक्ष निवेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलवायु-तकनीक कंपनियों ने वर्ष 2023 में इक्विटी में $84 बिलियन उगाही, जबकि ऊर्जा परिवर्तन ऋण जारी करने की कुल राशि $824 बिलियन थी, जिसमें उपयोगिता कंपनियां सबसे बड़ी जारीकर्ता हैं।

इन सकारात्मक रुझानों के बावजूद, निवेश का वर्तमान स्तर मध्य शताब्दी तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्तर से कम है। ब्लूमबर्ग एनईएफ के शुद्ध शून्य परिदृश्य के अनुसार, पेरिस समझौते के लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए 2024 से 2030 तक वार्षिक ऊर्जा परिवर्तन निवेश को औसतन $4.8 ट्रिलियन प्रति वर्ष की आवश्यकता होगी।

**देश द्वारा ऊर्जा परिवर्तन में निवेश (बिलियन अमरीकी डॉलर) 2023**

| देश | निवेश (बिलियन अमरीकी डॉलर) | देश | निवेश (बिलियन अमरीकी डॉलर) |
|---|---|---|---|
| चीन | 676 | ब्राज़ील | 35 |
| अमेरिका | 303 | स्पेन | 32 |
| जर्मनी | 95 | जापान | 32 |
| यूनाइटेड किंगडम | 74 | भारत | 31 |
| फ़्रांस | 55 | इटली | 30 |

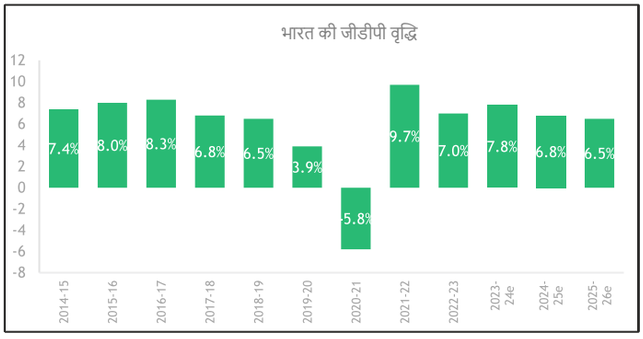
स्रोत : ब्लूमबर्ग एनईएफ

दुनिया भर की सरकारें जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्थाई ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन को तेज़ करने के लिए कई तरह के नीतिगत हस्तक्षेप लागू कर रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, 2022 का मुद्रा-स्फीति न्यूनीकरण अधिनियम (आईआरए) कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से पहलों के लिए धन की उगाही जारी रखता है। इसमें घरेलू विनिर्माण क्षमता में निवेश को प्रोत्साहित करना, महत्वपूर्ण घटकों की खरीद को सुविधाजनक बनाना और कार्बन कैप्चर और स्वच्छ हाइड्रोजन जैसी तकनीकों के लिए अनुसंधान और विकास का समर्थन करना शामिल है। इसी तरह, यूरोपीय संघ की ग्रीन डील जलवायु तटस्थता के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है, जो 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक शुद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% कम करने का प्रयास करती है। यह व्यापक नीति ढांचा अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता उपायों, टिकाऊ परिवहन बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देता है, और परिवर्तन से गुजर रहे क्षेत्रों और उद्योगों को सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कई देश उत्सर्जन में कमी लाने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव को बढ़ावा देने के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, नियामक मानकों और जनादेशों को लागू करते हैं। ये सामूहिक प्रयास जलवायु परिवर्तन का समाधान करने हेतु और आने वाली पीढ़ियों को अधिक टिकाऊ भविष्य प्रदान करने की वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

## 2. भारत का व्यावसायिक दृष्टिकोण और पुनर्बाज़ार

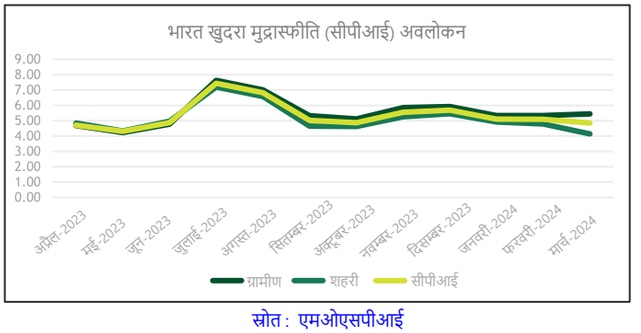
### समग्र आर्थिक दृष्टिकोण

वित्त वर्ष 24 में, भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच लचीलापन प्रदर्शित किया, जिसमें हरित वित्तपोषण ने सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। आईएमएफ के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में 7.8% की प्रभावशाली दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले अनुमानों से एक महत्वपूर्ण संशोधन को दर्शाता है। यह वृद्धि गति वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में एक असाधारण प्रदर्शन के बाद है, जहाँ आर्थिक गतिविधि वित्त वर्ष 23 की तीसरी तिमाही की तुलना में 8.4% की वृद्धि दर के साथ अपेक्षाओं को पार कर गयी। इसके अलावा, पीएमआई विनिर्माण सूचकांक मार्च में 59.1 के 16 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो विनिर्माण क्षेत्र के लचीलेपन को रेखांकित करता है। स्टील, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख उद्योगों में निजी क्षेत्र के निवेश में भी वृद्धि हुई है।

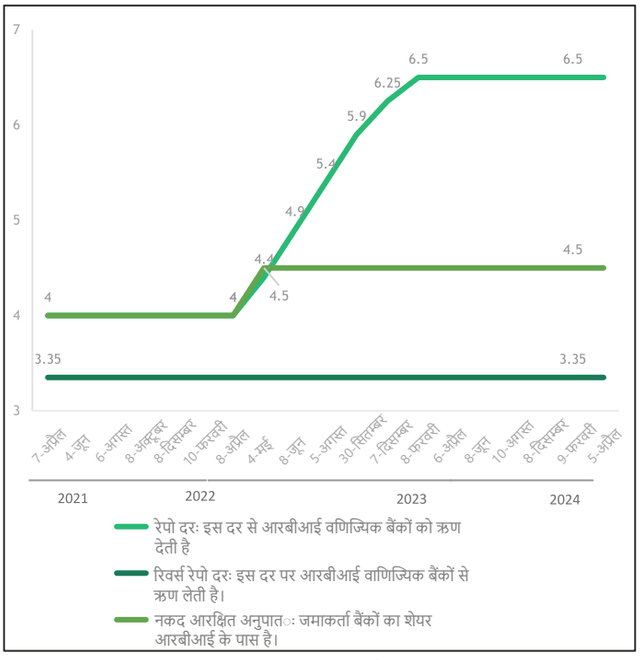



स्रोत : आईएमएफ

समग्र सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि, सामान्य मानसून को मानते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति 2023-24 में 5.4 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 4.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस प्रत्याशित नरमी के कारण मौद्रिक नीति समिति ने लगातार सातवीं बार अपनी प्रमुख उधार दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है, जिससे ऋण ब्याज दरों में स्थिरता बनी हुई है।




स्रोत : एमओएसपीआई




स्रोत : आरबीआई

### भारतीय अक्षय ऊर्जा बाजार व विकास का अवलोकन

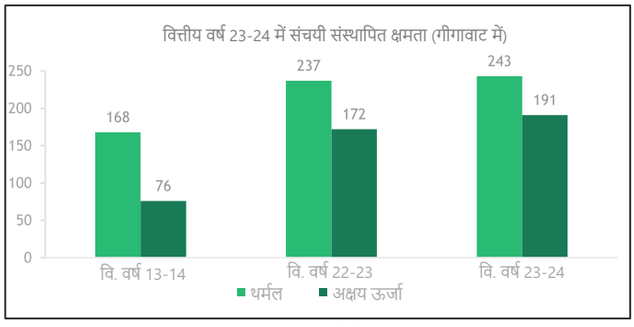
पिछले कुछ वर्षों में, भारत में अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण पुरोधा के रूप में उभरा है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) जारी की है, जिसमें गैर-जीवाश्म आधारित क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो 2026-27 तक 57.4% और 2031-32 तक 68.4% तक पहुंच जाएगी। इसे प्राप्त करने के लिए, बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि के लिए अनुमानित ₹33.60 लाख करोड़ की आवश्यकता है। भारत सरकार वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य में उल्लेखनीय प्रगति देखी गयी है, जो स्थायी ऊर्जा समाधानों की ओर एक आदर्श बदलाव का संकेत है। सरकारी पहलों और नीतिगत ढाँचों ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास की गति को तेज़ कर दिया है, जिससे देश के ऊर्जा परिदृश्य में नया बदलाव आया है। एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति पूरे देश में सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की नुमाइशी वृद्धि है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा बाजारों में से एक के रूप में उभरा है, जो सौर पैनल की घटती लागत और आर्थिक अनुदान और प्रोत्साहन जैसी अनुकूल सरकारी नीतियों से प्रेरित है। सौर ऊर्जा क्षमता में इस उछाल ने न सिर्फ़ देश में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को भी कम किया है, जिससे पर्यावरणीय पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव भी कम हुआ है।

इसके अतिरिक्त, पवन ऊर्जा भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपतटीय पवन फार्मों में तकनीकी प्रगति और खासकर देश के विशाल तटरेखा के साथ निवेश पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं का विस्तार कर रहे हैं। इसके अलावा, पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं का एकीकरण अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ा रहा है, जो ग्रिड स्थिरता में योगदान देता है।

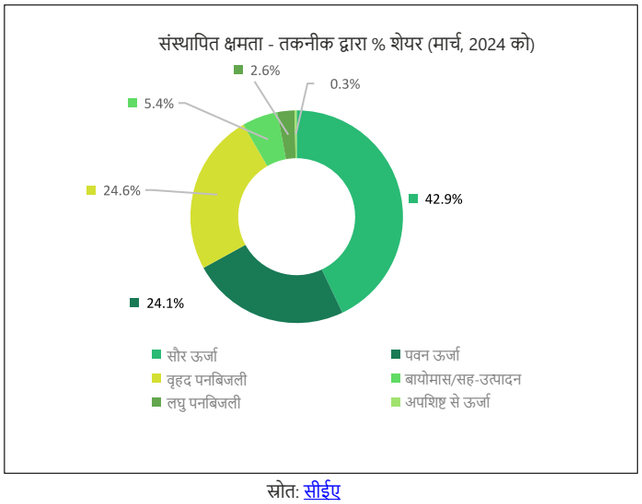
भारत अपने अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए जैव ईंधन, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण समाधान जैसे रास्ते भी तेजी से तलाश रहा है। ये प्रौद्योगिकियां आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच चुनौतियों का समाधान करने की अपार क्षमता रखती हैं। नवंबर 2023 में ईवाई द्वारा जारी 62वें ईवाई"नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक (आरईसीएआई)" में भारत को अक्षय ऊर्जा निवेश और नियोजन के अवसरों के लिए छठा सबसे आकर्षक देश माना गया है।




स्रोत : सीईए

अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्था (आईआरईएनए) की 2023 वैश्विक रैंकिंग के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है, संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है और स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में पांचवें स्थान पर है।

वित्त वर्ष 24 के मार्च में संस्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता (वृहत पनबिजली सहित) में वित्त वर्ष 23 से लगभग 11% की वृद्धि हुई। 24 मार्च तक, स्थापित अक्षय ऊर्जा कुल स्थापित तापीय क्षमता (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) का लगभग 78% थी। सौर ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि देखी गयी है, जो पिछले 9 वर्षों में ~22 गुना बढ़कर मार्च 2024 तक 81.8 गीगावाट तक पहुंच गयी है। भारत में संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता मार्च 2024 तक 45.9 गीगावाट है।




स्रोत: सीईए

## 3. भारत में अक्षय और नवीन ऊर्जा परिदृश्य पर क्षेत्रवार दृष्टिकोण

| स्वच्छ ऊर्जा में परम्परागत और स्थिर सेगमेंट | ग्रीन वित्त पोषण मोमेंटम में उभरी सेगमेंट | स्वच्छ ऊर्जा परिदृश्य में नवीन और शामिल सेगमेंट |
|---|---|---|
| • ग्राउंड माउंटेड सोलर एण्ड इंफ्रा<br>• रूफटॉप सोलर<br>• फ्लोटिंग सोलर<br>• ऑनशोर विंड<br>• हाइब्रिड आरई | • आरई विनिर्माण (सोलर पीवी विनिर्माण, डब्ल्यूटीजी विनिर्माण, इलेक्ट्रोलाइजर) | • बैटरी भंडारण परियोजनाएं<br>• पम्पड हाइड्रो स्टोरेज |
| • लघु पनबिजली<br>• वृहद पनबिजली | • ईवी फ्लीट्स (चार पहिया, ई-रिक्शा, दुपहिया आदि) | • ईवी और बैटरी भंडारण मूल्य-चेन (चार्जिंग इंफ्रा साहित)<br>• बैटरी और ईवी रिसाइकिलिंग |
| • जैव ईंधन (बायोगैस, बायोइथनॉल)<br>• बायोमास और सह-उत्पादन<br>• अपशिष्ट से ऊर्जा | • ग्रीन ट्रांसमिशन कोरिडोर<br>• माइक्रोग्रिड | • ग्रीन हाइड्रोजन और डेरेवेटिव जैसे अमोनिया |
| • ऊर्जा क्षमता | • स्मार्ट मीटरिंग | • ऑफशोर विंड |

**भारत में समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रमुख घोषणाएँ:**

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2022-32 हेतु राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) जारी की है, जिसमें उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष 2026-27 तक, गैर-जीवाश्म आधारित क्षमता 57.4% तक बढ़ने का अनुमान है, जो 2031-32 तक 68.4% तक पहुँच जाएगी। वर्ष 2022-32 के दौरान क्षमता वृद्धि के लिए कुल निधि की आवश्यकता ₹33.60 लाख करोड़ है।
- भारत सरकार ने 2024-25 में ₹14,980 करोड़ (सॉवरेन ग्रीन फंड से ₹2130 करोड़) के कुल बजटीय आवंटन की घोषणा की है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च किये गये ₹10,222 करोड़ से 46 प्रतिशत अधिक है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें 2030-31 तक 4,000 एमडब्ल्यूएच क्षमता की बीईएसएस परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गयी है, जिसमें वीजीएफ के रूप में बजटीय सहायता के रूप में पूंजीगत लागत का 40% तक वित्तीय सहायता शामिल है। प्रारंभिक वीजीएफ परिव्यय ₹ 9,400 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसमें ₹ 3,760 करोड़ का बजटीय समर्थन शामिल है। वीजीएफ समर्थन के माध्यम से, योजना का लक्ष्य ₹ 5.50 - 6.60/ केडब्ल्यूएच की सीमा के भीतर भंडारण की एक स्तरीय लागत (एलसीओएस) प्राप्त करना है, जो इसे देश की चरम मांग को प्रबंधित करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी विकल्प बना देगा।
- भारत सरकार ने मार्च 2030 तक नामित उपभोक्ताओं के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) लक्ष्य अधिसूचित किये हैं। अधिदेश के अनुसार 2024-25 तक खपत की गयी ऊर्जा का 29.91% नवीकरणीय अवश्य होना चाहिए, जो 2029-30 तक बढ़कर 43.33% हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) के लिए एक अलग आरपीओ पेश किया गया है।
- विद्युत मंत्रालय ने 4 अलग-अलग श्रेणियों, अर्थात् - पवन, जल-विद्युत, वितरित और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा, के अधीन नवीकरणीय खरीद दायित्वों को फिर से परिभाषित किया है।
- सरकार 31 दिसंबर, 2032 को या उससे पहले चालू होने वाली परियोजनाओं को 25 वर्षों के लिए आईएसटीएस शुल्क की पूरी छूट देकर अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देता है। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं की आईएसटीएस छूट को भी 30 जून 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2030 कर दिया गया था।
- एमएनआरई ने हाल ही में पवन ऊर्जा बोलियों में कम आवेदन और उच्च टैरिफ खोज को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2024 में "रिवर्स ऑक्शन" पद्धति को वापस लाया है। अब बोलियाँ अखिल भारतीय आधार पर जारी की जाएँगी, जिसमें जीतने वाली कंपनी भारत में कहीं भी पवन ऊर्जा परियोजना लगा सकती है और बोली लगाने वाली एजेंसी को बिजली बेच सकती है।

**स्वच्छ ऊर्जा में पारंपरिक और स्थिर क्षेत्र**

➢ **सौर और तटवर्ती पवन**

सौर और पवन ऊर्जा में बहुत वृद्धि हुई है और उम्मीद है कि वे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी वृद्धि जारी रखेंगे। सौर ऊर्जा के मौजूदा स्तर 81.8 गीगावाट (मार्च 2024) से वित्त वर्ष 31-32 तक 364 गीगावाट तक बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान संचयी बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा संस्थापनाओं के लिए अग्रणी राज्य बना रहा जो 2023 की तीसरी तिमाही के अंत में लगभग 17 गीगावाट जोड़ते हुए, 28 प्रतिशत से अधिक है। कर्नाटक और गुजरात क्रम से लगभग 16 प्रतिशत और 11 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

इसके अलावा, भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी संस्थापित क्षमता 45.9 गीगावाट (मार्च 2024) तक पहुँच गयी है। इस वर्ष के लिए प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य हैं - आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2031-32 के अंत तक पवन ऊर्जा की संभावित संस्थापित क्षमता 121.90 गीगावाट होने का अनुमान है।

भारत सरकार ने अपनी पिछली नीति में संशोधन किया, जिसके तहत आने वाले वर्षों में अतिरिक्त पवन ऊर्जा उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पुरानी पवन चक्कियों को फिर से चालू करने की अनुमति दी गयी । संशोधित नीति में पुरानी टर्बाइनों को फिर से चालू करने, उनका नवीनीकरण करने या उनके जीवन विस्तार की अनुमति दी गयी है, जिनकी क्षमता और ऊँचाई कम है, जिससे अतिरिक्त पवन ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है।

**भारत में सौर और पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता (गीगावाट में):**

| उत्पादन स्रोत | 31.03.2022 तक | 31.03.2023 तक | 31.03.2024 तक | वित्त वर्ष 26-27 तक | वित्त वर्ष 31-32 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| सौर ऊर्जा | 53.9 | 66.7 | 81.8 | 185 | 364 |
| पवन ऊर्जा | 40.3 | 42.6 | 45.8 | 73 | 122 |

स्रोत: सीईए

**सौर और पवन खंड में वृद्धि के लिए मुख्य चालक :**

- **अंतरिम बजट वित्त वर्ष 24 से बजटीय सहायता :**
  - ग्रिड आधारित सौर ऊर्जा योजना के लिए 2024-25 में ₹10,000 करोड़, जबकि संशोधित अनुमानों के अनुसार 2023-24 में ₹4,757 करोड़ है।
  - पवन ऊर्जा को वर्ष 2023-24 में ₹916 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2024-25 में ₹930 करोड़ आवंटित किया गया।
- **उपयोगिता पैमाने पर सौर व तटवर्ती पवन:** 50 गीगावाट वार्षिक बोली कैलेंडर, जिसमें कम से कम 10 गीगावाट पवन क्षमता होगी, जिसे एसईसीआई,एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजेवीएन में आवंटन के साथ 2023-2028 तक अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, 12 राज्यों में ~37,490 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सोलर पार्कों को एमएनआरई द्वारा मंजूरी दी गयी है, जिनमें से ~10,401 मेगावाट क्षमता पहले ही चालू हो चुकी है।
- **पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना :** 10 मिलियन घरों को रूफटॉप सोलर योजना के तहत लाया जाएगा और हर महीने 300 यूनिट मुफ़्त बिजली प्रदान की जाएगी - सालाना ₹15,000 से ₹18,000 की बचत होगी। इस योजना में ₹75,021 करोड़ का पर्याप्त वित्तीय परिव्यय है।
- **पीएम कुसुम :** इस योजना के 3 घटक हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2026 तक 34.8 गीगावाट की लक्षित सौर क्षमता है, जिसमें कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) ₹34,422 करोड़ है। इस योजना में निम्नलिखित 3 घटक शामिल हैं:
  - घटक क - किसानों की बंजर/परती/चारागाह/दलदली/खेती योग्य भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सोलर पावर प्लांट की स्थापना। ऐसे प्लांट व्यक्तिगत किसान, सोलर पावर डेवलपर, सहकारी समितियां, पंचायत और किसान उत्पादक संगठन द्वारा लगाये जा सकते हैं। इस घटक के तहत, डिस्कॉम को खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) दिया जाता है: वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से पांच वर्ष की अवधि के लिए खरीदी गयी प्रति यूनिट 0.40 रुपये या संस्थापित क्षमता के प्रति मेगावाट 6.6 लाख रुपये, जो भी कम हो।
  - घटक ख - ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में 7.5 एचपी तक की पंप क्षमता वाले 14 लाख स्टैंड-अलोन सोलर पंप की स्थापना। इस घटक के तहत, एमएनआरई द्वारा जारी मानक लागत का 30% या निविदा में खोजी गयी प्रणालियों की कीमतों, जो भी कम हो, का सीएफए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को कम से कम 30% वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। शेष लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।
  - घटक सी - (i) व्यक्तिगत पंप सौरीकरण और (ii) फीडर स्तर सौरीकरण के माध्यम से 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण। व्यक्तिगत पंप सौरीकरण के लिए, घटक ख के समान, एमएनआरई द्वारा जारी मानक लागत का 30% या निविदा में खोजी गयी प्रणालियों की कीमतों का सीएफए, जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को कम से कम 30% वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। शेष लागत का योगदान लाभार्थी द्वारा किया जाना है। कृषि फीडर सौरीकरण के लिए, प्रति मेगावाट ₹1.05 करोड़ का सीएफए प्रदान किया जाता है।
- **सौर पार्क:** 2023 में, लगभग 37,490 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी गयी है। इसमें से 10,401 मेगावाट की कुल क्षमता वाली सौर परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं, जिनमें से 284 मेगावाट 2023 में चालू हो गयी हैं।
- **पवन-सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्रों के लिए अपार संभावनाएं :** राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति के अधीन बैटरी भण्डारण के साथ बड़े ग्रिड से जुड़े पवन-सौर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने पर जोर। दिनांक 31.12.2023 तक 1.44 गीगावाट पवन-सौर हाइब्रिड क्षमता चालू हो चुकी है। भारत की पवन सौर हाइब्रिड परियोजना क्षमता वर्ष 2025 तक लगभग 9,500 मेगावाट तक बढ़ने की उम्मीद है। हाइब्रिड परियोजनाएं अपने स्टैंडअलोन समकक्षों की तुलना में अधिक पारेषण दक्षता और कम प्रभावी लागत का वादा भी करती हैं।

➢ **जल विद्युत**

भारत में जल विद्युत की काफी संभावनाएं हैं, जो भारतीय बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जल विद्युत परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर बड़ी और छोटी जल बिजली परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न देशों में छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को वर्गीकृत करने के लिए अलग-अलग आकार के मानदंड हैं। भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता वाले जल विद्युत संयंत्र को छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के दायरे में माना जाता है। वर्ष 2019 में सरकार की अधिसूचना के बाद वृहद जल विद्युत परियोजनाओं (> 25 मेगावाट) को भी नवीकरणीय ऊर्जा के तहत पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

**भारत में जल विद्युत क्षमता (गीगावाट में) :**

| उत्पादन स्रोत | वित्त वर्ष 21-22 को | वित्त वर्ष 22-23 को | वित्त वर्ष 23-24 को | वित्त वर्ष 26-27 को | वित्त वर्ष 31-32 को |
|---|---|---|---|---|---|
| लघु जल विद्युत | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.5 |
| वृहद जल विद्युत | 46.7 | 46.8 | 46.9 | 52.4 | 62.2 |

स्रोत: सीईए

**विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ :**

- **टैरिफ युक्तिकरण:** टैरिफ युक्तीकरण उपायों में डेवलपर्स को परियोजना की अवधि 40 वर्ष तक बढ़ाने, ऋण पुनर्भुगतान अवधि को 18 वर्ष तक बढ़ाने और 2% की दर से टैरिफ में वृद्धि करने के बाद टैरिफ को वापस लोड करके टैरिफ निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करना शामिल है।
- **अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) की छूट :** नयी जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) से बिजली के पारेषण पर आईएसटीएस शुल्क की छूट लागू होगी, जिसके लिए निर्माण कार्य सौंपा गया है और बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर 30.06.2025 को या उससे पहले हस्ताक्षर किये गये हैं। इसके बाद, 01 जुलाई 2025 से 01 जुलाई 2028 तक 25% के चरणों में आईएसटीएस शुल्क की आंशिक छूट को उन एचईपी के लिए बढ़ा दिया गया है जिनके लिए निर्माण कार्य सौंपा गया है और पीपीए पर 30.06.2028 तक हस्ताक्षर किये गये हैं।

➢ **जैव ऊर्जा**

एमएनआरई द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन के अनुसार, भारत में बायोमास की उपलब्धता लगभग 750 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है। अध्ययन में कृषि अवशेषों को शामिल करते हुए प्रति वर्ष लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास की उपलब्धता का अनुमान लगाया गया है, जो ~28 गीगावाट की क्षमता के अनुरूप है। वित्त वर्ष 31-32 तक, देश ने वित्त वर्ष 23-24 की तुलना में ~ 42% की वृद्धि के साथ जैव ऊर्जा क्षमता को 15.5 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जैव ऊर्जा के लिए एमएनआरई बजट में वित्त वर्ष 23-24 में अनुमानित ₹75 करोड़ से वित्त वर्ष 24-25 में ₹300 करोड़ की वृद्धि देखी गयी।

**भारत में जैव ऊर्जा क्षमता (गीगावाट में):**

| उत्पादन के स्रोत | वित्त वर्ष 21-22 को | वित्त वर्ष 22-23 को | वित्त वर्ष 23-24 को | वित्त वर्ष 26-27 को | वित्त वर्ष 31-32 को |
|---|---|---|---|---|---|
| बायोमास | 10.21 | 10.25 | 10.35 | 13.0 | 15.5 |
| डब्ल्यूटीई | 0.47 | 0.55 | 0.58 | | |

स्रोत: सीईए

- **बजटीय फोकस:** बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी के लिए एसएटीएटी की वित्तीय सहायता ग्रीनफील्ड क्षमता वृद्धि की सुविधा प्रदान करेगी और पाइप्ड गैस और सीएनजी के साथ सीबीजी को मिश्रित करने के अधिदेश को पूरा करने में मदद करेगी, जिससे अंततः एलएनजी आयात बिल कम होगा। इस योजना में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक ₹564.75 करोड़ आवंटित किये गये हैं, जिसमें खरीद लागत के 50% तक सब्सिडी की सीमा तय की गयी है। यह योजना सीबीजी उत्पादकों को बायोमास मशीनरी खरीदने में मदद करेगी, जिससे सीबीजी के लिए बायोमास संग्रह में सहायता मिलेगी।
- **इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी):** ईबीपी के तहत, भारत सरकार ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2020-25 में इथेनॉल मिश्रण के लिए रोडमैप के अनुसार, ईएसवाई 2025-26 में 20% इथेनॉल मिश्रण की अनुमानित आवश्यकता ~1016 करोड़ लीटर है। एक सफल ई20 कार्यक्रम से देश को प्रति वर्ष ~4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होने की उम्मीद है।
- **इथेनॉल परियोजना के लिए ब्याज सहायता योजना:** इथेनॉल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर 6% प्रति वर्ष या बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाये गये ब्याज दर का 50%, जो भी कम हो, की दर से ब्याज सहायता की योजना बनायी है, जिसका वहन केंद्र सरकार द्वारा एक वर्ष की स्थगन अवधि सहित पाँच वर्षों के लिए किया जा रहा है।

**हरित वित्तपोषण में उभरते क्षेत्र गति पकड़ रहे हैं**

➢ **नवीकरणीय ऊर्जा सौर पीवी विनिर्माण क्षमता**

आईईईएफए की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत वित्त वर्ष 26-27 तक सौर मॉड्यूल विनिर्माण में 110 गीगावाट के स्तर तक पहुँच जाएगा, जो इसकी मांग के लिए आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद यह विदेशी बाजारों तक अपनी पहुँच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जहाँ माँग उच्च रहने की उम्मीद है।

**भारत में घरेलू पीवी विनिर्माण क्षमता (नामपट्टिका क्षमता, गीगावाट):**

| उत्पादन के स्रोत | वित्त वर्ष 2022-23 को | वित्त वर्ष 2023-24 को | वित्त वर्ष 2026-27 को |
|---|---|---|---|
| पॉलीसिलिकॉन | - | - | 38 |
| वेफर | - | 2 | 56 |
| सेल | 4.3 | 6.6 | 59 |
| मॉड्यूल | 18 | 50 | 110 |

स्रोत: इंस्टिट्यूट फ़ॉर एनर्जी इकॉनोमिक्स एंड फाइनेंसियल एनालिसिस (आईईईएफए), पीआईबी

**विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:**

- **उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए पीएलआई :** सरकार ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल (ट्रांचे-II) हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अधीन ₹14,007 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 11 कंपनियों को घरेलू सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता की कुल 39,600 मेगावाट क्षमता आवंटित की है। अक्टूबर 2024 तक कुल 7400 मेगावाट विनिर्माण क्षमता के चालू होने की उम्मीद है, अप्रैल 2025 तक 16,800 मेगावाट क्षमता और अप्रैल 2026 तक शेष 15,400 मेगावाट क्षमता के चालू होने की उम्मीद है। ट्रांचे-II से ₹93,041 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। इससे कुल 1,01,487 रोजगार भी पैदा होंगे, जिनमें से 35,010 को प्रत्यक्ष और 66,477 को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
- **विकास हेतु नीतियाँ :** एमएनआरई ने घरेलू पीवी निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए मॉड्यूल निर्माताओं की स्वीकृत सूची (एएलएमएम) को फिर से शुरू किया, जिसमें 83 निर्माता शामिल हैं, जिनकी सूचीबद्ध मॉड्यूल निर्माण क्षमता 44.6 गीगावाट आंकी गयी है।

➢ **विद्युतीय वाहन (ईवी)**

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की पैठ यानी निजी कारों के लिए 30%, वाणिज्यिक वाहनों के लिए 70% और दो-पहिया एवं तीन-पहिया वाहनों के लिए 80% का लक्ष्य रखा है। उसी के अनुरूप, भारत सरकार ईवी निर्माताओं को पैठ बढ़ाने और स्वदेशी तकनीक में और अधिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। बाजार अनुमानों के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रिक-वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 24 में 66% बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि राज्य आर्थिक सहायता मांग को बढ़ावा देने में मदद करती है और देश में उभरते आंतसंरचना को आधार प्राप्त होता है।

**ईवी बेड़े को अपनाने की दर:**

| | वित्त वर्ष 22-23 | वित्त वर्ष 23-24 | वित्त वर्ष 30-31 |
|---|---|---|---|
| ईवी पैठ | 5.3% | 6.8% | >30% |

स्रोत : वीएएचएएन

**विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:**

- **एफएएमई (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ़ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल):** सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना ईवी निर्माताओं को पैठ बढ़ाने और स्वदेशी तकनीक में और अधिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है। एफएएमई इंडिया चरण II के अधीन बजट आवंटन 31 मार्च, 2024 तक ₹10,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹11,500 करोड़ कर दिया गया है।
- **जीएसटी में कमी:** विद्युतीय वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है और चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- **अनुपालन में आसानी :** बैटरी से चलने वाले वाहनों को ग्रीन लाइसेंस प्लेट मिलता है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उन्हें परमिट आवश्यकताओं से छूट दी जाती है
- **इलेक्ट्रिक-मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024 (ईएमपीएस 2024):** ईएमपीएस 2024 को 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक 4 महीने की अवधि के लिए ₹500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ ई-2 व्हीलर और ई-3 व्हीलर को अपनाने में सहायता सहित प्रारम्भ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ई-2डब्ल्यू (3,33,387) और ई-3 डब्ल्यू (38,828 जिसमें 13,590 रिक्शा और ई-कार्ट और एल5 श्रेणी में 25,238 ई-3 डब्ल्यू शामिल हैं) सहित 3,72,215 ईवी का समर्थन करना है। उन्नत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहनों का लाभ सिर्फ़ उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा जिनमें उन्नत बैटरी लगी होंगी।
- **पीएम ई-बस सेवा** को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गयी, जिसका लक्ष्य देश भर में 10,000 ई-बसें चलाना है। इसका अनुमानित बजट 57,613 करोड़ रुपये है, जिसमें 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों (2011 की जनगणना के अनुसार) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

➢ **ग्रीन पारेषण**

ग्रीन पारेषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सरकार का लक्ष्य ग्रिड में पारंपरिक विद्युत केन्द्रों के साथ अक्षय स्रोतों से उत्पादित बिजली को समक्रमित है। अक्षय ऊर्जा निकास को सुविधाजनक बनाने और भविष्य की ज़रूरतों के आधार पर ग्रिड को नया स्वारूप प्रदान करने के लिए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) परियोजनाओं की शुरू की गयी हैं।

**जीईसी योजना के अधीन ट्रांसमिशन क्षमता :**

| संस्थापना | जीईसी चरण I | जीईसी चरण II |
|---|---|---|
| सीकेएम | 9,700 | 10,750 |
| एमवीए परिवर्तन क्षमता | 22,600 | 27,500 |

स्रोत: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**विकास को गति देने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ :**

- **राष्ट्रीय पारेषण समिति ( एनसीटी) द्वारा अनुमोदित पारेषण परियोजनाएँ :**
  - **परियोजनाओं की स्वीकृति:** एनसीटी ने लगभग 10 नयी पारेषण परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी लागत ₹6,600 करोड़ से अधिक है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रिड के साथ अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करने बाबत पारेषण नेटवर्क को उन्नत और विस्तारित करना है।

- **सीईए का रोडमैप:** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक अक्षय क्षमता एकीकृत करने के लिए एक रोडमैप जारी किया, जिसमें ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए ₹2 ट्रिलियन से अधिक की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। नियोजित ट्रांसमिशन लाइनों और सब-स्टेशन क्षमता का उद्देश्य अतिरिक्त पवन और सौर क्षमता को एकीकृत करना है।

- **प्रगति और लक्ष्य:** भारत ने वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में बिजली पारेषण लाइनों के विस्तार के लिए अपने लक्ष्य का सिर्फ़ 61.5% हासिल किया। सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष के लिए संचयी लक्ष्य को पूरा करना है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के उद्यमों के साथ-साथ निजी क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

**नये और विकसित हो रहे क्षेत्र**

➢ **भंडारण**

ग्रिड के साथ बिजली का आदान-प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ, उपयोग की गयीं सामग्री के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं। पीएसपी सबसे अधिक अपनायी जाने वाली भंडारण तकनीक (~90%) है जो राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के आधार मामले में वित्त वर्ष 31-32 तक 26.7 गीगावाट की क्षमता तक नियोजित उन्नयन सहित अगले दशक में इसके बढ़ने की उम्मीद है। इस बीच, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) को आधार मामले में वित्त वर्ष 31-32 तक 47.24 गीगावाट तक के क्षमता सम्पन्न बनाने की योजना है।

**विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ:**

- **बीईएसएस विकास :** सरकार ने ₹9,400 करोड़ के प्रारंभिक परिव्यय के साथ बीईएसएस के विकास का समर्थन करने के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि योजना को मंजूरी दी, जिसमें ₹3,700 करोड़ का बजटीय सहायता शामिल है।

- **ऊर्जा भंडारण दायित्व :** सभी दायित्वबद्ध संस्थाओं हेतु ईएसओ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, वित्त वर्ष 23-24 में 1% से शुरू होकर वित्त वर्ष 29-30 में 4% तक।

- **पंप हाइड्रो नीति :** अप्रैल 2023 में, विद्युत मंत्रालय ने विकास को उत्प्रेरित करने के लिए एक पंप हाइड्रो नीति जारी की। अन्य सहायता में पारेषण शुल्क पर छूट और ईएसओ में शामिल करना सम्मिलित है।

➢ **बैटरी विनिर्माण**

भारत सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और विद्युतीय वाहनों और स्थिर भंडारण के लिए बैटरी भंडारण मांग सृजन को सुविधाजनक बनाने के लिए घरेलू बैटरी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। इससे एक पूर्ण घरेलू आपूर्ति कड़ी बनाने और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

**विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ :**

- **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** मई 2021 में, मंत्रिमंडल ने ₹18,100 करोड़ के परिव्यय के साथ एसीसी की 50 जीडब्ल्यूएच की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए 'उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' पर प्रौद्योगिकी अज्ञेयवादी पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। एसीसी पीएलआई बोली का पहला दौर मार्च 2022 में संपन्न हुआ, और 3 कंपनियों को कुल 30 जीडब्ल्यूएच की क्षमता आवंटित की गयी, और चयनित कंपनियों के साथ कार्यक्रम समझौते पर जुलाई 2022 में हस्ताक्षर किये गये।

  - इसके अलावा, एमएचआई, भारत सरकार ने ₹3,620 करोड़ के अधिकतम बजटीय परिव्यय के साथ 10 जीडब्ल्यूएच की कुल विनिर्माण क्षमता वाली बैटरी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 'उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' के अधीन बोलीदाताओं की संक्षिप्त सूची और चयन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया है। अप्रैल 2024 में, भारत सरकार ने उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भण्डारण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत असंबद्ध 20 जीडब्ल्यूएच क्षमता के 10 जीडब्ल्यूएच ट्रांचे के लिए फिर से बोली प्रक्रिया शुरू की।

  - पीएलआई योजना का उद्देश्य विद्युतीय वाहनों के लिए बैटरी भंडारण और अक्षय ऊर्जा भंडारण तथा बिजली प्रबंधन, प्रौद्योगिकी जैसे स्थिर अनुप्रयोगों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में भारत की आत्म-निर्भरता को मजबूत करना है।

➢ **ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण**

भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति जारी होने के बाद, कई कंपनियों- निजी और राज्य के स्वामित्व वाली - ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए परियोजनाएँ स्थापित करने की कई घोषणाएँ की हैं, जिससे अंततः देश की ऊर्जा सुरक्षा को बल मिला है। उदाहरण के लिए, राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन उत्पादन लागत को कम करना है, 2025-2026 तक 2 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम की लागत को बेंचमार्क के रूप में निर्धारित करने के लिए चर्चा चल रही है, जबकि आरआईएल जैसी निजी कंपनियों का लक्ष्य दशक के अंत तक इस लागत को आधा करना है।

**विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ :**

- शुद्ध-शून्य लक्ष्य को सुगम बनाने के लिए वर्ष 2030 तक कम से कम 5 एमएमटी प्रति वर्ष की वार्षिक उत्पादन क्षमता प्राप्त करने में सहायता के लिए ₹19,744 करोड़ के आरंभिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन।

- एसईसीआई ने 15 दिसंबर, 2023 को स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांज़िशन (एसआईजीएचटी) योजना (ट्रांचे-I) के अधीन इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण में बोलीदाताओं की एक सूची भी जारी की। 1,500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए एसईसीआई निविदा के परिणाम घोषित किये गये। रिलायंस इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग, जॉन कॉकरिल ग्रीन हाइड्रोजन सॉल्यूशंस और जिंदल इंडिया प्रमुख विजेताओं में से थे, तीनों में से प्रत्येक ने 300 मेगावाट प्रति वर्ष क्षमता जीती।

➢ **अपतटीय पवन**

अपतटीय पवन ऊर्जा अवसरों का उपयोग करने के लिए गुजरात और तमिलनाडु में संभावित क्षेत्रों की पहचान की गयी है। पहचाने गये क्षेत्रों में एनआईडब्ल्यूई द्वारा किये गये प्रारंभिक आकलन से अकेले गुजरात के तट पर 36 गीगावाट क्षमता की मुमकिन संभावना का पता चलता है। इसके अलावा, एमएनआरई द्वारा 37 गीगावाट अपतटीय पवन क्षमता के लिए बोली लगाने की दिशा का संकेत दिया गया है, साथ ही प्रारंभिक 10 गीगावाट अपतटीय क्षमता (गुजरात और तमिलनाडु प्रत्येक के तट पर 5 गीगावाट) के लिए सीटीयू द्वारा पारेषण संरचना की योजना पूरी की जा रही है। इसके अलावा, अपतटीय पवन पट्टा नियम जारी किये गये हैं, जिनमें पट्टे की अवधि को 35 वर्ष तक बढ़ाने की संभावना है।

**विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ :**

- **भारत में अपतटीय पवन उत्पादन को बढ़ावा देना :** उच्च क्षमता उपयोग कारकों (सीयूएफ) और न्यूनतम भूमि आवश्यकताओं का लाभ उठाने के लिए, तमिलनाडु सरकार 4 गीगावाट अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए बोलियाँ आमंत्रित कर रही है। एमएनआरई और एनआईडब्ल्यूई ने 3 मॉडलों में फैले 2023-2030 हेतु नीलामी की दिशा प्रदान की है। वर्ष 2032 के अंत से पहले शुरू की गई अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क पर 25 साल की छूट दी जाएगी। दिसंबर 2032 तक शुरू की गयी अपतटीय पवन परियोजनाओं और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए कोई अतिरिक्त अधिभार का भुगतान नहीं करना होगा। इन परियोजनाओं में उच्च संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, दो प्रमुख स्थलों गुजरात और तमिलनाडु में प्रारंभिक 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वीजीएफ योजना की घोषणा की गयी थी।

➢ **स्मार्ट मीटरिंग**

भारत के स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएमएनपी) का उद्देश्य पूरे देश में स्मार्ट मीटर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक बिजली मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बदलना है। यह स्मार्ट मीटर नये जमाने का ऊर्जा मीटर है जो आपको अपने उपभोग स्वरूप के बारे में जानने और उपयोगिताओं को मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना सिस्टम मॉनिटरिंग और ग्राहक बिलिंग करने में मदद करते हैं। एसएमएनपी का उद्देश्य देश में संचालित वितरण कंपनियों (डिस्कोम) की बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार करना है।

**विकास को गति प्रदान करने वाली प्रमुख सरकारी नीतियाँ :**

- भारत सरकार ने ₹3,03,758 करोड़ के परिव्यय और ₹97,631 करोड़ के अनुमानित सकल बजटीय समर्थन के साथ 20.07.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एक पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 2024-25 तक एटीएंडसी घाटे को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना है।

- **इस योजना के दो भाग हैं :** भाग-क में वितरण अवसंरचना और प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग एवं सिस्टम मीटरिंग का उन्नयन शामिल है तथा भाग-ख में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा अन्य सक्षम एवं सहायक गतिविधियाँ शामिल हैं।

  - भाग-क के अधीन, पूरे देश में 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की परिकल्पना की गयी है। स्मार्ट मीटरिंग के लिए कार्यान्वयन मॉडल डीबीएफओओटी मॉडल के अधीन टोटेक्स (अर्थात सीएपीईएक्स+ओपीईएक्स) है तथा एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर (एएमआईएसपी) को ओपीईएक्स भुगतान सेवा स्तर समझौते (एसएलए) से जुड़े हैं। यह दृष्टिकोण परियोजना के संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान सेवाओं की डिलीवरी के लिए शुरू से लेकर अंत तक एएमआईएसपी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और इसके साथ जुड़े एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) की स्थापना के साथ-साथ, फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर संचार सुविधा के साथ सिस्टम मीटरिंग भी पीपीपी मोड में एक साथ की जाएगी ताकि उचित ऊर्जा लेखांकन की सुविधा के लिए सेवा स्तर समझौते (एसएलए) को लागू किया जा सके। एएमआई के उद्देश्य हैं - त्रुटि रहित आंकड़ों के लिए दूरस्थ मीटर रीडिंग, नेटवर्क समस्या की पहचान, लोड प्रोफाइलिंग, ऊर्जा लेखा परीक्षा और लोड शेडिंग के स्थान पर आंशिक लोड कटौती।

## 4. वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन

वित्त वर्ष 23-24 में, आपकी कंपनी ने लाभप्रदता, नकद प्रवाह, परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता सहित प्रमुख आयामों में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के साथ-साथ महत्वपूर्ण ऋण बुक वृद्धि का प्रदर्शन किया है।

### ➢ प्रमुख कार्य-प्रदर्शन की मुख्य बातें

- आपकी कंपनी ने सौर, पवन और जल विद्युत परियोजना वित्तपोषण के साथ अपने पारंपरिक रूप से मजबूत बाजार में अपना कार्य-प्रदर्शन जारी रखा, जिसने वित्त वर्ष 24 में स्वीकृत राशि का ~57% योगदान दिया। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने नवीन एवं उभरती हुई नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी वित्तपोषण, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन और विनिर्माण वित्तपोषण में अपनी उपस्थिति बढ़ायी है, जैसे कि बेड़े वित्तपोषण, ई-मोबिलिटी बी2सी एनबीएफसी को ऋण देना आदि।
- आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 23 में अपनी निवल संपत्ति को ₹ 8,559.43 करोड़ तक बढ़ाया है और ₹ 1252.23 करोड़ का सर्वकालिक उच्च कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।
- आपकी कंपनी के लिए पूंजी पर्याप्तता आरबीआई के नियमों के अनुरूप है, जिसमें सीआरएआर 20.11% है, जबकि न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 15% है। इसके अतिरिक्त, निवल संपत्ति में वृद्धि से आपकी कंपनी को अपनी जोखिम सीमा को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, जिससे व्यापार में वृद्धि की संभावना है।
- ताजा इक्विटी इश्यू और वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण में वृद्धि की तुलना में अधिक प्रतिधारित आय के कारण वित्त वर्ष 23 में 6.77 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में ऋण इक्विटी अनुपात में सुधार हुआ और यह 5.80 गुना हो गया।
- उच्च ब्याज आय के चलते शुद्ध मार्जिन में वृद्धि के कारण परिचालन लाभ मार्जिन वित्त वर्ष 23 में 32.69% की तुलना में वित्त वर्ष 24 में 3.76% बढ़कर 33.92% हो गया है।
- उच्च ब्याज आय मार्जिन के कारण वित्त वर्ष 24 में शुद्ध लाभ मार्जिन 1.61% बढ़कर 25.22% हो गया, जबकि वित्त वर्ष 23 में यह 24.82% था।
- शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण निवल संपत्ति पर रिटर्न वित्त वर्ष 24 में 12.71% बढ़कर 16.40% हो गया, जबकि वित्त वर्ष 23 में यह 14.55% था।
- वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन में निरंतर सुधार के साथ, आपकी कंपनी लगातार 3 वर्षों तक उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग बनाये रखने में सक्षम होगी (वित्त वर्ष 24 के लिए रेटिंग के अनुमोदन के अध्यधीन)।

| | वित्त वर्ष 24 | वित्त वर्ष 23 | वित्त वर्ष 21 |
|---|---|---|---|
| एमओयू रेटिंग | उत्कृष्ट (अनंतिम)** | उत्कृष्ट | उत्कृष्ट |

**भारत सरकार के मूल्यांकन और अनुमोदन के अध्यधीन

- प्रतिस्पर्धी उधार के कारण, आपकी कंपनी उधारकर्ताओं को सेवा देने में सक्षम रही और साथ ही इसके ब्याज प्रसार में 32 आधार अंकों की वृद्धि हुई और शुद्ध ब्याज मार्जिन वित्त वर्ष 23 में 2.82% से वित्त वर्ष 24 में 2.85% हो गया।
- आपकी कंपनी अपनी दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को महत्वपूर्ण रूप से हल करने में सक्षम रही, जिससे वित्त वर्ष 24 के अंत में इसका शुद्ध एनपीए अनुपात दस साल के निचले स्तर 0.99% पर आ गया (वित्त वर्ष 23 के अंत में 1.66% के मुकाबले)। संरचित वसूली प्रक्रियाओं के कारण जीएनपीए और एनएनपीए में क्रम से 2.36% और 0.99% की कमी आयी। इसके अलावा, आपकी कंपनी की मजबूत ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया और स्वीकृति एवं संवितरण के बाद सक्रिय निगरानी ने प्रभावी रूप से चूक को कम किया।
- वसूली/समाधान कार्रवाइयों पर मजबूत ध्यान देने के परिणामस्वरूप एनपीए सूची से 3 ऋण खातों की शुद्ध कमी आयी है और एनपीए ऋणों से ₹212.70 करोड़ की वसूली की गयी, जिसमें मूलधन के लिए ₹90.68 करोड़ और ब्याज आय के लिए ₹122.02 करोड़ शामिल हैं (जिसमें ₹58.39 करोड़ की बट्टे खाते में डाली गयी परिसंपत्तियों से वसूली शामिल है)।

### ➢ वित्तीय परिणाम

**कुल आय** **(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| ब्याज आय | 4,822 | 3,374 |
| शुल्क और कमीशन आय | 60 | 37 |
| व्युत्पन्नों पर उचित मूल्य परिवर्तनों पर शुद्ध लाभ/(हानि) | (11) | 13 |
| अन्य परिचालन आय | 93 | 58 |
| **परिचालन से कुल राजस्व (I)** | **4,964** | **3,482** |
| **अन्य आय (II)** | **1** | **1** |
| **कुल आय (I+II)** | **4,965** | **3,483** |

वित्त वर्ष 2024 में कुल आय में वित्त वर्ष 2023 की तुलना में लगभग 42.56% की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण ऋणों पर ब्याज में उल्लेखनीय वृद्धि है, जो वित्त वर्ष 24 में कंपनी द्वारा किये गये ₹25,089 करोड़ के अब तक के उच्चतम संवितरण के कारण कंपनी की ऋण बुक में वित्त वर्ष 24 के अंत तक ₹59,698

करोड़ की वृद्धि के चलते वित्त वर्ष 23 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में 44.84% बढ़ा है।

वित्त वर्ष 2024 में शुल्क और कमीशन आय में वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 60.74% की वृद्धि हुई है, क्योंकि संस्वीकृत किये गये उच्च ऋण पर फीस में वृद्धि और उधारकर्ताओं की ओर से गारंटी प्रदान करने पर कमीशन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024 के दौरान सीपीएसयू योजना के कार्यान्वयन के संबंध में सेवा शुल्क से आय में भी वृद्धि हुई है।

**अन्य परिचालन आय**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व (शुद्ध) | 29 | 27 |
| वसूला गया अशोध्य ऋण | 64 | 31 |
| **कुल** | **93** | **58** |

वित्त वर्ष 23 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में अन्य परिचालन आय में 58.90% की वृद्धि हुई है। वसूली/समाधान कार्रवाइयों पर मजबूत ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप एनपीए सूची से तीन ऋण खातों की शुद्ध कमी आयी है और एनपीए ऋणों से ₹ 213 करोड़ की वसूली की गयी है, जिसमें ₹ 58 करोड़ की बट्टे खाते में डाली गयी परिसंपत्तियों से वसूली शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 24 के दौरान अशोध्य ऋण परिसंपत्तियों की वसूली में 101.92% की वृद्धि हुई है।

**उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि)**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अलावा लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों पर शुद्ध लाभ/(हानि) | (11) | 13 |
| **उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल शुद्ध लाभ/(हानि)** | **(11)** | **13** |

वित्त वर्ष 24 के दौरान कंपनी ने मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा ऋणों का बचाव करने के लिए उपलब्ध व्युत्पन्न उपकरणों के मार्क टू मार्केट (एमटीएम) मूल्यांकन के कारण परिवर्तन का अनुभव किया है।

**वित्त लागत**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| वित्त लागत | 3,164 | 2,088 |
| **कुल** | **3,164** | **2,088** |

वित्त वर्ष 23 की तुलना में वित्त वर्ष 24 के दौरान वित्त लागत में 51.51% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण ऋण परिचालन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उधार में वृद्धि है। अनुकूल घरेलू बाजार दरों को देखते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण के माध्यम से अधिक धन जुटाने के कारण उधार पर ब्याज व्यय में 70.59% की वृद्धि हुई है। बॉण्ड जारी करके धन जुटाने के कारण ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज व्यय में 28.87% की वृद्धि हुई। केंद्रीय बैंक की दरों में और वृद्धि ने भी हमारे उधार की अस्थाई दर की लागत को प्रभावित किया।

**शुद्ध बदली/लेन-देन विनिमय हानि**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| शुद्ध बदली/लेन-देन विनिमय हानि | (17) | 24 |
| **कुल** | **(17)** | **24** |

वित्त वर्ष 24 के दौरान, कंपनी ने बदली/लेन-देन विनिमय हानि में 168.80% की कमी देखी, जिसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा ऋणों पर अनुकूल विनिमय उतार-चढ़ाव और विदेशी मुद्रा उधारों की चुकौती थी।

**वित्तीय साधनों पर हानि**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| ऋण | (67) | 67 |
| **कुल** | **(67)** | **67** |

वित्तीय साधनों पर हानि वित्त वर्ष 24 के दौरान 200.96% कम हुई है, जिसका मुख्य कारण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार और एनपीए खातों में उल्लेखनीय वसूली के कारण आवश्यक प्रावधान में कमी है। यह प्रावधान ईसीएल पद्धति के अधीन भारतीय लेखा मानक109 के अनुरूप किया जा रहा है।

**कर्मचारी लाभ व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| कर्मचारी लाभ व्यय | 71 | 63 |

नयी भर्ती, कर्मचारी पदोन्नति और नियमित वेतन वृद्धि के कारण कर्मचारी लाभ व्यय में 13.04% की मामूली वृद्धि हुई।

**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त हेतु |
|---|---|---|
| मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 30 | 23 |

वित्त वर्ष 24 के दौरान एनबीसीसी कार्यालय व्यवसाय केंद्र और ईआरपी सॉफ्टवेयर के पूंजीकरण के कारण मुख्यतः मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में 29.15% की वृद्धि हुई।

**अन्य व्यय** **(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| अन्य व्यय | 77 | 71 |

अन्य व्ययों में किराया, कर और बिजली, मरम्मत और रखरखाव, संचार लागत, मुद्रण और स्टेशनरी, लेखा परीक्षक का शुल्क और व्यय, कानूनी और व्यावसायिक शुल्क आदि शामिल हैं। व्यय पर सख्त नियंत्रण के कारण, अन्य व्यय में 7.50% की मामूली वृद्धि हुई है।

**वित्तीय स्थिति**

➢ **परिसंपत्तियां**

**नकद एवं नकद समतुल्य** **(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| नकद एवं नकद समतुल्य | 74 | 138 |

वित्त वर्ष 24 के दौरान नकद और नकद समतुल्य में 46.38% की कमी आयी, जिसका मुख्य कारण बैंकों के चालू खातों में शेष राशि में कमी और ओवरड्राफ्ट और अल्पकालिक ऋण सुविधाओं का इष्टतम उपयोग था।

**ऋण** **(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| ऋण (शुद्ध) | 58,775 | 46,227 |

वित्त वर्ष 2024 के दौरान ऋण में 27.14% की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण हमारे शुद्ध संवितरण में वृद्धि है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में ₹25,089 करोड़ का संवितरण किया है, जो कंपनी द्वारा अब तक का सबसे अधिक संवितरण है।

➢ **देयताएँ**

**ऋण प्रतिभूतियाँ** **(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| ऋण प्रतिभूतियां | 17,714 | 10,843 |

वित्त वर्ष 24 के दौरान ऋण प्रतिभूतियों में 63.37% की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण बढ़ी हुई व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर योग्य बॉण्ड जारी करके धन जुटाना है। कंपनी ने कर योग्य बॉण्ड की 8 श्रृंखलाओं के माध्यम से ₹7,357 करोड़ उगाहे हैं और ₹300 करोड़ भुनाये हैं, अर्थात वित्त वर्ष 24 में ₹7,057 करोड़ की शुद्ध वृद्धि है।

**उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)** **(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| उधार(ऋण प्रतिभूतियों को छोड़कर) | 31,324 | 28,673 |

व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से उगाही गयी धनराशि के कारण उधार में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 24 के दौरान उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) में वृद्धि हुई है।

**इक्विटी** **(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| इक्विटी शेयर पूंजी | 2,688 | 2,285 |
| अन्य इक्विटी | 5872 | 3651 |
| **कुल** | **8,560** | **5,936** |

वित्त वर्ष 24 के दौरान कंपनी ने आईपीओ के माध्यम से नये इक्विटी शेयर जारी किये हैं, जिसके परिणामस्वरूप अन्य इक्विटी में 60.83% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, इक्विटी शेयर पूंजी में वित्त वर्ष 23 की तुलना में 17.64% की वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से वित्त वर्ष 24 की बढ़ी हुई आय के कारण है।

ऋण कारोबार, इन्वेंट्री कारोबार, ब्याज कवरेज अनुपात और चालू अनुपात की गणना नहीं की जाती है चूँकि वे सेबी एलओडीआर के विनियमन 52 के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

## 5. ताकत, कमज़ोरी, अवसर और खतरे (एसडब्ल्यूओटी)

**ताकत**

- सकल सावधि ऋण पोर्टफोलियो में वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में 26.81% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ बढ़ते आरई खंड में उपस्थिति।
- भारत के 23 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में भौगोलिक रूप से विविध परिसंपत्ति बुक के साथ-साथ सौर, पवन, जल विद्युत, विनिर्माण, इथेनॉल, बायोमास, ब्रिकेटिंग और पेलेट, सीबीजी और ईवी, स्मार्ट मीटर, चार्जिंग इंफ्रा और ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव जैसे अन्य उभरते क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थिति के साथ क्षेत्रीय रूप से विविध परिसंपत्ति बुक।
- डिफ़ॉल्ट ट्रिगर्स को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया और सक्रिय पश्च-स्वीकृति और संवितरण निगरानी। संरचित वसूली प्रक्रियाओं के कारण जीएनपीए और एनएनपीए में क्रम से 2.36% और 0.99% की कमी आयी।
- इंडिया रेटिंग्स और आईसीआरए से 'एएए/स्थिर' की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग।
- अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण संस्थानों (जैसे कि विश्व बैंक, एडीबी, एएफडी, केएफडब्ल्यू, जेआईसीए, ईआईबी, आदि) और घरेलू ऋणदाताओं के साथ मजबूत संबंध।
- मजबूत आईटी अवसंरचना, सुव्यवस्थित ऋण आवेदन और उधारकर्ता-केंद्रित प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करती है, साथ ही भारत में रणनीतिक स्थानों पर भौतिक उपस्थिति, साइट पर परियोजना जांच और ऋण दस्तावेजीकरण में तेजी लाती है।

**कमज़ोरियाँ**

- गैर-जमा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण (एनडी-एसआई)होने के कारण एनबीएफसी आपकी कंपनी खुदरा निवेशकों से जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित है, जिससे प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण देने में चुनौतियाँ आती हैं।

**अवसर**

- आपकी कंपनी वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य के साथ संरेखित है। परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी से अपनी वित्तपोषण गतिविधियों के माध्यम से इन लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
- विदेशी मुद्रा ऋण में उभरते अवसरों को भुनाने और प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण हासिल करने के लिए अपनी कंपनी को एक अपतटीय केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, जीआईएफटी सिटी, गुजरात में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से रणनीतिक विस्तार।
- कंपनी अपने राजस्व धाराओं में विविधता लाने और नये बाजारों में प्रवेश करने के लिए अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ आरई, आरडीएसएस के तहत स्मार्ट मीटर, ई-मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव में नई तकनीकों को वित्तपोषित करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

**खतरे, जोखिम और आशंकाएँ :**

- आरई क्षेत्र का विकास अनुकूल सरकारी नीतियों और वित्तीय प्रोत्साहनों से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। इन लाभों में कोई भी कमी या वापसी इस क्षेत्र और आपकी कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- आपकी कंपनी को अन्य जमा-स्वीकार्य वित्तीय संस्थानों, विशेष रूप से पारंपरिक आरई क्षेत्रों में, से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिनके पास निधियों की कम लागत या पूंजी तक बेहतर पहुंच हो सकती है।

## 6. जोखिम प्रबंधन ढांचा

क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालन जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, आपकी कंपनी ने एक व्यापक नीतिगत ढांचा स्थापित किया है। जोखिम प्रबंधन नीति को जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। बोर्ड के पास जोखिम प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी है जो संगठन में समग्र जोखिम के प्रबंधन का ख्याल रखता है। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली जोखिम प्रबंधन समिति स्वतंत्र जोखिम निरीक्षण और केंद्रित जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।

आपकी कंपनी अपने व्यावसायिक संचालन के दौरान जिन प्रमुख जोखिमों का सामना करती है, वे हैं क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालनगत जोखिम। इन जोखिमों को सावधानीपूर्वक पहचाना जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और कार्यान्वित जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। मुख्य जोखिम अधिकारी का व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों/व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ कोई रिपोर्टिंग संबंध नहीं होता है। आपकी कंपनी का जोखिम प्रबंधन ढांचा विभिन्न जोखिमों, संरचित मूल्यांकन और माप प्रक्रियाओं और निरंतर निगरानी की गहन समझ पर आधारित है।

जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से, संस्कृति जोखिम की प्रवृत्ति को व्यावसायिक रणनीति के साथ संरेखित करने वाली समेकित शक्ति के रूप में कार्य करती है। चूंकि जोखिम वर्गीकरण विकसित होते रहते हैं, इसलिए एक विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड और इसकी उप-समितियों दोनों के लिए चार्टर्स के समय-समय पर संशोधन की आवश्यकता होती है, जो सभी बोर्ड की सूक्ष्म निगरानी के अंतर्गत होते हैं।

## 7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

आपकी कंपनी के पास एक स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य है जो नीतियों, प्रक्रियाओं, योजनाओं और विनियामक और वैधानिक आवश्यकताओं के साथ पर्याप्तता और अनुपालन की उपयुक्त निगरानी सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का निरंतर मूल्यांकन करता है। आपकी कंपनी की अपनी लेखा-परीक्षा नीति है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जाँच और संतुलन मौजूद हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ व्यवस्थित हैं, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की नियमित और विस्तृत आंतरिक लेखा-परीक्षा और समीक्षा कंपनी के अपने आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रभाग के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के एक अनुभवी फर्म द्वारा की जाती है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 24 हेतु मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी, एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आंतरिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। लेखा-परीक्षा समिति समय-समय पर लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 और लागू आरबीआई दिशा-निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है। आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है और बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की स्वीकृति के साथ, आपकी कंपनी ने 16 मार्च 2022 को जारी आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) नीति लागू की है।

## 8. मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी, उत्कृष्टता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ, संगठनात्मक विकास को आगे बढ़ाने में मानव संसाधन (एचआर) की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। आपकी कंपनी में मानव संसाधन कार्य का स्पष्ट उद्देश्य कर्मचारियों की सहभागिता को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा कर्मचारियों को उनकी संबंधित भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है।

मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या 173 थी, जबकि मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए यह संख्या 160 थी, जिसमें बोर्ड स्तर के अधिकारी शामिल नहीं हैं। महिला कर्मचारियों की संख्या कार्यबल विविधता और लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू है और 31.03.2024 तक महिला कर्मचारियों की संख्या 46 थी, यानी कुल कर्मचारी संख्या का 26.6%। सेवानिवृत्ति के मामलों को छोड़कर कंपनी को छोड़ने की दर 3.6% थी। दिनांक 31.03.2024 तक कर्मचारियों की औसत आयु 42.9 वर्ष है। आपकी कंपनी का विस्तार हो रहा है, और वित्त वर्ष 24 के दौरान 25 नए कर्मचारी हमारे कार्यबल में शामिल हुए हैं।

## 9. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली

आपकी कंपनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख पुरोधा है और एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान है जिसने पर्यावरण और समाज पर वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रभावों (यदि कोई हो) की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) को अपनाया है। ईएसएमएस का दूसरा संस्करण नवंबर 2019 में अपनाया गया था और उसके बाद से प्रभावी है।

आपकी कंपनी की पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा इकाई (ईएसएसयू) के पास ईएसएमएस के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अलावा विभिन्न परियोजनाओं और उनकी संबंधित प्रौद्योगिकियों के पर्यावरण और सामाजिक (ईएंडएस) पहलुओं से संबंधित प्रभावों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वित्त वर्ष 24 के दौरान, कंपनी द्वारा वित्त पोषित सभी प्रौद्योगिकियों में लगभग 120 परियोजनाओं की ईएंडएस स्क्रीनिंग और वर्गीकरण किया गया। उनकी ई एंड एस आवश्यकताओं को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं के साथ नियमित बातचीत की जाती है। इससे आपकी कंपनी को अपने ईएंडएस दायित्वों को पूरा करने में मदद मिली है और उधारकर्ताओं को अपनी परियोजनाओं से जुड़े ईएंडएस जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद मिली है।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने विश्व बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत "पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन ढांचे - आरई पार्क" का अद्यतन किया, जिसका शीर्षक सोलर पार्क परियोजना के लिए साझा बुनियादी ढांचा (एसआईएसपीपी) है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करके अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। उक्त ढांचा वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://www.ireda.in/images/HTMLfiles/ESMF.pdf पर एक्सेस किया जा सकता है।

## 10. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तदायित्व

आपकी कंपनी एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संस्था होने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समाज और राष्ट्र में सक्रिय रूप से योगदान देती है। कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तदायित्व (सीएसआर) पहल सकारात्मक प्रभाव डालने और भारत सरकार और सतत विकास उद्देश्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के सिद्धांत में गहराई से निहित हैं।

इन पहलों के माध्यम से, आपकी कंपनी का उद्देश्य सामुदायिक विकास को बढ़ाना और संधारणीयता, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के पहलुओं पर बुनियादी शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। इसके अतिरिक्त, कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण सुरक्षा, हरित और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और वंचित क्षेत्रों के विकास जैसे वृहद विषयों पर आपकी कंपनी अपना ध्यान केंद्रित करती है।

वित्त वर्ष 24 के दौरान, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर निधियों के अधीन कुल 16 परियोजनाओं के लिए कुल ₹16.65 करोड़ (प्रशासन व्यय सहित) की राशि स्वीकृत की और वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ₹10.29 करोड़ की राशि वितरित की, जिसमें पिछले वर्षों के अव्ययित खाते से संवितरण शामिल है।

आपकी कंपनी ने विभिन्न संगठनों और संस्थानों से सीएसआर अनुरोधों की प्राप्ति और निपटान में पारदर्शिता बढ़ाने और सीएसआर प्रस्तावों हेतु समय पर जांच, मंजूरी और वित्तीय सहायता वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पोर्टल लॉन्च किया है।

सामाजिक रूप से जिम्मेदार एक कॉरपोरेट के रूप में, आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में अपने सीएसआर प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाना है।

## 11. खंड-वार या उत्पादन-वार कार्य-प्रदर्शन

कंपनी भारत में प्रचालन करती है, इसलिए इसे सिर्फ़ घरेलू क्षेत्र में प्रचालन करने वाला माना जाता है। कंपनी के सभी प्रचालनों को एकल व्यवसाय खंड माना जाता है, इसलिए कंपनी के पास कोई अलग रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।

## चेतावनी कथन

कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, अपेक्षाओं और अनुमानों का वर्णन करने वाले प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कथन वर्तमान व्यावसायिक वातावरण पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम भारत और विदेश दोनों में भविष्य के आर्थिक और अन्य विकासों के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

**डीएसपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

783, देश बंधु गुप्ता रोड,
फैज रोड क्रॉसिंग के पास
करोल बाग, नई दिल्ली-110 005
☎ 23684423, 23622076
टेलीफैक्स: 23622094, 41545550
ई-मेल: dspdelhi@dspdelhi.in
aksinghal@dspdelhi.in
वेबसाइट: www.dspdelhi.in

# स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

**सेवा में, सदस्यगण,**
**भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड**

**वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट**

**राय**

हमने **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड** ("कंपनी") के साथ दिये गये वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र, और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 (संशोधित) ("अधिनियम") की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गयी सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("इंड एएस") के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा इसके नकद प्रवाह सहित लाभ का सही तथा निष्पक्ष विवरण देते हैं।

**राय का आधार**

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा मानकों ("एसएएस") के अनुसार अपनी लेखा-परीक्षा की है । उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियां' अनुभाग में आगे दिया गया है। हम इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के अधीन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

**मामले पर जोर**

1. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 38 (39) में वर्णित है, कंपनी ने ₹ 87,366.57 लाख के कुल ऋणों को वर्गीकृत किया है, जिन्हें माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार चरण III/गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में चरण II/मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक था। तदनुसार वैधानिक प्रकटीकरण किये गये हैं। हालांकि, विवेक के मामले में, आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एनपीए बनने वाले ऐसे खातों पर ब्याज आय को संग्रह के आधार पर मान्यता दी गयी है और तदनुसार खातों में हानि के लिए भत्ता दिया गया है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

**प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले**

प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को

समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में माना है।

| क्र. सं. | प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले | लेखा-परीक्षक का प्रत्युत्तर |
|---|---|---|
| 1. | **ऋण परिसंपत्तियों की क्षति - अपेक्षित ऋण हानि**<br><br>लेखांकन नीति संख्या 3(xx) - 'वित्तीय लिखत' के साथ पठित वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 38 (20) (अ) (क) (ii)) देखें<br><br>वित्तपोषण कंपनी का मुख्य व्यवसाय है और हानि के कारण होने वाले नुकसान के लिए प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य पर ऋण परिसंपत्तियों का खुलासा सबसे महत्वपूर्ण है।<br><br>कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्य-प्रणाली का पालन करती है, जिसमें ऋण जोखिम और हानि के साक्ष्य के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करते हुए कुछ मानदंड/ढांचे के आधार पर हानि के लिए भत्ते का आकलन बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाता है। परिशोधित लागत पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि भत्ते (ईसीएल) के मापन के लिए जटिल मॉडलों और भविष्य की आर्थिक स्थितियों तथा ऋण व्यवहार (जैसे, ग्राहकों द्वारा चूक करने और परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान की संभावना) के बारे में महत्वपूर्ण मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है।<br><br>ईसीएल का आकलन करते समय कंपनी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और ईसीएल के अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर निगरानी और समीक्षा की जाती है।<br><br>ऐसी मान्यताओं का उचित अनुप्रयोग ऋण परिसंपत्तियों के विवरण के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि की महत्ता को देखते हुए, ऋण परिसंपत्तियों की हानि के कारण होने वाली हानि को हमारी लेखा-परीक्षा में मुख्य लेखा-परीक्षा मामला माना गया है। | **हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं, जिनके आधार पर हम प्रकटीकरण की तर्कसंगतता और ऋण परिसंपत्तियों की हानि - अपेक्षित ऋण हानि के लिए लेखांकन के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:**<br><br>हमने भारतीय लेखा मानक 109 "वित्तीय उपकरण", विभिन्न विनियामक अद्यतनों, आईसीएआई के मार्ग-दर्शन और ईसीएल के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है:<br><br>ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी, प्रासंगिक डेटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण हानि का आकलन और दर्ज किये गये वास्तविक डेटा की समीक्षा के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का मूल्यांकन और परीक्षण।<br><br>ऋण परिसंपत्तियों में वसूली का सत्यापन किया जाता है ताकि उस पर तनाव के स्तर और वित्तीय विवरणों में हानि भत्ते पर प्रभाव का पता लगाया जा सके।<br><br>किसी भी ऋण परिसंपत्ति खाते में किसी भी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाने के लिए दस्तावेज़ीकरण, संचालन/ प्रदर्शन, उपलब्ध प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और ऋण परिसंपत्तियों, विशेष रूप से बड़ी और तनावग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी का सत्यापन/समीक्षा।<br><br>कंपनी ईसीएल घटकों के मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष की सेवाओं का लाभ उठाती है और इस तरह के पक्ष को वर्ष के दौरान बदल दिया गया था। तीसरे पक्ष द्वारा किये गये हानि भत्ते के लिए अध्ययन में की गयी गणनाओं पर हम भरोसा करते हैं और इसके लिए परीक्षण जाँच की जाती है। तीसरे पक्ष के साथ साझा किये गये डेटा को प्रस्तुत किये जा रहे भौतिक घटकों की शुद्धता के लिए हमारे द्वारा सत्यापित किया जाता है। इस मामले में हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया सीमित है क्योंकि ऐसे डेटा के अध्ययन के लिए उपयोग किये जाने वाले कुछ मापदंडों और सॉफ़्टवेयर को साझा नहीं किया जाता है, जिसे उक्त तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना जाता है।<br><br>हमने भारतीय रिजर्व बैंक के लागू निर्देशों द्वारा आवश्यक अनुसार प्रावधान के साथ ईसीएल की तुलना भी की और तदनुसार हानि भत्ते की पर्याप्तता सुनिश्चित की। |

| क्र. सं. | प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले | लेखा-परीक्षक का प्रत्युत्तर |
|---|---|---|
| 2. | **व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन**<br>(लेखांकन नीति संख्या 3(xx) के साथ पठित वित्तीय विवरण के लिए संदर्भ नोट संख्या 38 (28) देखें।<br>विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर के प्रति कंपनी के जोखिम को कम करने के लिए, गैर-रुपया नकद प्रवाह की निगरानी की जाती है और बचाव उद्देश्य के लिए व्युत्पन्न अनुबंध दर्ज किये जाते हैं। व्युत्पन्नों को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है।<br>बचाव लेखांकन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए, बचाव संबंध को भारतीय लेखा मानक के अनुसार कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करना चाहिए। बचाव लेखांकन के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, साथ ही इसके लेखांकन/धारणाओं की जटिलता और बचाव संबंध स्थापित करने के लिए उसमें कई प्राचल होते हैं। इन व्युत्पन्नों पर लाभ/हानि को भारतीय लेखा मानक द्वारा प्रदान की गयी अन्य व्यापक आय या लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। कंपनी के संचालन के अनुसार ऐसे लेनदेन का परिमाण महत्वपूर्ण है।<br>मामले के तथ्यों को देखते हुए हमने इसे एक प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले के रूप में पहचाना है। | **हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं, जिनके आधार पर हम प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता और व्युत्पन्नों के लिए लेखांकन के बारे में निष्कर्ष पर पहुँचे, में निम्नलिखित शामिल हैं:**<br>प्रबंधन की धारणा पर चर्चा करना और समझना तथा जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी की नीति का अध्ययन करना।<br>इंड एएस 109 के अनुसार व्युत्पन्नी के उचित मूल्य का सत्यापन, व्युत्पन्नी लेनदेन की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण करना।<br>व्युत्पन्नी उपकरणों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और मूल्यांकन मॉडल पर प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन।<br>31 मार्च, 2024 तक निपटान के लिए बकाया/लंबित के रूप में विभिन्न वित्तीय व्युत्पन्नी अनुबंधों का विवरण प्राप्त किया।<br>उन वित्तीय व्युत्पन्नी अनुबंधों के लिए प्राप्त उचित मूल्यांकन का अनुमान लगाने में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन।<br>व्युत्पन्नी उपकरणों के लिए लागू मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता और नमूना आधार पर उनका परीक्षण करना।<br>इसके अतिरिक्त, हमने अन्य व्यापक आय या लाभ और हानि खाते में व्युत्पन्नी पर लाभ/हानि के लेखांकन का सत्यापन किया।<br>इंड एएस 109 के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की। |
| 3. | **आयकर सहित कराधान के लिए देयता**<br>नोट 38 (17क) देखें, कंपनी के पास विवादित मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण अनिश्चित कर मांगें हैं, जिनमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।<br>वर्ष के दौरान, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 1997-1998 से वित्तीय वर्ष 2008-2009 और वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2017-18 (वित्त वर्ष 2013-14 को छोड़कर) के लिए आयकर मामलों से संबंधित रिट याचिकाओं पर निर्णय लिया और सीआईटी (अपील) द्वारा अपील आदेश पारित किए गए। अन्य वित्तीय वर्षों के लिए भी आदेश प्राप्त हुए। परिणामी देनदारियों का उचित प्रावधान और प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण है। | **हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं, जिनके आधार पर हम आयकर के लिए देयता के लिए प्रकटीकरण और लेखांकन की तर्कसंगतता के बारे में निष्कर्ष पर पहुँचे, में निम्नलिखित शामिल हैं:**<br>हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में आयकर विभाग के साथ विवाद में उक्त विषय वस्तु पर माननीय उच्च न्यायालय और सीआईटी (अपील)/मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की समीक्षा शामिल है। हमने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया अपनायी।<br>अन्य कर मामलों के लिए, तथ्यों और कानूनी घोषणाओं का विश्लेषण और समीक्षा की गयी। |

| क्र. सं. | प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले | लेखा-परीक्षक का प्रत्युत्तर |
|---|---|---|
| | सेवा कर और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरणों ने भी कुछ मुद्दे उठाये हैं और पिछले कई समय से मांगें उठायी हैं, जिन पर विवाद चल रहा है। इन मांगों का संभावित परिणाम काफी बड़ा है।<br><br>इसे देखते हुए हमने इसे एक प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले के रूप में पहचाना है। | हमने प्रबंधन द्वारा किये गये प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की जैसा कि भारतीय लेखा मानक 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां" के साथ ही साथ भारतीय लेखा मानक 12 "आयकर" के संदर्भ में आवश्यक है । |

**भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी**

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट में निहित जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्य जानकारी इस लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराये जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के अधीन अन्य जानकारी नहीं आती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर पहचानी गयी अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान प्राप्त की गयी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। जब हम ऊपर बतायी गयी अन्य जानकारी पढ़ते हैं और यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें मामले को सुशासन प्रति जिम्मेदार लोगों को बताना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का वर्णन करना होगा।

**प्रबंधन और वित्तीय विवरणों के लिए सुशासन के लिए प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियाँ**

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में बताये गये मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य-प्रदर्शन, कंपनी की इक्विटी और नकद प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू चिंता आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

**वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ**

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक ग़लतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखा परीक्षा के अनुसार आयोजित एक लेखा-परीक्षा हमेशा एक भौतिक ग़लतबयानी का पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलतबयानी उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा कर सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखा-परीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा-परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाये रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और निष्पादित करना, तथा लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय

के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा-परीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों के अनुकूल हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है;
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना, और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावित बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा-परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गये किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम कंपनी के सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखा-परीक्षा के नियोजित दायरे व समय और महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है उसे हम अपनी लेखा-परीक्षा के दौरान प्रतिचिह्नित करते हैं।

हम सुशासन के लिए प्रभारी लोगों को यह भी विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी करते हैं।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद किये गये मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं, जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे तथा इस प्रकार वे प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में तब तक करते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम, ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना हो।

**अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुसार, हम **"अनुलग्नक-क"** में आदेश की कंडिका 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जो लागू होने की सीमा तक है और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार, हम कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में **"अनुलग्नक-ख"** में जानकारी देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

   क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून के अनुसार उचित लेखा पुस्तिकाएँ रखी गयी हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है कि हमारे द्वारा निरीक्षण न किये गये शाखाओं से हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं;

   ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकद प्रवाह का विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं;

   घ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

ङ) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक-5 जून 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है;

च) निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उक्त नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **"अनुलग्नक-ग"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 ('लेखा-परीक्षा नियम') के नियम 11 के अनुसार लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है - वित्तीय विवरणों के नोट 38 (17) का संदर्भ ग्रहण करें।

ii. कंपनी ने व्युत्पन्नी अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर भौतिक पूर्वानुमानित हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत आवश्यकता अनुसार उचित प्रावधान किया है: - वित्तीय विवरणों के नोट 38 (20) (स) (II) (ग) संदर्भ लें।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. (क) प्रबंधन ने अभिवेदित किया है [देखें नोट 38 (26)] कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("बिचौलिये") शामिल है, को कोई भी धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गयी है (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने यह अभिवेदित किया है [देखें नोट 38(26)] कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("निधिकरण पक्ष") शामिल है, से कोई निधि प्राप्त नहीं की गयी है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गयी हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान करेगी; और

(ग) लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, जिसे परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप खंड (क) और (ख) के अधीन अभिवेदनों में कोई भौतिक गलत कथन है।

v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु अपने खातों की पुस्तकों को अनुरक्षित रखने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित है। इसके अलावा, हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला और प्रबंधन ने कहा है कि ऑडिट ट्रेल सुविधा को अक्षम नहीं किया जा सकता है। चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

**कृते डीएसपी और एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या : 006791एन

हस्ता. /-
**(अतुल जैन)**
भागीदार
सदस्यता संख्या 091431

दिनांक: 19 अप्रैल 2024
स्थान: नई दिल्ली
यूडीआईएन: 24091431BKFKGN1586

# स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अधीन अनुलग्नक "क" रिपोर्ट, वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद 1 में संदर्भित है**

(i) (क) (अ) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित रख रही है;

(ब) कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित रख रही है;

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रबंधन द्वारा सालाना भौतिक रूप से सत्यापित किये गये हैं, जो हमारी राय में उचित है। कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन और परिणामी समायोजन पर देखी गयी विसंगतियों को लेखा पुस्तकों में सम्पादित किया जाता है। प्रबंधन द्वारा दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी राय में, यह तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है तथा लेखा पुस्तकों में उचित रूप से निपटाया गया है;

(ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गये अभिलेखों तथा हमें प्रदान किये गये शीर्षक विलेखों के आधार पर, हम प्रतिवेदित करते हैं कि, वित्तीय विवरणों में प्रकट की गयी सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर, जहां कंपनी पट्टेदार है तथा पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किये गये हैं) नीचे बताये गये अपवादों को छोड़कर कंपनी के नाम पर रखे गये हैं: -

| क्र. सं. | संपत्ति का विवरण (प्रकृति) | सकल वहन मूल्य (₹ लाख में) | जिनके नाम में धारित | क्या प्रवर्तक, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी | धारित अवधि- जहां उचित हो, सीमा बताएं | कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कार्यालय परिसर - भारत पर्यावास केंद्र परिसर (आईएचसी) {परिसम्पत्तियों के इस्तेमाल का अधिकार} | 172.34 | आईएचसी द्वारा आवंटन पत्र के आधार पर अधिकृत किया गया | नहीं | आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993 | भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) द्वारा त्रिपक्षीय हस्तांतरण विलेख/समझौते का निष्पादन [भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ), आईएचसी और आवंटी संस्थानों के बीच] आईएचसी में सभी आवंटी संस्थानों के संबंध में लंबित है, जिसमें इरेडा भी शामिल है। आईएचसी पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए एलएंडडीओ के साथ मिलकर काम कर रहा है। पट्टा विलेख के मसौदे को एलएंडडीओ द्वारा मंजूरी दे दी गयी है। |
| 2 | अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) में कार्यालय परिसर {परिसम्पत्तियों के इस्तेमाल का अधिकार} | 2110.10 | हुडको द्वारा स्थायी पट्टा विलेख के आधार पर कब्जा किया गया | नहीं | आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006 | संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण की प्रक्रिया हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) के साथ चल रही है। |

| क्र. सं. | संपत्ति का विवरण (प्रकृति) | सकल वहन मूल्य (₹ लाख में) | जिनके नाम में धारित | क्या प्रवर्तक, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी | धारित अवधि- जहां उचित हो, सीमा बताएं | कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | जंगपुरा, दिल्ली में आवासीय फ्लैट (निवेश संपत्ति के रूप में धारित) | 8.75 | एचपीएल द्वारा विक्रय समझौते के आधार पर कब्जा किया गया | नहीं | 23.06.1994 | संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा एलएंडडीओ के साथ मिलकर की जा रही है। इसके बाद, विलेख का निष्पादन किया जाएगा। |
| 4. | कार्यालय परिसर- एनबीसीसी किदवई नगर (संपत्ति इस्तेमाल का अधिकार | 13291.71 | पट्टे का निष्पादन प्रक्रियाधीन | नहीं | आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015 | उप एलएंडडीओ-IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय (एमओएचयूए) के माध्यम कार्यकारी भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए कंपनी द्वारा अंतिम मसौदा पट्टा विलेख को एनबीसीसी के पास भेजा गया था। उक्त संपत्ति हेतु अधिग्रहण की तारीख और पट्टे की आरंभ तिथि के संबंध में मामले को निष्पादन से पहले एनबीसीसी के पास भेजा गया है। |
| 5. | आवासीय फ्लैट - एनबीसीसी किदवई नगर (संपत्ति इस्तेमाल का अधिकार) | 660.85 | पट्टे का निष्पादन प्रक्रियाधीन | नहीं | आवंटन पत्र दिनांक 14.11.2018 | उप एल एंड डीओ-IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, एमओएचयूए के जरिए कार्यकारी भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए कंपनी द्वारा अंतिम मसौदा पट्टा विलेख को एनबीसीसी के पास भेजा गया था। उक्त संपत्ति हेतु अधिग्रहण की तारीख और पट्टे की आरंभ तिथि के संबंध में मामले को निष्पादन से पहले एनबीसीसी के पास भेजा गया था । यह फ्लैट आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के साथ इंटरपोल एक्सचेंज में पड़ा हुआ है तथा इसे कंपनी में वापस लेने की कार्रवाई चल रही है। |

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसम्पत्तियों के उपयोग के अधिकार सहित) तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है;

(ङ) बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत कंपनी के प्रति कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गयी है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ख) कंपनी को कुछ चालू परिसंपत्तियों की जमानत के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा संस्वीकृत की गयी है तथा कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों में दाखिल तिमाही रिटर्न या विवरण कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(iii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान अपने लेन-देन के संबंध में, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, लेकिन एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते, गारंटी और सुरक्षा प्रदान की, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी और अन्य पक्षों को सुरक्षित/असुरक्षित ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान किए। इस संबंध में, हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं -

(क) कंपनी एक एनबीएफसी है जिसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है, ऋण या ऋण की प्रकृति में किसी भी अग्रिम पर रिपोर्टिंग, या गारंटर के रूप में खड़े होने, या सुरक्षा के प्रावधान के लिए यह खंड लागू नहीं है। इस दृष्टि से आदेश के खंड 3 (iii) (क) (अ) और (ब) के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं है;

(ख) हमारी राय में और हमारे द्वारा निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, प्रदान की गयी गारंटी, दी गयी सुरक्षा और ऋण तथा गारंटी की प्रकृति में सभी ऋण और अग्रिम के अनुदान की शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं;

(ग) हमारे द्वारा निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, ऋण और ऋण की प्रकृति में अग्रिम के संबंध में, मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गयी है और ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मामले को छोड़कर, और कुछ मामलों को चरण 1 के रूप में प्रकट किया गया है और अदालत के आदेशों के मद्देनजर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में प्रकट नहीं किया गया है, को छोड़कर पुनर्भुगतान आमतौर पर शर्तों के अनुसार नियमित हैं [ वित्तीय विवरणों के लिए क्रमशः नोट 38(47) ओ और 38(39)देखें];

(घ) हमारे द्वारा निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं और वित्तीय विवरणों के नोट 38 (47) (ओ) में प्रकट किये गये के अनुसार, नब्बे दिनों से अधिक के लिए कुल बकाया राशि ₹1,41,085.32 लाख है। हमारी राय में, मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए कंपनी द्वारा एक एनबीएफसी होने के नाते उठाये गये कदम आम तौर पर इसके द्वारा तैयार की गयी नीतियों के अनुसार हैं और उचित हैं;

(ङ) कंपनी एक एनबीएफसी है जिसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है, वर्ष के दौरान देय होने वाले ऋणों आदि पर रिपोर्टिंग के लिए यह खंड 3 (iii) (ङ) और दिये गये मौजूदा ऋणों के बकाया को निपटाने के लिए नवीनीकृत या विस्तारित या नये ऋण दिये गये हैं, कंपनी पर लागू नहीं हैं;

(च) हमारे द्वारा की गयी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान, मांग पर चुकाने योग्य या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किये ऋण या ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसे देखते हुए, इस खंड 3(iii)(च) के अनुसार संबंधित पक्षों को ऋण के संबंध में अन्य रिपोर्टिंग आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं;

(iv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अधीन निर्दिष्ट अनुसार कंपनी द्वारा प्रदान किये गये ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन कंपनी ने किया है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (iv) के अनुसार आगे की रिपोर्टिंग की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(v) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम और उसके तहत नियमों के अन्य प्रासंगिक प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसे देखते हुए, आदेश के खंड (v) के अनुसार ऐसे प्रावधानों या प्राधिकारियों/न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश के उल्लंघन के संबंध में अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(vi) हमने कंपनी के व्यवसाय के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों की व्यापक समीक्षा की है, जिस पर उक्त नियम लागू होते हैं और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित लेखों और अभिलेख बनाये गये है और अनुरक्षित हैं। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए उक्त अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

(vii)(क) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया को उचित अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। वर्ष के अंत तक किसी भी वैधानिक बकाया के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि बकाया नहीं थी, जो उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी;

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वैधानिक बकाया का विवरण जो किसी विवाद के कारण वर्ष के अंत तक जमा नहीं किया गया है, इस प्रकार है:

| संविधि का नाम | कर की प्रकृति | विवाद में राशि (₹ लाख में) | वित्तीय वर्ष हेतु | जमा की गयी राशि + | फोरम जहाँ मामला लंबित है |
|---|---|---|---|---|---|
| आयकर अधिनियम 1961 | आयकर | 1344.16* | 2009-10 | 1344.16 | # |
| आयकर अधिनियम 1961 | आयकर | 1496.52* | 2010-11 | 1496.52 | # |
| आयकर अधिनियम 1961 | आयकर | 1519.54* | 2011-12 | 1519.54 | # |
| आयकर अधिनियम 1961 | आयकर | 2216.55* | 2012-13 | 2216.55 | # |
| आयकर अधिनियम 1961 | आयकर | 1547.05 | 2013-14 | 1547.05 | सीआईटी (अपील) |
| आयकर अधिनियम 1961 | आयकर | 2310.96* | 2014-15 | 2310.96 | # |
| आयकर अधिनियम 1961 | आयकर | 2761.20* | 2015-16 | 2761.20 | # |
| आयकर अधिनियम 1961 | आयकर | 5337.19* | 2016-17 | 2,299.06 | # |
| आयकर अधिनियम 1961 | आयकर | 2678.78* | 2017-18 | 1,732.07 | # |
| आयकर अधिनियम 1961 | आयकर | 427.01* | 2019-20 | 149.86 | # |
| वित्त अधिनियम (एफए)1994 एफए 2004, एफए 2015 | सेवा कर और जुर्माना | 11709.10 | 2012-13 से 2015 -16 | 786.35 | सीईएसटीएटी, नई दिल्ली |
| वित्त अधिनियम (एफए)1994 एफए 2004, एफए 2015 | सेवा कर और जुर्माना | 4145.78 | 2016-17 और 2017-18 | 388.34 | सीईएसटीएटी, मुंबई |
| सीजीएसटी अधिनियम 2017 और दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 | जीएसटी और जुर्माना | 3050.66 | 2017-18 और 2018-19 | 1,525.08 | # |
| कंपनी अधिनियम, 2013 | जुर्माना | 2.62 | 2021-22 और 2022-23 | - | क्षेत्रीय निदेशक (एनआर), दिल्ली के पास अपील दायर की गयी |

+ विरोध / पूर्वप्रदत्त कर के अधीन जमा

# सांविधिक अवधि के भीतर उच्च प्राधिकारियों के पास दूसरी अपील दायर की जानी है

* सीआईटी (अपील) के अनुकूल आदेश के अनुसरण में अपील के माध्यम से कर मांग को अंततः कम करने का अभ्यावेदित करता है

(viii) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान, ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो। इसके मद्देनजर, आदेश के खंड 3 (viii) के अनुसार पहले से अलिखित आय का कोई लेन-देन नहीं है।

(ix) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी ऋणदाता को किसी ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। इसके मद्देनजर, आदेश के खंड 3 (ix) (क) के अंतर्गत अपेक्षित अन्य रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम प्रतिवेदित करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त दिये गये थे, उसी उद्देश्य के लिए सावधि ऋण लागू दिये गये थे। इसे देखते हुए आदेश के खंड 3(ix)(ग) के अंतर्गत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(घ) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण, हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा अल्पावधि आधार पर उगाही गयी किसी भी निधि का उपयोग दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है। इसे देखते हुए आदेश के खंड 3(ix)(घ) के अंतर्गत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(ङ) वर्ष के दौरान, कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी नहीं है। इसे देखते हुए खंड 3(ix)(ङ) और 3(ix)(च) के अंतर्गत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(x) (क) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से उगाही गयी धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है, जिसके लिए उसे उगाहा गया था। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऋण साधनों (सार्वजनिक प्रस्ताव या अन्यथा) के माध्यम से उगाही गयी धनराशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया, जिनके लिए उन्हें उगाहा गया था।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या कोई निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xi) (क) हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, वर्ष के दौरान, हमें कंपनी द्वारा या कंपनी पर किसी भी भौतिक धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं मिला है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित अनुसार फॉर्म एडीटी-4 में लेखा-परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई पर्दाफाश करने वाली शिकायत नहीं मिली है।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xiii) (क), (ख) या (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो तथा लागू लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में आवश्यक प्रकटीकरण किये गये हैं;

(xiv) (क) हमारी राय में तथा हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए लेखा-परीक्षित अवधि के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा आज तक जारी रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। इसे देखते हुए आदेश के खंड 3(xv) के अंतर्गत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(xvi) (क) कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों के संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-IAक के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।

(ख) कंपनी द्वारा की जाने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियाँ पंजीकरण के वैध प्रमाणपत्र के अधीन हैं।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये विनियमों में परिभाषित मूल निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (ग)और (घ) के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है;

(xvii) कंपनी ने न तो इस वित्तीय वर्ष में और न ही तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा उठाया है;

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा-परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार इस खंड के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है;

(xix) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गयी अन्य सूचना, निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी और प्रबंधन योजनाओं के आधार पर, हमारा यह मत है कि लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता विद्यमान नहीं है कि कंपनी अपने तुलन-पत्र की तिथि पर विद्यमान देनदारियों को तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाने में सक्षम है। हम आगे बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर होने वाली सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा;

(xx) (क) हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, कंपनी को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी भी अप्रयुक्त राशि को हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2019-2020 से पहले की ₹8.43 लाख की अप्रयुक्त राशि को कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्वेच्छा से हस्तांतरित किया जा रहा है; [वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 38(37)देखें]

(ख) हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी चालू परियोजना के अंतर्गत ₹1112.90 लाख की राशि का व्यय न किया जाना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित किया जाना है। [वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 38(37)देखें]

(xxi) कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xxi) लागू नहीं होता है।

**कृते डीएसपी एवं एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या : 006791एन

हस्ता./-
**(अतुल जैन)**
भागीदार
सदस्यता संख्या 091431

दिनांक: 19 अप्रैल 2024
स्थान: नई दिल्ली
यूडीआईएन: 24091431BKFKGN1586

# स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निर्देश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये।**

1. क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखा लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखा लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर निहितार्थ, यदि कोई हो, बताये जा सकते हैं।

   **उत्तर:**

   हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर, सभी लेखा लेन-देन कंपनी द्वारा कार्यान्वित आईटी सिस्टम के माध्यम से किये जाते हैं। अवधि के अंत में वित्तीय विवरण आईटी सिस्टम से उत्पन्न शेष राशि और लेनदेन के आधार पर ऑफ़लाइन संकलित किये जाते हैं। हमें न तो सूचित किया गया है और न ही हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान हमें ऐसे किसी भी लेखांकन लेन-देन का पता चला है जिसका खातों की अखंडता पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही वित्तीय निहितार्थ भी हैं जिन्हें आईटी सिस्टम के बाहर संसाधित किया गया है।

2. क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा बकाया/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू है।

   **उत्तर:**

   i. हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर, कंपनी को किसी भी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या बकाया/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।

   ii. एक सरकारी कंपनी होने के नाते, ऋणदाता के रूप में कंपनी के संचालन के संबंध में, कंपनी ने ऐसे मामलों का उचित रूप से हिसाब लगाया है जहां दिये गये मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन किया गया है या बकाया/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं और ऐसे मामलों का कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव नहीं है।

3. क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं बाबत प्राप्ति/प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब लगाया गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

   **उत्तर:**

   हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का लेखा-जोखा रखा है तथा उसका उपयोग योजनाओं की शर्तों के अनुसार किया है।

**कृते डीएसपी एवं एसोसिएट्स**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म की पंजीकरण संख्या : 006791एन

हस्ता./-
**(अतुल जैन)**
भागीदार
सदस्यता संख्या 091431

दिनांक: 19 अप्रैल 2024
स्थान: नई दिल्ली
यूडीआईएन: 24091431BKFKGN1586

# स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

**कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट**

हमने 31 मार्च, 2024 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के साथ संयुक्त है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

कंपनी का प्रबंधन इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकॉउन्टेंट्स ऑफ़ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा' पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेख की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

**लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी**

हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और 'ऑडिटिंग पर मानक' के अनुसार की, दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किये गये और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने गये, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग के लिए लागू और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किये गये। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा-परीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाये रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किये गये जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गयी प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

1. उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
2. उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किये जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय सिर्फ़ कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किये जा रहे हैं; और

3. कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है, साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं,या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

**राय**

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसी वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रही थी, जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करती है। इसके अलावा, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट (एएलएम) सहित लेखांकन रिकॉर्ड के कुछ क्षेत्र बेहतर नियंत्रण के लिए स्वचालन की प्रक्रिया में हैं।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

**कृते डीएसपी एवं एसोसिएट्स**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म की पंजीकरण संख्या : 006791एन

हस्ता./-
**(अतुल जैन)**
भागीदार
सदस्यता संख्या 091431

दिनांक: 19 अप्रैल 2024
स्थान: नई दिल्ली
यूडीआईएन: 24091431BKFKGN1586

# गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

**निदेशक मंडल,**
**भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड**
**नई दिल्ली**

हमने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, जो 'कंपनी अधिनियम 2013 (यथा संशोधित) ("अधिनियम") (जिसे आगे "वित्तीय विवरण" कहा जाएगा) की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गयी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार, कंपनी पर लागू सीमा तक उसमें निर्दिष्ट मामलों पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के व्यवसाय में लगी हुई है, जिसके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकरण का वैध प्रमाणपत्र (सीओआर) संख्या 14.000012 दिनांक 13 मार्च, 2023 है, जिसे निवेश ऋण कंपनी (आईसीसी) के रूप में पहले के पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या 14.000012 दिनांक 23 जनवरी, 2008 के बदले में जारी किया गया था और पहले भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iए के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण के लिए कंपनी के आवेदन के अनुसरण में प्रमाणपत्र संख्या 14.000012 दिनांक 10 फरवरी 1998 के माध्यम से पंजीकृत किया गया था।

2. कंपनी 31 मार्च, 2024 तक अपने प्रमुख व्यवसाय मानदंड (वित्तीय परिसंपत्ति/आय स्वरूप) के अनुसार उक्त सीओआर को जारी रखने की हकदार है।

3. कंपनी एक एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ("एनबीएफसी-आईएफसी") होने के नाते, मास्टर निर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 दिनांक 19 अक्टूबर 2023 (यथा संशोधित) (इसके बाद "एमडी 2023" के रूप में संदर्भित) में निर्धारित ऐसी कंपनियों पर लागू शुद्ध स्वामित्व वाली निधि की आवश्यकता को पूरा कर रही है। मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 और मास्टर निर्देश -गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 (जिसे आगे "एमडी 2016" कहा जाएगा) को एमडी 2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

4. निदेशक मंडल ने 25 अप्रैल, 2023 को संकल्प लिया है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करेगी।

5. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

6. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण आरबीआई द्वारा जारी किये गये एमडी 2023 तथा उसके अधीन जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) की मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किये गये हैं। तदनुसार, कंपनी अपनी ऋण परिसंपत्तियों के प्रावधान और उसके वर्गीकरण के लिए हानि भत्ते की गणना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पद्धति का अनुसरण कर रही है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए एक तंत्र को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के विनियामक अनुपालन को देखते हुए, कंपनी को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि का प्रावधान करना आवश्यक है और एमडी 2016 के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी मानदंड) से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस संबंध में, एमडी 2023 के अनुपालन में कंपनी ने आईआरएसीपी मानदंडों (मानक परिसंपत्ति प्रावधानों सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान की गणना की है और कंपनी को "हानि आरक्षित" के लिए कोई राशि विनियोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

7. कंपनी एमडी 2023 में परिभाषित के अनुसार एनबीएफसी मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) है। तदनुसार:

   i) बैंक को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न स्टाइल डीएनबीएस - 3 में बताये गये अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सही ढंग से प्राप्त किया गया है और यह अनुपात बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर के अनुपालन में है। फॉर्म एनबीएस -7 में रिटर्न जमा करना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तब से बंद कर दिया गया है।

   ii) कंपनी ने 30 जून 2023, 30 सितंबर 2023 और 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए डीएनबीएस-3 में पूंजी निधि, जोखिम परिसंपत्तियों/खुलासा और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात का तिमाही विवरण आरबीआई को अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया है और 31 मार्च

2024 को समाप्त तिमाही के लिए डीएनबीएस-3 को निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल किया जाना बाकी है। फॉर्म एनबीएस-7 में रिटर्न जमा करना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तब से बंद कर दिया गया है।

8. कंपनी एमडी-2023 द्वारा परिभाषित एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एनबीएफसी-एमएफआई) नहीं है। एमडी-2016 को एमडी-2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

**कृते डीएसपी एवं एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म की पंजीकरण संख्या : 006791एन

हस्ता./-
**(अतुल जैन)**
भागीदार
सदस्यता संख्या 091431

दिनांक: 19 अप्रैल 2024
स्थान: नई दिल्ली
यूडीआईएन: 24091431BKFKGO9203

## 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मन्तव्य।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा-परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कहा गया है कि यह कार्य उनके द्वारा किया गया है इसके हेतु दिनांक **19.04.2024** की उनकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट देखें।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा वैधानिक लेखा-परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा-परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा-परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन वैधानिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक करने की आवश्यकता हो।

**कृते तथा उनकी ओर से**
**भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक**

**हस्ता./-**
**गुरवीन सिधू**
**महानिदेशक लेखापरीक्षा**
**केन्द्रीय व्यय (पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.05.2024

# तुलन-पत्र

31 मार्च, 2024 को

**( ₹ लाख में)**

| क्र. सं. | विवरण | नोट संख्या | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|---|---|
| I | **परिसम्पत्तियां** | | | |
| अ | **वित्तीय परिसम्पत्तियां** | | | |
| | (क) नकद और नकद समकक्ष | 2 | 7,421.32 | 13,845.00 |
| | (ख) नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष | 3 | 66,167.20 | 81,624.05 |
| | (ग) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत | 4 | 48,378.46 | 57,405.20 |
| | (घ) प्राप्य | | | |
| | (I) व्यापार प्राप्य | 5 | 601.75 | 501.25 |
| | (ङ) ऋण | 6 | 58,77,508.86 | 46,22,692.33 |
| | (च) निवेश | 7 | 9,933.92 | 9,930.26 |
| | (छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 8 | 2,542.09 | 3,180.56 |
| | **वित्तीय परिसंपत्तियों का योग (अ)** | | **60,12,553.60** | **47,89,178.65** |
| ब | **गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां** | | | |
| | (क) चालू कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध) | 9 | 15,540.74 | 14,392.42 |
| | (ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध) | 10 | 28,944.30 | 30,100.18 |
| | (ग) निवेश संपत्ति | 11 | 2.48 | 2.97 |
| | (घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) | 12 | 20,639.55 | 21,284.30 |
| | (ङ) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर | 13 | - | 13,926.35 |
| | (च) परिसम्पत्तियां उपयोग का अधिकार | 14 | 14,988.52 | 1,585.82 |
| | (छ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां | 15 | - | 485.57 |
| | (ज) अमूर्त परिसम्पत्तियां | 16 | 478.07 | 1.44 |
| | (झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां | 17 | 1,66,894.65 | 1,73,742.39 |
| | **गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का योग (ब)** | | **2,47,488.31** | **2,55,521.44** |
| | **कुल परिसंपत्तियाँ (अ+ब)** | | **62,60,041.91** | **50,44,700.09** |
| II | **देयताएँ और इक्विटी** | | | |
| | **देयताएँ** | | | |
| अ | **वित्तीय देयताएँ** | | | |
| | (क) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत | 4 | 20,801.91 | 15,146.86 |
| | (ख) देय | | | |
| | (I) व्यापार देय राशि | 18 | | |
| | (i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि | | 102.87 | 25.25 |
| | (ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि | | 627.46 | 425.02 |
| | (ग) ऋण प्रतिभूतियाँ | 19 | 17,71,361.13 | 10,84,328.34 |
| | (घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) | 20 | 31,32,383.60 | 28,67,266.36 |
| | (ङ) अधीनस्थ देयताएँ | 21 | 64,941.24 | 64,933.29 |
| | (च) अन्य वित्तीय देयताएँ | 22 | 1,34,029.94 | 1,33,543.36 |
| | **वित्तीय देयताओं का योग (अ)** | | **51,24,248.15** | **41,65,668.48** |
| ब | **गैर-वित्तीय देयताएँ** | | | |
| | (क) प्रावधान | 23 | 99,111.02 | 1,11,815.80 |
| | (ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ | 24 | 1,80,740.20 | 1,73,698.86 |
| | **गैर-वित्तीय देयताओं का योग (ब)** | | **2,79,851.22** | **2,85,514.66** |
| स | **इक्विटी** | | | |
| | (क) इक्विटी शेयर पूंजी | 25 | 2,68,776.47 | 2,28,460.00 |
| | (ख) अन्य इक्विटी | 26 | 5,87,166.07 | 3,65,056.95 |
| | **इक्विटी का योग (स)** | | **8,55,942.54** | **5,93,516.95** |
| | **कुल देयताएँ और इक्विटी (अ+ब+स)** | | **62,60,041.91** | **50,44,700.09** |

महत्वपूर्ण लेखा नीति सूचना 1

साथ में दिये गये नोट 1 से 38 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या- 006791एन

**हस्ता. /-**
**अतुल जैन**
भागीदार
सदस्यता संख्या : -091431

**तारीख : 19.04.2024**
**स्थान : नई दिल्ली**

**निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से**

**हस्ता./-**
**डॉ. बिजय कुमार मोहंती**
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या816532

**हस्ता./-**
**प्रदीप कुमार दास**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

**हस्ता./-**
**एकता मदान**
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

# लाभ और हानि का विवरण

## 31 मार्च,2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | विवरण | नोट संख्या | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **प्रचालन से राजस्व** | | | |
| i) | ब्याज आय | 27 | 4,82,240.46 | 3,37,382.67 |
| ii) | शुल्क और कमीशन आय | 28 | 6,000.92 | 3,733.28 |
| iii) | व्युत्पन्नी पर उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि) | 29 | (1,125.53) | 1,242.79 |
| iv) | अन्य प्रचालन आय | 30 | 9,277.73 | 5,838.75 |
| | **प्रचालन से कुल राजस्व (I)** | | **4,96,393.58** | **3,48,197.49** |
| **II** | **अन्य आय** | 31 | 135.53 | 106.93 |
| **III** | **कुल आय (I+II)** | | **4,96,529.11** | **3,48,304.42** |
| **IV** | **व्यय** | | | |
| i) | वित्त लागत | 32 | 3,16,410.15 | 2,08,843.82 |
| ii) | शुद्ध परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) | 33 | (1,652.85) | 2,402.56 |
| iii) | वित्तीय लिखतों पर हानि | 34 | (6,721.67) | 6,657.91 |
| iv) | कर्मचारी लाभ व्यय | 35 | 7,131.92 | 6,309.29 |
| v) | मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि | 36 | 3,034.75 | 2,349.84 |
| vi) | अन्य व्यय | 37 | 7,652.22 | 7,118.64 |
| vii) | निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय | 38(37) | 2,150.66 | 697.44 |
| | **कुल व्यय (IV)** | | **3,28,005.18** | **2,34,379.50** |
| **V** | **असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)** | | **1,68,523.93** | **1,13,924.92** |
| **VI** | **असाधारण मदें** | | **-** | **-** |
| **VII** | **कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)** | | **1,68,523.93** | **1,13,924.92** |
| **VIII** | **कर व्यय** | 38(3) | | |
| (i) | चालू कर | | 41,303.13 | 25,317.27 |
| (ii) | आस्थगित कर | | 1,997.90 | 2,144.82 |
| **IX** | **निरंतर परिचालन से लाभ/(हानि) (VII-VIII)** | | 1,25,222.90 | 86,462.83 |
| | बंद परिचालन से लाभ/(हानि) | | - | - |
| **X** | **वर्ष के लिए लाभ/(हानि)** | | **1,25,222.90** | **86,462.83** |
| **XI** | **अन्य व्यापक आय (ओसीआई)** | | | |
| **(अ)** | (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | | |
| | - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन :- | | (228.04) | (155.44) |
| | (ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | 57.39 | 39.12 |
| | **उप-योग (अ)** | | **(170.65)** | **(116.32)** |
| **(ब)** | (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा :- | | | |
| | - नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा | | (20,725.24) | (5,021.14) |
| | (ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा | | 5,216.13 | 1,263.72 |
| | **उप-योग (ब)** | | **(15,509.11)** | **(3,757.42)** |
| | **अन्य व्यापक आय (अ+ब)** | | **(15,679.76)** | **(3,873.74)** |
| **XII** | **वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (X+XI) [लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय सम्मिलित]** | | 1,09,543.14 | 82,589.09 |
| **XIII** | **आय प्रति इक्विटी शेयर (निरंतर प्रचालन के लिए)** | | | |
| | मूल (₹) | 38(15) | 5.16 | 3.78 |
| | मंदित (₹) | | 5.16 | 3.78 |
| **XIV** | **आय प्रति इक्विटी शेयर (बंद प्रचालन के लिए)** | | | |
| | मूल (₹) | | - | - |
| | मंदित (₹) | | - | - |
| **XV** | **आय प्रति इक्विटी शेयर (निरंतर और बंद प्रचालन के लिए)** | | | |
| | मूल (₹) | | 5.16 | 3.78 |
| | मंदित (₹) | | 5.16 | 3.78 |

महत्वपूर्ण लेखा नीति सूचना 1

साथ में दिये गये नोट 1 से 38 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या- 006791एन

**हस्ता. /-**
**अतुल जैन**
भागीदार
सदस्यता संख्या : 091431

**तारीख : 19.04.2024**
**स्थान : नई दिल्ली**

**निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से**

**हस्ता./-**
**डॉ. बिजय कुमार मोहंती**
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या 08816532

**हस्ता./-**
**प्रदीप कुमार दास**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

**हस्ता./-**
**एकता मदान**
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

# नकद प्रवाह विवरण
## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

( ₹ लाख में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|---|---|---|
| अ | **परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :** | | | | |
| | कर पूर्व लाभ | 1,68,523.93 | | 1,13,924.92 | |
| | **निम्न हेतु समायोजन:** | | | | |
| | 1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द करने पर हानि/(लाभ) (शुद्ध) | 64.29 | | 13.01 | |
| | 2 निवेश की बिक्री पर हानि / (लाभ) | - | | - | |
| | 3 वित्तीय साधनों पर हानि | (6,721.67) | | 6,657.91 | |
| | 4 मूल्यह्रास और परिशोधन | 3,034.75 | | 2,349.84 | |
| | 5 डब्ल्यूबी अनुदान के कारण परिशोधन समायोजन | 397.95 | | - | |
| | 6 पट्टा देयता पर ब्याज | 36.17 | | 38.24 | |
| | 7 शुद्ध परिवर्तन/ लेनदेन विनिमय हानि / (लाभ) | (1,652.85) | | 2,402.56 | |
| | 8 बट्टे खाते डाला गया प्रावधान | - | | - | |
| | 9 बट्टे खाते डाली गयी राशियाँ | 183.94 | | 1.21 | |
| | 10 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान | 445.48 | | 87.67 | |
| | 11 ऋण प्रतिभूतियों पर प्रभावी ब्याज दर | 16.57 | | 136.41 | |
| | 12 ऋण प्रतिभूतियों के अलावा अन्य पर प्रभावी ब्याज दर | 0.73 | | 1.39 | |
| | 13 उप ऋण पर प्रभावी ब्याज दर | 7.94 | | 7.33 | |
| | 14 ऋण पर प्रभावी ब्याज दर | 775.69 | | 6,468.14 | |
| | 15 अप्रत्यक्ष कर और अन्य के लिए प्रावधान (गारंटी कमीशन पर) | 2,015.15 | | 900.56 | |
| | 16 व्युत्पन्नी पर उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध हानि / (लाभ) | (1,125.53) | | 1,242.79 | |
| | **कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व परिचालन लाभ** | **1,66,002.53** | | **1,34,231.98** | |
| | परिचालन परिसंपत्तियों / देनदारियों में वृद्धि / कमी | | | | |
| | 1 ऋण | (12,64,447.94) | | (13,13,299.25) | |
| | 2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 10,787.09 | | (18,816.88) | |
| | 3 अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां | 6,844.76 | | (9,529.57) | |
| | 4 व्यापार प्राप्य | (100.50) | | (48.58) | |
| | 5 अन्य गैर-वित्तीय देयताएं | 7,041.34 | | (1,091.96) | |
| | 6 अन्य वित्तीय देयताएं | (14,583.60) | | 41,851.67} | |
| | 7 लीज देयता | (9.00) | | (12.97) | |
| | 8 व्यापार देय | 280.05 | | (66.68) | |
| | 9 नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष | 15,456.85 | | (42,072.20) | |
| | **असाधारण मदों से पहले नकद प्रवाह** | **(10,72,728.42)** | | **(12,08,854.44)** | |
| | असाधारण मद | - | | - | |
| | **कर पूर्व परिचालन से शुद्ध नकद प्रवाह/(बहिर्वाह)** | **(10,72,728.42)** | | **(12,08,854.44)** | |
| | आयकर | (37,235.31) | | (25,461.44) | |
| | **परिचालन से शुद्ध हानि/(लाभ)** | | **(11,09,963.73)** | | **(12,34,315.89)** |
| ब | **निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह** | | | | |
| | 1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद | (1,628.97) | | (462.66) | |
| | 2 अमूर्त परिसम्पत्तियों/विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद | (451.71) | | (175.00) | |
| | 3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री | 14.70 | | 9.86 | |
| | 4 पूंजी कार्य-प्रगति-पर (सीडब्ल्यूआईपी) में संयोजन | (250.21) | | (1,093.06) | |
| | **निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह** | | **(2,316.19)** | | **(1,720.87)** |
| स | **वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह** | | | | |
| | 1 इक्विटी शेयरों के निर्गम से आय (शुद्ध) | 40,316.47 | | - | |
| | 2 प्रतिभूति प्रीमियम से आय (शुद्ध) | 88,696.24 | | - | |
| | 3 शेयर निर्गम व्यय | (3,117.60) | | - | |
| | 4 ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम (मोचन का शुद्ध) | 6,87,016.22 | | 1,61,278.06 | |
| | 5 ऋण प्रतिभूतियों के अलावा अन्य ऋण उगाही (पुनर्भुगतान का शुद्ध) | 2,92,972.07 | | 10,75,511.48 | |
| | 6 पट्टा देयता के लिए भुगतान | (27.16) | | (25.27) | |

# नकद प्रवाह विवरण
## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

( ₹ लाख में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह** | | **11,05,856.24** | | **12,36,764.27** |
| | **नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/कमी** | | **(6,423.68)** | | **727.52** |
| | शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष | | 13,845.00 | | 13,117.48 |
| | अंत में नकद और नकद समकक्ष | | 7,421.32 | | 13,845.00 |
| | **नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/कमी** | | **(6,423.68)** | | **727.52** |
| | **वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्षों के घटक** | | | | |
| | बैंकों की भारतीय शाखा के चालू खातों में | | 832.47 | | 4,084.12 |
| | बैंकों की विदेशी शाखा के चालू खातों में | | 3.41 | | 2.72 |
| | विदेशी शाखाओं में अल्पावधि जमा | | 54.11 | | - |
| | बैंकों के साथ ओवरड्राफ्ट खातों में | | 5,708.89 | | 9,600.69 |
| | बैंकों के साथ जमा खातों में | | 66.09 | | - |
| | बैंकों के साथ बचत बैंक खातों में | | 756.35 | | 157.47 |
| | **वर्ष के अंत में कुल नकद और नकद समकक्ष** | | **7,421.32** | | **13,845.00** |

महत्वपूर्ण लेखा नीति सूचना 1

साथ में दिये गये नोट 1 से 38 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

1 नकद प्रवाह का उपर्युक्त विवरण भारतीय लेखा मानक 7 'नकद प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अधीन तैयार किया गया है।

2 परिसंपत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण तथा सीएसआर गतिविधियों से संबंधित अन्य उद्देश्यों पर व्यय की गयी राशि के लिए नोट 38 (37) देखें।

3 इक्विटी शेयरों के नए निर्गम तथा उनके प्रतिभूति प्रीमियम से प्राप्त आय के बारे में अधिक जानकारी के लिए नोट 26 तथा 38 (25) देखें।

4 ऊपर प्रस्तुत रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में नकद तथा नकद समकक्षों के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

5 जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्व्यवस्थित तथा पुनर्समूहित किया गया है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या- 006791एन

**हस्ता. /-**
**अतुल जैन**
भागीदार
सदस्यता संख्या : 091431

**तारीख : 19.04.2024**
**स्थान : नई दिल्ली**

**निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से**

**हस्ता./-**
**डॉ. बिजय कुमार मोहंती**
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या 08816532

**हस्ता./-**
**प्रदीप कुमार दास**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

**हस्ता./-**
**एकता मदान**
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

# इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

**अ इक्विटी शेयर पूंजी**

| विवरण | शेयरों की संख्या (संख्या) | राशि ( ₹ लाख में) |
|---|---|---|
| जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त | | |
| **01.04.2022 को आरंभिक शेष राशि** | **2,28,46,00,000** | **2,28,460.00** |
| पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | - | - |
| 01.04.2022 को पुनर्स्वीकृत शेष राशि | 2,28,46,00,000 | 2,28,460.00 |
| **वर्ष के दौरान परिवर्तन** | - | - |
| **जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी -** | - | - |
| (i) इक्विटी शेयरों का नया निर्गम | - | - |
| (ii) कर्मचारी स्टॉक विकल्प के तहत इक्विटी शेयरों का निर्गम | - | - |
| (iii) अदत्त पूंजी की मांग | - | - |
| 31.03.2023 को अंतिम शेष राशि | 2,28,46,00,000 | 2,28,460.00 |
| | | |
| 01.04.2023 को प्रारंभिक शेष राशि | 2,28,46,00,000 | 2,28,460.00 |
| पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | - | - |
| 01.04.2023 को पुनः घोषित शेष राशि | 2,28,46,00,000 | 2,28,460.00 |
| **वर्ष के दौरान परिवर्तन** | | |
| **जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी** | | |
| (i) इक्विटी शेयरों का नया निर्गम | 40,31,64,706 | 40,316.47 |
| (ii) अदत्त पूंजी की मांग | - | |
| 31.03.2024 को अंतिम शेष राशि | 2,68,77,64,706 | 2,68,776.47 |

ब अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

| विवरण | आरक्षित और अधिशेष | | | | | | | नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य आरक्षित | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित | डिबेंचर मोचन आरक्षित | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ISी के तहत एनबीएफसी | प्रतिधारित आय | प्रतिभूति प्रीमियम | विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित | | |
| **01.04.2022 तक प्रारंभिक शेष राशि** | **1,42,298.33** | **1,16,155.27** | **35,168.37** | **28,882.69** | **138.14** | **-** | **(42,156.14)** | **17,864.65** | **2,98,351.31** |
| लेखांकन नीति/पिछले वर्ष की त्रुटियाँ में परिवर्तन | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 01.04.2022 तक पुनर्स्वीकृत शेष राशि | 1,42,298.33 | 1,16,155.27 | 35,168.37 | 28,882.69 | 138.14 | - | (42,156.14) | 17,864.65 | **2,98,351.31** |
| वर्ष के लिए लाभ | - | - | - | - | 86,462.83 | - | - | - | **86,462.83** |
| परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (करों का शुद्ध) | - | - | - | - | (116.32) | - | - | - | **(116.32)** |
| ओसीआई के माध्यम से मान्यता (करों का शुद्ध) | - | - | - | - | | - | - | (3,757.42) | **(3,757.42)** |
| **31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय** | **-** | **-** | **-** | **-** | **86,346.51** | **-** | **-** | **(3,757.42)** | **82,589.09** |
| वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय से/में शुद्ध अंतरण | 48,750.00 | 15,555.00 | 4,629.11 | 17,300.00 | (86,234.11) | - | - | - | **-** |
| वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर में संयोजन | - | - | - | - | - | - | (17,889.10) | - | **(17,889.10)** |
| वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर का परिशोधन | - | - | - | - | - | - | 2,005.65 | - | **2,005.65** |
| भुगतान किया गया लाभांश | | | | | - | - | | | **-** |
| निगमित लाभांश कर | | | | | - | - | | | **-** |
| **31.03.2023 को अंतिम शेष राशि** | **1,91,048.33** | **1,31,710.27** | **39,797.48** | **46,182.69** | **250.54** | **-** | **(58,039.59)** | **14,107.22** | **3,65,056.95** |
| | | | | | | | | | |
| **01.04.2023 को प्रारंभिक शेष राशि** | **1,91,048.33** | **1,31,710.27** | **39,797.48** | **46,182.69** | **250.54** | **-** | **(58,039.59)** | **14,107.22** | **3,65,056.95** |
| लेखांकन नीति/पिछले वर्ष की त्रुटियाँ में परिवर्तन | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 01.04.2023 को पुनर्स्वीकृत शेष राशि | 1,91,048.33 | 1,31,710.27 | 39,797.48 | 46,182.69 | 250.54 | - | (58,039.59) | 14,107.22 | 3,65,056.95 |
| वर्ष के लिए लाभ | - | - | - | - | 1,25,222.90 | - | - | - | **1,25,222.90** |
| परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (करों का शुद्ध) | - | - | - | - | (170.65) | - | - | - | **(170.65)** |
| ओसीआई के माध्यम से मान्यता (करों का शुद्ध) | - | - | - | - | - | - | - | (15,509.11) | **(15,509.11)** |
| **31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,25,052.25** | **-** | **-** | **(15,509.11)** | **1,09,543.14** |
| वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम | - | - | - | - | - | 88,696.24 | - | - | **88,696.24** |
| शेयर जारी करने का व्यय (कर लाभों का शुद्ध) | - | - | - | - | - | (2,332.96) | - | - | **(2,332.96)** |
| वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में/से शुद्ध अंतरण | 70,000.00 | 26,400.00 | (22.88) | 25,100.00 | (1,21,477.12) | - | - | - | **0.00** |
| वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर में संयोजन | - | - | - | - | - | - | 26,861.85 | - | **26,861.85** |
| वर्ष के दौरान एफसीटीएमआर का परिशोधन | - | - | - | - | - | - | (659.14) | - | **(659.14)** |
| भुगतान किया गया लाभांश | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |

(₹ लाख में)

| विवरण | आरक्षित और अधिशेष | | | | | | | नकद प्रवाह बचाव आरक्षित | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य आरक्षित | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित | डिबेंचर मोचन आरक्षित | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-ICसी के तहत एनबीएफसी आरक्षित | प्रतिधारित आय | प्रतिभूति प्रीमियम | विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित | | |
| कॉरपोरेट लाभांश कर | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **31.03.2024 को अंतिम शेष राशि** | **2,61,048.33** | **1,58,110.27** | **39,774.60** | **71,282.69** | **3,825.67** | **86,363.27** | **(31,836.88)** | **(1,401.89)** | **5,87,166.08** |

महत्वपूर्ण लेखा नीति सूचना 1
साथ में दिये गये नोट 1 से 38 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या- 006791एन

**हस्ता. /-**
**अतुल जैन**
भागीदार
सदस्यता संख्या : 091431

**तारीख : 19.04.2024**
**स्थान : नई दिल्ली**

**निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से**

**हस्ता./-**
**डॉ. विजय कुमार मोहंती**
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या 08816532

**हस्ता./-**
**प्रदीप कुमार दास**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

**हस्ता./-**
**एकता मदान**
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

## 1) कॉरपोरेट जानकारी

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी-I) प्रतिष्ठान है। इरेडा एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ गैर-जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। वर्ष 1987 से, इरेडा ऊर्जा के नये और नवीकरणीय स्रोतों और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने में लगी हुई है, जिसका ध्येय है: "शाश्वत ऊर्जा"। कंपनी के पास केरल राज्य के कासरगोड में स्थित 50 मेगावाट की सौर परियोजना है।

## 2) तैयारी का आधार

### (i) भारतीय लेखा मानक के अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) के अनुपालन में तथा आगे संशोधित रूप में तैयार किये गये हैं।

वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के आधार पर तथा लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार किये जाते हैं। कंपनी ने ऐतिहासिक लागत परंपरा को अपनाया है, सिवाय कुछ मदों के जिन्हें भिन्न आधार पर मापा गया है तथा ऐसे आधार को प्रासंगिक लेखांकन नीति में प्रकट किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के जहां नये जारी किये गये लेखांकन मानक को आरंभ में अपनाया गया है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है।

### (ii) अनुमानों का उपयोग

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान तथा धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की गयी आय, व्यय, परिसंपत्तियों तथा देनदारियों की राशियों तथा संबंधित प्रकटीकरणों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण की तैयारी में उपयोग किये गये अनुमान विवेकपूर्ण तथा उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमान में किसी भी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य की अवधि में भावी दृष्टि से मान्यता दी जाती है।

**लेखांकन नीतियों को लागू करने और अनिश्चितता का आकलन करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय।**

**(अ) महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता की मान्यता - जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, वह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके प्रति आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत अनुरक्षित और सृजित विशेष रिजर्व से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, अनुरक्षित और सृजित विशेष रिजर्व को उलटा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, कंपनी उक्त रिजर्व पर कोई आस्थगित कर देयता नहीं बनाती है।

परिसंपत्तियों की हानि के लिए संकेतकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का आकलन करने की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है।

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क्रेडिट-क्षतिग्रस्त ऋणों पर ब्याज आय की गैर-मान्यता - क्रेडिट-ह्रासित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को विवेकपूर्ण तरीके से मान्यता नहीं दी जा रही है, क्योंकि दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के परिणाम लंबित हैं।

पूर्व अवधि मद की भौतिकता

पूर्व अवधि मद जो भौतिक नहीं हैं, उन्हें तुलनात्मक राशियों के पुनर्कथन के माध्यम से पूर्वव्यापी रूप से ठीक नहीं किया जाता है और उन्हें चालू वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

मदों की चूक या गलत बयानी भौतिक है यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। भौतिकता आस-पास की परिस्थितियों में आंकी गयी चूक या गलत बयानी के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। मदों के आकार और प्रकृति का संयोजन निर्धारण कारक है।

**(ब) महत्वपूर्ण अनुमान**

मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन - प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएँ तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित हैं जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बदल सकती हैं।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) - डीबीओ का प्रबंधन अनुमान कई अंतर्निहित मान्यताओं पर आधारित है जैसे कि मुद्रास्फीति की मानक दरें, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा। इन मान्यताओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य माप - प्रबंधन वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं)। इसमें बाजार सहभागियों द्वारा साधन की कीमत तय करने के तरीके के अनुरूप अनुमान और मान्यताएँ विकसित करना शामिल है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, कंपनी बाजार अवलोकनीय डेटा का उपयोग करती है, जहाँ तक यह उपलब्ध है। बाजार-अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर - अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की जाने वाली अपेक्षित राशि और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आकलन करने के लिए अपेक्षित भविष्य की लाभप्रदता के संबंध में आयकर के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) - परिशोधित लागत पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि भत्ते के मापन के लिए जटिल मॉडलों और भविष्य की आर्थिक स्थितियों और ऋण व्यवहार (जैसे, ग्राहकों द्वारा चूक करने और उसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान की संभावना) के बारे में महत्वपूर्ण मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। ईसीएल का अनुमान लगाने के लिए अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करते समय कंपनी निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है:

- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मानदंड निर्धारित करना;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबंधित ईसीएल के लिए अग्रगामी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार स्थापित करना;
- ईसीएल को मापने के लिए समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह स्थापित करना; और
- चूक की संभावना और चूक के कारण नुकसान का अनुमान लगाना (चूक के मामले में वसूली योग्य राशियों का अनुमान)।

प्रावधान: देयता (मुकदमों सहित) की पहचान और परिमाणीकरण के समय के लिए मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। प्रावधानों और देनदारियों की वहन राशि की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और बदलते तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता है।

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंशस्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

**(iii) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा**

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये ('आईएनआर') में प्रस्तुत किये जाते हैं, जो प्राथमिक आर्थिक वातावरण की कार्यात्मक मुद्रा है जिसमें कंपनी संचालित होती है, मूल्यों को लाखों में निकटतम दो दशमलव तक पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय जब अन्यथा वर्णित हो।

## 3) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

**(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)**

**मूर्त संपत्ति (पीपीई)**

पीपीई (मूर्त संपत्ति) को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत में आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य करों सहित इसकी खरीद मूल्य, व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाले स्टोर और स्पेयर को पूंजीकृत किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति की वहन राशि में जोड़ा जाता है।

कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को मापने के लिए अनुवर्ती मान्यता के लागत मॉडल को अपनाया है। परिणामस्वरूप, सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उसकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित ह्रसित हानि, यदि कोई हो, घटाकर रखा जाता है।

**अमान्यता**

पीपीई की किसी मद को निपटान पर या जब उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है। पीपीई की मान्यता समाप्त करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है, जिसे परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

**पूंजी कार्य-प्रगति पर**

रिपोर्टिंग तिथि पर निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजी कार्य-प्रगति पर' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य कर, व्यापार छूट और छूट घटाने के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए भुगतान किये गये अग्रिम जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया हैं, उन्हें 'पूंजीगत अग्रिम' के अधीन वर्गीकृत किया जाता है।

**(ii) अमूर्त संपत्तियां और परिशोधन**

अमूर्त संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है। लागत में खरीद मूल्य, आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य कर, व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थिति में लाने में सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जहां यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

परिमित उपयोगी जीवन वाली सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को बाद में लागत मॉडल पर मान्यता दी जाती है। इन अमूर्त परिसंपत्तियों को बाद में उनकी लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि (यदि कोई हो) को घटाकर रखा जाता है।

**विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां**

अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण हेतु पात्र व्यय को तब तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में रखा जाता है, जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं।

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

**अमान्यता**

अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या जब उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब इसे अमान्य कर दिया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि, जिसे शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है, को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

**(iii) मूल्यह्रास और परिशोधन**

मूर्त पीपीई पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट तरीके और उपयोगी जीवन के अनुसार लिखित डाउन आधार (डब्ल्यूडीवी) पर प्रदान किया जाता है, सिवाय नीचे उल्लिखित परिसंपत्तियों के:

- लाइब्रेरी पुस्तकों पर मूल्यह्रास खरीद वर्ष में 100% की दर से प्रदान किया जाता है।
- सौर ऊर्जा परियोजना के पीपीई पर मूल्यह्रास, प्रासंगिक केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और प्रासंगिक राज्य आयोग टैरिफ आदेशों के अधीन निर्धारित दरों/पद्धति पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।
- ₹ 5,000 या उससे कम की परिसंपत्तियों के संबंध में खरीद के वित्तीय वर्ष में 100% की दर से मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।
- अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर प्रदान किया जा रहा है।
- सभी पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है। यदि कोई परिवर्तन होता है, तो उसे लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में दर्ज किया जाता है।
- **अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन :**

| परिसंपत्ति का विवरण | अनुमानित उपयोगी जीवन | मूल लागत के % के रूप में अवशिष्ट मूल्य |
|---|---|---|
| भवन | 60 वर्ष | 5% |
| कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ | | |
| - लैपटॉप/कंप्यूटर | 3 वर्ष | 5% |
| - सर्वर | 6 वर्ष | 5% |
| कार्यालय उपकरण | 5 वर्ष | 5% |
| फर्नीचर और जुड़नार | 10 वर्ष | 5% |
| वाहन | 8 वर्ष | 5% |
| अमूर्त परिसंपत्तियाँ | 5 वर्ष | 0% |

- **सीईआरसी के आदेश के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन**

| परिसंपत्ति का विवरण | अनुमानित उपयोगी जीवन | मूल लागत के % के रूप में अवशिष्ट मूल्य |
|---|---|---|
| सौर संयंत्र | 25 वर्ष | 10% |

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

**(iv) सरकारी और अन्य अनुदान/सहायता**

कंपनी सरकारी अनुदान प्राप्त सकता है जिसके लिए कंपनी की प्रचालन गतिविधियों से संबंधित कुछ शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक है या कंपनी को कुछ योग्यता मानदंडों के आधार पर वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

सरकारी अनुदान तब मान्यता प्राप्त होते हैं जब यह उचित आश्वासन होता है कि अनुदान प्राप्त होगा, और कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करने में सक्षम होगी। इन अनुदानों को अनुदान की प्रकृति के आधार पर परिसंपत्तियों और राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

दीर्घकालिक परिसंपत्तियों को खरीदने, निर्माण करने या अन्यथा प्राप्त करने की शर्त वाले सरकारी अनुदानों को शुरू में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है। आस्थगित आय के रूप में एकबार मान्यता प्राप्त होने पर, ऐसे अनुदानों को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अनुमानों में परिवर्तन परिसंपत्ति के शेष जीवन पर भावी रूप से मान्यता प्राप्त होते हैं।

सब्सिडी से संबंधित अनुदान को आस्थगित किया जाता है और संबंधित लागतों, जिसके लिए क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, को व्यय किये जाने की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (एनआरएसई) के निर्दिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सहायता अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसका लेखा-जोखा रखा जाता है।

तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के अंतर्गत किये गये व्यय को वसूली योग्य माना जाता है और इसे अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां'शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से प्रतिपूर्ति की गयी सहायता उक्त खाते में जमा की जाती है।

**(v) पट्टे**

❑ **<u>पट्टेदार के रूप में</u>**

कंपनी अनुबंध के आरंभ में यह आकलन करती है कि कोई अनुबंध पट्टा है या नहीं। कोई अनुबंध पट्टा है या नहीं,यह तभी है अगर अनुबंध में प्रतिफल के बदले में किसी पहचानी गयी परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध पहचानी गयी परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है,तब कंपनी यह आकलन करती है कि क्या:

i. अनुबंध में पहचानी गयी परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है;

ii. कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हैं, और

iii. कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

कंपनी सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है, सिवाय अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों के। कंपनी पट्टा भुगतान करने के लिए पट्टा देयताओं को मान्यता देती है तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देती है, जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है।

**i) <u>उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ</u>**

कंपनी पट्टे की आरंभ तिथि (यानी, वह तिथि जब अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देती है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, जिसमें से संचित मूल्यह्रास और हानि नुकसान घटायी जाती है और पट्टा देनदारियों के किसी भी पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की राशि, आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें और आरंभ तिथि पर या उससे पहले किये गये पट्टा भुगतान में से प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

**ii) <u>पट्टा देयताएँ</u>**

पट्टे की आरंभ तिथि पर, कंपनी पट्टे की अवधि में किये जाने वाले पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गयी पट्टा देयताओं को मान्यता देती है। पट्टा भुगतानों में निश्चित भुगतान (मूल रूप से निश्चित भुगतानों सहित) कम कोई भी पट्टा प्रोत्साहन प्राप्तियाँ, परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर हैं, और अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशियाँ शामिल हैं। कंपनी पट्टा आरंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है। वृद्धिशील उधार दर ऋण की अवधि के लिए एसबीआई एमसीएलआर दर है यदि ऋण 3 वर्ष तक का है। 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, 3 वर्ष के लिए एसबीआई एमसीएलआर दर ली जा सकती है।

**iii) <u>अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे</u>**

अल्पावधि पट्टों (जिनकी पट्टा अवधि 12 महीने तक होती है) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों (10,00,000/- तक की परिसंपत्ति मूल्य) के पट्टों पर पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। पट्टे की अवधि पट्टे की गैर-रद्द करने योग्य अवधि को लेकर निर्धारित की जाती है, साथ ही दोनों को मिलाकर:

क) पट्टे को विस्तारित करने के विकल्प द्वारा कवर की गयी अवधि यदि पट्टेदार यथोचित रूप से उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए निश्चित है; और

ख) पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा आवृत्त की गयी अवधि यदि पट्टेदार यथोचित रूप से निश्चित है कि वह उस विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा।

❑ **पट्टेदार के रूप में**

जब कंपनी पट्टादाता के रूप में कार्य करती है, तो वह पट्टे की शुरुआत में यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या प्रचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिम और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। यदि ऐसा है, तो पट्टा वित्त पट्टा है, यदि नहीं, तो यह प्रचालन पट्टा है। मूल्यांकन के भाग के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख भाग के लिए है या नहीं। यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर-पट्टा घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में विचार आवंटित करने के लिए भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" लागू करती है। कंपनी परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त पट्टे के भुगतान को "परिचालन से राजस्व" के भाग के रूप में पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में पहचानती है।

**(vi) सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश**

- कंपनी लागत पर सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगियों में निवेश का विचार करती है। कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है। भारत के बाहर सहायक कंपनी में निवेश अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- ऐसे निवेश जहां कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, उन्हें सहयोगी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशिती के वित्तीय और प्रचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।
- एक संयुक्त व्यवस्था जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है, उसे संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है।

❑ <u>सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश पर क्षति हानि</u>

यदि सहयोगी या संयुक्त उद्यम में इकाई के निवेश के संबंध में हानि का संकेत है, तो निवेश के वहन मूल्य की वसूली योग्य राशि की तुलना उसके वहन मूल्य से करके हानि के लिए जाँच की जाती है और परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि को सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के वहन मूल्य के प्रति आरोपित किया जाता है।

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

**(vii) गैर-वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति**

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या इस बात का कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति या नकद-उत्पादक इकाइयों (सीजीयू) के उचित मूल्य में से निपटान की लागत और उसके उपयोग में मूल्य में से जो अधिक है, वह है। वसूली योग्य राशि किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति ऐसा नकद प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र हो। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उसे उसकी वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकद प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

**(viii) नकद और नकद समतुल्य**

नकदी हाथ में , बैंक में नकद, बैंक ओवरड्राफ्ट में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, बैंकों के साथ डिमांड डिपॉजिट, वाणिज्यिक पत्र और विदेशी मुद्रा जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य अल्पकालिक जमा (अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

**(ix) उधार लेने की लागत**

योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित सामान्य और विशिष्ट उधार लेने की लागत को उस तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति ऐसी निधि के अस्थायी निवेश पर अर्जित किसी भी आय को समाप्त करने के बाद अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

जहां तक कंपनी सामान्य रूप से निधि उधार लेती है और योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उसका उपयोग करती है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लेने की लागत की राशि उस परिसंपत्ति पर व्यय के लिए पूंजीकरण दर लागू करके निर्धारित की जाती है।

अन्य उधार लेने की लागत उस अवधि में व्यय की जाती है जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

**(x) विदेशी मुद्रा लेन-देन**

कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेन-देन, ऐसे लेन-देन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर किये जाते हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित मौद्रिक मदों को उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनः परिवर्तित किया जाता है। ऐसे लेन-देन के निपटान से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ और हानि तथा अवधि के अंत में विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित मौद्रिक मदों के पुनः मापन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित खाता (एफसीएमआईटीआर) दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा उधार पर असंशोधित विदेशी मुद्रा लाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है जो संबंधित उधार की अवधि के दौरान परिशोधित होते हैं। इरेडा ने भारतीय लेखा मानक 101 के अनुच्छेद डी13एए की छूट को अपनाया था, जिसके अनुसार वह पिछले जीएएपी के अनुसार पहले भारतीय लेखा मानक वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से तुरंत पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर के लिए लेखांकन के लिए अपनायी गयी नीति को जारी रख सकता है।

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेन-देन, लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किये जाते हैं। 31 मार्च, 2018 को बकाया दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने-वाले विनिमय अंतर, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर, जिस पर उन्हें शुरू में अवधि के दौरान दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, एफसीएमआईटीआर खाते में जमा किए जाते हैं दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें वे हैं जिनकी उत्पत्ति की तिथि पर अवधि बारह महीने या उससे अधिक होती है।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें (जिनकी उत्पत्ति की तिथि पर अवधि बारह महीने से कम होती है) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर परिवर्तित की जाती हैं। परिणामी विनिमय उतार-चढ़ाव को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 27 के अनुसार, मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर जो नकदी प्रवाह बचाव में बचाव लिखत के रूप में योग्य हैं, उन्हें अन्य व्यापक आय में बचाव के प्रभावी होने की सीमा तक मान्यता दी जाती है। तदनुसार, कंपनी नकदी प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में प्रतिवेदित तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा ऋणों के परिवर्तन के कारण विनिमय अंतर की पहचान करती है।

**(xi) प्रति शेयर आय**

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के योग से कर के बाद समायोजित शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से कमजोर इक्विटी शेयरों की संख्या को शेयर विभाजन/प्रतिवर्ती शेयर विभाजन और बोनस शेयरों के लिए, जैसा उचित हो, समायोजित किया जाता है।

**(xii) प्रावधान**

प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है,जब कंपनी के पास अतीत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

**(xiii) आकस्मिक देयताएं**

आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन नोट्स में प्रकट किया जाता है जब कंपनी के पास अतीत की घटनाओं के कारण संभावित दायित्व होता है और दायित्व का अस्तित्व भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं और वर्तमान दायित्व अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होते हैं जहां यह संभावना नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देनदारियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो गया है या नहीं। यदि बहिर्वाह संभावित हो जाता है, तो वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

**(xiv) आकस्मिक परिसंपत्तियाँ**

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन नोटों में उनका प्रकटीकरण किया जाता है, जो आमतौर पर अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जो आर्थिक लाभ के प्रवाह की संभावना को जन्म देती हैं।

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आर्थिक लाभ का प्रवाह लगभग निश्चित होता है या नहीं, फिर ऐसी परिसंपत्तियों और सापेक्ष आय को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

**(xv) खंड रिपोर्टिंग**

प्रचालन खंडों की रिपोर्ट मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता को प्रदान की गयी आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से की जाती है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के रूप में पहचाना गया है।

**(xvi) भौतिक पूर्व अवधि त्रुटियाँ**

भौतिक पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत की गयी पिछली अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः बताकर पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गयी सबसे प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी, तो प्रस्तुत की गयी सबसे प्रारंभिक अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती शेष को फिर से बताया जाता है, जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, फिर से बताया जाता है कि, इस स्थिति में, लेखांकन नीति को जल्द से जल्द लागू करने के लिए तुलनात्मक जानकारी को व्यावहारिक रूप से सबसे प्रारंभिक तिथि के अनुसार समायोजित किया जाता है।

**(xvii) कराधान**

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष हेतु कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय के विवरण में रिपोर्ट किये गये 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न होता है, क्योंकि आय या व्यय की ऐसी मदें जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य होती हैं और ऐसी मदें जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होती हैं। कंपनी के वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

वर्तमान कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस मामले में, वर्तमान कर को क्रम से अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां वर्तमान कर किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहां कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों और कराधान उद्देश्य हेतु उपयोग की जाने वाली संगत राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होगा।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रम से अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

**(xviii) निवेश संपत्ति**

निवेश संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो किराया कमाने और/या पूंजी वृद्धि (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति सहित) के लिए रखी जाती हैं। निवेश संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य कर, व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी लागत मॉडल का उपयोग करके निवेश संपत्ति को मापती है।

एक निवेश संपत्ति को निपटान पर या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से हटा दिया जाता है और निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे मान्यता से हटा दिया जाता है। संपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल की जाती है जिसमें संपत्ति को मान्यता से हटा दिया जाता है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार किया जाता है जिससे वह संबंधित है और परिसंपत्ति का जीवन कंपनी में परिसंपत्ति के उसी वर्ग के लिए कल्पित होगा।

हालांकि निवेश संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, निवेश संपत्ति का उचित मूल्य टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

**(xix) कर्मचारी लाभ**

**क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**

वेतन, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति (जैसे कि भुगतान की गयी वार्षिक छुट्टी) सहित अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, जहां अनुपस्थिति उस अवधि के अंत के बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, लाभ साझाकरण और बोनस उस अवधि के अंत के बारह महीनों के भीतर देय होते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं और वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर-मौद्रिक लाभों का अनुमान लगाया जाता है और बिना छूट के आधार पर मापा जाता है।

**ख) रोजगार के बाद लाभ योजनाओं को परिभाषित लाभ योजनाओं और परिभाषित योगदान योजनाओं में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:**

**(i) परिभाषित अंशदान योजना**

एक परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत कंपनी कर्मचारियों के संबंध में एक अलग कोष में निश्चित योगदान का अंशदान करती है। कंपनी के पास निश्चित अंशदान के भुगतान के बाद आगे कोई अंशदान देने का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है। परिभाषित अंशदान योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा किये गये योगदानों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित है।

**(ii) परिभाषित लाभ योजना**

कंपनी का उपदान, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और अन्य परिभाषित सेवा-निवृत्ति लाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व है, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को आवृत्त करने वाली परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में माना जा रहा है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत, सेवा-निवृत्ति पर कर्मचारी को मिलने वाली राशि कर्मचारी की सेवा की अवधि, अंतिम वेतन और अन्य परिभाषित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित की जाती है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी के पास रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना को वित्तपोषित करने के लिए योजना परिसंपत्तियाँ अलग रखी गयी हों।

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रति कंपनी का दायित्व अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त देयता रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) के वर्तमान मूल्य से योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाकर प्राप्त की जाती है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से सालाना डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्ति के पुनर्मापन से होने वाले बीमांकिक लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है।

भविष्य निधि, परोपकारी निधि, सेवा-निवृत्ति निधि और ग्रेच्युटी के संबंध में कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए देयता को अलग-अलग ट्रस्टों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति निधि में कंपनी का अंशदान पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित अलग-अलग ट्रस्टों को भेजा जाता है और लाभ और हानि के विवरण के नामें डाला जाता है।

**ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :**

तुलन-पत्र की तिथि के एक वर्ष से अधिक समय बाद देय या अपेक्षित होने वाली क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के संबंध में देयता का अनुमान, अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें ऐसे लाभ या हानि का निर्धारण किया जाता है।

**(xx) वित्तीय लिखतें**

<u>प्रारंभिक मान्यता और माप</u>

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किये गये को छोड़कर लेनदेन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के बाद के माप का वर्णन नीचे किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और बाद में मापन

बाद में मापन के उद्देश्य से, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीपीएल या एफवीओसीआई पर इक्विटी उपकरणों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई वस्तुनिष्ठ सबूत है कि कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों का समूह क्षतिग्रस्त है। वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी पर हानि निर्धारित करने के लिए अलग-अलग मानदंड लागू होते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

- परिशोधित लागत पर ऋण

  ऋण (वित्तीय परिसंपत्ति) को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

  क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना है; और

  ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को सृजन करती हैं जो सिर्फ़ मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

  परिशोधित लागत पर रखी गयी वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ता मान्यता प्राप्त है।

- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

  एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियों में बचाव लिखत के रूप में नामित और प्रभावी वित्तीय साधन को छोड़कर सभी व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत शामिल हैं, जिनके लिए बचाव लेखन आवश्यकताओं को लागू किया जा रहा है। इस श्रेणी की परिसंपत्तियों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी की वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है।

- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

  एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी गयी इक्विटी लिखत से मिलकर बनी होती हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश को शुरू में उचित मूल्य और लेनदेन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और लाभांश आय को छोड़कर, जिसे लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, इक्विटी के भीतर एफवीओसीआई रिजर्व में रिपोर्ट किया जाता है। निवेश की मान्यता रद्द होने पर भी, ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण में ऐसे लाभ और हानि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी इसे इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्दकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहाँ लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा)की तब मान्यता रद्द कर दी जाती हैं (यानी कंपनी की बैलेंस शीट से हटा दी जाती हैं) जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और लगभग सभी जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित हो जाते हैं। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर देती है यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित कर दिया है और तब हस्तांतरण मान्यता रद्द करने के लिए योग्य हो जाता है।

वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और उसके बाद का मापन

वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है, सिवाय व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के जिन्हें एफवीटीपीएल पर वहन किया जाता है, बाद में लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। (एफवीटीपीएल)

वित्तीय देनदारियों की मान्यता रद्द करना

वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब दायित्व के अंतर्गत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता समाप्त करने और नये दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

व्युत्पन्नी वित्तीय साधन

कंपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों पर विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के संपर्क में है। कंपनी व्युत्पन्नी उपयोग सहित स्थापित जोखिम प्रबंधन नीतियों का पालन करके विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को सीमित करती है।

कंपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों का बचाव करने के लिए व्युत्पन्नी साधन का उपयोग करती है जिसमें प्रिंसिपल स्वैप, क्रॉस करेंसी और ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा और क्रॉस करेंसी विकल्प, संरचित उत्पाद आदि शामिल हैं।

व्युत्पन्नी को उचित मूल्य (एमटीएम) पर पहचाना और मापा जाता है। जिम्मेदार लेन-देन लागत को लाभ और हानि के विवरण में लागत के रूप में पहचाना जाता है।

वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करना:

वित्तीय परिसंपत्तियों से नकद प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने या परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को स्थानांतरित करने पर वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द कर दी जाती है।

बचाव लेखांकन

व्युत्पन्नी वित्तीय साधनों को लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर लेखाबद्ध किया जाता है, सिवाय नकदी प्रवाह बचाव संबंधों में बचाव लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्नी के, जिसके लिए एक विशिष्ट लेखांकन उपचार की आवश्यकता होती है। बचाव लेखांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, बचाव संबंध को निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए::

- बचाव किये गये मदों और बचाव लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध है
- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव उस आर्थिक संबंध से होने वाले मूल्य परिवर्तनों पर हावी नहीं होता है
- बचाव संबंध का बचाव अनुपात बचाव किये गये मद की मात्रा से उत्पन्न होने वाले अनुपात के समान है जिसे इकाई वास्तव में बचाव करती है और बचाव लिखत की मात्रा जिसे इकाई वास्तव में बचाव किये गये मद की मात्रा को बचाव करने के लिए उपयोग करती है।

कंपनी ने नकदी प्रवाह बचाव संबंधों में बचाव लिखत के रूप में ज्यादातर व्युत्पन्नी अनुबंधों को नामित किया है। ये व्यवस्थाएं विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए की गयी हैं, जो विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित ऋण लिखत के प्रति उत्पन्न होते हैं।

- नकदी प्रवाह बचाव कंपनी की नकद प्रवाह स्थिति को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव में परिवर्तन से बचाने और नकद प्रवाह में परिवर्तनशीलता को निश्चित करने के लिए की जाती है।
- कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार बचाव लिखत में प्रवेश करती है; और लिखित सिद्धांत प्रदान करती है जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति/नीतियों के अनुरूप हैं।
- बचाव लेखांकन के लिए उपयोग किये जाने वाले सभी व्युत्पन्नी वित्तीय साधनों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में तुलन पत्र में उचित मूल्य पर प्रतिवेदित किया जाता है।

बचाव लिखत को अनुबंध की शुरुआत में बचाव के रूप में नामित और प्रलेखित किया जाता है। बचाव लिखत की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और मापन शुरुआत में और निरंतर आधार पर किया जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा,जैसा कि संबंधित बैंकों/तृतीय पक्ष द्वारा नामित बचाव लिखत के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, "अन्य व्यापक आय" में "नकद प्रवाह वचाव आरक्षित निधि" के रूप में मान्यता दी जाती है। जब भी ऐसा होता है अप्रभावी हिस्से को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

जिस समय बचाव की गयी वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है, उस समय अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है और अन्य व्यापक आय के भीतर पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि बचाव संबंध अब बचाव लेखांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो बचाव लेखांकन को भावी रूप से बंद कर दिया जाता है। यदि बचाव लिखत की समय सीमा समाप्त हो जाती है या उसे बेच दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है, तो नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त बचाव लिखत पर संचयी लाभ या हानि, बचाव के प्रभावी होने की अवधि तक नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बनी रहती है। नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को अंतर्निहित लेनदेन की घटना पर लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

**हानि**

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

❑ ऋण परिसंपत्तियाँ

कंपनी प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर परिशोधित लागत पर वहन की जाने वाली ऋण परिसंपत्ति की हानि के लिए'तीन-चरण'मॉडल का पालन करती है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- चरण 1 में वे ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम है।
- चरण 2 में वे ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन जिनमें हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं हैं।
- चरण 3 में वे ऋण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण 1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12-माह की ईसीएल और चरण 2 और चरण 3 ऋण परिसंपत्तियों हेतु आजीवन ईसीएल पर मापा जाता है। ईसीएल डिफ़ॉल्ट की संभावना, डिफ़ॉल्ट पर एक्स्पोजर और हानि प्रदत्त डिफ़ॉल्ट का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफ़ॉल्ट की संभावना (पीडी) - पीडी अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) में, या दायित्व के शेष जीवनकाल (लाइफटाइम पीडी) में उधारकर्ता द्वारा अपने वित्तीय दायित्व पर चूक करने की संभावना को दर्शाता है।

डिफ़ॉल्ट पर हानि (एलजीडी) - एलजीडी डिफ़ॉल्ट जोखिम पर हानि की सीमा के बारे में कंपनी की अपेक्षा को दर्शाता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, दावे के प्रकार और वरीयता तथा संपार्श्विक या अन्य क्रेडिट सहायता की उपलब्धता के अनुसार भिन्न होता है।

डिफ़ॉल्ट पर जोखिम (ईएडी) - ईएडी उस मूल्यांकन तिथि पर बकाया जोखिम की राशि पर आधारित है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है।

12 महीने और आजीवन पीडी, ईएडी और एलजीडी निर्धारित करने में अग्रगामी आर्थिक जानकारी शामिल की जाती है। अपेक्षित ऋण हानि के अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर निगरानी और समीक्षा की जाती है।

❑ ऋण के अलावा अन्य वित्तीय लिखतों में शामिल हैं:-

- वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, बिल रहित राजस्व, वित्त पट्टा प्राप्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम शामिल हैं।
- वित्तीय देनदारियों में उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापार देय शामिल हैं।

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

ऋणों के अलावा अन्य गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेन-देन लागत शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों को तब मान्यता से हटा दिया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित कर दिये गये हों। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार न तो हस्तांतरित किये गये हैं और न ही बनाये रखे गये हैं, वित्तीय परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता से हटा दिया जाता है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण नहीं रखा हो।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, उन्हें नीचे निर्धारित तरीके से मापा जाता है:

क) <u>नकद और नकद समतुल्य</u>

नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजनों हेतु, नकद और नकद समतुल्यों में हाथ और बैंक में नकदी, बैंकों में मांग जमा, नकदी ऋण, सावधि जमा और विदेशी मुद्रा जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट निवल शामिल हैं जो मांग पर चुकाये जाने योग्य हैं और कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माने जाते हैं। वित्तीय स्थिति के विवरण में, बैंक ओवरड्राफ्ट को उधार के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

ख) <u>व्यापार प्राप्य</u>

कंपनी व्यापार प्राप्य पर हानि क्षति भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि नुकसान भत्ते को प्रतिचिह्नित करता है। कंपनी प्राप्य के व्यक्तिगत मूल्यांकन, व्यापार प्राप्य के अपेक्षित जीवनकाल में ऐतिहासिक रूप से देखी गयी चूक दरों के आधार पर हानि नुकसान भत्ते का निर्धारण करती है और इसे भविष्य-उन्मुख अनुमानों के लिए समायोजित करती है।

ग) <u>अन्य देय</u>

अन्य देय को शुरू में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। इन वित्तीय लिखतों हेतु, इन लिखतों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण वहन राशि उचित मूल्य के करीब होती है।

**(xxi) लाभांश**

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है जिसमें उन्हें क्रम से निदेशक मंडल और शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाता है।

**(xxii) उचित मूल्य माप व प्रकटीकरण**

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर व्युत्पन्नी जैसे वित्तीय लिखतों को मापती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाए। उचित मूल्य माप इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने का लेनदेन इस प्रकार होता है,जैसे या तो:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में

  मुख्य या सबसे अधिक लाभप्रद बाजार कंपनी द्वारा सुलभ होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है, जिनका उपयोग बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

करते समय करेंगे, जिसमें जोखिम के बारे में मान्यताएँ शामिल हैं, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। किसी गैर-वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य मापन परिसंपत्ति का उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग करके या उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की बाजार प्रतिभागी की क्षमता को ध्यान में रखता है, जो परिसंपत्ति का उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग करेगा।

कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, प्रासंगिक अवलोकनीय निविष्टियों के उपयोग को अधिकतम करना और अवलोकनीय निविष्टियों के उपयोग को कम करना।

सभी परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है या प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर किया जाता है जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर निविष्टि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर निविष्टि अवलोकनीय नहीं है।

नियमित रूप से वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण (न्यूनतम स्तर निविष्टि पर आधारित जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) का पुनर्मूल्यांकन करके पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं का निर्धारित करती है।

**(xxiii) राजस्व मान्यता**

❑ <u>ब्याज आय</u>

ब्याज आय सभी वित्तीय परिसंपत्तियों (कंपनी द्वारा क्रेडिट क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को मान्यता नहीं दिये जाने को छोड़कर) पर परिशोधित लागत पर मापी जाती है। ब्याज आय को भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय साधनों के अनुरूप प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर छूट देती है। ईआईआर की गणना लेनदेन लागत और शुल्क को ध्यान में रखकर की जाती है जो भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। क्रेडिट क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को प्राप्ति आधार पर मान्यता दी जाती है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज का समय पर भुगतान करने पर मिलने वाली छूट, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, समय पर देय संपूर्ण ब्याज राशि प्राप्त होने पर मान्यता प्राप्त होती है, तथा उसे संबंधित ब्याज आय के प्रति घटा दिया जाता है।

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, उधारकर्ताओं से वसूली (i) आकस्मिक शुल्क (ii) दंडात्मक ब्याज (iii) अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन की चुकौती के क्रम में विनियोजित की जाती है; सबसे पुराने को पहले समायोजित किया जाता है। एकमुश्त निपटान(ओटीएस)/दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली पहले बकाया मूलधन के लिए विनियोजित की जाती है और उसके बाद शेष वसूली, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए, यदि कोई हो।

❑ <u>अन्य राजस्व</u>

- राजस्व (उन मदों के अलावा जिन पर भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय लिखत लागू होते हैं) को भारतीय लेखा मानक 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व अनुसार मान्यता दी जाती है, जो ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न राजस्व के लिए लेखांकन के एकल व्यापक मॉडल को रेखांकित करता है। कंपनी भारतीय लेखा मानक 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व में निर्धारित सिद्धांत के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है।

# नोट 1:
# वित्तीय विवरण के अंश स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

- ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और यदि लागू हो तो राजस्व और लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अनुबंध के तहत सहमत लेनदेन मूल्य पर राजस्व मापा जाता है। संव्यवहार मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गयी राशियाँ शामिल नहीं होती हैं (उदाहरण के लिए, सरकार की ओर से एकत्र किये गये कर) और इसमें छूट, छूट जैसे परिवर्तनीय विचार शामिल/समायोजित किये जाते हैं, केवल इस सीमा तक कि यह अत्यधिक संभावित है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण उलटफेर तब तक नहीं होगा जब तक परिवर्तनीय विचार से जुड़ी अनिश्चितता बाद में हल हो जाती है।

❑ <u>सौर संयंत्र से राजस्व</u>

सौर संयंत्र से आय को तब मान्यता दी जाती है जब समय के साथ प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाते हैं। दी गयी छूट को सकल राजस्व की राशि से कटौती के रूप में प्रकट किया जाता है।

❑ शुल्क और कमीशन से राजस्व

- <u>शुल्क और कमीशन से राजस्व</u>

  शुल्क और कमीशन को समय आधार पर मान्यता दी जाती है जब ऐसे शुल्क संचित करने की संभावना स्थापित हो जाती है।

- <u>सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं के कार्यान्वयन से राजस्व</u>

कंपनी अपनी गतिविधियों के अलावा, कंपनी और ऐसे संगठन के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। ऐसी गतिविधियों का विवरण वित्तीय विवरणों में नोट के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

जब भी ऐसे समझौता ज्ञापन के आधार पर ट्रस्ट के तहत कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो उसे नकद और नकद समतुल्यों में शामिल नहीं किया जाता है और ऐसे संगठनों से संबंधित ऐसी निधि से उत्पन्न ब्याज आय सहित किसी भी आय को कंपनी के राजस्व के रूप में नहीं गिना जाता है।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित ऐसी योजनाओं से अर्जित सेवा-शुल्क को उस समय आधार पर मान्यता दी जाती है जब ऐसे सेवा-शुल्क संचित करने की निश्चितता स्थापित हो जाती है।

**(xxiv) <u>व्यय</u>**

व्यय का लेखा-जोखा उपार्जन आधार पर किया जाता है। प्रति मद ₹5,00,000/- तक के पूर्व-प्रदत्त व्यय को लाभ और हानि विवरण में तब प्रभारित किया जाता है जब वह व्यय/समायोजित/प्राप्त हो।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### नोट 2: नकद और नकद समतुल्य

(₹ लाख में)

| विवरण | | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|---|
| **I.** | **नकद और नकद समतुल्य** | | |
| (अ) | हाथ में नकदी | - | - |
| (ब) | बैंकों के पास शेष राशि:- | | |
| (क) | बैंकों के साथ चालू खाता | | |
| | - भारतीय शाखाओं में | 832.47 | 4,084.12 |
| | - विदेशी शाखाओं में | | |
| | (i) अमरीकी डॉलर में | 3.41 | 2.72 |
| (ख) | जमा खाता | | |
| | -भारतीय शाखाओं में अल्पावधि जमा | 66.09 | - |
| | -विदेशी शाखाओं में अल्पावधि जमा | 54.11 | - |
| (ग) | बचत बैंक खाता | | |
| | - भारतीय शाखाओं में | 756.35 | 157.47 |
| (स) | चेक/डीडी हाथ में और डाक अग्रदाय | - | - |
| (द) | ओवरड्राफ्ट खातों में | 5,708.89 | 9,600.69 |
| **कुल (अ+ब+स+द)** | | **7,421.32** | **13,845.00** |

रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्यों के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (एचक्यूएलए) के बारे में प्रकटीकरण के लिए नोट 38(47एन) भी देखें।

### नोट 3 : नकद और नकद समतुल्यों के अलावा अन्य बैंक शेष

(₹ लाख में)

| विवरण | | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|---|
| **क.** | **बैंकों के पास निर्धारित शेष राशि** | | |
| **अ)** | **चालू खाते में** | | |
| | - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) | 2.15 | 2.15 |
| | - एमएनआरई भारत सरकार पूर्ण सेवा बॉण्ड [नोट 38(42) देखें] | 352.53 | 352.53 |
| | - इरेडा (बॉण्ड पर ब्याज और लाभांश खाता) | 111.15 | 80.52 |
| | - एमएनआरई/यूएनडीपी-इरेडा योजना निधि [नोट 38(41) देखें] | 334.52 | 19,523.22 |
| | - इरेडा सीएसआर अव्ययित खाता [नोट 38(37) देखें] | 163.87 | - |
| | **उप योग (अ)** | **964.22** | **19,958.43** |
| **ब)** | **बचत खाते में** | | |
| | - इरेडा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) | 1,427.69 | 71.24 |
| | - एमएनआरई/यूएनडीपी-इरेडा योजना निधि [नोट 38(41) देखें] | 17,719.64 | 13,399.77 |
| | **उप योग (ब)** | **19,147.33** | **13,471.00** |
| स) | **जमा खाते में (आईएनआर)** | | |
| | - इरेडा [1] | 45.27 | 42.63 |
| | - एमएनआरई | 17.25 | 17.25 |
| | - एमएनआरई भारत सरकार पूर्ण सेवा बॉण्ड [नोट 38(42) देखें] | 996.03 | 928.70 |
| | - इरेडा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) | 38,597.10 | 36,153.30 |
| | - एमएनआरई/यूएनडीपी-इरेडा योजना निधि [नोट 38(41) देखें] | 5,431.34 | 5,921.98 |
| | - ऊर्जा परियोजनाओं तक पहुंच के लिए डिफ़ॉल्ट जोखिम में कमी (केएफडब्ल्यू VI)[2] | 968.66 | 924.17 |
| | **उप-योग (स)** | **46,055.65** | **43,988.04** |
| **द)** | **जमा खाते में (विदेशी मुद्रा)** | | |
| | **उप-योग (द)** | **-** | **-** |
| | **उप-योग (क)=(अ+ब+स+द)** | **66,167.20** | **77,417.47** |
| **ख.** | **जमा खाता (मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक)** | | |
| | - आईएनआर सावधि जमा | - | 4,206.58 |
| | **उप-योग (ख)** | **-** | **4,206.58** |
| | **कुल** | **66,167.20** | **81,624.05** |

कंपनी भारत सरकार की कुछ योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों को संवितरण के लिए प्राप्त निधियों को एक अलग बैंक खाते में रखा जाता है। योजना के लिए असंवितरित निधियों (उस पर ब्याज, यदि कोई हो सहित) को योजना के नामित निधियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नोट 38 (41) देखें।

[1] माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिविल विविध रिट याचिका संख्या 28928/2009 में पारित दिनांक 31.7.2009 के आदेश के अनुसार दो बॉण्ड धारकों अर्थात मैसर्स द बंगाल क्लब लिमिटेड और सुश्री माया एम. चुलानी के भुगतान के विरुद्ध बैंक ऑफ बड़ौदा, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली में ब्याज सहित एफडीआर के रूप में ₹45.27 लाख (31.03.2023 तक : ₹42.63 लाख) की राशि रखी गयी है।

[2] पोर्टफोलियो जोखिम आरक्षित खाता (पीआरआरए) की स्थापना करके केएफडब्ल्यू VI ऋण सीमा के तहत कंपनी के समग्र 'ऊर्जा तक पहुंच' पोर्टफोलियो के 70% तक डिफ़ॉल्ट जोखिमों को आवृत्त करने के लिए केएफडब्ल्यू द्वारा प्रदान किया गया। उक्त राशि का उपयोग एनपीए घोषित होने पर ऋण सेवा आरक्षित खाता (डीएसआरए) समाप्त होने के बाद उधारकर्ता के बकाया ऋण सेवा दायित्व के 70% तक की वसूली के लिए किया जाएगा।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### नोट 4: व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत

कंपनी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को बचाने के लिए व्युत्पन्नी अनुबंध करती है। व्युत्पन्न लेन देन में देनदारियों को कम करने के लिए फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप आदि शामिल हैं। ये व्युत्पन्नी लेनदेन को कम करने के उद्देश्य के लिए किये जाते हैं, न कि ट्रेडिंग या सट्टा उद्देश्य के लिए किये जाते हैं।

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | | | 31.03.2023 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भाग I | काल्पनिक राशियाँ | उचित मूल्य - परिसंपत्तियाँ | उचित मूल्य - देयताएँ | काल्पनिक राशियाँ | उचित मूल्य - परिसंपत्तियाँ | उचित मूल्य - देयताएँ |
| **(i) मुद्रा व्युत्पन्नी:-** | | | | | | |
| मूलधन केवल स्वैप (पीओएस) | 6,60,213.97 | 42,282.84 | 16,326.77 | 8,25,452.87 | 50,547.63 | 15,146.86 |
| विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध | 61,667.78 | - | 3,392.98 | - | - | - |
| **उप-योग (i)** | **7,21,881.75** | **42,282.84** | **19,719.75** | **8,25,452.87** | **50,547.63** | **15,146.86** |
| **(ii) ब्याज दर व्युत्पन्नी :-** | | | | | | |
| क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस) | 44,220.98 | 6,095.62 | 1,082.16 | 49,016.48 | 6,857.57 | - |
| **उप-योग (ii)** | **44,220.98** | **6,095.62** | **1,082.16** | **49,016.48** | **6,857.57** | **-** |
| **कुल व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत (i+ii)** | **7,66,102.73** | **48,378.46** | **20,801.91** | **8,74,469.35** | **57,405.20** | **15,146.86** |

(₹ लाख में)

| भाग II | 31.03.2024 को | | | 31.03.2023 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | काल्पनिक राशियाँ | उचित मूल्य - - परिसंपत्तियाँ | उचित मूल्य - देयताएँ | काल्पनिक राशियाँ | उचित मूल्य - परिसंपत्तियाँ | उचित मूल्य - देयताएँ |
| उपर्युक्त (भाग I) में बचाव और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए धारित निम्नानुसार व्युत्पन्नी शामिल हैं:- | | | | | | |
| **(i) नकद प्रवाह बचाव:-** | | | | | | |
| मुद्रा डेरिवेटिव (पीओएस) | 6,19,030.41 | 39,061.41 | 14,492.35 | 7,83,068.24 | 47,732.37 | 14,844.15 |
| विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध | 61,667.78 | - | 3,392.98 | | | |
| ब्याज दर डेरिवेटिव (सीसीआईआरएस) | 44,220.98 | 6,095.62 | 1,082.16 | 49,016.48 | 6,857.57 | - |
| **उप-योग (i)** | **7,24,919.17** | **45,157.03** | **18,967.49** | **8,32,084.72** | **54,589.94** | **14,844.15** |
| **(ii)अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव:-** | | | | | | |
| मुद्रा डेरिवेटिव (पीओएस) | 41,183.56 | 3,221.43 | 1,834.42 | 42,384.63 | 2,815.26 | 302.71 |
| विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध | - | - | - | | | |
| ब्याज दर डेरिवेटिव (सीसीआईआरएस) | - | - | - | - | - | - |
| **उप-योग (ii)** | **41,183.56** | **3,221.43** | **1,834.42** | **42,384.63** | **2,815.26** | **302.71** |
| **कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i) + (ii)** | **7,66,102.73** | **48,378.46** | **20,801.91** | **8,74,469.35** | **57,405.20** | **15,146.86** |

जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटीकरण के लिए नोट 38 (20) और 38 (28) देखें।

### नोट 5 : प्राप्य

**व्यापार प्राप्य**

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| **अ व्यापार प्राप्य** | | |
| (क) प्राप्य अच्छे माने गये - सुरक्षित | - | - |
| (ख) प्राप्य अच्छे माने गये - असुरक्षित | 601.75 | 501.25 |
| (ग) प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | - | - |
| (घ) प्राप्य क्रेडिट क्षतिग्रस्त | - | - |
| **उप योग (अ)** | **601.75** | **501.25** |
| क्षतिग्रस्त हानि के लिए भत्ता (ब) | - | - |
| **कुल (अ-ब)** | **601.75** | **501.25** |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची**

**31.03.2024 को**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | बिना बिल | देय नहीं | भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 महीनों से कम | 6 महीनों से 1 वर्ष | 1 से 2 वर्ष | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक | कुल |
| (i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया | 325.86 | | 115.66 | | 160.19 | 0.04 | | 601.75 |
| (ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट क्षतिग्रस्त | - | - | - | - | - | - | - | - |

**व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची**

**31.03.2023 को**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | बिना बिल | देय नहीं | भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 महीनों से कम | 6 महीनों से 1 वर्ष | 1 से 2 वर्ष | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्षों से अधिक | कुल |
| (i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया | 331.19 | - | 160.19 | - | - | 0.04 | - | 491.92 |
| (ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना गया | - | - | - | - | - | - | 9.83 | 9.83 |
| (v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षतिग्रस्त | - | - | - | - | - | - | - | - |

एजिंग भुगतान की निर्धारित तिथि पर आधारित है और जहाँ भुगतान की निर्धारित तिथि निर्दिष्ट नहीं है, एजिंग लेनदेन की तिथि पर आधारित है।

बिना बिल वाली बकाया राशि के विवरण के लिए नोट 38(29) देखें

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### नोट 6 : ऋण

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को परिशोधित लागत पर | 31.03.2023 को परिशोधित लागत पर |
|---|---|---|
| **अ) ऋण** | | |
| **(i) सावधि ऋण** | | |
| सावधि ऋण | 59,69,811.25 | 47,07,552.05 |
| उपचित ब्याज और ऋण पर देय | 2,695.31 | 2,235.30 |
| परिसमाप्त क्षतियाँ अर्जित और देय | 9.08 | 26.92 |
| ऋणों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज | 2,836.04 | 2,014.25 |
| फ्रंट एंड शुल्क समायोजन | (17,385.32) | (16,609.63) |
| **परिशोधित लागत पर सकल सावधि ऋण** | **59,57,966.36** | **46,95,218.90** |
| **(ii) अन्य** | | |
| एमएनआरई के घटकों को ऋण | 664.69 | 664.69 |
| एमएनआरई ऋणों पर अर्जित और देय ब्याज | 254.77 | 254.77 |
| कर्मचारियों को ऋण | 2,370.91 | 1,749.89 |
| संबंधित पक्षों को ऋण | - | - |
| कर्मचारियों के ऋणों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज | 384.25 | 255.90 |
| संबंधित पक्ष के कर्मचारियों के ऋणों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज | 12.30 | 20.82 |
| **कुल (अ) - सकल ऋण** | **59,61,653.28** | **46,98,164.96** |
| घटाएँ: क्षति हानि भत्ता | 84,144.42 | 75,472.64 |
| **कुल (अ) - शुद्ध ऋण** | **58,77,508.86** | **46,22,692.33** |
| **(ब) उपर्युक्त का उप-वर्गीकरण:** | | |
| **सुरक्षा-वार वर्गीकरण** | | |
| **(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित** | | |
| सावधि ऋण | 50,86,582.92 | 39,41,012.02 |
| कर्मचारियों को ऋण | 2,370.91 | 1,749.89 |
| संबंधित पक्षों को ऋण | - | - |
| उपचित ब्याज और ऋण पर देय | 2,695.31 | 2,235.30 |
| उपचित परिसमाप्त क्षतियाँ और देय | 9.08 | 26.92 |
| उपचित ब्याज लेकिन ऋणों पर देय नहीं | 3,220.29 | 2,270.15 |
| उपचित ब्याज लेकिन संबंधित पक्ष के ऋणों पर देय नहीं | 12.30 | 20.82 |
| **एमएनआरई के घटकों को ऋण** | | |
| एमएनआरई के घटकों को ऋण | 664.69 | 664.69 |
| उपचित ब्याज और एमएनआरई ऋणों पर देय | 254.77 | 254.77 |
| **(ii) अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित** | **-** | **-** |
| **(iii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा आवृत्त** | | |
| बैंक गारंटी/सरकारी गारंटी द्वारा सुरक्षित सावधि ऋण | 2,17,113.40 | 3,54,481.58 |
| **(iv) असुरक्षित** | | |
| सावधि ऋण | 6,48,729.61 | 3,95,448.82 |
| **कुल (ब) - सकल** | **59,61,653.28** | **46,98,164.96** |
| घटाएँ : क्षति हानि भत्ता | 84,144.42 | 75,472.64 |
| **कुल (ब) - शुद्ध** | **58,77,508.86** | **46,22,692.33** |
| **(स) (I)भारत में ऋण** | | |
| (i) सार्वजनिक क्षेत्र | 14,93,997.00 | 12,63,995.26 |
| (ii) अन्य | 44,67,656.28 | 34,34,169.70 |
| **कुल (स) (I) सकल** | **59,61,653.28** | **46,98,164.96** |
| घटाएँ: क्षति हानि भत्ता | 84,144.42 | 75,472.64 |
| **कुल (स) (I) - निवल** | **58,77,508.86** | **46,22,692.33** |
| **(स) (II)भारत के बाहर ऋण** | | |
| घटाएँ: क्षति हानि भत्ता | - | - |
| **कुल (स) (II)- शुद्ध** | **-** | **-** |
| **कुल स (I) और स (II)** | **58,77,508.86** | **46,22,692.33** |

31.03.2024 तक ₹ 6,48,729.61 लाख के कुल असुरक्षित ऋणों में से (31.03.2023 तक : ₹3,95,448.82 लाख), 31.03.2024 तक ₹ 6,48,576.00 लाख (31.03.2023 तक : ₹3,95,222.01 लाख) की राशि के ऋण कंपनी ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अप्रतिबंधित विशिष्ट राजस्व धारा निर्धारित कर डिफ़ॉल्ट एस्क्रो खाते पर विशेष प्रभार के माध्यम से अमूर्त सुरक्षा द्वारा सुरक्षित हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने उधारकर्ताओं को पत्र भेजे हैं, सिवाय उन मामलों के जहां ऋण वापस लिये गये हैं या न्यायालय/एनसीएलटी के समक्ष लंबित हैं, उधारकर्ताओं को 31.03.2024 तक शेष राशि की पुष्टि की मांग की है। उक्त शेष राशि के 13.91% की पुष्टि प्राप्त हुई है (पिछले वर्ष: 4.68%)। शेष ऋण परिसंपत्तियों में से ₹ 51,38,071.76 लाख (पिछले वर्ष: ₹ 44,87,229.29 लाख) की राशि, जिसके लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, 87.43% ऋण (पिछले वर्ष: 82.63%) मूर्त प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित हैं, 1.89 % (पिछले वर्ष: 12.69%) सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में और शेष असुरक्षित ऋण हैं।

उधार लेने वाली संस्थाओं की परिसंपत्तियों आदि के माध्यम से रखी गयी सुरक्षा के अलावा, कंपनी ने बैंकों द्वारा जारी एफडी और गारंटियाँ क्रम से ₹63,131.65 लाख और ₹24,274.00 लाख (पिछले वर्ष : क्रम से ₹24,935.83 लाख और ₹18,599.32 लाख) रखीं, जो दिये गये ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियों के रूप में थीं।

क्रेडिट जोखिम पर प्रकटीकरण के लिए, नोट 38 (20) देखें।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित समाधान योजनाओं पर प्रकटीकरण के लिए, नोट 38 (47ए) देखें।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### नोट 7 : निवेश

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| **(अ) निवेश** | | |
| **परिशोधित लागत पर** | | |
| भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (उद्धृत) | 9,933.92 | 9,930.26 |
| (6.67% भारत सरकार 2035 एफ.वी.: ₹ 10,000.00 लाख) | | |
| **कुल - सकल (अ)** | **9,933.92** | **9,930.26** |
| **(ब) उपरोक्त का उप-वर्गीकरण:** | | |
| (i) भारत के बाहर निवेश | - | - |
| (ii) भारत में निवेश | 9,933.92 | 9,930.26 |
| **कुल (ब)** | **9,933.92** | **9,930.26** |
| घटाएँ: क्षति हानि के लिए भत्ता (स) | - | - |
| **कुल - शुद्ध (द) = (अ) - (स)** | **9,933.92** | **9,930.26** |

नोट 38 (47ग) भी देखें

### नोट 8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| सुरक्षा जमा | 370.71 | 63.19 |
| कर्मचारियों को अग्रिम | 692.00 | 640.46 |
| संबंधित पक्षों को अग्रिम | 19.75 | 18.75 |
| अन्य प्राप्य : | | |
| एफडीआर - उधारकर्ता | 1,129.62 | 2,016.65 |
| वाणिज्यिक पत्र | 6,899.11 | 6,899.11 |
| घटाएँ: वाणिज्यिक पत्रों पर क्षति हानि भत्ता | (6,899.11) | (6,899.11) |
| अन्य | 330.01 | 441.52 |
| **कुल** | **2,542.09** | **3,180.56** |

### नोट 9 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| अग्रिम आयकर और टीडीएस (क) | 2,10,189.98 | 1,94,656.78 |
| घटाएँ: आयकर के लिए प्रावधान (ख) | 1,94,649.24 | 1,80,264.36 |
| **कुल (क-ख)** | **15,540.74** | **14,392.42** |

### नोट 10: आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

(₹ लाख में)

| विवरण | 30.03.2024 को | 30.03.2023 को |
|---|---|---|
| **लाभ और हानि अनुभाग, ओसीआई व अन्य इक्विटी** | | |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | | |
| गारंटी कमीशन पर अप्रत्यक्ष कर और अन्य हेतु प्रावधान | 2,316.85 | 2,091.89 |
| सेवा कर और अन्य हेतु प्रावधान | 314.19 | 295.67 |
| छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान | 227.37 | 175.45 |
| उपदान हेतु प्रावधान | 11.02 | - |
| सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान | - | 348.41 |
| बीमार छुट्टी हेतु प्रावधान | 142.84 | 104.34 |
| बैगेज भत्ते हेतु प्रावधान | 6.05 | 5.44 |
| विदाई उपहार हेतु प्रावधान | 4.91 | 2.77 |
| कार्य-प्रदर्शन प्रोत्साहन हेतु प्रावधान | - | 305.39 |
| क्षति हेतु प्रावधान | 35,883.59 | 39,363.02 |
| फ्रंट एंड शुल्क - पुस्तकों में स्थगित | 5,462.05 | 4,894.63 |
| शेयर निर्गम व्यय | 627.71 | - |
| **उप योग** | **44,996.59** | **47,587.00** |
| **स्थगित कर देयताएँ** | | |
| मूल्यह्रास | 4,386.23 | 4,574.95 |
| विदेशी मुद्रा हानि परिवर्तन अंतर | 11,471.75 | 12,850.32 |
| बॉण्ड की लेनदेन लागत | 194.31 | 61.37 |
| ऋण की लेनदेन लागत | - | 0.18 |
| **उप योग** | **16,052.29** | **17,486.82** |
| **कुल** | **28,944.30** | **30,100.18** |
| **शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)** | **28,944.30** | **30,100.18** |

स्थगित करों की आवाजाही पर प्रकटीकरण हेतु नोट 38(3) देखें

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**नोट 11 : निवेश संपत्ति**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | राशि* |
|---|---|
| **सकल ब्लॉक** | |
| **01.04.2022 को शेष** | **8.75** |
| जोड़ें | - |
| घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण | - |
| **31.03.2023 को शेष** | **8.75** |
| **01.04.2023 को शेष** | **8.75** |
| जोड़ें | - |
| घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण | - |
| **31.03.2024 को शेष** | **8.75** |
| **संचित मूल्यह्रास** | |
| **01.04.2022 को शेष** | **5.20** |
| मूल्यह्रास व्यय | 0.59 |
| घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त | - |
| **31.03.2023 को शेष** | **5.78** |
| **01.04.2023 को शेष** | **5.78** |
| मूल्यह्रास व्यय | 0.49 |
| घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त | - |
| **31.03.2024 को शेष** | **6.27** |
| **वहन राशि** | |
| 31.03.2023 को | 2.97 |
| 31.03.2024 को | 2.48 |

**(₹ लाख में)**

| निवेश संपत्ति का उचित मूल्य | राशि |
|---|---|
| 31.03.2023 को | 258.16 |
| 31.03.2024 को | 289.68 |

*निवेश संपत्ति (भवन - आवासीय) से संबंधित है। नोट 38(19) देखें।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### नोट 12 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाख में)

| विवरण | भवन | | संयंत्र और मशीनरी | | वाहन | फर्नीचर व जुड़नार | कार्यालय उपकरण | पुस्तकालय | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | चेन्नई में कार्यालय स्थल | सौर संयंत्र | सौर संयंत्र | कंप्यूटर | | | | | |
| **सकल ब्लॉक** | | | | | | | | | |
| **01.04.2022 को शेष** | **129.93** | **2,239.49** | **29,391.30** | **692.73** | **55.89** | **157.45** | **258.81** | **0.13** | **32,925.74** |
| वर्ष के दौरान संयोजन | - | - | - | 58.91 | 73.98 | 78.67 | 251.06 | 0.05 | 462.66 |
| समायोजन/पुनर्वर्गीकरण | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन राशि | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान निपटान /बिक्री/हस्तांतरण | - | - | - | 16.75 | 41.76 | 14.88 | 22.73 | - | 96.12 |
| **31.03.2023 को शेष** | **129.93** | **2,239.49** | **29,391.30** | **734.88** | **88.12** | **221.24** | **487.14** | **0.18** | **33,292.28** |
| | | | | | | | | | |
| **01.04.2023 को शेष** | **129.93** | **2,239.49** | **29,391.30** | **734.88** | **88.12** | **221.24** | **487.14** | **0.18** | **33,292.28** |
| वर्ष के दौरान संयोजन | | - | - | 371.94 | 71.31 | 540.79 | 868.73 | - | 1,852.78 |
| समायोजन / पुनर्वर्गीकरण | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 0.18 |
| पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान निपटान/बिक्री/हस्तांतरण | - | - | | 394.24 | - | 16.82 | 55.03 | - | 466.09 |
| **31.03.2024 को शेष** | **129.93** | **2,239.49** | **29,391.30** | **712.58** | **159.44** | **745.21** | **1,300.84** | **0.36** | **34,679.15** |
| | | | | | | | | | |
| **संचित मूल्यह्रास** | | | | | | | | | |
| **01.04.2022 को शेष** | **51.05** | **659.07** | **8,583.45** | **457.62** | **45.55** | **61.80** | **56.42** | **0.13** | **9,915.10** |
| समायोजन/पुनर्वर्गीकरण | - | - | - | - | - | - | 1.74 | (0.04) | 1.70 |
| मूल्यह्रास व्यय | 7.49 | 132.77 | 1,729.11 | 151.92 | 2.92 | 26.53 | 115.30 | 0.09 | 2,166.13 |
| पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास समायोजन | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त | - | - | - | 14.10 | 38.90 | 9.87 | 12.07 | - | 74.95 |
| **31.03.2023 को शेष** | **58.55** | **791.84** | **10,312.56** | **595.44** | **9.56** | **78.46** | **161.39** | **0.18** | **12,007.98** |
| | | | | | | | | | |
| **01.04.2023 को शेष** | **58.55** | **791.84** | **10,312.56** | **595.44** | **9.56** | **78.46** | **161.39** | **0.18** | **12,007.98** |
| समायोजन / पुनर्वर्गीकरण | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| मूल्यह्रास व्यय | 6.78 | 132.77 | 1,729.11 | 153.65 | 41.04 | 88.61 | 269.55 | 0.18 | 2,421.69 |
| पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास समायोजन | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| घटाएँ: निपटान/ बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त | - | - | - | 365.95 | - | 4.81 | 19.32 | - | 390.07 |
| **31.03.2024 को शेष** | **65.33** | **924.61** | **12,041.67** | **383.14** | **50.60** | **162.27** | **411.63** | **0.36** | **14,039.60** |
| | | | | | | | | | |
| **वहन राशि** | | | | | | | | | |
| **31.03.2023 को** | **71.39** | **1,447.65** | **19,078.73** | **139.44** | **78.56** | **142.78** | **325.75** | **0.00** | **21,284.30** |
| **31.03.2024 को** | **64.60** | **1,314.88** | **17,349.62** | **329.44** | **108.84** | **582.95** | **889.21** | **0.00** | **20,639.55** |

कंपनी के नाम पर नहीं रखी गयी अचल परिसंपत्तियों के शीर्षक विलेखों की जानकारी के लिए, नोट 38(32) देखें।

### नोट 13: पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

(₹ लाख में)

| विवरण | राशि |
|---|---|
| **पूंजीगत कार्य प्रगति पर - भवन** | |
| **01.04.2022 को शेष** | **12,833.28** |
| वर्ष के दौरान संयोजन | 1,093.06 |
| उधार लागत पूंजीकृत | - |
| घटाएँ: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / निवेश संपत्ति में स्थानांतरण | - |
| **31.03.2023 को शेष** | **13,926.35** |
| **01.04.2023 को शेष** | **13,926.35** |
| वर्ष के दौरान संयोजन | 250.20 |
| उधार लागत पूंजीकृत | - |
| घटाएँ : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / निवेश संपत्ति /परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार में स्थानांतरण | 14,176.55 |
| **31.03.2024 को शेष राशि** | **-** |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(i) पूंजीगत कार्य प्रगति पर की एजिंग निर्धारण अनुसूची (जिसमें वह परियोजना शामिल है जिसका पूरा होना अतिदेय है)

(क) पूंजीगत कार्य प्रगति पर (निर्धारित पूरा होने के भीतर)

| 31.03.2024 को | जिस अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1 से 2 वर्ष | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| परियोजनाएँ प्रगति पर | - | - | - | - | - |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ | - | - | - | - | - |
| **31.03.2023 को** | **जिस अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि** | | | | |
| | **1 वर्ष से कम** | **1 से 2 वर्ष** | **2 से 3 वर्ष** | **3 वर्ष से अधिक** | **कुल** |
| परियोजनाएँ प्रगति पर | 1,093.06 | 12,832.42 | - | 0.86 | 13,926.35 |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ | - | - | - | - | - |

(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर (मूल योजना की तुलना में पूरा होने में देरी/लागत अधिक होना)

| 31.03.2024 को | में पूर्ण किया जाना है | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1 से 2 वर्ष | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| परियोजना 1 | - | - | - | - |
| परियोजना 2 | - | - | - | - |
| **31.03.2023 को** | **जिस अवधि में पूरा करना होगा** | | | |
| | **1 वर्ष से कम** | **1 से 2 वर्ष** | **2 से 3 वर्ष** | **3 वर्ष से अधिक** |
| परियोजना 1 | 12,832.42 | - | - | - |
| परियोजना 2 | - | - | - | - |

(I) कंपनी ने 06/07/2021 को एनबीसीसी बिल्डिंग, किदवई नगर में कार्यालय स्थल और 15/07/2021 को एनबीसीसी बिल्डिंग, किदवई नगर में 2 आवासीय फ्लैटों का अधिग्रहण किया था। जून 2023 से इसके कब्जे के बाद इसे पूंजीकृत किया गया है।

### नोट 14 : परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(₹ लाख में)

| विवरण | राशि | | |
|---|---|---|---|
| | भवन | भूमि | कुल |
| **01.04.2022 को शेष** | **2,391.72** | **433.34** | **2,825.06** |
| वर्ष के दौरान संयोजन | - | - | - |
| समायोजन / पुनर्वर्गीकरण | - | - | - |
| **31.03.2023 को शेष** | **2,391.72** | **433.34** | **2,825.06** |
| **01.04.2023 को शेष** | **2,391.72** | **433.34** | **2,825.06** |
| वर्ष के दौरान संयोजन | 13,952.56 | | 13,952.56 |
| समायोजन / पुनर्वर्गीकरण | - | - | - |
| **31.03.2024 को शेष** | **16,344.28** | **433.34** | **16,777.62** |
| **संचित मूल्यह्रास** | | | |
| **01.04.2022 को शेष** | **1,032.23** | **27.53** | **1,059.76** |
| मूल्यह्रास व्यय | 161.03 | 18.45 | 179.48 |
| समायोजन/पुनर्वर्गीकरण | - | - | - |
| **31.03.2023 को शेष** | **1,193.26** | **45.98** | **1,239.24** |
| **01.04.2023 को शेष** | **1,193.26** | **45.98** | **1,239.24** |
| मूल्यह्रास व्यय | 531.42 | 18.45 | 549.87 |
| समायोजन/पुनर्वर्गीकरण | - | | - |
| **31.03.2024 को शेष** | **1,724.68** | **64.42** | **1,789.10** |
| **वहन राशि** | | | |
| **31.03.2023 को** | **1,198.46** | **387.36** | **1,585.82** |
| **31.03.2024 को** | **14,619.60** | **368.92** | **14,988.52** |

परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार के विवरण के लिए नोट 38(31) देखें

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

**नोट 15 : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | राशि* |
|---|---|
| **01.04.2022 को शेष** | **311.16** |
| वर्ष के दौरान संयोजन | 174.41 |
| घटाएँ: अमूर्त संपत्तियों में स्थानांतरण | - |
| **31.03.2023 को शेष** | **485.57** |
| **01.04.2023 को शेष** | **485.57** |
| वर्ष के दौरान संयोजन | 451.71 |
| घटाएँ: अमूर्त संपत्तियों में स्थानांतरण | 937.28 |
| **31.03.2024 को शेष** | **-** |

i) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची (जिसमें वह परियोजना शामिल है जिसका पूरा होना अतिदेय है)

(क) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (निर्धारित पूरा होने के भीतर)

| 31.03.2024 को | एक वर्ष हेतु विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1 से 2 वर्ष | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| परियोजनाएँ प्रगति पर | - | - | - | - | - |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ | - | - | - | - | - |
| **31.03.2023 को** | **एक वर्ष हेतु विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में राशि** | | | | |
| | 1 वर्ष से कम | 1 से 2 वर्ष | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| परियोजनाएँ प्रगति पर | 174.41 | 311.16 | - | - | 485.75 |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ | - | - | - | - | - |

(ख) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (मूल योजना की तुलना में पूरा होने में देरी/लागत अधिक होना)

| 31.03.2024 को | जिस अवधि में पूरा करना | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1 से 2 वर्ष | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| ईआरपी - डी365 का कार्यान्वयन | - | - | - | - |
| **31.03.2023 को** | **जिस अवधि में पूरा करना** | | | |
| | 1 वर्ष से कम | 1 से 2 वर्ष | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| ईआरपी - डी365 का कार्यान्वयन | 735.00 | - | - | - |

परियोजना ( ईआरपी - डी365 का कार्यान्वयन) 31.07.2021 को लाइव होनी थी, लेकिन कंपनी के नियंत्रण से परे कारणों (जैसे कोविड-19, परामर्श फर्म में उच्च एट्रिशन आदि) के कारण परियोजना में देरी हुई। नोट 38(18) देखें।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### नोट 16 : अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

| विवरण | राशि* |
|---|---|
| **सकल ब्लॉक** | |
| **01.04.2022 को शेष** | **43.99** |
| वर्ष के दौरान संयोजन | 0.59 |
| पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि | - |
| घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण | - |
| **31.03.2023 को शेष** | **44.58** |
| **01.04.2023 को शेष** | **44.58** |
| वर्ष के दौरान संयोजन | 937.28 |
| पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि | - |
| घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण | - |
| **31.03.2024 को शेष** | **981.86** |
| **संचित मूल्यह्रास** | |
| 01.04.2022 को शेष | **39.49** |
| परिशोधन व्यय | 3.64 |
| पुनर्मूल्यांकन के कारण परिशोधन समायोजन | - |
| घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त | - |
| **31.03.2023 को शेष** | **43.14** |
| **01.04.2023 को शेष** | **43.14** |
| परिशोधन व्यय | 62.70 |
| विश्व बैंक अनुदान के कारण परिशोधन समायोजन [नोट 38(7क) और 38(18) देखें] | 397.95 |
| घटाएँ: निपटान/बिक्री/हस्तांतरण पर समाप्त | - |
| **31.03.2024 को शेष** | **503.79** |
| **वहन राशि** | |
| **31.03.2023 को** | **1.44** |
| **31.03.2024 को** | **478.07** |

*कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित

### नोट 17 : अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड प्राप्य धन (नोट 38(42) देखें) | 1,63,879.20 | 1,63,879.20 |
| अन्य प्राप्य | 2,480.48 | 1,171.05 |
| अन्य अग्रिम | 534.97 | 8,692.13 |
| **कुल** | **1,66,894.65** | **1,73,742.39** |

### नोट 18 : देय

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| **व्यापार देय** | | |
| (i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि | 102.87 | 25.25 |
| (ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि | 627.46 | 425.02 |
| **कुल** | **730.33** | **450.28** |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### व्यापार देय एजिंग निर्धारण अनुसूची

**31.03.2024 को**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | बिना बिल | देय नहीं | भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 वर्ष से कम | 1 से 2 वर्ष | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| (i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) | 77.33 | 25.54 | - | - | - | - | 102.87 |
| (ii) अन्य | 460.21 | 131.08 | 36.17 | - | - | - | 627.46 |
| (iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) | - | - | - | - | - | - | - |
| (iv) विवादित बकाया - अन्य | - | - | - | - | - | | - |

*एजिंग निर्धारण भुगतान की देय तिथि पर आधारित है और जहां भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट नहीं है, वहां आयु निर्धारण लेनदेन की तिथि पर आधारित है।

**31.03.2023 को**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | बिना बिल | देय नहीं | भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधि हेतु बकाया* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 वर्ष से कम | 1 से 2 वर्ष | 2 से 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
| (i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) | 18.02 | 6.02 | - | - | - | - | 24.03 |
| (ii) अन्य | 88.26 | 139.83 | 196.93 | - | - | - | 425.02 |
| (iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) | - | - | - | - | 1.22 | - | 1.22 |
| (iv) विवादित बकाया - अन्य | - | - | - | - | - | - | - |

*एजिंग निर्धारण भुगतान की देय तिथि पर आधारित है और जहां भुगतान की देय तिथि निर्दिष्ट नहीं है, वहां आयु निर्धारण लेनदेन की तिथि पर आधारित है।

### नोट 19 : ऋण प्रतिभूतियाँ

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को परिशोधित लागत पर | 31.03.2023 को परिशोधित लागत पर |
|---|---|---|
| **बॉण्ड :-** | | |
| **(I) कर मुक्त बॉण्ड - गैर परिवर्तनीय मोचन योग्य डिबेंचर (जमानती)**<br>(कंपनी के ऋण और अग्रिम (बही ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा रक्षित) | | |
| **(i) 8.16% कर मुक्त बॉण्ड**<br>(श्रृंखला XIII क़िस्त-I-Iक-2013-14) (13.03.2024 को चुकौती) | - | 7,575.90 |
| **(ii) 8.41% कर मुक्त बॉण्ड**<br>(श्रृंखला XIII क़िस्त-I-Iख- 2013-14) (13.03.2024 को चुकौती) | - | 10,529.14 |
| **(iii) 7.17% कर मुक्त बॉण्ड**<br>(श्रृंखला XIV निजी आईसी- 2015-16) (01.10.2025 को चुकाने योग्य) | 28,400.00 | 28,400.00 |
| **(iv) 7.28% कर मुक्त बॉण्ड**<br>(श्रृंखला XIV क़िस्त-I-Iक- 2015-16) (21.01.2026 को चुकाने योग्य) | 10,889.06 | 10,889.06 |
| **(v) 7.53% कर मुक्त बॉण्ड**<br>(श्रृंखला XIV क़िस्त-I-Iख- 2015-16) (21.01.2026 को चुकाने योग्य) | 12,788.59 | 12,788.59 |
| **(vi) 8.55% कर मुक्त बॉण्ड**<br>(श्रृंखला XIII क़िस्त-I-IIक- 2013-14) (13.03.2029 को चुकाने योग्य) | 12,307.69 | 12,307.69 |
| **(vii) 8.80% कर मुक्त बॉण्ड**<br>(श्रृंखला XIII क़िस्त-I-IIख- 2013-14) (13.03.2029 को चुकाने योग्य) | 23,455.08 | 23,455.08 |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को परिशोधित लागत पर | 31.03.2023 को परिशोधित लागत पर |
|---|---|---|
| **(viii) 8.56% कर मुक्त बॉण्ड**<br>(श्रृंखला XIII क़िस्त-I-IIग- 2013-14) (27.03.2029 को चुकाने योग्य) | 3,600.00 | 3,600.00 |
| **(ix) 7.49% कर मुक्त बॉण्ड**<br>(श्रृंखला XIV क़िस्त-I-IIक- 2015-16) (21.01.2031 को चुकाने योग्य) | 88,426.52 | 88,426.52 |
| **(x) 7.74% कर मुक्त बॉण्ड**<br>(श्रृंखला XIV क़िस्त-I-IIख- 2015-16) (21.01.2031 को चुकाने योग्य) | 48,351.53 | 48,351.53 |
| **(xi) 8.55% कर मुक्त बॉण्ड**<br>(श्रृंखला XIII क़िस्त-I-IIIक- 2013-14) (13.03.2034 को चुकाने योग्य) | 3,881.23 | 3,881.23 |
| **(xii) 8.80% कर मुक्त बॉण्ड**<br>(श्रृंखला XIII क़िस्त-I-IIIख- 2013-14) (13.03.2034 को चुकाने योग्य) | 14,416.42 | 14,416.42 |
| **(xiii) 7.43% कर मुक्त बॉण्ड**<br>(श्रृंखला XIV क़िस्त-I-IIIक- 2015-16) (21.01.2036 को चुकाने योग्य) | 3,644.42 | 3,644.42 |
| **(xiv) 7.68% कर मुक्त बॉण्ड**<br>(श्रृंखला XIV क़िस्त-I-IIIख- 2015-16) (21.01.2036 को चुकाने योग्य) | 7,499.88 | 7,499.88 |
| **उप-योग(अ)** | **2,57,660.42** | **2,75,765.46** |
| | | |
| **(II) कर योग्य बॉण्ड- गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (सुरक्षित)***<br>(कंपनी के ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित।) | | |
| **(i) 9.02% कर योग्य बॉण्ड**<br>(श्रृंखला III- 2010-11 - क़िस्त II) (24.09.2025 को चुकाने योग्य) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| **(ii) 8.44% कर योग्य बॉण्ड**<br>(श्रृंखला Vक- 2013-14) (10.05.2023 को चुकौती) | - | 30,000.00 |
| **(iii) 8.49% कर योग्य बॉण्ड**<br>(श्रृंखला Vख- 2013-14) (10.05.2028 को चुकौती योग्य) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| **(iv) 8.12% कर योग्य ग्रीन बॉण्ड**<br>(श्रृंखला VI क - 2016-17) (24.03.2027 को चुकौती योग्य) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| **(v) 8.05% कर योग्य ग्रीन बॉण्ड**<br>(श्रृंखला VI ख - 2016-17) (29.03.2027 को चुकौती योग्य) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| **(vi) 8.51% कर योग्य बॉण्ड**<br>(श्रृंखला VIIक- 2018-19) (03.01.2029 को चुकाने योग्य) | 27,500.00 | 27,500.00 |
| घटाएँ : उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 14.41 | 16.79 |
| | 27,485.59 | 27,483.21 |
| **(vii)** 8.47% कर योग्य बॉण्ड<br>(श्रृंखला VIIख- 2018-19) (17.01.2029 को चुकाने योग्य) | 59,000.00 | 59,000.00 |
| घटाएँ : उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 14.50 | 16.87 |
| | 58,985.50 | 58,983.13 |
| **(viii) 8% कर योग्य बॉण्ड**<br>(श्रृंखला IX क- 2019-20) (24.09.2029 को चुकाना होगा) | 1,00,000.00 | 1,00,000.00 |
| घटाएँ : उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 16.00 | 18.27 |
| | 99,984.00 | 99,981.73 |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को परिशोधित लागत पर | 31.03.2023 को परिशोधित लागत पर |
|---|---|---|
| **(ix) 7.40% कर योग्य बॉण्ड** | 80,300.00 | 80,300.00 |
| (श्रृंखला IX ख- 2019-20) (03.03.2030 को चुकाने योग्य) | | |
| घटाएँ: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 31.35 | 35.46 |
| | 80,268.65 | 80,264.54 |
| **उप-योग (ख)** | **3,81,723.74** | **4,11,712.61** |
| | | |
| **(III) कर योग्य बॉण्ड- गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (असुरक्षित)*** | | |
| **(i) 5.98% कर योग्य बॉण्ड** | 10,600.00 | 10,600.00 |
| (श्रृंखला XIक- 2021-22) (16.04.2025 को चुकाने योग्य) | | |
| घटाएँ :उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 0.31 | 0.59 |
| | 10,599.69 | 10,599.41 |
| **(ii) 7.46% कर योग्य बॉण्ड** | 64,840.00 | 64,840.00 |
| (श्रृंखला XII क- 2022-23) (12.08.2025 को चुकाने योग्य) | | |
| घटाएँ:उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 5.67 | 9.52 |
| | 64,834.33 | 64,830.48 |
| **(iii) 7.85% कर योग्य बॉण्ड** | 1,20,000.00 | 1,20,000.00 |
| (श्रृंखला XII ख- 2022-23) (12.10.2032 को चुकाने योग्य) | | |
| घटाएँ : उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 16.36 | 17.67 |
| | 1,19,983.64 | 1,19,982.33 |
| **(iv) 7.79% कर योग्य बॉण्ड** | 51,500.00 | 51,500.00 |
| (श्रृंखला XII ग- 2022-23) (07.12.2032 को चुकाने योग्य) | | |
| घटाएँ: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 7.41 | 8.00 |
| | 51,492.59 | 51,492.00 |
| **(v) 7.94% कर योग्य बॉण्ड** | 1,50,000.00 | 1,50,000.00 |
| (श्रृंखला XII घ 2022-23) (27.01.2033 को चुकाने योग्य) | | |
| घटाएँ: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 50.11 | 53.95 |
| | 1,49,949.89 | 1,49,946.05 |
| **(vi) 7.63% कर योग्य बॉण्ड** | 1,00,000.00 | - |
| (श्रृंखला XV-क 2023-24) (11.08.2033 को चुकाने योग्य) | | |
| घटाएँ: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 66.59 | - |
| | 99,933.41 | - |
| **(vii) 7.75% कर योग्य बॉण्ड** | 68,300.00 | - |
| (श्रृंखला XV-ख 2023-24) (12.10.2033 को चुकाने योग्य) | | |
| घटाएँ: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 44.98 | - |
| | 68,255.02 | - |
| **(viii) 7.68% कर योग्य बॉण्ड** | 1,00,000.00 | - |
| (श्रृंखला XV-ग 2023-24) (22.12.2033 को चुकाने योग्य) | | |
| घटाएँ: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 71.63 | - |
| | 99,928.37 | - |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को परिशोधित लागत पर | 31.03.2023 को परिशोधित लागत पर |
|---|---|---|
| **(ix) 7.77% कर योग्य बॉण्ड** (श्रृंखला XV-घ 2023-24) (10.05.2027 को चुकाने योग्य) | 80,974.00 | - |
| घटाएँ: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 36.05 | - |
| | 80,937.95 | - |
| **(x) 7.59% कर योग्य बॉण्ड** (श्रृंखला XV-ङ 2023-24) (23.02.2034 को चुकाने योग्य) | 1,13,000.00 | - |
| घटाएँ: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 128.71 | - |
| | 1,12,871.29 | - |
| **(xi) 7.53% कर योग्य बॉण्ड** (श्रृंखला XV-च 2023-24) (10.05.2034 को चुकाने योग्य) | 1,22,200.00 | - |
| घटाएँ: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 93.12 | - |
| | 1,22,106.88 | - |
| **(xii) 7.57% कर योग्य बॉण्ड** (श्रृंखला XV-छ 2023-24) (18.05.2029 को चुकाने योग्य) | 44,700.00 | - |
| घटाएँ: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 29.29 | - |
| | 44,670.71 | - |
| **(xiii) 7.59% कर योग्य बॉण्ड** (श्रृंखला XV-ज 2023-24) (26.07.2034 को चुकाने योग्य) | 1,06,500.00 | - |
| घटाएँ: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 86.80 | - |
| | **1,06,413.20** | **-** |
| **उप-योग (स)** | **11,31,976.97** | **3,96,850.27** |
| **कुल बॉण्ड (अ+ब+स)** | **17,71,361.13** | **10,84,328.34** |
| **भौगोलिक वार ऋण प्रतिभूतियाँ** | | |
| भारत में ऋण प्रतिभूतियाँ | 17,71,361.13 | 10,84,328.34 |
| भारत के बाहर ऋण प्रतिभूति | - | - |
| **कुल** | **17,71,361.13** | **10,84,328.34** |

नोट्स :

1 *कंपनी द्वारा जारी किये गये कर योग्य बॉण्ड में संबंधित बॉण्ड के सूचना ज्ञापन में बॉण्ड के पुनर्निर्गम हेतु कंडिका है।

2 दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने श्रृंखला XV-क, XV-ख, XV-ग, XV-घ, XV-ङ, XV-च, XV-छ और XV-ज के अंतर्गत ₹ 7,35,674.00 लाख के कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड जारी किये हैं जिनकी राशि क्रम से ₹1,00,000 लाख, ₹ 68,300 लाख, ₹1,00,000 लाख, ₹ 80,974.00 लाख, ₹ 1,13,000.00 लाख, ₹ 1,22,200.00 लाख, ₹ 44,700.00 लाख और ₹ 1,06,500.00 लाख है (31.03.2023 को समाप्त वर्ष : कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XII-क, XII-ख, XII-ग और XII-घ के अंतर्गत ₹3,86,340.00 लाख, जिनकी राशि क्रम से ₹ 64,840.00 लाख, ₹1,20,000.00 लाख, ₹ 51,500.00 लाख और ₹1,50,000.00 लाख है)।

3 दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹30,000 लाख के कर योग्य बॉण्ड श्रृंखला V-क को भुनाया है (31.03.2023 को समाप्त वर्ष : ₹30,000.00 लाख के कर योग्य बॉण्ड श्रृंखला IV 9.49% और ₹1,95,000.00 लाख के 7.125% ग्रीन मसाला बॉण्ड को भुनाया)।

4 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 54 के अनुसार, कंपनी द्वारा जारी और 31.03.2024 तक बकाया सभी सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए, कंपनी की प्राप्तियों पर प्रभार के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाये रखा गया है।

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**नोट 20 : उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को परिशोधित लागत पर | 31.03.2023 को परिशोधित लागत पर |
|---|---|---|
| **(क) सावधि ऋण** | | |
| **(I) बैंकों से** | | |
| **अ. सावधि ऋण - सुरक्षित** | | |
| **(i) क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-V**<br>[ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित] | 37,988.01 | 47,163.1 |
| (दिनांक 30.12.2018 से शुरू होकर 30.12.2027 तक अर्धवार्षिक आधार पर 5,263,000 यूरो किस्तों और प्रत्येक 5,264,000 यूरो की 3 किस्तों में पुनर्भुगतान) | | |
| **(ii) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से - ऋण-III**<br>(कंपनी के बुक ऋण और प्राप्य पर 100% कवर के साथ एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)। | 14,583.33 | 22,916.67 |
| (30.03.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹2,083.33 लाख की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)। | | |
| **(iii) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (एचडीएफसी) से - ऋण-IV**<br>(कंपनी के बुक ऋणों और प्राप्य पर 100% कवर के साथ एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)। | 16,666.67 | 25,000.00 |
| (23.04.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 2,083.33 लाख की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है) | | |
| **(iv) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-IV**<br>(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।) | 1,87,498.67 | 2,50,000.00 |
| (22.07.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹20,834.33 लाख की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)। | | |
| **(v) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण II**<br>(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित) | 66,666.67 | 1,00,000.00 |
| (27.06.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 8,333.33 लाख की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है) | | |
| **(vi) बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - ऋण IV- बीओआई**<br>(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित) | 84,210.53 | 1,00,000.0 |
| (30.09.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 5,263.15 लाख की 19 समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है) | | |
| **(vii) एचएसबीसी बैंक से - ऋण I - एचएसबीसी - क़िस्त I**<br>[100% कवर के साथ कंपनी के ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) और प्राप्य पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित] | 9,444.44 | - |
| (09.03.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 555.56 लाख की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है) | | |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को परिशोधित लागत पर | 31.03.2023 को परिशोधित लागत पर |
|---|---|---|
| **(viii) एनएबीएफआईडी से - ऋण I- एनएबीएफआईडी**<br>(सुविधा के 1.0x की न्यूनतम सुरक्षा के साथ कंपनी/उधारकर्ता की सभी प्राप्तियों पर दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम एक साथ सुरक्षित,) | 2,05,000.00 | 1,10,000.00 |
| (30.06.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 5,694.44 लाख की 36 समान तिमाही , किस्तों में चुकाया जाना है) | | |
| **(ix) पंजाब नेशनल बैंक से - ऋण IV- पीएनबी**<br>(बकाया ऋण राशि के 1.00 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी की सभी वर्तमान और भविष्य की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।) | - | 16,500.00 |
| (30.09.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 13,600.00 लाख की 10 समान तिमाही किस्तों में और ₹ 14,000.00 लाख की अंतिम किस्त में चुकाया जाना है।) | | |
| **(x) इंडियन ओवरसीज बैंक से - ऋण I- आईओबी**<br>(100% की न्यूनतम सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के मानक ऋण प्राप्तियों पर बहु बैंकिंग व्यवस्था के अधीन अन्य ऋणदाताओं के साथ एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित) | 66,666.67 | 37,500.00 |
| (31.03.2024 से शुरू करके कुल 3 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जिनमें से दो ₹33,333.33 लाख के और ₹33,333.34 लाख का एक है) | | |
| **(xi) आईडीबीआई बैंक से - सावधि ऋण सुविधा I**<br>(बकाया ऋण राशि के 100% की सीमा तक बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित) | 44,444.44 | 30,000.00 |
| (31.12.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹2,777.78 लाख की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना चाहिए और अंतिम किस्त होगी 31.3.2028 को ) | | |
| **(xii) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-I**<br>(कंपनी के ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) के बंधक के माध्यम से प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित, ऋण राशि के 100% के अधीन) | - | 25,000.00 |
| (22.09.2019 से शुरू करके प्रत्येक ₹5,000.00 लाख की 20 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।) | | |
| घटाया: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | - | 0.73 |
| | - | 24,999.27 |
| **(xiii) एशियाई डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से - ऋण-II**<br>(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)<br>[ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित] | 1,22,281.72 | 1,31,547.04 |
| (15.04.2020 से शुरू करके 15.10.2034 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 6,666,666.67 अमेरिकी डॉलर के 29 समान किस्तों में तथा 30वीं किस्त में 6,666,666.57 अमेरिकी डॉलर में चुकाया जाना है।) | | |
| **(xiv) बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - ऋण-I**<br>(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित) | 54,704.55 | 68,380.55 |
| (22.02.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹3,419 लाख की 21 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है) | | |

# वित्तीय विवरणों हेतु नोट

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को परिशोधित लागत पर | 31.03.2023 को परिशोधित लागत पर |
|---|---|---|
| **(xv) बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - II क़िस्त-क** | 31,578.95 | 42,105.26 |
| (100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित) | | |
| (30.09.2022 से शुरू करके प्रत्येक ₹2,631.57 लाख की 19 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है) | | |
| **(xvi) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से - ऋण-II** (बकाया ऋण राशि के 1 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी की सभी वर्तमान और भविष्य की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित) | 41,250.00 | 56,250.00 |
| (16 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है। ₹3,751.00 लाख की पहली किस्त 21.03.2023 को देय है और प्रत्येक ₹3,750.00 लाख की बाकी बची किस्तें, 21.06.2023 से शुरू हैं।) | | |
| **(Xvii) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-III क़िस्त-क** (ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित) | 1,38,920.00 | 1,89,460.00 |
| (29.12.2022 से शुरू करके 29.09.2026 तक प्रत्येक ₹12,635.00 लाख की 16 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है, दूसरी अंतिम क़िस्त 29.12.2026 को और ₹ 6,285.00 लाख की अंतिम क़िस्त 29.03.2027 को देय है) | | |
| **(Xviii) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-III क़िस्त-ख** (ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित) | 39,990.00 | 53,330.00 |
| (29.12.2022 से 29.12.2026 तक प्रत्येक ₹3,335.00 लाख की 16 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है और ₹3,305.00 लाख की अंतिम किस्त 29.03.2027 को देय है)। | | |
| **(xix) क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-VI** [ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित] | 11,602.01 | 14,082.73 |
| (30.12.2021 से शुरू करके 30.06.2028 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 1,428,000 यूरो की 6 किस्तों और प्रत्येक 1,429,000 यूरो की 8 किस्तों में चुकाया जाना है।) | | |
| **(xx) बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से** (100% सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।) | 85,555.56 | 1,10,000.00 |
| (30.06.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 6,111.11 लाख की 18 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है) | | |
| **(xxi) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से** (बकाया ऋण राशि के 1 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के सभी वर्तमान और भविष्य की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)। | 1,21,875.00 | 1,50,000.00 |
| (27.09.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 9,375 लाख की 16 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है)। | | |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को परिशोधित लागत पर | 31.03.2023 को परिशोधित लागत पर |
|---|---|---|
| **(xxii) बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) से - II किस्त-बी**<br>(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित)। | 15,824.58 | 21,099.42 |
| (19 तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है। 30.09.2022 को ₹ 5,263.15 लाख की पहली किस्त और प्रत्येक ₹1,318.71 लाख की 18 समान तिमाही किस्तें 31.12.2022 से शुरू हो चुकी हैं )। | | |
| **(xxiii) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से - I**<br>(100% की सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित) | 58,333.33 | 91,666.67 |
| (29.03.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 8,333.33 लाख की 12 संरचित तिमाही समान किस्तों में चुकाया जाना है)। | | |
| **(xxiv) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V किस्त-क**<br>((ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।) | 80,000.00 | - |
| (28.06.2024 से शुरू होकर, प्रत्येक ₹ 6,666.67 लाख की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है)। | | |
| **(xxv) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V किस्त-ख**<br>(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।) | 60,000.00 | - |
| (07.07.2024 से शुरू करके, प्रत्येक ₹ 5,000.00 लाख की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है) | | |
| **(xxvi) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V किस्त-ग**<br>(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।) | 32,000.00 | - |
| (31.07.2024 से शुरू करके, प्रत्येक ₹ 2,666.67 लाख की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।) | | |
| **(xxvii) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V किस्त-घ**<br>(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।) | 31,000.00 | - |
| (प्रत्येक ₹ 2,583.33 लाख की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है, जो 04.08.2024 से शुरू होगा।) | | |
| **(xxviii) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V किस्त-ङ**<br>(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।) | 62,000.00 | - |
| (19.08.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 5,166.67 लाख की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।) | | |
| **(xxix) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-V किस्त-च**<br>(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।) | 1,85,000.00 | - |
| (31.08.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹15,416.67 लाख की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।) | | |
| **(xxx) एचएसबीसी से - ऋण-I किस्त-II**<br>[100% कवर के साथ कंपनी के ऋण और अग्रिम (बुक ऋण) और प्राप्य पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।] | 30,000.00 | - |
| (01.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹1666.67 लाख की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है) | | |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को परिशोधित लागत पर | 31.03.2023 को परिशोधित लागत पर |
|---|---|---|
| **(xxxi) कर्नाटक बैंक से - ऋण-II**<br>(किसी भी समय बकाया राशि के 100% की सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के मानक प्राप्य/बुक ऋणों पर एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।) | 50,000.00 | - |
| (15.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹2,775 लाख की 17 समान तिमाही किस्तों और ₹2,825 लाख की 18वीं किस्त में चुकाया जाना है।) | | |
| **(xxxii) आईडीबीआई बैंक से - ऋण-II**<br>(ऋण राशि के 100% की सीमा तक कंपनी के बही ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।) | 50,000.00 | - |
| (01.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹2,777.78 लाख की 18 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।) | | |
| **(xxxiii) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) से - ऋण-III**<br>(100% सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।) | 10,000.00 | - |
| (30.12.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹384.61 लाख की 25 समान तिमाही किस्तों और ₹ 384.75 लाख की 26वीं किस्त में चुकाया जाना है।) | | |
| **(xxxiv) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से - ऋण-VI-क**<br>(ऋण राशि के 100% की सीमा तक बंधक के माध्यम से कंपनी के बुक ऋणों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।) | 50,000.00 | - |
| (27.09.2024 से शुरू करके प्रत्येक ₹4,166.67 लाख की 12 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।) | | |
| **(xxxv) बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) बैंक से - ऋण-I**<br>(100% सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्य राशि पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित।) | 50,000.00 | - |
| (30.06.2025 से शुरू करके प्रत्येक ₹ 6,250.00 लाख की 8 बराबर तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है।) | | |
| **(xxxvi) इंडसइंड बैंक से अल्पावधि ऋण**<br>(100% सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी के बुक ऋणों और प्राप्य पर 90 दिनों तक एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित, 03.05.2024 को बुलेट पुनर्भुगतान) | 30,000.00 | - |
| **(xxxvii) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से अल्पावधि ऋण**<br>(100% सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित, 14.08.2024 को ₹31,500 लाख, 27.08.2024 को ₹40,000 लाख तथा 24.09.2024 को ₹ 28,500 लाख का बुलेट पुनर्भुगतान) | 1,00,000.00 | - |
| **(xxxviii) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से अल्पावधि ऋण**<br>(100% सुरक्षा कवरेज के साथ कंपनी की प्राप्तियों पर प्रथम एक साथ प्रभार द्वारा सुरक्षित, 29.05.2024 को ₹ 4,000 लाख तथा 05.06.2024 को ₹ 51,500 लाख का बुलेट पुनर्भुगतान। | 55,500.00 | 50,000.00 |
| **उप योग (क)** | **23,30,585.11** | **17,42,000.77** |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को परिशोधित लागत पर | 31.03.2023 को परिशोधित लागत पर |
|---|---|---|
| **ख. सावधि ऋण - अरक्षित** | | |
| **(i) क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरौफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-I**<br>(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) | 16,945.45 | 17,882.30 |
| (30.12.2009 से शुरू होकर 30.12.2039 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 586,451.79 यूरो की 28 किस्तों में, प्रत्येक 586,963.08 यूरो की 32 किस्तों में और 586,963 यूरो की 1 किस्त में चुकाया जाना है।) | | |
| **(ii) क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरौफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-III**<br>(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) | 15,621.21 | 16,110.55 |
| (30.06.2020 से शुरू करके 30.12.2049 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 332,000 यूरो की 9 किस्तों में और प्रत्येक 333,000 यूरो की 51 किस्तों में चुकाया जाना है।) | | |
| **(iii) क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेरॉफबाउ (केएफडब्ल्यू) से - ऋण-VII**<br>(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) | 27,004.56 | 14,330.94 |
| (15.05.2023 से शुरू करके 15.05.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर 8,912,000 अमेरिकी डॉलर की 1 किस्त और 1,408,248.09 अमेरिकी डॉलर की 24 किस्तों में चुकाया जाना है।) | | |
| **(iv) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से -** ऋण-III<br>(भारत सरकार द्वारा जोखिम के 80% की सीमा तक गारंटीकृत) | 15,602.80 | 11,901.26 |
| (बकाया ऋण के आधार पर 15.04.2022 से शुरू करके 15.10.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 556,508.17 अमेरिकी डॉलर की 3 किस्तों में, प्रत्येक 779,500.64 की 24 किस्तों में तथा 785,736.04 अमेरिकी डॉलर की 28वीं किस्त में चुकाया जाना है.) | | |
| **(v) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) से** स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) - ऋण-III<br>(भारत सरकार द्वारा जोखिम के 80% की सीमा तक गारंटीकृत) | 5,822.08 | 4,213.47 |
| (बकाया ऋण के आधार पर 15.04.2027 से 15.10.2056 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 69830.98 अमेरिकी डॉलर की 20 किस्तों में तथा प्रत्येक 139,661.96 अमेरिकी डॉलर की 40 किस्तों में पुनर्भुगतान) | | |
| **(vi) कर्नाटक बैंक से ऋण-I** | 31,820.00 | 50,000.00 |
| [29.05.2023 से शुरू करके प्रत्येक ₹4,545 लाख की 10 किस्तों में तथा ₹4,550 लाख की 11वीं (अंतिम) तिमाही किस्त में पुनर्भुगतान किया जाना है। ] | | |
| **(Vii) आईडीबीआई बैंक से अल्पावधि ऋण**<br>(7.25% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, 18.01.2024 को एकबारगी पुनर्भुगतान) | - | 50,000.00 |
| **उप योग (ख)** | **1,12,816.10** | **1,64,438.53** |
| **बैंकों से कुल ऋण (ग=क+ख)** | **24,43,401.22** | **19,06,439.31** |
| **(II) अन्य से** | | |
| **घ. सावधि ऋण - सुरक्षित** | - | - |
| **उप योग (घ)** | **-** | **-** |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को परिशोधित लागत पर | 31.03.2023 को परिशोधित लागत पर |
|---|---|---|
| **ङ. सावधि ऋण - असुरक्षित** | | |
| **(i) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से** | 3,721.22 | 4,765.80 |
| (41 संरचित त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना है।) | | |
| **(Ii) एजेंसे फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी) से - ऋण-I** (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) | 29,471.15 | 33,453.50 |
| (31.07.2016 से शुरू करके 31.01.2031 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 2,333,333.33 यूरो की 30 किस्तों में पुनर्भुगतान।) | | |
| **(iii) एजेंसे फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी) से - ऋण-II** | 49,619.79 | 58,244.94 |
| (30.11.2019 से शुरू करके 31.05.2029 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 5,000,000 यूरो की 20 किस्तों में पुनर्भुगतान। | | |
| **(iv) जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से - ऋण-I** (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) | 1,41,084.09 | 1,67,312.12 |
| (20.6.2021 से 20.06.2041 तक अर्धवार्षिक आधार पर 731,720,000 जापानी येन की 1 किस्त और प्रत्येक 731,707,000 जापानी येन की 40 किस्तों में पुनर्भुगतान।) | | |
| **(v) जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से - ऋण-II** (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) | 1,61,077.65 | 1,85,214.60 |
| (20.03.2024 से शुरू करके 20.03.2044 तक अर्धवार्षिक आधार पर 731,000,000 जापानी येन की 1 किस्त और प्रत्येक 730,975,000 जापानी येन की 40 किस्तों में पुनर्भुगतान।) | | |
| **(vi) यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) से - ऋण-I** ((भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) | 1,37,307.88 | 1,46,365.24 |
| (किस्त I - 26.09.2019 से शुरू करके 26.03.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक US$ 662,000 की 32 किस्तों में पुनर्भुगतान)। | | |
| (किस्त II - 15.07.2020 से शुरू करके 15.07.2036 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक US$ 1,999636.36 की 32 किस्तों में और US$ 1,999,636.48 की एक किस्त में पुनर्भुगतान )। | | |
| (किस्त III - 16.02.2021 से शुरू करके 15.08.2036 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक US$ 4,005,375 की 32 किस्तों में पुनर्भुगतान)। | | |
| **(vii) यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) से - ऋण-II** | 1,34,468.18 | 1,39,778.06 |
| ((किस्त I - 27.02.2023 से शुरू करके 27.08.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक US$ 2,263,653.85 की 25 किस्तों में और US$ 2,263,653.75 की एक किस्त में पुनर्भुगतान)। | | |
| (किस्त II - 09.03.2024 से 09.09.2036 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक US$ 4,200,740.74 की 26 किस्तों में और US$ 4,200,740.76 की 1 किस्त में पुनर्भुगतान)। | | |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को परिशोधित लागत पर | 31.03.2023 को परिशोधित लागत पर |
|---|---|---|
| **(viii) भारत सरकार से** | 23,970.00 | 25,692.78 |
| (अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (आईडीए) के तहत - दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना (आईएनआर ऋण) | | |
| (15.10.2010 से शुरू करके 15.04.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक 625,000.00 अमेरिकी डॉलर की 20 किस्तों में तथा प्रत्येक 1,250,000.00 अमेरिकी डॉलर की 30 किस्तों में भारतीय रुपये में देय पुनर्भुगतान।) | | |
| **(ix) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से - ऋण-I** | - | 2,00,000.00 |
| (5.60% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, बुलेट पुनर्भुगतान 26.03.2024 को।) | | |
| **उप-योग (ङ)** | **6,80,719.95** | **9,60,827.05** |
| **अन्य से कुल ऋण (च=घ+ङ)** | **6,80,719.95** | **9,60,827.05** |
| **कुल अवधि ऋण (क=ग+च)** | **31,24,121.17** | **28,67,266.36** |
| **लागत** | | |
| **(ख) मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण:-** | | |
| **असुरक्षित** | | |
| **बैंकों से** | | |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 8,262.43 | - |
| (मानक परिसंपत्तियों से संबंधित बुक ऋण और प्राप्य पर प्रथम पारि पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित, बकाया ऋण के 125% की सीमा तक) | | |
| येस बैंक | - | - |
| **उप योग (ख)** | **8,262.43** | **-** |
| **(ग) एफसीएनआर (ख) मांग ऋण :-*** | | |
| **सुरक्षित** | | |
| **उप योग (ग)** | - | **-** |
| **कुल योग (क+ख+ग)** | **31,32,383.60** | **28,67,266.36** |
| भौगोलिक वार उधार | | |
| भारत में उधार | 22,02,517.03 | 18,53,973.64 |
| भारत के बाहर उधार | 9,29,866.57 | 10,13,292.72 |
| **कुल** | **31,32,383.60** | **28,67,266.36** |

i) विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों जैसे एडीबी, विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू, एएफडी, जेआईसीए और ईआईबी से विदेशी मुद्रा उधार को रुपये में परिवर्तित किया गया है और उसी का बचाव विभिन्न बैंकों के साथ प्लेन वेनिला स्वैप लेनदेन/मुद्रा ब्याज दर स्वैप/मूलधन स्वैप/फॉरवर्ड अनुबंध आदि करके की जाती है, जिनके साथ कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्वैप और व्युत्पन्न संघ (आईएसडीए) मास्टर समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। ये व्युत्पन्नी लेनदेन भागीदार बैंक के साथ परिपक्वता अवधि के लिए किये गये हैं, जो ऋण की परिपक्वता अवधि से कम हो सकती है। विदेशी मुद्रा ऋण का बचाव विभिन्न अंतरालों पर की गयी है और क्रेडिट लाइनों के तहत निकासी और रोलओवर के आधार पर कई किस्तों में की गयी है। ब्याज लागत और अन्य वित्तीय शुल्कों के अलावा, विदेशी मुद्रा ऋणों के बचाव के कारण, इन ऋणों में बचाव /व्युत्पन्नी लागत होती है, जो क्रेडिट लाइन के तहत निकासी के अनुसार किश्तों के अनुसार होती है, इसलिए इन क्रेडिट लाइनों पर लागू ब्याज दर का खुलासा ऊपर नहीं किया गया है।

iii) नोट संख्या 20 में उल्लिखित 31-03-2024 तक रुपया उधार संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थानों की बेंचमार्क दर और 0 बीपीएस से 140 बीपीएस तक के प्रसार पर उगाहा गया था।

iii) बॉण्ड सहित विभिन्न उपकरणों के माध्यम से कंपनी धन उगाहती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने किसी भी ऋण सेवा-दायित्व की सेवा में चूक नहीं की है, चाहे वह मूलधन हो या ब्याज।

iv) वर्ष के दौरान उगाही गयी धनराशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन/सुविधा समझौते में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है।

v) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

vi) कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल किये गये बुक ऋणों के विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### नोट 21 : गौण देयताएं

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को परिशोधित लागत पर | 31.03.2023 को परिशोधित लागत पर |
|---|---|---|
| **क) असुरक्षित** | | |
| **सतत ऋण लिखत/अधिमानी शेयरों के अलावा** | | |
| (i) 9.23% इरेडा कर योग्य असुरक्षित | 15,000.00 | 15,000.00 |
| (गौण स्तरीयर-II बॉण्ड-श्रृंखला VIII- 22.02.2029 को चुकाने योग्य) | | |
| घटाएँ: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 19.36 | 22.38 |
| | 14,980.64 | 14,977.62 |
| (ii)7.74% इरेडा कर योग्य असुरक्षित | 50,000.00 | 50,000.00 |
| (गौण स्तरीयर -II बॉण्ड-एसआर-एक्स-08.05.2030 को चुकाने योग्य) | | |
| घटाएँ: उपर्युक्त पर लेनदेन लागत | 39.41 | 44.32 |
| | 49,960.59 | 49,955.68 |
| **कुल (क)** | **64,941.24** | **64,933.29** |
| **ख) भौगोलिक वार वर्गीकरण** | | |
| भारत में गौण देयताएँ | 64,941.24 | 64,933.29 |
| भारत के बाहर गौण देयताएँ | - | - |
| **कुल (ख)** | **64,941.24** | **64,933.29** |

### नोट : 22 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| (क) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) | 40,194.25 | 36,754.88 |
| (ख) उधार पर अर्जित ब्याज और अन्य शुल्क लेकिन देय नहीं | 62,142.20 | 44,831.04 |
| (ग) अन्य देय: | | |
| एमएनआरई कार्यक्रम निधियाँ | 944.85 | 944.85 |
| एमएनआरई / यूएनडीपी-इरेडा स्कीम फंड [नोट 38(41) देखें] | 23,691.63 | 38,585.53 |
| जीईएफ-एमएनआरई-संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) परियोजना [नोट 38(41ख) देखें] | 273.36 | 256.94 |
| अप्रत्याशित बॉण्ड मूलधन * | 19.60 | 19.60 |
| अप्रत्याशित बॉण्ड ब्याज* | 136.82 | 103.56 |
| एनसीईएफ को देय | 16.95 | 22.36 |
| पट्टा देयता | 403.38 | 433.40 |
| अन्य | 6,206.90 | 11,591.21 |
| **कुल** | **1,34,029.94** | **1,33,543.36** |

*इसमें से कोई भी राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के योग्य नहीं है।

### नोट 23 : प्रावधान

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| **कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान** [नोट संख्या 38(6) देखें] | | |
| -छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान | 903.42 | 697.11 |
| -सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) के लिए प्रावधान | 1,687.60 | 1,384.34 |
| -अस्वस्थता छुट्टी के लिए प्रावधान | 567.55 | 414.57 |
| -बैगेज भत्ते के लिए प्रावधान | 24.04 | 21.60 |
| -विदाई उपहार के लिए प्रावधान | 19.52 | 10.99 |
| **अन्य** | | |
| -अप्रत्यक्ष कर (गारंटी कमीशन पर सहित) और अन्य के लिए प्रावधान | 10,326.86 | 8,311.71 |
| -वित्तीय साधनों (ऋण) पर आकस्मिक प्रावधान* | 85,582.03 | 1,00,975.48 |
| **कुल** | **99,111.02** | **1,11,815.80** |

*गैर निधि जोखिम के लिए प्रावधान सहित और स्टेज III ऋण के लिए प्रावधान को छोड़कर।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### नोट 24 : अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| **अग्रिम में प्राप्त राजस्व** | | |
| अग्रिम में प्राप्त प्रारम्भिक शुल्क | 4,317.06 | 2,838.21 |
| **अन्य अग्रिम** | | |
| अन्य | 94.83 | 60.78 |
| **अन्य** | | |
| भविष्य निधि देय | 4.06 | 58.43 |
| सांविधिक बकाया | 1,190.66 | 1,288.66 |
| एमएनआरई जीओआई पूर्णतः सेवित बॉण्ड्स (अर्जित ब्याज सहित) [नोट 38(42) देखें)] | 1,65,227.76 | 1,65,160.42 |
| विविध देयताएं - ब्याज पूंजीकरण (वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋण) | 8,785.12 | 2,942.77 |
| विश्व बैंक से पूंजी अनुदान [नोट 38(7क) देखें] | 152.05 | 425.40 |
| ऊर्जा परियोजनाओं तक पहुंच के लिए चूक जोखिम न्यूनीकरण निधि (केएफडब्ल्यू VI)# | 968.66 | 924.17 |
| **कुल** | **1,80,740.20** | **1,73,698.86** |

# केएफडब्ल्यू द्वारा केएफडब्ल्यू VI ऋण व्यवस्था के तहत कंपनी के ऊर्जा संविभाग तक समग्र पहुंच के 70% तक चूक जोखिमों को कवर करने के लिए संविभाग जोखिम रक्षित खाता (पीआरआरए) की स्थापना करके प्रदान किया गया। उक्त राशि का उपयोग डीएसआरए समाप्त होने के बाद, एनपीए घोषित होने पर उधारकर्ता के बकाया ऋण सेवा दायित्व के 70% तक की वसूली के लिए किया जाएगा।

### नोट 25 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| **(क) अधिकृत शेयर पूंजी** | | |
| 6,00,00,00,000 (पिछली अवधि 6,00,00,00,000) इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक | 6,00,000.00 | 6,00,000.00 |
| | **6,00,000.00** | **6,00,000.00** |
| **(ख) जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान** | | |
| 2,68,77,64,706 इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक पूरी तरह से भुगतान (पिछले वर्ष : 2,28,46,00,000 इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक)। | 2,68,776.47 | 2,28,460.00 |
| पूरी तरह से भुगतान | | |
| **कुल** | **2,68,776.47** | **2,28,460.00** |

**बकाया शेयरों की संख्या का समाधान:-**

| विवरण | 31.03.2024 को | | 31.03.2023 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | राशि (₹ लाख में) | शेयरों की संख्या | राशि (₹ लाख में) |
| अवधि की शुरुआत में इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10 का) | 2,28,46,00,000 | 2,28,460.00 | 2,28,46,00,000 | 2,28,460.00 |
| जोड़ें:- अवधि के दौरान शेयर जारी और आवंटित | 40,31,64,706 | 40,316.47 | - | - |
| अवधि के दौरान वापस लाये गये | - | - | - | - |
| **अवधि के अंत में इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹10 का)** | **2,68,77,64,706** | **2,68,776.47** | **2,28,46,00,000** | **2,28,460.00** |

**5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:-**

| विवरण | 31.03.2024 को | | 31.03.2023 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | % धारित | शेयरों की संख्या | % धारित |
| भारत सरकार | 2,01,58,23,529 | 75 | 2,28,46,00,000 | 100 |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**अवधि की समाप्ति पर प्रमोटर्स द्वारा धारित शेयरों का विवरण :-**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | | | 31.03.2023 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | कुल शेयरों का % | वर्ष के दौरान परिवर्तन का % | शेयरों की संख्या | कुल शेयरों का % | वर्ष के दौरान परिवर्तन का % |
| भारत सरकार | 2,01,58,23,529 | 75 | 25 | 2,28,46,00,000 | 100 | - |

1 कंपनी ने केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर जारी किये हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर है।

2 इक्विटी शेयरधारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं, जो अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन है।

3 इक्विटी शेयरधारक शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार हैं।

4 कंपनी ने तुलन पत्र की तारीख से ठीक पहले के 5 वर्षों में निम्न कार्य नहीं किये हैं:

क) नकद भुगतान प्राप्त किये बिना इक्विटी शेयर जारी किया।

ख) बोनस शेयर के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी किया।

ग) अपने किसी भी शेयर को वापस नहीं खरीदा।

5 कंपनी के पास शेयरों की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प/अनुबंध/प्रतिबद्धता के तहत जारी करने के लिए कोई इक्विटी शेयर आरक्षित नहीं है। [नोट 38(25) देखें]

6 अदत्त माँग(निदेशकों और अधिकारियों द्वारा अदत्त माँग का कुल मूल्य दिखाते हुए): शून्य

7 जब्त शेयर (मूल रूप से भुगतान की गयी राशि): शून्य

8 पूंजी प्रबंधन के लिए: नोट 38(24) देखें।

**नोट 26 : अन्य इक्विटी ***

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| **(क) आरक्षित निधि और अधिशेष** | | |
| (i) विशेष आरक्षित निधि | 1,58,110.27 | 1,31,710.27 |
| (ii) डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि | 39,774.60 | 39,797.48 |
| (iii) सामान्य आरक्षित निधि | 2,61,048.33 | 1,91,048.33 |
| (iv) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर) | (31,836.88) | (58,039.59) |
| (v) एनबीएफसी आरक्षित निधि | 71,282.69 | 46,182.69 |
| (vi) प्रतिभूति प्रीमियम | 86,363.27 | - |
| | | |
| **(ख) प्रतिधारित आय** | **3,825.67** | **250.54** |
| | | |
| **(ग) नकद प्रवाह बचाव का प्रभावी हिस्सा** | | |
| (i) नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि | (1,401.89) | 14,107.22 |
| **कुल अन्य इक्विटी (क+ख +ग)** | **5,87,166.07** | **3,65,056.95** |

*अवधि के दौरान परिवर्तनों के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण देखें।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**अन्य इक्विटी का विवरण नीचे दर्शाया गया है:**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| **विशेष आरक्षित निधि** | | |
| **आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन** | | |
| वर्ष की शुरुआत में शेष राशि | 1,31,710.27 | 1,16,155.27 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण | 26,400.00 | 15,555.00 |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस लिखा गया | - | - |
| **वर्ष के अंत में शेष राशि** | **1,58,110.27** | **1,31,710.27** |
| | | |
| **डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि** | | |
| वर्ष की शुरुआत में शेष राशि | 39,797.48 | 35,168.37 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण | 4,503.38 | 4,629.11 |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस लिखा गया | 4,526.26 | - |
| **वर्ष के अंत में शेष राशि** | **39,774.60** | **39,797.48** |
| | | |
| **सामान्य आरक्षित निधि** | | |
| वर्ष की शुरुआत में शेष राशि | 1,91,048.33 | 1,42,298.33 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण | 70,000.00 | 48,750.00 |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस लिखा गया | - | - |
| **वर्ष के अंत में शेष राशि** | **2,61,048.33** | **1,91,048.33** |
| | | |
| **विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर)** | | |
| वर्ष की शुरुआत में शेष राशि | (58,039.59) | (42,156.14) |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन /स्थानांतरण | 26,861.85 | (17,889.10) |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान परिशोधन | 659.14 | (2,005.65) |
| **वर्ष के अंत में शेष राशि** | **(31,836.88)** | **(58,039.59)** |
| | | |
| **एनबीएफसी आरक्षित निधि (आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-ISी) [नोट (26.3) देखें]** | | |
| वर्ष की शुरुआत में शेष राशि | 46,182.69 | 28,882.69 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान संयोजन/स्थानांतरण | 25,100.00 | 17,300.00 |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान परिशोधन | - | - |
| **वर्ष के अंत में शेष राशि** | **71,282.69** | **46,182.69** |
| | | |
| **प्रतिभूति प्रीमियम** | | |
| वर्ष की शुरुआत में शेष राशि | - | - |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयरों पर प्रीमियम | 88,696.24 | - |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया शेयर जारी करने का खर्च (कर लाभ का निवल) | 2,332.96 | - |
| **वर्ष के अंत में शेष राशि** | **86,363.27** | **-** |
| | | |
| **प्रतिधारित आय** | | |
| वर्ष की शुरुआत में प्रतिधारित आय | 250.54 | 138.14 |
| जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ | 1,25,222.90 | 86,462.83 |
| जोड़ें: अन्य व्यापक आय | (170.65) | (116.32) |
| घटाएँ: विशेष आरक्षित निधि में स्थानांतरण | 26,400.00 | 15,555.00 |
| जोड़ें/(घटाएँ): डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि में/(से) शुद्ध स्थानांतरण | (22.88) | 4,629.11 |
| घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण | 70,000.00 | 48,750.00 |
| घटाएँ: एनबीएफसी आरक्षित निधि में स्थानांतरण | 25,100.00 | 17,300.00 |
| **वर्ष के अंत में शेष राशि** | **3,825.67** | **250.54** |
| | | |
| **नकद प्रवाह बचाव का प्रभावी हिस्सा** | | |
| **नकद प्रवाह बचाव आरक्षित** | | |
| वर्ष की शुरुआत में शेष राशि | 14,107.22 | 17,864.65 |
| जोड़ें: अन्य व्यापक आय/(व्यय) (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता | (15,509.11) | (3,757.42) |
| **वर्ष के अंत में शेष राशि (करों का निवल)** | **(1,401.89)** | **14,107.22** |
| | | |
| **कुल** | **5,87,166.07** | **3,65,056.95** |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**1 आरक्षित निधि की प्रकृति और उद्देश्य**

**1.1 विशेष आरक्षित निधि :**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत आयकर कटौती का लाभ उठाने हेतु दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के व्यवसाय से प्राप्त कर-पूर्व लाभ के 20% की दर से विशेष आरक्षित निधि बनायी गयी है। तदनुसार, 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु₹ 26,400.00 लाख की राशि प्रदान की गयी है (पिछले वर्ष: ₹15,555.00 लाख)।

**1.2 डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि :**

कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 18 (7)(ख)(ii) के अनुसार, कंपनी को सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किये गये बॉण्डों के 25% तक डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) बनाना आवश्यक है। कंपनी ने डीआरआर के लिए प्रावधान किया है, ताकि कर-मुक्त बॉण्डों की संबंधित अवधि में आवश्यक राशि प्राप्त की जा सके। तदनुसार, 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु₹4,503.38 लाख की राशि प्रदान की गयी है (पिछले वर्ष ₹4,629.11 लाख)।

इसके अतिरिक्त, 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कर मुक्त बांड श्रृंखला XIII ट्रांच 1क और 1ख को क्रम से ₹7,575.90 लाख और ₹10,529.14 लाख की राशि में भुनाया गया। भुनायी गयी राशि का 25% यानी ₹4,526.26 लाख (पिछले वर्ष: ₹ शून्य) की राशि को डीआरआर से वापस ले लिया गया।

**1.3 सामान्य आरक्षित निधि :**

सामान्य आरक्षित निधि का उपयोग समय-समय पर विनियोग उद्देश्यों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे में स्थानांतरित करके बनाया जाता है।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु, सामान्य आरक्षित निधि के लिए ₹70,000.00 लाख की राशि विनियोजित की गयी है (पिछले वर्ष: ₹48,750.00 लाख)।

**1.4 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षिति :**

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा उधार पर असंशोधित विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को दर्शाता है जो संबंधित उधार की अवधि के दौरान परिशोधित होते हैं। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा डी13एए की छूट को अपनाया है, जिसके अनुसार पहली बार अपनाने वाला व्यक्ति पिछले जीएएपी के अनुसार पहले भारतीय लेखा मानक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर के लिए लेखांकन के लिए अपनायी गयी नीति को जारी रख सकता है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेन-देन, लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। 31 मार्च, 2018 तक बकाया दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रचलित दर पर, जिस पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, उससे अलग, एक "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित खाता" में जमा किये जाते हैं और ऐसे दीर्घकालिक मौद्रिक मद के ऐसे प्रत्येक वर्ष में आय या व्यय के रूप में मान्यता देकर शेष वर्ष में परिशोधित किये जाते हैं। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें वे हैं जिनकी उत्पत्ति की तारीख पर बारह महीने या उससे अधिक की अवधि होती है। एफसीएमआईटीआर की चाल ऊपर दी गयी तालिका में दिखायी गयी है।

**1.5 एनबीएफसी आरक्षित निधि :**

आरबीआई परिपत्र संख्या डीएनबीआर (पीडी)सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18 दिनांक 31 मई, 2018 के अनुसार, कंपनी को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के तहत कर-पश्चात लाभ के 20% की दर से एनबीएफसी आरक्षित बनाना आवश्यक है। तदनुसार, 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु, एनबीएफसी आरक्षित के लिए ₹25,100.00 लाख की राशि विनियोजित की गयी है (पिछले वर्ष: ₹17,300.00 लाख)।

**1.6 प्रतिभूति प्रीमियम:**

शेयरों के निर्गम पर प्रीमियम रिकॉर्ड करने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित का उपयोग केवल सीमित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। शेयरों के निर्गम पर व्यय प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, प्रतिभूति प्रीमियम के लिए ₹88,696.24 लाख की राशि प्राप्त हुई है (पिछले वर्ष: शून्य लाख)। आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के विवरण के लिए नोट 38(25) देखें।

**1.7 प्रतिधारित आय:**

प्रतिधारित आय, कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिधारित आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त लाभ और अन्य व्यापक आय की मदों को दर्शाती है, जिसमें से लाभांश वितरण और अन्य आरक्षित निधियों से अंतरण घटाया जाता है।

**1.8 नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि:**

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्नी उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम के बचाव के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। बचाव लेखांकन के तहत नामित व्युत्पन्नी अनुबंध प्रभावी बचाव हैं, बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकदी प्रवाह बचाव के प्रभावी हिस्से' में मान्यता दी जाती है। ऐसे आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जब बचाव की गयी मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है। नकदी प्रवाह बचाव आरक्षित निधि संचालन को ऊपर दी गयी तालिका में दिखाया गया है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### नोट 27 : ब्याज आय

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| (i) ऋण पर ब्याज | 4,78,167.97 | 3,29,758.55 |
| घटाएँ: छूट | 3,280.18 | 1,895.46 |
| ऋण पर ब्याज (शुद्ध) | 4,74,887.79 | 3,27,863.08 |
| (ii) निवेश पर ब्याज आय | | |
| -भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज | 670.65 | 670.42 |
| (iii) बैंकों के पास जमा पर ब्याज | | |
| -अल्पकालिक जमा-भारतीय रुपये | 2,867.11 | 7,778.91 |
| -अल्पकालिक जमा-विदेशी मुद्रा | 462.46 | - |
| (iv) अन्य ब्याज आय | | |
| -बचत बैंक खाते पर ब्याज | 8.47 | 19.10 |
| (v) अंतर ब्याज | 3,343.98 | 1,051.15 |
| **कुल** | **4,82,240.46** | **3,37,382.67** |

वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज, परिशोधित लागत पर मापा गया

### नोट 28 : शुल्क और कमीशन आय

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **व्यावसायिक सेवा शुल्क** | | |
| (i) शुल्क आधारित आय | 1,720.66 | 2,189.59 |
| (ii) परामर्श शुल्क | 15.56 | 23.74 |
| (iii) गारंटी कमीशन | 3,153.80 | 807.38 |
| **कुल व्यावसायिक सेवा शुल्क (क)** | **4,890.01** | **3,020.72** |
| | | |
| **सेवा शुल्क** | | |
| (i) सरकारी योजना कार्यान्वयन | 1,110.91 | 712.57 |
| **कुल सेवा शुल्क - सरकारी योजना कार्यान्वयन (ख)** | **1,110.91** | **712.57** |
| **कुल (क+ख)** | **6,000.92** | **3,733.28** |

### नोट 29 : उचित मूल्य परिवर्तनों पर शुद्ध लाभ/(हानि)*

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| व्यापारिक निवेश सूची के अलावा लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर शुद्ध लाभ/(हानि) | | |
| (i) व्युत्पन्नी | | |
| - विदेशी मुद्रा ऋण के लिए लिये गये व्युत्पन्नी कवर पर उचित मूल्य परिवर्तन | (1,125.53) | 1,242.79 |
| उचित मूल्य परिवर्तन: | | |
| - प्राप्त | - | - |
| - अप्राप्त | (1,125.53) | 1,242.79 |
| **उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल शुद्ध लाभ/(हानि)** | **(1,125.53)** | **1,242.79** |

*इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उपार्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अलावा हैं।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### नोट 30 : अन्य परिचालन आय

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| i) सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व* | | |
| बिजली की बिक्री (क) | 2,980.31 | 2,745.33 |
| घटाएँ: ग्राहक को छूट (ख) | 59.61 | 54.91 |
| सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व (शुद्ध) (ग=क-ख) | 2,920.70 | 2,690.42 |
| | | |
| ii) निवेश की बिक्री से लाभ | - | - |
| Iii) अशोध्य ऋण की वसूली | 6,357.02 | 3,148.32 |
| **कुल (i+ii+iii)** | **9,277.73** | **5,838.75** |

*[नोट संख्या 38(29) और 38(30) देखें]

### नोट 31 : अन्य आय

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| अतिरिक्त प्रावधान बट्टे खाते में डाला गया | 0.97 | - |
| कर्मचारी ऋण पर ब्याज | 129.21 | 94.86 |
| किराये से आय [नोट संख्या 38(19) देखें)] | 1.80 | - |
| अन्य | 3.55 | 12.07 |
| **कुल** | **135.53** | **106.93** |

### नोट 32 : वित्त लागत*

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| उधार पर ब्याज | 2,02,798.50 | 1,18,880.41 |
| ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज | 96,230.70 | 74,669.99 |
| अधीनस्थ देनदारियों पर ब्याज | 5,258.96 | 5,254.50 |
| अन्य उधार लागत | 12,046.04 | 9,824.44 |
| उधार पर लेनदेन लागत | 39.79 | 176.24 |
| पट्टा देयता पर ब्याज | 36.17 | 38.24 |
| **कुल** | **3,16,410.15** | **2,08,843.82** |

*वित्तीय देनदारियों पर वित्त लागत को परिशोधन लागत के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है

### नोट 33 : शुद्ध परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| निवल परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि | (993.72) | 396.92 |
| एफसीएमआईटीआर का परिशोधन | (659.14) | 2,005.65 |
| **कुल** | **(1,652.85)** | **2,402.56** |

### नोट 34 : वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| ऋण | (6,721.67) | 6,657.91 |
| **कुल** | **(6,721.67)** | **6,657.91** |

वित्तीय उपकरणों पर हानि को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।
अधिक जानकारी के लिए नोट संख्या 38(20) देखें।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### नोट 35 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| वेतन एवं मजदूरी | 5,798.20 | 5,177.13 |
| भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान | 489.76 | 492.48 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | 829.36 | 573.54 |
| मानव संसाधन विकास व्यय | 14.60 | 66.13 |
| **कुल** | **7,131.92** | **6,309.29** |

### नोट 36 : मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास (नोट संख्या 5 देखें) | 2,421.69 | 2,166.13 |
| अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (नोट संख्या 18 देखें) | 62.70 | 3.64 |
| निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास (नोट संख्या 19 देखें) | 0.49 | 0.59 |
| परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का परिशोधन (नोट संख्या 31 देखें) | 549.87 | 179.48 |
| **कुल** | **3,034.75** | **2,349.84** |

### नोट 37 : अन्य व्यय

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| किराया, कर और बिजली | 1,604.72 | 1,585.20 |
| मरम्मत और रखरखाव | 726.24 | 592.91 |
| संचार लागत | 113.50 | 146.24 |
| मुद्रण और लेखन-सामग्री | 49.37 | 54.02 |
| विज्ञापन और प्रचार | 1,057.24 | 1,870.93 |
| निदेशक की फीस, भत्ते और व्यय | 178.43 | 91.71 |
| लेखा-परीक्षक की फीस और व्यय [नोट संख्या 38(38) देखें] | 54.67 | 49.61 |
| कानूनी और पेशेवर शुल्क | 2,406.00 | 1,146.24 |
| यात्रा और परिवहन | 674.11 | 422.50 |
| बीमा | 13.92 | 24.21 |
| अशोध्य ऋण | - | 800.46 |
| क्रेडिट रेटिंग व्यय | 130.05 | 169.63 |
| पीपीई की बिक्री पर हानि | 64.29 | 13.01 |
| अन्य व्यय | 579.68 | 151.97 |
| **कुल** | **7,652.22** | **7,118.64** |

# नोट - 38 - वित्तीय विवरण के लिए नोट

**1. कंपनी अवलोकन**

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, ईस्ट कोर्ट, कोर- 4ए, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 में स्थित है। कंपनी को 27 सितंबर, 2023 के डीपीई पत्र के मार्फ़त अनुसूची "क" का दर्जा भी दिया गया है।

आरबीआई या अन्य विनियामक द्वारा जारी किये गये किसी भी निर्देश को जारी होने पर लागू किया जाता है। मास्टर निर्देश- भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 (यथा संशोधित) के अनुसार, जिसे मास्टर निर्देश 2023 के रूप में संदर्भित किया गया है, कंपनी एनबीएफसी-मध्य परत (एमएल) के अंतर्गत आती है। कंपनी को आरबीआई द्वारा 13 मार्च, 2023 के पत्र के मार्फ़त इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) का दर्जा दिया गया है, जिसे मास्टर निर्देश 2023 के अनुसार "एनबीएफसी-आईएफसी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी के इक्विटी शेयर और गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और/या बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (एसओसीआईई) एनबीएफसी हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन III के अधीन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करना आवश्यक है। भारतीय लेखा मानक 7 - नकद प्रवाह विवरण की आवश्यकता के अनुसार नकद प्रवाह का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

**2. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-10 "रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ" के संबंध में प्रकटीकरण**

**वित्तीय विवरणों का अनुमोदन**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा **19 अप्रैल, 2024** को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

**3. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-12 "आयकर" के संबंध में प्रकटीकरण**

**क. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कर**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **निम्नलिखित से संबंधित वर्तमान कर व्यय :** | | |
| वर्तमान वर्ष | 39,811.56 | 24,163.72 |
| पिछले वर्ष* | 1,491.57 | 1,153.55 |
| **उप योग (क)** | **41,303.13** | **25,317.27** |
| **आस्थगित कर व्यय** | | |
| अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिवर्तन | 1,997.90 | 2,144.82 |
| **उप योग (ख)** | **1,997.90** | **2,144.82** |
| **कुल (ग=क+ख)** | **43,301.03** | **27,462.09** |
| परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर मान्यता प्राप्त कर व्यय/(बचत) और नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि (घ) में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा | (5,273.52) | (1,302.84) |
| **लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल कर (ग+घ)** | **38,027.51** | **26,159.25** |

*चालू वर्ष में निर्धारित

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**ख. अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कर**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आयकर | (57.39) | (39.12) |
| नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर प्रभावी हिस्से पर आयकर | (5,216.13) | (1,263.72) |
| **अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल कर** | **(5,273.52)** | **(1,302.84)** |

**ग. अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त कर**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| शेयर जारी करने के व्यय पर कर लाभ | 784.64 | - |
| **अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त कुल कर** | 784.64 | - |

**घ. कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाधान**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **कर और ओसीआई पूर्व लाभ** | **1,47,570.65** | **1,08,748.34** |
| लागू आयकर दर (%) | 25.17% | 25.17% |
| अपेक्षित आयकर | 37,140.58 | 27,369.78 |
| | | |
| **आयकर समायोजन का कर प्रभाव** | | |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की बिक्री पर मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि | (59.19) | 6.47 |
| आस्थगित मद एवं ओसीआई समायोजन | 59.57 | 42.93 |
| एफसीएमआईटीआर का परिशोधन | 5,216.13 | 1,263.72 |
| वित्तीय लिखतों पर क्षति | 1,787.71 | 1,201.38 |
| आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृति | 275.50 | (11.86) |
| आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) के तहत कटौती | (8,454.34) | (5,116.20) |
| सीएसआर व्यय एवं अन्य | 553.50 | 175.53 |
| अन्य कटौती योग्य कर व्यय | (0.14) | - |
| प्रदान किया गया अतिरिक्त कर | 16.61 | 73.95 |
| पिछले वर्षों से संबंधित कर व्यय | 1,491.57 | 1,153.54 |
| **लाभ और हानि विवरण में कुल कर व्यय** | **38,027.50** | **26,159.26** |
| बुक आय पर वास्तविक प्रभावी आयकर दर (%) | 25.77% | 24.05% |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### ङ. आस्थगित कर संचलन

**31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

(₹ लाख में)

| विवरण | 01.04.2023 को निवल शेष | लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त | ओसीआई में मान्यता प्राप्त | अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त | 31.03.2024 को निवल शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ** | | | | | |
| गारंटी कमीशन पर अप्रत्यक्ष कर एवं अन्य के लिए प्रावधान | 2,091.89 | 224.96 | - | - | 2,316.85 |
| सेवा कर और अन्य के लिए प्रावधान | 295.67 | 18.52 | - | - | 314.19 |
| छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान | 175.45 | 51.92 | - | - | 227.37 |
| उपदान हेतु प्रावधान | - | - | 11.02 | - | 11.02 |
| सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ हेतु प्रावधान | 348.41 | (392.12) | 43.70 | - | 0.00 |
| अस्वस्थता छुट्टी हेतु प्रावधान | 104.34 | 38.50 | - | - | 142.84 |
| बैगेज भत्ते के लिए प्रावधान | 5.44 | 0.80 | (0.18) | - | 6.05 |
| विदाई उपहार के लिए प्रावधान | 2.77 | (0.70) | 2.85 | - | 4.91 |
| कार्य-प्रदर्शन प्रोत्साहन के लिए प्रावधान | 305.39 | (305.39) | - | - | 0.00 |
| वित्तीय लिखतों पर हानि के लिए प्रावधान | 39,363.02 | (3,479.42) | - | - | 35,883.59 |
| प्रारम्भिक भाग शुल्क - बहियों में आस्थगित | 4,894.63 | 567.42 | - | - | 5,462.05 |
| शेयर जारी करने का खर्च | - | (156.93) | - | 784.64 | 627.71 |
| **कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | **47,587.00** | **(3,432.43)** | **57.39** | **784.64** | **44,996.60** |
| **आस्थगित कर देयताएँ** | | | | | |
| मूल्यह्रास और परिशोधन | 4,574.95 | (188.72) | - | - | 4,386.23 |
| विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर) | 12,850.32 | (1,378.57) | - | - | 11,471.75 |
| बॉण्ड पर लेनदेन लागत | 61.37 | 132.95 | - | - | 194.31 |
| ऋण पर लेनदेन लागत | 0.18 | (0.18) | - | - | - |
| **कुल आस्थगित कर देयताएं** | **17,486.82** | **(1,434.53)** | **-** | **-** | **16,052.29** |
| **शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)** | **30,100.18** | **(1,997.90)** | **57.39** | **784.64** | **28,944.31** |

**31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु**

(₹ लाख में)

| विवरण | 01.04.2022 को निवल शेष | लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त | ओसीआई में मान्यता प्राप्त | अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त | 31.03.2023 को निवल शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ** | | | | | |
| गारंटी कमीशन पर अप्रत्यक्ष कर एवं अन्य हेतु प्रावधान | 1,865.24 | 226.65 | - | - | 2,091.89 |
| सेवा कर और अन्य हेतु प्रावधान | 277.20 | 18.47 | - | - | 295.67 |
| छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान | 167.26 | 8.18 | - | - | 175.45 |
| उपदान हेतु प्रावधान | - | 6.89 | (6.89) | - | - |
| सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान | 290.31 | 56.36 | 1.74 | - | 348.41 |
| अस्वस्थता छुट्टी हेतु प्रावधान | 109.63 | (5.30) | - | - | 104.34 |
| बैगेज भत्ते हेतु प्रावधान | 5.29 | 0.70 | (0.56) | - | 5.44 |
| विदाई उपहार हेतु प्रावधान | 2.71 | (0.02) | 0.07 | - | 2.77 |
| कार्य-प्रदर्शन प्रोत्साहन हेतु प्रावधान | 202.02 | 103.37 | - | - | 305.39 |
| वित्तीय लिखतों पर हानि हेतु प्रावधान | 38,888.74 | 474.28 | - | - | 39,363.02 |
| प्रारम्भिक भाग शुल्क - बहियों में आस्थगित | 2,953.90 | 1,940.73 | - | - | 4,894.63 |
| शेयर जारी करने का खर्च | - | - | - | - | - |
| **कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | **44,762.30** | **2,830.32** | **(5.63)** | **-** | **47,587.00** |
| **आस्थगित कर देयताएँ** | | | | | |
| मूल्यह्रास और परिशोधन | 4,907.50 | (332.55) | - | - | 4,574.95 |
| विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन आरक्षित निधि (एफसीएमआईटीआर) | 7,589.05 | 5,261.27 | - | - | 12,850.32 |
| बॉण्ड पर लेनदेन लागत | 59.87 | 1.50 | - | - | 61.37 |
| ऋण पर लेनदेन लागत | - | 0.18 | - | - | 0.18 |
| **कुल आस्थगित कर देयताएं** | **12,556.42** | **4,930.40** | **-** | **-** | **17,486.82** |
| **शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)** | **32,205.88** | **(2,100.08)** | **(5.63)** | **-** | **30,100.18** |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट
## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

**च. कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानि/अप्रयुक्त कर क्रेडिट को अग्रेषित किया गया**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | समाप्ति की तारीख | 31.03.2023 को | समाप्ति की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानि/अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिसके लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं है | - | लागू नहीं | - | लागू नहीं |

**छ. कुल वर्तमान कर और आस्थगित कर जो सीधे अन्य इक्विटी/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हैं**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| परिभाषित लाभहित योजनाओं के पुनः मापन पर कर | 57.39 | 39.12 |
| नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखतों पर लाभ/ (हानि) के प्रभावी हिस्से पर कर | 5,216.13 | 1,263.72 |
| शेयर जारी करने के व्यय पर कर | 784.64 | - |
| **कुल** | **6,058.16** | **1,302.84** |

**4. अप्रकटित आय**

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में चालू एवं पिछले वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं था जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न किया गया हो, जिसे आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो। इस प्रकार, लेखा पुस्तकों में आगे कोई लेखा-जोखा रखने की आवश्यकता नहीं है।

**5. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-16 "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के संबंध में प्रकटीकरण**

**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में शामिल डीकमीशनिंग देयताएँ**

इंड एएस 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, परिशिष्ट ए "मौजूदा विमुद्रीकरण, पुनर्बहाली और समान देयताओं में परिवर्तन" के अनुसार, विमुद्रीकरण, पुनर्बहाली या समान देयता में निर्दिष्ट परिवर्तनों को उस परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जाना चाहिए जिससे यह संबंधित है; फिर परिसंपत्ति की समायोजित मूल्यह्रास राशि को उसके शेष उपयोगी जीवन पर भावी रूप से मूल्यह्रास किया जाता है।

इंड एएस 16 के पैरा 55 के अनुसार, किसी परिसंपत्ति की मूल्यह्रास राशि उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाने के बाद निर्धारित की जाती है। सौर संयंत्र से संबंधित डीकमीशनिंग देयता और अवशिष्ट मूल्य की राशि विश्वसनीय रूप से पता लगाने योग्य नहीं है। इसलिए, सौर संयंत्र से संबंधित विमुद्रीकरण देयता और अवशिष्ट मूल्य पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, प्रबंधन की राय है कि डीकमीशनिंग लागत (सौर संयंत्र के अवशिष्ट मूल्य का निवल), महत्वपूर्ण नहीं होगी।

**6. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-19 "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटीकरण**

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:-

- **भविष्य निधि:** 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर भविष्य निधि में अंशदान के संबंध में ₹ 287.27 लाख (पिछले वर्ष : ₹ 251.41 लाख) व्यय की पहचान की है और लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित किया है जिसमें खंड संख्या 27एए के उप-खंड संख्या 28 अर्थात निवेश के मूल्य में कमी के कारण ट्रस्ट को होने वाले नुकसान के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना,1952 की छूट के नियम और शर्तों के अनुसार ₹ शून्य लाख (पिछले वर्ष: ₹ शून्य लाख) का अंशदान शामिल है। कंपनी पीएफ ट्रस्ट द्वारा कोई भी राशि (यदि वसूल की गयी है) कंपनी को वापस कर दी जाएगी।

- **राष्ट्रीय पेंशन योजना / सेवा-निवृत्ति हितलाभ निधि (परिभाषित अंशदान निधि):** 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में अंशदान के संबंध में ₹ 216.55 लाख (पिछले वर्ष: ₹ 185.57 लाख) के व्यय की पहचान की है तथा लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट
## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**अन्य लाभ:**

- **अर्जित अवकाश लाभ (ईएल):** प्रति वर्ष 30 दिन उपचय। सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार नकदीकरण। सेवा-निवृत्ति या सेवा-निवृत्ति पर नकदीकरण अधिकतम 300 दिन, जिसमें एचपीएल शामिल है।

  31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अर्जित अवकाश के लिए ₹ 304.76 लाख (पिछले वर्ष: ₹72.75 लाख) प्रतिचिह्नित की है।

- **अर्ध वेतन अवकाश लाभ (एचपीएल):** प्रति वर्ष 10 पूर्ण दिन अर्जित। सेवा में रहते हुए कोई नकदीकरण नहीं। सेवा-निवृत्ति या सेवा-निवृत्ति पर नकदीकरण अधिकतम 300 दिन, जिसमें ईएल शामिल है।

  31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अर्ध वेतन अवकाश के लिए ₹ 151.41 लाख (पिछले वर्ष: ₹37.93 लाख) प्रतिचिह्नित की है।

- **उपदान:** सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन अर्जित किया जाएगा। निहित अवधि 05 वर्ष है, तथा 01.01.2017 से लागू वेतन संशोधन के पश्चात भुगतान 20 लाख तक सीमित है।

  31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, ऑन रोल कर्मचारी के लिए तुलन-पत्र में उपदान के लिए मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्ति ₹ 21.07 लाख (पिछले वर्ष: ₹ शून्य लाख) है, जबकि ₹1,218.50 लाख की देयता के प्रति ₹1,239.57 लाख की परिसंपत्ति धारित हैं (पिछले वर्ष: ₹1,114.80 लाख की देयता के प्रति ₹1,188.83 लाख)।

- **सेवा-निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):** कंपनी बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं में योगदान देती है। इस योजना के तहत पात्र पूर्व कर्मचारियों और पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

  31.03.2024 को समाप्त वर्ष के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, कंपनी ने पीआरएमबी के लिए ₹172.58 लाख (पिछले वर्ष: ₹136.22 लाख) प्रदान किये हैं।

- **सामान भत्ता:** सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर बसने के हकदार होते हैं, और वे सामान भत्ते के लिए पात्र होते हैं।

  31.03.2024 को समाप्त वर्ष के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, सामान भत्ते के लिए कंपनी ने ₹3.17 लाख (पिछले वर्ष: ₹2.82 लाख) प्रदान किये हैं।

- **विदाई उपहार:** कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति के समय, कंपनी इस उद्देश्य के लिए बनायी गई नीति के अनुसार कर्मचारी को विदाई उपहार प्रदान करती है। उपहार का मूल्य सेवा-निवृत्त कर्मचारी के पदनाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

  31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने विदाई उपहार के लिए ₹2.21 लाख (पिछले वर्ष : ₹1.32 लाख) प्रदान किये हैं।

  लाभ और हानि, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और तुलन-पत्र तथा अन्य प्रकटीकरणों के विवरण में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है: -

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ **दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन।**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | समाप्त वर्ष | उपदान (वित्तपोषित) | अस्वस्थता अवकाश | अर्जित अवकाश | सामान (अवित्तपोषित) | पीआरएमबी | विदाई उपहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 31.03.2024 | 1,191.31 | 482.79 | 762.13 | 21.60 | 1,384.34 | 10.99 |
| | 31.03.2023 | 1,157.04 | 435.61 | 703.71 | 21.04 | 1,153.49 | 10.77 |
| ब्याज लागत | 31.03.2024 | 82.27 | 30.59 | 51.45 | 1.59 | 102.16 | 0.81 |
| | 31.03.2023 | 80.56 | 31.45 | 47.98 | 1.52 | 83.28 | 0.78 |
| वर्तमान सेवा लागत | 31.03.2024 | 66.13 | 108.31 | 164.82 | 1.58 | 70.41 | 1.40 |
| | 31.03.2023 | 58.32 | 30.42 | 73.46 | 1.30 | 52.95 | 0.55 |
| पिछली सेवा लागत | 31.03.2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 31.03.2023 | - | - | - | - | - | - |
| भुगतान किये गये हितलाभ | 31.03.2024 | (162.64) | (66.66) | (163.46) | - | (42.98) | (5.00) |
| | 31.03.2023 | (127.13) | (58.97) | (79.37) | (0.84) | (57.19) | (1.40) |
| दायित्व पर बीमांकिक हानि/(लाभ) | 31.03.2024 | 41.43 | 12.50 | 88.49 | (0.73) | 173.65 | 11.32 |
| | 31.03.2023 | (53.99) | (23.94) | (48.68) | (2.26) | 151.81 | (0.29) |
| अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 31.03.2024 | 1,218.50 | 567.55 | 903.42 | 24.04 | 1,687.60 | 19.52 |
| | 31.03.2023 | 1,114.80 | 414.57 | 697.11 | 21.60 | 1,384.34 | 10.99 |

❖ **नियोजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन।**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | समाप्त वर्ष | उपदान (वित्तपोषित) | अस्वस्थता अवकाश | अर्जित अवकाश | सामान (अवित्तपोषित) | पीआरएमबी | विदाई उपहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 31.03.2024 | 1,188.84 | - | - | - | - | - |
| | 31.03.2023 | 1,167.44 | - | - | - | - | - |
| प्रारंभिक निधि में अंतर | 31.03.2024 | - | - | - | - | - | - |
| | 31.03.2023 | - | - | - | - | - | - |
| योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न | 31.03.2024 | 86.56 | - | - | - | - | - |
| | 31.03.2023 | 84.29 | - | - | - | - | - |
| मृत्यु प्रभार | 31.03.2024 | (1.19) | - | - | - | - | - |
| | 31.03.2023 | (4.84) | - | - | - | - | - |
| नियोक्ता योगदान | 31.03.2024 | 51.04 | - | - | - | - | - |
| | 31.03.2023 | 69.07 | - | - | - | - | - |
| अन्य संगठन से प्राप्त निधि | 31.03.2024 | 76.51 | - | - | - | - | - |
| | 31.03.2023 | - | - | - | - | - | - |
| भुगतान किये गये लाभ | 31.03.2024 | (162.18) | - | - | - | - | - |
| | 31.03.2023 | (127.13) | - | - | - | - | - |
| अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 31.03.2024 | 1,239.57 | - | - | - | - | - |
| | 31.03.2023 | 1,188.83 | - | - | - | - | - |

❖ **तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त राशि**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | समाप्त वर्ष | उपदान (वित्तपोषित) | अस्वस्थता अवकाश | अर्जित अवकाश | सामान (अवित्तपोषित) | पीआरएमबी | विदाई उपहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य | 31.03.2024 | 1,218.50 | 567.55 | 903.42 | 24.04 | 1,687.60 | 19.52 |
| | 31.03.2023 | 1,114.80 | 414.56 | 697.10 | 20.76 | 1,384.34 | 10.99 |
| अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 31.03.2024 | 1,239.57 | - | - | - | - | - |
| | 31.03.2023 | 1,188.84 | - | - | - | - | - |
| तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध (देयता)/परिसंपत्ति | 31.03.2024 | 21.07 | (567.55) | (903.42) | (24.04) | (1,687.60) | (19.52) |
| | 31.03.2023 | - | (414.56) | (697.10) | (21.60) | (1,384.34) | (10.99) |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ **लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि**

(₹ लाख में)

| विवरण | समाप्त वर्ष | उपदान | अस्वस्थता अवकाश | अर्जित अवकाश | सामान | पीआरएमबी | विदाई उपहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (वित्तपोषित) | (अवित्तपोषित) | | | | |
| वर्तमान सेवा लागत | 31.03.2024 | 66.13 | 108.31 | 164.82 | 1.58 | 70.41 | 1.40 |
| | 31.03.2023 | 58.32 | 30.42 | 73.46 | 1.30 | 52.95 | 0.55 |
| ब्याज लागत | 31.03.2024 | 82.27 | 30.59 | 51.45 | 1.59 | 102.16 | 0.81 |
| | 31.03.2023 | 80.56 | 31.45 | 47.98 | 1.52 | 83.28 | 0.78 |
| योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिफल | 31.03.2024 | 87.74 | - | - | - | - | - |
| | 31.03.2023 | 84.29 | - | - | - | - | - |
| लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय | 31.03.2024 | (15.05) | 151.41 | 304.76 | 3.17 | 172.58 | 2.21 |
| | 31.03.2023 | 54.59 | 37.93 | 72.76 | 2.82 | 136.23 | 1.33 |
| अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त राशि | 31.03.2024 | 43.80 | - | - | 0.73 | (173.65) | (11.32) |
| | 31.03.2023 | 5.59 | - | - | 2.26 | (151.81) | (0.29) |

❖ **बीमांकिक धारणा**

(₹ लाख में)

| विवरण | समाप्त वर्ष | उपदान | अस्वस्थता अवकाश | अर्जित अवकाश | सामान | पीआरएमबी | विदाई उपहार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (वित्तपोषित) | (अवित्तपोषित) | | | | |
| छूट की दर | 31.03.2024 | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% | 7.23% |
| | 31.03.2023 | 7.38% | 7.38% | 7.38% | 7.38% | 7.38% | 7.38% |
| वेतन वृद्धि की दर | 31.03.2024 | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | - |
| | 31.03.2023 | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | - |
| व्यवहृत पद्धति | 31.03.2024 | पीयूसी | पीयूसी | पीयूसी | पीयूसी | पीयूसी | पीयूसी |
| | 31.03.2023 | | | | | | |

❖ **परिभाषित हितलाभ दायित्व का संवेदनशील विश्लेषण।**

(₹ लाख में)

| क) छूट की दर में परिवर्तन का असर | उपदान | अस्वस्थता अवकाश | अर्जित अवकाश | सामान | पीआरएमबी | विदाई उपहार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (वित्तपोषित) | (अवित्तपोषित) | | | | |
| अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 1,218.50 | 567.55 | 903.42 | 24.04 | 1,687.60 | 19.52 |
| 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव | (47.74) | (19.13) | (42.96) | (0.96) | (58.22) | (0.64) |
| 0.50% की कमी के कारण प्रभाव | 51.34 | 21.72 | 46.27 | 1.04 | 61.19 | 0.74 |
| **ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर** | **ग्रेच्युटी** | **अस्वस्थता अवकाश** | **अर्जित अवकाश** | **सामान** | **पीआरएमबी** | **विदाई उपहार** |
| अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 1,218.50 | 567.55 | 903.42 | 24.04 | 1,687.60 | - |
| 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव | 17.72 | 21.78 | 46.42 | 1.04 | 62.02 | - |
| 0.50% की कमी के कारण प्रभाव | (20.77) | (19.26) | (43.21) | (0.97) | (59.61) | - |

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएँ भौतिक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है। भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवा-निवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएँ लागू नहीं होती हैं।

- **कार्य-प्रदर्शन से संबंधित वेतन**

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कार्य-प्रदर्शन से संबंधित वेतन के लिए ₹490.94 लाख (पिछले वर्ष: ₹935.54 लाख सृजित किये गये थे) का प्रावधान (निवल प्रतिवर्तन) किया है। वर्ष के दौरान अंतर्निहित योजना के अनुसार पात्र कर्मचारियों को ₹884.38 लाख (पिछले वर्ष: ₹524.82 लाख) की राशि का भुगतान किया गया।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट
## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**7. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-20 "सरकारी अनुदान के लिए लेखा और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण**

**क) पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु अनुदान**

**विश्व बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) अनुदान: -**

अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित प्राप्त विश्व बैंक सीटीएफ अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर परिशोधन व्यय में कटौती के रूप में व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38(18) देखें।

कंपनी को 31.03.2024 तक कुल ₹ 550.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है (पिछले वर्ष: ₹425.40 लाख) जिसमें कंपनी को प्रतिपूर्ति और विक्रेताओं के लिए प्रत्यक्ष संवितरण शामिल है। कंपनी ने 31.03.2024 तक अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद के लिए शेष अनुदान के रूप में ₹152.05 लाख (पिछले वर्ष : ₹425.40 लाख) का प्रकटीकरण किया है। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में "अन्य गैर-वित्तीय देनदारियों" (नोट 24 देखें) के अधीन "विश्व बैंक-स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) से पूंजी अनुदान" के रूप में उक्त अनुदान का प्रकटीकरण किया है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए अनुदान की गतिविधि इस प्रकार है:

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 425.40 | 311.16 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान | 124.60 | 114.24 |
| लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त अनुदान | 397.95 | - |
| अंतिम शेष | 152.05 | 425.40 |

**ख) राजस्व अनुदान**

विश्व बैंक ऋण सहायता के अंतर्गत ऋण आवेदनों का आकलन करने हेतु बाहरी परामर्शदाता को नियुक्त करने के लिए कंपनी को विश्व बैंक से राजस्व अनुदान "तकनीकी सहायता" (टीए) प्राप्त हुआ है, जिसकी राशि 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु₹244.83 लाख है (पिछले वर्ष : ₹49.96 लाख)। कंपनी भारतीय लेखा मानक 20 "सरकारी अनुदान और सहायता" का अनुपालन करती है और उसे संबंधित व्यय में कटौती के रूप में अपने राजस्व अनुदान को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपनायी है।

केएफडब्ल्यू IV और VI ऋण श्रृंखलाओं के अधीन क्रम से 'सोलर पीवी परियोजना पाइपलाइन कार्यक्रम' और 'स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम तक पहुंच' हेतु परामर्शदाताओं को नियुक्त हेतु कंपनी को केएफडब्ल्यू से राजस्व अनुदान "तकनीकी सहायता" (टीए) प्राप्त हुआ है, जिसकी राशि 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु ₹ शून्य लाख (पिछले वर्ष: ₹164.44 लाख) है। कंपनी भारतीय लेखा मानक 20 "सरकारी अनुदान और सहायता" का अनुपालन करती है और उसने अपने राजस्व अनुदान को संबंधित व्यय में कटौती के रूप में प्रस्तुत करना अपनाया है।

निम्न तालिका लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि का प्रकटीकरण करती है:-

**(₹ लाख में)**

| समाप्त वर्ष | प्राप्त टीए घटक | टीए के तहत किये गये व्यय | लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त निवल राशि |
|---|---|---|---|
| 31.03.2024 | 244.83 | 244.83 | - |
| 31.03.2023 | 214.40 | 214.40 | - |

**8. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-21 "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" के संबंध में प्रकटीकरण**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| | नामे/(जमा) | नामे/(जमा) |
| लाभ और हानि विवरण में नामे/(जमा) किये गये निवल विनिमय अंतर की राशि | (1,652.85) | 2,402.56 |
| अन्य व्यापक आय में नामे/(जमा) किये गये निवल विनिमय अंतर की राशि | 4,184.84 | 22,058.82 |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**9. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-23 "उधार लागत" के संबंध में प्रकटीकरण**

₹ शून्य (पिछले वर्ष:₹शून्य)

**10. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण**

**क. सरकार और सरकार संबंधित संस्थाओं के अलावा अन्य के लिए प्रकटीकरण**

**संबंधित पक्ष की सूची**

**31.03.2024 को**

| प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) | | |
|---|---|---|
| **संबंधित पक्ष का नाम** | **संबंध का प्रकार** | **अवधि** |
| श्री प्रदीप कुमार दास | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक[1] | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| | निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार[1] | 01.04.2023 से 12.10.2023 तक |
| | निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार[1] | 01.04.2023 से 04.03.2024 तक |
| डॉ. बिजय कुमार मोहंती | निदेशक- वित्त[2] | 12.10.2023 से 31.03.2024 तक |
| | मुख्य वित्तीय अधिकारी[2] | 16.10.2023 से 31.03.2024 तक |
| | निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार[2] | 05.03.2024 से 31.03.2024 तक |
| श्री पदम लाल नेगी | निदेशक - सरकारी नामित[3] | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| श्री अजय यादव | निदेशक - सरकारी नामित[3] | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट | निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[4] | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर | निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[5] | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| श्री राम निहाल निषाद | निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[6] | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| श्रीमती रोहिणी रावत | निदेशक -स्वतंत्र निदेशक[6] | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| डॉ. आर. सी. शर्मा | जीएम (एफएंडए) और मुख्य वित्तीय अधिकारी[2] | 01.04.2023 से 16.10.2023 तक |
| श्रीमती एकता मदान | कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी[7] | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |

**31.03.2023 को**

| प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) | | |
|---|---|---|
| **संबंधित पक्ष का नाम** | **संबंध का प्रकार** | **अवधि** |
| श्री प्रदीप कुमार दास | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक[1] | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक |
| | निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार [1] | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक |
| | निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार [1] | 05.03.2023 से 31.03.2023 तक |
| श्री चिंतन नवीनभाई शाह | निदेशक-तकनीकी[8] | 01.04.2022 से 04.03.2023 तक |
| श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन | निदेशक - सरकारी नामित[9] | 01.04.2022 से 25.10.2022 तक |
| श्री दिनेश दयानंद जगदले | निदेशक - सरकारी नामित[9] | 01.04.2022 से 07.02.2023 तक |
| श्री पदम लाल नेगी | निदेशक - सरकारी नामित[3] | 07.02.2023 से 31.03.2023 तक |
| श्री अजय यादव | निदेशक - सरकारी नामिती[3] | 14.02.2023 से 31.03.2023 तक |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

| प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)<br>संबंधित पक्ष का नाम | संबंध का प्रकार | अवधि |
|---|---|---|
| श्री शब्दशरण ब्रह्मभट्ट | निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[4] | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक |
| डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर | निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[5] | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक |
| श्री राम निहाल निषाद | निदेशक - स्वतंत्र निदेशक[6] | 09.03.2023 से 31.03.2023 तक |
| श्रीमती रोहिणी रावत | निदेशक-स्वतंत्र निदेशक[6] | 09.03.2023 से 31.03.2023 तक |
| डॉ. आर. सी. शर्मा | जीएम (एफ एंड ए) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी[2] | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक |
| श्री सुरेन्द्र सुयाल | कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी[7] | 01.04.2022 से 31.10.2022 तक |
| श्रीमती एकता मदान | कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी[7] | 01.11.2022 से 31.03.2023 तक |

[1] श्री प्रदीप कुमार दास को 06 मई, 2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें 06 मई, 2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके बाद, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने समय-समय पर श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी को निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा और आखिरी बार 06 नवंबर, 2022 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या नियमित पदधारी द्वारा पद का प्रभार ग्रहण करने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया।

एमएनआरई ने 30 अगस्त, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को 5 मार्च, 2023 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या पद पर नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (तकनीकी) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान किया है। तदनुसार, उक्त प्रभार 04 मार्च, 2024 तक वैध था।

[2] डॉ. बिजय कुमार मोहंती को एमएनआरई आदेश संख्या 1/22/2017-इरेडा दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 द्वारा 12 अक्टूबर, 2023 (अपराह्न) से पांच साल की अवधि के लिए कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, डॉ. बिजय कुमार मोहंती, निदेशक (वित्त) को 16 अक्टूबर, 2023 से डॉ. आर.सी. शर्मा, जीएम (एफ एंड ए) के स्थान पर कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, एमएनआरई ने कार्यालय आदेश संख्या 1/13/2017-इरेडा दिनांक 27 मार्च, 2024 के तहत निदेशक (तकनीकी) के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री बिजय कुमार मोहंती, निदेशक (वित्त) को 5 मार्च, 2024 से 6 (छह) महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सौंपा गया है।

[3] एमएनआरई ने अपने आदेश संख्या 340/85/2017-इरेडा दिनांक 7 फरवरी, 2023 के तहत श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं एफए, एमएनआरई और श्री अजय यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई को कंपनी के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया है। हालांकि, श्री अजय यादव का डीआईएन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) से 14 फरवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था। तदनुसार, श्री अजय यादव को 14 फरवरी, 2023 से कंपनी का निदेशक माना जाता है।

[4] एमएनआरई ने अपने आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा दिनांक 21 जनवरी, 2022 के तहत श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को तत्काल प्रभाव से तीन वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया। हालाँकि, चूंकि आरओसी से 28 जनवरी, 2022 को डीआईएन प्राप्त किया गया था, तदनुसार, उन्हें 28 जनवरी, 2022 से कंपनी का निदेशक माना जाता है।

[5] एमएनआरई ने अपने आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा दिनांक 28 मार्च, 2022 के तहत डॉ. जगनाथ सी. एम. जोड़ीधर को आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया। हालाँकि, चूंकि आरओसी से 31 मार्च, 2022 को डीआईएन प्राप्त किया गया था। तदनुसार, उन्हें 31 मार्च, 2022 से कंपनी का निदेशक माना जाता है।

[6] एमएनआरई ने अपने आदेश संख्या 340-11/1/2018-इरेडा दिनांक 06 मार्च, 2023 के तहत श्री राम निहाल निषाद और श्रीमती रोहिणी रावत को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है। हालांकि, दोनों निदेशकों का डीआईएन 09 मार्च, 2023 को आरओसी से प्राप्त किया गया था। तदनुसार, उन्हें 09 मार्च, 2023 से कंपनी का निदेशक माना जाता है।

[7] 31 अक्टूबर, 2022 को श्री सुरेंद्र सुयाल (कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी) की सेवा-निवृत्ति के बाद, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के अनुपालन में श्रीमती एकता मदान, वरिष्ठ प्रबंधक (निगमित मामले) को कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में, श्री पीयूष कुमार, डीजीएम (कानून) को श्रीमती पुन्नू ग्रोवर, डीजीएम (वित्त एवं लेखा) के स्थान पर 16 फरवरी, 2024 से कंपनी के मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

[8] श्री चिंतन एन. शाह, निदेशक (तकनीकी) ने 4 मार्च, 2023 (अपराह्न) को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। तदनुसार, वे 4 मार्च, 2023 से कंपनी के निदेशक नहीं रहेंगे।

[9] एमएनआरई ने 31 अक्टूबर, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन, भूतपूर्व संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमएनआरई का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 25 अक्टूबर, 2022 को पूरा हो गया है। तदनुसार, श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन 26 अक्टूबर, 2022 से कंपनी के सरकारी नामित निदेशक नहीं रहेंगे। एमएनआरई ने अपने आदेश संख्या 340/85/2017-इरेडा दिनांक 7 फरवरी, 2023 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री दिनेश दयानंद जगदले, निदेशक संयुक्त सचिव, एमएनआरई 7 फरवरी, 2023 से कंपनी के सरकारी नामित निदेशक नहीं रहेंगे।

**<u>कंपनी की नियंत्रणाधीन निधियाँ</u>**

- इरेडा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
- इरेडा कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट
- इरेडा कर्मचारी हितैषी निधि
- इरेडा विनिमय जोखिम प्रशासन निधि (गैर-परिचालन)

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### i. केएमपी को मुआवजा

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| अल्पकालिक हितलाभ | | |
| - बैठक का शुल्क (स्वतंत्र निदेशकों को) | 91.40 | 45.60 |
| - अन्य (वेतन) | 180.70 | 226.54 |
| रोजगार के बाद के लाभ | 16.82 | 23.70 |
| **कुल** | **288.92** | **296.00** |

नोट:-

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) को सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मासिक शुल्क के भुगतान पर प्रति माह 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार की अनुमति भी दी गयी है।
- कार्यात्मक निदेशकों के लिए ग्रेच्युटी फंड में योगदान अलग से निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एलआईसी में योगदान कर्मचारी के अनुसार नहीं किया जाता है।
- प्रकार्यात्मक निदेशक के लिए अवकाश नकदीकरण, सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, विदाई उपहार आदि का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और यह उपर्युक्त दिये गये मुआवजे के अतिरिक्त है।

### ii. केएमपी को और से ऋण व अग्रिम:

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **केएमपी को दिये गये ऋण एवं अग्रिम** | | |
| वर्ष की शुरुआत में शेष राशि | 39.57 | 64.98 |
| वर्ष के दौरान दिये गये ऋण व अग्रिम | 11.65 | 2.60 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त पुनर्भुगतान | 10.65 | 20.85 |
| वर्ष के दौरान लिया गया ब्याज | - | 0.37 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज | 8.52 | 7.53 |
| **वर्ष के अंत में शेष राशि** | **32.05** | **39.57** |

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **केएमपी से ऋण व अग्रिम** | | |
| वर्ष की शुरुआत में शेष राशि | - | - |
| वर्ष के दौरान दिये गये ऋण और अग्रिम | - | - |
| **वर्ष के अंत में शेष राशि** | - | - |

**संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन की प्रमुख नियम और शर्तें**

1. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन सुरक्षित और सुविधाजनक लेन-देन की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार होता है।
2. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और ऋण एवं अग्रिम कंपनी सेवा नियमों के अनुरूप हैं।
3. संबंधित पक्षों के लिए कोई लंबित प्रतिबद्धता नहीं है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**ख. सरकार और सरकारी संस्थाओं के साथ किये गये लेनदेन का प्रकटीकरण**

**(₹ लाख में)**

| सरकार/ सरकारी संस्था का नाम | कंपनी के साथ सम्बन्ध की प्रकृति | लेनदेन की प्रकृति | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लेनदेन | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लेनदेन | 31.03.2024 को शेष राशि | 31.03.2023 को शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) | प्रशासनिक मंत्रालय | ऋण पुनर्भुगतान - एमएनआरई के जरिये आईडीए | 2,064.49 | 1,977.55 | 23,970.00 | 25,692.78 |
| | | ब्याज भुगतान | 189.64 | 196.38 | - | |
| | | गारंटी शुल्क भुगतान* | 11,763.06 | 8,885.18 | - | - |
| | | एमएनआरई (भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड) के पक्ष में कर योग्य बॉण्ड की उगाही | - | - | भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड<br>सीरीज-I: 61,000.00<br>सीरीज-Iए : 22,000.00<br>सीरीज-Iबी : 81,000.00<br>कुल : 1,64,000.00 | भारत सरकार पूर्णतः सेवित बॉण्ड<br>सीरीज-I: 61,000.00<br>सीरीज-Iए : 22,000.00<br>सीरीज-Iबी : 81,000.00<br>कुल : 1,64,000.00 |

*वित्त वर्ष 2023-24 हेतु राशि को इंगित करता है।

कंपनी भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन में ऐसे लेन-देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अन्य सीपीएसयू के साथ टेलीफोन व्यय, हवाई यात्रा और जमा आदि जैसे अन्य लेन-देन भी किये हैं। वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए उनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है। सभी लेन-देन बाजार की शर्तों पर किये जाते हैं।

एक ही सरकार के नियंत्रण/संयुक्त नियंत्रण के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन निम्नानुसार हैं:-

**(₹ लाख में)**

| कंपनी का नाम | लेनदेन की प्रकृति | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लेनदेन | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लेनदेन | 31.03.2024 को शेष [नामे/(जमा)] | 31.03.2023 को शेष [नामे/(जमा)] |
|---|---|---|---|---|---|
| रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड | ऋण का पुनर्भुगतान | 1,739.59 | 577.63 | 41,165.21 | 19,602.80 |
| रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड | ऋण का संवितरण | 23,302.00 | 6,144.00 | 41,165.21 | 19,602.80 |
| भारतीय स्टेट बैंक | ऋण का पुनर्भुगतान | 73.20 | 89.45 | 152.51 | 225.71 |
| ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड | ऋण का पुनर्भुगतान | 2,482.86 | - | 5,517.14 | - |
| भारतीय जीवन बीमा निगम | किराया-शाखा कार्यालय | 7.27 | 7.34 | - | - |
| एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड | अनुरक्षण शुल्क | 155.02 | 134.09 | 54.02 | 24.55 |
| पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | इंटरनेट कनेक्टिविटी शुल्क | 18.49 | 8.93 | - | - |
| सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया | व्यय की प्रतिपूर्ति | - | - | 9.37 | 9.37 |
| केंद्रीय भंडारण निगम | कार्यालय स्वच्छता | 25.61 | 29.76 | (1.46) | - |
| एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड | ऋण का संवितरण | - | 1,52,991.00 | 1,52,991.00 | 1,52,991.00 |
| राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान | किराया आय | 1.80 | - | 1.80 | - |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

वर्ष के दौरान, कंपनी को सरकार से सम्बन्धी संस्थाओं से ऋणों पर ₹16,080.67 लाख (पिछले वर्ष : ₹3,998.57 लाख) का ब्याज और ₹4,295.66 लाख (पिछले वर्ष: ₹667.08 लाख) के मूलधन का पुनर्भुगतान भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, भारत सरकार (जीओआई) के आदेश के अनुसार कार्यान्वित की गयी विभिन्न योजनाओं के लिए सेवा शुल्क के रूप में ₹1,110.91 लाख (पिछले वर्ष : ₹712.57 लाख) की राशि का हिसाब लगाया गया है। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 28 देखें।

**11. प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को दिये गये ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम, या तो अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में हैं , जो कि:**

(क) मांग पर चुकाने योग्य हैं या

(ख) कोई भी शर्त या चुकौती की अवधि निर्दिष्ट किये बिना

**(₹ लाख में)**

| उधार का प्रकार | 31.03.2024 को | | 31.03.2023 को | |
|---|---|---|---|---|
| | बकाया ऋण के रूप में ऋण या अग्रिम राशि | ऋण के रूप में कुल ऋण या अग्रिम राशि का % | बकाया ऋण के रूप में ऋण या अग्रिम राशि | ऋण के रूप में कुल ऋण या अग्रिम राशि का % |
| प्रमोटर | शून्य | | शून्य | |
| निदेशक | | | | |
| केएमपी | | | | |
| अन्य सम्बंधित पक्ष | | | | |

**12. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-27 "पृथक वित्तीय विवरण" के संबंध में प्रकटीकरण**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| सहयोगी / सहायक / संयुक्त उद्यम में निवेश | शून्य | शून्य |

कंपनी आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) - जीआईएफटी (गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी) सिटी में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के निगमन की प्रक्रिया में है, जिसका प्रस्तावित नाम "इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी आईएफएससी लिमिटेड" है, जिसे आरओसी, दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी ने इसके लिए ₹ 0.02 लाख (पिछले वर्ष : ₹ शून्य लाख) का व्यय उपगत किया है।

कंपनी रूफटॉप सोलर, पीएम कुसुम योजना और अन्य बी2सी खंडों के संबंध में खुदरा ऋण देने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के निगमन का इरादा रखती है। इस संबंध में एक अनुरोध प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

**13. कंपनियों के स्तरों की संख्या का अनुपालन**

कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी (स्तरों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 में यथा निर्दिष्ट के अनुसार कंपनियों के स्तरों में निवेश नहीं किया है।

**14. व्यवस्था की स्वीकृत योजना(ओं) का अनुपालन**

चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की कोई योजना अनुमोदित नहीं की गयी है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### 15. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-33 "प्रति शेयर आय (ईपीएस)" के संबंध में प्रकटीकरण

#### क. मूल ईपीएस

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। मूल ईपीएस की गणना इस प्रकार है:

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| वर्ष हेतु लाभ/(हानि), कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों पर अधिरोप्य (₹ लाख) | 1,25,222.90 | 86,462.83 |
| मूल आय प्रति शेयर की गणना में व्यवहृत आय (क)(₹ लाख) | 1,25,222.90 | 86,462.83 |
| मूल आय प्रति शेयर के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (ख) | 2,68,77,64,706* | 2,28,46,00,000 |
| प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में) | 10 | 10 |
| **मूल ईपीएस (क/ख) (₹ में)** | **5.16** | **3.78** |

*26.11.2023 को नये इक्विटी शेयरों के आवंटन पर विचार करते हुए (2,28,46,00,000*366/366) +(4,03,16,47,060*128/366) के रूप में गणना की गयी।

#### ख. मंदित ईपीएस

प्रति शेयर मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष हेतु निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी मंदित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। मंदित ईपीएस की गणना इस प्रकार है: -

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (₹ लाख) | 1,25,222.90 | 86,462.83 |
| मंदित आय प्रति शेयर की गणना में उपयोग की गयी आय (क) (₹ लाख) | 1,25,222.90 | 86,462.83 |
| मंदित आय प्रति शेयर के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (ख) | 2,68,77,64,706* | 2,28,46,00,000 |
| प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में) | 10 | 10 |
| **मंदित ईपीएस (क/ख) (₹ में)** | **5.16** | **3.78** |

*26.11.2023 को नये इक्विटी शेयरों के आवंटन पर विचार करते हुए (2,28,46,00,000*366/366) +(4,03,16,47,060*128/366) के रूप में गणना की गयी।

### 16. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-36 "परिसंपत्तियों की हानि" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर यह आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति और/या नकद उत्पादक इकाई की हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो प्रत्येक परिसंपत्ति और/या नकद उत्पादक इकाई की वहन राशि की तुलना शुद्ध बिक्री मूल्य या उपयोग में मूल्य में से अधिक होने वाली वसूली योग्य राशि से करके परिसंपत्तियों की हानि की जाती है। उपयोग में मूल्य का निर्धारण परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से अनुमानित भावी नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य से किया जाता है। कंपनी को चालू और पिछले वर्ष के दौरान कोई हानि नहीं हुई है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### 17. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के संबंध में प्रकटीकरण

**क) आकस्मिक देयताएं:**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| क) कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें कर्ज़ के रूप में प्रतिचिह्नित नहीं किया गया है | | |
| i कराधान मांगें: | | |
| आयकर मामले[1] | 1,829.90 | 23,776.48 |
| सेवा कर तथा माल व सेवा कर (जीएसटी) मामले[2] | 26,593.66 | 21,492.48 |
| ii अन्य[3] | 415.28 | 348.69 |
| ख) वित्तीय गारंटी को छोड़कर गारंटी | | |
| i. गारंटी | 1,03,244.79 | 48,611.41 |
| ii. लेटर ऑफ कम्फर्ट/भुगतान आदेश लिखत जारी किया गया और बकाया | 59,416.42 | 1,36,654.23 |
| ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है | | |
| i. कार्यालय व आवासीय भवनों के संबंध में संपत्ति कर [वित्तीय विवरणों हेतु नोट 38 (34) देखें] | अनपेक्षित | अनपेक्षित |

**[1]आयकर**

निर्धारण वर्ष 2014-15 और निर्धारण वर्ष 2020-21 के आयकर मामलों से यह संबंधित है जो सीआईटी (अपील) के समक्ष लंबित हैं, जबकि निर्धारण वर्ष 2022-23 का मामला आयकर अधिनियम की धारा 154 के अधीन सुधार के लिए आगे बढ़ाया गया है। कंपनी को अपील के तहत शामिल विभिन्न मुद्दों के संबंध में अनुकूल परिणाम की उम्मीद है और इस प्रकार अन्य वर्षों में कंपनी के खिलाफ तय किये गये मुद्दों को छोड़कर, जिनके लिए उचित प्रावधान किया गया है, किसी और प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है।

निर्धारण वर्ष 2010-11 से निर्धारण वर्ष 2018-19 [निर्धारण वर्ष 2014-15 को छोड़कर, जो आयकर आयुक्त (ए) के समक्ष लंबित है] के आयकर मामलों के लिए, कंपनी को आयकर आयुक्त (ए) द्वारा पारित दिनांक 22.03.2024 के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गयी है। अपील के प्रभावी होने के लिए आदेश की प्राप्ति तक, कंपनी ने कंपनी के पक्ष में अनुमति न दिये गये मामलों के लिए ₹1,479.60 लाख (पिछले वर्ष: शून्य) प्रदान किये हैं और शेष मांग, हालांकि अंतिम रूप से निर्धारित नहीं की गयी है, इसे आकस्मिक देयता नहीं माना जाता है क्योंकि अनुमति दी गयी वस्तुओं के लिए कोई बहिर्वाह संभावित नहीं माना जाता है। संबंधित आदेश प्राप्त होने पर किसी भी समायोजन का हिसाब लगाया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी के पास अनुमति न दिये गये मामलों के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च प्राधिकारियों से अपील करने का विकल्प है।

पिछले वर्षों (निर्धारण वर्ष 1998-99 - निर्धारण वर्ष 2009-10) के आयकर मामलों के लिए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.12.2023 के आदेश के माध्यम से कंपनी के पक्ष में रिट याचिका का फैसला किया और कहा कि न्यायाधिकरण के दिनांक 21.11.2014 और 29.05.2015 के आदेशों के अनुसार, निर्धारण वर्ष 1998-99 से निर्धारण वर्ष 2009-10 तक की कर निर्धारण कार्यवाही समय-बाधित हो गयी है और इस प्रकार ए.ओ. को लौटायी गयी आय को स्वीकार करने और परिणामी आदेश पारित करने का निर्देश दिया। ऐसे परिणामी आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है और किसी भी समायोजन का हिसाब संबंधित आदेशों की प्राप्ति पर लगाया जाएगा।

**[2]सेवा कर और वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) मामले**

कंपनी को आयुक्त, न्यायनिर्णयन, केंद्रीय कर, जीएसटी दिल्ली पूर्व से दिनांक 15.03.2022 को मांग/आदेश का नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें कंपनी पर वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए ₹11,709.11 लाख (लागू ब्याज को छोड़कर) की मांग की गयी थी। हालांकि कंपनी का तर्क है कि पूरी मांग सीमा बाधित है, लेकिन इसने परिमित आधार पर ब्याज सहित ₹1,248.39 लाख (पिछले वर्ष : ₹1,174.80 लाख) प्रदान किया है। मामले में कानून और तथ्यों के आधार पर, ₹22,995.18 लाख (पिछले वर्ष: ₹21,492.48 लाख) की सेवा कर मांग (ब्याज सहित) को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है। इसके अलावा, चूंकि कंपनी एक सरकारी उद्यम है, इसलिए इसके पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा अधिरोपित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, ऐसे मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों के आधार पर सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए दंड को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण के लिए नहीं माना गया है। कंपनी ने इस मामले में 15.06.2022 को सीईएसटीएटी, नई दिल्ली में अपील दायर की है और यह लंबित है।

कंपनी को अप्रैल 2016 से जून 2017 की अवधि के लिए प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर सरकार को भुगतान की गयी गारंटी शुल्क पर सेवा कर की वसूली पर अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णय) के कार्यालय से दिनांक 25.03.2022 का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें कर के लिए ₹ 2,072.89 लाख, दंड के लिए ₹ 2,072.89 लाख और उस पर लागू ब्याज की मांग की गयी थी। जबकि कंपनी ने इसके खिलाफ 24.06.2022 को माननीय सीईएसटीएटी, मुंबई के समक्ष अपील दायर की थी, इसने कर और उस पर ब्याज के लिए ₹6,309.78 लाख (पिछले वर्ष: ₹5,683.73 लाख) की अपेक्षित व्यवस्था की है और ₹2,072.89 लाख (पिछले वर्ष : ₹शून्य लाख) की जुर्माना राशि को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

कंपनी को केंद्रीय कर अपील आयुक्त-1, दिल्ली के कार्यालय से दिनांक 31.01.24 का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार 01.07.2017 से 26.07.2018 की अवधि के लिए प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर सरकार को भुगतान की गयी गारंटी शुल्क पर जीएसटी की वसूली के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है। जबकि कंपनी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की प्रक्रिया में है, इसने विरोध के तहत ₹1,327.87 लाख की कर राशि का भुगतान किया है और कर तथा उस पर ब्याज के लिए ₹2,895.75 लाख (पिछले वर्ष: ₹2,627.98 लाख) की अपेक्षित राशि का प्रावधान किया है। ₹1,525.58 लाख (पिछले वर्ष: ₹शून्य लाख) की जुर्माना राशि को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

[3]इसमें महिला निदेशक की नियुक्ति न करने के मामले में कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा लगाया गया ₹2.62 लाख (पिछले वर्ष: ₹2.62 लाख) का जुर्माना शामिल है। कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए निदेशकों की नियुक्ति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है और इसलिए इस पर प्रावधान के लिए विचार नहीं किया गया है। कंपनी ने क्षेत्रीय निदेशक (एनआर) एमसीए के समक्ष अपील दायर की है। मामला अभी भी निर्णय के

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट
## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

लिए लंबित है। इसमें कंपनी की सेवा से कर्मचारियों की बर्खास्तगी के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ रिट याचिका के रूप में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों से संबंधित ₹377.56 लाख (पिछले वर्ष: ₹346.07 लाख) की राशि भी शामिल है। इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं है। इसमें कंपनी के पूर्व-प्रकार्यात्मक निदेशकों के रोके गये पीआरपी से संबंधित ₹35.10 लाख (पिछले वर्ष : ₹ शून्य लाख) भी शामिल हैं, जो स्पष्टीकरण के लिए लंबित हैं। उपर्युक्त के अलावा, कंपनी ने कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के उद्देश्य से नामित स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कार्य करने के लिए एनएसई को ₹990.12 लाख की बैंक गारंटी भी प्रस्तुत की है।

**ख) आकस्मिक परिसंपत्तियां : शून्य** (पिछले वर्ष : अवनिर्धारणयोग्य)

**ग) प्रतिबद्धताएँ** **(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| **पूंजी प्रतिबद्धताएँ:** | | |
| पूंजी खाते पर निष्पादित किये जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि | - | 1,299.53 |

### 18. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) - 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के संबंध में प्रकटीकरण

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ़्टवेयर - माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 (डी 365) के विकास के लिए किये गये व्यय से संबंधित ₹ 363.80 लाख (पिछले वर्ष ₹शून्य लाख) की लाइसेंस फीस सहित ₹ 937.28 लाख की राशि को पूंजीकृत किया है। कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति (ईआरपी) के जीवनकाल में लाभ और हानि के विवरण में ईआरपी से संबंधित प्राप्त विश्व बैंक सीटीएफ अनुदान [वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 38 (7 ए) देखें] को मान्यता दी है और इसे ₹ 397.95 लाख (पिछले वर्ष: ₹ शून्य लाख) की राशि के कम परिशोधन व्यय के रूप में प्रस्तुत किया है।

31.03.2024 तक, कंपनी ने उपर्युक्त से संबंधित "विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों" के अधीन ₹शून्य लाख (पिछले वर्ष: ₹485.57 लाख) की राशि का प्रकटीकरण किया है। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 15 और 38 (7 क) देखें।

### 19. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) -40 "निवेश संपत्ति" के संबंध में प्रकटीकरण

निवेश संपत्ति में जंगपुरा, नई दिल्ली में एक आवासीय फ्लैट शामिल है जिसे तीसरे पक्ष को पट्टे पर दिया गया है। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 11 देखें।

**(i) आय और व्यय का विवरण:**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| किराये से आय* | 1.80 | - |
| प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण) | 1.17 | 0.24 |

*01.01.2024 से किराये पर दिया गया।

**(ii) निवेश संपत्ति का उचित मूल्य:**

निवेश संपत्ति का बाजार मूल्य [कंपनियों (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अधीन परिभाषित एक पंजीकृत आईबीबीआई मूल्यांकनकर्ता द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार] 31.03.2024 को ₹ 289.68 लाख आंका गया है, जो 04 अप्रैल, 2024 की मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है (पिछले वर्ष: ₹258.16 लाख)।

### 20. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 107- "वित्तीय साधन प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी ने क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालन जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक नीति ढांचा स्थापित किया है। जोखिम प्रबंधन नीति को जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति एक बोर्ड स्तर की समिति है, जिसके पास संगठन के जोखिम प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी है। जोखिम प्रबंधन नीति को उभरते बाजार के रुझानों और कंपनी के अपने अनुभव के आधार पर समय-समय पर परिष्कृत किया जाता है। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली जोखिम प्रबंधन समिति जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में स्वतंत्र जोखिम निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। आरबीआई दिशा-निर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन नीतियों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए शासी ढांचा बनाते हैं। कंपनी के पास आरबीआई के निर्देश के अनुसार एक नामित मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

कंपनी में एक विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति, तथा एक विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी प्रबंधन समिति (एफएमसी) मौजूद है और विदेशी मुद्रा उधार पर मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को न्यूनतम करने/कम करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप आदि जैसे बचाव लिखत का उपयोग किया जाता है। बचाव लिखत का उपयोग केवल बचाव उद्देश्य के लिए किया जाता है, न कि व्यापार या सट्टा लिखत के रूप में किया जाता है।

अपने व्यावसायिक परिचालन के दौरान कंपनी जिन प्रमुख जोखिमों का सामना करती है, वे हैं क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालन जोखिम। इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक पहचान की जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और कार्यान्वित जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से उनका प्रबंधन किया जाता है। यह नोट उन जोखिमों के स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे इकाई को सम्मुखीन होना पड़ता है और इकाई जोखिम और वित्तीय विवरणों में बचाव लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन कैसे करती है।

| जोखिम | निम्न से उत्पन्न जोखिम | मापन | प्रबंधन |
|---|---|---|---|
| क्रेडिट जोखिम | ऋण, प्राप्य, नकद और नकद समकक्ष, और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | एजिंग विश्लेषण और क्रेडिट रेटिंग | विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया, ऋण सांद्रता सीमा, संपार्श्विक, अतिरिक्त गारंटी व परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण। |
| तरलता जोखिम | ऋण प्रतिभूतियाँ, उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) और अधीनस्थ देयताएँ और अन्य वित्तीय देयताएँ | नकद प्रवाह पूर्वानुमान | प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों, उधार सुविधाओं और अल्पकालिक ऋणों/डब्ल्यूसी सीमाओं और ओडी सीमाओं की उपलब्धता। |
| बाजार जोखिम- विदेशी मुद्रा | विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय परिसंपत्तियाँ व देयताएँ | नकद प्रवाह पूर्वानुमान व संवेदनशीलता विश्लेषण | विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, स्वैप आदि जैसे बचाव लिखत |
| बाजार जोखिम- ब्याज दर | परिवर्तनीय दरों पर उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) | संवेदनशीलता विश्लेषण | ब्याज दर स्वैप |
| बाजार जोखिम- सुरक्षा कीमत | निवेश | संवेदनशीलता विश्लेषण | पोर्टफोलियो विविधीकरण |

### क. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम ऋण परिचालन में निहित जोखिम है और यह उधारकर्ताओं की क्रेडिट गुणवत्ता में कमी और उधारकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान में चूक के जोखिम से उत्पन्न होता है। क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली मौजूद है। इस प्रक्रिया में परियोजनाओं का मूल्यांकन, बाहरी एजेंसियों द्वारा रेटिंग और क्रेडिट जोखिम का आकलन, जोखिम को कम करने के लिए उचित संरचना के साथ-साथ अन्य क्रेडिट जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। कंपनी अपने जोखिमों को साझा क्रेडिट जोखिम विशेषता के आधार पर छोटे समरूप संविभाग में विभाजित करती है, जैसा कि नीचे निम्नलिखित क्रम में वर्णित है : -

- सुरक्षित/असुरक्षित यानी, इस आधार पर कि ऋण सुरक्षित हैं या नहीं।
- सुरक्षा की प्रकृति यानी, यदि ऋण सुरक्षित होने का निर्धारण किया जाता है तो सुरक्षा की प्रकृति।
- ऋण की प्रकृति यानी, आरई क्षेत्र जिसके लिए ऋण बढ़ाया गया है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं, इसके लिए वित्तीय लिखत के शेष जीवन में होने वाले चूक के जोखिम में परिवर्तन पर विचार किया जाता है। यह निर्धारित करने में कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से चूक का जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है या नहीं, कंपनी 30 दिनों से अधिक की देरी को एक पैरामीटर के रूप में मानती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देने वाले किसी अन्य अवलोकनीय निविष्टि पर भी विचार करती है।

कंपनी वित्तीय लिखत को चूक में तब परिभाषित करती है जब रिपोर्टिंग तिथि पर उसके पास हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हों। इसने चरण III के तहत इन ऋणों का मूल्यांकन चूक के समय, परियोजना के प्रदर्शन/संचालन के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर किया है। कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप ईसीएल मॉडल के आधार पर वित्तीय लिखतों पर हानि की पहचान की है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**संपार्श्विक और अन्य ऋण संवर्द्धन**

अपेक्षित संपार्श्विक की राशि और प्रकार ऋण जोखिम के आकलन पर निर्भर करता है। संपार्श्विक के मुख्य प्रकार हैं एफडीआर/बीजी, प्रमोटरों से संबंधित अचल संपत्ति पर प्रभार और मामले-दर-मामले के आधार पर कॉरपोरेट गारंटी।

(क) कंपनी व्यक्तिगत प्रतिपक्षकारों और उद्योग सांद्रता हेतु स्वीकार किये जाने वाले जोखिम की मात्रा पर सीमाएँ निर्धारित करके और ऐसी सीमाओं के संबंध में जोखिमों की निगरानी करके ऋण जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करती है।

**i. अपेक्षित ऋण हानियों हेतु प्रावधान**

| चरण | श्रेणी | श्रेणी का विवरण | अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान की मान्यता का आधार |
|---|---|---|---|
| | | | ऋण |
| चरण 1 | मानक परिसंपत्तियाँ | ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ प्रतिपक्ष के पास दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है और जहाँ चूक जोखिम नगण्य या शून्य/नियमित रूप से भुगतान करने वाली परिसंपत्तियाँ हैं | 12 महीने ईसीएल |
| चरण 2 | बढ़े हुए ऋण जोखिम वाले ऋण | ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। | जीवन भर अपेक्षित ऋण हानियाँ |
| चरण 3 | ऋण- क्षतिग्रस्त | ऐसी परिसंपत्तियाँ जहाँ चूक की उच्च संभावना है और बट्टे खाते में डाली गयी परिसंपत्तियाँ जहाँ वसूली की कम उम्मीद है | जीवन भर अपेक्षित ऋण हानियाँ |

**ii. महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय**

**वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि**

**(क) ऋणों के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल)**

**(₹ लाख में)**

| चरण | परिसंपत्ति समूह | 31.03.2024 को ऋण संविभाग | 31.03.2024 को ईसीएल |
|---|---|---|---|
| चरण I | ऋण | 56,06,230.46 | 27,098.35 |
| चरण II | ऋण | 2,12,443.43 | 57,530.36 |
| चरण III | ऋण | 1,41,085.31 | 82,964.16 |
| | **कुल** | **59,59,759.20*** | **1,67,592.87** |

* ₹ 8,785.12 लाख के वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋण (एफआईटीएल) शेष राशि को छोड़कर, जिस पर बहियों में समतुल्य देयता स्थायी है।

**(₹ लाख में)**

| चरण | परिसंपत्ति समूह | 31.03.2023 को ऋण संविभाग | 31.03.2023 को ईसीएल |
|---|---|---|---|
| चरण I | ऋण | 43,90,224.54 | 51,530.87 |
| चरण II | ऋण | 1,61,976.23 | 49,183.62 |
| चरण III | ऋण | 1,51,335.42 | 74,533.03 |
| | **कुल** | **47,03,536.19*** | **1,75,247.52** |

* ₹ 2942.77 लाख के वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋण (एफआईटीएल) शेष राशि को छोड़कर, जिस पर बहियों में समतुल्य देयता स्थायी है।

**(ख) सरलीकृत दृष्टिकोण के अधीन व्यापार प्राप्तियों हेतु अपेक्षित ऋण हानि :**

**(₹ लाख में)**

| एजिंग (31.03.2024 को) | देय नहीं | देय से 0-30 दिन बाद | देय से 31-60 दिन बाद | देय से 31-90 दिन बाद | देय से 91-120 दिन बाद | देय से 120 से ज़्यादा दिन बाद | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सकल वहन राशि* | 297.47 | - | - | - | - | - | 297.47 |
| अपेक्षित हानि दर | - | - | - | - | - | - | - |
| अपेक्षित ऋण हानियाँ (हानि भत्ता प्रावधान) | - | - | - | - | - | - | - |
| व्यापार की वहन राशि प्राप्य (क्षति के बाद निवल) | 297.47 | - | - | - | - | - | 297.47 |
| **31.03.2024 को शेष राशि** | **297.47** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **297.47** |

*सौर ऊर्जा उत्पादन के व्यवसाय से प्राप्त व्यापार को दर्शाता है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

| एजिंग (31.03.2023 को) | देय नहीं | देय से 0-30 दिन बाद | देय से 31-60 दिन बाद | देय से 61-90 दिन बाद | देय से 91-120 दिन बाद | देय से 120 से ज़्यादा दिन बाद | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सकल वहन राशि* | 302.80 | - | - | - | - | - | 302.80 |
| अपेक्षित हानि दर | - | - | - | - | - | - | - |
| अपेक्षित ऋण हानियाँ (हानि भत्ता प्रावधान) | - | - | - | - | - | - | - |
| व्यापार की वहन राशि प्राप्य (क्षति के बाद निवल) | 302.80 | - | - | - | - | - | 302.80 |
| **31.03.2023 को शेष राशि** | **302.80** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **302.80** |

*सौर ऊर्जा उत्पादन के व्यवसाय से प्राप्त व्यापार को दर्शाता है।

### ख. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जिसमें कोई कंपनी पर्याप्त नकद और विपणन योग्य प्रतिभूतियों की कमी या वित्तपोषण की उपलब्धता के कारण अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। विवेकपूर्ण चलनिधि जोखिम प्रबंधन में नकद, विपणन योग्य प्रतिभूतियों और प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं का उचित स्तर बनाए रखना शामिल है ताकि दायित्वों को पूरा किया जा सके। कंपनी का प्रबंधन चलनिधि स्थिति के पूर्वानुमान और ब्याज आय और व्यय सहित अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर नकद और नकद समकक्षों की उपलब्धता की बारीकी से निगरानी करता है।

व्यापक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन ढांचा भी चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए रूपरेखा को रेखांकित करता है। कंपनी चलनिधि कवरेज अनुपात की आवश्यकता का भी अनुपालन कर रही है और आरबीआई दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च-गुणवत्ता वाली चलनिधि परिसंपत्ति बनाए रख रही है।

### (i) वित्तपोषण व्यवस्था

वर्ष के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित अनाहरित उधार सुविधाओं तक पहुँच थी:

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| **नियत दर** | | |
| - एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण) | 7,100.87 | 14,700.38 |
| - एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ऋण) | - | - |
| - एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण) | - | - |
| **अस्थिर दर** | | |
| - एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण) | 26,126.65 | 48,845.06 |
| - एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ऋण) | 1,90,000.00 | 5,72,500.00 |
| - एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (बैंक ऋण) | - | - |
| - एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएँ - विदेशी मुद्रा ऋण) | - | 1,68,865.29 |

### (ii) सीसी/ओडी/एलओसी/डब्ल्यूसीडीएल सीमाएँ

अप्रत्याशित चलनिधि की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी के पास बैंकों से नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, ऋण की सीमा और कार्यशील पूंजी मांग ऋण तक पहुँच है। इसके अलावा, कंपनी के पास एएए की उच्चतम घरेलू क्रेडिट रेटिंग है, जिससे यह कम समय में घरेलू बाजार से धन जुटाने में सक्षम है। कंपनी के पास निम्नलिखित अनाहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच है:

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| सीसी/ओडी/एलओसी/डब्ल्यूसीडीएल सीमाएं | 2,89,237.57 | 1,93,000.00 |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### (iii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गयी तालिका कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में करती है, जो सभी गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर होती है, जिसके लिए नकदी प्रवाह के समय को समझने के लिए संविदात्मक परिपक्वता आवश्यक है। तालिका में बतायी गयी राशियाँ संविदात्मक छूट रहित नकद प्रवाह हैं:-

**31.03.2024 को**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 1 से 7 दिन | 8 से 14 दिन | 15 से 30/ 31 दिन (1 महीना) | 1 महीने से ऊपर- 2 महीना | 2 महीने से ऊपर- 3 महीना | 3 महीने से ऊपर- 6 महीने तक | 6 महीने से ऊपर- 1 साल तक | 1 साल से ऊपर- 3 साल तक | 3 साल से ऊपर- 5 साल तक | 5 साल से ऊपर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रुपया उधार | 8,262.43 | - | 22,916.67 | 41,964.00 | 1,30,668.93 | 2,45,029.50 | 3,38,619.72 | 13,05,057.59 | 4,65,164.58 | 14,81,908.03 | **40,39,591.45** |
| विदेशी मुद्रा उधार | - | - | 7,250.33 | 5,685.00 | 10,896.52 | 17,080.19 | 40,913.84 | 1,63,656.28 | 1,53,104.52 | 5,31,279.88 | **9,29,866.56** |

**31.03.2023 को**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 1 से 7 दिन | 8 से 14 दिन | 15 से 30/ 31 दिन (1 महीना) | 1 महीने से ऊपर- 2 महीना | 2 महीने से ऊपर- 3 महीना | 3 महीने से ऊपर- 6 महीने तक | 6 महीने से ऊपर- 1 साल तक | 1 साल से ऊपर- 3 साल तक | 3 साल से ऊपर- 5 साल तक | 5 साल से ऊपर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रुपया उधार | - | - | 52,083.33 | 37,964.00 | 1,03,531.40 | 1,12,914.93 | 4,58,535.44 | 9,90,324.35 | 3,69,243.60 | 8,78,882.77 | **30,03,479.83** |
| विदेशी मुद्रा उधार | - | - | 6,966.38 | 11,807.55 | 11,340.60 | 7,342.52 | 49,287.09 | 1,60,774.66 | 1,60,863.41 | 6,04,910.51 | **10,13,292.72** |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट
## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**ग. बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम मुख्य रूप से ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि की संभावना है। उधार ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी के पास एक समिति है जो बाजार की स्थितियों, समकक्षों की चल रही ब्याज दरों और उधार की बढ़ती लागत के आधार पर समय-समय पर अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है।

कंपनी के उधार में अस्थायी दर और स्थिर दर दोनों तरह के उधार शामिल हैं जो लागू अनुसार बेंचमार्क दरों से जुड़े हैं। विदेशी मुद्रा उधार के लिए, कंपनी बचाव व्यवस्था करके और अस्थायी दर से जुड़े संविभाग की समय-समय पर निगरानी करके अस्थायी ब्याज दर के कारण होने वाले जोखिम को कम करती है।

विदेशी उधार एजेंसियों से विदेशी मुद्रा उधार लेने से कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम उठाना पड़ता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नी लिखत जैसे कि प्रिंसिपल ओनली स्वैप, करेंसी और ब्याज दर स्वैप (व्युत्पन्नी लेनदेन), वादा संविदा आदि को अपनाकर विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किये गये इन व्युत्पन्नी संविदाओं की परिपक्वता अवधि कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग-अलग होती है।

**I. विदेशी मुद्रा जोखिम: -**

कंपनी के पास अपने संसाधन जुटाने की रणनीति के तहत विदेशी ऋण एजेंसियों से उधार के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम है। अस्थिरता के साथ-साथ बड़े क्रॉस बॉर्डर प्रवाह कंपनी के तुलन पत्र को विनिमय दर मूवमेंट के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी केवल प्रिंसिपल स्वैप, मुद्रा और ब्याज दर स्वैप आदि (व्युत्पन्नी लेनदेन) के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किये गये इन विदेशी मुद्रा अनुबंधों की परिपक्वता अवधि अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग-अलग होती है।

**क) विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटीकरण :**

वर्ष के अंत में कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटीकरण भारतीय रुपये में व्यक्त किया गया है, जो इस प्रकार है:

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | | | 31.03.2023 को | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अमेरिकी डॉलर | यूरो | जापानी येन | अमेरिकी डॉलर | यूरो | जापानी येन |
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | | | | | | |
| विदेशी मुद्रा में बैंक में शेष राशि | 57.52 | - | - | 2.71 | - | - |
| **व्युत्पन्नी परिसंपत्तियाँ** | | | | | | |
| विदेशी मुद्रा स्वैप अनुबंध | 42,640.51 | 4,725.57 | 1,012.38 | 49,613.96 | 2,921.72 | 4,869.52 |
| **वित्तीय देनदारियाँ** | | | | | | |
| विदेशी मुद्रा में उधार | 4,66,457.21 | 1,61,247.61 | 3,02,161.74 | 4,73,828.80 | 1,86,937.19 | 3,52,526.72 |
| **व्युत्पन्नी देनदारियाँ** | | | | | | |
| विदेशी मुद्रा स्वैप अनुबंध | 823.69 | 22.26 | 19,955.96 | 14.97 | 821.45 | 14,310.44 |
| **विदेशी मुद्रा जोखिम (परिसंपत्तियाँ) /देनदारियों का निवल प्रकटीकरण** | **4,24,582.87** | **1,56,544.30** | **3,21,105.32** | **4,24,227.10** | **1,84,836.92** | **3,61,967.64** |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट
## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### (ख) संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि विवरण की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय लिखतों से उत्पन्न होती है। नीचे दी गयी तालिका विदेशी मुद्रा जोखिम* पर 5% (भारतीय रुपये के मुकाबले) तक विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि विवरण (+लाभ /(-) हानि) पर प्रभाव प्रस्तुत करती है: -

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | | 31.03.2023 को | |
|---|---|---|---|---|
| | कमी | वृद्धि | कमी | वृद्धि |
| | लाभ और हानि के विवरण पर प्रभाव | | | |
| अमेरिकी डॉलर संवेदनशीलता | 362.17 | (362.17) | (508.75) | 508.75 |
| यूरो संवेदनशीलता | 1,949.35 | (1,949.35) | 2,613.59 | (2,613.59) |
| जापानी येन संवेदनशीलता | 7,327.74 | (7,327.74) | 6,663.74 | (6,663.74) |

* सभी अन्य परिवर्तियों को स्थिर रखते हुए।

### II. नकद प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम: -

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकद प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति कंपनी का प्रकटीकरण अस्थिर ब्याज दरों वाले दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋणों और बैंकों से अस्थिर ब्याज दर अवधि ऋण से संबंधित है। कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पनी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपने विदेशी मुद्रा ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है।

कंपनी के निश्चित दर वाले रुपये के उधार परिशोधित लागत पर लिये जाते हैं। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकद प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

### (क) ब्याज दर जोखिम का प्रकटीकरण

वर्ष के अंत में ब्याज दर में परिवर्तन के लिए कंपनी के उधारों का प्रकटीकरण इस प्रकार है:

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| परिवर्ती दर उधार | | |
| रुपया मूल्यवर्ग | 11,38,624.71 | 10,56,417.84 |
| विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग | 3,39,674.18 | 3,49,326.81 |
| **कुल** | **14,78,298.89** | **14,05,744.65** |

### (ख) संवेदनशीलता

ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उधार से उच्च/निम्न ब्याज व्यय के प्रति लाभ या हानि संवेदनशील है*

**(₹ लाख में)**

| विवरण | लाभ और हानि के विवरण पर प्रभाव | |
|---|---|---|
| | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
| ब्याज दरें – 50 आधार अंकों की वृद्धि | (7,391.49) | (7,028.72) |
| ब्याज दरें – 50 आधार अंकों की कमी | 7,391.49 | 7,028.72 |

* सभी अन्य परिवर्तियों को स्थिर रखते हुए

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**(ग) बचाव गतिविधियों का प्रभाव**

**व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत और बचाव लेखांकन**

कंपनी के पास अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने और बचाव करने के लिए प्रिंसिपल ओनली स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप (आईआरएस), क्रॉस, करेंसी और क्रॉस करेंसी ऑप्शन्स, संरचित/लागत में कमी उत्पाद आदि जैसे व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।

बचाव अप्रभाविता का निर्धारण बचाव संबंध की शुरुआत में और समय-समय पर संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचाव किये गये मद और बचाव लिखत के बीच आर्थिक संबंध मौजूद है।

कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियों को लागू करती है:

- क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के लिए जो बचाव किये गये मदों की शर्तों से बिल्कुल मेल खाते हैं, आर्थिक संबंध और बचाव प्रभावशीलता महत्वपूर्ण शर्तों के मिलान विधि का उपयोग करके गुणात्मक कारकों पर आधारित हैं।
- कंपनी ने बचाव संबंधों हेतु 1:1 का बचाव अनुपात स्थापित किया है क्योंकि बचाव लिखत के अंतर्निहित जोखिम और कल्पित राशि बचाये गये मद के समान हैं।

**नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि (सीएफएचआर) में संचलन :**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| वर्ष की शुरुआत में शेष राशि | 6,981.41 | 12,002.55 |
| बचाव लिखतों के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन | (16,540.40) | 17,037.68 |
| बचाव किये गये मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) | (4,184.84) | (22,058.82) |
| **वर्ष के अंत में शेष राशि (कर पूर्व)** | **(13,743.83)** | **6,981.41** |

**तुलन पत्र पर बचाव लेखांकन के प्रभावों पर प्रकटीकरण :**

**31.03.2024 को**

**(₹ लाख में)**

| बचाव और जोखिम का प्रकार | परिपक्वता की तारीख | बचाव अनुपात | भारित औसत नियत भाव/दर | बचाव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| **नकद प्रवाह बचाव** | | | | |
| विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम | | | | |
| (i) केवल मूलधन स्वैप | | | | |
| - अमेरिकी डॉलर | 15-अक्टूबर-2024 से 09-मार्च-2037 | 1:1 | 69.5787 | (7,661.54) |
| - यूरो | 31-मई-2024 से 31-मई-2029 | 1:1 | 81.1677 | 2,573.39 |
| - जापानी येन | 19-सितंबर-2024 से 20-मार्च-2025 | 1:1 | 0.6285 | (3,231.02) |
| (ii) परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर स्वैप | | | | |
| - अमेरिकी डॉलर | 15-जुलाई-2026 से 15-अक्टूबर-2026 | 1:1 | 67.0742 | (526.80) |
| - यूरो | 30-जून-24 | 1:1 | 81.4000 | 29.64 |
| - जापानी येन | 19-जून-24 | 1:1 | 0.5925 | (1,346.95) |
| (iii) वादा संविदा | | | | |
| - अमेरिकी डॉलर | - | 1:1 | - | - |
| - यूरो | - | 1:1 | - | - |
| - जापानी येन | 31-जुलाई-24 | 1:1 | 0.5936 | (3,392.98) |

व्युत्पन्नी की काल्पनिक राशि और वहन बचाव राशि से सम्बंधित विवरण के लिए, वित्तीय विवरणों के लिए नोट 4 देखें।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**31.03.2023 को**

**(₹ लाख में)**

| बचाव और जोखिम के प्रकार | परिपक्वता तिथि | बचाव अनुपात | भारित औसत नियत भाव/दर | बचाव लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| **नकद प्रवाह बचाव** | | | | |
| विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम | | | | |
| (i)केवल मूलधन स्वैप | | | | |
| - अमेरिकी डॉलर | 15-अक्टूबर-2024 से 09-मार्च-2037 | 1:1 | 69.5835 | 10,672.83 |
| - यूरो | 30-दिसंबर-2023 से 31-मई-2029 | 1:1 | 81.3355 | 4,413.53 |
| - जापानी येन | 19-मार्च-2023 से 20-मार्च-2025 | 1:1 | 0.6481 | 695.27 |
| (ii) परस्पर लेनदेन ब्याज दर स्वैप | | | | |
| - अमेरिकी डॉलर | 15-जुलाई-2026 से 15-अक्टूबर-2026 | 1:1 | 67.0752 | 3,512.76 |
| - यूरो | 30-जून-24 | 1:1 | 81.4 | 28.12 |
| - जापानी येन | 19-जून-24 | 1:1 | 0.5925 | 117.53 |
| (iii) फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स | | | | |
| - अमेरिकी डॉलर | - | 1:1 | - | - |
| - यूरो | - | 1:1 | - | - |
| - जापानी येन | - | 1:1 | - | - |

व्युत्पन्नी काल्पनिक राशि और वहन राशि से सम्बंधित विवरण हेतु, वित्तीय विवरणों के लिए नोट 4 देखें।

**लाभ और हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण पर बचाव लेखांकन के प्रभाव: -**

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम तथा उधार से जुड़े ब्याज दर जोखिम प्रबंधन हेतु व्युत्पन्नी लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम के बचाव के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, परस्पर लेनदेन मुद्रा स्वैप, केवल मूलधन स्वैप तथा ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। बचाव लेखांकन के तहत निर्दिष्ट बचाव लेखांकन अनुबंधों के प्रभावी बचाव होने की सीमा तक, बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकद प्रवाह बचाव के प्रभावी भाग' में मान्यता दी जाती है। ऐसे आरक्षित में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जब बचाव की गयी मद लाभ और हानि के विवरण को प्रभावित करती है।

**31.03. 2024 को**

**(₹ लाख में)**

| बचाव के प्रकार | अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त बचाव लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन | लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त बचाव अप्रभाविकता | बचाव किये गये मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) | अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन मद |
|---|---|---|---|---|
| नकद प्रवाह बचाव | | | | |
| विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम | (16,540.40) | - | (4,184.84) | नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/ (हानि) का प्रभावी अंश |

**31.03. 2023 को**

(₹ लाख में)

| बचाव के प्रकार | अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त बचाव लिखत 19 के उचित मूल्य में परिवर्तन | लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त बचाव अप्रभाविकता | बचाव किये गये मद पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) | अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन मद |
|---|---|---|---|---|
| नकद प्रवाह बचाव | | | | |
| विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम | 17,037.68 | - | (22,058.82) | नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि में बचाव लिखत पर लाभ/(हानि) का प्रभावी अंश |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**21.** कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, विदेशी मुद्रा उधार (बकाया राशि का 40%) पर खुला प्रकटीकरण अनुमेय है। 31.03.2024 को खुला प्रकटीकरण ₹ 2,06,229.85 लाख (पिछले वर्ष: ₹1,88,629.68 लाख) है जो बकाया विदेशी मुद्रा उधार का 22.18% (पिछले वर्ष: 18.62%) है और अनुमेय सीमा के अंदर है।

उक्त मुक्त खुलासे में से, 30.38 मिलियन यूरो (पिछले वर्ष: 30.38 मिलियन यूरो) हेतु आंशिक बचाव किया गया है, जिसके लिए 33.73 मिलियन अमरीकी डॉलर (पिछले वर्ष : 33.73 मिलियन अमरीकी डॉलर) के लिए प्रिंसिपल ओनली स्वैप (यूएसडी/आईएनआर) लिया गया है, जो ₹28,118.97 लाख (पिछले वर्ष: ₹27,728.76 लाख) के बराबर है।

इसके अलावा, 2,371.50 मिलियन जेपीवाई (पिछले वर्ष: 2,371.50 मिलियन जेपीवाई) को 17.60 मिलियन यूएसडी (पिछले वर्ष: 17.60 मिलियन यूएसडी) के बराबर प्रिंसिपल ओनली स्वैप (यूएसडी/जेपीवाई) लेकर बचाव किया गया है, जिसकी राशि 31.03.2024 को लागू दरों पर परिवर्तित ₹13,064.59 लाख बनती है (पिछले वर्ष : 31.03.2023 को लागू दरों पर परिवर्तित ₹14,655.87 लाख)।

**22. परिसंपत्तियों पर सृजित प्रतिभूति**

**i. प्रतिभूति के रूप में दृष्टिबंध परिसंपत्तियां** **(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| **ऋण और अग्रिम (कंपनी के बही ऋण) पर एक साथ आधार पर प्रथम प्रभार** | | |
| वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | |
| - कर मुक्त बांड | 2,57,660.42 | 2,75,765.46 |
| - बैंक उधार | 19,73,213.38 | 14,99,207.84 |
| - विदेशी मुद्रा ऋण | 1,71,871.74 | 1,92,792.94 |
| गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ | - | - |
| **अस्थायी प्रभार** | | |
| वित्तीय परिसंपत्तियाँ | - | - |
| गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ | - | - |

**ii. बुक ऋणों पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा जमानती** **(₹ लाख में)**

| विवरण | 30.03.2024 को | 30.03.2023 को |
|---|---|---|
| **नकारात्मक ग्रहणाधिकार (कंपनी के बुक ऋण)** | | |
| वित्तीय परिसंपत्तियाँ | | |
| - कर योग्य बॉण्ड | 3,81,723.74 | 4,11,712.61 |
| गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ | - | - |

**23. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ शुल्क या संतुष्टि का पंजीकरण**

**31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

सभी फॉर्म समय पर दाखिल किये गये थे और कंपनी के पास सांविधिक समय-सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि का मामला नहीं है।

**31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु**

सभी फॉर्म समय पर दाखिल किये गये थे, सिवाय निम्नलिखित दो शुल्क फॉर्म के, जिन पर एमसीए संस्करण 3 के लॉन्च के कारण अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया गया है। एमसीए ने एमसीए 21-वी3 पोर्टल के लॉन्च के कारण 15 अगस्त, 2022 से वी2 पोर्टल पर सीएचजी-1, सीएचजी-4, सीएचजी-6 और सीएचजी-8 सहित फॉर्म की ई-फाइलिंग को निष्क्रिय कर दिया है।

- ₹1,10,000 लाख की राशि के लिए बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में प्रभार का सृजन। 27 जुलाई, 2022 को बीओआई के साथ एक समझौता निष्पादित किया गया और तदनुसार फॉर्म दाखिल करने की निर्धारित तिथि 25 अगस्त, 2022 थी और फॉर्म 26 सितंबर, 2022 को एमसीए के वी3 पोर्टल पर डाल दिया गया था।
- ₹1,50,000 लाख की एक राशि के लिए पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में प्रभार का सृजन। 29 जुलाई, 2022 को पीएनबी 255 के साथ एक समझौता निष्पादित

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

किया गया था और तदनुसार फॉर्म दाखिल करने की निर्धारित तिथि 27 अगस्त, 2022 थी और फॉर्म 27 सितंबर, 2022 को एमसीए के वी3 पोर्टल पर डाल दिया गया था।

**24. पूंजी प्रबंधन**

कंपनी की पूंजी प्रबंधन नीति का प्राथमिक उद्देश्य विनियामक पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी हर समय पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करती है और अपने व्यवसाय का प्रबंधन इस तरह से करती है कि पूंजी सुरक्षित रहे, संतोषजनक व्यावसायिक विकास सुनिश्चित हो, नकद प्रवाह की निगरानी हो और रेटिंग बनी रहे।

उद्योग में अपने समकक्षों के अनुरूप, कंपनी ऋण-इक्विटी अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है, जिसकी गणना ऋण (कुल उधार) को कुल इक्विटी से विभाजित करके की जाती है, जैसा कि तुलन-पत्र में दिखाया गया है।

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| ऋण | 49,68,685.96 | 40,16,528.00 |
| इक्विटी (पूंजी आरक्षित निधि सहित) | 8,55,942.55 | 5,93,516.95 |
| **ऋण-इक्विटी अनुपात** | **5.80** | **6.77** |

**25.** 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रत्येक ₹10 अंकित मूल्य वाले 67,19,41,177 इक्विटी शेयरों की अपनी आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तुत (आईपीओ) पूरी कर ली है, जिसमें 40,31,64,706 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और विक्रय शेयरधारकों यानी भारत सरकार द्वारा ₹32 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर 26,87,76,471 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए प्रस्तुति (ओएफएस) शामिल है, जो कुल मिलाकर ₹2,15,021.18 लाख है। बिक्री के प्रस्ताव के लिए विक्रयकर्ता शेयरधारक को ₹ 85,836.45 लाख (प्रतिभूति लेनदेन कर के ₹172.02 लाख के शुद्ध) की राशि प्रेषित की गयी। कंपनी के इक्विटी शेयरों को 29 नवंबर, 2023 को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया था। कंपनी को इक्विटी शेयरों के नये निर्गम से ₹1,29,012.71 लाख की सकल आय प्राप्त हुई है।

**निवल आगम का उपयोग नीचे संक्षेप में दिया गया है: -**

**(₹ लाख में)**

| विवरणिका के अनुसार आगम उद्देश्य | निवल आगम* | विवरणिका के अनुसार उपयोग की जाने वाली राशि – निवल आगम * | 31 मार्च 2024 तक उपयोग | 31 मार्च 2024 तक अप्रयुक्त राशि |
|---|---|---|---|---|
| हमारी भावी पूंजी आवश्यकताओं और आगे उधार देने की पूर्ति के लिए हमारे पूंजी आधार को बढ़ाना। | 1,25,895.11 | 1,25,895.11 | 1,25,895.11 | शून्य |

* निवल आगम ताजा निर्गम की सकल आय में से हमारी कंपनी का प्रस्ताव व्यय (अनंतिम) का हिस्सा घटाकर ₹ 3,117.60 लाख (पिछले वर्ष : शून्य) है।

**26. उधार ली गयी निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग।**

क. कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यवर्ती) शामिल हैं, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कोई भी निधि (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि) अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ को यह सुनिश्चित करना होगा कि

i. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना या

ii. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करना

ख. इसके अलावा, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति (यों) या संस्था (ओं), जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, से कोई निधि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि

i. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से प्रतिचिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगी या

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

ii. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज़ प्रदान करना।

कंपनी की राय है कि एमएनआरई जीओआई पूर्ण सर्विस्ड बॉण्ड (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38(42) देखें) के संबंध में प्राप्त होने वाली राशि उपर्युक्त प्रकटीकरण के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि यह भारत सरकार के अधिदेश/समझौता ज्ञापन के समान है।

### 27. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) -108 "परिचालन क्षेत्र " के संबंध में प्रकटीकरण

#### (i) परिचालन क्षेत्र

इंड एएस 108 में यथा परिभाषित के अनुसार "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, सीएमडी, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं और व्यवसाय खंडों द्वारा विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करते हैं। वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किये जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों को व्यक्तिगत व्यवसाय खंड में राजस्व और व्यय रिकॉर्ड करने के लिए लगातार लागू किया जाता है और वे महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निर्धारित किये गये हैं।

कंपनी दो खंडों में काम करती है - अक्षय ऊर्जा (आरई) व ऊर्जा दक्षता (ईई) क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियाँ और केरल के कासरगोड में सौर संयंत्र संचालन के माध्यम से बिजली का उत्पादन। कंपनी के लिए प्रमुख राजस्व आरई एवं ईई क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियों के खंड से आता है। अन्य परिचालन खंड - सौर संयंत्र के माध्यम से बिजली का उत्पादन एक रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है। कंपनी भारत में काम करती है; इसलिए इसे केवल घरेलू खंड में काम करने वाला माना जाता है। इस प्रकार खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से इसे एकल व्यवसाय/भौगोलिक खंड माना जाता है।

#### (ii) प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कोई भी बाहरी ग्राहक हमारे राजस्व में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान नहीं देता है।

#### (iii) भौगोलिक जानकारी

संचालन के स्थान के अनुसार बाहरी ग्राहकों से राजस्व और परिसंपत्तियों के स्थान के अनुसार इसकी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों* के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

**(₹ लाख में)**

| विवरण | बाहरी ग्राहकों से राजस्व | | गैर-चालू परिसंपत्तियां* | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
| भारत** | 4,96,529.11 | 3,48,304.42 | 1,99,987.81 | 2,01,165.65 |
| भारत से बाहर | - | - | - | - |
| **कुल** | **4,96,529.11** | **3,48,304.42** | **1,99,987.81** | **2,01,165.65** |

*संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत कार्य-प्रगति पर, निवेश संपत्ति, परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार, विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां, अमूर्त परिसंपत्तियां, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम और भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड धन प्राप्य इस राशि में शामिल हैं।

** व्युत्पन्नी के उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ/(हानि) से संबंधित ₹ 1,125.53 लाख (पिछले वर्ष : ₹ 1,242.79 लाख) की राशि शामिल है।

#### (iv) प्रमुख उत्पादों से राजस्व

प्रत्येक उत्पाद और सेवा के लिए बाहरी ग्राहकों से राजस्व निम्नानुसार है :

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| ब्याज आय | 4,82,240.46 | 3,37,382.67 |
| शुल्क और कमीशन आय | 6,000.92 | 3,733.28 |
| विद्युत की बिक्री (निवल) | 2,920.70 | 2,690.42 |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### 28. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-113 "उचित मूल्य माप" के संबंध में प्रकटीकरण

**I. उचित मूल्य माप**

**श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत**

**(₹ लाख में)**

| विवरण (31.03.2024 को) | परिशोधन लागत | लागत पर | उचित मूल्य पर | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ओसीआई के जरिए | पी एंड एल के जरिए | |
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | | | | | |
| नकद और नकद समतुल्य | 7,421.32 | - | - | - | 7,421.32 |
| निर्धारित बैंक शेष | 66,167.20 | - | - | - | 66,167.20 |
| व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत | - | - | 45,157.03 | 3,221.43 | 48,378.46 |
| व्यापार प्राप्य | 601.75 | - | - | - | 601.75 |
| ऋण | 58,77,508.86 | - | - | - | 58,77,508.86 |
| निवेश | 9,933.92 | - | - | - | 9,933.92 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 2,542.09 | - | - | - | 2,542.09 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | **59,64,175.14** | **-** | **45,157.03** | **3,221.43** | **60,12,553.60** |
| **वित्तीय देनदारियाँ** | | | | | |
| व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत | - | - | 18,967.49 | 1,834.42 | 20,801.91 |
| व्यापार देय | 730.33 | - | - | - | 730.33 |
| ऋण प्रतिभूतियाँ | 17,71,361.13 | - | - | - | 17,71,361.13 |
| उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) | 31,32,383.60 | - | - | - | 31,32,383.60 |
| अधीनस्थ देयताएँ | 64,941.24 | - | - | - | 64,941.24 |
| अन्य वित्तीय देयताएँ | 1,34,029.94 | - | - | - | 1,34,029.94 |
| **कुल वित्तीय देयताएँ** | **51,03,446.23** | **-** | **18,967.49** | **1,834.42** | **51,24,248.15** |

**(₹ लाख में)**

| विवरण (31.03.2023 को) | परिशोधन लागत | लागत पर | उचित मूल्य पर | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ओसीआई के जरिए | पी एंड एल के जरिए | |
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | | | | | |
| नकद और नकद समतुल्य | 13,845.00 | - | - | - | 13,845.00 |
| निर्धारित बैंक शेष | 81,624.05 | - | - | - | 81,624.05 |
| व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत | - | - | 54,589.94 | 2,815.26 | 57,405.20 |
| व्यापार प्राप्य | 501.25 | - | - | - | 501.25 |
| ऋण | 46,22,692.33 | - | - | - | 46,22,692.33 |
| निवेश | 9,930.26 | - | - | - | 9,930.26 |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 3,180.56 | - | - | - | 3,180.56 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | **47,31,773.45** | **-** | **54,589.94** | **2,815.26** | **47,89,178.65** |
| **वित्तीय देनदारियाँ** | | | | | |
| व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत | - | - | 14,844.15 | 302.71 | 15,146.86 |
| व्यापार देय | 450.28 | - | - | - | 450.28 |
| ऋण प्रतिभूतियाँ | 10,84,328.34 | - | - | - | 10,84,328.34 |
| उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) | 28,67,266.36 | - | - | - | 28,67,266.36 |
| अधीनस्थ देयताएँ | 64,933.29 | - | - | - | 64,933.29 |
| अन्य वित्तीय देयताएँ | 1,33,543.36 | - | - | - | 1,33,543.36 |
| **कुल वित्तीय देयताएँ** | **41,50,521.62** | **-** | **14,844.15** | **302.71** | **41,65,668.48** |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### II. उचित मूल्य पदानुक्रम

यह खंड वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किये गये निर्णय और अनुमानों की व्याख्या करता है जो

क) उचित मूल्य पर पहचाने और मापे जाते हैं और

ख) परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किये गये निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय लिखतों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर पर एक स्पष्टीकरण हेतु निम्नलिखित तालिका देखें।

ग) भौतिकता को ध्यान में रखते हुए, हमने कर्मचारी ऋण और प्रतिभूति जमा की छूट को नजरअंदाज कर दिया है।

**कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का निर्धारण और प्रकटीकरण करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:**

**स्तर 1:** स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गये वित्तीय लिखत शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी उपकरण, व्यापारित बॉण्ड और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिनकी कीमत उद्धृत की गयी है। स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किये जाने वाले सभी इक्विटी लिखतों (बॉण्ड सहित) का उचित मूल्य रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार समापन मूल्य का उपयोग करके मूल्यांकित किया जाता है। म्यूचुअल फंड का मूल्यांकन समापन एनएवी का उपयोग करके किया जाता है।

**स्तर 2:** वित्तीय लिखत जो सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करते हैं (उदाहरण के लिए, व्यापारित बॉण्ड) जों अन्य तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किये जाते हैं, जिसके लिए सभी निविष्टियाँ जो दर्ज किये गये उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य होते हैं।

**स्तर 3:** तकनीक जो निविष्टियाँ का उपयोग करती है जो दर्ज किये गये उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, वे गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों जैसे अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं होते हैं।

### क. उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएँ - आवर्ती उचित मूल्य माप- 31.03.2024 को *

**(₹ लाख में)**

| विवरण | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
|---|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ : -** | | | |
| **बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी** | | | |
| प्रिंसिपल ओनली स्वैप | - | - | 39,061.41 |
| परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर स्वैप | - | - | 6,095.62 |
| वायदा संविदा | - | - | - |
| **बचाव के रूप में नामित नहीं की गयी व्युत्पन्नी** | | | |
| प्रिंसिपल ओनली स्वैप | - | - | 3,221.43 |
| परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर स्वैप | - | - | - |
| वायदा संविदा | - | - | - |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | **-** | **-** | **48,378.46** |
| | | | |
| **वित्तीय देयताएँ** | | | |
| **बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी** | | | |
| प्रिंसिपल ओनली स्वैप | - | - | 14,492.35 |
| परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर स्वैप | - | - | 1,082.16 |
| वायदा संविदा | - | - | 3,392.98 |
| **बचाव के रूप में नामित नहीं की गयी व्युत्पन्नी** | | | |
| प्रिंसिपल ओनली स्वैप | - | - | 1,834.42 |
| परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर स्वैप | - | - | - |
| वायदा संविदा | - | - | - |
| **कुल वित्तीय देयताएँ** | **-** | **-** | **20,801.91** |

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गयी हैं

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

**परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है**

**(₹ लाख में)**

| 31.03.2024 को * | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
|---|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | | | |
| **परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:** | | | |
| ग्राहकों को ऋण | - | - | 58,69,200.97 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | **-** | **-** | **58,69,200.97** |
| | | | |
| **वित्तीय देयताएँ** | | | |
| **परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ:** | | | |
| ऋण प्रतिभूतियाँ | - | - | 17,71,361.13 |
| उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) | - | - | 31,32,383.60 |
| अधीनस्थ देयताएँ | - | - | 64,941.24 |
| **कुल वित्तीय देयताएँ** | **-** | **-** | **49,68,685.96** |

* राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गयी हैं

**ख. उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएँ – आवर्ती उचित मूल्य माप - 31.03.2023 को ***

**(₹ लाख में)**

| विवरण | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
|---|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ: -** | | | |
| **बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी** | | | |
| प्रिंसिपल ओनली स्वैप | - | - | 47,732.37 |
| परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर स्वैप | - | - | 6,857.57 |
| वायदा संविदा | - | - | - |
| **बचाव के रूप में नामित नहीं की गयी व्युत्पन्नी** | | | |
| प्रिंसिपल ओनली स्वैप | - | - | 2,815.26 |
| परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर स्वैप | - | - | - |
| वायदा संविदा | - | - | - |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | **-** | **-** | **57,405.20** |
| | | | |
| **वित्तीय देयताएं** | | | |
| **बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्नी** | | | |
| प्रिंसिपल ओनली स्वैप | - | - | 14,844.15 |
| परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर स्वैप | - | - | - |
| वायदा संविदा | - | - | - |
| **बचाव के रूप में नामित नहीँ की गयी व्युत्पन्नी** | - | | |
| प्रिंसिपल ओनली स्वैप | - | - | 302.71 |
| परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर स्वैप | - | - | - |
| वायदा संविदा | - | - | - |
| **कुल वित्तीय देयताएं** | **-** | **-** | **15,146.86** |

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गयी हैं

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है**

**(₹ लाख में)**

| 31.03.2023 को* | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
|---|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ:** | | | |
| **परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:** | | | |
| ग्राहकों को ऋण | - | - | 46,16,389.25 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | **-** | **-** | **46,16,389.25** |
| **वित्तीय देयताएँ** | | | |
| **परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ:** | | | |
| ऋण प्रतिभूतियाँ | - | - | 10,84,328.34 |
| उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) | - | - | 28,67,266.36 |
| अधीनस्थ देयताएँ | - | - | 64,933.29 |
| **कुल वित्तीय देयताएँ** | **-** | **-** | **40,16,528.00** |

*राशियाँ उनके उचित मूल्य पर दर्शायी गयी हैं

### III. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल मूल्यांकन तकनीक

एमटीएम गणना रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया व्युत्पन्नी लिखत हेतु कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अधीन यथा परिभाषित के अनुसार पंजीकृत स्वतंत्र आईबीबीआई मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किये गये मूल्यांकन पर आधारित है।

**महत्वपूर्ण असंप्रेक्षणीय निविष्टियों (स्तर 3) का उपयोग करते हुए उचित मूल्य माप**

कर-पूर्व दर जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है।

**निम्नलिखित तालिका 31.03.2024 और 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु स्तर 3 मदों में परिवर्तन प्रस्तुत करती है: -**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | व्युत्पन्नी लिखत | व्युत्पन्नी मदें |
|---|---|---|
| व्युत्पन्नी लेखांकन में व्युत्पन्नी सौदों के तहत लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त लाभ/(हानि) | (1,125.53) | - |
| अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त लाभ/(हानि) | (16,540.40) | (4,184.84) |
| **31.03.2024 को** | **(17,665.93)** | **(4,184.84)** |
| व्युत्पन्नी लेखांकन में व्युत्पन्नी सौदों के तहत लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त लाभ/(हानि) | 1,242.79 | - |
| अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त लाभ/(हानि) | 17,037.68 | (22,058.82) |
| **31.03.2023 को** | **18,280.47** | **(22,058.82)** |

### IV. मूल्यांकन प्रक्रियाएँ

बचाव सौदों के एमटीएम मूल्यांकन हेतु, कंपनी ने कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत यथा परिभाषित के अनुसार एक पंजीकृत स्वतंत्र आईबीबीआई मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन प्राप्त किया है, जिसने बाजार की स्थिति में उतार-चढ़ाव, विनिमय दर, ब्याज दर आदि में उतार-चढ़ाव पर विचार करने के बाद ऐसा मूल्यांकन प्रदान किया है।

### V. परिशोधित लागत पर मापी गयी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य।

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | | 31.03.2023 को | |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | **वहन राशि** | **लेन-देन मूल्य** | **वहन राशि** | **लेन-देन मूल्य** |
| **परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:** | | | | |
| ग्राहकों को ऋण | 58,69,200.97 | 58,86,586.28 | 46,16,389.25 | 46,32,998.88 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | **58,69,200.97** | **58,86,586.28** | **46,16,389.25** | **46,32,998.88** |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

| विवरण | 31.03.2024 को | | 31.03.2023 को | |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय देयताएं** | **वहन राशि** | **लेन-देन मूल्य** | **वहन राशि** | **लेन-देन मूल्य** |
| **परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं :** | | | | |
| ऋण प्रतिभूतियाँ | 17,71,361.13 | 17,72,074.42 | 10,84,328.34 | 10,84,505.46 |
| उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) | 31,32,383.60 | 31,32,383.60 | 28,67,266.36 | 28,67,267.09 |
| गौण देयताएं | 64,941.24 | 65,000.00 | 64,933.29 | 65,000.00 |
| **कुल वित्तीय देयताएं** | **49,68,685.96** | **49,69,458.02** | **40,16,528.00** | **40,16,772.55** |

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

उधारों, कंपनियों को दिये जाने वाले ऋण, ऋण प्रतिभूतियों के उचित मूल्यों की गणना वर्तमान उधार दर का उपयोग करके छूट दिये गए नकद प्रवाह के आधार पर की जाती है। स्वयं के ऋण जोखिम सहित अप्राप्य निविष्टियों के समावेश के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

गैर-चालू उधारों के उचित मूल्य चालू उधार दर का उपयोग करके छूट दिये गये नकद प्रवाह पर आधारित होते हैं। स्वयं के ऋण जोखिम सहित अप्राप्य निविष्टियों के उपयोग के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

### 29. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी एक सौर ऊर्जा संयंत्र का संचालन कर रही है। कंपनी और केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31.03.2017 को ₹4.95 प्रति यूनिट या केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, पर विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किये गये हैं। तदनुसार, कंपनी ने केएसईआरसी के साथ विद्युत क्रय समझौते की मंजूरी के लिए याचिका दायर की, जिसने 14.02.2018 के अपने अंतरिम आदेश में मार्च 2018 तक ₹3.90 प्रति यूनिट के अंतरिम प्रशुल्क को मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, केएसईआरसी ने एक प्रशुल्क आदेश पारित किया और ₹ 3.83 प्रति यूनिट का प्रशुल्क निर्धारित किया। विवरण के लिए वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38(31) देखें।

तदनुसार, कंपनी ने ₹3.83 प्रति यूनिट के निर्धारित प्रशुल्क पर केएसईबीएल को बिजली की आपूर्ति के लिए सकल राजस्व को मान्यता दी है। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी परामर्श सेवाएं भी प्रदान करना जारी रखा है।

**(क) बिजली का उत्पादन**

**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**

| क्र. सं. | विवरण | उत्पादित यूनिट (एमआईएल.) | बेची गयी यूनिट (एमआईएल.) | दर प्रति यूनिट (₹) | कुल (₹ लाख में ) |
|---|---|---|---|---|---|
| i) | बिजली का उत्पादन | 78.23 | 77.81 | 3.83 | 2,980.31 |

**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**

| क्र. सं. | विवरण | उत्पादित यूनिट (एमआईएल.) | बेची गयी यूनिट (एमआईएल.) | दर प्रति यूनिट (₹) | कुल (₹ लाख में ) |
|---|---|---|---|---|---|
| i) | बिजली का उत्पादन | 72.09 | 71.68 | 3.83 | 2,745.33 |

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| बिक्री में शामिल बिल रहित राजस्व की राशि (निवल) | 297.47 | 302.80 |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**(ख) अनुबंधित मूल्य और पीएंडएल में मान्यता प्राप्त राजस्व का समाधान**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| अनुबंध मूल्य | 2,980.31 | 2,745.33 |
| समायोजन : | | |
| -व्यापार छूट | 59.61 | 54.91 |
| -धन वापसी | - | - |
| लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व | 2,920.70 | 2,690.42 |

**(ग) राजस्व का विभाजन**

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विभाजन नीचे दिया गया है:

**(₹ लाख में)**

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | **राजस्व** | | |
| | परिचालन से निवल राजस्व (छूट निवल, जहाँ प्रयोज्य हो) | 2,920.70 | 2,690.42 |
| | परामर्श | 15.56 | 23.74 |
| 2 | **प्राथमिक भौगोलिक बाजार** | | |
| | घरेलू राजस्व | 2,936.26 | 2,714.17 |
| | अंतरराष्ट्रीय राजस्व | - | - |
| | **कुल राजस्व** | **2,936.26** | **2,714.17** |
| 3 | **राजस्व मान्यता का समय** | | |
| | किसी समय पर | - | - |
| | समयोपरि | 2,936.26 | 2,714.17 |
| | **कुल राजस्व** | **2,936.26** | **2,714.17** |

**नोट:** केएसईबीएल बिजली की बिक्री के लिए एकमात्र ग्राहक है। तत्काल भुगतान शर्तों के साथ मासिक आधार पर इन्वोइसिंग की जाती है।

**(घ) व्यापार प्राप्य और संविदागत शेष**

निम्न तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्तियों और संविदागत देयताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है: -

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य (निवल) (सौर संयंत्र) | 297.47 | 302.80 |

## 30. सौर ऊर्जा परियोजना

कंपनी ने केरल राज्य के कासरगोड जिले के अंबालाथारा सोलर पार्क में स्थित कंपनी की 50 मेगावाट की सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2014-15 में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से चालू किया गया और वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पूरी तरह से चालू किया गया, जिसे जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड ने ईपीसी ठेकेदार के रूप में निष्पादित किया। इसे बही में पूंजीकृत किया गया है और वर्तमान पूंजीकृत लागत ₹31,936.20 लाख है, जिसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत दिखाया गया है। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 12 देखें।

कंपनी और केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31.03.2017 को ₹4.95/केडब्ल्यूएच या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, पर पीपीए पर हस्ताक्षर किये गये थे। तदनुसार, कंपनी ने केएसईआरसी के साथ बिजली खरीद समझौते की मंजूरी के लिए याचिका दायर की, जिसने 14 फरवरी, 2018 के अपने अंतरिम आदेश में ₹3.90 प्रति यूनिट के अंतरिम प्रशुल्क को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, केएसईआरसी ने 06 फरवरी, 2019 के अपने आदेश में ₹3.83 प्रति यूनिट की दर से लेवलाइज्ड प्रशुल्क को मंजूरी दी थी। इसने आगे निम्नलिखित आदेश भी दिये हैं:

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

- केएसईबी लिमिटेड इस आदेश में विनिर्दिष्ट इक्विटी की राशि तक सीमित, इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) पर भुगतान किये गये किसी भी कर की प्रतिपूर्ति करेगा। कर का दावा करने के लिए, डेवलपर केएसईबी लिमिटेड को ऐसे कर के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

- केएसईबी लिमिटेड, कंपनी / आरपीसीकेएल द्वारा भुगतान की गयी भूमि पट्टे की राशि, उपर्युक्त के अतिरिक्त, यदि कोई हो, आर्थिक साहाय्य के रूप में प्राप्त राशि को घटाकर प्रतिपूर्ति करेगा।

उक्त आदेश को माननीय एपीटीईएल के समक्ष 27 अगस्त, 2019 को अपील दायर करके चुनौती दी गयी थी ताकि कंपनी द्वारा किये गये व्यय के लिए कुछ लागतों की अनुमति दी जा सके और टैरिफ निर्धारित करने के लिए आरपीसीकेएल को भुगतान किया जा सके। उक्त अपील के खारिज होने पर, कंपनी ने 05 अप्रैल, 2022 को अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के साथ एक समीक्षा याचिका दायर की। मामला अब अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

कंपनी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष समीक्षा याचिका के लंबित रहने के दौरान भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 4634 ऑफ़ 2022 भी दायर की, ताकि अपील को माननीय न्यायालय के समक्ष समय-सीमा द्वारा वर्जित होने से बचाया जा सके। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18 जुलाई, 2022 के आदेश के माध्यम से कंपनी को समीक्षा याचिका के निपटारे के समय सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी थी। इसके बावजूद, उत्पादन आय का हिसाब ₹ 3.83 प्रति यूनिट की दर से लगाया जा रहा है।

सौर परियोजना पट्टे पर भूमि पर स्थापित की गयी है, जिसके लिए 07 अक्टूबर, 2015 से 06 अक्टूबर, 2043 तक केरल अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरपीसीकेएल) को पट्टा शुल्क देय है। 06 फरवरी, 2019 के केएसईआरसी प्रशुल्क आदेश के अनुसार, कंपनी आरपीसीकेएल को भुगतान किये गये ऐसे भूमि पट्टा शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र है।

हालांकि, ₹39.02 लाख का वार्षिक भुगतान और उसकी वसूली निपटान के अधीन है, जिसके मद्देनजर कोई भी संगत राशि संपत्ति/देयता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं की जा रही है।इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) के लिए अन्य वसूलियां अनिश्चित होने के कारण मामले में अंतिम समाधान पर ध्यान में रखी जाएंगी।

### 31. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-116 "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी ने 01 अप्रैल, 2019 की प्रारंभिक आवेदन तिथि के साथ इंड एएस 116 लागू किया है। कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए इंड एएस 116 लागू किया है, जिसके तहत प्रारंभिक आवेदन का संचयी प्रभाव 01 अप्रैल, 2019 को प्रतिधारित आय में मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने 01 अप्रैल, 2019 तक लागू होने वाली अपनी सभी पट्टा व्यवस्था पर उपर्युक्त दृष्टिकोण लागू किया है।

### क) भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के रूप में पट्टे का विवरण

कंपनी के पास दिल्ली और मुंबई में कार्यालय स्थानों, दिल्ली में आवासीय स्थान और केरल में सोलर पार्क भूमि के लिए विभिन्न पट्टे समझौते हैं। प्रत्येक पट्टे की अवधि और किराये का भुगतान अलग-अलग है। कंपनी ने इंड एएस 116 के तहत माप सिद्धांतों को उन पट्टों के लिए लागू किया है जिन पर कंपनी की लेखा नीति के अनुरूप अल्पकालिक पट्टे के तहत छूट उपलब्ध नहीं है।

### ख) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

**(₹ लाख में)**

| परिपक्वता विश्लेषण - संविदात्मक छूट रहित नकद प्रवाह | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| एक वर्ष से कम | 68.22 | 105.20 |
| एक वर्ष से पांच वर्ष तक | 208.97 | 238.17 |
| पांच वर्ष से अधिक | 546.28 | 585.30 |
| **कुल छूट रहित पट्टा देयताएं** | **823.47** | **928.67** |
| **वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल पट्टा देयताएं** | **403.37** | **433.40** |
| चालू | 66.16 | 30.02 |
| गैर- चालू | 337.21 | 403.38 |

**ग) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| पट्टा देयताओं पर ब्याज | 36.17 | 38.24 |
| पट्टा देयताओं के मापन में शामिल नहीं किये गये परिवर्तनशील पट्टा भुगतान | - | - |
| उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के उप-पट्टे से आय | - | - |
| पट्टा देनदारियों की मान्यता रद्द करना | - | - |
| उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना - | - | - |
| उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों पर संचित मूल्यह्रास की मान्यता रद्द करना | - | - |
| अल्पकालिक पट्टे से संबंधित व्यय | - | - |
| अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास शुल्क* | 549.87 | 179.48 |

*पट्टा आरंभ की अवधि विवाद में है; एनबीसीसी बिल्डिंग एवं आवासीय फ्लैट पर मूल्यह्रास उपयोग में लाये जाने की तिथि से लगाया गया है। किसी भी परिवर्तन को भविष्यलक्षी प्रभाव के रूप से निपटाया जाएगा।

**घ) नकद प्रवाह विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | राशि |
|---|---|
| 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 27.16 |
| 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 25.27 |

**ङ) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशियाँ**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| वर्ष की शुरुआत में शेष राशि | 2,825.05 | 2,825.05 |
| उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में वृद्धि | 13,952.56 | - |
| उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का विलोपन/अमान्यता | - | - |
| वर्ष के अंत में शेष राशि | 16,777.61 | 2,825.05 |
| अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार वर्ष के अंत में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की वहन राशि। | 14,988.51 | 1,585.84 |

**च) अन्य प्रकटीकरण**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| अल्प-कालिक पट्टे से सम्बंधित व्यय | 10.49 | 10.32 |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

**32. कंपनी के नाम पर नहीं रखी गयी अचल परिसंपत्तियों के स्वत्व विलेख का विवरण निम्नानुसार है: -**

**31.03.2024 को**

| तुलन पत्र में प्रासंगिक अनुसार मद | संपत्ति के मद का विवरण | सकल वहन मूल्य (₹ लाख में) | जिनके नाम में धारित स्वत्व विलेख | क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है | संपत्ति जब से धारित | कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों | कार्यालय परिसर -आईएचसी | 172.34 | आईएचसी द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर कब्ज़ा किया गया | नहीं | आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993 | भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) [भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), आईएचसी और आवंटी संस्थानों के बीच] द्वारा त्रिपक्षीय हस्तांतरण विलेख/समझौते का निष्पादन आईआरईडीए सहित आईएचसी में सभी आवंटी संस्थानों के संबंध में लंबित है। आईएचसी पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए एलएंडडीओ के साथ संपर्क में है। पट्टा विलेख के मसौदे को एलएंडडीओ द्वारा मंजूरी दे दी गयी है। आईएचसी ने 24.03.23 को सूचित किया है कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और अदालत ने उसी आशय का आदेश पारित किया है। इसके अलावा, आईएचसी और एसडीएमसी दोनों पक्षों द्वारा 11.04.23 के आदेश के तहत दो अन्य याचिकाएं भी वापस ले ली गयीं। कंपनी त्रिपक्षीय पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए आईएचसी के साथ 24.04.2023, 11.07.2023 और 21.12.2023 को ईमेल के जरिए संवाद कर रही है। इसके अलावा, आईएचसी ने 21.12.2023 को ईमेल के ज़रिए सूचित किया है कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आईएचसी को अंतिम संचार 21.03.2024 को भेजा गया। |
| | कार्यालय परिसर -एकेबी | 2,110.10 | हुडको द्वारा जारी स्थायी पट्टा विलेख के आधार पर कब्जा किया गया | नहीं | आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006 | संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण का काम हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचयूडीसीओ) के साथ चल रहा है। नवीनतम संचार 21.03.2024 को भेजा गया। |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

| तुलन-पत्र में प्रासंगिक अनुसार मद | संपत्ति के मद का विवरण | सकल वहन मूल्य (₹ लाख में) | जिनके नाम में धारित स्वत्व विलेख | क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है | संपत्ति जब से धारित | कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कार्यालय परिसर : एनबीसीसी किदवई नगर | 13,291.71 | आवंटन पत्र के आधार पर कब्ज़ा किया गया | नहीं | आवंटन पत्र दिनांक 04.09.2015 | उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गयी थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए कब्जे की तारीख और पट्टे की शुरूआती तिथि के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। नवीनतम संचार 30.03.2024 को भेजा गया था। |
| उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों | आवासीय फ्लैट - एनबीसीसी किदवई नगर | 660.85 | आवंटन पत्र के आधार पर कब्ज़ा किया गया | नहीं | आवंटन पत्र दिनांक 14.11.2018 | उप भूमि एवं विकास अधिकारी- IV, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के जरिए कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और कंपनी के बीच पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए अंतिम मसौदा पट्टा विलेख कंपनी द्वारा एनबीसीसी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गयी थी। निष्पादन से पहले उक्त संपत्तियों के लिए कब्जे की तारीख और लीज की शुरुआत की तारीख के संबंध में मामला एनबीसीसी के साथ आगे बढ़ाया गया है। फ्लैट एमओएचयूए के साथ घरों के इंटर-पूल एक्सचेंज में पड़ा हुआ है और इसे कंपनी के कब्ज़े में वापस लेने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नवीनतम संचार 30.03.2024 को भेजा गया था। |
| निवेश सम्पत्ति | आवासीय फ्लैट | 8.75 | एचपीएल द्वारा विक्रय हेतु समझौता | नहीं | 23.06.1994 | संपत्ति का हस्तांतरण हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा एल एंड डीओ के साथ किया जा रहा है, उसके बाद विलेख का निष्पादन होगा। नवीनतम संचार 21.03.2024 को भेजा गया था। |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

**31.03.2023 को**

| तुलन-पत्र में प्रासंगिक अनुसार मद | संपत्ति के मद का विवरण | सकल वहन मूल्य (₹ लाख में) | जिनके नाम में धारित स्वत्व विलेख | क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है | संपत्ति जब से धारित | कंपनी के नाम में धारित न होने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों | कार्यालय परिसर - आईएचएस | 172.34 | आईएचसी द्वारा जारी किये आवंटन पत्र के आधार पर कब्ज़ा किया गया | नहीं | आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993 | भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) [भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), आईएचसी और आवंटी संस्थाओं के बीच] द्वारा त्रिपक्षीय हस्तांतरण विलेख/समझौते का निष्पादन आईएचसी में कंपनी सहित सभी आवंटी संस्थाओं के संबंध में लंबित है। आईएचसी पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए एलएंडडीओ के साथ मिलकर काम कर रहा है। पट्टा विलेख के मसौदे को एलएंडडीओ ने मंजूरी दे दी है। आईएचसी ने 24.03.23 को सूचित किया है कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और अदालत ने उसी आशय का आदेश पारित किया है। इसके अलावा, आईएचसी और एसडीएमसी दोनों पक्षों द्वारा 11.04.23 के आदेश के तहत दो अन्य याचिकाएं भी वापस ले ली गयीं। कंपनी त्रिपक्षीय पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए आईएचसी के साथ वार्ता कर रही है। |
| | कार्यालय परिसर : एकेबी | 2,110.10 | एचयूडीसीओ द्वारा जारी स्थायी पट्टा विलेख के आधार पर कब्जा किया गया | नहीं | आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006 | संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण का अनुसरण हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचयूडीसीओ) के साथ किया जा रहा है। नवीनतम संचार 16.06.22 को हुआ था। |
| निवेश संपत्ति | आवासीय फ्लैट | 8.75 | एचपीएल द्वारा विक्रय हेतु समझौता | नहीं | 23.06.1994 | संपत्ति के हस्तांतरण का अनुसरण हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा एल एंड डीओ के साथ किया जा रहा है, उसके बाद डीड का निष्पादन होगा। नवीनतम संचार 31.01.2023 को हुआ था। |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### 33. संपत्ति कर विवरण

सभी आवासीय और कार्यालय परिसरों के संबंध में 31.03.2024 तक उठायी गयी संपत्ति कर की मांग का भुगतान कर दिया गया है। भारत पर्यावास केंद्र में कार्यालय भवन के संबंध में संपत्ति कर का भुगतान भारत पर्यावास केंद्र की मांग के अनुसार किया गया है, जो इकाई क्षेत्र पद्धति पर आधारित था। दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने पहले भारत पर्यावास केंद्र के साथ 1994-2004 की अवधि के लिए कर योग्य मूल्य की गणना के उद्देश्य से सुविधा क्षेत्र के लिए प्राप्त लाइसेंस शुल्क को शामिल करने का मुद्दा उठाया था। एसडीएमसी और आईएचसी के बीच इस मुद्दे का निपटारा हो गया है और दोनों पक्षों द्वारा याचिका वापस ले ली गयी है। कृपया माननीय उच्च न्यायालय के 11 अप्रैल 2023 का आदेश देखें। इसके ध्यान में रखते हुए, आगे कोई देयता उत्पन्न नहीं हुई है। एनबीसीसी किदवई नगर में कार्यालय स्थान और आवासीय फ्लैटों के संबंध में संपत्ति कर की मांग अनिश्चित है।

### 34. बेनामी संपत्ति विवरण

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन चालू और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

### 35. हाल ही में लेखांकन घोषणाएँ/मानक/संशोधन जारी की गयी, लेकिन प्रभावी नहीं हैं।

कोई भी हाल की लेखांकन घोषणाएँ/मानक/संशोधन नहीं हैं जिनका 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी होना बाकी हैं।

**36.** कोई भी सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं है, जिसके लिए कंपनी का बकाया है, जो 31.03.2024 को 45 दिनों से अधिक समय से बकाया है (पिछले वर्ष: ₹ शून्य)। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली यथा अपेक्षित जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गयी है।

**(₹ लाख में)**

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|---|
| 1 | समाप्त वर्ष को भुगतान न की गयी मूलधन राशि | 102.87 | 25.25 |
| 2 | समाप्त वर्ष को उस पर देय ब्याज का भुगतान अप्रदत्त है | - | - |
| 3 | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किये गये भुगतान की राशि। | - | - |
| 4 | भुगतान करने में देरी के वर्ष हेतु देय और भुगतान योग्य ब्याज, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना | - | - |
| 5 | समाप्त वर्ष को अर्जित और अप्रदत्त ब्याज | - | - |
| 6 | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, बकाया ब्याज जो आगामी वर्ष में भी देय रहेगा, उस तिथि तक जब तक कि उपर्युक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं कर दिया जाता। | - | - |

### 37. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को निदेशक मंडल की एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन करना आवश्यक है और कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना की गयी कंपनी के तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% खर्च करना है। कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार 22.01.2021 से अधिसूचित, किसी भी चालू परियोजना के लिए कोई भी अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर किसी भी अनुसूचित बैंक में अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, जिसका उपयोग उक्त हस्तांतरण की तिथि से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर किया जाएगा। किसी भी चालू परियोजना के अलावा, कोई भी अव्ययित सीएसआर राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा, यदि कंपनी क़ानून के तहत आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है, तो अतिरिक्त राशि को आगे बढ़ाया जा सकता है और व्यय की जाने वाली राशि के प्रति तीन आगामी वित्तीय वर्षों में कटौती की जाएगी।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**क. 31.03.2024 तक, कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली सकल राशि का विवरण निम्नानुसार है:**

समाप्त वर्ष के दौरान, परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में कुल ₹ 2,150.66 लाख (पिछले वर्ष: ₹697.44 लाख) की राशि खर्च की गयी। वर्ष के दौरान जारी की गयी धनराशि में से, ₹1,664.58 लाख (पिछले वर्ष ₹448.43 लाख) की राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परियोजना व्यय से संबंधित है, जैसा कि नीचे (ग) में विस्तृत है।

शेष राशि में से, ₹373.96 लाख (पिछले वर्ष: ₹249.01 लाख) पिछले वर्षों (2019-20 से पहले) के परियोजना व्यय से संबंधित है, जिसे नीचे (क.i) में विस्तृत रूप से संशोधन-पूर्व ढांचे के अनुसार निपटाया जा रहा है। इसके अलावा ₹112.12 लाख (पिछले वर्ष: ₹ शून्य लाख) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अव्ययित खाते से खर्च की गयी राशि से संबंधित है, जैसा कि नीचे (ङ) में विस्तृत रूप से बताया गया है।

**चालू एवं पिछले वित्त वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण** **(₹ लाख में)**

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि | 1,693.52 | 1,057.73 |
| 2 | वर्ष के दौरान खर्च की गयी राशि | 1,664.58 | 724.41 |
| 3 | वर्ष के अंत में कमी / (अधिक) (1-2) | 28.93 | 333.32 |
| 4 | पिछले वर्षों से अग्रेनीत(अधिक) सीएसआर खर्च | (28.93) | (362.25) |
| 5 | चालू वर्ष में पहले खर्च की गयी अतिरिक्त राशि का समायोजन* | 28.93 | 333.32 |
| 6 | वर्ष के अंत में अग्रेनीत कुल कमी / (अधिक) खर्च | - | (28.93) |

* दिनांक 22.01.2021 की एमसीए अधिसूचना के मद्देनजर, जो भावी रूप से लागू है, अतिरिक्त खर्च की गयी राशि का उपयोग 3 लगातार वर्षों में किया जा सकता है।

**क.i वित्तीय वर्ष 2019-20 से पहले की अव्ययित राशि का विवरण (संशोधन पूर्व ढांचे के अनुसार निपटाया जा रहा है)** **(₹ लाख में)**

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| क) | प्रारंभिक शेष | 373.96 | 622.97 |
| ख) | वर्ष के दौरान व्यय | 373.96 | 249.01 |
| ग) | अंतिम शेष [कमी/(अधिक)] * (क-ख) | - | 373.96 |

*इसमें पूर्ण हो चुकी परियोजना से संबंधित ₹8.43 लाख की राशि शामिल है, जिसमें आगे कोई संवितरण की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए उक्त राशि को अनुसूची VII निधि में अंतरित करने का प्रावधान बनाया गया है

**ख.** वित्त वर्ष 2023-24 हेतु, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार औसत स्टैंडअलोन लाभ (कर पूर्व) के 2% के आधार पर ₹ 1,693.52 लाख (वित्त वर्ष 2022-23 ₹ 1,057.73 लाख) के सीएसआर बजट को मंजूरी दी थी। एक वर्ष में संस्वीकृत परियोजनाओं को परियोजना के पूरा होने के विभिन्न चरणों में मील पत्थर से जुड़े भुगतान के आधार पर बाद के वर्षों में पूरा किया जा सकता है।

**ग. वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गयी राशि: -**

**(₹ लाख में)**

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | | | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भुगतान या निपटाया गया | भुगतान अभी किया जाना है | कुल | भुगतान या निपटाया गया | भुगतान अभी किया जाना है | कुल |
| (i) | स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण; अनुसंधान और विकास से संबंधित सीएसआर गतिविधियों पर | 548.92 | 1,112.90 | 1,661.82 | 448.43 | 275.99 | 724.41 |
| (ii) | उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर - प्रशासनिक व्यय | 2.76 | - | 2.76 | - | - | - |
| | **कुल** | **551.68** | **1,112.90** | **1,664.58** | **448.43** | **275.99** | **724.41** |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**घ. चालू वर्ष या पिछले वर्ष में सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किया गया।**

**ङ. व्यय की गयी और अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: -**

**31.03.2024 को समाप्त वर्ष**

**अव्ययित राशि** **(₹ लाख में)**

| प्रारंभिक शेष | अनुसूची- VII के निर्दिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर जमा की गयी राशि | वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि | वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि* | अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|
| - | लागू नहीं | 1,693.52 | 580.61 | 1,112.90 |

*इसमें पिछले वर्ष से आगे बढ़ाई गई ₹ 28.93 लाख की राशि शामिल है

**व्यय की गयी अतिरिक्त राशि** **(₹ लाख में)**

| प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि | वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि | वर्तमान वर्ष में कमी के तहत समायोजित राशि | अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|
| 28.93 | - | - | 28.93 | - |

**चल रही परियोजनाओं के लिए :** **(₹ लाख में)**

| वित्तीय वर्ष से संबंधित | प्रारंभिक शेष | | वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि | वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि | | अंतिम शेष | | चल रही परियोजनाओं का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कंपनी के साथ | अलग सीएसआर अव्ययित खाते में | | कंपनी के बैंक खाते से | अलग सीएसआर अव्ययित खाते से | कंपनी के साथ | अलग सीएसआर अव्ययित खाते में | |
| 23-24 | - | - | 1,514.23 | 401.34 | - | 1,112.90* | - | स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित परियोजनाएँ |
| 22-23 | - | 275.99 | - | - | 112.12 | - | 163.87 | स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित परियोजनाएँ |

*चूँकि राशि चालू परियोजनाओं से संबंधित है, इसलिए इसे लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष के अंत से 30 दिनों के भीतर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

**31.03.2023 को समाप्त वर्ष**

**अव्ययित राशि** **(₹ लाख में)**

| प्रारंभिक शेष | अनुसूची- VII के निर्दिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर जमा की गयी राशि | वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि | वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि* | अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|
| - | लागू नहीं | 1,057.73 | 781.74 | 275.99 |

*इसमें पिछले वर्षों में अतिरिक्त सीएसआर व्यय की समायोजित राशि का समायोजन शामिल है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**व्यय की गयी अतिरिक्त राशि** **(₹ लाख में)**

| प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि | वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि | वर्तमान वर्ष में कमी के तहत समायोजित राशि | अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|
| 362.25 | - | - | 333.32 | 28.93 |

**चल रही परियोजनाओं के लिए :** **(₹ लाख में)**

| वित्तीय वर्ष से संबंधित | प्रारंभिक शेष | | वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि | वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि | | अंतिम शेष | | चल रही परियोजनाओं का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कंपनी के साथ | अलग सीएसआर अव्ययित खाते में | | कंपनी के बैंक खाते से | अलग सीएसआर अव्ययित खाते से | कंपनी के साथ | अलग सीएसआर अव्ययित खाते में | |
| 22-23 | - | - | 511.35 | 235.36 | - | 275.99 | - | स्वास्थ्य देखभाल से सम्बंधित परियोजनाएं |

*चूँकि राशि चालू परियोजनाओं से संबंधित है, इसलिए इसे लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष के अंत से 30 दिनों के भीतर अर्थात 24.04.2023 को अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है।

### 38. लेखा-परीक्षक को पारिश्रमिक

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष* | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष* |
|---|---|---|
| **लेखा-परीक्षक** | | |
| • सीमित समीक्षा | - | - |
| • सांविधिक लेखा-परीक्षा | 12.50 | 9.60 |
| • कर लेखा-परीक्षा | 4.17 | 3.20 |
| • अंतरिम खातों के लिए लेखा-परीक्षा शुल्क | 37.50 | 28.80 |
| **अन्य सेवाएँ** | | |
| • प्रमाणन शुल्क | 0.50 | 3.00 |
| • आईपीओ से संबंधित | 24.00** | 5.00 |
| • अन्य व्यय | - | - |
| **कुल** | **78.67** | **49.61** |

*जीएसटी छोड़कर
**शेयर जारी करने के व्यय के अंग स्वरूप और प्रतिभूति प्रीमियम से समायोजित किया जाता है। वित्तीय विवरणों हेतु नोट 26 देखें।

### 39. प्रकटीकरण - विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) मुद्दे से संबंधित एपी मामलों के लिए - 90 दिनों से अधिक बकाया राशि वाले खाते, लेकिन ऋण क्षत नहीं माने गये।

कई उधारकर्ताओं ने खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत न करने के लिए माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त किया है। तदनुसार, उधारकर्ता के बकाया ऋण को स्टेज III परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, भले ही बकाया राशि 90 दिनों से अधिक पुरानी हो। हालांकि, कंपनी ने परियोजनाओं के वित्तीय और परिचालनगत मापदंडों पर विचार करने के बाद 31.03.2024 तक अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के अनुसार बही खातों में ₹87,366.57 लाख के बकाया ऋण पर ₹52,131.28 लाख का पर्याप्त प्रावधान किया है (पिछले वर्ष : ₹89,312.93 लाख के बकाया ऋण पर ₹48,510.54 लाख का प्रावधान)। यद्यपि खातों को एनपीए के रूप में घोषित नहीं किया गया है, लेकिन आय को नकद/प्राप्ति के आधार पर इस खाते में दर्ज किया जाता है (अर्थात कोई भी 'ब्याज देय है और प्राप्त नहीं हुआ है' उसे उलट दिया जाता है और उसे ब्याज आय के रूप में नहीं लिया जाता है)।

**(₹ लाख में)**

| विवरण | खातों की संख्या | बकाया राशि | अतिदेय राशि | ईसीएल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2024 को | 7 | 87,366.57 | 67,846.60 | 52,131.28 |
| 31.03.2023 को | 7 | 89,312.93 | 54,932.69 | 47,646.73 |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**40. एकमुश्त निपटान (ओटीएस), बट्टे खाते डाला गया (ऋण परिसंपत्तियाँ)।**

**31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, पाँच ओटीएस स्वीकृत किये गये, जिनमें से एक खाता पूरी तरह से निपटाया गया है। उक्त निपटाये गये ओटीएस के प्रति कुल ₹2,023.73 लाख की राशि वसूल की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप ₹469.40 लाख की आय हुई और ₹247.78 लाख केह्रसित भत्ते का प्रतिलेखन हुआ।

**31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु**

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, सात ओटीएस स्वीकृत किये गये, जिनमें से सात खाते पूरी तरह से निपटाये गये हैं। उक्त निपटाये गये ओटीएस के प्रति कुल ₹5,390.92 लाख की राशि वसूल की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप ₹1,175.34 लाख की आय हुई है तथा ₹1,504.87 लाख के ह्रसित भत्ते का प्रतिलेखन हुआ।

कंपनी ने "एनपीए हानि परिसंपत्तियों" के रूप में वर्गीकृत सात उधारकर्ताओं से संबंधित ₹0.70 लाख की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

**41. एमएनआरई/यूएनडीपी-इरेडा योजना निधि**

कंपनी अपनी गतिविधियों के अलावा उक्त मंत्रालय के साथ किये गये समझौता ज्ञापन के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम को क्रियान्वित करती है। प्रत्येक समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, एमएनआरई ने कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कंपनी के साथ प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में एक सहमत राशि रखी है। एमएनआरई निधियों पर ब्याज प्राप्त होने पर उसका लेखा-जोखा किया जाता है। चूंकि एमएनआरई कार्यक्रम ऋणों द्वारा उत्पन्न आय कंपनी की आय नहीं है और ऋण परिसंपत्तियां भी एमएनआरई से सम्बंधित हैं, इसलिए उन्हें परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान उद्देश्यों के लिए नहीं माना जाता है। संबंधित कार्यक्रम के समापन पर, कंपनी को एमएनआरई के ऋण की शेष राशि (उस पर अर्जित ब्याज सहित), सेवा शुल्क, अपरिवर्तनीय चूक और एमओयू में निर्धारित अन्य बकाया राशि की कटौती करने के बाद एमएनआरई को हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है।

क) **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) / पूंजी सब्सिडी योजना आदि :** कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की ओर से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और योजना के तहत पंजीकृत पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूंजी आर्थिक साहाय्य के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रशासक है। इन योजनाओं के तहत, एमएनआरई द्वारा कंपनी को जीबीआई दावेदारों यानी परियोजना डेवलपर्स/डिस्कॉम को योजना के अनुसार ऊर्जा उत्पादन के लिए उसी के वितरण के उद्देश्य से निधि प्रदान की जाती है। इसलिए, अनिवार्य रूप से, गतिविधि निधियों की प्राप्ति और उपयोग है। एमएनआरई द्वारा जीबीआई निधि जारी करने के लिए, कंपनी को एमएनआरई द्वारा जारी फंड की पिछली क़िस्त के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय के लेखा-परीक्षित विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त आवश्यकता का कंपनी द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है तथा एमएनआरई द्वारा अब तक इसके अतिरिक्त कुछ भी अपेक्षित नहीं किया गया है। वैधानिक लेखापरीक्षकों ने योजना के खातों की लेखा-परीक्षा नहीं की है।

वर्ष के अंत में उपर्युक्त के कारण एमएनआरई को देय राशि, बचत बैंक/अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग-अलग बैंक खातों में रखे गए अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज सहित, नकद और नकद समकक्षों (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 3 देखें) में शामिल बैंक शेष के अलावा दिखाया गया है और संबंधित देयता तुलन पत्र में अन्य वित्तीय देयताएं (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 22 देखें) शीर्षक के अंतर्गत दिखायी गयी है।

ख) **जीईएफ-एमएनआरई-संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) परियोजना:** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) और यूएनआईडीओ ने संयुक्त रूप से अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण के लिए बायोगैस/बायो-मीथेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, नवाचारों को लक्षित करने और औद्योगिक जैविक कचरे से टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन पर जीईएफ-5 वित्त पोषित परियोजना को लागू किया है। उक्त परियोजना के अधीन यूएनआईडीओ परियोजना डेवलपर्स के लिए ब्याज दर में 5% का आर्थिक साहाय्य देने के लिए धन उपलब्ध कराएगा और कंपनी एक फंड हैंडलर है। 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, यूएनआईडीओ के प्रति शून्य दावा (पिछले वर्ष: शून्य दावे) रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में 340000 अमेरिकी डॉलर की पहली क़िस्त हेतु कंपनी को ₹ 255.14 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है।

इस प्रकार प्राप्त धनराशि को बचत बैंक/अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग-अलग बैंक खाते में रखा गया है, जिसे नकद और नकद समकक्षों में शामिल बैंक शेष के अतिरिक्त दिखाया गया है (वित्तीय विवरणों हेतु नोट 3 देखें) और संबंधित देयता को तुलन-पत्र में अन्य वित्तीय देयताएं (वित्तीय विवरणों हेतु नोट 22 देखें) शीर्षक के अधीन दिखाया गया है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### 42. एमएनआरई भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड

आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 03.10.2016 के का.ज्ञा. संख्या एफ.15 (4)-बी (सीडीएन)/2015 के अनुसार, कंपनी को ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा, ऑफ-ग्रिड/वितरित व विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा तथा निगमों व स्वायत्त निकायों में निवेश से संबंधित एमएनआरई योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु आय का उपयोग करने के लिए भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड के माध्यम से ₹4,00,000 लाख की राशि की उगाही के लिए कहा गया था। एमएनआरई और कंपनी के बीच 25 जनवरी, 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं, जिसमें दोनों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है। समझौता ज्ञापन की पृष्ठ संख्या 5 पर सामान्य खंडों की कंडिका संख्या। में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि एमएनआरई बॉण्ड के उधार को कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय गणना के लिए परिसंपत्ति/देयता के रूप में नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि एमएनआरई बॉण्ड के माध्यम से जुटायी गयी राशि उधार के साथ-साथ परिसंपत्तियों में भी दिखायी देगी, हालांकि, कंपनी के उधार/परिसंपत्तियों या आय/व्यय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान एमएनआरई की ओर से ₹1,64,000.00 लाख के भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड जुटाए थे और इसे नोट 24 - अन्य गैर-वित्तीय देनदारियों के तहत दिखाया गया है। इसके विरुद्ध विभिन्न योजनाओं/योजनाओं के लिए एमएनआरई के निर्देशों के अनुसार 31.03.2024 तक ₹1,63,879.20 लाख की राशि वितरित की गयी है (पिछले वर्ष: ₹1,63,879.20 लाख)। उक्त राशि को नोट संख्या 17 - अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत एमएनआरई से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है। यह राशि एमआईबीओआर लिंक्ड जमा में रखी गयी थी, जिस पर 31.03.2024 तक ₹1,227.76 लाख का अर्जित ब्याज (पिछले वर्ष: ₹1,160.42 लाख) नोट संख्या 24 - अन्य गैर-वित्तीय देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है। 31.03.2024 तक शेष संचयी राशि (उपार्जित/अर्जित ब्याज सहित) ₹996.03 लाख (पिछले वर्ष: ₹928.69 लाख) है, जिसे एमआईबीओआर लिंक्ड सावधि जमा में रखा गया है और 31.03.2024 तक चालू खाते में शेष राशि ₹352.53 लाख (पिछले वर्ष: ₹352.53 लाख) है, जिसे नोट संख्या 3 – संबंधित उप-शीर्षों में नकद और नकद समकक्ष में शामिल को छोड़कर बैंक शेष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, ₹12,434.70 लाख (पिछले वर्ष : ₹12,434.70 लाख) के भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड पर ब्याज निवेशकों को भुगतान हेतु देय हो गया। इसे भारत सरकार से प्राप्त कर लिया गया है और निवेशकों को भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार उगाहे गये बॉण्डों का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

**(₹ लाख में)**

| क्र. सं. | बॉण्ड श्रृंखला | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.22% भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड (श्रृंखला I - मोचन की तिथि - 06 फरवरी, 2027) | 61,000.00 | 61,000.00 |
| 2 | 7.60% भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड (श्रृंखला IA - मोचन की तिथि - 23 फरवरी, 2027) | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 3 | 7.85% भारत सरकार पूर्ण सेवित बॉण्ड (श्रृंखला IB - मोचन की तिथि - 06 मार्च, 2027) | 81,000.00 | 81,000.00 |
| | **कुल** | **1,64,000.00** | **1,64,000.00** |

### 43. एमएनआरई से प्राप्त सब्सिडी/ प्रोत्साहन तथा उनकी ओर से प्रबंधित

#### क. ब्याज सब्सिडी

सरकारी नीति के अनुसार, एमएनआरई ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रहा है जो एमएनआरई कार्यक्रमों को लागू करने वाले उधारकर्ताओं को जारी की जाती है। सह-उत्पादन, लघु जलविद्युत, ब्रिक्वेटिंग, बायोमास, सौर तापीय तथा अपशिष्ट से ऊर्जा के संबंध में ब्याज सब्सिडी एनपीवी आधार पर जारी की जाती है तथा सौर तथा एसपीवी कार्यक्रमों के लिए यह एक वास्तविक आधार पर किया जाता है। ब्याज सब्सिडी उधारकर्ताओं को अर्ध-वार्षिक आधार पर दी जाती है, बशर्ते उधारकर्ता स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन करें। ब्याज सब्सिडी के स्थायी शेष का कार्यक्रमवार विवरण निम्नानुसार है: -

**(i) एनपीवी आधार पर पहले प्राप्त तथा बकाया ब्याज सब्सिडी :-**

**(₹ लाख में)**

| समाप्त वर्ष | बायो-मास/सह-उत्पादन | लघु जल विद्युत | उप योग (क) |
|---|---|---|---|
| 31.03.2024 | 215.01 | 1.83 | 216.84 |
| 31.03.2023 | 215.01 | 1.83 | 216.84 |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**(ii) पूर्व प्राप्त ब्याज सब्सिडी एवं वास्तविक आधार पर बकाया : -**

**(₹ लाख में)**

| वर्ष समाप्त | सौर तापीय क्षेत्र | एसपीवी डब्ल्यूपी 2000-01 | एसपीवी डब्ल्यूपी 2001-02 | एसपीवी डब्ल्यूपी 1999-00 | एसपीवी डब्ल्यूपी मैन्युफैक्चरिंग | एसपीवी डब्ल्यूपी 2002-03 | अक्सेलरेटेड एसडब्ल्यूएच प्रणाली | उप योग (ख) | कुल योग (क+ख) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2024 | 0.04 | (51.35) | (136.03) | (6.85) | (2.97) | (41.39) | 0.10 | **(238.45)** | **(21.61)** |
| 31.03.2023 | 0.04 | (51.35) | (136.03) | (6.85) | (2.97) | (41.39) | 0.10 | **(238.45)** | **(21.61)** |

**ख. पूंजी सब्सिडी**

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, पूंजी सब्सिडी हेतु एमएनआरई से ₹100.00 लाख (पिछले वर्ष: ₹3,594.77) की राशि प्राप्त हुई। उपलब्ध कुल पूंजी सब्सिडी राशि में से ₹100.00 लाख (पिछले वर्ष: ₹3,594.77) पूंजी सब्सिडी योजना की शर्तों और नियमों के अनुपालन पर उधारकर्ताओं को दी गयी।

**44. हटायी गयी कंपनियों के साथ प्रकटीकरण संबंध**

| हटायी गयी कंपनी का नाम | हटायी गयी कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति | 31.03.2024 तक बकाया शेष राशि (₹ लाख में) | हटायी गयी कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो | 31.03.2023 तक बकाया शेष राशि (₹ लाख में) | हटायी गयी कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, |
|---|---|---|---|---|---|
| एसपीवी पावर लिमिटेड | प्राप्य | 0.10 | उधारकर्ता | 0.10 | उधारकर्ता |
| ओचा पाइन फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड | प्राप्य | 0.10 | उधारकर्ता | 0.10 | उधारकर्ता |

विभिन्न कानूनी मंचों में प्रमोटरों/गारंटरों से संबंधित मामलों में वसूली कार्यवाही के मद्देनजर शेष राशि को बहियों में दर्ज किया जा रहा है।

**45. अतिरिक्त जानकारी**

क) विदेशी मुद्रा में व्यय :

- यात्रा पर: ₹28.39 लाख (पिछले वर्ष: ₹15.34 लाख)
- ब्याज और प्रतिबद्धता व्यय: ₹27,859.97 लाख (पिछले वर्ष: ₹18,944.31 लाख)

ख) विदेशी मुद्रा में आय:

- ब्याज: ₹462.46 लाख (पिछले वर्ष: ₹ शून्य लाख)

ग) वर्ष के दौरान, केएफडब्ल्यू ने भारत में सौर पीवी परियोजना पाइपलाइन हेतु तकनीकी सहायता आदि के लिए केएफडब्ल्यू IV ऋण श्रृंखलाओं के संबंध में कंपनी को मंजूर किये गये 0.60 मिलियन यूरो के तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के विरुद्ध ₹शून्य लाख (पिछले वर्ष: ₹48.29 लाख) का भुगतान किया (जिसमें प्रत्यक्ष संवितरण प्रक्रियाओं के तहत टीए कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त सलाहकारों को सीधे ₹ शून्य लाख और करों हेतु कंपनी को सीधे ₹ शून्य लाख शामिल हैं)।

घ) वर्ष के दौरान, मैसर्स केएफडब्ल्यू ने क्षमता निर्माण उपायों हेतु विशेषज्ञ सेवाओं और कंपनी के लिए संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की लागत के लिए केएफडब्ल्यू VI ऋण सीमा के संबंध में कंपनी को मंजूर किये गये 1 मिलियन यूरो के टीएपी के प्रति ₹ शून्य लाख (पिछले वर्ष : ₹ 116.15 लाख) का भुगतान किया (जिसमें प्रत्यक्ष संवितरण प्रक्रियाओं के तहत टीए कार्यक्रम के तहत नियुक्त सलाहकारों को सीधे ₹ शून्य लाख और करों के लिए कंपनी को सीधे ₹ शून्य लाख शामिल हैं)।

ङ) विश्व बैंक ने आईबीआरडी III ऋण सीमा के तहत सोलर पार्क्स परियोजना के लिए साझा बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में सहायता के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (सीटीएफ) अनुदान मंजूर किया है। वर्ष के दौरान, विश्व बैंक ने सीटीएफ अनुदान के तहत कंपनी को ₹ 305.00 लाख (पिछले वर्ष: ₹174.55 लाख) जारी किये, जिसमें राजस्व व्यय हेतु₹ 244.83 लाख (पिछले वर्ष : ₹49.96 लाख) और पूंजीगत व्यय हेतु₹ 60.17 लाख (पिछले वर्ष : ₹124.59 लाख) शामिल हैं।

च) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण: कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**46. परिसंपत्ति और देयताओं के अधीन प्रत्येक व्यवसाय मद के लिए 12 महीने के अंदर और उसके बाद वसूल/निपटान की जाने वाली अपेक्षित राशि**

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 12 महीनों के अंदर | 12 महीनों से ज़्यादा | कुल |
| I. | **परिसंपत्तियां** | | | |
| अ | **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | |
| | (क) नकद और नकद समकक्ष | 7,421.32 | - | 7,421.32 |
| | (ख) उपर्युक्त (क) के अलावा बैंक शेष | 60,039.79 | 6,127.41 | 66,167.20 |
| | (ग) व्युत्पन्नीन्न वित्तीय लिखत | 12,233.55 | 36,144.91 | 48,378.46 |
| | (घ) प्राप्य | | | |
| | (I) व्यापार प्राप्य | 441.52 | 160.23 | 601.75 |
| | (II) अन्य प्राप्य | - | - | |
| | (ङ) ऋण | 8,66,675.27 | 50,10,833.60 | 58,77,508.86 |
| | (च) निवेश | - | 9,933.92 | 9,933.92 |
| | (छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 1,368.04 | 1,174.05 | 2,542.09 |
| | **कुल (अ)** | **9,48,179.48** | **50,64,374.12** | **60,12,553.60** |
| ब | **गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | | | |
| | (क) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल) | 15,540.74 | - | 15,540.74 |
| | (ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) | - | 28,944.30 | 28,944.30 |
| | (ग) निवेश संपत्ति | - | 2.48 | 2.48 |
| | (घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | - | 20,639.55 | 20,639.55 |
| | (ङ) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर | - | - | - |
| | (च) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति | - | 14,988.52 | 14,988.52 |
| | (छ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ | - | - | - |
| | (ज) अमूर्त परिसंपत्तियाँ | - | 478.07 | 478.07 |
| | (झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 745.77 | 1,66,148.88 | 1,66,894.65 |
| | **कुल (ब)** | **16,286.51** | **2,31,201.80** | **2,47,488.31** |
| | **कुल परिसंपत्तियाँ (अ+ब)** | **9,64,465.99** | **52,95,575.92** | **62,60,041.91** |
| II. | **देयताएँ और इक्विटी** | | | |
| | **देयताएँ** | | | |
| अ | **वित्तीय देयताएँ** | | | |
| | (क) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत | 18,121.54 | 2,680.37 | 20,801.91 |
| | (ख) देय राशि | | | |
| | (i ) व्यापार देय राशि | 730.33 | - | 730.33 |
| | (ग) ऋण प्रतिभूतियाँ | - | 17,71,361.13 | 17,71,361.13 |
| | (घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) | 8,69,287.13 | 22,63,096.47 | 31,32,383.60 |
| | (ङ) अधीनस्थ देयताएँ | - | 64,941.24 | 64,941.24 |
| | (च) अन्य वित्तीय देयताएँ | 92,394.06 | 41,635.88 | 1,34,029.94 |
| | **कुल (अ)** | **9,80,533.06** | **41,43,715.09** | **51,24,248.15** |
| ब | **गैर-वित्तीय देयताएँ** | | | |
| | (क) प्रावधान | - | 99,111.02 | 99,111.02 |
| | (ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ | - | 1,80,740.20 | 1,80,740.20 |
| | **कुल (ब)** | **-** | **2,79,851.22** | **2,79,851.22** |
| स | **इक्विटी** | | | |
| | (क) इक्विटी शेयर पूंजी | - | 2,68,776.47 | 2,68,776.47 |
| | (ख) अन्य इक्विटी | - | 5,87,166.07 | 5,87,166.07 |
| | **कुल (स)** | **-** | **8,55,942.54** | **8,55,942.54** |
| | **कुल देयताएं और इक्विटी (अ+ब+स)** | **9,80,533.06** | **52,79,508.85** | **62,60,041.91** |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2023 को | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 12 महीनों के अंदर | 12 महीनों से ज़्यादा | कुल |
| I. | **परिसंपत्तियां** | | | |
| अ | **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | |
| | (क) नकद और नकद समकक्ष | 13,845.00 | - | 13,845.00 |
| | (ख) उपर्युक्त (क) के अलावा बैंक शेष | 75,298.24 | 6,325.81 | 81,624.05 |
| | (ग) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत | 258.36 | 57,146.84 | 57,405.20 |
| | (घ) प्राप्य | | | |
| | (I) व्यापार प्राप्य | 491.38 | 9.87 | 501.25 |
| | (II) अन्य प्राप्य | - | - | - |
| | (ङ) ऋण | 7,47,943.06 | 38,74,749.27 | 46,22,692.33 |
| | (च) निवेश | - | 9,930.26 | 9,930.26 |
| | (छ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 2,055.16 | 1,125.41 | 3,180.56 |
| | **कुल (अ)** | **8,39,891.20** | **39,49,287.45** | **47,89,178.65** |
| ब | **गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ** | | | |
| | (क) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल) | 14,392.42 | - | 14,392.42 |
| | (ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल) | - | 30,100.18 | 30,100.18 |
| | (ग) निवेश संपत्ति | - | 2.97 | 2.97 |
| | (घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | - | 21,284.30 | 21,284.30 |
| | (ङ) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर | - | 13,926.35 | 13,926.35 |
| | (च) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति | - | 1,585.82 | 1,585.82 |
| | (छ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ | 485.57 | - | 485.57 |
| | (ज) अमूर्त परिसंपत्तियाँ | - | 1.44 | 1.44 |
| | (झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 8,874.15 | 1,64,868.23 | 1,73,742.39 |
| | **कुल (ब)** | **23,752.15** | **2,31,769.29** | **2,55,521.44** |
| | **कुल परिसंपत्तियाँ (अ+ब)** | **8,63,643.35** | **41,81,056.74** | **50,44,700.09** |
| II. | **देयताएँ और इक्विटी** | | | |
| | **देयताएँ** | | | |
| अ | **वित्तीय देयताएँ** | | | |
| | (क) व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत | 8,806.72 | 6,340.14 | 15,146.86 |
| | (ख) देय राशि | | | |
| | (I) व्यापार देय राशि | 449.05 | 1.22 | 450.28 |
| | (ग) ऋण प्रतिभूतियाँ | 48,105.04 | 10,36,223.30 | 10,84,328.34 |
| | (घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) | 8,03,668.21 | 20,63,598.15 | 28,67,266.36 |
| | (ङ) अधीनस्थ देयताएँ | - | 64,933.29 | 64,933.29 |
| | (च) अन्य वित्तीय देयताएँ | 92,266.89 | 41,276.47 | 1,33,543.36 |
| | **कुल (अ)** | **9,53,295.91** | **32,12,372.58** | **41,65,668.48** |
| ब | **गैर-वित्तीय देयताएँ** | | | |
| | (क) प्रावधान | 8,799.47 | 1,03,016.33 | 1,11,815.80 |
| | (ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएँ | 5,553.22 | 1,68,145.63 | 1,73,698.86 |
| | **कुल (ब)** | **14,352.70** | **2,71,161.96** | **2,85,514.66** |
| स | **इक्विटी** | | | |
| | (क) इक्विटी शेयर पूंजी | - | 2,28,460.00 | 2,28,460.00 |
| | (ख) अन्य इक्विटी | - | 3,65,056.95 | 3,65,056.95 |
| | **कुल (स)** | **-** | **5,93,516.95** | **5,93,516.95** |
| | **कुल देयताएं और इक्विटी (अ+ब+स)** | **9,67,648.60** | **40,77,051.49** | **50,44,700.09** |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**47. मास्टर निर्देश-भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 दिनांक 19.10.23 (संशोधित) के संदर्भ में प्रकटीकरण**

**क. कंपनी द्वारा कार्यान्वित संकल्प योजनाएँ**

**(₹ लाख में)**

| समाप्त वर्ष | उधार संख्या | वर्ष के अंत में बकाया मूलधन | ईसीएल के अनुसार हानि भत्ता |
|---|---|---|---|
| 31.03.2024 | - | - | - |
| 31.03.2023 | 1 | 5,565.22 | 3,349.93 |

**ख. पूँजी** **(₹ लाख में)**

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|---|
| 1 | सीआरएआर (%) | 20.11% | 18.82% |
| 2 | सीआरएआर – टियर I पूंजी (%) | 18.08% | 15.71% |
| 3 | सीआरएआर – टियर II पूंजी (%) | 2.03% | 3.11% |
| 4 | टियर-II पूंजी के रूप में उगाहे गये अधीनस्थ ऋण की राशि (₹लाख में) | 64,941.24 | 64,933.29 |
| 5 | स्थायी ऋण लिखतों के निर्गम द्वारा उगाही गयी राशि | - | - |

सीआरएआर का निर्धारण टियर I/टियर II पूंजी और जोखिम भारित परिसंपत्ति (आरडब्ल्यूए) के आधार पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है।

**ग. निवेश** **(₹ लाख में)**

| विवरण | | | | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **निवेश मूल्य** | | | | |
| | (i) | निवेश का सकल मूल्य | | | |
| | | (क) | भारत में | | |
| | | | - एमआईबीओआर से जुड़ी फ्लेक्सी जमा (अर्जित ब्याज सहित) | 66.09 | 4,142.42 |
| | | | - भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (उद्धृत) (अर्जित ब्याज सहित) | 10,130.31 | 10,126.66 |
| | | | - वाणिज्यिक कागजात (पूर्णत: ह्रासित) | 6,899.11 | 6,899.11 |
| | | (ख) | भारत के बाहर | - | - |
| | (ii) | ह्रसित हेतु प्रावधान | | | |
| | | (क) | भारत में | 6,899.11 | 6,899.11 |
| | | (ख) | भारत के बाहर | - | - |
| | (iii) | निवेश का निवल मूल्य | | | |
| | | (क) | भारत में | 10,196.40 | 14,269.08 |
| | | (ख) | भारत के बाहर | - | |
| **(2)** | **निवेश पर हानि के लिए रखे गये प्रावधानों का संचलन।** | | | | |
| | (i) | प्रारंभिक शेष | | 6,899.11 | 6,899.11 |
| | (ii) | जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान | | - | - |
| | (iii) | घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / वापस करना | | - | - |
| | (iv) | अंतिम शेष | | 6,899.11 | 6,899.11 |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### घ. व्युत्पन्नी

❖ **वादा दर संविदा / ब्याज दर स्वैप समझौता**

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|---|
| i) | स्वैप समझौतों का काल्पनिक मूलधन* | 7,66,102.74 | 8,74,469.35 |
| ii) | घाटे जो प्रतिपक्षों द्वारा समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने पर उठाए जाएँगे | 48,378.46 | 57,405.20 |
| iii) | स्वैप में प्रवेश करने पर लागू एनबीएफसी द्वारा आवश्यक संपार्श्विक | लागू नहीं | लागू नहीं |
| iv) | स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण ** | नोट देखें* | नोट देखें* |
| v) | स्वैप बही का उचित मूल्य | 27,576.55 | 42,258.34 |

* काल्पनिक मूलधन, समापन तिथियों हेतु आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करके भारतीय रुपये में परिवर्तित विदेशी मुद्रा में सौदे की राशि को दर्शाता है।

**आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्वैप और व्युत्पन्नी एसोसिएशन (आईएसडीए) बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी भारतीय बैंक और विदेशी बैंक) के साथ स्वैप समझौते करती है। बैंकों के साथ किये गये सभी स्वैप समझौते बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के भीतर हैं।

❖ **विनिमय व्यापार ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव्स - शून्य**

❖ **व्युत्पन्नी में जोखिम अनावरण पर प्रकटीकरण**

**क) गुणात्मक प्रकटीकरण**

(i) कंपनी ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और अन्य परिसंपत्ति देयता बेमेल सहित विभिन्न बाजार जोखिमों से अवहित है।

(ii) सभी व्युत्पन्नी सौदे विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति (एफएमसी) की देखरेख में किये जाते हैं। कंपनी को विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और ब्याज दर जोखिम से बचाने के लिए, कंपनी ने व्युत्पन्नी लिखत के माध्यम से ऐसे जोखिम को कम करने के लिए आईएसडीए बैंकों के साथ दीर्घकालिक समझौते किये हैं।

(iii) कंपनी मामले-दर-मामला आधार पर बचाव लिखत अपनाकर विनिमय में उतार-चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में, 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने जेआईसीए-II ऋण सुविधा के अंतर्गत दो आईएसडीए बैंकरों के साथ तीन वायदा संविदा किये हैं।

(iv) कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्नी जोखिम प्रबंधन नीति बनायी है, जो खुले जोखिम की अधिकतम स्वीकार्य सीमा को परिभाषित करती है और जो बकाया विदेशी मुद्रा ऋण के 40% से अधिक नहीं हो सकती है। 31.03.2024 तक कंपनी का विदेशी मुद्रा ऋण खुला जोखिम कुल विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम का 22.18 % (पिछले वर्ष: 18.62%) है।

**ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण**

**31.03.2024 को**

| क्र. सं. | विवरण | | वायदा संविदा सहित मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस) | परस्पर लेनदेन मुद्रा ब्याज दर स्वैप (i) सहित ब्याज दर व्युत्पन्नी |
|---|---|---|---|---|
| i) | व्युत्पन्न (काल्पनिक मूलधन राशि)* | | | |
| | बचाव हेतु(मिलियन में) | | € 134.40 | € 1.11 |
| | | | $ 530.40 | $ 37.99 |
| | | | ¥ 28,522.57 | ¥ 2,094.87 |
| | मूल्य ( ₹ लाख में) | | 7,21,881.76 | 44,220.98 |
| ii) | बाजार स्थिति हेतु चिह्नित | | | |
| | क) | परिसंपत्ति (+) (₹ लाख में) | 42,282.84 | 6,095.62 |
| | ख) | देयता (-) (₹ लाख में) | (19,719.75) | (1,082.16) |
| (iii) | ऋण प्रकटीकरण | | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (iv) | बचाव-रहित प्रकटीकरण (बकाया मूलधन राशि हेतु जिसमें आंशिक बचाव शामिल है जिसे बचाव नहीं माना जाता है) (₹ लाख में) | | 2,06,229.85 | |

*काल्पनिक मूलधन, समापन तिथियों हेतु आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करते हुए भारतीय रुपये में परिवर्तित विदेशी मुद्रा में बकाया सौदे की राशि को दर्शाता है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**31.03.2023 को**

| क्र. सं. | विवरण | वायदा संविदा सहित मुद्रा व्युत्पन्नी (पीओएस) | परस्पर लेनदेन मुद्रा ब्याज दर स्वैप सहित ब्याज दर व्युत्पन्नी |
|---|---|---|---|
| (i) | व्युत्पन्नी (काल्पनिक मूलधन राशि)* | | |
| | बचाव हेतु(मिलियन में) | € 157.45 | € 1.11 |
| | | $ 563.64 | $ 42.66 |
| | | ¥ 35,754.29 | ¥ 2,094.87 |
| | मूल्य ( ₹ लाख में) | 8,25,452.87 | 49,016.48 |
| (ii) | बाजार स्थिति हेतु चिह्नित | | |
| | क) परिसंपत्ति (+) (₹ लाख में) | 50,547.63 | 6,857.57 |
| | ख) देयता (-) (₹ लाख में) | (15,146.86) | - |
| (iii) | ऋण जोखिम | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (iv) | बचाव-रहित प्रकटीकरण (बकाया मूलधन राशि हेतु जिसमें आंशिक बचाव शामिल है जिसे बचाव नहीं माना जाता है) (₹ लाख में) | 1,88,629.68 | |

*काल्पनिक मूलधन, समापन तिथियों के लिए आरबीआई संदर्भ दर का उपयोग करते हुए भारतीय रुपये में परिवर्तित विदेशी मुद्रा में बकाया सौदे की राशि को दर्शाता है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**ङ. परिसंपत्तियों और देयताओं के कतिपय मदों की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता पद्धति**

**31.03.2024 को** (₹ लाख में)

| विवरण | 7 दिनों तक | 8 से 14 दिन | 14 दिनों से ऊपर -30/31 दिन | 1 महीने से ऊपर-2 महीने | 2 महीने से ऊपर-3 महीने | 3 महीने से ऊपर-6 महीने तक | 6 महीने से ऊपर-1 साल तक | 1 साल से ऊपर एवं 3 साल तक | 3 साल से ऊपर एवं 5 साल तक | 5 साल से ऊपर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमा | 66.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **66.09** |
| ब्याज सहित अग्रिम | 102.43 | - | 39,628.35 | 40,379.31 | 99,190.25 | 2,00,256.08 | 4,89,634.25 | 15,99,299.20 | 8,82,282.61 | 25,40,434.77 | **58,91,207.27** |
| निवेश | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,933.92 | **9,933.92** |
| रुपया उधार | 8,262.43 | - | 22,916.67 | 41,964.00 | 1,30,668.93 | 2,45,029.50 | 3,38,619.72 | 13,05,057.59 | 4,65,164.58 | 14,81,908.03 | **40,39,591.45** |
| विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां | 57.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **57.52** |
| विदेशी मुद्रा देयताएं | - | - | 7,250.33 | 5,685.00 | 10,896.52 | 17,080.19 | 40,913.84 | 1,63,656.28 | 1,53,104.52 | 5,31,279.88 | **9,29,866.56** |

**31.03.2023 को** (₹ लाख में)

| विवरण | 7 दिनों तक | 8 से 14 दिन | 14 दिनों से ऊपर -30/31 दिन | 1 महीने से ऊपर-2 महीने | 2 महीने से ऊपर-3 महीने | 3 महीने से ऊपर-6 महीने तक | 6 महीने से ऊपर-1 साल तक | 1 साल से ऊपर एवं 3 साल तक | 3 साल से ऊपर एवं 5 साल तक | 5 साल से ऊपर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमा | - | - | - | - | - | 4,206.58 | - | - | - | - | **4,206.58** |
| ब्याज सहित अग्रिम | 548.78 | - | 46,302.08 | 43,721.81 | 89,567.79 | 1,96,153.03 | 3,74,282.86 | 10,68,542.83 | 7,50,154.16 | 20,68,022.15 | **46,37,295.49** |
| निवेश | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,930.26 | **9,930.26** |
| रुपया उधार | - | - | 52,083.33 | 37,964.00 | 1,03,531.40 | 1,12,914.93 | 4,58,535.44 | 9,90,324.35 | 3,69,243.60 | 8,78,882.77 | **30,03,479.83** |
| विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| विदेशी मुद्रा देयताएं | - | - | 6,966.38 | 11,807.55 | 11,340.60 | 7,342.52 | 49,287.09 | 1,60,774.66 | 1,60,863.41 | 6,04,910.51 | **10,13,292.72** |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट
## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**च. एक्सपोजर**

❖ **रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर**

31.03.2024 तक कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई एक्सपोजर नहीं है (पिछले साल : शून्य)।

❖ **पूंजी बाजार में एक्सपोजर**

31.03.2024 तक कंपनी का पूंजी बाजार में कोई एक्सपोजर नहीं है (पिछले साल : शून्य)।

❖ **क्षेत्रीय एक्सपोजर**

| क्षेत्र | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | | | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल एक्सपोजर (तुलन-पत्र और तुलन-पत्र से बाहर एक्सपोजर शामिल हैं) (₹ लाख) | सकल एनपीए (₹लाख) | उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर में सकल एनपीए का प्रतिशत | कुल एक्सपोजर (तुलन-पत्र और तुलन-पत्र से बाहर एक्सपोजर शामिल हैं) (₹ लाख) | सकल एनपीए (₹लाख) | उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर में सकल एनपीए का प्रतिशत |
| **1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ** | - | - | - | - | - | - |
| **2. उद्योग** | | | | | | |
| i) नवीकरणीय ऊर्जा | 61,32,472.46 | 1,41,085.31 | 2.30% | 48,92,817.69 | 1,51,335.42 | 3.09 % |
| **उद्योग का योग (i+ii+अन्य)** | | | | | | |
| **3. सेवाएँ** | | | | | | |
| अन्य | - | - | - | - | - | - |
| **सेवाओं का योग (i+ii+अन्य)** | | | | | | |
| **4. व्यक्तिगत ऋण** | | | | | | |
| अन्य | - | - | - | - | - | - |
| **व्यक्तिगत ऋणों का योग (i+ii+अन्य)** | | | | | | |
| **5. अन्य, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें)** | - | - | - | - | - | - |

❖ **अंतर-समूह एक्सपोजर**

अंतर-समूह एक्सपोजर से संबंधित एक्सपोजर निम्नलिखित हैं:-

**(₹ लाख में)**

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|---|
| i | अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि | - | - |
| ii | शीर्ष 20 अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि | - | - |
| iii | उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर में अंतर-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत | - | - |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

❖ **बचाव रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर**

वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38(21) देखें।

**छ. मूल कंपनी उत्पादों के वित्तपोषण का विवरण** – लागू नहीं

❖ **लागू एनबीएफसी द्वारा पार की गयी एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण।**

**31.03.2024 को सीमा से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची**

| क्र. सं. | नाम | एक्सपोजर ( ₹ लाखों में) | % |
|---|---|---|---|
| | शून्य | | |

31.12.2023 तक टियर I पूंजी/स्वामित्व निधि ₹7,85,701.42 लाख है

**31.03.2023 को सीमा से अधिक एकल एक्सपोजरों की सूची**

| क्र. सं. | नाम | एक्सपोजर ( ₹ लाखों में) | % |
|---|---|---|---|
| | शून्य | | |

31.12.2022 तक टियर I /स्वामित्व निधि पूंजी ₹5,20,635.89 लाख है

**31.03.2024 को सीमा से अधिक समूह एक्सपोजरों की सूची**

| क्र. सं. | समूह का नाम | एक्सपोजर ( ₹ लाखों में) | % |
|---|---|---|---|
| | शून्य | | |

31.12.2023 तक टियर I पूंजी/स्वामित्व निधि ₹7,85,701.42 लाख है

**31.03.2023 को सीमा से अधिक समूह एक्सपोजरों की सूची**

| क्र. सं. | समूह का नाम | एक्सपोजर ( ₹ लाखों में) | % |
|---|---|---|---|
| | शून्य | | |

31.12.2022 तक टियर I /स्वामित्व निधि पूंजी ₹5,20,635.89 लाख है

**ज. विविध**

❖ **अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों से प्राप्त पंजीकरण :**

| क्र. सं. | विनियामक का नाम | विवरण | पंजीकरण विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय | कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) | L65100DL1987GOI027265* |
| 2 | भारतीय रिजर्व बैंक | पंजीकरण संख्या | 14.000012 |
| 3 | लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड | एलईआई संख्या | 335800AXWFKW4BC99J48 |

*मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर कंपनी के इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के अनुसरण में, कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) को "U65100DL1987GOI027265" से "L65100DL1987GOI027265" में अद्यतन किया गया है। इसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ भी अद्यतन किया गया है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

- कंपनी के पास विदेश में संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों के रूप में कोई विदेशी परिसंपत्तियां नहीं हैं।
- कंपनी द्वारा प्रायोजित तुलन-पत्र से बाहर कोई एसपीवी नहीं है।

**झ. वर्ष के दौरान आरबीआई और अन्य विनियामकों द्वारा लगाये गये दंड का प्रकटीकरण :**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी विनियामक द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है [पिछले वर्ष : महिला निदेशक की नियुक्ति न करने के संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा लगाया गया ₹ 2.62 लाख का जुर्माना, जो विवाद में है]। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38(17) देखें।

**ञ. शिकायतों का प्रकटीकरण : -**

**1) कंपनी को अपने शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी**

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | - | - |
| 2 | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 2246 | - |
| 3 | वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या | 2242 | - |
| 4 | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 04 | - |

**2) कंपनी को अपने डिबेंचर धारकों/बॉण्ड धारकों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी**

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1) | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | - | - |
| 2) | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 28 | 59 |
| 3) | वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या | 28 | 59 |
| 4) | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | - | - |

**3) ग्राहकों से और लोकपाल कार्यालयों से कंपनी को प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी**

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| | **एनबीएफसी को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें** | | |
| 1. | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | - | - |
| 2. | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | - | 1 |
| 3. | वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या | - | 1 |
| **3.1** | इनमें से एनबीएफसी द्वारा रद्द की गयी शिकायतों की संख्या | - | - |
| 4. | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | - | - |
| | **लोकपाल कार्यालय से एनबीएफसी को प्राप्त होने वाली सुनवाई योग्य शिकायतें** | | |
| 5. | लोकपाल कार्यालय से एनबीएफसी को प्राप्त होने वाली सुनवाई योग्य शिकायतों की संख्या | 1* | 1** |
| **5.1** | 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा एनबीएफसी के पक्ष में हल की गयी शिकायतों की संख्या | - | 1 |
| **5.2** | 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी किये गये सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गयी शिकायतों की संख्या | - | - |
| **5.3** | 5 में से, एनबीएफसी के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा पंचाट पारित करने के बाद हल की गयी शिकायतों की संख्या | - | - |
| 6. | निर्धारित समय के भीतर लागू न किये गये पंचाटों की संख्या (उन लोगों के अलावा जिन्होंने अपील किया था) | - | - |

*आरबीआई सीएमएस टीम के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई; वित्तीय वर्ष के अंत में इसकी जांच की जा रही है।

**एक शिकायत सीधे ग्राहक से और एक आरबीआई सीएमएस टीम के माध्यम से प्राप्त हुई, दोनों की जांच की गयी और उपर्युक्त उत्तर भेजे गये। हालांकि, दोनों स्रोतों से कोई पुनर्निर्देशन नहीं आया।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**एनबीएफसी को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार।**

| शिकायतों का आधार, (अर्थात निम्न से संबंधित शिकायतें) | वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का % | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 5 में से, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु | | | | | |
| ऋण और अग्रिम | - | 1 | (100%) | 1 | - |
| **कुल** | **-** | **1** | **(100%)** | **1** | **-** |
| 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु | | | | | |
| ऋण और अग्रिम | - | 2 | 200% | - | - |
| **कुल** | **-** | **2** | **200%** | **-** | **-** |

**ट. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गयी रेटिंग और रेटिंग का स्थानांतरण।**

कंपनी ने कर योग्य/कर-मुक्त/बैंक ऋण जारी करके संसाधन जुटाए हैं, जिसके लिए उसने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों से इन जारी ऋणों के लिए रेटिंग प्राप्त की है। 31 मार्च, 2024 तक विवरण निम्नानुसार हैं:

| क्र. सं. | रेटिंग एजेंसी | कर योग्य/कर-मुक्त बॉण्ड/उप ऋण पर दीर्घकालिक रेटिंग | बैंक ऋण उधार पर रेटिंग |
|---|---|---|---|
| 1. | आईसीआरए | आईसीआरए / एएए (स्थिर) | आईसीआरए / एएए (स्थिर) |
| 2. | सीएआरई | सीएआरई एए+/ सकारात्मक | सीएआरई एए+ / सकारात्मक |
| 3. | इंडिया रेटिंग्स | इंड एएए / स्थिर | इंड एएए / स्थिर |
| 4. | ब्रिकवर्क रेटिंग्स | बीडब्ल्यूआर / एएए / स्थिर | बीडब्ल्यूआर / एएए / स्थिर |
| 5. | एक्यूइट रेटिंग | लागू नहीं | एक्यूइट एएए / स्थिर |

नोट: बैंक उधार में अल्पकालिक ऋण शामिल हैं।

**रेटिंग का स्थानांतरण :**

| क्र. सं. | रेटिंग एजेंसी | पिछली रेटिंग | वर्तमान रेटिंग | मंतव्य |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भारत रेटिंग्स | इंड एए +/ सकारात्मक | इंड एएए/ स्थिर | अपग्रेड किया गया |
| 2. | ब्रिकवर्क रेटिंग्स | बीडब्ल्यूआर बीबी+/ स्थिर / जारीकर्ता सहयोग नहीं कर रहा है | बीडब्ल्यूआर एएए/ स्थिर | जारीकर्ता सहयोग नहीं कर रहा है श्रेणी से हटाया गया / अपग्रेड किया गया |

जुलाई 2023 में, ब्रिकवर्क्स रेटिंग ने हमारी रेटिंग को "एएए स्थिर" से "एएए स्थिर 'जारीकर्ता सहयोग नहीं कर रहा है" में बदल दिया और बाद में जनवरी 2024 में इसे घटाकर बीडब्ल्यूआर बीबी+/स्थिर/ जारीकर्ता सहयोग नहीं कर रहा है कर दिया। यह ब्रिकवर्क के लाइसेंस को दी जा रही चुनौती के कारण था, जिसके कारण हमने डेटा प्रदान करने से पहले लाइसेंस की वैधता के बारे में जानकारी मांगी थी। हालाँकि, फरवरी 2024 के दौरान, रेटिंग को आगे बढ़ाकर बीडब्ल्यूआर एएए/स्थिर/जारीकर्ता सहयोग नहीं कर रहा श्रेणी से हटा दिया गया/ अपग्रेड किया गया है।

❖ **भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड को रेटिंग प्रदान की गयी**

| रेटिंग एजेंसी | लिखत/उद्देश्य/ जारी | रेटिंग |
|---|---|---|
| सीएआरई रेटिंग्स लिमिटेड | भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड | एएए, स्थिर |
| इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड | | |
| आईसीआरए लिमिटेड | | |

वर्ष के दौरान भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्डों की रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### ठ. जमा, अग्रिम, जोखिम और एनपीए का संकेन्द्रण

❖ **अग्रिमों का संकेन्द्रण**

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिये गये कुल अग्रिम | 25,56,740.38 | 18,71,178.54 |
| कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों का प्रतिशत | 42.83% | 39.75% |

❖ **एक्स्पोजर का संकेन्द्रण**

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल एक्स्पोजर | 25,56,740.38 | 18,71,178.54 |
| उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर लागू एनबीएफसी के कुल एक्स्पोजरों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिये गये एक्स्पोजरों का प्रतिशत | 42.83% | 39.75% |

उपर्युक्त में शीर्ष-20 उधारकर्ताओं के संबंध में 31.03.2024 तक ₹10,277.70 लाख (पिछले वर्ष : ₹46,690 लाख) का गैर-निधि एक्स्पोजर शामिल नहीं है ।

❖ **एनपीए का संकेन्द्रण**

(₹ लाख में)

| विवरण | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|
| शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्स्पोजर | 58,931.18 | 59,061.78 |

❖ **क्षेत्र-वार एनपीए**

| क्र. सं. | क्षेत्र | उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| | | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
| 1. | कृषि व संबद्ध गतिविधियाँ | - | - |
| 2. | एमएसएमई | - | - |
| 3. | कॉर्पोरेट उधारकर्ता | 2.36% | 3.21% |
| 4. | सेवाएँ | - | - |
| 5. | अरक्षित व्यक्तिगत ऋण | - | - |
| 6. | ऑटो ऋण | - | - |
| 7. | अन्य व्यक्तिगत ऋण | - | - |

नोट – कंपनी कॉर्पोरेट उधारकर्ता को आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण के व्यवसाय में युक्त है, इसलिए सकल एनपीए % का योग कॉर्पोरेट उधारकर्ता में दिखाया गया है।

❖ **एनपीए संचलन**

(₹ लाख में)

| विवरण | | | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|---|---|
| (i) | निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%) | | 0.99% | 1.66% |
| (ii) | एनपीए संचलन(सकल) | | | |
| | (क) | प्रारंभिक शेष | 1,51,335.42 | 1,76,825.45 |
| | (ख) | वर्ष के दौरान संयोजन | 4,433.85 | 789.22 |
| | (ग) | वर्ष के दौरान कमी | 14,683.96 | 26,279.24 |
| | (घ) | अंतिम शेष | 1,41,085.31 | 1,51,335.42 |
| (iii) | निवल एनपीए संचलन | | | |
| | (क) | प्रारंभिक शेष | 76,802.40 | 1,03,539.01 |
| | (ख) | वर्ष के दौरान संयोजन | 1,261.99 | 696.63 |
| | (ग) | वर्ष के दौरान कमी | 19,943.24 | 27,433.24 |
| | (घ) | समापन शेष | 58,121.15 | 76,802.40 |
| (iv) | एनपीए हेतु प्रावधानों संचलन(मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर) | | | |
| | (क) | प्रारंभिक शेष | 74,533.03 | 73,286.44 |
| | (ख) | वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान | 15,761.97 | 16,115.25 |
| | (ग) | अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/वापस लेना | 7,330.84 | 14,868.66 |
| | (घ) | अंतिम शेष | 82,964.16 | 74,533.03 |

वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38(40) भी देखें।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### ड. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचा

**i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा और उधार दोनों) के आधार पर वित्तपोषण संकेन्द्रण** (₹ लाख में)

| क्र.सं. | अवधि | महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष की संख्या* | राशि | कुल जमा का % | कुल देयताओं का % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.03.2024 को | 28.00 | 43,36,113.57 | लागू नहीं | 80.24% |
| 2 | 31.03.2023 को | 25.00 | 36,45,611.82 | लागू नहीं | 81.90% |

***नोट :**

- एक "महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष" को एक एकल प्रतिपक्ष या जुड़े हुए या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कुल मिलाकर कंपनी की कुल देयताओं का 1% से अधिक हिस्सा लेते हैं।
- कुल देयताओं की गणना कुल परिसंपत्तियों में से इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षित निधि और अधिशेष को घटाकर की गयी है।

**ii) शीर्ष 20 बड़ी जमा**

(₹ लाख में)

| अवधि | बड़ी जमा | राशि | कुल जमा का % |
|---|---|---|---|
| **31.03.2024 को** | **लागू नहीं** | | |
| **31.03.2023 को** | | | |

**iii) शीर्ष 10 उधार**

**31.03.2024 को** (₹ लाख में)

| क्र.सं. | उधार | राशि | कुल उधार का % |
|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय स्टेट बैंक | 9,21,908.67 | 18.55% |
| 2 | जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) | 3,02,161.74 | 6.08% |
| 3 | बैंक ऑफ इंडिया | 2,71,874.15 | 5.47% |
| 4 | यूरोपीयन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) | 2,71,776.05 | 5.47% |
| 5 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 2,35,000.00 | 4.73% |
| 6 | नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) | 2,05,000.00 | 4.13% |
| 7 | पंजाब नेशनल बैंक | 1,63,125.00 | 3.28% |
| 8 | 7.94% इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XII- डी | 1,50,000.00 | 3.02% |
| 9 | एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) | 1,22,281.72 | 2.46% |
| 10 | 7.53% इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XV-एफ | 1,22,200.00 | 2.46% |

**31.03.2023 को** (₹ लाख में)

| क्र.सं. | उधार | राशि | कुल उधार का % |
|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय स्टेट बैंक | 5,67,790.00 | 14.14% |
| 2 | जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) | 3,52,526.72 | 8.78% |
| 3 | बैंक ऑफ इंडिया | 3,41,585.23 | 8.50% |
| 4 | यूरोपीयन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) | 2,86,143.30 | 7.12% |
| 5 | पंजाब नेशनल बैंक | 2,22,750.00 | 5.55% |
| 6 | इण्डिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड | 2,00,000.00 | 4.98% |
| 7 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 1,91,666.67 | 4.77% |
| 8 | 7.94% इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XII-डी | 1,50,000.00 | 3.73% |
| 9 | एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) | 1,31,547.04 | 3.27% |
| 10 | 7.85% इरेडा कर योग्य अरक्षित बॉण्ड श्रृंखला XII-बी | 1,20,000.00 | 2.99% |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### iv) महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद के आधार पर वित्तपोषण संकेन्द्रण।

**31.03.2024 को** (₹ लाख में)

| क्र. सं | लिखत/उत्पाद की संख्या | राशि (₹) | कुल देयताओं का % |
|---|---|---|---|
| 1 | बैंकों से सावधि ऋण (रक्षित) | 23,30,585.11 | 43.13% |
| 2 | कर योग्य बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (अरक्षित) | 11,32,614.00 | 20.96% |
| 3 | अन्य से सावधि ऋण (अरक्षित) | 6,80,719.95 | 12.60% |
| 4 | कर योग्य बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (रक्षित) | 3,81,800.00 | 7.07% |
| 5 | कर-मुक्त बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (रक्षित) | 2,57,660.42 | 4.77% |
| 6 | बैंकों से सावधि ऋण (अरक्षित) | 1,12,816.10 | 2.09% |
| 7 | अधीनस्थ देयताएँ | 65,000.00 | 1.20% |

**31.03.2023 को** (₹ लाख में)

| क्र. सं | लिखत/उत्पाद की संख्या | राशि (₹) | कुल देयताओं का % |
|---|---|---|---|
| 1 | बैंकों से सावधि ऋण (रक्षित) | 17,42,001.50 | 39.14% |
| 2 | अन्य से सावधि ऋण (अरक्षित) | 9,60,827.05 | 21.59% |
| 3 | कर योग्य बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (रक्षित) | 4,11,800.00 | 9.25% |
| 4 | कर योग्य बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (अरक्षित) | 3,96,940.00 | 8.92% |
| 5 | कर-मुक्त बॉण्ड - गैर-परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (रक्षित) | 2,75,765.46 | 6.20% |
| 6 | बैंकों से सावधि ऋण (अरक्षित) | 1,64,438.53 | 3.69% |
| 7 | अधीनस्थ देयताएँ | 65,000.00 | 1.46% |

***नोट :**

- एक"महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष"को एक एकल प्रतिपक्ष या जुड़े हुए या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कुल मिलाकर कंपनी की कुल देयताओं का 1% से अधिक हिस्सा लेते हैं।
- कुल देयताओं की गणना कुल परिसंपत्तियों में से इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षित निधि और अधिशेष को घटाकर की गयी है।
- एक"महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद"को समान लिखतों/उत्पादों के समूह के एकल लिखत /उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कुल मिलाकर कंपनी की कुल देयताओं के 1% से अधिक है।

### v) स्टॉक अनुपात : (₹ लाख में)

| क्र. सं. | लिखत/उत्पाद की संख्या | 31.03.2024 को | 31.03.2023 को |
|---|---|---|---|
| 1 | कुल सार्वजनिक निधियों के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 2 | कुल देयताओं के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 3 | कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में वाणिज्यिक पत्र | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 4 | कुल सार्वजनिक निधियों के % के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम) | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 5 | कुल देयताओं के % के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम) | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 6 | कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम) | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 7 | कुल सार्वजनिक निधियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कोई हों, | 2.78% | 3.20 % |
| 8 | कुल देनदारियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कोई हों | 3.02% | 3.55 % |
| 9 | कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में अन्य अल्पकालिक देयताएँ, यदि कोई हों | 2.40% | 2.83 % |

नोट : अन्य अल्पकालिक देयताओं की गणना व्यापार देयताओं, अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय देयताओं के योग के रूप में की गयी है, जिसमें भारत सरकार के पूर्ण सेवित बॉण्ड शामिल नहीं हैं।

### vi) चल निधि जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था

कंपनी के निदेशक मंडल ने परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निवेश समिति का गठन किया है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, परिसंपत्ति देयता प्रोफ़ाइल, जोखिम निगरानी प्रणाली, तरलता जोखिम प्रबंधन, वित्तपोषण और पूंजी नियोजन, लाभ नियोजन और विकास अनुमानों, विभिन्न परिदृश्यों का पूर्वानुमान और विश्लेषण और आकस्मिक योजनाओं की तैयारी की समीक्षा करती है।

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के जोखिम प्रोफ़ाइल की निगरानी और माप करती है और कंपनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली की देखरेख करती है। कंपनी पर्याप्त नकद/कोषागार अधिशेष बनाए रखकर चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। प्रबंधन नियमित रूप से नकद और नकद समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय ऋण वित्तपोषण योजनाओं और तुलन-पत्र चल निधि के रखरखाव सहित वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन किया जाता है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### ढ. चल निधि कवरेज अनुपात पर प्रकटीकरण: -

आरबीआई ने अपने मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 के माध्यम से एनबीएफसी के लिए चल निधि जोखिम प्रबंधन को कवर करने वाले दिशा-निर्देश जारी किये, जिसमें आरबीआई ने ₹5,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाले सभी गैर-जमा लेने वाले एनबीएफसी पर लागू चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रस्तुत किया। दिशा-निर्देशों का उद्देश्य एलसीआर के संदर्भ में एक चल निधि सुरक्षा बनाये रखना है और यह सुनिश्चित करके कि उनके पास अगले 30 दिनों तक चलने वाले किसी भी तीव्र चल निधि दबावग्रस्त परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) है। दिशा-निर्देश के अनुसार, एलसीआर को अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल निवल नकद बहिर्वाह (दबावग्रस्त बहिर्वाह कम दबावग्रस्त अंतर्वाह) से विभाजित उच्च-गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) के स्टॉक द्वारा दर्शाया जाता है। एचक्यूएलए को आरबीआई द्वारा चल निधि परिसंपत्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है या कम/बिना किसी मूल्य हानि के तुरंत नकद में परिवर्तित किया जा सकता है या दबाव की स्थिति में धन प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

कंपनी ने 01.12.2020 से एलसीआर आवश्यकता का अनुपालन किया है, जो कि न्यूनतम एलसीआर 50% की निर्धारित आवश्यकता के विरुद्ध है, जो 1 दिसंबर, 2024 तक 100% के आवश्यक स्तर तक उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। कंपनी केवल भारतीय रुपये में एलसीआर बनाये रख रही है; इसलिए कोई मुद्रा बेमेल नहीं है।

### 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

| उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां | | पहली तिमाही (अप्रैल - जून 2023 ) | | दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2023) | | तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2023) | | चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) |
| 1 | कुल उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए) ** | 29,640.80 | 29,640.80 | 91,265.37 | 91,265.37 | 95,778.22 | 95,778.22 | 98,616.47 | 98,616.47 |
| | नकद बहिर्वाह | | | | | | | | |
| 2 | जमा (जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों हेतु) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | अरक्षित थोक वित्तपोषण | 47,075.86 | 54,137.24 | 10,584.49 | 12,172.16 | 19,546.38 | 22,478.33 | 78,735.99 | 90,546.39 |
| 4 | रक्षित थोक वित्तपोषण | 41,671.28 | 47,921.97 | 46,818.30 | 53,841.04 | 51,979.77 | 59,776.74 | 88,204.56 | 1,01,435.25 |
| 5 | अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (i) | व्युत्पन्नी जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह | 2,773.92 | 3,190.00 | 8,030.31 | 9,234.86 | 2,415.46 | 2,777.78 | 2,780.46 | 3,197.53 |
| (ii) | ऋण उत्पादों पर वित्तपोषण के नुकसान से संबंधित बहिर्वाह | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (iii) | ऋण और चल निधि सुविधाएं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व | 2,810.46 | 3,232.03 | 578.16 | 664.88 | - | - | 92.43 | 106.30 |
| 7 | अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | **कुल नकद बहिर्वाह** | **94,331.52** | **1,08,481.25** | **66,011.26** | **75,912.95** | **73,941.61** | **85,032.85** | **1,69,813.44** | **1,95,285.46** |
| | नकद अंतर्वाह | | | | | | | | |
| 9 | रक्षित उधार | 94,789.84 | 71,092.38 | 70,936.47 | 53,202.36 | 93,967.28 | 70,475.46 | 1,16,411.77 | 87,308.82 |
| 10 | पूरी तरह से निष्पादित जोखिमों से अंतर्वाह | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11* | अन्य नकद अंतर्वाह | - | - | - | - | - | - | 2,89,237.57 | 2,16,928.18 |
| 12 | **कुल नकद अंतर्वाह** | **94,789.84** | **71,092.38** | **70,936.47** | **53,202.36** | **93,967.28** | **70,475.46** | **4,05,649.34** | **3,04,237.00** |
| | | | कुल समायोजित मूल्य | | कुल समायोजित मूल्य | | कुल समायोजित मूल्य | | कुल समायोजित मूल्य |
| 13 | कुल एचक्यूएलए | | 29,640.80 | | 91,265.37 | | 95,778.22 | | 98,616.47 |
| 14 | कुल निवल नकद बहिर्वाह | | 37,388.87 | | 22,710.59 | | 21,258.21 | | 48,821.36 |
| 15 | चल निधि कवरेज अनुपात (%) | | 79% | | 402% | | 451% | | 202% |

*ऋण की लाइनें - ऋण/ चल निधि /अन्य आकस्मिक सुविधाएं

** एचक्यूएलए में सरकारी प्रतिभूतियाँ, बैंकों के साथ सावधि और मांग जमा, नकद और नकद समकक्ष शामिल है।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु**

**(₹ लाख में)**

| उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां | | पहली तिमाही (अप्रैल - जून 2022 ) | | दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2022) | | तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2022) | | चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2022) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल अभारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) |
| 1 | कुल उच्च गुणवत्ता वाली चल निधि परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए) ** | 29,063.50 | 29,063.50 | 1,14,022.42 | 1,14,022.42 | 1,54,719.32 | 1,54,719.32 | 2,26,772.45 | 2,26,772.45 |
| नकद बहिर्वाह | | | | | | | | | |
| 2 | जमा (जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों हेतु) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | अरक्षित थोक वित्तपोषण | 6,600.79 | 7,590.90 | 52,634.66 | 60,529.86 | 29,905.28 | 34,391.08 | 2,691.86 | 3,095.64 |
| 4 | रक्षित थोक वित्तपोषण | 20,753.88 | 23,866.96 | 9,441.18 | 10,857.36 | 12,101.25 | 13,916.44 | 14,808.12 | 17,029.34 |
| 5 | अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (i) | व्युत्पन्नी जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह | 3,442.90 | 3,959.34 | - | - | 3,078.23 | 3,539.97 | 3,699.87 | 4,254.85 |
| (ii) | ऋण उत्पादों पर वित्तपोषण के नुकसान से संबंधित बहिर्वाह | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (iii) | ऋण और चल निधि सुविधाएं | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व | - | - | - | - | - | - | 2,810.46 | 3,232.03 |
| 7 | अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | **कुल नकद बहिर्वाह** | **30,797.57** | **35,417.21** | **62,075.84** | **71,387.22** | **45,084.77** | **51,847.48** | **24,010.32** | **27,611.86** |
| नकद अंतर्वाह | | | | | | | | | |
| 9 | रक्षित उधार | 71,653.25 | 53,739.94 | 60,809.59 | 45,607.19 | 69,106.70 | 51,830.02 | 54,633.43 | 40,975.07 |
| 10 | पूरी तरह से निष्पादित जोखिमों से अंतर्वाह | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11* | अन्य नकद अंतर्वाह | - | - | - | - | 50,362.64 | 37,771.98 | - | - |
| 12 | **कुल नकद अंतर्वाह** | **71,653.25** | **53,739.94** | **60,809.59** | **45,607.19** | **1,19,469.33** | **89,602.00** | **54,633.43** | **40,975.07** |
| | | | कुल समायोजित मूल्य | | कुल समायोजित मूल्य | | कुल समायोजित मूल्य | | कुल समायोजित मूल्य |
| 13 | कुल एचक्यूएलए | | 29,063.50 | | 1,14,022.42 | | 1,54,719.32 | | 2,26,772.45 |
| 14 | कुल निवल नकद बहिर्वाह | | 8,854.30 | | 25,780.03 | | 12,961.87 | | 6,902.97 |
| 15 | चल निधि कवरेज अनुपात (%) | | 328% | | 442% | | 1194% | | 3285% |

** एचक्यूएलए में सरकारी प्रतिभूतियाँ, बैंकों के साथ सावधि और मांग जमा, नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**ण. आरबीआई की आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और भारतीय लेखा मानक 109 'वित्तीय उपकरण' के अनुसार हानि भत्ते की तुलना।**

**31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु** (₹ लाख में)

| आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण | इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण | इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि | इंड एएस 109 के अधीन आवश्यक अनुसार ऋण भत्ता (प्रावधान) | निवल - वहन राशि | आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान | इंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **(5) =(3)-(4)** | **6** | **(7) = (4)-(6)** |
| **निष्पादित परिसंपत्तियाँ** | | | | | | |
| मानक | चरण 1 | 56,06,230.46 | 27,098.35 | 55,79,132.11 | 65,193.89* | 19,434.82 |
| | चरण 2 | 2,12,443.43 | 57,530.36 | 1,54,913.07 | | |
| **उप-योग** | | **58,18,673.89** | **84,628.71** | **57,34,045.18** | **65,193.89** | **19,434.82** |
| **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)** | | | | | | |
| घटिया | चरण 3 | 4,193.85 | 1,261.99 | 2,931.86 | 419.38 | 842.61 |
| संदिग्ध - 1 वर्ष तक | चरण 3 | 710.96 | 421.76 | 289.20 | 710.96 | (289.20) |
| 1 से 3 वर्ष | चरण 3 | 6,971.66 | 4,159.70 | 2,811.96 | 2,118.90 | 2,040.80 |
| 3 वर्ष से अधिक | चरण 3 | 1,29,205.85 | 77,117.71 | 52,088.14 | 90,854.56 | (13,736.85) |
| संदिग्ध के लिए उप-योग | | 1,36,888.47 | 81,699.17 | 55,189.30 | 93,684.42 | (11,985.25) |
| | | | | | | |
| हानि | चरण 3 | 3.00 | 3.00 | - | 3.00 | - |
| **एनपीए के लिए उप-योग** | | **1,41,085.32** | **82,964.16** | **58,121.16** | **94,106.80** | **(11,142.64)** |
| गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएँ आदि जैसी अन्य मद जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं | चरण 1 | 1,62,661.21 | 953.32 | 1,61,707.89 | - | 953.32 |
| | चरण 2 | - | - | - | - | - |
| | चरण 3 | - | - | - | - | - |
| **उप-योग** | | **1,62,661.21** | **953.32** | **1,61,707.89** | **-** | **953.32** |
| | **चरण 1** | 57,68,891.67 | 28,051.67 | 57,40,840.00 | 65,193.89 | 20,388.14 |
| | **चरण 2** | 2,12,443.43 | 57,530.36 | 1,54,913.07 | | |
| | **चरण 3** | 1,41,085.32 | 82,964.16# | 58,121.16 | 94,106.80 | (11,142.64) |
| | **कुल योग** | **61,22,420.42** | **1,68,546.19** | **59,53,874.23** | **1,59,300.69** | **9,245.50** |

* इसमें पुनर्गठित और सामान्य प्रावधान के लिए प्रावधान शामिल हैं
# ₹1,180.26 लाख के एनपीए खाते में आकस्मिक शुल्क (शेष ऋण) पर प्रावधान को छोड़कर

**31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु** (₹ लाख में)

| आरबीआई मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण | इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण | इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि | इंड एएस 109 के अधीन आवश्यक अनुसार ऋण भत्ता (प्रावधान) | निवल वहन राशि | आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान | इंड एएस 109 प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **(5) =(3)-(4)** | **6** | **(7) = (4)-(6)** |
| **निष्पादित परिसंपत्तियाँ** | | | | | | |
| मानक | चरण 1 | 43,90,224.54 | 51,530.87 | 43,38,693.68 | 49401.01* | 51,313.48 |
| | चरण 2 | 1,61,976.23 | 49,183.62 | 1,12,792.61 | | |
| **उप-योग** | | 45,52,200.77 | 1,00,714.49 | 44,51,486.28 | 49,401.01 | 51,313.48 |
| **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)** | | | | | | |
| घटिया | चरण 3 | 789.22 | 92.59 | 696.63 | 78.92 | 13.66 |
| संदिग्ध - 1 वर्ष तक | चरण 3 | 513.19 | 51.32 | 461.88 | 203.59 | (152.27) |
| 1 से 3 वर्ष | चरण 3 | 46,955.18 | 20,751.98 | 26,203.20 | 23,065.24 | (2,313.25) |
| 3 वर्ष से अधिक | चरण 3 | 1,03,074.83 | 53,634.14 | 49,440.69 | 69,078.11 | (15,443.97) |
| **संदिग्ध के लिए उप-योग** | | **1,50,543.20** | **74,437.44** | **76,105.76** | **92,346.94** | **(17,909.50)** |
| हानि | चरण 3 | 3.00 | 3.00 | - | 3.00 | - |
| **एनपीए के लिए उप-योग** | | **1,51,335.42** | **74,533.03** | **76,802.39** | **92,428.86** | **(17,895.83)** |
| गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएँ आदि जैसी अन्य मदें जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं | चरण 1 | 1,85,265.64 | 260.99 | 1,85,004.65 | - | 260.99 |
| | चरण 2 | - | - | - | - | - |
| | चरण 3 | - | - | - | - | - |
| **उप-योग** | | **1,85,265.64** | **260.99** | **1,85,004.65** | **-** | **260.99** |
| | **चरण 1** | 45,75,490.18 | 51,791.86 | 45,23,698.32 | 1,41,829.87 | 33,678.64 |
| | **चरण 2** | 1,61,976.23 | 49,183.62 | 1,12,792.61 | | |
| | **चरण 3** | 1,51,335.42 | 74,533.03# | 76,802.39 | | |
| | **कुल योग** | **48,88,801.83** | **1,75,508.51** | **47,13,293.32** | **1,41,829.87** | **33,678.64** |

* इसमें पुनर्गठित और सामान्य प्रावधान के लिए प्रावधान शामिल हैं।
# ₹ 939.61 लाख के एनपीए खाते में आकस्मिक शुल्क (शेष ऋण) पर प्रावधान को छोड़कर ।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### त. कोविड-19 से संबंधित दबाव हेतु संकल्प ढांचे से संबंधित प्रकटीकरण

**31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

**(₹ लाख में)**

| उधार का प्रकार | समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत तक स्थिति (क) | (क) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में चला गया। | (क) में से छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गयी राशि | (क) में से छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गयी राशि | समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही के अंत तक स्थिति। |
|---|---|---|---|---|---|
| व्यक्तिगत ऋण | - | - | - | - | - |
| निगमित व्यक्ति | 9,282.38 | - | - | 643.88 | 8,638.50 |
| जिनमें से एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| अन्य | 9,282.38 | - | - | 643.88 | 8,638.50 |
| **कुल** | **9,282.38** | **-** | **-** | **643.88** | **8,638.50** |

**31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु**

**(₹ लाख में)**

| उधार का प्रकार | समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत तक स्थिति (क) | (क) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में चला गया। | (क) में से छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गयी राशि | (क) में से छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गयी राशि | समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही के अंत तक स्थिति। |
|---|---|---|---|---|---|
| व्यक्तिगत ऋण | - | - | - | - | - |
| निगमित व्यक्ति | 26,536.47 | - | - | 17,039.47 | 9,497.00 |
| जिनमें से एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| अन्य | 26,536.47 | - | - | - | 9,497.00 |
| **कुल** | **26,536.47** | **-** | **-** | **17,039.47** | **9,497.00** |

थ. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अर्जित ऋणों के शून्य रिपोर्ट योग्य मामले (पिछले वर्ष: शून्य) जिन्हें 24 सितंबर 2021 के मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण") निर्देश, 2021 के अधीन रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।

### द. निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के रिश्तेदारों को दिये गये ऋणों पर प्रकटीकरण

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| निदेशक एवं उनके रिश्तेदार* | - | - |
| निदेशकों एवं उनके रिश्तेदारों से जुड़ी संस्थाएं | - | - |
| वरिष्ठ अधिकारी एवं उनके रिश्तेदार | - | - |

*संबंधित निदेशकों की रोजगार शर्तों के अनुसार ऋण एवं अग्रिम शामिल नहीं हैं।

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**ध, मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 के अनुलग्नक VIII में निर्धारित अनुसार जानकारी/विवरण**

**इरेडा के तुलन पत्र की अनुसूची,**
**31.03.2024 को**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | | | | 31.03.2024 को | |
|---|---|---|---|---|---|
| **देनदारी पक्ष** | | | | **बकाया राशि** | **अतिदेय राशि** |
| 1 | **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिये गये ऋण और अग्रिम, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया:** | | | | |
| | (क) | डिबेंचर: रक्षित | | 6,52,142.32 | - |
| | | : अरक्षित | | 12,24,711.02 | - |
| | | (सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने वालों को छोड़कर) | | | |
| | (ख) | आस्थगित ऋण | | - | - |
| | (ग) | सावधि ऋण | | 31,43,314.08 | - |
| | (घ) | अंतर-निगमित ऋण और उधार | | - | - |
| | (ङ) | वाणिज्यिक पत्र | | - | - |
| | (च) | सार्वजनिक जमा | | - | - |
| | (छ) | अन्य ऋण - ओवरड्राफ्ट | | 8,262.43 | - |
| 2 | **उपर्युक्त (1)(च) का विवरण (बकाया सार्वजनिक जमा, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया):** | | | | |
| | (क) | अरक्षित डिबेंचर के रूप में | | - | - |
| | (ख) | आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर के रूप में, यानी ऐसे डिबेंचर, जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है | | - | - |
| | (ग) | अन्य सार्वजनिक जमा | | - | - |
| **परिसम्पत्ति पक्ष** | | | | **बकाया राशि** | |
| 3 | **बिल प्राप्य सहित ऋण और अग्रिम का विवरण [नीचे (4) में शामिल किए गए को छोड़कर]:** | | | | |
| | (क) | सुरक्षित | | 53,12,923.69 | |
| | (ख) | असुरक्षित | | 6,48,729.61 | |
| 4 | **पट्टे पर दी गयी परिसंपत्तियों और किराये पर स्टॉक तथा अन्य परिसंपत्तियों का ब्यौरा, जो एएफसी गतिविधियों में शामिल हैं** | | | | |
| | (i) | विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टे के किराये सहित पट्टे की परिसंपत्तियां | | | |
| | | (क) | वित्तीय पट्टा | - | |
| | | (ख) | परिचालन पट्टा | - | |
| | (ii) | विविध देनदारों के अंतर्गत किराये के शुल्क सहित किराये पर स्टॉक: | | | |
| | | (क) | किराये पर परिसंपत्तियां | - | |
| | | (ख) | पुनः प्राप्त परिसंपत्तियां | - | |
| | (iii) | एएफसी गतिविधियों में शामिल अन्य ऋण | | | |
| | | (क) | ऐसे ऋण, जहां परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त किया गया है | - | |
| | | (ख) | उपर्युक्त (क) के अलावा अन्य ऋण | - | |
| 5 | **निवेशों का ब्यौरा** | | | | |
| | **वर्तमान निवेश** | | | | |
| | 1. | उद्धृत | | | |
| | | (i) | शेयर | | |
| | | | (क) इक्विटी | - | |
| | | | (ख) वरीयता | - | |
| | | (ii) | डिबेंचर और बॉण्ड | - | |
| | | (iii) | म्यूचुअल फंड की इकाइयां | - | |
| | | (iv) | सरकारी प्रतिभूतियां | - | |
| | | (v) | अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) | - | |
| | 2. | गैर उद्धृत | | | |
| | | (i) | शेयर | | |
| | | | (क) इक्विटी | - | |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

| विवरण | | | 31 मार्च, 2024 को बकाया राशि |
|---|---|---|---|
| | | (ख) वरीयता | |
| | (ii) | डिबेंचर और बॉण्ड | - |
| | (iii) | म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ - | - |
| | (iv) | सरकारी प्रतिभूतियाँ | - |
| | (v) | अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) - | - |
| | अल्पकालिक जमा (भारतीय रुपये) | | 66.09 |
| | वाणिज्यिक पत्र (पूर्ण रूप से प्रदान की गयी हानि) | | 6,899.11 |
| | **दीर्घकालिक निवेश** | | |
| | 1. | उद्धृत | |
| | (i) | शेयर | |
| | | (क) इक्विटी | - |
| | | (ख) वरीयता | - |
| | (ii) | डिबेंचर और बॉण्ड | - |
| | (iii) | म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ | - |
| | (iv) | सरकारी प्रतिभूतियाँ | 10,130.31 |
| | (v) | अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) - | - |
| | 2. | गैर-उद्धृत | |
| | (i) | शेयर | |
| | | (क) इक्विटी | - |
| | | (ख) वरीयता - | - |
| | (ii) | डिबेंचर और बॉण्ड | - |
| | (iii) | म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ | - |
| | (iv) | सरकारी प्रतिभूतियाँ | - |
| | (v) | अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) | |

**उपर्युक्त (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण**

| | श्रेणी | | राशि (प्रावधान के बाद निवल) (₹ लाख में) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | रक्षित | अरक्षित | कुल |
| 6 | 1 | संबंधित पक्ष | | | |
| | (क) | सहायक कंपनियां | - | - | - |
| | (ख) | समान समूह की कंपनियां | - | - | - |
| | (ग) | अन्य संबंधित पक्ष | 12.30 | - | 12.30 |
| | 2 | संबंधित पक्षों के अलावा अन्य | 52,28,766.97 | 6,48,729.61 | 58,77,496.58 |
| | | **कुल** | 52,28,779.27 | 6,48,729.61 | 58,77,508.88 |

**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण:**

| | श्रेणी | | बाजार मूल्य/ ब्योरा या उचित मूल्य या एनएवी | बही मूल्य (प्रावधानों का निवल) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | संबंधित पक्ष | | |
| | (क) | सहायक कंपनियां | | |
| | (ख) | समान समूह की कंपनियां | - | - |
| | (ग) | अन्य संबंधित पक्ष | - | - |
| | 2 | संबंधित पक्षों के अलावा अन्य | 9,566.09 | 10,196.39 |
| | | **कुल** | **9,566.09** | **10,196.39** |

| | अन्य जानकारी विवरण | | राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|
| 8 | (i) | सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ | |
| | (क) | संबंधित पक्ष | - |
| | (ख) | संबंधित पक्षों के अलावा अन्य | 1,41,085.31 |
| | (ii) | निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ | |
| | (क) | संबंधित पक्ष | - |
| | (ख) | संबंधित पक्षों के अलावा अन्य | 58,121.15 |
| | (iii) | ऋण की संतुष्टि में अर्जित परिसंपत्तियाँ | - |
| | | | |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

**इरेडा के तुलन-पत्र की अनुसूची,**
**31.03.2023 को**

**(₹ लाख में)**

| विवरण | | | 31.03.2023 को | |
|---|---|---|---|---|
| देयताएं पक्ष | | | बकाया राशि | अतिदेय राशि |
| 1 | गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिये गये ऋण और अग्रिम, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया: | | | |
| | (क) | डिबेंचर: रक्षित | 7,02,508.29 | - |
| | | : अरक्षित | 4,76,817.21 | - |
| | | (सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने वालों को छोड़कर) | | |
| | (ख) | आस्थगित ऋण | - | - |
| | (ग) | सावधि ऋण | 28,82,033.53 | - |
| | (घ) | अंतर-निगमित ऋण और उधार | - | - |
| | (ङ) | वाणिज्यिक पत्र | - | - |
| | (च) | सार्वजनिक जमा | - | - |
| | (छ) | अन्य ऋण - ओवरड्राफ्ट | - | - |
| | (ज) | एफसीएनआर (बी) मांग ऋण | | |
| 2 | उपर्युक्त (1)(च) का विवरण (बकाया सार्वजनिक जमा, उन पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गया): | | | - |
| | (क) | अरक्षित डिबेंचर के रूप में | - | - |
| | (ख) | आंशिक रूप से रक्षित डिबेंचर के रूप में, यानी ऐसे डिबेंचर, जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है | - | - |
| | (ग) | अन्य सार्वजनिक जमा | | |
| परिसम्पत्ति पक्ष | | | बकाया राशि | |
| 3 | बिल प्राप्य सहित ऋण और अग्रिम का विवरण [नीचे (4) में शामिल किये गये को छोड़कर]: | | | |
| | (क) | रक्षित | 43,02,716.14 | |
| | (ख) | अरक्षित | 3,95,448.82 | |
| 4 | पट्टे पर दी गयी परिसंपत्तियों और किराये पर स्टॉक तथा अन्य परिसंपत्तियों का ब्यौरा, जो एएफसी गतिविधियों में शामिल हैं | | | |
| | (i) | विविध देनदारों के अंतर्गत पट्टे के किराये सहित पट्टे की परिसंपत्तियां | | |
| | | (क) वित्तीय पट्टा | - | |
| | | (ख) परिचालन पट्टा | - | |
| | (ii) | विविध देनदारों के अंतर्गत किराये के शुल्क सहित किराये पर स्टॉक: | | |
| | | (क) किराये पर परिसंपत्तियां | - | |
| | | (ख) पुनः प्राप्त परिसंपत्तियां | - | |
| | (iii) | एएफसी गतिविधियों में शामिल अन्य ऋण | | |
| | | (क) ऐसे ऋण, जहां परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त किया गया है | - | |
| | | (ख) उपर्युक्त (क) के अलावा अन्य ऋण - | - | |
| 5. | निवेशों का ब्यौरा | | | |
| | वर्तमान निवेश | | | |
| | 1. | उद्धृत | | |
| | (i) | शेयर | | |
| | | (क) इक्विटी | - | |
| | | (ख) वरीयता | - | |
| | (ii) | डिबेंचर और बॉण्ड | - | |
| | (iii) | म्यूचुअल फंड की इकाइयां | - | |
| | (iv) | सरकारी प्रतिभूतियां | - | |
| | (v) | अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) | - | |
| | 2. | गैर उद्धृत | | |
| | (i) | शेयर | | |
| | | (क) इक्विटी | - | |
| | | ख) वरीयता | - | |
| | (ii) | डिबेंचर और बॉण्ड | - | |
| | (iii) | म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ | - | |
| | (iv) | सरकारी प्रतिभूतियाँ | - | |
| | (v) | अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) - | - | |
| | अल्पकालिक जमा (भारतीय रुपये) | | 4,206.58 | |
| | वाणिज्यिक पत्र (पूर्ण रूप से प्रदान की गयी हानि) | | 6,899.11 | |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख में)

| विवरण<br>परिसंपत्ति पक्ष | | | 31 मार्च, 2023 को<br>बकाया राशि |
|---|---|---|---|
| **दीर्घकालिक निवेश** | | | |
| 3. | उद्धृत | | |
| | (i) | शेयर | |
| | | (क) इक्विटी | - |
| | | (ख) वरीयता | - |
| | (ii) | डिबेंचर और बॉण्ड | - |
| | (iii) | म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ | - |
| | (iv) | सरकारी प्रतिभूतियाँ | 10,126.66 |
| | (v) | अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) - | - |
| 4. | गैर-उद्धृत | | |
| | (i) | शेयर | |
| | | (क) इक्विटी | - |
| | | (ख) वरीयता | - |
| | (ii) | डिबेंचर और बॉण्ड | - |
| | (iii) | म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ | - |
| | (iv) | सरकारी प्रतिभूतियाँ | - |
| | (v) | अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) | |
| | | | |

**उपर्युक्त (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण**

| श्रेणी | | | राशि (प्रावधानों का निवल) (₹ लाख में) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | रक्षित | अरक्षित | कुल |
| 6 | 1 | संबंधित पक्ष | | | |
| | | (क) सहायक कंपनियां | - | - | - |
| | | (ख) समान समूह की कंपनियां | - | - | - |
| | | (ग) अन्य संबंधित पक्ष | 20.82 | - | 20.82 |
| | 2 | संबंधित पक्षों के अलावा अन्य | 42,27,222.68 | 3,95,448.82 | 46,22,671.51 |
| | | **कुल** | **42,27,243.51** | **3,95,448.82** | **46,22,692.33** |

**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर-उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण:**

| श्रेणी | | | बाजार मूल्य/ ब्योरा या उचित मूल्य या एनएवी | बही मूल्य (प्रावधानों का निवल) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | संबंधित पक्ष | | |
| | | (क) सहायक कंपनियां | - | - |
| | | (ख) समान समूह की कंपनियां | - | - |
| | | (ग) अन्य संबंधित पक्ष | - | - |
| | 2 | संबंधित पक्षों के अलावा अन्य | 13,647.35 | 14,333.23 |
| | | **कुल** | **13,647.35** | **14,333.23** |

**अन्य जानकारी**

| विवरण | | | राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|
| 8 | (i) | सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ | |
| | | (क) संबंधित पक्ष | - |
| | | (ख) संबंधित पक्षों के अलावा अन्य | 1,51,335.42 |
| | (ii) | शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ | |
| | | (क) संबंधित पक्ष | - |
| | | (ख) संबंधित पक्षों के अलावा अन्य | 76,802.40 |
| | (iii) | ऋण की संतुष्टि में अर्जित परिसंपत्तियाँ | - |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

### अतिरिक्त प्रकटीकरण

क. विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर – वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38(47 च) देखें

ख. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

| संबंधित पक्ष | मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) | | सहायक कंपनी | | सहयोगी/संयुक्त उद्यम | | मुख्य प्रबंधन कार्मिक | | मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार | | अन्य* | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मदें | वर्तमान वर्ष | पिछले वर्ष | वर्तमान वर्ष | पिछले वर्ष | वर्तमान वर्ष | पिछले वर्ष | वर्तमान वर्ष | पिछले वर्ष | वर्तमान वर्ष | पिछले वर्ष | वर्तमान वर्ष | पिछले वर्ष | वर्तमान वर्ष | पिछले वर्ष |
| उधार | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (2,064.49) | (1,977.55) | **(2,064.49)** | **(1,977.55)** |
| जमा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| जमा का स्थानन | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अग्रिम | - | - | - | - | - | - | 11.65 | 2.60 | - | - | 1,99,825.86 | 1,72,819.51 | **1,99,837.51** | **1,72,822.11** |
| निवेश | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अचल/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अचल/अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भुगतान किया गया ब्याज | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.64 | 196.38 | **189.64** | **196.38** |
| प्राप्त ब्याज | - | - | - | - | - | - | 8.52 | 7.53 | - | - | 16,080.67 | 3,998.57 | **16,089.19** | **4,006.10** |
| अन्य | - | - | - | - | - | - | 288.92 | 250.24 | - | - | 11,971.25 | 9,065.30 | **12,260.17** | **9,315.54** |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट
## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

ग. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, लिये गये ऋणों या जारी की गयी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में अनुबंधों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं हुआ है (पिछले वर्ष : शून्य)

घ. वित्त वर्ष 2023-24 में परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन - शून्य (पिछले वर्ष : शून्य)

ङ. लेखा-परीक्षकों द्वारा व्यक्त आशोधित राय, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण, विभिन्न वित्तीय मदों पर इसका प्रभाव और 31.03.2024 तक लेखा-परीक्षा योग्यता पर प्रबंधन के विचार - शून्य (पिछले वर्ष : शून्य)

च. 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु असाधारण प्रकृति की आय और व्यय के मद - शून्य (पिछले वर्ष : शून्य)

छ. शिकायतों का प्रकटीकरण - वित्तीय विवरणों हेतु नोट 38(47ञ) देखें।

ज. 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु पूर्व अवधि मदें और लेखा नीति में परिवर्तन – शून्य

झ. लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्षक के अधीन दिखाये गए 'प्रावधान और आकस्मिकताओं' का ब्यौरा

**(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | - | - |
| मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान* | (16,085.78) | 5,484.48 |
| एनपीए के लिए प्रावधान** | 8,431.13 | 1,246.59 |
| आयकर के लिए किये गये प्रावधान | 41,303.13 | 25,317.27 |
| स्थगित कर हेतु किये गये प्रावधान | 1,997.90 | 2,144.82 |
| अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ | | |
| कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान | 1,110.02 | 1,241.20 |
| निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु प्रावधान | 1,121.33 | - |
| गैर-निधि आधारित एक्सपोजर और अन्य पर अपेक्षित ऋण हानि हेतु प्रावधान | 932.98 | (73.16) |
| गारंटी कमीशन पर कर और अन्य हेतु प्रावधान | 893.81 | 900.56 |

* भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप ईसीएल मॉडल के आधार पर स्टेज 1 और स्टेज 2 ऋण परिसंपत्तियों पर हानि का प्रतिनिधित्व करता है।

** यह भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप ईसीएल मॉडल पर आधारित स्टेज 3 ऋण परिसंपत्तियों पर हानि का प्रतिनिधित्व करता है।

### 48. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) और 53(च) द्वारा अपेक्षित अनुसार प्रकटीकरण

**(₹ लाख में)**

| विवरण | | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2024 को राशि | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि | 31.03.2023 को राशि | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि |
| 1 | ऋण और ऋण की प्रकृति में अग्रिम | शून्य | | शून्य | |
| क) | सहयोगियों को | | | | |
| ख) | उन कंपनियों को जिनमें निदेशकों की रुचि है | | | | |

# वित्तीय विवरणों के लिए नोट

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**

**49. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52(4) के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:**

| क्र. सं. | विवरण | इकाई | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के अनुसार/हेतु | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के अनुसार/हेतु |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कर्ज़ इक्विटी अनुपात[1] | गुणा | 5.80 | 6.77 |
| 2 | बकाया मोचनीय अधिमान्यता शेयर | ₹ लाख में | - | - |
| 3 | डिबेंचर मोचनीय रक्षित | ₹ लाख में | 39,774.60 | 39,797.48 |
| 4 | निवल मूल्य [2] | ₹ लाख में | 8,55,942.55 | 5,93,516.95 |
| 5 | कर पश्चात निवल लाभ | ₹ लाख में | 1,25,222.90 | 86,462.83 |
| 6 | प्रति शेयर आय | ₹ प्रति शेयर | 5.16 | 3.78 |
| 7 | कुल परिसम्पत्तियों पर कुल ऋण[3] | गुणा | 0.79 | 0.80 |
| 8 | परिचालन मार्जिन प्रतिशत[4] | % | 33.92% | 32.69% |
| 9 | निवल लाभ मार्जिन प्रतिशत[5] | % | 25.22% | 24.82% |
| 10 | क्षेत्र विशिष्ट समतुल्य अनुपात | | | |
| | सीआरएआर[6] | % | 20.11% | 18.82% |
| | सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात[7] | % | 2.36% | 3.21% |
| | निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात[8] | % | 0.99% | 1.66% |

**नोट:**

1. ऋण/इक्विटी अनुपात = कुल ऋण/निवल मूल्य
2. निवल मूल्य की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 2(57) में परिभाषित अनुसार की जाती है
3. कुल परिसंपत्तियों पर कुल ऋण = कुल ऋण/कुल परिसंपत्तियां
4. परिचालन मार्जिन - कर पूर्व निवल परिचालन लाभ/परिचालन से कुल राजस्व
5. निवल लाभ मार्जिन = कर पश्चात निवल लाभ/कुल आय
6. सीआरएआर = समायोजित कुल मूल्य/जोखिम भारित परिसंपत्तियां, आरबीआई के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार गणना की जाती है
7. सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां अनुपात = सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां/सकल ऋण परिसंपत्तियां
8. निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां अनुपात = निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां/ निवल ऋण परिसंपत्तियां

**50. आंकड़े नज़दीकी लाख रुपये (₹) में पूर्णांकित किये गये हैं (शेयरों की संख्या और ईपीएस को छोड़कर)। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहीकृत किया गया है। 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष क्रम से वित्त वर्ष 24 और वित्त वर्ष 23 के लिए वर्ष-दर-वर्ष (वाईटीडी) आंकड़ों को संदर्भित करता है।**

**सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार**

**कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या- 006791एन

हस्ता. /-
**अतुल जैन**
भागीदार
सदस्यता संख्या : 091431

**तारीख : 19.04.2024**
**स्थान : नई दिल्ली**

**निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से**

हस्ता./-
**डॉ. बिजय कुमार मोहंती**
निदेशक (वित्त)
डीआईएन संख्या 08816532

हस्ता./-
**प्रदीप कुमार दास**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 07448576

हस्ता./-
**एकता मदान**
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
एसीएस संख्या 23391

# पांच वर्षों का प्रचालन सारांश

**वित्तीय स्थिति** **(₹ लाख में)**

| विवरण | 31.03.2024 को समाप्त वर्ष | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष | 31.03.2021 को समाप्त वर्ष | 31.03.2020 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 60,125.54 | 47,891.79 | 34,235.09 | 27,937.93 | 25,294.08 |
| गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 2,474.88 | 2,555.21 | 2,473.32 | 2,355.05 | 2,357.84 |
| **कुल परिसंपत्तियाँ** | **62,600.42** | **50,447.00** | **36,708.40** | **30,292.98** | **27,651.92** |
| वित्तीय देयताएँ | 51,242.48 | 41,656.68 | 28,636.42 | 24,976.96 | 22,927.87 |
| गैर-वित्तीय देयताएँ | 2,798.51 | 2,855.15 | 2,803.87 | 2,320.83 | 2,202.73 |
| **कुल देयताएँ** | **54,040.99** | **44,511.83** | **31,440.29** | **27,297.79** | **25,130.60** |
| इक्विटी शेयर पूंजी | 2,687.76 | 2,284.60 | 2,284.60 | 784.60 | 784.60 |
| अन्य इक्विटी | 5,871.66 | 3,650.57 | 2,983.51 | 2,210.59 | 1,736.72 |
| **कुल इक्विटी** | **8,559.43** | **5,935.17** | **5,268.11** | **2,995.19** | **2,521.32** |
| **कुल देयताएं और इक्विटी** | **62,600.42** | **50,447.00** | **36,708.40** | **30,292.98** | **27,651.92** |
| **ऋण संविभाग** | | | | | |
| ऋण स्वीकृति | 37,353.68 | 32,586.60 | 23,921.06 | 11,001.30 | 12,696.11 |
| ऋण संवितरण | 25,089.04 | 21,639.21 | 16,070.82 | 8,828.35 | 8,785.31 |
| बकाया ऋण | 59,698.11 | 47,075.52 | 33,930.61 | 27,853.92 | 23,547.84 |
| **वित्तीय कार्य-प्रदर्शन** | | | | | |
| **परिचालन से राजस्व** | | | | | |
| ब्याज आय | 4,822.40 | 3,373.83 | 2,713.22 | 2,565.23 | 2,246.58 |
| शुल्क और कमीशन आय | 60.01 | 37.33 | 106.39 | 33.77 | 21.63 |
| व्युत्पन्नियों के उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि) | (11.26) | 12.43 | (1.47) | (12.47) | 71.65 |
| अन्य परिचालन आय | 92.78 | 58.39 | 41.76 | 27.42 | 27.46 |
| **प्रचालन से कुल राजस्व** | **4,963.93** | **3,481.98** | **2,859.90** | **2,613.95** | **2,367.32** |
| अन्य आय | 1.36 | 1.07 | 14.25 | 44.69 | 5.06 |
| **कुल आय** | **4,965.29** | **3,483.05** | **2,874.15** | **2,658.64** | **2,372.38** |
| **व्यय** | | | | | |
| वित्त लागत | 3,164.10 | 2,088.44 | 1,587.25 | 1,570.26 | 1,459.21 |
| शुद्ध परिवर्तन /लेनदेन विनिमय हानि | (16.53) | 24.03 | 45.89 | 69.85 | 40.65 |
| वित्तीय लिखतों पर हानि | (67.22) | 66.58 | 179.90 | 341.65 | 518.09 |
| कर्मचारी लाभ व्यय | 71.32 | 63.09 | 58.82 | 47.36 | 46.97 |
| मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि | 30.35 | 23.50 | 23.24 | 22.67 | 22.81 |
| अन्य व्यय | 76.52 | 71.19 | 135.71 | 20.91 | 24.35 |
| कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय | 21.51 | 6.97 | 9.51 | 16.42 | 19.19 |
| **कुल व्यय** | **3,280.05** | **2,343.80** | **2,040.32** | **2,089.12** | **2,131.27** |
| **परिचालन लाभ** | **1,715.59** | **1,162.75** | **857.07** | **592.19** | **263.92** |
| **कर पूर्व लाभ/(हानि)** | **1,685.24** | **1,139.25** | **833.83** | **569.52** | **241.11** |
| **कर व्यय** | **433.01** | **274.62** | **200.31** | **223.11** | **26.56** |
| **अवधि के लिए लाभ/(हानि)** | **1,252.23** | **864.63** | **633.52** | **346.41** | **214.55** |
| **मुख्य अनुपात/सूचना** | | | | | |
| निवल मूल्य ( ₹करोड़ में) | 8,559.43 | 5,935.17 | 5,268.11 | 2,995.19 | 2,521.32 |
| टियर I पूंजी (₹करोड़ में) | 8,265.20 | 5,489.56 | 4,814.51 | 2,784.08 | 2,378.51 |
| टियर II पूंजी (₹करोड़ में) | 929.93 | 1,086.06 | 991.18 | 909.53 | 338.69 |
| सकल एनपीए (%) | 2.36% | 3.21% | 5.21% | 8.77% | 10.08% |
| निवल एनपीए (%) | 0.99% | 1.66% | 3.12% | 5.61% | 7.18% |
| परिसम्पत्तियों पर रिटर्न (%) | 2.00% | 1.71% | 1.73% | 1.14% | 0.78% |
| सीआरएआर (%) | 20.11% | 18.82% | 21.22% | 17.12% | 14.34% |
| ऋण से इक्विटी अनुपात | 5.80 | 6.77 | 5.24 | 8.01 | 8.67 |
| प्रति शेयर आय (₹) | 5.16 | 3.78 | 8.03 | 4.42 | 2.73 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (₹) | 31.85 | 25.98 | 23.06 | 38.17 | 32.14 |